

शब्द-साधना

लेखक
रामचन्द्र तर्म्मा

प्रस्तावना-लेखक
श्रीयुत श्रीप्रकाश जी
(मद्रास के राज्यपाल)

साहित्य-रत्न-माला कार्यालय,
२० धर्म कूप, बनारस ।

प्रकाशक
साहित्य-रत्न-माला कार्यालय,
२० धर्म कूप, बनारस ।

पहला संस्करण
मूल्य ५)

मेवालाल गुप्त,
बम्बई प्रिंटिंग हाउस,
ब्रॉस हाउस, काशी ।

उन

विचारशीलों को

जो

तात्त्विक और वैज्ञानिक दृष्टि से

शब्दों की आत्मा का

साक्षात्कार करना

चाहते

११५

शब्द-ब्रह्म

शब्दों में भी आत्मा तथा जीवन—ब्रह्म का व्यक्त और स्पष्ट अंश—होता है। उनका भी जन्म और विकास होता है; कुल, गोत्र और परिवार होते हैं। उनका महत्त्व उन प्राणियों से भी बढ़कर होता है, जो उनका प्रयोग करते हैं। ऐसी उत्कृष्ट वस्तु को नगण्य या साधारण समझकर हम बहुत बड़ा अन्याय और अपराध करते हैं। शब्दों के ठीक ठीक अर्थ और आशय समझना अपना और अपने देश तथा साहित्य का गौरव बढ़ाना है। पर इसके लिए विपुल तपस्या और साधना होनी चाहिए। राष्ट्र भाषा ऐसे तपस्वियों और साधकों की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।

निवेदन

कुछ दिन हुए, नागपुर रेडियो से श्री मुमताजुद्दीन की हास्य रस को एक वार्त्ता प्रसारित हुई थी, जिसका शीर्षक था—मजे मे तो हैं ? वार्त्ता भी वैसी ही मजेदार थी, जैसा उसका शीर्षक था । उसका साराश यही था कि हम लोग प्रायः शब्दों का प्रयोग बिना उनका ठीक और पूरा अर्थ या आशय समझे, यों ही अभ्यास-वश किया करते हैं । उधर सुननेवाले भी इसी प्रकार अभ्यास-वश उनका आधा-तीहा अर्थ समझे या बिना समझे उत्तर दे चलते हैं । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह बात है भी सोलहो आने ठीक । दूर मत जाइए, यही (उक्त वाक्य का अन्तिम शब्द) 'ठीक' ले लीजिए, और अपने दो-चार मित्रों से इसका आशय पूछ देखिए । कोई कहेगा—ठीक का अर्थ है—वाजिब, कोई कहेगा—मुनासिब, और कोई कहेगा—उचित । कुछ सुयोग्य मित्र ऐसे भी निकल आवेंगे, जो अपना आर्थी अज्ञान छिपाने के लिए आपको ही फटकार बताने लगेंगे, और कहेंगे—वाह साहब, आप 'ठीक' का भी अर्थ नहीं जानते ? यदि आप उनसे कहे—'हाँ भाई, हम सचमुच नहीं जानते । आप ही व्याख्या करके बतला दीजिए ।' तो फिर देखिए कि वे कैसी दर्शनीय मुख-मुद्रा बनाते हैं !

पर जरा विचारपूर्वक देखिए कि क्या ठीक, वाजिब, मुनासिब और उचित सब एक ही अर्थ रखते हैं ? क्या सदा एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है ? आप कहेंगे—सब जगह नहीं, तो बहुत-सी जगहो पर तो एक का काम दूसरे से चल ही जाता है । तब हम कहेंगे—यदि सब जगह काम नहीं चलता तो फिर इनमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिए । अतः बात फिर जहाँ की तहाँ रह जाती है । अब हम यदि यह अन्तर जानना चाहे तो हमें बहुधा अपनी बुद्धि से ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि हिन्दी साहित्य मे कहीं कोई ऐसा साधन नहीं मिलेगा, जो हमें इस प्रकार के पर्याय माने जानेवाले शब्दों के पारस्परिक अन्तर बतला सके । यह ठीक है कि अच्छे और बड़े शब्द-कोशों से कहीं

कहीं हमें थोड़ी-बहुत सहायता मिल जायगी; परन्तु उतने से कभी हमारा काम पूरा न होगा। और यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो शब्द-कोशों का काम मोटे हिसाब से शब्दों की साधारण-सी व्याख्या करके उनके दो चार पर्याय दे देना ही होता है। पर जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, पर्याय हमें बहुधा धोखे में रखते हैं। वे हमें शब्दों के अर्थों की छाया का आभास मात्र करा देते हैं—उनके ठीक और पूरे अर्थ तथा भाव नहीं बतलाते। कारण यही है कि हम जिस प्रकार किसी शब्द के वास्तविक अर्थ से अपरिचित होते हैं, उसी प्रकार उसके पर्यायों के वास्तविक अर्थों से भी कोरे रहते हैं। फिर उन पर्यायों में भी बहुत कुछ अर्थ भेद होते हैं। और जब तक हमें पर्याय माने जानेवाले शब्दों के अर्थ-भेद न मालूम हो, तब तक हमारा भाषा-ज्ञान अधूरा ही रहता है, वह कभी गहरा, पक्का, पूरा और यथार्थ नहीं हो सकता। भाषा और उसके शब्दों के अर्थों के इसी अधूरे ज्ञान से जन-साधारण के सब काम जैसे-तैसे चलते रहते हैं। पर क्या यह हमारे शब्द-ज्ञान और हमारी भाषा पर बहुत बड़ा कलक नहीं है?

हमारे यहाँ का 'शब्द-ब्रह्म' पद बतलाता है कि किसी समय हम भारतीय लोग शब्दों और उनके अर्थों को कितना अधिक महत्त्वपूर्ण समझते थे। इधर बहुत दिनों से हम शब्दों को 'ब्रह्म' मानना और 'ब्रह्म' ही की तरह उनको उपासना तथा साधना करना भूल गये हैं; और इसी लिए विद्या तथा साहित्य की दृष्टि से बहुत पीछे रह गये हैं। पाश्चात्य देशों में अब 'शब्द-ब्रह्म' की उपासना और साधना उसी प्रकार हो रही है, जिस प्रकार किसी समय प्राचीन भारत में होती थी। आज हमारे लिए फिर से शब्द-ब्रह्म का महत्त्व समझना बहुत आवश्यक हो गया है। उसी महत्त्व की ओर हिन्दीवालों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए मेरा यह तुच्छ प्रयास है।

भाषा का मानकीकरण

चाहे अधिकारत कहिए, चाहे सयोग, सौभाग्य आदि से, हिन्दी भारत की राष्ट्र-भाषा के पद से आगे बढ़कर राज-भाषा के पद पर पहुँच गई है। फलतः हम गर्व से फूले नहीं समाते; और चाहते हैं कि सारे देश में, हर काम

मे और हर जगह, हमे हिन्दी ही हिन्दी दिखाई दे । हमारी ऐसी कामना कुछ अनुचित या अस्वाभाविक तो नहीं है; पर हमारी इस कामना की आड़ में कहीं कुछ जबरदस्ती या बल-प्रयोग की भावना भी काम कर रही है । हम न तो अपनी भाषा की त्रुटियों की ओर ध्यान देते हैं, न उन त्रुटियों के सुधार का कोई प्रयत्न करते हैं । फिर भी हम चाहते यही हैं कि हमें देश भर में हिन्दी का सार्वभौम साम्राज्य दिखाई दे । यही हमारी जबरदस्ती, यही हमारा बल-प्रयोग है ।

प्रत्येक भाषा के प्रचार और प्रसार में उसका साहित्य ही सबसे अधिक सहायक होता है । जिस भाषा में जितना अच्छा और जितना अधिक साहित्य होता है, उसका उतना ही अधिक प्रचार भी होता है । दूसरे, जो भाषा सबसे अधिक पुष्ट, भाव-व्यञ्जक और स्वस्थ होती है, वही सबसे अधिक लोक-प्रिय भी होती है; और उसी में सबसे अधिक तथा उत्कृष्ट साहित्य भी प्रस्तुत होता है । इस विचार से इस समय दो काम मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं । एक तो हिन्दी साहित्य की श्री-वृद्धि, और दूसरे, हिन्दी भाषा का मानकीकरण । साहित्य की श्री-वृद्धि के उपायो आदि का विचार प्रस्तुत प्रसंग में हमारे क्षेत्र के बाहर है । यहाँ हमारे लिए हिन्दी भाषा के मानकीकरण का प्रश्न ही प्रधान है ।

हर भाषा को मानक बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं । एक तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता और सर्वांग-पूर्णता; दूसरे, अक्षरी के विचार से शब्दों के रूपों की निश्चिति और स्थिरता *, और तीसरे, शब्दों की आर्थी मर्यादा का निर्धारण और परिसीमन । हमारे लिए यह बहुत ही लज्जा की बात है कि इन कसौटियों में से एक पर भी हमारी भाषा खरा नहीं उतरती । व्याकरण की दृष्टि से भाषा की दुर्दशा के सैकड़ों हजारों उदाहरण नित्य हमारे सामने सामयिक-पत्रों

ॐ व्याकरण की दृष्टि से भाषा का शुद्ध स्वरूप बतलाने के लिए मैंने 'अच्छी हिन्दी' और 'हिन्दी प्रयोग' में अपने विचार प्रकट किये हैं । शब्दों के रूप स्थिर करने के सम्बन्ध की कुछ बातें 'अच्छी हिन्दी' में भी हैं, और प्रत्यक्ष रूप में इस सम्बन्ध का थाड़ा बहुत काम 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' में भी हुआ है, जिसमें अधिकतर अर्थ और व्याख्याएँ मानक शब्दों के साथ दी गई हैं, स्थानिक शब्दों में मानक शब्दों का अभिदेश मात्र कर दिया गया है ।

और दिन-पर-दिन बढ़ते रहनेवाले साहित्य में दिखाई देते हैं। हमारे पत्रों, ग्रन्थों और लेखकों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, प्रायः उसी अनुपात में हमारी भाषा की विकलांगता भी बढ़ती जाती है। हम यही मानकर निश्चिन्त रहते हैं कि यही हमारी भाषा का स्वाभाविक विकास है, और इसी प्रवाह में बहते-बहते हम कहीं न कहीं पहुँच ही जायेंगे। पर हम कभी यह नहीं सोचते कि यों झुत्तर मुर्गा की तरह बालू में सिर छिपाकर हम हिन्दी के विरोधियों का पक्ष कितना प्रबल कर रहे हैं। और हिन्दी का भविष्य किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं।

मेरा ही नहीं, अधिकतर लोगो का यह विश्वास है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त हिन्दी की समुचित उन्नति तथा विकास के लिए अब तक न तो हिन्दीवालों ने ही कोई पक्का और बड़ा काम किया है और न केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने ही। यह ठीक है कि अनेक स्थानों पर शब्द गठने के कुछ कारखाने खुल गये हैं; और लेखकों को उत्साहित करने के लिए बहुत-से पुरस्कार बँटने लग गये हैं; परन्तु इतने से ही हमारी भाषा को वह मानक रूप नहीं प्राप्त हो सकता, जो किसी राज-भाषा को आवश्यक और अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

हिन्दी की वास्तविक उन्नति करने और उसे राजकीय व्यवहार के योग्य बनाने के लिए हमें पहले उसकी त्रुटियाँ देखनी होंगी और वे त्रुटियाँ दूर करने के लिए पूरे प्रयत्न करने होंगे। हम बिस अंगरेजी के स्थान पर हिन्दी को आसीन करना चाहते हैं, यदि उसके साहित्यिक वैभव को छोड़ कर केवल मापिक वैभव की ओर ध्यान दें, तो भी हम सहज में समझ सकेंगे कि हमें अंगरेजी के पास तक पहुँचने के लिए अभी कितना बड़ा रास्ता पार करना है। और जब तक हम वह रास्ता थोड़ा-बहुत पार न कर लेंगे, तब तक हिन्दी कभी आधुनिक राजकीय व्यवहारों के लिए उपयुक्त और समर्थ न हो सकेगी। हिन्दी की भाषिक त्रुटियों और दुर्बलताओं का जितना और जैसा अधिक अनुभव मुझे इस 'शब्द-साधना' के काम में हुआ है, उतना और वैसा अनुभव आज तक कभी नहीं हुआ था। पग पग पर मुझे दिखाई पड़ता था कि नये-नये सूक्ष्म भाव और विचार प्रकट करने में हमारी भाषा, उपयुक्त शब्दों के अभाव में, कितनी दबती चलती है—भाव-व्यञ्जन का भार दोने में वह कितनी असमर्थ है। हिन्दी की यह दुर्बलता तभी दूर होगी,

जब हम अपनी भाषा को उसी प्रकार मानक बना सकेंगे, जिस प्रकार ससार की अन्य उन्नत भाषाएँ हैं। केवल शब्दों की कमी देखकर नये-नये हजारों-लाखों शब्द गढ़ डालने भर से काम नहीं चलेगा।

भाषा की सृष्टि किसी विशिष्ट युग, देश और समाज में होती है; और उसपर परिस्थितियों की गहरी छाप पड़ती है। संस्कृत का विकास जिस युग और जिस समाज में हुआ था, वह मुख्यतः आध्यात्मिक था। उसका दृष्टि-कोण उतना इह-लौकिक नहीं था, जितना पारलौकिक था। इसी लिए उसमें उसी स्थिति के अनुरूप शब्दों की बहुलता थी। यह ठीक है कि उस युग में भी भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, बौद्धिक, मानसिक, शैक्षणिक आदि अनेक क्षेत्रों में बहुत कुछ उन्नति की थी, और संस्कृत इस दृष्टि से भी यथेष्ट उन्नत तथा सम्पन्न हुई थी। पर आगे चलकर जब दुर्भाग्य से हमारी अवनति, पराधीनता और विग्रहों के दिन आये, तब हमारे अन्य वैभवों के साथ-साथ भाषिक वैभव भी बहुत कुछ लुप्त हो गया। इसके उपरान्त जब हिन्दी का युग आया, तब अन्यान्य उन्नत भारतीय भाषाओं की तरह, हिन्दी ने भी उस भाषिक वैभव की थोड़ी-बहुत ग्ना आवश्यक की; परन्तु उस वैभव की कोई विशिष्ट वृद्धि नहीं हुई। दिन पर दिन हमारा भी और हमारी अन्य बातों के साथ-साथ हमारी भाषा का भी हास ही होता गया। न तो मुसलमानों के जमाने में ही हिन्दी आगे बढ़ने पाई और न अँगरेजों के जमाने में ही। वह बराबर दबती और पीछे हटती चली गई। फलतः उसका दरिद्र और दीन-हीन होना स्वाभाविक था। भला हो भारतेन्दु जी का, जिन्होंने इस मृत-प्राय हिन्दी को फिर से अनुप्राणित करने और इसमें नये जीवन का संचार करने का प्रयत्न किया। सच पूछिए तो हमारी आधुनिक हिन्दी की अवस्था यही ७०-८० वर्षों की है; और भाषाओं के जीवन में इतना समय कुछ भी नहीं है। हाँ इतना अवश्य है कि एक तो हिन्दी उस संस्कृत की परम्परा में और उसकी उत्तराधिकारिणी है, जो अपने समय में ससार की सर्व-श्रेष्ठ भाषा थी, और दूसरे, इसके सिर पर चन्द बरदाई से लेकर सूर, तुलसी, कबीर आदि महापुरुषों तक का वरद हस्त रहा है। तीसरे यह रामचन्द्र शुक्ल, गुप्त, प्रसाद, प्रेमचन्द, निराला, महादेवी आदि की सुकृतियों द्वारा सेवित हुई है। पर अब इसे राज-भाषा बनना है—

राजकीय व्यवहार में आना है। इस लिए इसमें ऐसा राजोचित निखार लाना आवश्यक है जो इसे राज-सभा में उपयुक्त रूप से गौरवपूर्वक आसीन करा सके। इस के लिए हमें अपना दृष्टि-कोण बदलकर उसे बिलकुल नया रूप देना होगा— एक नये शास्त्र का आश्रय लेना होगा। और वह नया शास्त्र है—

पर्यायकी

‘पर्यायकी’ शब्द भी और इसका विषय भी हम लोगों के लिए बिलकुल नया है। यह भाषा-शास्त्र का एक ऐसा आधुनिक अंग है, जिसकी ओर अभी तक हिन्दीवालों का ही क्या, कदाचित् अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वानों का भी ध्यान नहीं गया है। परन्तु भाषा की व्यञ्जना शक्ति बढ़ाकर उसे उन्नत, पुष्ट, प्रभावोत्पादक तथा हृदय-ग्राहिणी बनाने के लिए इस शास्त्र का अध्ययन और अनुशीलन परम आवश्यक और अनिवार्य है। हिन्दी में इस विषय की चर्चा तो इसलिए और भी अधिक होनी चाहिए कि उसे सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में अँगरेजी का स्थान लेना है। पर्यायकी का विवेचन ही हमारी आँखें खोलकर हमें यह दिखला सकेगा कि जिस हिन्दी को हम राष्ट्र-भाषा बना चुके हैं और जिसे अब राज भाषा का स्थान लेना है, वह अँगरेजी की तुलना में कितनी अधिक अक्षम, दीन और पगु है। यदि हम पर्यायकी की सहायता से हिन्दी की भाषा-सम्बन्धी त्रुटियाँ दूर न कर सकें, तो वह कभी अँगरेजी का स्थान लेने के योग्य न होगी।

पर्याय को अँगरेजी में सिनाॅनिम (Synonym) कहते हैं, अतः सिनाॅनिमिज्म या सिनाॅनिमी (Synonymism या Synonymy) को हम ‘पर्यायकी’ कह सकते हैं। इस शास्त्र में इस बात का चिन्तन होता है कि एक दूसरे के पर्याय माने जानेवाले शब्दों में वस्तुतः आर्थी दृष्टि से क्या अन्तर है। अर्थात् इससे हमें पता चलता है कि किस प्रसंग में किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए; और किस शब्द का नहीं करना चाहिए। हम अबला, नारी और स्त्री; ऊर्मि, तरंग और वीचि, खेद, दुःख और शोक, भटका, ठोकर और धक्का; टक्कर, मिङ्गन्त और मुठ-भेड; उद्योग, चेष्टा और प्रयत्न, शका, सन्देह और सशय सबको एक मानकर और इनके मन-माने प्रयोग करके कभी हिन्दी को राजकीय व्यवहारे

के लिए उपयुक्त नहीं बना सकते ; क्योंकि राजकीय, विधिक आदि व्यवहारों के लिए प्रत्येक शब्द का एक सु-निश्चित अर्थ होना परम आवश्यक है । हिन्दी की सच्ची श्री-वृद्धि तो तभी होगी, और उसमें सच्ची पात्रता तभी आवेगी, जब हम इस प्रकार के पर्याय माने जानेवाले शब्दों के अलग अलग अर्थ समझकर उनके अँगरेजी समानक शब्दों की तुलना में उनका उचित मान तथा मूल्य निर्धारित करेंगे और अँगरेजी के प्रत्येक शब्द का हिन्दी समानक स्थिर करके उपयुक्त अर्थ में और उपयुक्त स्थान पर उसका प्रयोग करना सीखेंगे ।

किसी समय हमारी आकर भाषा संस्कृत में शब्दों के अर्थों का ठीक विचार और पूरा विवेचन होता था, और उसी विचार तथा विवेचन के आधार पर शब्दों का ठीक प्रयोग भी होता था । पर आगे चलकर संस्कृत में अर्थ-विवेचन तो शिथिल होता गया, और पर्याय-रचना की प्रवृत्ति बढ़ती गई । फल यह हुआ कि संस्कृत में एक एक शब्द के सैकड़ों पर्याय बन गये; और बहुतेरे शब्दों में पचीसों-पचासों क्या सैकड़ों अर्थ आ लगे । कवियों की दृष्टि से भले ही यह स्थिति उपयोगी हो, पर भाषा-शास्त्रियों, विधिज्ञों और साहित्यकारों की दृष्टि से यह बहुत बड़ा दोष ही माना जायगा । हम हिन्दीवाले संस्कृत शब्द ले लेना तो जानते ही हैं; और संस्कृत के आधार पर नये शब्द गढ़ना भी सीख रहे हैं । पर अर्थ-विवेचन की मद में हमें हिन्दी में शून्य का ही साम्राज्य दिखाई देता है । यह स्थिति अशोभन भी है और हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक भी ।

आधुनिक दृष्टि से पर्यायों के सूक्ष्म अर्थ-भेदों के निरूपण की ओर पहले-पहल फ्रान्सीसी भाषाविदों का ध्यान गया था । सन् १७१८ में जिर्ड नामक फ्रान्सीसी विद्वान् ने अपने एक ग्रन्थ में यह बतलाया था कि पर्यायों को त्रिकुल समानार्थी समझना बहुत बड़ी भूल है । शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं; और उनका प्रयोग सदा उन ठीक अर्थों में ही होना चाहिए । फ्रान्सीसी भाषा में जो बहुत-से शब्द एक दूसरे के पर्याय माने जाने के कारण अनपयुक्त रूप से प्रयुक्त होते थे, उनके ठीक अर्थ और प्रयोग इस ग्रन्थ में बतलाये गये थे । इस ग्रन्थ का सारे युरोप में यथेष्ट प्रचार हुआ था, और इसकी ओर अच्छे-अच्छे विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ था । इसी ग्रन्थ के अनुकरण और आधार पर

इंक्लैड मे जॉन ट्रसलर नामक एक पादरी ने सन् १७६६ मे 'पर्यायवाची माने जानेवाले शब्दों में भेद' नामक एक ग्रन्थ अँगरेजी मे प्रकाशित किया था । इस विषय का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ब्रिटिश पर्यायकी (British Synonymy) के नाम से सन् १७९४ मे प्रकाशित हुआ था, जिसकी रचयित्री श्रीमती पियोजी थीं । श्रीमती पियोजी अँगरेजी के सुप्रसिद्ध कोशकार और विद्वान् डा० जॉन्सन की बनिष्ठ मित्र थी । यद्यपि इस ग्रन्थ मे बहुत सी त्रुटियाँ थीं और अनेक स्थानों पर शब्दों के अर्थों के सम्बन्ध मे डा० जॉन्सन से मत-भेद भी प्रकट किया गया था, तो भी इस ग्रन्थ से एक नई विचार-धारा के प्रवाह मे भी और अँगरेजी भाषा का स्वरूप स्थिर करने मे भी बहुत-कुछ सहायता मिली थी । तभी से और अनेक विद्वान् इस विषय मे रस लेने लगे, और अँगरेजी पर्यायकी क्रम क्रम से वैज्ञानिक और व्यवस्थित शास्त्र का रूप धारण करने लगी । अब तक अँगरेजी मे इस विषय के पचीसों ग्रन्थ प्रस्तुत हो चुके हैं, जिनमे क्रैब, फर्नाल्ड आदि के पर्याय कोश परम उपयोगी हैं । सन् १९४२ मे अमेरिका से जो वेबस्टर कृत पर्याय कोश निकला था, उसमे शब्दों के वर्गीकरण, अर्थों के विवेचन तथा प्रयोगों के उदाहरण आदि सभी ऐसी सीमा पर पहुँचा दिये गये हैं, कि उससे आगे बढ़ने के लिए अभी बीसियों वर्ष लगोगे । इन सभी कोशों मे शब्दों के अर्थों तथा प्रयोगों का इतना अधिक सूक्ष्म विवेचन हुआ है कि देखकर दग रह जाना पडता है—समझ मे नही आता कि हिन्दी को इस ऊँचाई तक पहुँचने मे कितने दिन लगोगे । पर इसके लिए प्रयत्न आरम्भ होना तो दूर रहा, अभी हम लोगों का ध्यान भी उधर नहीं गया ।

अच्छी भाषा का मुख्य लक्षण यही समझा जाता है कि उसमे प्रत्येक शब्द नपा-तुला हो—उसका हर अंग कसौटी पर खरा उतरे, हर बात काँटे की तौल हो । और भाषा मे यह बात तब तक नहीं आ सकती, जब तक प्रत्येक शब्द की आर्थी मर्यादा तथा प्रायोगिक सीमाएँ निर्धारित न हों । हमे तो मानों नींव मे ही सारा काम आरम्भ करना होगा । पर हिन्दी को राज-भाषा के पद पर गौरव-पूर्वक आसीन कराने के लिए हमे यह काम करना ही होगा; और जितनी जल्दी हम इस ओर अग्रसर होंगे, उतना ही यह काम हमारे लिए भी और हमारी भाषा के लिए भी शुभ होगा । हमारे लिए इस दृष्टि से कि शब्दों के अर्थों के ठीक

ठीक अन्तर समझने से हमारे ज्ञान और बौद्धिक शक्ति का विकास होगा, हममें सूक्ष्म-दर्शिता आवेगी, और हमारी मातृ-भाषा के लिए इस दृष्टि से कि वह भी ससार की अन्य उन्नत भाषाओं के सामने सिर ऊँचा करके खड़ी होने के योग्य बन सकेगी। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशा में पहला पग है। हो सकता है कि पहला प्रयास होने के कारण इसमें अनेक प्रकार की त्रुटियाँ हों, अनेक भूले हों, पर इसका एक मात्र उद्देश्य है—हिन्दी को भाषिक दृष्टि से आगे बढ़ाकर अँगरेजी के सम-कक्ष करना। इसके लिए सैकड़ों नये शब्द गढ़े गये हैं और सैकड़ों पुराने शब्दों के अर्थों में परिवर्तन और सुधार किये गये हैं, और जहाँ तक हो सका है, अर्थों को एक निश्चित सीमा में बद्ध करके उनके विस्तार तथा व्याप्ति को मर्यादित रूप देने का प्रयत्न किया गया है।

कुछ तो भाषा के शुद्ध रूप तथा शब्दों के शुद्ध प्रयोग की ओर वचन से ही मेरी थोड़ी बहुत रुचि थी, और कुछ हिन्दी शब्द-सागर के सम्पादन में लग जाने और स्व० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का सान्निध्य प्राप्त होने के कारण यह विषय मेरे लिए व्यसन सा हो गया था। शब्द-सागर के सम्पादन-काल में ही हम लोगो की इस बात का यथेष्ट अनुभव हो गया था कि शब्दों की ठीक और पूरी व्याख्या करना बहुत ही कठिन काम है; और उसमें बहुत अधिक जानकारी, परिश्रम तथा विचारशीलता की आवश्यकता होती है। शब्दों की व्याख्या के समय ही पर्यायों के सूक्ष्म अन्तर भी सामने आते थे। जब हम लोग 'टाँगना' की व्याख्या करने बैठे थे, तब यह प्रश्न सामने आया था कि 'लटकाना' से इसमें क्या अन्तर है, और यह अन्तर स्थिर करने में ही हम लोगो को कई दिन लग गये थे। पर हाँ, इस प्रकार के विवेचनों ने हमारे सामने एक ऐसी नया मार्ग खोल दिया था, जो बहुत ही बीहड़ था और जिस पर चलना लोहे के चने चबाना था। मित्रवर शुक्ल जी तो इस विषय का अगाध ज्ञान अपने साथ लेकर चले गये, हाँ, अपना थोड़ा-बहुत प्रसाद मुझे अवश्य देते गये, जिसके बल पर मैंने 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' में हजारों शब्दों की व्याख्या बिलकुल नये सिरे से करने और पर्याय माने जानेवाले शब्दों के अर्थों अन्तर निश्चित करने का तुच्छ प्रयास किया था।

कोई साल भर पहले (शायद सितम्बर १९५४) की बात है । एक दिन सन्ध्या समय मेरे आदरणीय और सुयोग्य मित्र श्री शिवनाथ प्रसाद जी बेरी मेरे यहाँ बैठे हुए शब्दों और उनके अर्थों की चर्चा कर रहे थे । उस समय दुःख, खेद, विषाद आदि का प्रसंग आया । इस वर्ग के साथ आठ शब्द इकट्ठे करके उनके सूक्ष्म अर्थ-भेदों का विचार होने लगा । दूसरे दिन मेरे छोटे भान्जे चि० बदरीनाथ कपूर ने इसी विवेचन के आधार पर एक छोटा सा लेख लिखकर हम लोगों को सुनाया । उसमें कई तरह की त्रुटियाँ निकाली गईं और उनका परिष्करण हुआ । निश्चय हुआ कि मैं फिर से ठीक करके यह लेख प्रस्तुत करूँ, अतः 'दुःख का परिवार' शीर्षक लेख तैयार हुआ जो जनवरी १९५५ के 'आज्ञा-कला' में छपा था । इस पर चारों ओर से बीसियों पत्र आये, जिनमें आग्रह था कि अर्थ-भेद के विवेचन का यह क्रम बराबर चलता रहे । श्री बेरी जी तथा उनके जामाता, मेरे परम प्रिय मित्र डा० ब्रजमोहन (हिन्दू विश्व-विद्यालय के गणित विभाग के प्राध्यापक) जो इस विषय के पुराने रसिक थे, उक्त लेख देखकर और भी प्रसन्न हुए, और उन्होंने मुझे फर्नाल्ड का अँगरेजी पर्याय कोश दिखाया जो इसी विषय का बहुत उत्कृष्ट ग्रन्थ था । तभी से हम लोगों का एक नया कार्य-क्रम आरम्भ हुआ । बेरी जी, ब्रजमोहन जी, मैं और चि० बदरीनाथ कपूर सप्ताह में एक दिन ३-४ घण्टे जमकर बैठते थे और अँगरेजी की एक दो शब्द-मालाएँ लेकर उनके हिन्दी समानक स्थिर करते थे । कभी कभी तो एक ही अँगरेजी शब्द का हिन्दी समानक स्थिर करने में घण्टों सिर-पञ्ची करनी पड़ती थी । शब्दों के सूक्ष्म अर्थ-विवेचन में फर्नाल्ड की पुस्तक से बहुत सहायता मिलती थी । इसी बीच में मेरे प्रिय मित्र प० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने इस विषय का हम लोगों का प्रयास देखकर क्रैब का अँगरेजी पर्याय कोश भी मेरे पास उपयोग करने के लिए भेज दिया; और महीने दो महीने बाद एक अन्य मित्र ने वेबुस्टर का पर्याय कोश भी हम लोगों को दे दिया । अब हम लोगों के पास पर्याय सामग्री हो गई और काम घड़ङ्गे से चलने लगा । अँगरेजी शब्दों के हिन्दी समानक तो उक्त गोष्ठी में स्थिर होते थे; और मैं शब्द-मालाओं को हिन्दी रूप देता चलता था । पचास वर्षों तक हिन्दी वाटिका में भ्रमण करने पर उसके शब्द-पुष्पों की जो सुगन्ध मेरे मानस-मंडार

में संचित थी, वह इस शब्द-साधना के काम में बहुत कुछ उपयोगी सिद्ध हुई; और प्रायः एक वर्ष के कठिन परिश्रम से अब यह पुस्तक वर्तमान रूप में हिन्दी जगत को नम्रतापूर्वक भेंट की जा रही है। पर अभी इस प्रकार का बहुत अधिक काम होने को है और होना चाहिए।

प्रस्तुत पुस्तक का बहुत कुछ श्रेय श्री बेरी जी, तथा ब्रजमोहनजी को भी है जिनसे मुझे अँगरेजी शब्दों के हिन्दी समानक स्थिर करने में भी और शब्दों के अर्थ-निरूपण में भी अमूल्य सहायता मिली है। चि० बदरीनाथ कपूर और श्री महाराज नारायण एम० ए० (हिन्दू विश्वविद्यालय के भूशास्त्र विभाग के प्राध्यापक) से भी समय समय पर बहुत सहायता मिलती रही है जिसके लिए मैं इनका परम कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद के सबसे अधिक अधिकारी हैं माननीय श्रीयुत श्रीप्रकाश जी महोदय (मद्रास के राज्यपाल) जो समय समय पर अनेक शब्द-मालाओं की पाण्डु-लिपि देखकर शब्दों के विवेचन आदि के सम्बन्ध में अपने विपुल ज्ञान के आधार पर बहुमूल्य परामर्श देते रहे हैं और बराबर मेरा उत्साह बढ़ाते रहे हैं। अन्त में सबसे अधिक प्रोत्साहन उन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर दिया है। उनकी कृपाओं के लिए धन्यवाद देने को शब्द मुझे नहीं मिलते।

अन्त में एक दो शब्द अपने सम्बन्ध में भी। यह पुस्तक मेरे जीवन के सबसे अधिक संकट-मय काल की रचना है। मानसिक, शारीरिक आदि अनेक प्रकार की चिन्ताएँ अपने प्रबल-तम रूप में मेरे सामने आई हैं। इस बीच में मुझे एक ऐसा विकट मानसिक आघात सहना पड़ा है, जिसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। यदि मैं इस आघात के फल स्वरूप मरने या पागल होने से बचा हूँ, तो इसी 'शब्द-साधना' की कृपा से। यही काम इतने दिनों तक मुझे विकट मानसिक कष्टों और चिन्ताओं की ओर से उदासीन रखने में समर्थ हुआ है। अतः यह 'शब्द-साधना' मेरे लिए सजीवनी सिद्ध हुई है।

शरद पूर्णिमा,
संवत् २०१२ वि० }

रामचन्द्र वर्मा

प्रस्तावना

जिन वस्तुओं से हम जन्म से ही परिचित रहते हैं, उन्हें स्वाभाविक मान लेते हैं, और उनका महत्त्व न समझकर प्रायः उनकी अवहेलना करते हैं। शब्द भी ऐसी ही वस्तु हैं। शब्दों का महत्त्व कितना आवश्यक है और हम सबके लिए वे कितने उपयोगी हैं, इस पर जल्दी हमारा ध्यान ही नहीं जाता।

जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ, बहुत-सी परिचित वस्तुओं की तरह शब्दों को भी हमने स्वाभाविक मान लिया है, और हम साधारणतः उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते। एक तरह से यह अवश्य कहा जा सकता है कि शब्द स्वाभाविक हैं, क्योंकि बिना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किये हर प्रकार के प्राणी कुछ न कुछ शब्द करते ही हैं, और अपनी प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुरूप दूसरे प्राणी उन शब्दों का अर्थ भी लगा लेते हैं, जैसा उनके आचरण से सिद्ध होता है। पर मनुष्य जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे स्वाभाविक नहीं कहे जा सकते; क्योंकि हम अपने शब्दों की रचना कृत्रिम रूप से करते हैं; और उनमें विशिष्ट अर्थों तथा भावों का आरोप करते हैं। पीटो-दर-पीटी इन शब्दों का हम लगातार प्रचार करते हैं; और उनके ठीक अर्थ समझने के लिए समाज से आग्रह करते रहते हैं।

अपनी मातृ-भाषा से नैसर्गिक प्रेम रखते हुए भी उसके शुद्ध प्रयोग की तरफ से प्रायः लोग उदासीन रहते हैं। यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के ही लिए नहीं, सबके लिए कही जा सकती है। हमारे लिए तो विशेष रूप से यह ठीक है; क्योंकि हमें इसकी शिक्षा देने के लिए पाठशालाओं और विद्यालयों में कोई विशेष प्रबन्ध नहीं रहता। हम इसे साधारण प्रयोग मात्र से सीखा करते हैं। ऐसी अवस्था में जो कोई हमें एतत्सम्बन्धी रहस्य समझने में सहायता दे, वे हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा के पात्र हैं।

ऐसे ही सज्जन श्री रामचन्द्र वर्मा जी हैं। हिन्दी की विविध रूप से जो सेवा उन्होंने की है, वह हिन्दी-प्रेमियों से छिपी नहीं है। आज से ४१ वर्ष पूर्व मुझे उनसे प्रथम बार परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला था। जब इंग्लैंड से अपना विद्यार्थी-जीवन समाप्त करके मैं जुलाई १९१४ में घर लौटा था और अपने पुराने शिक्षक स्व० श्री श्यामसुन्दर दासजी से मिलने नागरी-प्रचारिणी सभा-भवन में गया था, उस समय उन्होंने मुझे हिन्दी शब्द-सागर के होते हुए कार्य के भेन्न-भिन्न स्तरों का परिचय कराया था, और उसी प्रसंग में वर्मा जी से मेरी पहली भेंट भी हुई थी। वे इस काम में बहुत तत्परता से लगे हुए थे। मेरा उनका बहुत सम्पर्क तो नहीं था, पर बीच-बीच में सार्वजनिक सभाओं अथवा सामाजिक उत्सवों में उनसे मिल ही जाता था। उनकी विलक्षण कार्य-कुशलता तथा वेस्तृत ज्ञान देखकर मुझे सदा आश्चर्य होता था।

इधर करीब ६ वर्षों से मेरा उनका सम्पर्क पर्याप्त निकट का हो गया है। उन्होंने कृपाकर मेरे पास प्रामाणिक हिन्दी कोष और अच्छी हिन्दी नामक अपनी रचनाएँ असम में उस समय भेजी थी, जब मैं वहाँ राज्यपाल था। यह १९४६ की बात है। मुझे वे ग्रन्थ देखकर बहुत ही आनन्द और सन्तोष हुआ, और मैंने यह अनुभव किया कि हिन्दी की वास्तविक सेवा यदि कोई कर रहा है, तो वर्मा जी कर रहे हैं। बिना किसी से भगडा मोल लिये, बिना हिन्दी के प्रचार में उग्रता देखलाये, वे लोगों के ऐसे सच्चे सहायक के रूप में मुझे दिखाई पड़े, जो प्रेमपूर्वक शिक्षक की भाँति लोगों को शुद्ध और सरल भाषा का प्रयोग करना सिखलाते हैं; और बतलाते हैं कि किस प्रकार से बिना जाने हुए ही हम लिखने-पढ़ने में कितनी ही अशुद्धियाँ करते रहते हैं, पर थोड़ी सावधानी से बोलने-लिखने से हम जिनसे सहज में बच सकते हैं। उनकी पुस्तकों से मेरी आँख खुल गई है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि अब अशुद्धियाँ कम करता हूँ; पर मैं यह अवश्य स्वीकार करूँगा कि उनसे मैंने बहुत-सी ऐसी बातें सीखीं, जिनका मुझे पहले पता नहीं था और जिनसे मुझे बहुत सहायता मिली। इसके लिए मैं उनका परम अनुग्रहीत हूँ।

यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपनी इस नई और अत्यन्त उपयोगी पुस्तक

‘शब्द-साधना’ की प्रस्तावना लिखने का आग्रह मुझसे किया है। अवश्य मैं असमजस में पडा, क्योंकि मुझे किसी भाषा के सम्बन्ध में यह अधिकार नहीं है कि उस पर कुछ लिखूँ। पर वर्मा जी के प्रति मुझमें जो हार्दिक सम्मान है, वह मुझे ये पक्तियाँ लिखने के लिए बाध्य कर रहा है। मैं ऐसा करते हुए अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ; क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक से बहुत-से लोगों का वास्तविक उपकार होगा, और साथ ही हमारी भाषा का उद्धार भी होगा।

हम लोग बहुत-से शब्दों का बिना विचारे हुए ही प्रयोग करते रहते हैं। जैसे जैसे भाषा प्रौढ होती जाती है, वैसे वैसे हमारा शब्द-भण्डार बढ़ता जाता है। यद्यपि देखने में एक ही अर्थ में कई शब्द प्रयुक्त होते और हो सकते हैं, पर वास्तव में प्रत्येक शब्द के अर्थ में कुछ भेद और विशेषता होती है, और इस भेद तथा विशेषता के प्रदर्शन के लिए ही अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, साधारण तौर से मन्त्री उस पुरुष का वाचक है, जो राजा को मन्त्रणा देता है, अर्थात् शासन का संचालन करता है। पर सचिव, अमाल्य आदि शब्दों का भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है, जो भिन्न भिन्न विषयों में मन्त्रणा देनेवालों अथवा भिन्न भिन्न विभागों का संचालन करनेवालों के वाचक हैं।

इसमें मनोविज्ञान का खेल देख पड़ता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है। यदि इसका चमत्कार बाह्य सृष्टि में विज्ञान की कृतियों में देखा जाता है, तो आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक सृष्टि में उन सूक्ष्म विचारों में भी देखा जाता है, जिनके व्यक्त रूप ‘शब्द’ होते हैं। श्री रामचन्द्र वर्मा जी ने हजारों शब्दों का पद्य सूक्ष्म विश्लेषण किया है, मनोविज्ञान की दृष्टि से उनकी समीक्षा की है; और साधारण जीवन के सर्व-परिचित उदाहरण देकर उनका ठीक अर्थ समझाया है। उनकी भाषा बहुत सरल है; इस कारण किसी को उसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। ससार का इतना विस्तृत ज्ञान न जाने कैसे अपने पुस्तकालय और कार्यालय में ही बैठे हुए उन्होंने प्राप्त कर लिया कि जीवन के सभी अर्थों से उपयुक्त घटनाओं का वर्णन करके अपने विवेच्य शब्दों के अर्थ वे इतनी अच्छी तरह समझा सके।

मुझे कितने ही शब्दों की व्याख्या की पाड्डु लिपि देखने का अवसर मिल चुका है। मैं तो चकित हो गया; क्योंकि बहुत-से साधारण से साधारण शब्दों के वास्तविक अर्थ और उनके पर्यायों के अर्थ में सूक्ष्म भेद समझने का मैंने अवसर पाया। एक साधारण शब्द 'गुप्त' ही ले लीजिए। हम लोग जब कोई वस्तु या भाव कहीं अव्यक्त पावेंगे, तो 'गुप्त' शब्द का प्रयोग कर देंगे। परन्तु इस 'शब्द-साधना' में पाठक देखेंगे कि 'गुप्त' के अर्थ के विभिन्न सूक्ष्म भेदों की विवेचना करने पर हम अन्तर्गत, अन्तर्निष्ठ, अन्तर्भूक्त, निहित, विवाह्यत, सुप्त सरीखे शब्दों का प्रयोग आवश्यक मानेंगे जो मोटे तौर से 'गुप्त' शब्द से निर्दिष्ट किये जाते हैं, पर जो वास्तव में विभिन्न भावों के सूचक हैं। हम अनुभव करेंगे कि यदि इन भिन्न भिन्न शब्दों से भिन्न भिन्न अवसरों पर हम अपने भाव ठीक तरह से सूचित करें तो हमको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनमें पर्याप्त अन्तर दिखाई देगा, और इस प्रकार हम अपने भावों का सूक्ष्म विश्लेषण करके उन्हें शुद्ध रूप में व्यक्त कर सकेंगे, और साथ ही अपनी भाषा को पुष्ट तथा व्यञ्जक भी करते चलेंगे। इस पुस्तक की और भी बहुत-सी विशेषताएँ और उपयोगिताएँ बताई जा सकती हैं। पर मेरी समझ में प्रस्तावना में अधिक न कहकर पाठकों को पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए साग्रह निमन्त्रित कर देना ही उचित और पर्याप्त होगा। शब्दों के विश्लेषण का मनन करके पाठक अपनी ही चित्त-वृत्तियाँ, मनोभाव और विचार-धाराएँ समझने में सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे।

हाँ मुझे एक बात का अवश्य खेद है, और वह मैं यहाँ लिख देना अनुचित नहीं समझता। बर्मा जी ने अपनी पुस्तक में अँगरेजी के बहुत-से पर्याय दिये हैं; पर इन्हे उन्होंने रोमन अक्षरों में ही छपा है। मेरा तो यही विचार है कि हिन्दी पुस्तक में जब नागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया है, तो यदि विदेशी भाषा के शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता हो तो उन्हें भी नागरी में ही लिखना चाहिए। इसमें यह लाभ होगा कि जो लोग भाषा विशेष की लिपि नहीं जानते, वे भी उन्हें पढ़ सकेंगे। यदि हमें अपने ही देश की भिन्न भिन्न भाषाओं के कुछ शब्द हिन्दी की पुस्तकों में लिखने होते हैं, तो उन्हें हम नागरी में ही लिखते हैं; बंगला, मराठी, तमिल या गुजराती में नहीं लिखते। अँगरेजी शब्दों के लिए

भी इसी नियम का पालन करना उचित होगा। उसके लिए कोई अपवाद करना ठीक नहीं है। हम कितने ही अँगरेजी शब्द जानते हैं, कितने ही बाहर के शब्द हिन्दी में हमने ले भी लिये हैं, पर यदि वे रोमन अथवा किसी दूसरी लिपि में लिखे जायें तो हम उन्हें नहीं पट सकेंगे, और इस कारण समझ भी न सकेंगे। इससे पढ़ने की शृंखला में कष्टदायक बाधा पड़ती है। ये ही शब्द यदि नागरी में लिखे जायें तो हम सरलता से उन्हें पढ़ और समझ सकेंगे।

मैं श्री रामचन्द्र जी वर्मा को ऐसी सुन्दर पुस्तक तैयार करने और उसमें इतना परिश्रम और समय देने के लिए हिन्दी पाठकों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हिन्दी साहित्य को यह भेट देकर उन्होंने हिन्दी भाषा भाषियों का बहुत बड़ा उपकार किया है; और मुझसे इसकी प्रस्तावना लिखवाकर मेरा सम्मान किया है। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इसे रोचक और उपयोगी पावेंगे और इससे पूरा लाभ उठावेंगे।

१८ अक्टूबर १९५५ }
राजभवन, मद्रास। }

श्री प्रकाश

आवश्यक संशोधन

खेद है कि इस पुस्तक के पहले ही पृष्ठ में 'अज्ञात' वाली माला के अन्तर्गत, छापे के भूतों की कृपा से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसमें अनभिज्ञ के आगे, Un-acquainted और अपरिचित के आगे Ignorant छप गया है। होना चाहिए—

अनभिज्ञ (Ignorant)

अपरिचित (Un-acquainted)

अज्ञात (Unknown)

अगोचर (Imperceptible)

अनभिज्ञ (Un-acquainted)

अज्ञेय (Un-knowable)

अपरिचित (Ignorant)

अज्ञात का साधारण अर्थ है—जो जाना हुआ न हो, या जिसके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न हो। हमें वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का ज्ञान अनेक प्रकार से और अनेक रूपों में होता है। कहीं तो हम उनके नाम या रूप ही जानते हैं, कहीं उनके गुण-दोषों आदि से भी परिचित होते हैं, कहीं प्रत्यक्ष सम्बन्ध के कारण और कहीं केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर जानते हैं। जिसे हम इनमें से किसी रूप में भी न जानते हों, वही हमारे लिए अज्ञात है। अज्ञात व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी और विषय भी। अज्ञेय वह है जिसका अस्तित्व तो हो, पर जिसके सम्बन्ध की ठीक और पूरी बातें, सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी, किसी प्रकार जानी ही न जा सकती हों। अज्ञात तो किसी प्रकार ज्ञात हो भी सकता है, पर अज्ञेय कभी ज्ञेय नहीं हो सकता—उसके सम्बन्ध में कभी कुछ जाना नहीं जा सकता। ब्रह्म का स्वरूप या विश्व का रहस्य हमारे लिए अज्ञेय ही है, क्योंकि इनके सम्बन्ध की ठीक और पूरी बातें हम कभी जान ही नहीं सकते। अगोचर वह है जिसका बुद्धि या मन से भले ही कुछ ज्ञान हो सके, पर इन्द्रियों से जो कभी ग्रहण न किया जा सके। बुद्धि या मन से हम ईश्वर की कल्पना तो कर सकते हैं, पर उसे आँखों से देख या हाथों से पकड़ नहीं सकते, और यदि वह बोलता भी हो तो उसकी बात नहीं सुन सकते; अतः वह हमारे लिए अगोचर है। चेतक के कीटाणुओं के सम्बन्ध में भी यही

कहा और माना है कि वे अभी तक हमारे लिए **अगोचर** ही हैं। उनका अस्तित्व तो है और हमें उनके अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं, फिर भी वे अभी तक किसी प्रकार देखे नहीं जा सकते हैं, और इसी लिए पकड़े भी नहीं जा सकते हैं। फलतः वे अभी तक हमारे लिए **अगोचर** ही हैं। यदि आत्मा और मन नाम की सचमुच कुछ वस्तुएँ हों तो वे भी अब तक हमारे लिए **अगोचर** ही हैं। **अपरिचित** वह कहलाता है जिससे हमारा परिचय न हो। परिचय का साधारण अर्थ है—जान-पहचान। अर्थात् किसी को जानना और पहचानना ही उससे परिचित होना है। परिचय समय समय पर होते रहनेवाले सम्पर्क या सम्बन्ध से होता है। हम जिस व्यक्ति से एक-दो बार मिलकर कुछ बातें कर चुके हो या जो वस्तु एक-दो बार देख चुके हो, उसके सम्बन्ध में कुछ जान चुके हो, वही हमारे लिए परिचित और इसके विपरीत **अपरिचित** है। किसी वस्तु, विषय या व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ भी न जानना ही उससे **अपरिचित** होना है। **अनभिज्ञ** अपेक्षया कुछ विस्तृत अर्थवाला शब्द है, पर इसका प्रयोग सदा केवल व्यक्तियों के सम्बन्ध में होता है, वस्तुओं या विषयों के साथ इस विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता। **अनभिज्ञ** का साधारण अर्थ है—जिसे परिचय के रूप में ज्ञान न हो। हम यह तो कह सकते हैं कि हम अमुक बात या विषय से **अनभिज्ञ** हैं, पर यह नहीं कह सकते कि अमुक बात या विषय हमसे **अनभिज्ञ** है। अज्ञानी होना तो सभी द्रशाओं में निन्दनीय या बुरा माना जाता है; और किसी विषय या व्यक्ति से **अपरिचित** होना भी कुछ अवस्थाओं में निन्दनीय या बुरा हो सकता है, पर किसी बात या मनुष्य से **अनभिज्ञ** होना त्रुटि भले ही हो, कोई दोष या निन्दा की बात नहीं है। हम बिना भय या सकोच के कह सकते हैं कि हम अमुक बात या व्यक्ति से **अनभिज्ञ** हैं, और इसका सीधा-सादा अर्थ यही होता है कि हम उसे नहीं जानते—कोई ऐसा अवसर या प्रसंग नहीं आया है, जिसमें हमें उसकी कोई जानकारी हुई हो। कोई अशिक्षित देहाती हमारी रहन-सहन या विद्या-बुद्धि से **अनभिज्ञ** हो सकता है, और हम पशु-पक्षियों की रहन-सहन से **अनभिज्ञ** हो सकते हैं।

अदृश्य (Invisible)

अन-देखा (Unseen)	तमाच्छन्न (Obscure)
अ-लक्षित (Un-observed)	प्रच्छन्न (Hidden)
अ-स्पष्ट (Indistinct)	प्रच्छादित (Concealed)

अदृश्य वह है जो सामने या आस-पास कहीं हो तो सही, पर किसी विशेष कारण-वश या इधर-उधर हो जाने पर आँखों से ओझल हो गया हो और हमें दिखाई न दे रहा हो। जैसे—उचक्का या चोर देखते-देखते भीड़ में अदृश्य हो गया। अर्थात् वह था तो कहीं इधर-उधर भीड़ में ही, पर हमें दिखाई नहीं देता था। यह भी हो सकता है कि वह इसी अदृश्य रहने की अवस्था में कहीं दूर निकल गया हो। यदि चालाकी से कोई हमारी घड़ी हमारे सामने से इस प्रकार उठा ले जाय कि हमें पता न चले, तो भी हम कहेंगे—घड़ी देखते-देखते यहाँ से अदृश्य हो गई। अथवा हम यह भी कहते हैं—इस प्रसंग में हमें कोई अदृश्य शक्ति काम करती हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि कोई शक्ति काम कर रही है, पर हम उसे देख नहीं सकते, इसी से वह हमारे लिए अदृश्य होती है। अर्थात् इसमें होने पर भी आँखों के सामने न आने, न रहने या न होने का भाव मुख्य है। अलक्षित भी है तो बहुत कुछ वही जो अदृश्य है, फिर भी यह उससे कुछ भिन्न है। इसमें हमारे लक्ष या ध्यान के न होने का भाव मुख्य है। कहीं कोई काम हो तो रहा है, पर वह हमारे लक्ष या ध्यान में नहीं आ रहा है। यदि हमारे सामने से घड़ी उठानेवाला वहीं कहीं पकड़ा जाय और उसके पास से घड़ी निकल आवे, तो हम कहेंगे—इसने अलक्षित रूप से घड़ी उठा ली थी। अर्थात् उसका उठाना हमारे लक्ष या ध्यान में नहीं आया था। अदृश्य का प्रयोग मुख्यतः वस्तुओं आदि के सम्बन्ध में और अलक्षित का प्रयोग क्रियाओं, व्यापारों आदि के सम्बन्ध में होता है। जो सामने हो तो सही, पर ठीक तरह से और पूरा-पूरा दिखाई न दे या अच्छी तरह समझ में न आवे, वह अस्पष्ट है। हमारी लिखावट घसीट होने के कारण आपके लिए

अ-स्पष्ट हो सकती है, और आपका कथन आपकी वाक्य-रचना के पेचीलेपन के कारण या आपका उत्तर चालाकी से भरा होने के कारण हमारे लिए अ-स्पष्ट हो सकता है। अथवा सन्ध्या के समय अँधेरा बट जाने के कारण दूर की कोई आकृति भी हमारे लिए अ-स्पष्ट हो सकती है। उस दशा में हम कहेंगे—आकृति-सी तो दिखाई देती है, पर वह है अ-स्पष्ट। अर्थात् हम स्पष्ट रूप से यह नहीं देख पाते कि वह पशु है, मनुष्य है या वृद्ध है। जिसका रूप सामने होने पर भी स्पष्ट या साफ न हो, वही अ-स्पष्ट है। तमाच्छन्न वह कहलाता है जिसके स्वरूप तक आँखों या मन का पहुँच न होती हो। हो सकता है कि उसके चारों ओर अशेष प्रकाश न हो अथवा उसमें गहराई या पेचीलापन अधिक हो, अथवा उसकी बनावट कुछ धुँधली-सी जान पड़ती हो। जिसके चारों ओर किसी प्रकार का ऐसा आवरण हो, जो हमारी दृष्टि या बुद्धि के मार्ग में बहुत कुछ बाधक हो, वही हमारे लिए तमाच्छन्न है। तमान्छन्न कोई मूर्त्त पदार्थ भी हो सकता है और कोई अमूर्त्त पदार्थ, अर्थ, आशय या भाव भी। उसका कुछ अग्र या तो दिखाई देता है या उसके होने का कोई निश्चित प्रमाण मिलता है। हम जानते हैं कि वह कुछ है, पर अपनी बाहरी परिस्थितियों के कारण वह हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता या हमारी समझ में नहीं आता। इसके विपरीत प्रच्छन्न वह है जिसके ऊपर या चारों ओर कोई परदा पड़ा हो, और जब तक वह परदा न हटे, तब तक हम नहीं कह सकते कि वह क्या है। किसी की आँड में छिपी हुई कोई चीज ही प्रच्छन्न कहलाती है। इसमें किसी ऊपरी परदे या आँड का भाव मुख्य है। प्राचीन भारत में कुछ सम्प्रदाय इसी लिए प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते थे कि वे वस्तुतः या सिद्धान्ततः बौद्ध होने पर भी ऊपर से किसी और धर्म की आँड या आवरण रखते थे। प्रच्छन्नादित वह है जिसे किसी दूसरे ने यो ही अथवा जान-बूझकर प्रच्छन्न कर रखा हो। सीधे शब्दों में, जो किसी तरह की आँड में छिपा हो, वह प्रच्छन्न है; और जो आँड में किया या छिपाया गया हो, वह प्रच्छन्नादित है। पहला स्वयं छिपा हुआ होता है, दूसरा किसी के द्वारा छिपाया हुआ।

अद्भुत (Wonderful)

अद्वितीय (Unique)	निराला
अनुपम (Incomparable)	लोकोत्तर (Supernatural)
अनूठा (Singular)	विचित्र (Peculiar)
अनोखा=विचित्र	विलक्षण (Strange)
आश्चर्यजनक (Surprising)	विस्मयजनक (Astonishing)
कुतूहलजनक (Curious)	विस्मयाकुलक (Astounding)
चमत्कारिक (Marvellous)	

अद्भुत वह है जिसे देखकर मन प्रसन्न होने पर भी कुछ समय के लिए स्तब्ध-सा हो जाय, और यह समझ में न आवे कि यह कैसे अस्तित्व में आया या प्रस्तुत हुआ है। इसमें विचित्रता, विलक्षणता, अपूर्वता आदि अनेक ऐसी बातें होती हैं जिनके सम्बन्ध में मन में कुछ कुतूहल भी होता है और आश्चर्य भी। जिसे देखकर हमें प्रसन्नता भी हो और परम आश्चर्य भी, फिर भी जिसकी तह या रहस्य तक हम न पहुँच सकें, वही अद्भुत है। इसका मूल बहुधा अज्ञान या अल्प ज्ञान होता है। जिसका ज्ञान जितना ही अधिक होता है, उसके लिए उतनी ही कम चीजें अद्भुत होती हैं। किसी जगली या देहाती के लिए दूर-भाष (टेलीफोन), रेडियो या रेल का इंजन जितना अद्भुत हो सकता है, उतना किसी नगर-निवासी या शिक्षित के लिए नहीं होता। पर विश्व, जीवनी-शक्ति या परमाणु बम के सम्बन्ध की बहुत-सी बातें बहुत-से लोगों की दृष्टि में इसी लिए अद्भुत होती हैं कि वे उनका रहस्य कुछ भी नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं। कभी-कभी प्राकृतिक संयोग से भी हमें कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं; जैसे जल-स्तम्भ आदि। विस्मय-जनक भी है तो कुछ-कुछ वही जो अद्भुत है, पर एक तो इसका आशय अपेक्षया कुछ हलका है, और दूसरे इसमें विस्मय उत्पन्न करने का भाव मुख्य है। अद्भुत सदा कोई कृति या व्यापार होता

है; और हमारे मन पर उसका जो परिणाम या प्रभाव होता है, वह विस्मयजनक होता है। मन पर होनेवाली इसी प्रतिक्रिया के आधार पर कोई वस्तु विस्मयजनक कही जाती है। जो सचमुच अद्भुत होगा, वह सदा अद्भुत ही रहेगा (जैसे—आगरे का ताज महल), पर विस्मय-जनक के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। उसकी विस्मित करनेवाली शक्ति या गुण अस्थायी या क्षणिक भी हो सकता और प्राय होता ही है। विस्मयानुकूलक वह है जो हममें आकुल कर देनेवाला विस्मय उत्पन्न करे। जो विस्मयजनक वस्तु या बात देखकर हम कुछ घबरा-से-चायें या जो कुछ तीव्र रूप से विस्मयजनक हो, उसी को हम विस्मयानुकूलक कहेंगे। यदि जगल में शेर हमारे बहुत पास से चुपचाप निकल जाय तो यह विस्मयजनक होगा। पर यदि वह रास्ते में बकरी के बच्चे से खेलने लग जाय तो यह विस्मयानुकूलक होगा। विस्मयजनक से आश्चर्यजनक कुछ हलका है। इसमें किसी बात के सहसा या अप्रत्याशित रूप से घटित होने का भाव मुख्य है; पर साथ ही उस घटना में कुछ विलक्षणता भी होनी चाहिए। यदि किसी दूर देश के निवासी हमारे कोई मित्र या सम्बन्धी हमें पहले से सूचना दिये बिना अचानक हमारे घर पहुँच जायें तो उनका आना हमारे लिए आश्चर्यजनक होगा। यदि कोई विद्वान् किसी प्रसंग में साधारण सी बात का अर्थ या आशय न समझ सके अथवा कोई गम्भीर स्वभाववाला व्यक्ति छोटे बच्चों के साथ मिलकर खेलने और उन्हीं का-सा आचरण या व्यवहार करने लगे, तो उसका ऐसा करना भी आश्चर्यजनक होगा। कुतूहलजनक वह है जो अपनी विचित्रता के कारण अपने प्रकार, रूप आदि के सम्बन्ध में हमारे मन में कुछ उत्सुकतापूर्ण जिज्ञासा उत्पन्न करे। यदि हमें किसी लडके के हाथ में बिलकुल नई तरह के हवाई जहाज का ऐसा खिलौना दिखाई पड़े जो आपसे आप एक चौकी पर से उड़कर दूसरी चौकी पर चला जाता हो, तो वह हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है कि यह कैसे उड़ता है, और इसी लिए वह खिलौना हमारे लिए कुतूहलजनक होगा। अनूठा वह है जो अपने वर्ग या जाति के और सब पदार्थों, व्यक्तियों आदि की तुलना में कोई ऐसी विशेषता रखता हो जो हमें चकित करने के साथ ही प्रसन्न भी कर सके। इसमें आकर्षक विचित्रता का

भाव मुख्य है। अनूठा सदा उत्कृष्ट भी होता है। जैसे अनूठा रूप या अनूठी उक्ति अपने वर्ग में सबसे अलग भी होती है, बढकर भी और सुखद भी। अनोखा या विचित्र वह है जो सहसा सब जगह न देखने में आता हो। जो चीज या बात हमें साधारणतः प्रायः एक रूप में दिखाई देती है, वही जब किसी नये और अलग रूप में देखने में आती है, तब वह हमारे लिए अनोखी या विचित्र होती है। अनूठे और अनोखे या विचित्र में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि अनूठा सदा अभीष्ट और प्रिय रूपवाला होता है, पर अनोखे या विचित्र के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हाँ उसमें औरों की अपेक्षा कुछ विशेषता अवश्य होनी चाहिए। अनूठा कपड़ा या गहना तो सदा उत्कृष्ट होगा; पर अनोखे या विचित्र कपड़े या गहने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उत्कृष्ट भी हो ही। हाँ उसके लिए नियमित या साधारण से कुछ अलग प्रकार का होना आवश्यक है। जो सदा एक-सा आचरण न करे, उसे हम विचित्र स्वभाववाला मनुष्य कहते हैं। यदि हमारा मित्र कभी तो हमारे प्रति कठोर हो जाय और कभी कोमल, तो हमें उसका व्यवहार भी विचित्र जान पड़ेगा। विलक्षण भी है तो बहुत कुछ वही जो अनोखा या विचित्र है, फिर भी विलक्षण और विचित्र में कुछ अन्तर अवश्य है। शब्दार्थ के विचार से विचित्र वह है जो अपने कई रंगों आदि के कारण हमारा ध्यान आकृष्ट करता हो, और विलक्षण वह है जो अपने किसी विशिष्ट लक्षण के कारण औरों से पहले हमारे लक्ष्य या ध्यान में आवे, पर प्रयोग के विचार से विलक्षण वह है जो अपने स्वरूप के कारण कुछ ऐसी असामान्य स्थिति में हो कि हमें कुछ चकित भी कर सके। विचित्र भी चकित तो करता ही है, पर उतना नहीं, जितना विलक्षण करता है। वह अद्भुत भी हो सकता है और निराला भी। विचित्र की अपेक्षा विजक्षण के प्रति हमारा कुतूहल कुछ अधिक जाग्रत होता है, और इसी लिए विचित्र की अपेक्षा विलक्षण कुछ उत्कट और ऊँचा है। अद्वितीय वह है जिसके जोड़ या बराबरी का और कोई न हो। इसका अर्थ ही है—जिसका या जिसके बाद दूसरा कोई न हो। अर्थात् जो अपने वर्ग में या अपने ढंग का एक ही हो, वह अद्वितीय कहलाता है। अनुपम भी बहुत कुछ वही है, जो अद्वितीय है, पर

इसका अर्थ है—जिसकी किसी से उपमा न दी जा सकती हो। अद्वितीय में भाव यह है कि इसके बाद अभी तक इस तरह का कोई नहीं हुआ; पर अनुपम में भाव यह है कि इससे पहले या इसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ, जिससे इसकी उपमा दी जा सके या बराबरी की जा सके। निराला वह है जो अपनी चनावट, रूप, विशेषता आदि के कारण अपने वर्ग में सबसे अलग प्रकार का होने के अतिरिक्त अपना कुछ विशिष्ट आकर्षण और सौन्दर्य भी रखता हो। यह सदा कुछ अनूठे कौशल से युक्त होता है। जो अद्भुत, विचित्र या विलक्षण चीज या बात देखकर हम चौक पड़े, अर्थात् जिससे हमारा कुतूहल और विस्मय इतना बढ जाय कि हम कुछ समझ ही न सके, वही हमारे लिए चमत्कारिक है। महापुरुषों की बहुत सी बातें अथवा पर्वतों और वनों में पर्यटन करनेवाले लोगों के बहुत-से विवरण हमारे लिए चमत्कारिक होते हैं। लोकोत्तर वह है जो साधारणतः इस लोक में न होता हो अथवा ससार में जल्दी कहीं दिखाई न देता हो। अर्थात् जो न तो देखने में आता हो और न किसी तरह समझ में ही आता हो, जो मनुष्य की बुद्धि से विलकुल परे का हो, वही लोकोत्तर है।

अधिकार (Right)

अध्यर्थन (Claim)

मताधिकार (Franchise)

जन्म-सिद्ध अधिकार (Birthright) विशेषाधिकार (Privilege)

जात अधिकार=जन्मसिद्ध अधिकार समनुज्ञा (License)

परमाधिकार (Prerogative)

संस्कृत और हिन्दी में अधिकार के बहुत-से अर्थ हैं, पर प्रस्तुत प्रसंग में उस योग्यता, शक्ति या सामर्थ्य का सूचक है जो नियम, नीति, न्याय, विधि,

साम्या आदि पर आश्रित होता है और जिसके आधार पर वह कोई काम कर सकता या करता है। यह स्वाभाविक भी हो सकता है और कृत्रिम या मनुष्य कृत भी। पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति पाने का स्वाभाविक अधिकार होता है, और राज्यपाल को ससद् भग करने अथवा जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का कृत्रिम या मनुष्य-कृत अधिकार होता है। यह उस स्वामित्व का भी सूचक है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मन-माना उपयोग कर सकता है। जैसे—इस मकान पर चारो भाइयों का समान अधिकार है। कुछ अधिकार अपनी योग्यता या शक्ति के द्वारा भी प्राप्त किये जाते हैं, और कुछ धन देकर खरीदे भी जाते हैं। मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार ही जन्म-सिद्ध या जात-अधिकार कहलाते हैं। जैसे जीवन-निर्वाह, आत्म-रक्षा या अपने बाल-बच्चों की देख-रेख का अधिकार जन्म-सिद्ध है। कुछ जन्म-सिद्ध अधिकार ऐसे भी होते हैं जो कुछ स्थितियों में हाथ से निकल जाते हैं और जिन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए शक्ति अपेक्षित होती है। स्वतंत्रता सबका जन्म-सिद्ध अधिकार है, पर दूसरों के दास बने हुए लोगों को यह अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना अथवा बल लगाना पड़ता है। परमाधिकार (परम + अधिकार) वह है जो किसी व्यक्ति को उसकी अवस्थिति या सत्ता के फल-स्वरूप प्राप्त होता है। यह अधिकार ऐसा होता है जो विशिष्ट रूप से उसी को अपने लिंग, पद, विशिष्ट गुण आदि के कारण प्राप्त होता है। जैसे—राजा या राज्यपाल को अपने राज्य में शासन और व्यवस्था सम्बन्धी बहुत-से काम कर सकने का और मनुष्यों को सोच-समझकर काम करने का परमाधिकार है। ईश्वर दत्त परमाधिकार (जैसे स्त्रियों को सन्तान प्रसव करने का) तो किसी तरह छीना नहीं जा सकता, पर राजा अपने सरदारों या सामंतों का कोई परमाधिकार इसलिए छीन भी सकता है कि उसे ऐसा करने का परमाधिकार होता है। राजा भी अपनी प्रजा या न्यायालय से अपने छिने हुए परमाधिकार माँगने और पाने का अधिकारी हो सकता या अध्वर्यन कर सकता है।

विशेषाधिकार (विशेष + अधिकार) वह विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी को अनुग्रहपूर्वक या रिआयत के रूप में दिया जाता है। ऐसा अधिकार प्रायः

कृत्रिम होता और कुछ ही लोगों को (और वह भी विशिष्ट परिस्थितियों में ही) मिलता है । ऐसा अधिकार कुछ काम कर सकने के सम्बन्ध में भी हो सकता है और कुछ कामों से बचने या बच सकने के लिए भी । कुछ लोगों को यह विशेषाधिकार मिल सकता है कि वे जब चाहें, तब सड़ की बैठकों में उपस्थित हों, और जब चाहें, तब न हों । जिन जगलों में शिकार खेलना मना होता है, उनमें कुछ लोगों को शिकार खेलने का विशेषाधिकार मिल सकता है । मताधिकार (मत + अधिकार) वह है जो लोक-तंत्री व्यवस्थाओं में लोगों को किमी चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनने अथवा किसी विचारणीय विषय में अपना मत प्रकट करने के लिए प्राप्त होता है । ऐसे अधिकार के साथ प्रायः कुछ नियम या बन्धन भी लगे होते हैं । इसका प्रयोग सरकारी और सार्वजनिक सस्थाओं के क्षेत्रों में होता है । अध्यर्थन नया शब्द है जो स० अर्थन (या अर्थन=कुछ माँगना या पाने के लिए प्रार्थना करना) में अधि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है । यह अपने अधिकार की वह माँग है जो उस अधिकार से रहित या वंचित होने की दशा में ऐसे व्यक्ति के सामने उपस्थित की जाय जो या तो वह माँगा हुआ अधिकार स्वयं दे सकता हो या दूसरों से दिला सकता हो । यह झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी, स्वीकृत भी हो सकता है और अस्वीकृत भी । इसमें केवल अपनी माँग किसी के सामने रखने अथवा अधिकार जतलाने भर का भाव मुख्य है । हम कहते हैं—वह अपने रुपये के झूठे अध्यर्थन का विचार पचायत में कराना चाहता था । अथवा—उस समय सम्पत्ति पर कई आदमी अपना अध्यर्थन जतलाते थे, इसलिए सरकार ने वह सम्पत्ति अपने अधिकार में कर ली है । अब जिसका अध्यर्थन सच्चा निकलेगा, उसे वह सम्पत्ति मिलेगी । समनुज्ञा स० अनुज्ञा में स उपसर्ग लगने से बना है । यह किसी ऐसे काम या बात के लिए, जो साधारणतः औरों के लिए वर्जित हो, विशेष रूप से और कुछ शर्तों के साथ मिलनेवाला अधिकार है । जहाँ सब लोगों के लिए पिस्तौल या बन्दूक रखने की अथवा मादक और विपाक्त पदार्थ बेचने की मनाही होती है, वहाँ कुछ विशिष्ट लोगों को ये काम करने की समनुज्ञा दी जाती है । युद्ध-क्षेत्र में सैनिक अधिकारियों को आवश्यकतानुसार बहुत-से काम, बिना बड़े अधिकारियों से पूछे, कर डालने की

समनुज्ञा होती है। कभी-कभी इसका प्रयोग अधिकार या स्वतंत्रता के दुरुपयोग के सम्बन्ध में भी होता है। जैसे—तुमने तो मानों भूठ बोलने (अथवा छल-कपट से लूटने) की समनुज्ञा प्राप्त कर रखी है। आशय यही होता है कि तुम समझते हो कि तुम्हें ऐसे अनुचित काम करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है।

अध्याय (Chapter)

अनुच्छेद (Paragraph)	धारा (Section विधिक)
अभिपद (Article)	परिच्छेद=अध्याय
उप-धारा (Sub-section)	प्रकरण=अध्याय

अध्याय, परिच्छेद और प्रकरण प्रायः समानक ही हैं, और किसी विचार-प्रधान ग्रन्थ या पुस्तक के अन्तर्गत ऐसे विभागों के सूचक हैं जिनमें किसी एक ही विषय का प्रतिपादन होता है। यद्यपि इन शब्दों के प्रयोगों के सम्बन्ध में कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं है, तो भी लोक-व्यवहार की दृष्टि से अध्याय का प्रयोग मुख्यतः धार्मिक ग्रन्थों, प्रकरण का प्रायः ऐतिहासिक और दार्शनिक क्षेत्र के ग्रन्थों और परिच्छेद का साधारण कथा-कहानियों, विवेचनों, समीक्षाओं आदि के ग्रन्थों में होता अथवा देखने में आता है। जैसे—गीता का तीसरा अध्याय, कामायनी का पाँचवाँ प्रकरण, भाँसी की रानी का दसवाँ परिच्छेद आदि। अनुच्छेद किसी ग्रन्थ (के अध्याय, परिच्छेद या प्रकरण) लेख्य या लेख का वह छोटा विभाग है जिसमें किसी विषय के या तो एक अंग या पक्ष का अथवा उसके किसी अंश का स्वतंत्र (अन्य प्रसंगों से अलग) विवेचन होता है। यह बहुत-से छोटे-बड़े वाक्यों का एक पृथक् वर्ग या समूह होता है, और इसका प्रचलन दूर हाल में केवल लिखाई और छपाई के सुभीते के विचार से हुआ है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि इसका आरम्भ सदा नई पंक्ति से होता है, और ऐसी

नई पक्ति के आरम्भ में भी थोड़ी-सी जगह सदा खाली छूटी रहती है। इसके सिवा जिस पक्ति में अनुच्छेद का अन्त होता है, उसके सामने या सीध का सारा स्थान खाली छोड़ दिया जाता है—उसमें कुछ लिखा या छापा नहीं जाता। यह किसी प्रसंग के सम्बन्ध में कही हुई बातों या वाक्यों की स्वतन्त्र टुकाई मात्र है, जो विषय-विवेचन के युक्ति-सगत विभाग की सूचक होती है। अभिपद शब्द पद में अभि उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ नया शब्द है। यह ऐसे निर्णय, मत, विचार, सिद्धान्त आदि का सूचक है जो किसी समष्टि का एक पूरा और स्वतन्त्र अंग हो। यह एक अनुच्छेद का भी हो सकता है और कई अनुच्छेदों का भी। इसका प्रयोग प्रायः अभिसमय के निश्चयों, विविध लेखों, राजकीय घोषणाओं आदि में अथवा उनके सम्बन्ध में होता है। जैसे—इस अनुबन्ध (या सविदा) का तीसरा अभिपद पारिश्रमिक के भुगतान से और पाँचवाँ अभिपद क्षति-पूर्ति से सम्बन्ध रखता है। अथवा—लन्दन में डाक, तार आदि के सम्बन्ध में जो सार्वराष्ट्रीय अभिसमय बना था, उसमें सब मिलाकर बीस अभिपद थे। धारा भी बहुत कुछ अभिपद की ही तरह का विभाग है, पर इसका प्रयोग मुख्यतः विधिक क्षेत्रों में या नियमावलियों, विधानों आदि के क्षेत्र में होता है। जैसे—अमुक व्यक्ति पर १०७ वी धारा के अनुसार मुकदमा चलाया गया है, अथवा नियमावली की १२ वीं धारा के अनुसार वे सदस्यता के अधिकारों से वंचित कर दिये गये हैं। प्रत्येक धारा में कोई एक पूरा विचार या सिद्धान्त होता है। पर यदि किसी धारा में उससे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ और गौण बातें या उनके स्पष्टीकरण के लिए कुछ अंग-उपांग भी हों तो उनका विवेचन प्रायः अलग-अलग अनुच्छेदों के रूप में होता है। धारा के ऐसे ही छोटे विभाग उप-धारा कहलाते हैं।

अन-बन

खट-पट

बिगाड़

अन-बन में अन हिन्दी का अभाव-सूचक उपसर्ग है, और 'बन' पद हिं० बनना का भाववाचक सञ्चित रूप है। इसका अर्थ है—वह अवस्था जिसमें दो व्यक्तियों या पक्षों में आपस में न बनती हो, अर्थात् दोनों ठीक तरह से साथ मिलकर न रह सकते हो, या दोनों मिलकर कोई काम न कर सकते हो। यह विशुद्ध अभाव-वाचक या नहिक शब्द है और ऐसी विशिष्ट स्थिति मात्र का सूचक है जिसमें कोई विरोधी क्रिया नहीं होती। अन बन होने पर भी दोनों पक्ष शान्त भाव से अलग रहकर अपने काम चला सकते हैं। उनका एक-दूसरे के मार्ग में बाधक होना या वैर-विरोध ठानना आवश्यक नहीं है। परिवारों, मित्रों आदि में जब अन-बन होती है, तब वे एक-दूसरे से अलग भ्र हो जाते हैं। खट-पट शब्द उस अवस्था का सूचक है, जिसमें दो पक्षों में बहुत ही साधारण कहा-सुनी या भगडा चलता है। यह भगडे या विरोध का बहुत ही हल्का रूप है और इसी लिए इससे विशेष अनिष्ट की आशंका भी नहीं होती। अपने इसी मन्द रूप में यह कुछ दिनों तक चल सकती है, पर अधिक उग्र रूप धारण करने पर अपना कुछ दुष्परिणाम भी दिखा सकती है, अथवा वैर-विरोध आदि का रूप भी धारण कर सकती है। बिगाड़ शब्द हिं० बिगाड़ना का भाव-वाचक रूप है और स० विकार का अपभ्रष्ट रूप भी हो सकता है। पर आर्विक सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है कि यह हिन्दी व्याकरण के नियमों के अनुसार हिन्दी 'बिगाड़ना' में ही बना हो, सीधे स० विकार से न बना हो। किसी चीज या बात के बिगाड़ जाने की अवस्था या भाव ही बिगाड़ है। इस प्रसंग में यह उस स्थिति का सूचक है जिसमें दो व्यक्तियों या पक्षों की अन बन या खट-पट ने अप्रिय और उग्र रूप धारण करके दोनों को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया हो। परन्तु अन-बन की तरह बिगाड़ होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के विरोधी या शत्रु हो ही जायें। फिर भी है यह अन-बन और खट पट की

तुलना मे कुछ अविक दूषित भाव का सूचक, और इसी लिए यह सहज मे अनिष्ट-कारी भी हो सकता है ।

अपमान (१. Disgrace २. Insult)

अवगणन (Ignoring)

अवहेला (Disregard)

अवज्ञा (Contempt)

उपेक्षा (Neglect)

अवधोरण (Slight)

तिरस्कार (1 Disdain,

अपमान (Disrespect)

2 Dishonour)

इस वर्ग के सभी शब्द ऐसे अनुचित अथवा अशिष्ट आपसी व्यवहारों के सूचक हैं जो दूसरों की प्रतिष्ठा या मान घटानेवाले या उन्हें ठेस पहुँचानेवाले हो । अपमान शब्द मान के विरोधी भाव का सूचक है । इसका अर्थ है—मान या प्रतिष्ठा घटना या नष्ट होना । यही बे-इज्जती है । बड़े लोग अपने अधीनस्थ छोटे लोगों का अपमान कर सकते हैं, बराबरवाले आपस में एक दूसरे का अपमान कर सकते हैं, और छोटे भी उद्दण्डतापूर्वक बड़ों का अपमान कर सकते हैं* । राजा अपने दरबारी या सरदार का अपमान करके (उसे गालियाँ, भिडकियाँ आदि देकर या उसके पद या मर्यादा के सूचक चिह्न और अधिकार छीनकर) उसे अपने दरवार या देश से निकलवा दिया करते थे, और बड़े आदमी

✽ छोटे लोग जो बड़ों का अपमान करते हैं, वह अँगरेजी में 'इन्सल्ट' कहलाता है, और बड़ों के द्वारा छोटों का होनेवाला अपमान 'डिस्डेन' कहलाता है; बराबरवालों का अपमान 'इन्सल्ट' भी हो सकता है और 'डिस्प्रेस' भी । हिन्दी में इन दोनों प्रकार के अपमानों को हम 'तिरस्कार' भी कह सकते हैं और 'अपमान' भी ।

अब भी अपने नौकर का अपमान करके उसे घर से निकाल देते हैं। बड़ों के सामने कोई अनुचित या उद्दण्डतापूर्ण आचरण करना अथवा अनुपयुक्त बात कहना भी उनका अपमान करना है। हम कहते हैं—जिसे जनम भर हमने पाला-पोसा हो, उसकी उद्दण्डता के सामने सिर झुकाने में हम अपना अपमान समझते हैं। अथवा दूसरों के आगे हाथ फैलाना, दूसरों की कृतियों की चोरी या नकल करना आदि अपमानजनक बातें हैं। ऐसे अवसरों पर अपमान करनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारा ही कोई काम ऐसा हो सकता है जो हमारी प्रतिष्ठा या मान घटानेवाला हो, और ऐसे काम या बात को हम अपना अपमान समझते हैं। प्रतिष्ठा या मान का कम होना या न रह जाना ही अपमान है। अवमान भी है तो अपमान के ही वर्ग का शब्द, पर उससे बहुत हलका है। अपमान में तो मान नष्ट होने या बिगड़ने का भाव है, पर अवमान में केवल उचित आदर या मान न करने या न होने का भाव है। जिसका जैसा आदर या मान करना चाहिए, यदि हम उसका वैसा (या कुछ भी) आदर या मान न करें, तो यह उसका अवमान होगा। यदि हमारे यहाँ दो मित्र आवें और हम उनमें से एक का तो यथेष्ट आदर-मान करें, पर दूसरे का बहुत कम या कुछ भी आदर-मान न करें, तो यह भी उस दूसरे मित्र का अवमान ही होगा। हाँ दूसरे मित्र हमारे किये हुए इस अवमान को अपना अपमान समझ सकते हैं—भले ही हमारे मन में उनका अपमान करने का कोई भाव न हो। अवगणन का अर्थ है—गिनती में न लाना, अर्थात् तुच्छ या नगण्य समझना। हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती या बात होती है, जिसका कुछ महत्त्व तो होता है, पर कुछ कारणों से हम जान-बूझकर उसे महत्त्व नहीं देते—उसे गिनता में नहीं लाते। यही हम उस चीज या बात को अवगणित करते हैं। अवगणन उसी चीज या बात का होता है, जिसे हम महत्त्व नहीं देना चाहते। यदि हमारा विरोधी इधर-उधर हमारी छोटी-मोटी निन्दाएँ करता फिरे या समाज में बैठकर हमारे सामने हमारा कुछ उपहास करे और हम उसे तुच्छ समझकर उसकी ओर ध्यान न दें, तो हम उस निन्दा या उपहास का भी और उस व्यक्ति का भी अवगणन करते हैं। इसमें किसी बात को ध्यान न देने योग्य

समझकर यो ही छोड़ देने या देख-सुनकर भी अन-देखी या अन-सुनी करने का भाव मुख्य है। पर अवज्ञा में इसकी अपेक्षा कुछ तीव्रता और कटुता का भाव भी है। जब हम किसी बात को अनुचित, अपमान-जनक अथवा हीन समझते हैं और उसके प्रति अपना असन्तोष या विरोध दिखलाने के उद्देश्य से ही उसकी ओर ध्यान नहीं देते, उसे अ-ग्राह्य समझते हैं, तब हम उस बात की अवज्ञा करते हैं। यह आचरण, व्यवहार, आज्ञा, आदेश, व्यक्ति, सत्ता आदि सञ्चकी हो सकती है। अवहेला किसी बात या व्यक्ति की ओर जान-बूझकर ध्यान न देना है। जहाँ या जिधर हमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ या उधर यदि हम ध्यान न दें, तो इसे अवहेला कहेंगे। इसमें उस बात या व्यक्ति को तुच्छ समझने का कुछ भी भाव नहीं होता, जिसकी अवहेला होती है। और इस दृष्टि से यह अपने वर्ग का सबसे हलका, निर्दोष और निरीह शब्द है। उपेक्षा का पहला और सीधा-सादा अर्थ तो देखना या दृष्टि-पात करना ही है, पर दूसरा अर्थ बहुत कुछ अवहेला की तरह का, पर उससे कुछ आगे बढ़ा हुआ है। जो अवहेला जान-बूझकर, किसी को तुच्छ समझकर या नीचा दिखलाने के भाव से का जाती है, वही उपेक्षा है। लडके अपनी पटाई-लिखाई और शिक्कर को उपेक्षा कर सकते हैं, और हम अपने किसी मित्र की चेतवनी या परामर्श की उपेक्षा कर सकते हैं। आशय यही होता है कि हम जान-बूझकर उसे तुच्छ समझने दें और उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तिरस्कार का व्युत्पत्तिक अर्थ है—ग्रलग करना या दूर हटाना। पर प्रस्तुत प्रसंग में किसी विशिष्ट कारण से दूसरे का जो अपमान किया जाता है, अथवा उनके उचित आदर-सम्मान की उपेक्षा की जाती है, उसे तिरस्कार कहते हैं। हमारे सामने कोई ऐसी चीज या आदमी आता है, जो साधारणत आदर या मान का अधिकारी अथवा पात्र तो होता है, पर हम किसी कारण-वश उस चीज या आदमी की ओर ध्यान नहीं देते अथवा उसे ग्राह्य नहीं समझते। यही उस चीज या आदमी का तिरस्कार है। यदि बक में हमारे खाते में यथेष्ट धन न हो और इसी लिए बक हमारा चेक लौटा दे तो यह भी हमारे चेक का तिरस्कार ही कहा जायगा।

अभिमान (Pride)

अह (Ego)	घमंड (Vanity)
अहंकार (Egoism)	दम्भ (Arrogance)
अहंभाव=अहंकार	दर्प (Hauteur)
अहंमन्यता, हमी, हमेव (Egotism)	मद (Inebriety)
अवलेप (Presumption)	मान
अस्मिता=अहंकार	मिथ्याअभिमान (Conceit)
आत्म-श्लाघा (Self praise)	अहमिका=अहंकार
	स्वाअभिमान (Self-respect)

गर्व

प्रत्येक मनुष्य को इस बात का सहज और स्वाभाविक ज्ञान होता है कि मैं हूँ—मेरी स्वतन्त्र सत्ता है। अपने निर्विकार और विशुद्ध रूप में यही ज्ञान का बोध अह कहलाता है। यही कुछ अधिक विस्तृत और विकृत होकर अहंकार या अहंभाव बन जाता है। साहित्य में अन्तःकरण की उस अभिमानपूर्ण वृत्ति को अहंकार कहा गया है, जिसमें मनुष्य अपनी और अपने कार्यों की चर्चा करना और सुनना पसन्द करता है। साधारणतः अहंकार में मनुष्य औरों की अपेक्षा अपना कुछ अधिक महत्त्व समझने लगता है। वह सोचता है कि जितनी अच्छी चीजें या बातें हैं, वे सब पहले मेरे लिए होनी चाहिए, फिर औरों के लिए भले ही हुआ करे। अर्थात् उसमें स्वार्थ का भाव आ जाता है। सम्भवतः यह भावना मनुष्य की आत्म-रक्षावाली प्राकृतिक प्रेरणा से उत्पन्न होती है। यही भावना कुछ और अधिक बटने और विकृत होने पर अहंमन्यता (जिसे लोक में हमी या हमेव भी कहते हैं) बन जाती है। इसमें मनुष्य समझता है कि जो कुछ

हूँ, वह मैं ही हूँ, और जो कुछ है, वह सब मेरे ही लिए होना चाहिए। अर्थात् दूसरों के हित का विचार उसकी आँखों से ओझल हो जाता है। अपने सामने उसे और लोग प्रायः तुच्छ और नगण्य-से लगते हैं। ऐसी ही मनोवृत्ति में जब वह अपने आपमें ऐसे गुणों या विशेषताओं का आरोप करने लगता है जो गुण और विशेषताएँ वास्तव में उसमें नहीं होतीं अथवा बहुत कम होती हैं, तब उसका ऐसा करना अवलोक्य कहलाता है*। यदि साधारण योग्यता या शक्तिवाला मनुष्य यह जतलाने लगे कि मेरी योग्यता या शक्ति बहुत अधिक है, तो यह भी अवलोक्य ही कहलावेगा। ऐसी स्थिति में छोटा मनुष्य भी अपने आपको बड़ों की बराबरी का मानने या सम्भन्ने लगता है। जब वह इसी दृष्टि से समय-कुसमय और जगह-जगह अपने मुँह से आप ही अपनी बड़ाई करने लगता है, तब इसे आत्म-श्लाघा कहते हैं। लोगो से यह कहते फिरना कि मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ अथवा मैंने यह किया है, वह किया है, इसके मुख्य लक्षण हैं। ये सभी मनुष्य के अहभाव के विकृत और दूसरो को खटकनेवाले रूप हैं।

इसी अहकार का एक और रूप है जिसे अभिमान कहते हैं। मान का सामान्य अर्थ है—प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिष्ठा का अतिरिक्त रूप से होनेवाला ज्ञान ही अभिमान है। इसमें मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा या बड़ापन के ही ध्यान में लौन रहता है, औरो की प्रतिष्ठा या बड़ापन उसे दिखाई ही नहीं देता। जहाँ तक अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रहे, वहाँ तक तो यह उचित या सद् ही होता है, और अपने इसी उचित या सद् रूप में यह स्वाभिमान कहलाता और आत्म-सम्मान के भाव का सूचक होता है। इसमें मनुष्य अपने आपको औरो की दृष्टि में गिरने नहीं देता, बल्कि गौरवशाली बनाये रखता है। इसी का एक और विकृत तथा सार्विक पक्ष भी है जिसमें मनुष्य को अपनी जाति, देश, सस्कृति, सद्-गुणों आदि की मर्यादा का भी वैसा ही ध्यान रहता है, जैसा स्वयं अपनी मर्यादा का होता है। इस सीमा तक तो अभिमान प्रशमनीय ही नहीं, बल्कि आवश्यक

❁ हिन्दी में इसी को 'छगाना' कहते हैं। जैसे—वह अपने आपको बहुत छगाने हैं। भावार्थ यही है कि वह अपने आपमें बहुत अवलोक्य करते हैं।

भी होता है*। पर औचित्य की इस सीमा से आगे बढ़ने पर वह अवस्था आती है, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा या मान के सामने दूसरों की प्रतिष्ठा या मान तुच्छ, जेंचने लगता है। ऐसी अवस्था में यही अभिमान उस घमड का समानक बन जाता है, जो मनुष्य की नैतिक दुर्बलता और मानसिक तुच्छता का सूचक होता तथा समाज में निन्दनीय माना जाता है†। घमड उस समय माना जाता है, जब मनुष्य अपनी बुद्धि, विद्या या शक्ति का महत्त्व दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक समझकर उन्हे उपेक्षा या तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगता है और यह समझता है कि मैं जो चाहूँ, वह कर सकता हूँ। ऐसा मनुष्य बड़ों के सामने उद्धत या उद्वह हो जाता और छोटे को उपेक्षा या घृणा की दृष्टि से देखता है। अर्थात् अभिमान का निकृष्ट रूप ही घमड कहलाता और लोक में निन्दनीय माना जाता है‡। अवलोकन जब अधिक उग्र या तीव्र होकर आचरण और व्यवहार में प्रकट होने लगता है, तब वह मिथ्याअभिमान कहलाता है। असद् अभिमान या घमड का तो फिर भी कुछ आधार होता है; पर मिथ्याअभिमान में का 'मिथ्या' विशेषण ही इस बात का सूचक है कि ऐसे अभिमान का कोई वास्तविक आधार नहीं होता। अभिमान और मिथ्याअभिमान में एक अन्तर यह भी है कि अभिमानी या घमडी व्यक्ति प्रायः लोक में होनेवाली निन्दा-स्तुति की उतनी परवाह नहीं करता, पर मिथ्याअभिमानी सदा दूसरों से अपनी प्रशंसा कराना चाहता है। गर्व भी बहुत कुछ वही है, जो अभिमान है, फिर भी लोक-व्यवहार में, प्रयोग के विचार से, कहा जा सकता है कि अभिमान में यदि आधी मात्रा सद् की और आधी असद् की है, तो गर्व में तीन-चौथाई सद् की ओर एक चौथाई असद् की है। अर्थात् गर्व का प्रयोग अधिकतर सद् क्षेत्रों में दिखाई देता है। हम यह तो कहते हैं—

❀ सद् अभिमान का एक उदाहरण है—

अस अभिमान जाइ नहिं भोरें । मैं सेवक, रघुपति पति मोरें ॥

—तुलसी ।

† कहौ सुभाव, न कछु अभिमानू ।—तुलसी ।

‡ मारा चहसि अधम अभिमानी ।—तुलसी ।

मैं गर्वपूर्वक समाज में सिर ऊँचा करके खड़ा हो सकता हूँ, पर यह नहीं कहते— मैं अभिमानपूर्वक समाज में सिर ऊँचा करके खड़ा हो सकता हूँ। कारण यही है कि गर्व की अपेक्षा अभिमान अधिक बुरा होता है। कदाचित् इसी विचार से साहित्य में भी एक सचारी भाव अभिमान नहीं बल्कि गर्व माना गया है, और इसका लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है—इसमें मनुष्य अपने किसी गुण या विशेषता के कारण अपने आपको दूसरो से बड़ा-बटा समझता है, और अपने आचार तथा व्यवहार से अपनी श्रेष्ठता प्रकट करता है। दम्भ भी असद् अभिमान का एक उग्र रूप है। वास्तविक गुण या विशेषता होने पर उसका जो अतिरिक्त असद् अभिमान होता है, वही दम्भ कहलाता है, और इस दृष्टि से यह मिथ्याअभिमान से बिलकुल अलग है। दम्भ और अवलेप में यह अन्तर है कि दम्भी अपने आपको दूसरो से बड़ा समझता है, पर अवलेपक मनुष्य अपने आपको बड़ों की बराबरी में पहुँचाना चाहता है। दम्भ में उद्वेगता भी होती है, अवलेप भी और योग्यता, वैभव, शक्ति आदि का प्रदर्शन भी। दर्प वह है जिसमें मनुष्य के स्वाभिमान पर अनुचित आघात होने या उसे ठेस लगने पर उसकी योग्यता, विद्या, शक्ति आदि अपने आपे में न रहकर उबल पडती है। फिर भी इसमें कुछ सात्विकतापूर्ण तेजस्विता की मात्रा रहती ही है; और इसी लिए दर्प का प्रयोग बहुधा ऐसे अवसरों पर होता है, जब कोई दृढतापूर्वक किसी को फटकार बतलाता है। यदि किसी सती साँवी के साथ कोई अनुचित व्यवहार हो तो वह बहुधा दर्पपूर्वक उसकी भर्त्सना करेगी। मद वस्तुतः घमट का वह उग्रतर रूप है जिसमें मनुष्य भरे-बुरे का ज्ञान खो बैठता है। अर्थात् इसमें मन या भावनाएँ नशे की-सी हालत में हो जाती हैं और भावावेश के कारण मनुष्य का नैतिक और मानसिक सन्तुलन नष्ट हो जाता है। मान इस प्रसंग में एक विशिष्ट अर्थ या भाव का सूचक होता है। जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे कुछ अनुचित व्यवहार कर बैठता है या हम उसका कोई ऐसा अपराध या दोष देखते हैं जो हमारी प्रतिष्ठा पर आघात करता या उसे ठेस पहुँचाता है, तब हमारा स्वाभिमान उचोड़ित या लुब्ध होकर हमें कुछ समय के लिए उस प्रिय से उदासीन तथा रुष्ट कर देता है। अपने प्रिय के प्रति होनेवाली यही अस्थायी उदा-

सीनता तथा रोष मान कहलाता है। साहित्य में मानवती या मानिनी नायिका के उदाहरण और उल्लेख प्रायः देखने में आते हैं। इस मान के मूल में भी अपने मान या प्रतिष्ठा का विचार ही मुख्य होता है। हिन्दी में इसी को 'रूठना' कहते हैं।

अभियोजन (Accusation)

अवक्षेप=दोषारोपण	परिवाद (Complaint)
उपालंभ, उलाहना	पिशुनता
चुगली = पिशुनता	पैशुन्य=पिशुनता (Back-biting)
दोषारोपण (Blame)	शिकायत=परिवाद (आंशिक रूपमें)

अभियोजन का अर्थ है—किसी पर अभियोग लगाना, या किसी के सम्बन्ध में यह कहना कि उसने अमुक अनुचित या निन्दनीय काम किया है। यह प्रायः नैतिक, वैधानिक और व्यावहारिक बातों से सम्बन्ध रखता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अभियोग सम्बन्धी जो बातें कही गई हैं, उनकी जाँच की जाय, तथ्य का पता लगाया जाय; और यदि अभियोग ठीक सिद्ध हो तो अभियुक्त को उचित दंड दिया जाय। यह सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी। परिवाद प्रायः किसी बात या व्यवहार के सम्बन्ध में अपना असन्तोष प्रकट करने के लिए होता है। इसमें यह कहा जाता है कि हमें अमुक बात से यह कष्ट या असुविधा है, अतः यह बात दूर की जाय। यह बहुधा स्वार्थ-रक्षा की भावना से होता है। प्रायः यह भी होता तो दूसरों के आचरण या व्यवहार के सम्बन्ध में ही है, पर इसका उद्देश्य अपनी अडचन दूर कराना ही होता है, किसी को दंड दिलाना नहीं। हर तरह से अपना आचरण ठीक रखने पर भी हम दूसरों के मिथ्या अभियोजनों से नहीं बच सकते। पर अपना आचरण

या व्यवहार ठीक रखकर हम परिवार से बहुत कुछ बच सकते हैं। दोषारोपण का साधारण अर्थ है—किसी पर कुछ दोष लगाना या यह कहना कि तुमने (या उसने) अमुक दोष या कसूर किया है। यह कई प्रकार का होता है। जिन लोगों को किसी के काम पर विचार या टीका—टिपणी करने का अधिकार होता है, वे भी किसी पर दोषारोपण कर सकते हैं, और जिन्हें किसी अनुचित बात से कष्ट पहुँचता या हानि होती है, वे भी दोषारोपण कर सकते हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा दोषारोपण सदा ठीक या सावधान ही हो। अभियोजन का उद्देश्य तो सदा किसी न किसी प्रकार का दंड दिलाना ही होता है, पर दोषारोपण इसके सिवा अपमानित या बदनाम करने और नीचा दिखाने के उद्देश्य से भी हो सकता है। चुगली या पैशुन्य किसी को अनुपस्थिति में उसके सम्बन्ध में कही जानेवाली वह बात है जो उसे किसी प्रकार का दंड दिलाने, कुछ हानि पहुँचाने या दूसरों के द्वारा अपमानित अथवा तिरस्कृत कराने के उद्देश्य से कही जाती है। यह सर्वथा निराधार तो नहीं होती (इसमें सत्यता का कुछ अंश या आधार तो अवश्य होता है) फिर भी असल बात प्रायः कुछ बढ़ा-चढ़ाकर, बुरे दग और बुरे उद्देश्य से कही जाती है। यदि किसी से कोई साधारण अपराध या दोष हो जाय और वह उसके लिए लज्जित भी हो या औरों से वह बात छिपाना चाहे, तो उस दशा में किसी अपर व्यक्ति का दूँमरो से उसकी चर्चा करना चुगली कहलाता है। पर इसमें दो बातें आवश्यक होती हैं। एक तो यह कि चुगली उन्हीं लोगों से की जाती है, जिनसे चुगला की बातों का कुछ सम्बन्ध हो। दूसरे जिस व्यक्ति की चुगली खाई जाती है, उसकी कुछ न कुछ हानि कराना भी अभीष्ट होता है। शिकायत (अरबी) इसका और परिवार का हल्का रूप है। यह प्रायः किसी के अनुचित, असगत या कठोर व्यवहार के सम्बन्ध में होती है, और इसका उद्देश्य यह होता है कि जो अनुचित बात हो चुकी है, या तो उसका परिमार्जन हो या कम से कम

✽ चुगली के साथ प्रायः खाना और लगाना क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे किसी की चुगली खाना या किसी से किसी की चुगली लगाना।

भविष्य में वैसी अनुचित बात न होने पावे। चुगली से इसका कुछ और भी अन्तर है। चुगली प्रायः ऐसी बातों के विषय में होती है जिनका चुगली खानेवाले से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता, पर शिकायत प्रायः ऐसी बातों के विषय में होती है, जिनका शिकायत करनेवाले से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। दूसरे, चुगली सदा दूसरों से की जाती है, पर शिकायत दूसरों से भी जाती है और स्वयं उस व्यक्ति से भी, जिसके अनुचित, असगत या कठोर व्यवहार से शिकायत करनेवाले को कष्ट पहुँचता या हानि होती है। कोई लडका अपने किसी सगी-साथी की दुष्टता के सम्बन्ध में उसके माता-पिता से उसकी चुगली खाता है, पर किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके प्रधान अधिकारी से शिकायत की जाती है। हम अपने उस मित्र से भी इस बात की शिकायत करते हैं कि आपने उस दिन हमारे साथ अमुक अनुचित व्यवहार किया था। यही मुख्यतः उपालम्भ या उलाहना भी है। पर यह चुगली और शिकायत दोनों का कोमल और हलका रूप है और यह प्रायः सद्भावना से ही प्रेरित होता है। इसमें अनुचित बात के कारण होनेवाला कष्ट या खेद प्रकट भर किया जाता है, दड, परिमार्जन आदि का कोई भाव इसमें नहीं होता। यह अपेक्षया हलका और माधारण बातों के सम्बन्ध में और प्रायः मधुर शब्दों में होती है। दुष्ट लडकों के माता-पिता को उनके सगे-सम्बन्धियों से उन लडकों की दुष्टता के सम्बन्ध में उपालम्भ मिल सकता है, और प्रेमी-प्रेमिका दोनों एक दूसरे को किसी विषय में उपालम्भ दे सकते हैं। (विशेष दे० 'कलक' और 'निन्दा')

अर्पण (Offering)

उत्कौच=घूस

उपहार (Gift)

उपायन

घूस (Bribe)

भेट (Present)

रिश्वत=घूस

विसर्ग (Offer)

ममर्पण (Dedication)

अपण शब्द का साधारण अर्थ तो है—किसी को कुछ देना या सौपना, पर इसमें दो भाव मुख्य हैं—एक तो पूरी तरह से सदा के लिए दे देना, और दूसरे श्रद्धा तथा नम्रतापूर्वक देना। विधिक क्षेत्र में किसी वस्तु पर से अपणा स्वत्त्व हटाकर उसे पूरी तरह से दूसरे के अधिकार में कर देना या सौपना ही अर्पण कहलाता है। पर बहुत प्राचीन काल से यह शब्द हमारे धार्मिक क्षेत्र में, अपेक्षया कुछ अधिक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता आया है। भक्त अपने देवता को पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करता है, आवश्यकता पड़ने पर सेवक अपना सर्वभ्य स्वामी को अर्पित करता है, और देश-भक्त देश की सेवा करने के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं। इस प्रकार आदरपूर्वक और श्रद्धा-भाव से बड़ों को कुछ दे देना ही अर्पण है। समर्पण भी एक विशिष्ट सीमा तक वही है, जो अर्पण है, क्योंकि ऊपर अर्पण के जितने अर्थ बताये गये हैं, वे सब समर्पण के भी अर्थ हैं। पर आज-कल समर्पण में एक नया अर्थ लग गया है। साधारणतः लेखक लोग अपनी कृतियाँ किसी बड़े विद्वान् या प्रिय व्यक्ति को समर्पित करते हैं। इस प्रकार अपनी कोई कृति या रचना भी केवल अपनी श्रद्धा सूचित करने के लिए और वह भी केवल औपचारिक रूप से और नाम मात्र के लिए देना भी समर्पण कहलाने लगा है। परन्तु अपण और समर्पण दोनों हैं देने की क्रियाएँ ही! भेट वस्तुतः वह पदार्थ है जो आदरपूर्वक दिया जाता है। भेंट बहुधा बड़ों को ही दी जाती है; और जब हम बराबरवालों को कोई चीज भेंट के रूप में देते हैं, तब मानो हम आदर और सौजन्य के विचार से उनका बड़ापन मानते हैं। उपहार भी बहुत कुछ वही है, जो भेट है। इसका प्रयोग प्रायः बराबरवालों के लिए ही, परन्तु

आदरपूर्वक कुछ देने के सम्बन्ध में होता है। फिर भी भेट में अधीनता या नम्रता का भाव मुख्य है और उपहार में प्रसन्नता और सद्भाव का। उपायन मुख्यतः वह चीज है जो अपनी विलक्षणता या किसी प्रकार की विशेषता के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को उपहार या भेट के रूप में भेजी जाती है। इस अर्थ में यह वही है जिसे (अरबी में) 'सौगात' कहते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग एक-दूसरे के पास उपायन भेजा करते थे, और आज-कल किसी दूर-स्थान से आनेवाले मित्र वहाँ की कुछ खास चीजें लाकर उपायन के रूप में हमें देते हैं। गौण रूप में यह उन मिठाइयों आदि का भी सूत्रक है, जो शुभ अवसरों पर मित्रों और सम्बन्धियों के यहाँ भेजी जाती हैं और जिसे कुछ क्षेत्रों में बायन तथा कुछ क्षेत्रों में बैना कहते हैं*। घूस वह उपहार या भेट है जो किसी को अनुचित तथा विधि-विस्तरूप से अपना कोई काम निकालने के लिए दी जाती है। जो काम साधारण रूप से, जल्दी या नियमित न हो सकता हो, वह काम जप वन आदि का लोभ देकर किसी से करा लिया जाता है, तब इस प्रकार दिया जानेवाला धन या दूसरी चीजें घूस कहलाती हैं। घूस या तो दण्ड से बचने के लिए, या अनुचित रूप से कुछ आर्थिक लाभ करने के लिए या और किसी तरह का सुभीता पाने के लिए दी जाती है, और इसी लिए घूस लेना और देना दोनों नैतिक तथा विधिक दृष्टि से अपराध हैं। इसी को संस्कृत में उत्कोच† और अरबी में रिश्त कहते हैं। विसर्ग का साधारण अर्थ बहुत कुछ वही है, जो 'विसर्जन' का है, अर्थात् छोड़ना, त्यागना, देना आदि। परन्तु अर्पणवाले क्षेत्र में इसका एक विशेष अर्थ है, जो 'प्रस्ताव' के साधारण अर्थ से कुछ मिलता-जुलता है। जब कोई चीज या बात प्रायः प्रस्ताव के रूप में, इस आशय से किसी के सामने रखी

ॐ बायन और बैना दोनों सं० वायन से बने हैं, जिसका अर्थ है— ब्राह्मणों के पास भेजी जानेवाली मिठाइयाँ आदि।

† उत्कोच के मौलिक अर्थ झुकाना, खोलना आदि हैं, इसी लिए किसी को झुकाने और अपना काम निकालने के उद्देश्य से उसको दिया जानेवाला धन उत्कोच कहलाता है।

जाती है कि यदि वह उचित समझे तो उसे ग्रहण कर ले या मान ले, तब वह चीज या बात **विसर्ग** कहलाती है। इसमें मुख्य भाव यह होता है कि हम तो यहाँ तक तैयार हैं, अब आप भी इतने पर तैयार हो जायें तो काम हो सकता है। **विसर्ग** सदा कुछ उदार होकर, भगडा निपटाने, समझौता करने आदि के उद्देश्य से उपस्थित किया जाता है। इसमें **विसर्ग** उपस्थित करनेवाले के कुछ दाने का और दूसरे पक्ष को कुछ उपकृत करने का भाव भी निहित होता है। यदि आप से हमारा कोई भगडा चल रहा हो, तो हम कोई ऐसा सुभाव आपके सामने रख सकते हैं कि हम यहाँ तक आप को बात मानने को तैयार हैं। ऐसा सुभाव ही **विसर्ग** होगा। अथवा आप कोई जमीन या मकान बेचना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम दस हजार रुपए में उसे ले सकते हैं, तो यह हमारा दस हजार रुपए का **विसर्ग** कहलावेगा। **विसर्ग** सदा अपनी इच्छा से और अपनी ओर से (प्रस्ताव के रूप में) उपस्थित किया जा सकता है, उसे मानना या न मानना दूसरे पक्ष की इच्छा पर आश्रित होता है।

अवस्था (Condition)

दशा (State)

हाल=अवस्था

परिस्थिति (Circumstance)

हालत=दशा

स्थिति (१. Position २ Situation)

साधारणतः अवस्था, दशा और स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता। हम कहते हैं—एसी अवस्था में उनकी कोई सहायता नहीं की जा सकती। यदि इस वाक्य में अवस्था की जगह दशा या स्थिति का प्रयोग किया जाय, तो भी प्रायः काम चल जाता है। ऐसे परिवर्तनों से उक्त वाक्य के अर्थ या आशय में कोई विशेष अन्तर नहीं आने पाता। इससे पता चलता है कि एक

सीमा तक इन तीनों शब्दों के अर्थ प्रायः समान हैं, और इसी लिए ये एक दूसरे के समानक माने जा सकते हैं। फिर भी ये तीनों अलग-अलग शब्द हैं, अतः इनके अर्थों में भी परस्पर कुछ अन्तर होना ही चाहिए, भले ही वह अन्तर बहुत थोड़ा या सूक्ष्म हो। और वास्तव में अन्तर है भी, क्योंकि कुछ प्रसगों में ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो ही नहीं सकते। और ऐसे प्रसगों का विचार करने पर ही जाना जा सकता है कि इन तीनों शब्दों के अर्थों में क्या अन्तर है।

हमारे यहाँ मनुष्य की कहीं ४, कहीं ८ और कहीं १० अवस्थाएँ मानी गई हैं, जैसे-जन्म, शैशव, बाल्य, कौमार, पौगड, यौवन, जरा आदि। इन अवस्थाओं को दशा भी कहते हैं। पर ज्यौतिष में ग्रहों का नियत भोग-काल दशा ही कहलाता है, अवस्था या स्थिति नहीं। फिर हम कहते हैं—यहाँ की स्थिति आपके सँभाले नहीं सँभलेगी। इस प्रसग में स्थिति का काम अवस्था या दशा से नहीं चल सकता। अर्थात् कही तो अवस्था, दशा और स्थिति तीनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं, कही केवल अवस्था और दशा एक दूसरे के पर्याय होते हैं, और कही ये तीनों शब्द अलग अर्थ रखते हैं, और इन में से किसी एक का काम दूसरे से नहीं चल सकता। जिन प्रसगों में ये तीनों शब्द एक दूसरे का काम दे जाते हैं, कुछ तो उन्हीं प्रसगों के आधार पर और कुछ इन तीनों शब्दों के ठीक ठीक अर्थ-विस्तार न जानने के कारण ही इनके प्रयोगों में प्रायः गड़बड़ी होती है। तीनों शब्दों के अर्थों क्षेत्रों का यह अन्तर उनके भोग-काल के आधार पर स्थित है। अवस्था की अपेक्षा दशा का और दशा की अपेक्षा स्थिति का भोग-काल साधारणतः कुछ अधिक होता है। जो अवस्था* आज है, वह कल बदल सकती है, पर दशा के बदलने में कुछ अधिक समय लगता है†। और इन दोनों की अपेक्षा स्थिति का भोग-

* दूसरे प्रसग में यहाँ अवस्था वय या उमर की वाचक है, और वहाँ यह क्षण क्षण बदलती और बढ़ती रहनेवाली चीज है।

† ज्यौतिष में ग्रहों का भोग-काल इसी लिए दशा कहलाता है कि उसकी कुछ निश्चित मर्यादा होती है, और उसके बदलने के लिए कुछ समय अपेक्षित होता है।

काल साधारणतः कुछ और भी अधिक होता है। अर्थात् तुलनात्मक दृष्टि से स्थिति की अपेक्षा दशा और दशा की अपेक्षा अवस्था कुछ जल्दी और सहज में बदलनेवाली होती है। इन तीनों शब्दों में दूसरा पारस्परिक अन्तर इनके मान या व्याप्ति के क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है। अवस्था में जितनी बातें अन्तर्मुक्त होती हैं, उनकी अपेक्षा दशा में कुछ अधिक बातों का अन्तर्भाव होता है।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि अवस्था शब्द ही उसी 'स्था' धातु से बना है, जिससे स्थिति शब्द बना है। अवस्था का एक धात्वर्थ है—खड़ा होना या वर्तमान होना, और इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि अवस्था का बहुत कुछ सम्बन्ध वर्तमान से है। स्थिति का अर्थ है—

* स्थिति का एक और अर्थ उस स्थान से सम्बद्ध है, जहाँ कोई वस्तु स्थित होती है।

† ऊपर शीर्षक खंड में हमने इसी दृष्टि से अ० हाल को स० अवस्था का समानार्थी माना है। हाल का पहला अर्थ वर्तमान है, और अवस्था भी बहुत कुछ वर्तमान से ही सम्बद्ध है। उर्दू का एक शेर है—

देखकर कासिद को मेरे उसने पूछा—खैर है ?

अब कहो क्या हाल है ? जिन्द है या जाता रहा ?

इसके द्वितीय चरण का 'अब' ही इस बात का सूचक है कि कुछ देर पहले कुछ और हाल मिल चुका था, और इस समय का हाल या अवस्था पूछी जा रही है। एक और शेर है—

उनके देखे से जो आ जाती है रौनक मुँह पर।

वह समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है ॥

यहा भी थोड़े समय के लिए प्रिय के सामने आ जाने पर मुँह पर रौनक आ जाती है, पर इसी क्षणिक परिवर्तन के कारण प्रेमी की अवस्था अच्छी मान या समझ ली जाती है। इन उदाहरणों से भी अवस्था और दशा सम्बन्धी हमारे निरूपित अन्तरो का समर्थन होता है।

स्थित होने या ठहरे रहने की अवस्था। यह मुख्यत एक प्रकार के ठहराव की सूचक भाववाचा सज्ञा है। भाव सदा वर्तमान की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत तथा स्थायी होता है—उसकी व्याप्ति उन भूत और भविष्य कालो तक होती है, जो वर्तमान की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हैं। और इस दृष्टि से भी इन शब्दों के भोग-कालवाले और मान या व्यक्तिवाले अन्तरो की पुष्टि होती है। दशा की व्युत्पत्ति कुछ सन्दिग्ध रूप से 'दश' कही गई है। दश का पहला अर्थ है—दाँत से पकड़ना या दाँत गडाना। इस व्यापार में भी और इसके फल में भी काल विस्तार का कुछ भाव है ही। 'दश' का दूसरा अर्थ कपड़े का छोर या सिरा भी है, और उसमें भी विस्तार का भाव निश्चित रूप से है ही।

अब कुछ प्रयोग देखिए। जो व्यापारी बहुत दिनों से लाखों रूपयों का क्रय-विक्रय और लेन-देन करता आ रहा हो और बाजार में जिसकी अच्छी साख हो, उसके सम्बन्ध में कहा जायगा—इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ स्थिति उसकी धन-सम्पत्ति, मान-मर्यादा, व्यवहार-कुशलता आदि अनेक बातों की सूचक है। यदि बीच में कुछ घाटे या व्यापार की मन्दी आदि के कारण उसके कार्यों में कुछ शिथिलता आने लगे तो कहा जायगा—आज-कल उसकी दशा ठीक नहीं है। अब यदि कुछ दिन बाद उसका कार-बार फिर ज्यों का त्यों चलने लगे, तो कहा जायगा—बीच में उसकी दशा कुछ खराब हो गई थी, पर अब फिर ठीक हो गई है। पर आदि से अब तक उसकी स्थिति अच्छी ही मानी जायगी, बीच में बदलनेवाली दशा से उस स्थिति में कोई विशेष अन्तर न आवेगा। किसी रोगी को देखकर चिकित्सक कह सकता है—कल से आज इसकी अवस्था कुछ अच्छी है, और यदि यही क्रम चलता रहा तो एक सप्ताह तक इस की दशा बहुत कुछ सुधार जायगी। इससे सूचित होता है कि रोगी की दशा कुछ समय तक प्रायः एक-सी चल सकती है, पर उसकी अवस्था में जल्दी-जल्दी सुधार अथवा बिगाड़ हो सकता है। हम कोई कल (मशीन) देखने जाते हैं, और लौटकर अपने मित्रों से कहते हैं—हमने तो उसे चलती हुई अवस्था में देखा था, पर हमारे मिस्टरों का कहना है कि वह ठीक दशा में नहीं है।

कुछ मरम्मत होने पर वह ठीक दशा में आ सकती और अच्छी तरह काम दे सकती है। उक्त दोनों प्रसंगों में यदि अवस्था की जगह दशा और दशा की जगह अवस्था का प्रयोग किया जाय तो वाक्यों में कुछ खटक-सी आ जायगी। इससे सिद्ध होता है कि अवस्था की काल-व्याप्ति उतनी अधिक नहीं होती, जितनी दशा की होती है।

एक दूसरी दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि अवस्था और दशा दोनों बहुत कुछ आत्मगत या व्यक्तिगत होती हैं, पर स्थिति बहुत कुछ बाहरी बातों पर भी आश्रित होती है। आर्थिक, शासनिक आदि दृष्टियों से किसी देश की दशा तो बहुत अच्छी हो सकती है, पर दूसरे देशों या राष्ट्रों की वक्र दृष्टि के कारण उसकी स्थिति चिन्तनीय या शोचनीय भी हो सकती है। यदि कोई सैनिक टुकड़ी युद्ध-क्षेत्र में कहीं शत्रुओं से घिर जाय तो हम कहेंगे—वह टुकड़ी विकट स्थिति में पड़ गई है। पर जब शान्ति-काल में अपने ही देश में सैनिक शरीरत दुर्बल हों, उनके पास यथेष्ट अस्त्र-शस्त्र न हो अथवा वे आदेशों, नियमों, नियंत्रणों आदि का ठीक तरह से पालन न करते हों, तो कहा जायगा—उनकी दशा अच्छी नहीं है।

परिस्थिति शब्द सं० स्थिति में 'परि' उपसर्ग लगने से बना है, पर है यह वास्तव में स्थिति का एक अंग या आशिक रूप ही है। अनेक परिस्थितियों के योग से एक स्थिति बनती है। परिस्थिति सदा बाहरी बातों के संयोग से बनती है। हमारे आस-पास जो घटनाएँ, चीजें आदि होती हैं, उन्हीं का सम्बन्धित रूप हमारी परिस्थिति है। स्थिति अच्छी होने पर भी सम्भव है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हम कोई अच्छा काम आरम्भ न कर सकें, या उसे आरम्भ करने पर भी उसमें सफल न हो सकें। आरम्भ में सफल अच्छी होने पर भी, हो सकता है कि बाद में परिस्थितियों (उपयुक्त वर्षा के अभाव, असामयिक वर्षा अथवा रोग आदि) के कारण खराब हो जाय या बिलकुल नष्ट हो जाय। अपराध करने पर भी कोई अपराधी केवल परिस्थितियों (किसी बहुत बड़े अधिकारी का सम्बन्धी होने, विकट और घातक रोग से पीड़ित होने अथवा बड़े लोगों के बीच-बचाव करने आदि) के कारण दंड से बच

मकता है। युद्ध आदि की परिस्थितियों के कारण ही किसी साधारण समाचार-पत्र का प्रचार भी बट सकता है, और आयात, उपज आदि की परिस्थितियों के कारण अनाज या कपड़े का भाव गिर भी सकता है।

आकाश (Sky)

आसमान=आकाश

मेघ (Cloud)

नभ=आकाश

वातावरण (Atmosphere)

बादल=मेघ

वायु-मंडल=वातावरण

महाव्योम (Firmament)

व्योम (Ether)

आकाश उस सारे खाली स्थान का वाचक है जो हमे बाहर मैदान मे खडे होने पर अपने तिर के ऊपर चारो ओर वहाँ तक फैला हुआ दिखाई देता है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है। साधारणत इसका रंग कुछ नीला-पन लिये गफेद होता है। रात के समय हमे जिस अवकाश मे सब ग्रह और तारे दिखाई देते हैं, वह सारा विस्तार आकाश ही है। इसी को आसमान, नभ और व्योम भी कहते हैं। जत्र इसकी हवा मे जल-कण भर जाते हैं, तत्र इसका रंग धुँधला, मटमैला या नीलापन लिये काला-सा हो जाता है। इसके ये बदले हुए रंग इसमे मिले हुए जलीय अश की मात्रा के अनुसार हलके या गहरे होते हैं। आकाश की यही जलपूर्ण अवस्था बादल या मेघ कहलाती है। इसमें का जल निकल जाने (बर्पा हो जाने) पर इसका रंग फिर पहले की तरह साफ हो जाता है। हमारी पृथ्वी क चारो ओर वाष्प और वायु का जो घेरा या मडल है, वही वातावरण या वायु-मंडल है। यह ऐसे आवरण या लिफाफे के रूप मे है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि आकाश मे जितने

ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई देते हैं, उन सबके चारों ओर भी इसी प्रकार का वाष्प का घेरा या मडल है। लाक्षणिक रूप में वातावरण या वायु-मडल उन नैतिक और मानसिक परिस्थितियों का सूचक होता है जिनमें कोई व्यक्ति रहता है। इसी लिए हम कहते हैं—आज-कल अमुक देश या स्थान का वातावरण बहुत दूषित हो गया है, अथवा जब तक तुम इस दूषित वातावरण से बाहर न निकलोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति या सुधार न होगा। अधिक विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग जीव-जन्तुओं, पेड़-पौधों तक के सम्बन्ध में भी होता है। जैसे कहा जाता है—इस देश का वातावरण अमुक जन्तु या वृक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। व्योम है तो साधारण अर्थ में आकाश ही, पर भौतिक-विज्ञान के पारिभाषिक क्षेत्र में यह एक ऐसे विशिष्ट वर्ण-हीन, लचीले और परम सूक्ष्म रासायनिक तत्त्व का वाचक है जो सारे आकाश में भरा हुआ है। इसमें एक प्रकार की मीठी गन्ध होती है और यह सहज में जल सकता है। ग्रह नक्षत्रों से प्रकाश की जो किरणें या तरंगे हमारी पृथ्वी पर आती हैं, वे इसी के द्वारा अथवा इसी के माध्यम से आती हैं। महा-व्योम शब्द उस आकाश-वाचक व्योम का परम विस्तृत और सर्व-व्यापक रूप है जिसकी हम सहज में कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसे व्याम (आकाश) कहते हैं, वह वास्तव में महाव्योम का एक छोटा सा अंश मात्र है। व्योम से हमारा आशय उसी ऊपरी क्षेत्र से होता है, जो साधारणतः हमें दिखाई देता है, पर वास्तव में इस अंश से और आगे तथा ऊपर भी इसका बहुत अधिक विस्तार है, जिसमें ऐसे अन-गिनत छाया-पथ, नीहारिकाएँ, सौर जगत् और नक्षत्र भरे पड़े हैं, जो बहुत अधिक दूरी के कारण बड़ी बड़ी दूरबीनों से भी जल्दी दिखाई नहीं देते। वही सारा विस्तार, जिसका कोई अन्त नहीं है, महा-व्योम कहलाता है। (विशेष दे० व्यौतिष)

आनन्द (Happiness)

अत्यानन्द (Ecstasy)	प्रमोद (Merriment)
आनन्दातिरेक=अत्यानन्द	प्रसन्नता (Pleasure)
आमोद (Amusement)	ग्रहर्ष (Rapture)
आह्लाद (Gladness)	मोद (Joy)
उल्लास (Mirth)	हर्ष (Delight)
परमानन्द (Bliss *)	

आनन्द वस्तुतः वह मूल है जिसकी शाखा-प्रशाखाएँ उक्त पर्यायों के रूप में फैली हैं। हमारे यहाँ वेदान्त में यह आत्मा या ब्रह्म के तीन गुणों या धर्मों में से एक माना गया है। इसी का उच्चतम रूप वह परमानन्द है जो आत्मा को परमात्मा या ब्रह्म में लीन होने पर प्राप्त होता है। साधारणतः लोक-व्यवहार में आनन्द हमारे मन में होनेवाली वह अनुकूल तथा प्रिय अनुभूति है जो सब प्रकार के अभावों, कष्टों, चिन्ताओं आदि से मुक्त या रहित तथा अमीष्य बातों से युक्त होने की अवस्था में होती है और जिससे हमारा मन परम सन्तुष्ट और सुखी होता है। इस व्याख्या के अनुसार आनन्द का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है; और ऊपर दिये हुए प्रायः सभी पर्यायों का इसमें किसी न किसी रूप में अन्तर्भाव हो जाता है। छोटी और बड़ी, बाह्य और आन्तरिक सभी प्रकार की अनुकूल बातें हमें आनन्दित करती हैं। हमें शुभ इन्द्रिय-सुखों के भोग से भी आनन्द मिलता है और कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करने से भी। यहाँ तक कि दूसरों के अच्छे काम या बातें देखकर भी हमें आनन्द आता है। पर है यह मुख्यतः

* हमारे यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में परमानन्द का जो भाव और स्वरूप बतलाया गया है, उसके लिए अंग्रेजी समानार्थी Bliss और Beatitude हो सकते हैं, फिर भी ये अंग्रेजी शब्द हमारे परमानन्द का पूरा भाव नहीं प्रकट कर सकते—उसके पास तक पहुँचते हुए ही हैं।

हमारी आत्मा का धर्म ही, और इसका वास्तविक सम्बन्ध शुद्ध तथा सद् कार्यों और भावों से ही है। इसी लिए इसकी एक परिभाषा इस प्रकार की गई है— सुख-रूप आत्मा का वह प्रतिबिम्ब जो सात्विक बुद्धि पर पडता है। दुष्टों को उपद्रव करने या हत्यारों को हत्या करने में जो परितोष होता है, उसके सम्बन्ध में आनन्द का प्रयोग ठीक नहीं माना जा सकता, दूसरे शब्दों का प्रयोग भले ही ठीक माना जा सके। अत्यानन्द भी मूलतः धार्मिक क्षेत्र का ही शब्द है, और अर्थ तथा आशय के विचार से आनन्द के उस अतिरेक का सूचक है जो मनुष्य को आध्यात्मिक चिन्तन या ध्यान में पूर्ण रूप से मग्न या लीन होने पर प्राप्त होता है। यह आनन्द और परमानन्द के बीच की चीज है। साधारणतः लोक-व्यवहार में इसका प्रयोग उस स्थिति का वाचक है जिसमें मनुष्य किसी काम, विशेषतः शुभ और सुन्दर काम में इतना लीन हो जाता है कि सुख-बुध खो बैठता है और उसे आस-पास में होनेवाली बातों की जल्दी कुछ भी खबर नहीं होने पाती। प्रायः कलाकार या कवि कोई सुन्दर कृति प्रस्तुत करते समय उसके सुख और सौन्दर्य से मुग्ध होकर उसमें इतने रम जाते हैं कि अपने आप तक को भूल-से जाते हैं। सच्चे प्रेमियों की भी प्रायः अपने प्रिय के ध्यान में ऐसी ही अवस्था हो जाती है। यही मानसिक अवस्था अत्यानन्द कहलाती है। प्रसन्नता, मोद और हर्ष वस्तुतः आनन्द से कुछ हल्के दरजे की अनुभूतियाँ हैं। प्रसन्नता मुख्यतः बाह्य पदार्थों से प्राप्त होती है। हम खेल में जीतकर भी प्रसन्न होते हैं और अपने किसी प्रिय मित्र से मिलकर भी। कोई अपने बाल-बच्चों से हँस-बोलकर प्रसन्न होता है तो कोई मद्य-मास का सेवन या आखेट करके। इस प्रकार इच्छाओं और वासनाओं की वृत्ति ही प्रसन्नता उत्पन्न करती है। हर्ष और मोद मन में होनेवाले सुख के द्योतक तो हैं, पर अपेक्षया क्षणिक तथा अस्थायी होते हैं। फिर भी हर्ष सदा प्रगाढ़ और कुछ अधिक स्थायी होता है, और इस शब्द का प्रयोग बहुधा सब क्षेत्रों में होता है। अनुभूति की मात्रा के विचार से प्रसन्नता से हर्ष कुछ हलका है और हर्ष से मोद और भी हलका है। उल्लास इन सब की अपेक्षा अधिक क्षणिक तथा हलका है। यह साधारण बातों से उत्पन्न होता है और प्रायः तत्काल समाप्त हो जाता है। इसके सिवा आनन्द और प्रसन्नता में हमारी मनो-

वृत्तियाँ उन्मुक्त होती हैं, आह्लाद और मोद क्षायविक उरोजन और स्फूर्ति के भाव से युक्त हैं, और उल्लास तथा प्रहर्ष मे हृदय उमड पडता है। आमोद सदा कुछ विशिष्ट और नियत कार्यों और बातों से प्राप्त होता है, और ऐसे कार्य या बातें इसी उद्देश्य से की जाती हैं कि उनसे सुख मिले। उल्लास और आमोद दोनो अच्छी बातों से भी हो सकते हैं और बुरी बातों से भी। इसी लिए इन दोनों का अन्तर्भाव प्रसन्नता के वर्ग मे होता है, आनन्द के वर्ग मे नहीं। मनुष्य किसी का विनाश देखकर भी उल्लसित हो सकता है और निकृष्ट इन्द्रिय-सुख भी किसी के आमोद का कारण हो सकता है। आमोद का ही कुछ बढा हुआ और अच्छा रूप प्रमोद कहलाता है, और इसी लिए प्राय इन दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग देखने मे आता है। ऐसे प्रसगों मे कहीं-कहीं इन शब्दों का काम प्रसन्नता से भी चल जाता है। हर्ष का बहुत बढा-चढा रूप ही प्रहर्ष है। जब हर्ष की मात्रा इतनी बढ जाती है कि मनुष्य आपे से कुछ बाहर हो जाता है, तब उसे प्रहर्ष कहते हैं। ऐसे अवसर पर यदि कभी-कभी औचित्य और शिष्टता की साधारण सीमाओं का थोड़ा-बहुत उल्लंघन भी हो जाय, तो वह क्षम्य माना जाता है। ठाठकर हँसना, उल्लुलना-कूदना, लोगो से हँसी-मजाक करके या उन्हें छेड़कर हँसने के लिए प्रेरित करना, स्वयं जोर-जोर से बातें करके हर्ष प्रगट करना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं।

आय (Income)

अर्थागम (Proceeds)	प्रत्यागम (Returns)
उगाही (Realisation)	प्राप्ति (Gain)
कमाई (Earning)	लाभ (१ Benefit २. Profit)
नफा=लाभ	वसूली=उगाही

आय का मौलिक अर्थ है— आकर पहुँचना, पर अब यह शब्द मुख्य रूप से उस धन (रुपए-पैसे आदि) का वाचक हो गया है, जो किसी को कोई

काम (नौकरी चाकरी, व्यापार आदि) करने या किसी काम में कुछ धन लगाने के बदले में सूद-ब्याज के रूप में या उससे होनेवाले लाभ, जमीन-जायदाद की उपज या किराये आदि के रूप में बराबर कुछ नियत समयों पर मिलता रहता है । हमारी मासिक आय सौ रुपए है और उन्हें व्यापार तथा सूद-ब्याज से हजार रुपए महीने की आय होती है । व्यक्तियों के सिवा व्यापारिक मडलों, सस्थाओं, सरकारों आदि सभी की आय होती है, और इसी आय के अनुसार व्यय भी होता है ।

अर्थागम (अर्थ + आगम) का शब्दार्थ है—किसी के पास धन आना । प्रस्तुत प्रसंग में अर्थागम वह आय है जो चीजों की बिक्री आदि से अथवा सस्थाओं, सरकारों आदि को कुछ मदों या विभागों के कर्तव्यों आदि के रूप में प्राप्त होती है । किसी विशिष्ट काम या विभाग से मिलनेवाला धन ही उस काम या विभाग का अर्थागम कहलाता है । प्रत्यागम (स० प्रति-आगम) वह कहलाता है जो किसी काम में लगाये हुए धन या पूँजी के बदले में प्राप्त होता है । हम कहते हैं—इस काम में हमने लाख रुपए लगा रखे हैं, पर उनमें से अभी तक हमें दस हजार का भी प्रत्यागम नहीं हुआ । अर्थात् एक लाख में से हमें अभी दस हजार रुपए भी वापस नहीं मिले । **कमाई** (हि० कमाना का भाववाचक रूप) वह धन है जो परिश्रम करने पर पारिश्रमिक, वेतन आदि के रूप में (अर्थात् कमा कर) प्राप्त किया जाता है । व्यापार आदि में लगाये हुए धन से भी कमाई होती है । हम कहते हैं—उन्होंने कपड़े के रोजगार की सारी कमाई सट्टे (या दुर्व्यसनों) में गँवा दी । प्रयत्न और परिश्रम करने पर जो कुछ मिले, वही कमाई है । लालचीन रूप में कमाई उन सब बातों का सामूहिक रूप है, जो काम करके प्राप्त की जाती है । जैसे—सारे जीवन की कमाई यही एक मकान उनके पास है, अथवा जन्म भर उनका पालन-पोषण करने पर कमाई में यही बदनामी और सकट हाथ आया है । हमारे पास पहले से जो कुछ है, उसके सिवा और जो कुछ हमारे हाथ में नया आवे, वही प्राप्ति है । प्राप्ति का साधारण अर्थ ही है—प्राप्त होना या मिलना । इसका प्रयोग अधिकतर आर्थिक लाभ के अर्थ में होता है । हम कहते हैं—महीनों परिश्रम करने पर भी कुछ प्राप्ति नहीं हुई; अथवा आज-कल तो उन्हें अच्छी प्राप्ति हो रही है (अर्थात् उनके हाथ में यथेष्ट धन आ रहा है) ।

लाक्षणिक रूप में भी इसका प्रयोग इस प्रकार होता है—बाल्यावस्था के उपरान्त वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है। लाभ स० लभ धातु से बना है, जिसके अर्थ हैं—पकडना, पाना, मिलना, लेना आदि। आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रयोग उस धन के सम्बन्ध में होता है, जो लगाई हुई पूँजी से कार्य-संचालन के व्यय, छीजन आदि निकालने के बाद बचत के रूप में अपने पास बच रहता है। व्यापारियों को किसी वर्ष दस हजार का और किसी वर्ष बीस हजार का लाभ होता है। आशय यही है कि सब व्यय निकाल देने पर आय में से इतने रुपये पास बच रहे। लाक्षणिक रूप में, जो काम या बात हमारे लिए हितकर सिद्ध हो, वही लाभ है। हमें औषध के सेवन से स्वास्थ्य का, विद्वानों की सगति से ज्ञान का और विदेश-यात्रा से अनुभव तथा ज्ञान दोनों का लाभ होता है। उगाही हि० उगाहना (स० उद्-ग्रहण) का भाव-वाचक रूप है। अनेक स्थानों से जो प्राप्त धन घूम-घूमकर इकट्ठा या प्राप्त किया जाता है, उसे उगाहना कहते हैं, और यह क्रिया अथवा इसका भाव उगाही है। उगाही बाकी निकलनेवाले रूपों की भी होती है, कर, शुल्क आदि की भी और ऐसे चन्दों आदि की भी जिनके सम्बन्ध में वचन मिल चुका होता है या जो प्रायः नियमित रूप से मिलते रहते हैं। इस प्रकार जो धन इकट्ठा होता है, वह भी उगाही कहलाता है। महाजनो और व्यापारियों के नौकर जब बाजार से लहना-पावना वसूल करके आते हैं, तब कहते हैं—आज सौ (या पाँच सौ) रुपए की उगाही हुई है, अथवा अभी बाजार में तीन सौ रुपए की उगाही बाकी पडी है। वमूली (अरबी वसूल के बना हुआ फारसी रूप) इसी उगाही का समानक है जो हिन्दी में बहुत प्रचलित है।

अर्थ

आर्थिक

आर्थी

आर्थ शब्द स० अर्थ का विशेषणवाला रूप है। संस्कृत में अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हैं, यथा—पदार्थ या वस्तु, धन-संपत्ति, अभिप्राय या उद्देश्य, शब्द से सूचित

होनेवाला उसका आशय या मतलब (जिसे मानी या माने भी कहते हैं) आदि । अतः अर्थ और आर्थिक दोनों का अर्थ है—अर्थ से सम्बन्ध रखनेवाला या अर्थ सम्बन्धी, और इस दृष्टि से जो कुछ अर्थ शब्द से सूचित होता है, उन सबसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी चीजें या बातें अर्थ या आर्थिक हो जाती हैं । फिर भी प्रयोग के विचार से अर्थ और आर्थिक में विशेष अन्तर है । अर्थ शब्दों के अर्थ से सम्बद्ध और उसका सूचक हो गया है, और आर्थिक धन-सम्पत्तिवाले अर्थ से सम्बद्ध हो गया है । अर्थात् वस्तुतः अर्थ का स्त्री-लिंग रूप भी है और समानक भी । अर्थ विवेचन का अभिप्राय शब्दों के अर्थों का विवेचन होता है । इसी लिए इसका विपर्याय 'शाब्द' होता है । जिस प्रकार अर्थ का स्त्री-लिंग रूप अर्थात् होता है, उसी प्रकार उसके विपर्याय शाब्द का स्त्री-लिंग शाब्दी होता है । इसी आधार पर साहित्य में व्यञ्जना दो प्रकार की मानी गई है—अर्थात् और शाब्दी, अर्थात् एक तो अर्थ से सम्बन्ध रखनेवाली और दूसरी स्वयं शब्द से सम्बन्ध रखनेवाली । आर्थिक शब्द आज-कल मुख्य रूप से अर्थ के धन सम्पत्तिवाले अर्थ से सम्बद्ध हो गया है और उसी का सूचक माना जाता है । हम कहते हैं—(क) सरकार देश की आर्थिक उन्नति करना चाहती है, अथवा (ख) आज-कल उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है । ऐसे सभी प्रसंगों में आर्थिक का अर्थ होता है—धन या रुपए-पैसे आदि से सम्बन्ध रखनेवाला या रखनेवाली, क्योंकि आर्थिक विशेषण उभय-लिंगी है ।

ईर्ष्या, ईर्ष्या (Envy)

असूया (Jealousy)

मत्सर

द्वेष (Malice)

विद्वेष

ईर्ष्या या ईर्ष्या मनुष्य की वह दूषित प्रवृत्ति या मनोभाव है, जो किसी दूसरे को अच्छी दशा में देखकर सहन नहीं कर सकता । किसी को सुखी या सम्पन्न देखकर या उसके पास कोई अच्छी चीज देखकर यदि हम यह सोचें कि यह तो बहुत बुरा हो रहा है; और साथ ही कामना करें कि वह उस अच्छी चीज या सुख से

वचित हो जाय और हम उसके स्थान पर पहुँचकर उस अच्छी चीज या सुख के अधिकारी बन जायें तो हमारी यह मनोवृत्ति ईर्ष्या कहलावेगी। ईर्ष्या करनेवाले के मन में एक प्रकार की जलन होती है जो उसमें यह इच्छा उत्पन्न करती है कि दूसरे का सुख नष्ट हो जाय और वह सुख हमें प्राप्त हो जाय। ईर्ष्या करनेवाला यह नहीं सोचता कि हम वस्तुतः उस अच्छी बात या सुख के अधिकारी हैं या नहीं। असूया का पहला अर्थ तो किसी से अप्रसन्न या असन्तुष्ट होकर मन ही मन कुछ बड़बड़ाना है, पर प्रस्तुत प्रसंग में यह भी कुछ अशो में ईर्ष्या के ही समान है। ईर्ष्या से असूया इस दृष्टि से कुछ हलकी है कि इसमें दूसरे को उनकी सफलता, सुख या सौभाग्य से वंचित करने का भाव उतना प्रबल नहीं होता, जितना उन्हें देखकर सहन न कर सकने का भाव होता है। इसमें असहनशीलता का तत्त्व ही प्रधान है। मत्सर का मूल अर्थ (विशेषण रूप में) मत्त या मस्त करनेवाला होता है, और सज्ञा रूप में यह लोभी, स्वार्थी आदि का वाचक होता है। पर प्रस्तुत प्रसंग में यह भी असूया का कुछ तीव्र रूप है; और इस दृष्टि से इसे असूया और ईर्ष्या के बीच का स्थान दिया जा सकता है। असूया तो क्षणिक या अस्थायी भी हो सकती है, पर मत्सर अपेक्षया कुछ अधिक समय तक बना या चलता रहता है। असूया में जहाँ असहनशीलता का भाव मुख्य है, वहाँ मत्सर में स्वार्थ-साधन का भाव प्रधान होता है, और कभी-कभी इसमें द्वेष या विद्वेष का भी कुछ पुट मिला रहता है। द्वेष स० द्विष् से व्युत्पन्न है, और इसमें औरों को दूसरा (पराया या अपने से अलग) समझने का भाव मुख्य है। इसी के साथ इसमें कुछ विरोध, वैमनस्य या शत्रुता का भाव भी आकर सम्मिलित हो जाता है, और जिसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, उससे हम वृणा भी करने लगते हैं और उसके अहित की भी कामना तथा प्रयत्न करने लगते हैं*। हम जिससे द्वेष करते हैं, उससे सदा अलग या दूर रहना

ॐ यह शब्द है तो मुख्यतः विरोध, वैर, शत्रुता आदि के वर्ग का; पर हिन्दी में ईर्ष्या-द्वेष का युग्म पद बहुत प्रचलित है, इसी लिए इसे भी औह इसके साथ विद्वेष को भी ईर्ष्या के वर्ग में ही स्थान दिया गया है।

चाहते हैं और उसे कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते—उसकी अच्छी बातें भी हमारी निगाह में बुरी ही ठहरती हैं। इसी द्वेष में वि उपसर्ग लगने से विद्वेष बना है, जिसका अर्थ है—उग्र या विकट रूप में होनेवाला द्वेष, और इसी लिए यह द्वेष का विकसित रूप है। किसी से द्वेष होने पर सम्भव है कि हम चुपचाप या शान्त होकर भी बैठे रहें, पर जिसके प्रति हमारे मन में विद्वेष होता है, उसे हम प्रायः नीचा दिखाने या उसकी हानि करने का भी विशेष रूप से प्रयत्न अथवा विचार करते रहते हैं। द्वेष की तुलना में विद्वेष में यही विशेषता है।

उद्देश्य (१. Object २. Objective)

अभिप्राय (१. Intent २. Intention)	लक्ष (Aim)
इष्ट (Goal)	लक्ष्य (Target)
ध्येय (End)	हेतु (Motive)
प्रयोजन (Purpose)	

उद्देश्य वह चीज या बात है, जिसकी प्राप्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाता है। जिस काम या बात की ओर मन या विचार प्रवृत्त और क्रियाशील किया जाय और जिसकी सिद्धि के लिए कुछ प्रयत्न किया जाय, वही उद्देश्य है। जैसे—इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य नदियों की बाट और उनके कारण होने-कलना नाश रोकना है। पर गौण रूप से इसका प्रयोग अभिप्राय, ध्येय, प्रयोजन आदि के स्थान पर भी होता है। अभिप्राय का शब्दार्थ तो है—किसी के पास जाना या पहुँचना, पर उसका मुख्य प्रचलित अर्थ है—वह विचार जो किसी को कोई काम करने में प्रवृत्त करता है। हम किसी अभिप्राय से किसी से मिलने आते हैं या कोई लेख, पुस्तक आदि लिखते हैं, अथवा भूठ बोलने के समय हमारा अभिप्राय होता है—दूसरों को धोखा देना। इष्ट, ध्येय और लक्ष्य भी बहुत

कुछ वही हैं जो उद्देश्य है, फिर भी अर्थ की दृष्टि से इनमें थोड़ा बहुत अन्तर है। इष्ट वह है जो चाहा जाय और जिसकी ओर बढ़ा जाय। अर्थात् किसी अभिलाषा से जिसके लिए प्रयत्न किया जाय, वह इष्ट है। इसमें मुख्यता हमारी अभिलाषा या इच्छा की है। ध्येय वह है जिस पर ध्यान रखकर प्राप्ति या साधन का प्रयत्न किया जाय। इसमें ध्यान या मनोनिवेश का भाव मुख्य और प्रयत्न का भाव गौण है। जिस पर दृष्टि रखकर काम किया जाय, वह लक्ष्य है। इसमें साधना से सम्बन्ध रखनेवाली दृष्टि रखने का भाव मुख्य है। जैसे—राज्य का ध्येय जनता पर नियन्त्रण रखना नहीं, बल्कि उसका कल्याण करना होता है। उद्देश्य और ध्येय में तात्त्विक दृष्टि से यह अन्तर है कि उद्देश्य तो हमारी इच्छा या विचार मात्र से सम्बन्ध रखता है, पर ध्येय कुछ सिद्धान्तों या प्रयोजनों पर आश्रित होता है। यों भले ही हम धन या नाम कमाने के उद्देश्य से लेखक बन जायें, पर हमारा ध्येय सदा पाठकों का ज्ञान-वर्धन ही होना चाहिए। लक्ष्य वह बात या वस्तु है जिस पर दृष्टि रखकर कोई काम किया जाय। इसमें मुख्यता उस बात या वस्तु की होती है, जिस पर दृष्टि रखी जाती है। दृष्टि रखने या प्रयत्न करनेवाली बात इसमें गौण रहती है। प्रयोजन और हेतु भी बहुत कुछ वही है जो अभिप्राय है, पर इनमें कुछ विशेषता भी है। प्रयोजन का शब्दार्थ है—उपयोग या काम में लाना। पर लोक-व्यवहार में यह भी वही अर्थ देता है, जो ऊपर अभिप्राय का बतलाया गया है। इसमें अभिप्राय की अपेक्षा कुछ अधिक जोर है—अपेक्षा अधिक दृढ़ता और कर्मण्यता का भाव निहित है। यह इस बात का भी सूचक है कि किसी वस्तु का अस्तित्व या सृष्टि किस काम के लिए हुई है, और यह स्वयं उस बात या वस्तु का भी बोधक है जिसके लिए प्रयत्न किया जाता है। हम किसी प्रयोजन से कोई सस्था स्थापित करते हैं, और कोई चीज देखकर यह जानना चाहते हैं कि इसके बनने का प्रयोजन क्या है। हेतु वास्तव में वह तत्त्व, भाव या विचार है जो हमें किसी काम में प्रवृत्त करता है, और इस दृष्टि से अभिप्राय या प्रयोजन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इसके मूल में मुख्यतः कोई मनोविकार (जैसे—क्रोध, प्रेम, भय, वासना आदि) होता है जो हमें किसी काम या बात के लिए प्रेरित करता है। पर गौण रूप से यह

उस काम या बात का भी सूचक माना जाता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, और इसी लिए यह इष्ट या उद्दय का भी वाचक हो गया है।

उपहास (Ridicule)

कटाक्ष (Sarcasm)

ताना (Taunt)

खिल्ली (Derision*)

फबती (Raillery)

चुटकी (Twit)

बोली (Rally)

छोटा=कटाक्ष

विद्रूपण (Mockery)

ठट्टा (Banter)

व्यंग्य (Irony)

इस वर्ग के शब्दों में इस दृष्टि से आर्थी समानता हैं कि ये किसी को कुछ तुच्छ या मूर्ख सिद्ध करके अथवा यो ही लोगों को हँसने-हँसाने में प्रवृत्त करते हैं। इस वर्ग के मुख्य शब्द उपहास का प्रयोग उस समय होता है, जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे ढंग से तुच्छ सिद्ध किया जाता है कि लोगो को अनायास हँसी आ जाय। साधारण बोल-चाल में इसी को 'हँसी उडाना' कहते हैं। हम कभी अपने मित्र की भद्दी भूल का उपहास करते या हँसी उडाते हैं, कभी किसी की बे-तुकी कविता या बातों की। उद्देश्य यही होता है कि लोग उसकी तुच्छता

ॐ अँगरेजी के डिरिजन (Derision) में हँसी उडाने का भाव सदा आवश्यक नहीं होता, हाँ तुच्छ ठहराने का भाव मुख्य है, भले ही उसके साथ हँसी भी आ जाय। पर हिन्दी में खिल्ली में उपहास का भाव प्रधान और तुच्छ सिद्ध करने का भाव गौण है।

† जिस कृति या उसके कर्ता में कोई ऐसी बेढगी या भद्दी बात हो जिसे देखकर लोगो को आप ही आप हँसी आती हो, उसे उपहासास्पद कहते हैं।

या भद्रापन समझकर हँस पड़े। खिल्ली (हि० खिलना=खिलखिलाकर हँसना) भी है तो एक प्रकार का उपहास ही, पर एक तो इसमें तुच्छता सिद्ध करने का प्रयत्न कुछ हलके दर्जे का होता है, दूसरे इसमें स्वतः या सगी साथियों के हँसने-हँसाने की और भी अधिकता होती है। उपहास तो प्रायः बहुत कुछ साधारण होता है—किसी घटना या बात पर आश्रित होता है, पर खिल्ली प्रायः निराधार भी होती या हो सकती है। इसके साथ केवल 'उडाना' क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें अपेक्षया आलोचनावाला तत्त्व भी बहुत-कुछ गौण और कभी-कभी प्रायः नहीं के समान होता है। किसी के सम्बन्ध में यह कहना— 'इनकी नाक क्या है, बासी रोटी पर रखा हुआ करेला है।' उसकी खिल्ली उडाना है। ऐसे कथन किसी वास्तविकता पर आश्रित नहीं होते, इनका उद्देश्य केवल परिहास होता है। ठठ्ठा (हि० अनुकरण-वाचक ठठाना=जी खोलकर हँसना) इन दोनों की अपेक्षा प्रायः अधिक निर्दोष होता है, और इसमें केवल कुतूहलजनक या विलक्षण बातों के द्वारा हँसना-हँसाना उद्दिष्ट होता है। यदि कहीं बोच में कोई ताना या व्यंग्य आ भी जाय तो वह गौण ही रहता है। उसकी कटुता या तीव्रता की ओर जल्दी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इसी लिए इसके योग से हँसी-ठठ्ठा पद बन गया है जो विशुद्ध परिहास का वाचक है। कटाक्ष, चुटकी, ताना, फव्वती, बोली और व्यंग्य अर्थ के विचार से एक ही वर्ग में आते और एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। कटाक्ष का शब्दार्थ है—तिरछी चितवन या नजर। पर इस प्रसंग में यह ऐसी व्यंग्यपूर्ण उक्ति का सूत्रक है जिसका उद्देश्य किसी पर कुछ आक्षेप करना और इस प्रकार कुछ हलकी चोट करके उसे खिल और लज्जित करना होता है। जैसे—अपने भाषण में उन्होंने समापति पर भी कटाक्ष किया था। साधारण बोलचाल में इसी को छीटा* भी कहते हैं, और इसके साथ प्रायः 'कसना' क्रिया का प्रयोग होता है। चुटकी वस्तुतः

❖ छीटा और कटाक्ष में यदि कुछ अन्तर हो सकता है तो यही कि कटाक्ष निरन्तर एक पर एक हो सकते हैं, पर छीटा प्रायः अकेला अथवा बीच-बीच में कहीं एकाध ही होता है।

अँगूठे या तर्जनी की वह मुद्रा है जिससे किसी के शरीर के मास का कुछ अश पकड़कर इस प्रकार दबाया जाता है कि शरीर में कुछ पीड़ा उत्पन्न हो। इसी को कहीं कहीं चिकोटी* भी कहते हैं। पर प्रस्तुत प्रसंग में चुटकी का अर्थ भी प्रायः वही है जो कटाक्ष का है। इसके साथ केवल 'लेना' क्रिया का प्रयोग होता है। उक्त उदाहरणवाले वाक्य की योजना इस प्रकार भी हो सकती है—उन्होंने अपने भाषण में सभापति की (या के ?) भी चुटकी ली थी। आशय दोनों का एक ही होगा। ताना अरबी तन्नन या तन्नन का हिन्दी रूप है, और इसका अर्थ है—ऐसा आक्षेपपूर्ण व्यंग्य जो किसी को उसके कार्य या स्थिति से कुछ लज्जित करे। एक तो यह किसी पुरानी घटना या बात से सम्बद्ध होता है, और दूसरे इसमें आक्षेप और लज्जा के भाव प्रधान रहते हैं। इसके साथ दो क्रियाओं का प्रयोग होता है—देना और मारना। साधारणतः ताना देना ही बोला जाता है, पर स्त्रियाँ प्रायः ताना मारना भी कहती हैं। यदि हम आज तो किसी के साथ कोई छोटी-मोटी भलाई करे और कल को चिढ़कर उससे कहें—'हमने तो तुम्हारे साथ असुक भलाई की थी।' तो यह ताना देना कहलावेगा। अथवा किसी से कभी हमारा कोई छोटा-मोटा अपकार हो गया हो और झगडा होने पर हम कहे—'तुमने तो हमारे साथ यह बुराई की थी।' तो यह भी उस बुराई का ताना देना होगा। फबती हिं० फबना से बना है, जिसका अर्थ है—भला लगाना, शोभन जान पडना आदि। प्रस्तुत प्रसंग में यह ऐसी व्यंग्यपूर्ण उक्ति या कटाक्ष का वाचक है जो किसी विशिष्ट अवसर पर बिलकुल उपयुक्त और ठीक बैठे—अच्छी तरह फबे। इसमें प्रायः उपमावाले तत्त्व की प्रधानता होती है, और इसके साथ कसना और कहना

* ध्यान रहे कि कटाक्षवाला यह लाक्षणिक अर्थ केवल चुटकी का है, चिकोटी का नहीं। शारीरिक पीडा पहुँचानेवाले व्यापार के अर्थ में चिकोटी या चुटकी केवल काटी जाती है—इसके साथ सदा काटना क्रिया का ही प्रयोग होता है।

† बस्ती जिले में एक बहुत बड़े जमींदार और रईस थे जो बहुत अधिक मोटे भी थे और कुरूप तथा सॉवले भी। उनके दरबार में अब्दुल नाम का

क्रियाओं का प्रयोग होता है। बोली (हि० बोलना से व्युत्पन्न) भी है तो एक प्रकार का चुभता हुआ व्यंग्य ही, पर यह प्रायः अन्योक्तिवाले तत्त्व से युक्त होती है; और इसके साथ सदा बोलना क्रिया का प्रयोग होता है। जब किसी को सुनाने के लिए स्वयं अपने आप पर या किसी दूसरे पर आरोपित करके कोई व्यंग्य क्रिया जाता है, तब उसे बोली बोलना कहते हैं। मान लीजिए कि कोई देहाती आदमी शहर में आकर बस जाता और शहराती बन जाता है। वह अपने आपको देहाती मानने में लजा का अनुभव करता है। यदि उसके सामने कहा जाय—‘भाई, हम (या हमारे सगी-साथी) तो देहाती ठहरे, हम (या ये) शहरातियों की बातें क्या समझें !’ तो यह उस देहाती पर बोली बोलना कहलावेगा, जो शहराती बन गया है। व्यंग्य (सं० व्यञ्ज्) ऐसा व्यापक शब्द है, जिसके अन्तर्गत बहुत सी बातें आती हैं। शब्द की जिस व्यञ्जना शक्ति से इसकी सृष्टि होती है, उसका हमारे साहित्य में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ है। जब किसी को केवल चिढ़ाने, दुःखी करने या नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी बात कही जाती है जो स्पष्ट शब्दों में न होने पर भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से किसी प्रकार का आक्षेप या कटाक्ष ध्वनित अथवा व्यक्त करती है, तब ऐसी बात व्यंग्य कहलाती

एक मसखरा रहता था जो फबती कहने में कमाल करता था। एक बार रईस साहब अपने दरबार में मसनद-तकिया लगाये खूब शान से बैठे गप्पें लडा रहे थे, और जी-हुजूर दरबारियों से खूब चुहले हो रही थी। रईस साहब का बहुत बड़ा पेचवान मसनद के पीछे रखा था, जिसकी काली लम्बी सटक उनके हाथ में थी और जिससे वे बीच-बीच में तम्बाकू के एक दो कश लेते चलते थे। कहीं उन्हें कमबख्ती ने जो आ घेरा तो वे कह बैठे—हाँ अब्दुल मियाँ, आज हम पर भी कोई फबती हो। अब्दुल मियाँ ने बहुत अदब से सिर झुकाकर कहा—हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, हू-बहू यहीं मालूम होता है कि लगूर अपनी दुम चाट रहा है। दरबार में ज़ोरो का ठहाका लगा और उसी दिन से रईस साहब ने अपने ऊपर फबती न कसवाने की कसम सी खा ली। शहर भर में जो वे लगूर मशहूर हो गये, वह अलग।

है। यदि हम किसी साधारण योग्य, परन्तु अभिमानी, अवलेपक या स्वार्थी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसे नीचा दिखाने या उसकी हँसी उड़ाने के लिए कहें—‘आप की क्या बात है! आप बहुत बड़े स्वार्थ-त्यागी, देश-भक्त अथवा गण्य-मान्य पंडित हैं।’ तो यह उस व्यक्ति पर व्यंग्य होगा। इसका प्रयोग मुख्यतः उस समय होता है, जब किसी के सिद्धान्त और आचरण या कथनी और करनी में बहुत अन्तर दिखाई देता है। इसका उद्देश्य किसी प्रकारकी असंगति अथवा अवास्तविकता सिद्ध करना होता है। किसी का रूप बहुत भद्दा बनाकर या बिगाडकर दिखाना विद्रूपण कहलाता है। प्रस्तुत प्रसंग में विद्रूपण का अर्थ है—किसी को चिढ़ाने के लिए उसी की तरह कुछ बिगाडकर बोलना-चालना, चलना-फिरना, हाथ-पैर हिलाना आदि। किसी का मुँह चिढ़ाना या किसी की नकल उतारना इसी के अन्तर्गत आते हैं। लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग कुछ विस्तृत क्षेत्र में भी हो सकता है। यदि कोई अपने आचरण या व्यवहार के द्वारा करता तो न्याय या सत्य की हत्या हो, पर सबसे कहता यही हो कि हम सदा न्याय या सत्य के पथ पर रहते हैं, तो हम कहेंगे—यह न्याय या सत्य नहीं बल्कि उसका विद्रूपण है। आशय यही होगा कि आप जिस न्याय या सत्य का ढोंग रच रहे हैं, वह न्याय या सत्य को लज्जित करनेवाला है।

कठिन (Difficult)

कष्ट-साध्य	दुष्कर
कठोर (Hard)	दुस्तर
दुरारोह (Arduous)	दुस्साध्य
दुर्गम	श्रम-साध्य (Laborious, Toilsom)
दुर्लभ्य	श्रान्तक (Exhausting)
दुर्वह (Onerous)	

ये विशेषण ऐसे शारीरिक और मानसिक कार्यों, प्रयत्नों आदि के सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं, जिनकी सिद्धि के लिए विशेष आयास या श्रम करना पड़ता है। इनमें से कठिन सबसे अधिक प्रचलित शब्द है, और इसका प्रयोग प्रायः हर जगह और हर बात में देखने में आता है। इसका विपर्याय 'सहज' है, इसी लिए कहा जा सकता है कि जो 'सहज' न हो, वही कठिन है। जो काम पूरा करने में अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम करना पड़े, जिसमें कई तरह की अडचनें या भ्रष्टों सामने आती हों, वही कठिन है। जब किसी काम या बात में हमें कोई छोटी-मोटी या असाधारण बाधा या रुकावट अथवा पेचीलापन दिखाई देता है या जिसमें कुछ परिश्रम, साहस या सूझ-बूझ की आवश्यकता होती है, तब हम उसे कठिन कहते हैं। हमारे लिए किसी अप्रिय स्थान पर बैठना भी कठिन हो सकता है, और किसी दुष्ट से बातें करना भी। लडकों के लिए उनका पाठ कठिन हो सकता है और नौकर के लिए मालिक की आज्ञा का पालन। कठोर वह है जो अपने कडेपन के कारण अपेक्षा अधिक शारीरिक श्रम की अपेक्षा रखता हो। यह कठिन की तुलना में कुछ और आगे बढ़ा हुआ शब्द है और इसमें विकटता का भाव अधिक है। कठिन परिश्रम तो बहुत कुछ साधारण भी हो सकता है, पर कठोर परिश्रम सदा असाधारण ही होता है। पढ़ने-लिखने में हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है; पर पत्थर तोड़कर उसकी गिट्टियाँ बनाने में या सिर पर भारी बोझ रखकर पहाड़ पर चढ़ने में कठोर परिश्रम होता

है। **दुरारोह** का शब्दार्थ है—जिम पर आरोहण करना या चढना बहुत कठिन हो। हिमालय की ऊँची चोटियाँ तो **दुरारोह** हैं ही, पर लाक्षणिक रूप में बहुत ऊँचे पद पर पहुँचना भी **दुरारोह** ही है। **दुर्गम** वह है जिम तक पहुँचना या जिस पर गमन करना या चलना बहुत कठिन हो। **दुर्गम** वन वह कहा जायगा जिसके अन्दर पहुँचकर चलना-फिरना बहुत कठिन हो, और पहाड़ी चटाई का मार्ग इसलिए **दुर्गम** कहा जायगा कि उस पर सब लोग उस प्रकार सहज में नहीं चल सकते, जिस प्रकार मैदानों में या सड़कों पर चलते हैं। **दुर्लभ्य** और **दुस्तर** भी **दुराराह** और **दुर्गम** के वर्ग के ही शब्द हैं। पर्वत को लाँघकर पार करना पडता है, और जो पर्वत बहुत कठिनता से लाँघकर पार किये जाते हैं, शब्दार्थ की दृष्टि से वही **दुर्लभ्य** कहे जाते हैं। पर लाक्षणिक रूप में **दुर्लभ्य** का प्रयोग ऐसी विघ्न-बाधाओं के लिए होता है जिनमें अनेक ऊँची-नीची या ऊबड़-खाबड़ बाते या समस्याएँ सामने आती हैं। **दुस्तर** का शब्दार्थ है—जिसे तैरकर पार करना बहुत कठिन हो। छोटी-मोटी नदियाँ और नाले तो सहज में तैरकर पार किये जा सकते हैं, पर बहुत बड़ी या पहाड़ी बरसाती नदियाँ या समुद्रों की खाडियाँ, जल-डमरू-मध्य आदि सहज में तैरकर पार नहीं किये जा सकते, और इसी लिए इन्हे **दुस्तर** कहते हैं। पर साधारण बोल-चाल में **दुस्तर** का प्रयोग ऐसे कार्यों या बातों के सम्बन्ध में होता है जो बहुत दूर तक विस्तृत तल के रूप में दिखाई देती हों और जिन्हें पूरा करने के लिए बहुत देर तक अव्यवसाय और परिश्रमपूर्वक आगे बटना पडता हो। बोल-चाल में यह उस **दुष्कर** के पर्याय के रूप में आता है जिसका साधारण अर्थ है—ऐसा काम जिसे सम्पन्न या सम्पादित करना बहुत कठिन हो। **दुस्साध्य** भी बहुत कुछ वही है जो **दुष्कर** है। पर **दुष्कर** में काम करने का भाव मुख्य है। जिसे पूरा करने के लिए असाधारण परिश्रम या प्रयत्न करना पडे, वह **दुष्कर** कहा जायगा, और जिसके लिए निरन्तर कठिन साधना की आवश्यकता हो, वह **दुस्साध्य** होगा। जो आदमी रसोई बनाना न जानता हो, उसके लिए पूरी-तरकारी बनाना **दुष्कर** होगा, पर करोड़-पती या बहुत बड़े नेता अथवा विद्वान् बनना साधारण व्यक्ति के लिए **दुस्साध्य** कार्य होगा। **दुर्वह** का अर्थ है—जिसे वहन करना (दोना) बहुत कठिन हो। इसमें उस कार्य की

गुरुता का भाव मुख्य है, जिसका निर्वाह या वहन करना पड़ता है। बड़े-बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य, कर्त्तव्य या भार दुर्वह कहे जाते हैं। कष्ट-साध्य और श्रम-साध्य दोनो बहुत-कुछ एक ही हैं और इनके आशय स्वतः स्पष्ट हैं। जो काम पूरा करने में विशेष कष्ट उठाना पड़ता हो, वह कष्ट-साध्य कहलाता है; और जिसमें अधिक श्रम या परिश्रम करना पड़ता हो, वह श्रम-साध्य कहलाता है। दोनो में कार्य की कठिनता का भाव प्रधान है। श्रान्तक ऐसा काम कहलाता है जो सम्पादन करनेवाले को शारीरिक या मानसिक दृष्टि से बिलकुल श्रान्त कर दे—थका दे। आशय की दृष्टि से वही काम श्रान्तक कहलावेगा जिसके लिए निरन्तर परिश्रम करते करते आदमी थककर चूर हो जाय। दिन भर कूँ से पानी निकालते रहना भी श्रान्तक हो सकता है और बहुत दिनों तक गहरी छान-बीन करके कोई विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखना भी।

कलंक (Stigma)

अवक्षेप (Blame)

धब्बा (Stain)

दाग=१. धब्बा २. कलंक

लांछन (Blot)

दूषण (Blemish)

यद्यपि कलंक शब्द की निरुक्ति बहुत कुछ सन्दिग्ध है, तो भी यह साधारणतः कल + अंक से बना हुआ माना जाता है। इसका अर्थ होता है—अंक या शरीर से लगी हुई या उसमें होनेवाली कोई ऐसी बुरी चीज या बात जिससे उसका सौन्दर्य कम होता हो और उस चीज में कुछ कुरूपता या भद्दापन आता हो। चन्द्रमा में दिखाई देनेवाला दाग या धब्बा उसका कलंक कहलाता है, क्योंकि उससे चन्द्रमा का सौन्दर्य कम होता और उसमें कुछ भद्दापन आता है। लाक्षणिक रूप में कलंक का अर्थ है—किसी वस्तु या व्यक्ति में दिखाई देने या होनेवाली कोई ऐसी बुरी बात जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा या योग्यता में बट्टा

लगता हो और जिससे लोक में उसकी निन्दा होती या हो सकती हो। अपने किसी दूषित आचरण से तो मनुष्य अपना कुल या चरित्र कलकित कर ही लेता है, पर कभी-कभी लोग द्वेष भाव से भी किसी पर भूठा कलक लगाते हैं। कभी-कभी केवल परिस्थितियों के कारण भी किसी पर कलक लगता है। श्रीकृष्ण पर यह कलक लगा था कि उन्होंने प्रसेन की हत्या करके उससे स्यमन्तक मणि छीन ली थी, पर वास्तव में प्रसेन को जंगल में सिंह खा गया था, और उसकी मणि लेकर वह जाम्बवन्त की गुफा में चला गया था। अवक्षेप का अर्थ है—किसी के सम्बन्ध में यह आक्षेप करना या कहना कि उसने अमुक अनुचित काम किया है, अथवा अमुक अपराध, त्रुटि या दोष का उत्तरदायित्व उसके सिर है। यह सच्चा भी हो सकता है और भूठा भी। स्वयं हमारे किसी दोष या भूल के कारण भी हम पर अवक्षेप हो सकता है, और हमारे निरपराध होने की दशा में यों ही भूठ-भूठ भी हो सकता है। पर यह कलक की अपेक्षा बहुत-कुछ हलका होता है, और बहुधा किसी न किसी वास्तविक आधार पर आश्रित होता है। यह भी एक प्रकार का दोषारोपण ही है। (देखें 'अभियोजन' के अन्तर्गत दोषारोपण), पर यह इस दृष्टि से दोषारोपण से भिन्न और हलका है कि दोषारोपण में तो किसी पर दोष लगाया जाता है, पर अवक्षेप में प्रायः त्रुटि या दोष का उत्तरदायित्व ही आरोपित होता है। इसमें दड दिलाने का कोई भाव नहीं होता, केवल लज्जित करना या नीचा दिखाना उद्दिष्ट होता है। लाञ्छन शब्द का मुख्य अर्थ है—चिह्न या निशान। अर्थात् यह वह विशिष्ट दृश्य लक्षण है जिससे कोई चीज पहचानी जाती है। पर आगे चलकर यह भी दूषित भाव का सूचक हो गया है, और वर्तमान प्रसंग में इसका अर्थ होता है—व्यक्ति पर लगनेवाला साधारण या छोटा कलक। यह प्रायः दूसरे के द्वारा लगाया हुआ ऐसा कलक होता है, जिसका आधार या तो कुछ भी न हो या बहुत ही तुच्छ और नगण्य हो। धब्बा (व्युत्पत्ति अनिश्चित) किसी चीज पर लगा हुआ ऐसा दाग या निशान है जिससे उसकी सुन्दरता कुछ कम होती हो। कपड़े पर लगा हुआ धब्बा उसका मूल्य घटाता है, चित्र पर लगा हुआ धब्बा उसका सौन्दर्य कम करता है,

और मनुष्य के चरित्र पर लगा हुआ धब्बा लोगों की दृष्टि से उसे कुछ गिराता है। दाग अरबी का शब्द है, जिसका पहला अर्थ धब्बा है। परन्तु लाक्षणिक रूप में यह कलक या लाछन का वाचक है। दूषण का पहला अर्थ है—बिगाड़ना अर्थात् खराब या दूषित करना; और इसी लिए बिगाड़ने या खराब करनेवाली चीज या बात भी दूषण कहलाती है। यह भी है तो बहुत-कुछ वही, जो धब्बा या लाछन है, पर यह उन दोनों की अपेक्षा गुरुतर भाव का सूचक है। धब्बा या लाछन तो कुछ अवस्थाओं (जैसे—कपडे, चित्र आदि) में मूर्त्त (स्पष्ट और दृश्य) भी हो सकता है, पर दूषण सदा अमूर्त्त ही रहता है। किसी प्रकार के दोष से युक्त होने का भाव या अवस्था ही दूषण है। यों किसी पर कोई दोष या घेब लगाने की क्रिया भी दूषण कहलाती है। (विशेष दे० 'अभियोजन')

कलह (Discord)

कहा-सुनो (Altercation)	मनो-मालिन्य
भगड़ा (Quarrel)	विग्रह (Strife)
द्वन्द्व (Duel)	विवाद (Controversy)
मत भेद	वैमत्य (Dissent)
मन-मुटाव=मनोमालिन्य	संघर्ष (Struggle)

कलह की व्युत्पत्ति स० कल + ह से कही जाती है। कल का अर्थ है—मधुर ध्वनि (कलं तु मधुर ध्वनौ) और ह स० हनन (मार डालना या न रहने देना) के सूचक प्रत्यय की तरह है ❀। कलह वह आपसी लडाई-भगडा है जो

❀ इसी व्युत्पत्ति के विचार से हमने अ० Discord को इसका समा-
नक माना है।

परिवार या समाज के लोगों में, राग-द्वेष आदि के कारण कुछ समय तक चलता है, और जिसमें अनुचित तथा अशिष्ट रूप से प्रायः कुछ न कुछ कहा-सुनी और दोषारोपण होते रहते हैं। साथ ही एक दूसरे की निन्दा, बदनामी और अनिष्ट के छोटे-मोटे प्रयत्न भी चलते रहते हैं। इसका मूल प्रायः ईर्ष्या और स्वभाव का भगडालूपन होता है। कहा-सुनी वह है जिसमें दो व्यक्ति या पक्ष क्रोध में आकर और जोर जोर से एक दूसरे को कटु वचन कहने और दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। भगडा वह है जिसमें दो व्यक्ति या पक्ष किसी चीज पर अपना अधिकार जतलाते हुए, किसी विषय में अपना कथन या मत ठीक बतलाते हुए या किसी बात में दूसरे को दोषी ठहराते हुए अपना पक्ष ठीक और न्याय-संगत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यह बहुधा कड़ी कहा सुनी तक ही परिमित रहता है; परन्तु अधिक बढ़ने पर मार-पीट का भी रूप धारण कर लेता है। कुछ अवस्थाओं में यह शान्त भाव से और अन्दर-अन्दर भी चल सकता है; पर होता प्रायः कैयिक कारणों से ही है। द्वन्द्व सं० द्व + द्व के योग से बना है, और इस बात का सूचक है कि इसमें विशेष रूप से दो ही व्यक्ति आपस में किसी बात पर लडते हैं। इसमें कोई तीसरा या बाहरी व्यक्ति किसी लड़नेवाले व्यक्ति की कोई सहायता नहीं करता; सब लोग दूर से केवल उनका लडना देखते रहते हैं। इस प्रकार यह दो व्यक्तियों शारीरिक बल और कौशल की परीक्षा का सूचक होता है। मनोमालिन्य वही है जिसे हिन्दी में मन मुटाव कहते हैं। इसमें ऊपर से तो उतना वैर-विरोध नहीं दिखाई देता, पर मन में एक दूसरे के प्रति कुछ दुर्भाव आ जाते हैं, और वे छिपे-छिपे एक दूसरे को हानि पहुँचाने का भी कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात यही है कि पहले का-सा सद्भाव और सौजन्यपूर्ण व्यवहार या सम्बन्ध नहीं रह जाता। पर यही जब उग्रतम होकर सक्रिय बनता है, तब वैर का रूप धारण करता है (दे० वैर)। विग्रह साधारणतः कलह और वैर-विरोध के फल-स्वरूप होनेवाला वह सामूहिक भगडा है जो मार-पीट, हत्या आदि का रूप भी धारण कर सकता है। यह कलह और शत्रुता का उक्त और कटु रूप है। ऐसे विग्रह प्रतिद्वन्द्वी परिवारों, जन-जातियों, दलों आदि में होते और प्रायः बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। विवाद (मौखिक) ऐसी

बातों के सम्बन्ध में होता है जिनका स्वरूप अनिश्चित या अस्थिर होता है, अतः इसका मुख्य उद्देश्य किसी निर्णय या निष्कर्ष तक पहुँचना होता है। कभी तो यह केवल मत-भेद के कारण और कभी स्वार्थों के संघर्ष के कारण होनेवाला भगडा बन जाता है। सभ्य और शिक्षित लोगों में केवल सैद्धान्तिक मत-भेद के कारण होनेवाला विवाद बहुधा शिष्टतापूर्ण होता है। पर कुछ उग्र रूप धारण करने पर इसमें दुर्भाव, द्वेष, वैमनस्य आदि भी आ जाते हैं जिससे सत्य का निर्णय होने के बदले व्यर्थ का वैर-विरोध बढ़ने लगता है। वैमत्य स० विमति* का भाव-वाचक रूप है, और विमति का अर्थ है—किसी विषय में किसी से अलग प्रकार की होनेवाली मति या राय, और इस दृष्टि से यह मत-भेद का पर्याय ही है। जब हम किसी विषय में कहते हैं कि हमारी राय (या विचार) आपकी राय (या विचार) से नहीं मिलती, तब यही उस विषय में हमारा वैमत्य कहलाता है। इसमें किसी प्रकार के राग-द्वेष या वैर-विरोध के लिए कोई अवकाश नहीं होता, और स्वतन्त्र रूप से अपने विचार प्रकट करने के अधिकार का उपयोग मात्रा होता है। शुद्ध और सद् कोटि का विवाद प्रायः इसी विशुद्ध वैमत्य के कारण उत्पन्न होता है। संघर्ष का साधारण अर्थ है—रगड़, और रगड़ सदा दो चीजों के तलों में और एक दूसरे को दबाने के प्रयत्न में होती है। इस प्रसंग में इसके दो रूप हैं। एक रूप में यह प्रयत्न का ऐसा प्रकार है जिसमें विरोधी प्रबल शक्तियों को दबाने अथवा अपने आपको कठिनाइयों और बाधाओं से बचाने का उद्योग या चेष्टा की जाती है। इसी दृष्टि से कहा जाता है—उनका सारा जीवन अनेक प्रकार के संघर्षों में बीता है। दूसरे रूप में यह दो दलों या पक्षों में होनेवाले लड़ाई-भगडे, वैर-विरोध, मार-पीट आदि का वाचक है। ऐसा संघर्ष खुलकर भी हो सकता है और अन्दर-अन्दर गुप्त रूप से भी। आज-कल समाचार-पत्रों में अमेरिका और रूस के ऐसे ही संघर्ष की प्रायः चर्चा रहती है, पर सभी प्रकार के संघर्ष बहुधा आवश्यकतावश और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के उद्देश्य से ही होते हैं। पहले रूप में कठिनाइयाँ और बाधाएँ सामने

❁ विमति स० सहमति का विपर्याय है।

होती हैं और दूसरे रूप में विरोधी तथा शत्रु । परस्पर-विरोधी तथा बाधक व्यक्तियों या शक्तियों के नाश या दमन का प्रयत्न ही स्वर्ष है ।

कला (Art)

कारीगरी=शिल्प
कौशल (Skill)
दस्तकारी (Handicraft)

शिल्प (Craft)
हस्त-शिल्प=दस्तकारी

कला (व्युत्पत्ति अनिश्रित) के संस्कृत में यों तो बहुत-से अर्थ हैं, पर प्रस्तुत प्रसंग में यह कोई काम अच्छी तरह, नियम और व्यवस्थापूर्वक तथा ठीक ढंग से करने की चतुरता का वाचक है, और इसी लिए इसका आर्थी क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है । चित्र या मूर्ति बनाने की भी कला होती है, और बात-चीत करके किसी से अपना काम निकालने की भी । यहाँ तक कि चोरी, धूर्ता, बेईमानी आदि करने या भीख माँगने के अच्छे ढंग या सफाई के सम्बन्ध में भी इस शब्द का प्रयोग होता है । पर मुख्यतः इसका प्रयोग कौशल, दक्षता, पटुता आदि के सम्बन्ध में और प्रायः इनके पर्याय के रूप में होता है । इसमें किसी कार्य या विषय के गहन ज्ञान, उद्भावना (नई बात पैदा करना), कर्तृत्व की पूर्णता और कार्य-सम्पादन की प्रशंसनीय शक्ति का भी अन्तर्भाव होता है । हमारे यहाँ काम-शास्त्र और शैव तंत्र में ६४ कलाएँ कही गई हैं—गाना, नाचना, बाजे बजाना, चित्र और मूर्तियाँ बनाना, कपड़े, गहने, मालाएँ आदि बनाना, शृंगार या सजावट करना, इत्र, तेल और फुलेल बनाना, भेस बदलना, तरह तरह के पशु पक्षियों की बोलियाँ बोलना, अनेक प्रकार के भोजन और व्यञ्जन बनाना आदि आदि । आज-कल उपयोगिता, मनोरंजन आदि के विचार से इसके कई मुख्य भेद माने जाते हैं । कौशल स० कुशल का भाववाचक (सञ्ज्ञा) रूप है, और इस दृष्टि से इसे भी कला का (उसके मौलिक अर्थ में) पर्याय मान सकते हैं । किसी

कार्य या बात के सभी अंगों और उपागों का ठीक और पूरा ज्ञान प्राप्त करके दक्षता-पूर्वक उसे सहज में और सुन्दर रूप में सम्पन्न करना ही उस काम या बात से सम्बद्ध कौशल है। इसमें मुख्य भाव कोई काम ठीक ढंग से करने का है। हम कहते हैं—उनके अभिनय (काव्य-रचना, नृत्य या भाषण) में अपूर्व कौशल देखने में आया। आशय यही होता है कि उन्होंने अपने काम में अपनी बहुत जानकारी और योग्यता दिखलाई। यह प्रायः अभ्यास पर आश्रित होता है। किसी काम में ध्यानपूर्वक और खूब सोच-समझकर बराबर लगे रहने से ही मनुष्य उसमें कौशल प्राप्त तथा प्रदर्शित करता है। कारीगरी का कारीगर का भाववाचक रूप है। इसका प्रयोग मुख्यतः कौशलपूर्वक कोई चीज बनाकर तैयार करने के, ढंग या रचना-कौशल के सम्बन्ध में होता है। अच्छे बर्दे, लोहार और सुनार सभी अपने-अपने काम में अच्छी कारीगरी दिखलाते या दिखला सकते हैं। जो वस्तु बहुत चतुरता और परिश्रम से और मोहक रूप में बनाकर प्रस्तुत की जाती है, उसके सम्बन्ध में कहा जाता है—यह बहुत कारीगरी का काम है। यो तो दस्तकारी या हस्त-शिल्प में भी कारीगरी ही मुख्य होती है, पर इसमें प्रायः ऐसे कामों का अन्तर्भाव होता है, जिनमें हाथ ही प्रधान होते हैं; बुद्धि, मस्तिष्क आदि के कार्य प्रायः गौण रहते हैं। कसीदे या सूई का काम, टोकरियाँ बनाना, पच्चीकारी, बेल बूटे या फूल-पत्तियाँ अथवा इनकी आकृतियों से युक्त चीजें बनाना आदि काम दस्तकारी या हस्त-शिल्प में आते हैं। शिल्प वह बहुत बड़ा वर्ग है, जिनमें अधिकतर ऐसे काम आते हैं जो शारीरिक शक्ति और यत्न की सहायता से पूरे होते हैं; और जिनके द्वारा लोगों के उपयोग के लिए, व्यापारिक दृष्टि से, चीजें बनाकर तैयार की जाती हैं। ऐसे कामों में अपने कौशल, रचना-तन्त्र, सुसूचि आदि प्रदर्शित करने का भी अच्छा अवसर मिलता है। कपड़े बुनना और सीना, चमड़े की चीजें बनाकर तैयार करना, मेज-कुरसियाँ आदि बनाना और इस प्रकार के दूसरे बहुत-से काम शिल्प के ही अन्तर्गत आते हैं।

कलाकार (Artist)

कारीगर (Artificer)

यांत्रिक (Mechanic)

दस्तकार=शिल्पी

वास्तुकार (Architect)

मिस्तरी

शिल्पी (Artisan)

मूर्तिकार (Sculptor)

इस वर्ग के सभी शब्द ऐसे लोगों के वाचक हैं जो अच्छे ढंग से और सुन्दर रूप में उपयोगी वस्तुएँ बनाने का व्यवसाय करते हैं। अच्छे ढंग और विशेष कौशल से सुन्दर वस्तुएँ बनाना कला है, और कला-सम्बन्धी काम करनेवाला कलाकार कहलाता है। हमारे यहाँ काम-शान्त्र में अपने विस्तृत अर्थ में ६४ कलाएँ (दे०—'कला') मानी गई हैं, और आज-कल की अधिकतर कलाओं का उन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। पहले कलाकार के मन में कोई भाव या रूप आता है; और तब वह उसे सौन्दर्य की कोमल तथा सूक्ष्म भावनाओं से युक्त करके कौशलपूर्वक मूर्त रूप में लोगों के सामने उपस्थित करता है। कविता, चित्रकारी, मूर्तिकारी, शिल्प आदि से सम्बन्ध रखनेवाले जितने काम होते हैं, उन सबके कर्त्ता कलाकार कहलाते हैं। कारीगर फारसी भाषा का शब्द है। इसमें का 'कार' स० कार्य का और 'गर' स० कर का रूपान्तर मात्र है। कारीगर का शब्दार्थ है—काम करनेवाला, परन्तु अपने प्रचलित अर्थ में कारीगर वह कहलाता है जो विशेष कौशलपूर्वक रचना-सम्बन्धी कोई कार्य करता या नई तरह की चीजें बनाकर तैयार करता है। कुम्हार, बटई, राज, लोहार, सुनार आदि सभी तरह के अच्छे काम करनेवाले कारीगर कहलाते हैं। मिस्तरी शब्द बँगरेजी मास्टर से बना है, जिसका अर्थ है—उस्ताद, कुशल या दक्ष। पर आज-कल या तो बटई, राज, लोहार आदि मिस्तरी कहलाते हैं या वे लोग जो कल-पुरजो, यत्रो आदि की मरम्मत करते हैं। हाथ से चीजे बनाकर तैयार करने की कला ही दस्तकारी या शिल्प है, और इस प्रकार का काम करनेवाला दस्तकार या शिल्पी कहलाता है। खिलौने, जूते, टोपियाँ, मूर्तियाँ आदि बनानेवाले

कारीगर शिल्पी कहे जाते हैं। इसके लिए रचनात्मक कल्पना शक्ति के सिवा वस्तुओं में पूर्णता लाने का कौशल आवश्यक होता है। यांत्रिक वह कहलाता है जो या तो अनेक प्रकार के यन्त्र बनाता हो या उनके कल-पुर्जों की मरम्मत करता हो। इस वर्ग के साधारण व्यक्ति, जो केवल मरम्मत का काम करते हैं, प्रायः मिस्तरी भी कहलाते हैं। ऐसे लोगों के काम करने का प्रायः बंधा हुआ ढग और रास्ता होता है, जिससे वे इधर-उधर नहीं हो सकते। मूर्त्तिकार वह है जो मूर्त्तियाँ बनाने का काम करता हो, फिर वे मूर्त्तियाँ चाहे काठ की हो, चाहे धातु की, चाहे पत्थर की और चाहे मिट्टी की। ऐसा आदमी कलाकार भी होता है और कारीगर भी, क्योंकि उसमें उद्भावना भी होती है और कौशल भी। सब तरह के मकान, पुल आदि बनानेवाले या इमारती काम करनेवाले लोग वास्तुकार कहलाते हैं। यद्यपि इमारत बनाने के काम में लगे रहनेवाले सभी तरह के मिस्तरी, राज आदि वास्तुकार के वर्ग में आते हैं, तो भी आज-कल यह शब्द एक विशिष्ट वर्ग का वाचक बन गया है। जो विशेषज्ञ बड़े-बड़े पुलों, बाँधों, भवनों आदि के नक्शे बनाकर आदि से अन्त तक उनकी तैयारी की देख-रेख और व्यवस्था करते हैं, वे वास्तुकार कहलाते हैं।

कविता (Poetry)

अतुकान्त = अनुप्रासहीन	पद्य (Verse)
अनुप्रासहीन (Blank verse)	पद्यात्मक रचना = छन्दोबद्ध
काव्य (Poem)	रचना
खंड काव्य	प्रगीत (Lyric)
गीत (Song)	प्रबन्ध
छन्द (Meter)	महाकाव्य (Epic)
छन्दोबद्ध रचना (Metrical compositor)	सुक्तक लय (Rhythm)

निर्बन्ध

कविता वह साहित्यिक रमणीय रचना है, जिसमें मनोभावों को प्रभावित तथा परिष्कृत करके मन को रसमय बनानेवाले अनोखे और सुन्दर भाव, विचार या कल्पनाएँ कलात्मक ढंग से छन्दोबद्ध, लय-युक्त और सगीतमय भाषा में गूथी जाती हैं। अपने विस्तृत अर्थ में यह भी भाषा और सगीत की तरह *उन सभी सुन्दर बातों की सूचक होती है, जिनका हमारी कल्पना शक्ति और मनोवृत्ति पर आकर्षक तथा सुखद प्रभाव पड़ता है। जैसे—उपवन के फूलों की कविता, आकाश-गंगा के तारों की कविता आदि। पर अपने साधारण, सीमित और रूढ अर्थ में प्रायः सभी प्रकार की कल्पनात्मक और छन्दोबद्ध रचनाएँ कविता कहलाती हैं, और उनमें व्यक्त किये हुए भाव प्रायः उच्च कोटि के और बहुत सूक्ष्म होते हैं। पर जो रचनाएँ छन्दोबद्ध होने पर भी उक्त गुणों तथा विशेषताओं से रहित होती हैं, वे साधारणतः पद्य या पद्यात्मक अथवा छन्दोबद्ध रचनाएँ

✽ जैसे—पशु-पक्षियों या नेत्रों की भाषा, नदी या समुद्र की लहरों का संगीत आदि।

कहलाती हैं। यों व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी और अपने मौलिक अर्थ में भी काव्य और कविता दोनों एक ही हैं—दोनों कवि की पद्यात्मक रचना हैं। फिर भी कविता की अपेक्षा काव्य में कुछ विशिष्ट अर्थ या भाव लग गया है। कविता तो कवि की रचना है, और काव्य कुछ विशिष्ट प्रकार और विषय की क्रम-बद्ध रचनाओं का ग्रन्थ के रूप में संग्रह है। हमारे साहित्यकारों ने काव्य के दो भेद किये हैं—प्रबन्ध और निर्वन्ध। प्रबन्ध वह कहलाता है जिसमें कोई कथा क्रम-बद्ध रूप से कही जाती है। इसके मुख्य दो भेद हैं—खंड काव्य और महाकाव्य*। पहले खंड काव्य उसी को कहते थे जिसमें महा-काव्य के ढग पर ही किसी के जीवन के एक खंड या अंश मात्र का विस्तार से वर्णन होता था। पर आज-कल साधारणतः खंड काव्य वह कहलाता है, जिसमें किसी एक कथा, घटना या जीवन का कुछ विस्तार से क्रम-बद्ध वर्णन होता है। जैसे—हरि और धृतराष्ट्र का वृत्त-वर्णन। महाकाव्य मूलतः वह कहलाता था जिसमें विस्तार से एक पूरे जीवन के वृत्तान्त होते थे। पर बाद में साहित्यकारों ने इसका क्षेत्र और विस्तार बहुत बढ़ा दिया और इसके लिए अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये। जैसे—यह शृंगार-बद्ध होने के सिवा सगर्भ-बद्ध भी होना चाहिए, इसका नायक देवता, राजा या धीरोदात्त क्षत्रिय होना चाहिए, इसमें शृंगार, वीर या शान्त रस में से कोई रस प्रधान होना चाहिए, बीच-बीच में और रस भी आने चाहिए, अनेक प्रकार के प्राकृत दृश्यों और शोभाओं, मानव तथा लौकिक जीवन के भिन्न-भिन्न अंगों, कार्यों, घटनाओं आदि का भी विस्तार से वर्णन होना चाहिए, इत्यादि। इस दृष्टि से रामायण और महाभारत तो महाकाव्य हैं ही, कालिदास कृत रघुवंश, माघ कृत शिशुपाल-वध, भारवि कृत किरातार्जुनीय और श्रीहर्ष कृत नैषध-चरित भी महाकाव्य हैं। पर आज-कल साधारणतः वह बहुत बड़ा काव्य ही महाकाव्य मान लिया जाता है जो कविद्वय की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का हो और जिसमें

* संस्कृत के साहित्यकारों ने प्रबन्ध का एक तीसरा भेद एकार्थ भी बतलाया है। यह महाकाव्य और खंड काव्य के बीच की रचना है। कामायनी, वैदेही-वनवास, साकेत आदि सैद्धान्तिक दृष्टि से इसी वर्ग में आते हैं।

अनेक प्रकार के विषयों का बहुत अच्छे ढंग से विस्तृत वर्णन हो। जिस रचना में कोई विशेष कथा न हो और जिसमें स्वच्छन्द रूप से कोई तथ्य, भाव या रस व्यक्त किया गया हो, उसे निबन्ध या मुक्तक कहते हैं। कभी-कभी कोई एक ही भाव या विचार दो, तीन, चार या पाँच छन्दों में भी पूरा होता है। संस्कृत में ऐसी कविताओं के अलग अलग नाम हैं; पर हिन्दी में इनका प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ आज-कल मुक्तक मुख्य रूप से ऐसी कविता कहलाती है जिस में किसी एक विषय का कोई एक विचार एक ही छन्द या पद्य में पूरा कर दिया जाता है। इसके किसी छन्द या पद्य में कोई क्रमिक सम्बन्ध नहीं होता। या यों सम्झिए कि इसमें किसी घटना की कोई क्रम-बद्ध चर्चा नहीं होती। जैसे—बिहारी सतसई, गिरधर या दीनदयाल गिरि की कुडलियाँ आदि। निबन्ध के इसी वर्ग में गीत और प्रगीत भी आ जाते हैं। जो कविता लोगों के गाने मात्र के उद्देश्य से बनाई जाती है, वह गीत कहलाती है। कहीं तो इसमें छन्द शास्त्र के नियमों का ठीक तरह से पालन होता है और कहीं कुछ शिथिलता से। साधारणतः गीत का पहला चरण कुछ छोटा होता है और शेष चरण बड़े और बराबर होते हैं। पर कुछ गीतों में सभी चरण कुछ छोटे-बड़े भी होते हैं। इन में लय तो होती ही है, अनुप्रास या तुक का भी ध्यान रखा जाता है। प्रगीत शब्द स० गीत के पहले प्र उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। इस का घात्वर्थ है—जो गाकर कहा या सुनाया गया हो। पर अब यह शब्द एक नये प्रकार के गीतों का वाचक हो गया है। रचना का यह नया प्रकार हमारे यहाँ पाश्चात्य साहित्य से आया है। यह वस्तुतः गीत का एक विशिष्ट प्रकार या रूप ही है। गीतों में तो बहुधा मनोभाव प्रधान होते हैं, परन्तु प्रगीत में विशिष्ट रूप से कवि का व्यक्तित्व प्रकट होता है—वह कवि की निजी अनुभूतियों का प्रतिबिम्ब होता है। हिन्दी में श्रीमती महादेवी वर्मा के प्रगीत बहुत उच्च कोटि के और परम प्रसिद्ध हैं। पद्य (गद्य का विपर्याय) का अर्थ है—पद या चरण सम्बन्धी अथवा पदों या चरणों से युक्त। छन्दों की नयी-तुली पक्तियाँ उनके पद या चरण कहलाती हैं। ऐसे पदों से युक्त (अर्थात् छन्दों के रूप में की हुई) रचनाएँ पद कहलाती हैं। छन्द वस्तुतः वे सँचे हैं जिनमें अनेक प्रकार के पद्य ढाले

जाते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत से आये हुए भी और बाद में नये बने हुए भी सैकड़ों प्रकार के छन्द हैं। जिस शास्त्र में छन्दों की रचना के विस्तृत नियमों और लक्षणों का विवेचन होता है, उसे छन्द शास्त्र या पिंगल कहते हैं। छन्द दो प्रकार के कहे गये हैं—मात्रिक* और वर्णिक। जिन छन्दों में केवल मात्राओं की गिनती का ध्यान रखना पड़ता है, वे मात्रिक कहलाते हैं। चौपाई, दोहा, रोला आदि इसी वर्ग के छन्द* हैं। वर्णिक छन्द या वर्ण वृत्त वे कहलाते हैं, जिनमें अक्षरों या वर्णों की संख्या के सिवा लघु-गुरु आदि के नियत क्रमों और नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे—इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी आदि। इधर कुछ दिनों से हिन्दी में (बंगला के अनुकरण पर) पाश्चात्य ढंग की एक नये प्रकार की कविता भी होने लगी है, जो अतुकान्त या अनुप्रास-हीन कविता कहलाती है। इसमें न तो छन्द शास्त्र के नियमों का कोई ध्यान रखा जाता है, न अनुप्रास या तुक का। हाँ, लय कुछ अवश्य होती है। इसमें अलग-अलग पंक्तियों के रूप में चरण या पद तो अवश्य होते हैं, पर न तो उनकी कोई निर्धारित संख्या होती है, न उनके विस्तार की कोई मिति या माप होता है। कोई चरण छोटा और कोई बड़ा, कोई बहुत छोटा और कोई बहुत बड़ा होता है। लयन वह तत्त्व है जिसका अस्तित्व कविता और संगीत दोनों में होना आवश्यक क्या, अनिवार्य है। शब्दों और स्वरों का ठीक ढंग से उतार-चढ़ाव, गति या प्रवाह ही लय उत्पन्न करता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा उतार-चढ़ाव बराबर नियमित और नपे-तुल्ले अन्तरो पर ही होता रहे। फिर भी जब कुछ न कुछ नियमित रूप से और उचित अन्तरो पर शब्दों, पदों आदि का विन्यास होता है, तब रचना में लय वाला तत्त्व आता है। इसके सौन्दर्य की अनुभूति मन को ही होती है। इसका मुख्य सम्बन्ध गति या प्रवाह के सुन्दर ढंग से है। नृत्य के समय जहाँ अंगों का संचालन होता है, अथवा चित्रों में जहाँ रेखाएँ

* इन्हे मात्रा वृत्त और जाति छन्द भी कहते हैं।

† हिन्दी में अपने दूसरे अर्थों में लय शब्द पुं० होने पर भी प्रस्तुत अर्थ और प्रसंग में स्त्री-लिंग ही माना जाता है।

चलती हैं, वहाँ भी उनमें उपयुक्त अन्तरो और अवसरो पर कुछ न कुछ नियमित रूप और खास ढंग से ऐसा उतार-चढाव रखना ही पडता है कि गति या प्रवाह में सौन्दर्य बना रहे—अचानक एक मुद्रा या विन्दु से दूसरी मुद्रा या विन्दु पर होती हुई उछाल या कुदान न जान पड़े। गति या प्रवाह का यही सौन्दर्य पारिभाषिक क्षेत्रों में लय कहलाता है। यही लय कविता और सगीत की जान है।

काल (Time)

अनुयुग=शाक

भोग-काल (Duration)

अवधि (१. Period. २ Term) युग (Age)

कल्प (Era)

शाक (Epoch)

कालावधि (Period)

समय=काल

काल उसी स० कल् धातु से बना है, जिसका अर्थ है—गिनना, हिसाब लगाना आदि और जिससे कलन (गणना) शब्द बना है। इसका यह नाम कदाचित् इसी लिए पडा है कि गणना के बिना इसकी कल्पना या ज्ञान हो ही नहीं सकती। यह शब्द अर्थ और मान दोनों के विचार से बहुत विस्तृत और व्यापक है, और अनेक अशों में समय का पर्याय क्या, बल्कि समानार्थी ही है। यह अनादि और अनन्त है। सारे विश्व में जितनी घटनाएँ अब तक हुई हैं अथवा भविष्य में होगी, उन सबका इसी में अन्तर्भाव होता है और होगा। जो कुछ बीत चुका है, वह सब भूत काल है, और जो अभी आने को है, वह भविष्य काल। इन दोनों के बीच का विन्दु या विभाजक रेखा वर्तमान काल है। प्रत्येक क्षण जो आता है, वह बीतते ही भूत काल में चला जाता है। इसका परिमाण स्थिर करने के लिए मनुष्य ने घड़ी, पहर, दिन, रात, ऋतु, वर्ष आदि बनाये और मान रखे हैं। ये सब काल की अनन्त मृखला की छोटी-मोटी कड़ियाँ

मात्र हैं। एक नियत विन्दु से दूसरे नियत विन्दु तक के बीच का सारा अवकाश काल कहलाता है। जैसे—जीवन-काल, भोग-काल, राज्य-काल आदि। इस प्रकार की किसी निश्चित अवधि के बीच का बहुत-कुछ अनिश्चित समय भी काल है, जैसे—प्रातः काल, सायंकाल आदि। इसके सिवा यह किसी एक ही निश्चित विन्दु का भी वाचक होता है, जैसे—उदय-काल, जन्म काल, प्राप्ति-काल आदि। काल तो मुख्यतः दार्शनिक और पारिभाषिक शब्द है, पर समय सार्विक और लोक-प्रचलित शब्द। काल की अपेक्षा समय कुछ अधिक अनिश्चय के भाव से युक्त है, और साधारण रूप में इसकी व्याप्ति भी अपेक्षा परिमित या अल्प ही होती है। जैसे—इस समय, उस समय, किसी समय आदि। हम कहते हैं—किसी का समय सदा एक-सा नहीं रहता। ऐसे प्रसंगों में यह दशा, स्थिति आदि का भी वाचक बन जाता है, और तब इसकी जगह काल का प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ, जब इसमें दशा, स्थिति आदि का भाव नहीं रहता और यह अपने विशुद्ध मूल अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब इसके स्थान पर काल का भी प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए—‘काल-यापन’ का भी वही अर्थ है, जो ‘समय बिताना’ का है। काल का जो अन्त या मृत्युवाला अर्थ प्रसिद्ध है, वह भी इसी समय वाले अर्थ से लिया गया है। जब हम कहते हैं—‘उसका काल आ गया।’ तब हमारा आशय यही होता है कि उसका अन्तिम समय आ गया। ‘काल सबको खा जाता है।’ का भी यही आशय है कि सबके अस्तित्व का कुछ नियत समय होता है, और वह समय आ जाने पर उस वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रह जाता।

काल और समय के सिवा इस माला के और सभी शब्द इनके किसी न किसी अंश या विभाग के सूचक हैं। इनमें कल्प और युग भारतीय काल-गणना-प्रकार के पारिभाषिक शब्द हैं, और कुछ विशिष्ट अर्थ तथा मान से युक्त हैं। पौराणिक दृष्टि से ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। यह एक हजार युगों अर्थात् ८ अरब ३२ करोड़ वर्षों का होता है। ऐसे तीस दिनों का ब्रह्मा का एक महीना होता है, और ऐसे १२ महीनों का एक वर्ष। कहते हैं कि ब्रह्मा के ऐसे ५० वर्ष बीत चुके हैं; और आज-कल ५१ वे वर्ष के पहले महीने का पहला दिन

चल रहा है, जिसका नाम श्वेत वाराह कल्प है। प्रत्येक कल्प के अन्त में जगत का पूरा विनाश हो जाता है, और तब फिर से नई सृष्टि का आरम्भ होता है। इसी कल्प के अलग-अलग उप-विभाग युग कहलाते हैं। ये सख्या में चार कहे गये हैं—सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। आज-कल कलियुग का प्रथम चरण अर्थात् पहला चौथाई भाग चल रहा है। मानव वर्षों के हिसाब से युगों के वर्षों की सख्या इस प्रकार कही गई है—

सत्ययुग या कृत युग—१७२८००० वर्ष

त्रेता—१२९६००० वर्ष

द्वापर—८६४००० वर्ष

कलियुग—४३२००० वर्ष

यह भी कहा गया है कि सत्ययुग में सत्य और धर्म को पूरी प्रधानता रहती है, और इसी लिए यह सर्वोत्तम माना जाता है। त्रेता में सत्य और धर्म तीन-चौथाई रह जाते हैं, और पाप का एक चरण या चौथाई अंश आ जाता है। द्वापर में सत्य और धर्म आधे रह जाते हैं, और अधर्म तथा पाप का आधा अंश सामने आ जाता है। कलियुग में सत्य और धर्म एक चौथाई रह जाते हैं, अधर्म और पाप तीन-चौथाई हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि कलियुग में पाप दिन पर दिन बढ़ता जाता है, इसी से इस युग के अन्त में सृष्टि का पूर्ण विनाश या प्रलय होता है।

आज-कल पाश्चात्य धारणाओं के अनुसार कल्प तथा युग के कुछ और ही अर्थ लिये जाने लगे हैं। हमारे यहाँ अब तक कल्प का प्रयोग उसी विशुद्ध पौराणिक अर्थ में होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। परन्तु अब इसका प्रयोग पुरा-शास्त्र और भू-शास्त्र में बड़े-बड़े वैज्ञानिक काल-विभागों के सम्बन्ध में भी होने लगा है, जैसे—आदि कल्प, उत्तर कल्प, पुरा कल्प, मध्य कल्प, और नव कल्प*। ऐसे अवसरों पर कल्प का प्रयोग सृष्टि की कुछ अलग-अलग प्रकार की

* Archeozoic, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic और Cenozoic या Neozoic.

विकासत्मक स्थितियों का सूचक होता है। साधारण रूप में युग का भी बहुत कुछ यही अर्थ माना जाता है ; परन्तु जिस प्रकार पौराणिक दृष्टि से कल्प कई युगों में बँटा है, उसी प्रकार आधुनिक दृष्टि से युग को भी कल्प का अंग या विभाग ही मानते हैं। साधारणतः युग भी ऐसे काल-विभाग का सूचक माना जाता है, जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की घटनाओं, रीतियों, रूढ़ियों, व्यवहारों अथवा व्यक्तियों की प्रधानता रही हो अथवा रहती हो ; जैसे—उपनिषदों का युग, श्रृंगारिक कविताओं का युग, भारतेन्दु युग, गान्धी युग आदि। हम यह भी कहते हैं—आज-कल चोरी और बेईमानी का युग है, अथवा अब तो परमाणु युग आ रहा है। इस दृष्टि से कहीं तो इसके काल-मान का विस्तार अधिक होता है और कहीं कम।

अवधि के हिन्दी में दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में भावी समय की किसी ऐसी सीमा का भाव मुख्य है, जो किसी काम या बात के लिए निश्चित या स्थिर की गई हो। जैसे—उन्हें मकान खाली करने के लिए एक मास की अवधि दी गई थी। आशय यही है कि एक महीने के अन्दर या उसकी अन्तिम तिथि तक मकान खाली हो जाना चाहिए था। दूसरा अर्थ दो निश्चित काल-विन्दुओं के मध्यवाले समस्त भाग का वाचक है। जब हम कहते हैं कि असुक अधिकारी या कर्मचारी की अवधि पूरी हो गई है, तब आशय यही होता है कि जितने समय के लिए वह नियुक्त किया गया था, अथवा नियमतः जितने समय तक उसे काम करना या उस पद पर रहना चाहिए था, उतना समय पूरा हो गया है। कालावधि भी बहुत-कुछ वही है जो अवधि है; और इसमें भी किसी काम के लिए निश्चित किये हुए समय का भाव ही मुख्य है। भोग-काल* भी है तो बहुत कुछ वही जो अवधि या कालावधि है, पर इसमें समय की अपेक्षा घटना, व्यक्ति आदि के चलन, अवस्थान या स्थिति का भाव

* साधारणतः अ० ड्यूरेशन (Duration) के लिए हिन्दी में 'समय' अथवा 'दिनों में' ही चलता है। जैसे—युद्ध के समय अथवा युद्ध के दिनों में। पर कुछ अवस्थाओं में इसके लिए एक स्वतंत्र शब्द की भी आवश्यकता हो सकती है, इसी लिए भोग-काल पद स्थिर किया गया है।

प्रधान है। जितने समय तक कोई बात होती रहती है, अथवा किसी व्यक्ति का कोई काम होता रहता है, उतना समय उसका भोग-काल होता है। यह शब्द मुख्यतः ज्योतिष से सम्बद्ध है, पर साधारण लोक-व्यवहार में भी इसका प्रयोग हो सकता है। राशियों में आकाशस्थ ग्रहों का भोग-काल तो प्रसिद्ध ही है। जितने दिनों तक कोई ग्रह किसी राशि में रहता है, उतने दिनों का उसका भोग-काल माना जाता है। पर थोड़े भी हम कह सकते हैं—अगले सूर्य-ग्रहण का भोग-काल १॥ घण्टे होगा, अर्थात् १॥ घण्टे तक ग्रहण लगा रहेगा। अथवा यह भी कह सकते हैं—राज-सत्ताओं के भोग काल के आधार पर ही इतिहास में तिथियाँ और वशावलियाँ निश्चित होती हैं, और इन्हीं के अन्तर्गत अलग-अलग राजाओं का राज्य-काल (या समय) निश्चित होता है। एक ही भोग-काल में कई प्रकार की बातें या घटनाएँ होती रहती हैं। शाक वस्तुतः स० शक से बना हुआ विशेषण है, जिसका अर्थ है—शक-जाति से सम्बन्ध रखनेवाला। शक सवत् कभी कभी शाक सवत् भी कहलाता है, और हम स० १८६० शाके भी कहते हैं। सच्चा रूप में यह शब्द सवत् का भी वाचक है। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में शाक वह विशिष्ट समय कहलाता है, जब किमी नई कालावधि का आरम्भ होता है अथवा जब से कुछ विशेष महत्त्व की घटनाएँ या परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे—प० रामचन्द्र गुप्त ने हिन्दी में आलोचना का एक नया शाक प्रवर्तित किया (या चलाया) था। अनुयुग स० युग में 'अनु' उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, और आशय तथा प्रयोग के विचार से यह भी वही है, जो शाक है। पुरा-शास्त्र और मू-शास्त्र की दृष्टि से तो अनुयुग ठीक है, पर सार्विक प्रयोग के लिए शाक ही अच्छा और चल सकने योग्य शब्द है।



कुल-तंत्र (Oligarchy)

अभिजात-तंत्र (Aristocracy) धनिक तंत्र (Plutocracy)

अल्प-तंत्र* = कुल-तंत्र

इस वर्ग के शब्द ऐसी शासन-प्रणालियों के वाचक हैं जिनमें शासन की बाग-डोर थोड़े-से लोगों के हाथ में रहती है, फिर राज्य चाहे लोक-सत्ता के अधीन हो, चाहे राज-सत्ता के अधीन। अर्थात् लोक-तन्त्री राज्य भी इन वर्गों में हो सकते हैं, और किसी राजा द्वारा शासित होनेवाले राज्य भी। वास्तविक आशय यही होता है कि शासन के अधिकार वस्तुतः जिस राजा या प्रजा (अथवा उसके प्रतिनिधियों) के हाथ में होने चाहिए, उनके हाथ से निकलकर कार्यतः कुछ और तरह के थोड़े से लोगों के हाथ में चले जाते हैं। कुल-तंत्र वह कहलाता है, जिसमें राज्य के सब काम क्रियात्मक रूप से (अर्थात् वस्तुतः) अथवा प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से कुछ विशिष्ट लोग मिलकर ही चलाते हैं। जहाँ कुछ लोगों का गुट ही शासन करता हो, वही कुल-तंत्र कहलाता है। अभिजात-तंत्र वस्तुतः जिस प्रकार की शासन-प्रणाली का वाचक है, वह बहुत दिन पहले यूनान में प्रचलित थी, और वहीं से इसका मूल अँगरेजी शब्द इतिहास के ग्रन्थों में आया है। इस प्रणाली के अनुसार राज्य के उच्च तथा प्रतिष्ठित वर्ग के लोग ही मिलकर शासन के सब काम करते थे। अभिजात का अर्थ है—उच्च या श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति, और प्राचीन यूनान में ऐसे ही लोग बड़े-बड़े जमींदार और रईस

* अँगरेजी Oligarchy के लिए अल्प-तंत्र शब्द इसलिए ठीक नहीं है कि हमारे यहाँ 'अल्प' शब्द पर अल्प मत (Minority) की गहरी रंगत चढ़ चुकी है, और इसलिए अल्प-तंत्र का अर्थ अल्प-मतवालों का शासन (Rule of minority) हो जायगा। इसके लिए कुल-तंत्र शब्द इस दृष्टि से अधिक उपयुक्त है कि संस्कृत में कुल शब्द का पहला अर्थ ही है—कुछ लोगों का दल, 'वर्ग' या 'समूह'। समष्टि की तुलना में यह थोड़े-से लोगों के गुट का ही वाचक शब्द है।

होते थे। पर आज-कल इस शब्द का इसलिए कोई वास्तविक महत्त्व नहीं रह गया है कि अब न तो कहीं सामाजिक दृष्टि से अभिजात वर्ग का ही कोई पृथक् अस्तित्व है और न इस प्रकार की शासन-प्रणाली का ही। अभिजात-तंत्र को भी हम एक प्रकार से कुल-तंत्र कह सकते हैं, पर दोनों में कुछ अन्तर है। अभिजात तंत्र एक विशुद्ध शासन-प्रणाली मात्र का वाचक शब्द है, पर कुल-तंत्र में कुछ दूषित भाव का भी पुट है। कुल-तंत्र में शासन करनेवाले लोग मुख्यतः स्वार्थ की भावना से अथवा कुछ दुष्ट उद्देश्यों से सारी शक्ति अपनी मुट्टी में दबाये रखते हैं; और उन लोगों के हाथ में नहीं जाने देते जो वस्तुतः उस शक्ति के अधिकारी होते हैं। धनिक तंत्र का बहुत कुछ आशय स्वयं इस पद से ही प्रकट होता है। यह भी कुल-तंत्र की तरह बहुत कुछ बदनाम शासन-प्रणाली है। जिस राज्य में (चाहे वह राज-सत्ताक हो, चाहे लोक-सत्ताक) कुछ बड़े-बड़े धनिक ही अन्दर-अन्दर सारे शासन-सूत्र अपने हाथ में रखते और अपने स्वार्थ की दृष्टि से राज्य की नीति का संचालन करते हों, उसे धनिक तंत्री राज्य कहते हैं। ससार की दृष्टि में आज भी अमेरिका और इंग्लैण्ड की शासन-प्रणालियाँ, वास्तविक अर्थ में, बहुत-कुछ धनिक-तंत्री ही मानी जाती हैं।

कुशल (Skilled, Skillful)

दक्ष (Adroit, Dexterous) पारंगत, पारग

निपुण (Adept)

प्रवीण (Expert)

निष्ण, निष्णात (Accomplished) विशेषज्ञ (Specialist)

पटु (Proficient)

सुविज्ञ

यो तो संस्कृत में कुशल के अनेक अर्थ (अच्छा, ठीक, अच्छी दशा में आदि) हैं; पर प्रस्तुत प्रसंग में कुशल वह कहलाता है जो हर काम में मानसिक

✽ यद्यपि अँगरेजी में स्किल्फुल और स्किल्ड में कुछ अन्तर है, पर हिन्दी में दोनों के लिए 'कुशल' ही चलता है।

तथा शारीरिक दोनों प्रकार की शक्तियों का अच्छा और पूरा उपयोग करना जानता हो। कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान और योग्यता का भी इसमें अन्तर्भाव होता है और कार्य-सम्पादन सम्बन्धी सतर्कता का भी। कुशल व्यक्ति सहज में अपने वर्ग के लोगों से आगे बड़ा हुआ और तेज दिखाई देता है; और वह अपने कामों के सिवा दूसरे काम भी सहज में और अच्छी तरह पूरे कर सकता है। मनुष्य अपने वाणिज्य-व्यवसाय में भी कुशल हो सकता है; और लोगों से बात-चीत करके उन्हें प्रभावित करने में भी। दक्ष वह कहलाता है जो शरीर, मुख्यतः हाथ से किये जानेवाले काम अच्छी तरह, जल्दी और सहज में कर सकता हो; भले ही उसे उस काम का कोई प्रशिक्षण मिली हो या न मिली हो। वह कपड़े सीने में भी दक्ष हो सकता है, चित्र बनाने में भी और हथियार चलाने में भी। निपुण भी है तो बहुत कुछ वही, जो कुशल है, फिर से कुशल की तुलना में निपुण और भी अधिक योग्यता के भाव का सूचक है। निपुण होने के लिए मनुष्य में अनुभव और अभ्यास के सिवा कुछ प्राकृतिक गुणों और विशेषताओं की भी आवश्यकता होती है, और अध्ययन, प्रयोग आदि के द्वारा वह अपने कार्य या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करता है। निष्ण वह कार्य है जो अच्छी तरह पूरा या सम्पन्न किया जा चुका हो, और निष्णात वह व्यक्ति है जो अपने कार्य या विषय का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करके उसका अच्छा जानकार या पंडित बन चुका हो। यों तो निष्णात और पटु बहुत कुछ एक ही हैं, फिर भी व्यक्ति की योग्यता के विचार से पटु अपेक्षया हलका और प्रयोग के विचार से अधिक व्यापक शब्द है। यह साधारणतः कुशल का समानक ही माना जाता है। जो व्यक्ति किसी कार्य की शिक्षा प्राप्त करके (अथवा यो ही) व्यावहारिक दृष्टि से औरों की तुलना में आगे बढ़ जाता है, वह पटु कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी उद्योग-धन्धे या कला के सब सिद्धान्त भी अच्छी तरह जानता है और कौशल तथा प्रयोग भी। उसमें बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता दिखाई देती है, और वह नये काम भी सहज में सीख और कर सकता है। कोई कारीगर अपने काम में कुशल होने पर भी उसी वर्ग के दूसरे कामों से अनजान रह सकता है या उनमें बोधा हो सकता है; पर पटु व्यक्ति अपने काम के सिवा दूसरे कामों में भी बहुत कुछ होशियार होता

और आवश्यकता पडने पर उनका भी सम्पादन कर सकता है। पारंगत या पारग का व्युत्पत्तिक अर्थ है—वह जो उस पार जा चुका हो। पर प्रस्तुत प्रसंग में इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो किसी विषय का सारा ज्ञान प्राप्त करके उसका पूरा पडित बन चुका हो—जिसके लिए उस विषय की और कोई बात जानना या और कोई काम करना बाकी न रह गया हो। इस दृष्टि से ये शब्द निष्णात के समानक ही ठहरते हैं। प्रवीण भी है तो दत्त, निपुण और पटु के ही वर्ग का शब्द, परन्तु ज्ञान, योग्यता आदि के विचार से यह इन सबसे आगे बड़ा हुआ और अधिक कौशल का सूचक शब्द है। जो व्यक्ति किसी काम में आसाधारण रूप से निपुणता प्राप्त कर चुका हो और उसके सभी अगों-उपागों का पूरा ज्ञाता हो, वह उस विषय में प्रवीण माना जाता है। इन दृष्टि से यह शब्द निष्णात और पारंगत का सम-कक्ष हो जाता है। राज्य या शासन को जत्र किसी विषय में परामर्श लेना या सुझाव माँगना होता है, तब वह प्रायः प्रवीणों की समिति सघटित करता है। अच्छी शिक्षा या प्रशिक्षण, अध्ययन, अनुभव आदि के बल से ही मनुष्य किसी विषय में प्रवीण हो सकता है। इसके लिए कार्य-कुशलता, ज्ञान और बुद्धि सभी की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञ वह कहलाता है जिसने किसी विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान में अथवा उसकी किसी शाखा-प्रशाखा में अच्छा कौशल और ज्ञान प्राप्त करके अपने लिए बहुत ऊँचा और विशिष्ट स्थान बना लिया हो। ज्ञान-विज्ञान या कला-कौशल के किसी विशिष्ट अंग में पारंगत या प्रवीण होना ही उस विषय का विशेषज्ञ बनना है। यों साधारणतः सभी चिकित्सक सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा करते हैं। पर जो चिकित्सक विशिष्ट रूप से क्षय रोग (अथवा आँख, कान आदि के रोग) का अध्ययन करके मुख्य रूप से उसी रोग की चिकित्सा का अनुभव और ज्ञान प्राप्त करता है, वह उस रोग का विशेषज्ञ माना जाता है। कलाकार किसी विशिष्ट कला या उसके अंग-विशेष का और कारीगर किसी विशिष्ट उद्योग-शाखा का विशेषज्ञ हो सकता है। सुविज्ञ (अर्थ और प्रयोग दोनों की दृष्टि में) सार्विक भी है और बहुत प्रचलित भी। विज्ञ का अर्थ है—जानकार, और सुविज्ञ का अर्थ हुआ—अच्छा या पूरा जानकार। साधारणतः जो व्यक्ति बहुत तरह की

और बहुत-सी बातें जानता हो, वही सुविज्ञ कहलाता है। पर किसी एक विषय से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का जिसे अच्छा ज्ञान हो, उसे भी उस विषय का सुविज्ञ कहते हैं, और इस दृष्टि से यह शब्द विशेषज्ञ के वर्ग में जा सकता है, फिर भी यह है अपेक्षया हलका और सार्विक शब्द ही।

कोश (Dictionary)

अभिधान=नाम-कोश	पर्यायकी (Synonymy)
कोश कला (Lexicology)	पर्याय कोश (Synonyms
कोश-रचना (Lexicography)	Dictionary)
जीवनी-कोश (Biographical	पु राकोश=निघन्टु
Dictionary)	भौगोलिको (Gazetteer)
नाम-कोश (Nomenclature)	विश्व-कोश(Encyclopaedia)
नाम-माला=नाम-कोश	शब्द-कोश=कोश
निघन्टु (Lexicon)	शब्दार्थी (Glossary)
पदावली (Phraseology)	शब्दावली (Vocabulary)

यों तो कोश का प्राथमिक अर्थ आधार या पात्र और परवर्ती अर्थ खजाना या भंडार है, पर प्रस्तुत प्रसंग में अर्थ-सहित शब्दों का सग्रह ही कोश कहलाता है। कोश का साधारण लक्षण कहा गया है—कोश शब्दस्य सग्रह । अर्थात् जिस रचना में केवल शब्दों का सग्रह हो, वह कोश है। शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, और उनके सग्रह भी कई तरह के और कई दृष्टियों से होते हैं; इसलिए कोश मुख्यत एक वर्ग-वाची शब्द है। पर साधारणत कोश का अर्थ

होता है—शब्दों का ऐसा संग्रह जिसमें उनके शुद्ध रूप और उनके अर्थ या व्याख्याएँ हों। प्रायः अच्छे या बड़े कोशों में व्याकरण की दृष्टि से शब्द-भेद, निरुक्ति या व्युत्पत्ति, क्रिया-प्रयोग, मुहावरे और उदाहरण स्वरूप प्रामाणिक ग्रन्थों से प्रयोगों के उद्धरण भी दिये जाते हैं। जैसे अंग्रेजी, बंगला या हिन्दी कोश। अपने इस विशिष्ट रूप में यही शब्द कोश भी कहलाता है। जब पाठकों को कोई ग्रन्थ पढ़ते समय उसमें ऐसा शब्द मिलता है जिसके सम्बन्ध की कोई बात वे ठीक तरह से नहीं जानते, तब कोश या शब्द कोश उनकी जिज्ञासा पूरी करता और शकाओं का समाधान करता है। इसी लिए सब प्रकार के कोशों की गिनती अभिदेश 'ग्रन्थो या सन्दर्भ ग्रन्थो (Reference Books) में होती है। अपने विस्तृत अर्थ में कोश अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे— इतिहास, गणित, दर्शन, भूगोल या वैद्यक से सम्बन्ध रहनेवाले कोश। और अपने इन रूपों में ऐसे कोश शब्दावली (देखे आगे) वाले विभाग या वर्ग में चले जाते हैं। जीवनी कोश वह कहलाता है जिसमें विशिष्ट पुरुषों के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य घटनाओं का उल्लेख होता है। नाम-कोश उसे कहते हैं जिसमें केवल नाम-वाचक शब्दों अर्थात् सज्ञाओं का संग्रह हो। ऐसे कोशों में मुख्यतः यही बतलाया जाता है कि अमुक नाम-वाचक सज्ञा के और क्या क्या नाम अर्थात् पर्याय हैं। उदाहरणार्थ—चन्द्रमा, पृथ्वी या समुद्र के और कौन कौन-से नाम हैं। संस्कृत और पुरानी हिन्दी में इस प्रकार के बहुत-से कोश हैं, जैसे—अमर कोश, नन्ददास कृत नाममाला आदि। आज-कल पाश्चात्य भाषाओं में जो अनेक प्रकार के पर्याय-कोश (देखे आगे) हैं, वे इसी के विस्तृत और विकसित रूप हैं। निघण्टु ऐसे कोश को कहते हैं जिसमें प्राचीन भाषाओं के अथवा ऐसे पुराने शब्दों का अर्थ-विवेचन होता है, जिनका प्रचलन लोक से उठ गया हो अथवा बहुत कम रह गया हो। यास्काचार्य का प्रसिद्ध निघण्टु वैदिक शब्दों का ऐसा कोश है जो वैदिक भाषा का प्रचलन उठ जाने और संस्कृत भाषा का प्रचार आरम्भ होने के समय बना था। पाश्चात्य देशों में कोश-रचना का काम इसी दृष्टि से आरम्भ हुआ था। वैदिक आदि विशिष्ट विषयों के जिन शब्दों से ज्ञान-साधारण बहुत कम परिचित होते हैं, उन शब्दों और उनके विवेचनों से

सम्बन्ध रखनेवाले कोश भी निघन्टु कहलाते हैं। पदावली किसी विशिष्ट वैज्ञानिक विषय के पारिभाषिक शब्दों तथा पदों की सूची होती है, और उसके साथ अर्थ भी हो सकते हैं। जैसे विधिक या सविधानिक पदावली। पर्याय कोश भी बहुत कुछ वही है जो नाम कोश है। इसमें साधारणतः यह बतलाया जाता है कि अमुक शब्द के कितने और कौन-कौन से पर्याय हैं। पर आज-कल पाश्चात्य भाषाओं के पर्याय-कोशों का विवेचन-क्षेत्र अपेक्षया बहुत विस्तृत हो गया है, और इसी लिए ऐसे कोशों की उपयोगिता भी पहले से बहुत बढ़ गई है। अब तो इस विषय को एक शास्त्र का सा रूप प्राप्त हो गया है, जिसे पर्यायकी कहते हैं। (दे० पर्याय) आज-कल पर्याय कोशों में मुख्यतः यह बतलाया जाता है कि एक दूसरे के पर्याय माने जानेवाले शब्दों में वस्तुतः अर्थ तथा प्रयोग सम्बन्धी क्या अन्तर या भेद हैं, किस पर्याय का कहाँ प्रयोग होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, और आवश्यकतानुसार पर्यायों के विपर्याय भी बतला दिये जाते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ पर्याय-दर्शी कोश ही है और इसी नवीन वर्ग का है। पुराकोश नया शब्द है और निघन्टु का समान मात्र है। भौगोलिकी उसे कहते हैं जिसमें किसी विशिष्ट देश, महादेश अथवा सारी पृथ्वी के केवल भौगोलिक नामों और उनमें भी मुख्यतः नगरों, नदियों, पर्वतों आदि के सम्बन्ध की मुख्य मुख्य बातें बतलाई जाती हैं। सभ्य देशों के राज्य ऐसी भौगोलिकी रचय तैयार करते हैं, जिसमें हर नगर या बस्ती का पुराना इतिहास और उसके निवासियों, उद्योग-धन्धों आदि का विवेचन या परिचय रहता है। विश्व कोश वह कहलाता है जिसमें ससार भर के सभी मुख्य मुख्य विषयों का विस्तृत विवेचन करनेवाले अलग अलग ऐसे बड़े निबन्ध या लेख होते हैं जिनमें उन विषयों की सभी जानने योग्य बातें रहती हैं। किसी विशिष्ट देश, धर्म, कला, साहित्य आदि की समस्त ज्ञातव्य बातों से सम्बन्ध रखनेवाले स्वतंत्र विश्व कोश भी होते हैं। शब्द-कोश का सकलन या सम्पादन तो एक व्यक्ति भी करता या कर सकता है, पर विश्व कोश के अलग अलग विषयों के लेख प्रायः अलग अलग विशेषज्ञ विद्वानों के ही लिखे हुए होते हैं। शब्दार्थी वह कहलाती है जिसमें किसी एक विषय या ग्रन्थ से सम्बन्ध रखनेवाले कठिन शब्दों के अर्थ मात्र होते हैं। इनमें शब्दों का

वैसा विस्तृत विवेचन नहीं होता, जैसा शब्द-कोशो में होता है। शब्दावली भी बहुत कुछ वही है जो शब्दार्थी है, पर शब्दावली के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें अर्थ भी हो ही। किसी विषय या किसी क्षेत्र में प्रयुक्त होने-वाले सब अथवा विशिष्ट शब्दों का संग्रह या समूह ही शब्दावली कहलाता है। हम कहते हैं—बच्चों की शब्दावली बहुत परिमित होती है। अर्थात् बच्चों को बहुत थोड़े शब्दों का ज्ञान होता है। किसी विशिष्ट विषय की शब्दावली ही शब्द-माला भी कहलाती है। हमारे यहाँ सस्कृत के प्राचीन कोशो में शब्द-संग्रह के अनेक प्रकार के क्रम होते थे, पर आच-कल कोश और उसके वर्ग की सभी रचनाएँ पाश्चात्य कोशो के ढग पर प्रायः अक्षर-क्रम से ही प्रस्तुत की जाती हैं। शब्द-कोश बनाने का काम कोश रचना कहलाता है। इसमें सभी तरह के कोश, शब्दावलियाँ आदि बनाने का काम आ जाता है। कोश कला वह विद्या या शास्त्र है जिसमें इस बात का विवेचन होता है कि सब प्रकार के कोश किस तरह और किन सिद्धान्तों के आधार पर बनाये जाते हैं, उनमें किस तरह की बातों का किस ढग से विवेचन तथा समावेश होना चाहिए, और उनके प्रकार तथा रूप आदि कैसे होने चाहिए।

गणन (Counting)

आकलन (Estimation)	परिकलन (Calculation)
अनुगणन (Reckoning)	परिगणन (Enumeration)
अभिकलन (Computation)	मत-गणन (Telling)
गिनना, गिनती करना=गणन	संख्यान (Numbering)

गणन वह क्रिया है जिससे यह जाना जाता है कि हमारे सामने जो चीजें हैं, वे संख्या के विचार से कितनी हैं—दो है, चार है, दस है या सौ हैं। यह काम

१, २, ३, ४ की गिनतीवाली साधारण और सीधी क्रिया से होता है। मान या सख्या जानने के लिए गिनती करना या गिनना ही गणन है। घड़ी देखने पर घटे, मिनट आदि गिनकर ही ठीक समय जाना जाता है, और महीने की तिथियाँ या तारीखें भी गणन से या गिनकर ही निश्चित की जाती हैं। इसी गणन से हम बतलाते हैं कि आज हमारे पास चार चिट्ठियाँ आई या हमारी मेज पर दो कलमे और पाँच पुस्तकें पड़ी हैं। आगे बढ़ने पर जब गणन का यह काम बहुत बड़ा होता या साधारण गिनती के क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तब हमें जल्दी और सुभीते के विचार से गणित की कुछ जटिल परन्तु निश्चित क्रियाओं (जोड़, बाकी, गुणा और भाग) की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसी क्रियाओं की सहायता से जो गणन किया जाता है, वही परिकलन कहलाता है। यदि प्रश्न हो कि १२) मन के हिसाब से ३६० मन गेहूँ का दाम कितना होगा, १॥=) रोज के हिसाब से २२ आदमियों की १७ दिन की मजदूरी कितनी होगी या ॥) सैकड़ों के हिसाब से २६००) का डेढ़ वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इन प्रश्नों के उत्तर साधारण गणन के द्वारा सहज में और जल्दी नहीं जाने जा सकते। इसके लिए हमें गणित की कुछ विशिष्ट क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार जो हिसाब किया जाता अथवा मान, सख्या आदि का जो पता लगाया जाता है, वही परिकलन कहलाता है। बीज गणित के प्रश्न का उत्तर तो सदा परिकलन से ही निकाला जाता है, गणन से वह किसी प्रकार निकल ही नहीं सकता। ज्यौतिषी परिकलन के द्वारा ही यह बतलाते हैं कि अगले वर्ष कब, किस ग्रह का उदय या अस्त होगा, अथवा कब और किन-किन समयों पर चन्द्र-ग्रहण अथवा सूर्य-ग्रहण होगा। भावी घटनाओं और उनके हो सकनेवाले परिणामों का बहुत-कुछ ठीक लेखा तैयार करना भी परिकलन ही है। व्यापारी लोग पहले से यह परिकलन कर लेते हैं कि अमुक वस्तु के व्यापार में हमें इस समय कितना लाभ या घाटा हो सकता है। कुछ अवस्थाओं में जब परिकलन के काम में दूसरी या बाहरी घटनाओं अथवा पहले से निश्चित किये हुए सिद्धान्तों, जाने हुए तथ्यों और प्राप्त अनुभवों से भी सहायता ली जाती है, तब परिकलन का यह प्रकार अभिकलन कहलाता है। इतिहास और पुरातत्त्व के ज्ञाता प्रायः अभिकलन के द्वारा ही ऐसी घटनाओं,

व्यक्तियों आदि का समय निश्चित करते हैं, जिनका ठीक समय परिकलन से नहीं जाना जा सकता। ज्योतिष में प्रायः ग्रहों आदि की स्थिति का ध्यान रखकर और पहले के निश्चित किये हुए मतों और सिद्धान्तों के आधार पर यह भविष्यद् वाणी की जाती है कि अमुक समय पर आँधियाँ आवेगी या भूकम्प होगा अथवा इस वर्ष अधिक वर्षा होगी या कम। यह भी अभिकलन ही है। परिकलन और अभिकलन में मुख्य अन्तर यह है कि गणित के क्षेत्र में परिकलन से निकाला हुआ निष्कर्ष या फल तो सदा बिलकुल ठीक और निश्चित होता है, पर अभिकलन से निकाले हुए निष्कर्ष या फल में कुछ भूलें भी हो सकती हैं या कुछ बातें कम या अधिक भी हो सकती हैं। कारण यही है कि परिकलन तो गणित की पक्की क्रियाओं से होता है, पर अभिकलन में उन क्रियाओं के सिवा अपने अनुभव या कल्पना और दूसरों के ऐसे मतों से भी सहायता ली जाती है, जो विवादास्पद हो सकते हैं। कुछ अवस्थाओं में सम्भावनाओं आदि का ध्यान रखते हुए और प्रायः कल्पनाओं के आधार पर किसी भावी काम या बात के सम्बन्ध में पहले से ही जो आनुमानिक गणना करनी पड़ती है, उसे आकलन कहते हैं। यदि नया घर बनवाने से पहले हम यह जानना चाहे कि इतना लम्बा, इतना चौड़ा और इतना ऊँचा घर बनवाने में कितनी ईंटें, कितने पत्थर और कितनी कड़ियाँ या धरने लगोगी, कितने राज-मजदूर रखने पड़ेंगे, और इन सब कामों में कितनी कितनी लागत आवेगी, या घर में लडके या लडकी का ब्याह निश्चित होने पर यदि हम यह जानना चाहे कि हमें कितने रुपये के कपड़े और गहने बनवाने पड़ेंगे और मित्रों तथा बिरादरीवालों के भोज में कितना व्यय करना पड़ेगा तो इसके लिए भी हमें परिकलन तो करना पड़ेगा, पर वह बहुत-कुछ अनुमान से ही होगा। इसी आनुमानिक परिकलन का पारिभाषिक नाम आकलन है। बहुत-से छोटे-मोटे काम ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध में मोटे हिसाब से हमें मन ही मन कुछ साधारण परिकलन करना पड़ता है। जैसे—धोबी को देने के लिए कपड़ों की धुलाई या ग्वाले को देने के लिए महीने भर के दूध का दाम या खरीदी हुई तरकारियों और मिठाइयों के दाम। ऐसी साधारण बातों का हिसाब जबानी या मन ही मन लगा लिया जाता है। गणन और परिकलन के ऐसे छोटे-मोटे

और मन ही मन किये जानेवाले काम अनुगणन कहलाते हैं। छोटे बालकों को पाठशालाओं में मौखिक गणित के नाम से जो बातें सिखाई जाती हैं या नित्य-प्रति के लौकिक और सामाजिक व्यवहारों का जो बहुत-सा हिसाब, बिना कागज पर लिखे, यो ही जबानी लगाया जाता है, वही अनुगणन है। आज-कल के बढ़ते और बदलते हुए आर्थिक तथा व्यापारिक व्यवहारों और लेन-देन की प्रणालियों के कारण अनुगणन के बहुत-से काम भी इतने श्रम-साध्य और जटिल हो गये हैं कि वे तुरन्त जबानी या मन ही मन नहीं लगाये जा सकते और उनमें विशेष परिकलन से सहायता लेनी पड़ती है। इसी लिए अबग्रन्थों के रूप में प्रस्तुत अनुगणक (Ready Reckoners) बनने लगे हैं, जिनमें जटिल अनुगणनों के फल दिये रहते हैं। जैसे—यदि हम जानना चाहे कि $||| \approx |||$ सैकड़ों के हिसाब से १६५) का ४२ दिनों का कितना सूद होगा * या १७०) मासिक वेतन पानेवाले कर्मचारी का २३ दिनों का वेतन उन दशाश्रुओं में अलग-अलग कितना होगा, जब कि महीना २८ दिनों का हो, २९ दिनों का हो, ३० दिनों का हो और ३१ दिनों का हो, तो परिकलन की सहायता से ऐसे प्रश्नों का निकाला हुआ ठीक फल हमें ऐसे अनुगणकों में सहज में मिल जायगा। यद्यपि ऐसे जटिल प्रश्नों के उत्तर बहुत पेचीले परिकलनों के द्वारा ही निकाले जाते हैं, तो भी चली आई हुई प्रथा के अनुसार इनकी गणना अनुगणन में ही होती है†।

✽ भारतीय महाजनी प्रणाली से बही-खाते का काम करनेवाले मुनीम सूद या ब्याज के ऐसे पेचीले हिसाब अब भी जबानी लगाते हैं।

† अंग्रेजी के Counting, Calculation, Computation और Reckoning का गणित के क्षेत्र के सिवा लाक्षणिक रूप में साधारण लौकिक व्यवहारों और नित्य की बोल-चाल में भी प्रायः प्रयोग होता है। जैसे—To count a person for nothing. To calculate on an undertaking or enterprise. To compute the amount of any mischief done. To reckon on a promised pleasure. आदि। हिन्दी में भी आकलन, अभिकलन, परि-

जितनी चीजे सामने हो, उन सब को अलग अलग और एक एक करके गिनना-गिनाना या लिखना-लिखाना परिगणन कहलाता है। पुस्तकालयों में पुस्तकों का परिगणन होता है, और देश की जन-संख्या जानने के लिए राज्ज स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों आदि का और पशु-संख्या जानने के लिए गौश्रो, घोड़ों, बैलो आदि का परिगणन कराते हैं। जन-संख्या के परिगणन मे लोगों की उमर, जाति, भाषा, व्यवसाय आदि का भी ब्योरा रहता है। इस प्रकार का परिगणन करने के लिए जो लोग नियुक्त होते हैं, उन्हें परिगणक (Enumerator) कहते हैं। वस्तुश्रो पर उनकी क्रम-संख्या अंकित करना संख्यान कहलाता है। अकबर के समय सेना के घोड़ो का ऐसा संख्यान हुआ था। बडे बडे विद्यालयो की मेज-कुरसियों और अलमारियों का भी संख्यान होता है— उन पर १, १, ३ करके क्रमात् अक लगाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि कुल चीजे कितनी और कहाँ हैं। मत-गणन हमारे लोक तत्री जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र में व्यवहृत होनेवाला शब्द है। जब किसी विषय के पक्ष और विपक्ष मे बहुत-से लोगो के मत लिये जाते हैं, तब इस बात की गिनती करनी पडती है कि किसी विचारणीय प्रश्न के पक्ष मे कितने मत आये और विपक्ष मे कितने। मतों की यही गणना मत-गणन है। इस काम के लिए जो व्यक्ति नियत या नियुक्त किये जाते हैं, वे मत-गणक (Tellers) कहलाते हैं। वे ही मत-गणन का फल उपयुक्त

कलन, अनुगणन आदि का ऐसा ही प्रयोग हो सकता है। हम यह तो कहते ही है—वह किसी को कुछ नहीं गिनता (अर्थात् किसी का महत्त्व नहीं मानता), पर हम यह भी कह सकते है—इस दुर्घटना से होनेवाली हानि का अभिफलन नहीं हो सकता, जीवन की नश्चरता पर विश्वास रखनेवाले कभी यह परिकलन नहीं करते कि कल या महीने भर बाद क्या होगा, ना-समझ लोग ऐसे लाभो का भी अनुगणन करते लगते है, जिन का घटित होना बहुत कुछ अनिश्चित होता है, आदि। और इस प्रकार हम हिन्दी को भी अँगरेजी की भाव-व्यजन प्रणाली के बहुत कुछ पास पहुँचा सकते हैं।

अधिकारियों को बतलाते हैं; और तब उन अधिकारियों के द्वारा सम्बद्ध लोगों को मत-गणन के परिणाम की सूचना मिलती है।

गहन (Recondite)

अचिन्तनीय=अचिन्त्य

दीक्षणीय (Esoteric)

अबोध्य (Incomprehensible)

दुरूह (Abstruse)

अव्याख्येय (Inexplicable)

दुर्बोध=दुरूह

गूह्य (१. Esoteric २. Mystical)

रहस्यमय (Mysterious)

गूढ़=गहन

इन विशेषणों का प्रयोग ऐसी बातों या विषयों के सम्बन्ध में होता है जो या तो साधारणतः सब लोगों की समझ में न आ सकती हों या सब लोगों के जानने-समझने के योग्य न हों। गहन या गूढ़ उसे कहते हैं जिसे साधारण मनुष्य के लिए समझ सकना बहुत कठिन हो। ऐसी बातें कुछ तो इतनी जटिल और पेचीली होती हैं कि उन्हें साधारण बुद्धि या योग्यतावाले लोग समझ ही नहीं सकते—उन्हें समझने के लिए विशेष ज्ञान और प्रयत्न की आवश्यकता होती है; और कुछ ऐसी भी होती हैं कि जन-साधारण के नित्य के प्रयोग या व्यवहार में नहीं आती। ऐसे विषय प्रायः विशिष्ट अध्ययन, अनुशीलन, शोध आदि की अपेक्षा रखते हैं। विधिक क्षेत्र की बहुत-सी बातें और वैज्ञानिक क्षेत्रों के बहुत से अनुसन्धान तथा तथ्य प्रायः गहन या गूढ़ होते हैं। अचिन्त्य या अचिन्तनीय वह कहलाता है जिसका चिन्तन या विचार मनुष्य किसी प्रकार कर ही न सकता हो। जैसे—आत्मा या ईश्वर का स्वरूप हमारे लिए अचिन्त्य है। अबोध इनकी तुलना में कुछ हलका है। अबोध वह है जो मनुष्य के लिए बोध-गम्य न हो—उसकी समझ में न आ सकता हो। जैसे—प्रकृति या सृष्टि के

बहुत-से नियम, सिद्धान्त आदि मनुष्य के लिए अबोध्य होते हैं। दुरूह या दुर्बोध उसे कहते हैं, जो समझ में आ तो सकता हो, पर जिसे समझने के लिए बहुत प्रयत्न करना अथवा बुद्धि लगानी पड़ती हो। परीक्षा के प्रश्नपत्रों में कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न या पाठ्य-पुस्तकों में कुछ ऐसे पाठ भी आ जाते हैं, जो साधारण विद्यार्थियों के लिए दुरूह या दुर्बोध होते हैं। अव्याख्येय का साधारण अर्थ तो है—जिसकी व्याख्या न हो सके, पर प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ अपेक्षया कुछ और आगे बढ़ा हुआ है। जब हमारा कोई मित्र कुछ ऐसा आचरण या व्यवहार कर बैठता है, जो हमारे लिए आश्चर्यजनक और विलक्षण होने के सिवा कुछ ऐसा बेढगा भी होता है कि उसका उद्देश्य, कारण या सिर-पैर कुछ भी हमारी समझ में नहीं आता, तब हम कहते हैं—उसका यह आचरण या व्यवहार हमारे लिए बिलकुल अव्याख्येय हो रहा है। आशय यही होता है कि हमारी समझ में ही नहीं आता कि उसने ऐसा बेढग या विकृत काम क्यों अथवा कैसे कर डाला। गुह्य और रहस्यमय प्रायः एक वर्ग के शब्द हैं। गुह्य भी अपने पहले या मौलिक अर्थ में बहुत कुछ वही है जो गुप्त (दे०—गुप्त) है, तो भी अपने दूसरे तथा व्यावहारिक अर्थ में यह गुप्त से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। यह मुख्यतः आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र का शब्द है, और इसका प्रयोग प्रायः ऐसी बातों के सम्बन्ध में होता है जो साधारण व्यक्तियों की समझ से परे की होती या मानी जाती हैं। जिन बातों के लिए विशिष्ट आध्यात्मिक योग्यता, धार्मिक ज्ञान, पात्रता आदि की आवश्यकता होती है, वही गुह्य कहलाती या मानी जाती हैं। धार्मिक क्षेत्रों के गहन रहस्य, तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग, विशिष्ट प्रकार की दीक्षाएँ आदि गुह्य होती हैं। इसमें जान-बूझकर किसी उद्देश्य से कोई-कोई गम्भीर और रहस्यमय चीज, तत्त्व या बात दूसरों से छिपाकर रखने का भाव मुख्य है। इसी का वह अर्थ दीक्षणीय कहलाता है जो या तो धार्मिक दृष्टि से या साम्प्रदायिक नियमों तथा बन्धनों के विचार से लोगों को उसी दशा में दीक्षा के रूप में बतलाया जाता है, जब वे उसके लिए उपयुक्त पात्र समझे जाते अथवा सम्प्रदाय में अन्तर्मुक्त किये जाते हैं। गायत्री का मन्त्र दीक्षणीय ही होता है—नियमत उसका उपदेश गुरु ही शिष्य को (और वह भी किसी विशिष्ट अवसर पर तथा

नियत विधानों के साथ) करता या कर सकता है । पाश्चात्य देशों में फ्री मैसन् सम्प्रदाय की और हमारे यहाँ राधा-स्वामी तथा वाम-मार्गी सम्प्रदायों की बहुत-सी बातें दीक्षाणीय होती हैं, क्योंकि वे उन्हीं लोगों को बतलाई जाती हैं जो दीक्षा ग्रहण करके इन सम्प्रदायों में अन्तर्भुक्त होते हैं । रहस्य का साधारण अर्थ है—ऐसा गूढ तत्त्व या गुप्त भेद जो कुछ विशिष्ट लोग ही जानते या जान सकते हों—सब लोगों की जिन तक पहुँच न हो सकती हो । इस विशिष्टता से युक्त बात ही रहस्यमय कहलाती है । साधारणतः लोक-व्यवहार में इसका प्रयोग ऐसी बातों के सम्बन्ध में होता है जिन्हें लोग बहुत प्रयत्न करने पर भी सोच-समझ न सकते हों अथवा जो उनकी कल्पना और बुद्धि के क्षेत्र से बाहर हों । ऐसी बातें प्रायः आश्चर्य-जनक और विलक्षण होती हैं, और इनका वास्तविक रूप जानने के लिए लोगों के मन में कुतूहल होता है । प्राकृतिक नियम, विधि के विधान आदि तो रहस्यमय होते ही हैं, आज-काल के टग, धूर्त और हत्यारे भी अपने बहुत-से काम ऐसे रहस्यमय ढंग से करते हैं कि किसी को यह पता ही नहीं लगने पाता कि यह काम किसने, कब और कैसे किया । इसमें गुप्तता, दुरुहता और विलक्षणता का अद्भुत सम्मिश्रण होता है । (दे०—गुप्त)

गुप्त (Secret)

अंतर्गत (Included)

निहित (Latent)

अंतर्निष्ठ (Inherent)

विवक्षित (Implied)

अंतर्भुक्त = अंतर्गत

सुप्त (Dormant)

गुप्त वह है जो या तो स्वयं किसी प्रकार छिपा हो या जान-बूझकर औरों से छिपाया गया हो । यह अच्छे उद्देश्य से भी और बुरे उद्देश्य से भी छिपाया जा सकता है । प्रयोग की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है ।

गुप्त परामर्श भी हो सकता है, मार्ग भी और सन्धि भी। अपराध प्रायः गुप्त रूप से ही किये जाते हैं, और जब तक हम अपने गुण या विचार दूसरों पर प्रकट न करें, तब तक वे गुप्त ही रहते हैं। इसमें मुख्य भाव यही है कि लोग जान या समझ न सके, उससे परिचित न हों या ने होने पावे। अन्तर्गत या अन्तर्भुक्त वह है जो किसी दूसरे के पेटे में आ चुका हो अथवा नियमित रूप से उसमें रहता हो। अन्तर्गत या अन्तर्भुक्त वही होता है जो किसी के साथ उसके अंग के रूप में या अधीनस्थ भाव से मिला हुआ हो या मिला रहता हो। यह प्रायः व्यक्त अथवा स्पष्ट रूप से रहता है, इसमें गोपन या दुराव का कोई भाव नहीं होता। छिपकली सरीसृप वर्ग के अन्तर्गत है, और यात्रा-व्यय के अन्तर्गत रेल आदि सवारियाँ का भाड़ा, कुली की मजदूरी, जल-पान और भोजन का खर्च सभी आ जाते हैं। यहाँ तक तो अन्तर्गत और अन्तर्भुक्त एक ही हैं, पर इससे आगे कुछ प्रसंगों में इनमें एक सूक्ष्म अन्तर भी हो जाता है। अन्तर्गत तो साधारणतः नियमित या स्वाभाविक रूप से किसी के पेटे में रहता है, पर अन्तर्भुक्त इसके सिवा किसी विशिष्ट क्रिया के द्वारा भी कर लिया जाता है—यह किसी करण (कर्त्ता) के प्रयत्न का फल भी हो सकता है। जैसे—सिक्कों का अन्त करके अंगरेजों ने पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में अन्तर्भुक्त कर लिया। यदि उक्त उदाहरण में करण (कर्त्ता) का प्रसंग न रहे, तो हम कहेंगे—पंजाब भी ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत हो गया। अन्तर्निष्ठ वह कहलाता है जो सदा नियमित या स्वाभाविक रूप से किसी के अन्तर्गत रहने पर भी प्रायः गुप्त ही रहता हो, और केवल कुछ विशिष्ट अवसरों पर या प्रसंगों में ही प्रकट होता या सामने आता हो। यह किसी वस्तु में इतनी गहराई में और इतनी दृढ़ता से स्थित रहता है कि प्रायः उसका गुण, तत्त्व या स्वभाव बन जाता है। मानव मन में दया, प्रेम, सहानुभूति आदि गुण सदा अन्तर्निष्ठ रहते हैं, भले ही वे सब अवसरों पर प्रकट न होते हो या अपना काम न करते हो। राज्य या शासन में प्रायः सभी प्रकार के अधिकार अन्तर्निष्ठ होते हैं, भले ही विधिक या वैधानिक नियन्त्रणों के कारण हर समय उनका उपयोग न हो सकता हो। निहित का साधारण अर्थ है—छिपा हुआ। पर इसका प्रयोग ऐसे तत्त्वों या बातों के सम्बन्ध में होता है जो किसी दूसरी चीज या तत्त्व में रहती

तो हैं, पर स्वतः अपने आपको प्रकट या व्यक्त नहीं करती। जब तक कोई चीज किसी दूसरी चीज के अन्दर रहने पर भी ऊपर या सामने नहीं आती, तब तक वह निहित कहलाती है। हाँ, उपयुक्त परिस्थितियों में वह आपसे आप सामने आ भी जाती है। 'धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया' का आशय यही है कि धर्म का तत्त्व स्वयं तो छिपा रहता है, हाँ उसके पास पहुँचकर हम उसे जान सकते और यदि चाहें तो दूसरो पर उसे प्रकट भी कर सकते हैं। क्षय रोग के कीटाणु किसी शरीर में प्रविष्ट होने पर भी तब तक निहित ही रहते हैं, जब तक वे रोग के रूप में अपना अस्तित्व प्रकट नहीं करते। सुप्त का साधारण अर्थ है—निद्रित या सोया हुआ, पर प्रस्तुत प्रसंग में इसका कुछ विशिष्ट अर्थ है। कुछ तत्त्व या बातें ऐसी होती हैं जो कभी तो सक्रिय रहती हैं और कभी अक्रिय रहती या हो जाती हैं। जब तक वे अक्रिय रहती हैं (अपना कार्य नहीं करती), तब तक वे वैज्ञानिक क्षेत्रों में सुप्त मानी जाती हैं। इसके विपरीत जब वे (उठ या उभड़कर) अपनी क्रिया करने लगती हैं, तब उन्हें जाग्रत कहते हैं। ऊपर निहित के प्रसंग में क्षय रोग के कीटाणुओं का जो उदाहरण दिया गया है, उसे फिर से ध्यान में लाने पर निहित और सुप्त का अन्तर सहज में जाना जा सकता है। वे कीटाणु शरीर में प्रविष्ट होने पर कभी तो कुछ समय तक अक्रिय रहते हैं और कभी तत्काल या कुछ दिनों बाद सक्रिय होकर अपना नाशक कार्य आरम्भ कर देते हैं। जब तक वे चुपचाप और अक्रिय पड़े रहते हैं, तब तक वे सुप्त कहलाते हैं, और सक्रिय होने पर जाग्रत कहे जाते हैं। पर दोनों दशाओं में वे शरीर में निहित रहते हैं। जब शरीर उनके कारण रोग-ग्रस्त हो जाता है, तब उन्हें इस दृष्टि से निहित नहीं कहा जा सकता कि उनका नाशक प्रभाव स्पष्ट लक्षणों के रूप में सामने आ जाता है। विवक्षित का साधारण अर्थ है—ऐसी बात जो कही जाने को हो या जिसे कहकर प्रकट करने का मन में विचार हो। पर प्रस्तुत प्रसंग में विवक्षित का प्रयोग सदा किसी कथन के ऐसे अर्थ, आशय या भाव के सम्बन्ध में होता है जो उस कथन से तो प्रकट नहीं होता, फिर भी जो ध्वनि या संकेत के रूप में उससे निकलता या निकल सकता है। विवक्षित अर्थ या आशय ऐसा भी हो सकता है जिससे स्वयं लेखक या वक्ता अनभिज्ञ हो, और ऐसा भी हो सकता है जो

पाठकों या श्रोताओं के ध्यान में न आया हो* । पर ऐसा अर्थ या आशय उस कथन या लेख के शब्दों में निहित अवश्य रहता है ।

ग्रामीण

ग्रामी

ग्राम्य (Rural)

जंगली=वन्य

देहाती

पालतू (Domesticated)

वन्य (Wild)

ग्रामी, ग्रामीण और ग्राम्य (विपर्याय—नागर) तीनों शब्द स० ग्राम (= गाँव) से बने हुए या उसके विकारी रूप हैं । सस्कृत में ये तीनों शब्द विशेषण रूप में भी प्रचलित हैं और सज्ञा रूप में भी । विशेषण रूप में इनका अर्थ होता है—ग्राम या गाँव से सम्बन्ध रखने या उसमें होनेवाला, और सज्ञा रूप में अर्थ होता है—ग्राम या गाँव में रहने या निवास करनेवाला व्यक्ति । इनमें से ग्रामी हिन्दी में प्रचलित नहीं है, पर ग्रामीण और ग्राम्य दोनों प्रचलित हैं । सस्कृत में ये दोनों शब्द विशेषण रूप में भी चलते हैं और सज्ञा रूप में भी । पर हिन्दी में प्रायः ग्रामीण का प्रयोग सज्ञा रूप में और ग्राम्य का प्रयोग विशेषण रूप में ही देखने में आता है, और प्रशस्तता तथा स्पष्टता के विचार से ऐसा ही होना भी चाहिए । ग्रामीण का अर्थ 'गाँव में रहनेवाला व्यक्ति' होना

* जब पाठक या श्रोता वह विवक्षित अर्थ या आशय जान या समझ लेते हैं, और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तब इस प्रकार निकाला हुआ निष्कर्ष या स्थिर किया हुआ मत पारिभाषिक क्षेत्र में अध्याहरण (Inference) कहलाता है । पर यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा अध्याहरण सदा ठीक ही हो ।

चाहिए, और ग्राम्य का अर्थ 'गाँव से सम्बन्ध रखनेवाला या उसमें होनेवाला' ही रहना चाहिए। संस्कृत में भी ग्राम्य शब्द अधिकतर विशेषण रूप में ही प्रचलित है। वहाँ यह शब्द वन्य का विपर्याय भी माना जाता है*। यह वन्य वही है, जो हिन्दी का जगली है और जिसका हिन्दी विपर्याय पालतू है। जिस तरह हिन्दी में जानवरों के जगली और पालतू दो भेद होते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी पशुओं के वन्य और ग्राम्य दो भेद होते हैं, जैसे वन्य शूकर और ग्राम्य शूकर। पेड़-पौधों में से भी जो जंगल में आपसे आप पैदा होते हैं, संस्कृत में वन्य (हि० जगली) कहलाते हैं, और जो जोत-बोकर तैयार किये जाते हैं, वे ग्राम्य कहलाते हैं। इसके सिवा ग्राम्य का एक अर्थ अशिष्ट या अश्लील भी होता है, जैसे ग्राम्य भाषा या शब्दों का प्रयोग। ग्रामीण का प्रयोग प्रायः इन अर्थों में नहीं होता, और इस आधार पर भी ग्रामीण का प्रयोग सज्ञा रूप में और ग्राम्य का प्रयोग विशेषण रूप में ही करना समीचीन जान पड़ता है। इससे भाषा में वह गड़बड़ी नहीं होने पावेगी, जो दोनों शब्दों का सज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग करने से होती या हो सकती है। हि० का देहाती शब्द सज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में चलता है। गाँव या देहाती में रहनेवाला आदमी भी देहाती (हि० ग्रामीण) कहलाता है, और देहात से सम्बन्ध रखनेवाली या उसमें होनेवाली चीजें या बातें भी देहाती कहलाती हैं, जैसे—देहाती बोल चाल, देहाती पहनावा या रंग ढग आदि।

‡ प्राचीन भारत में सारी बस्ती प्रायः गाँवों में ही होती थी, इसलिए 'ग्राम्य' का विपर्याय 'वन्य' ही था। पर जब बड़े-बड़े गाँव बढकर नगरों के रूप में आने लगे, तब 'ग्राम्य' का दूसरा विपर्याय 'नागर' और 'ग्रामीण' का दूसरा विपर्याय 'नागरिक' भी बन गया।

† देहात वस्तुतः फारसी देह = गाँव का बहुवचन रूप है।

चन्दा (Subscription)

अंश-दान=सहांश

दत्त (Donation)

बेहरी=चन्दा (परिमित अर्थ में)

सहांश (Contribution)

चन्दा शब्द हिन्दी में फारसी से आया है, जहाँ उसका शुद्ध रूप चन्द है। यह चन्द (हि० चन्दा) उस फारसी चन्द से बना है, जिसका अर्थ है—कतिपय, कुछ या थोड़े-से। मूलतः किसी उपयोगी सार्वजनिक काम के लिए कुछ लोगों से जो थोड़ा थोड़ा धन माँगकर लिया जाता था, वही चन्द या चन्दा कहलाता था। आशय होता था—कुछ लोगों से दान के रूप में लिया हुआ धन। इसके लिए हमारे यहाँ का पुराना शब्द बेहरी है जो अब तक पूर्वी क्षेत्रों में इसी अर्थ में बोला जाता है। होली आदि के अवसरों पर अथवा महल्ले में किसी गरीब के यहाँ विवाह, मृत्यु आदि व्यय-साध्य काम आ पडने पर आस-पास के लोगों से जो थोड़ा थोड़ा धन माँगा जाता है, उसे आज तक बेहरी कहते हैं, और इसके साथ उतारना और माँगना क्रियाओं का प्रयोग होता है। पर अब यह शब्द मरता हुआ जान पड़ता है और इसका स्थान अधिक व्यापक अर्थवाला चन्दा शब्द ले रहा है। आज-कल चन्दा प्रायः दो तरह का होता है। एक तो वह जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है और जो सदा एक-कालिक या अनावर्त्तक होता है, और दूसरा वह जो नियत-कालिक या आवर्त्तक होता है। बड़े और बहुत दिनों तक चलनेवाले उपयोगी सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रायः लोग कुछ मासिक या वार्षिक चन्दा भी बाँध देते हैं। यही चन्दे का नियत-कालिक या आवर्त्तक रूप है। सभा सस्थाएँ प्रायः अपने सदस्यों से इसी प्रकार का चन्दा लेती हैं। इसी से आगे बटकर इसमें उस मूल्य का भी समावेश कर लिया गया है जो सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने रयायी प्राहकों से प्रायः प्रति वर्ष लिया करती हैं। दत्त यों तो विशेषण ही है जिसका अर्थ है—दान किया हुआ अथवा दिया हुआ। सज्ञा रूप में यह दिये हुए धन के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है। साधारणतः दत्त भी वही है जो चन्दा है, पर चन्दे की अपेक्षा इसमें कुछ विशिष्टताएँ हैं। चन्दे में एक तो सार्वजनिक भाव मुख्य है, दूसरे उससे धन-राशि की अल्पता भी सूचित होता है। इसके विपरीत दत्त का

स्वरूप बहुत-कुछ वैयक्तिक होता है और उसमें धन-राशि भी अपेक्षा अधिक होती है। इन्हीं दृष्टियों से इसका उल्लेख भी विशिष्ट रूप से होता है। किसी काम में बहुत-से लोग दो-दो, चार-चार रुपये करके जो आर्थिक सहायता देते हैं, उसकी गिनती तो चन्दे में होती है, पर यदि उसी काम के लिए कोई बड़ा आदमी हजार दो हजार रुपये दे तो उसका यह चन्दा दान या दत्त कहा जायगा। सस्थाओं को जो चन्दे या दत्त मिलते हैं, उनमें इन शब्दों के पक्ष में स्वयं उस सस्था की दृष्टि या विचार प्रधान होता है, पर सहाश (स० सह + अश) का प्रयोग चन्दे और दत्त दोनों के सम्बन्ध में दाता की दृष्टि या विचार से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो चन्दा या दत्त देता है, वह उसका अंश-दान या सहाश कहलाता है। कुछ अवसरों पर इस शब्द का कुछ और विस्तृत अर्थ में भी प्रयोग होता है। यदि किसी पत्रिका या पुस्तक में आपका कोई महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित या सम्मिलित कर लिया जाय तो वह आप का सहाश कहा जायगा, और यदि आप किसी शुभ कार्य में सम्मिलित और सहायक होकर कुछ परिश्रमपूर्ण और महत्त्व का कार्य या सेवा करें तो उसकी गिनती भी आपके अंश-दान या सहाश में ही होगी।

— — —

चरित्र (Character)

आचरित=जीवक

शील (Modesty)

जीवक (Career)

स्वभाव (१ Temper,

प्रकृति (Nature)

२. Temperament)

व्यक्तित्व (१. Individuality,

२ Personality)

चरित्र हमारे जीवन में होनेवाले सभी प्रकार के कार्यों और आचार-व्यवहारों का सामूहिक रूप है, और हमारे सभी गुण-दोषों का सूत्रक है। यह हमारी प्रकृति,

शील, स्वभाव, आचार-विचार, रहन-सहन आदि से बनता तथा हमारा व्यक्तित्व बनाता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र यह बतलाता है कि वह सभी दृष्टियों से वास्तव में कैसा है। यह उसका सच्चा चित्र होता है। इसमें प्राकृतिक या समाजिक गुणों और विशेषताओं का भी और अर्जित योग्यताओं तथा क्रिया-कलापों का भी अन्तर्भाव होता है। पर लोगो का वास्तविक या सच्चा रूप सदा सबके सामने नहीं आता, इसलिए प्रायः ऐसा भी होता है कि जिसे हम अच्छे चरित्रवाला समझते हों, वह वास्तव में हीन चरित्रवाला भी हो सकता है, और इसके प्रतिक्रमात् भी। आचरित का पहला अर्थ है—जिसका आचरण किया गया हो अथवा जो आचरण के रूप में आया हो चुका हो। इसका एक पुराना अर्थ आचरण या व्यवहार भी है। जीवक (विशेषण) का पुराना अर्थ है—जो जीवित हो या जी रहा हो। सच्चा रूप में इसका एक और पुराना अर्थ है—जीवन-निर्वाह का उपाय। इसी अर्थ में इसका स्त्री-लिंग रूप जीविका हिन्दी में बहुत प्रचलित है। पर अब जीवक शब्द में एक नया विशिष्ट अर्थ लगाया जा रहा है। अपने जीवन-काल में मनुष्य निरन्तर जो अच्छे और विशिष्ट कार्य करता रहता है, उन सबका सम्मिलित रूप उसका जीवक होता है। उसमें अब तक के किये हुए कामों का भी अन्तर्भाव होता है, और उस भविष्य का भी, जिसमें आगे चलकर उसके इसी तरह काम करते रहनेकी सम्भावना होती है। हम कहते हैं—उनका अब तक का जीवक सब प्रकार से प्रशंसनीय रहा है। आशय यही होता है कि अब तक के उनके सभी आचरण और व्यवहार अच्छे रहे हैं। पर जब हम कहते हैं—(क) 'उन्होंने एक छोटी-सी भूल करके अपना सारा जीवक बिगाड़ लिया।' अथवा (ख) 'इस नवयुवक को साधारण अपराध क

❧ इसी भविष्य के विचार से हमने अँगरेजी के केरियर (Career) के लिए जीवक शब्द स्थिर किया है। एक सुयोग्य मित्र का सुझाया हुआ आचरित शब्द हम इसलिए ठीक नहीं समझते कि वह मुख्यतः आचरण का भूत-कृदन्त रूप है, इसी लिए उसकी आर्थी सीमा में भविष्य का अन्तर्भाव करना ठीक न होगा।

लिए कठोर दंड देना इसका सारा जीवक बिगाडना है।' तब हमारी दृष्टि में उसका वह भावी जीवन भी रहता है जिसमें वह आगे चलकर कुछ अच्छे काम कर सकता है या अच्छी तरह रहकर जीवन बिता सकता है। व्यक्तित्व वास्तव में व्यक्ति का भाव-वाचक रूप है, और मनुष्य के उन सभी प्राकृतिक तथा अर्जित गुणों, विशेषताओं आदि का सूचक है जिनके सामूहिक रूप में उसकी स्पष्ट और स्वतंत्र सत्ता सबके सामने रहती है। हम कहते हैं—बहुत-से छोटे-मोटे काम तो वे अपने व्यक्तित्व के बल पर ही बहुत सहज में (या बात की बात में) कर डालते थे। इसका आशय यही होता है कि उनमें जो गुण या विशेषताएँ थीं, उनके प्रभाव से ही छोटे-मोटे काम आनायास पूरे हो जाते थे, और उन्हें अपने गुणों या विशेषताओं का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। प्रकृति उन सब गुणों और विशेषताओं का सामूहिक रूप है जो मनुष्य में मूलतः जन्म से ही उसके साथ आती और प्रायः एक-सी बनी रहती हैं। शील और स्वभाव साधारणतः एक दूसरे के पर्याय और वाचक माने जाते हैं, फिर भी दोनों में कुछ विशेष अन्तर है। शील वस्तुतः मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व से सम्बद्ध है और बहुधा उसकी कुलीनता का भी परिचायक होता है। अच्छे शील में अच्छे स्वभाव के सिवा और भी अच्छी बातों का अन्तर्भाव होता है, इसी लिए यह मनुष्य की सभी प्रकार की सद्वृत्तियों का सूचक और सद्कार्यों तथा सद्भावनाओं का प्रवर्तक होता है। अच्छा शील मनुष्य को सदा सब तरह की अच्छी बातों की ओर प्रवृत्त करता है, और इसी लिए उसका सब जगह यथेष्ट आदर भी होता है। यह स्थायी भी होता है और सु-निश्चित तथा स्थिर भी। स्वभाव का शब्दार्थ है—अपना भाव। कुछ अवस्थाओं में यह प्रकृति का भी वाचक होता है और कुछ अवस्थाओं में शील का भी। शास्त्रों में इसका प्रकृत रूप स्वभाव और देह-गत या चारित्रिक रूप देह स्वभाव कहलाता है। (दे० 'शिष्टता' के अन्तर्गत 'शील') साधारणतः लोक-व्यवहार में स्वभाव बहुत-कुछ सङ्कुचित या सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह समय-समय पर थोड़ा-बहुत बदल भी सकता और प्रायः बदलता भी रहता है। हम कहते हैं—कष्ट (रोग, वृद्धावस्था आदि) के कारण उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो गया है। अच्छे शीलवाला मनुष्य तो सदा

समाज के लिए परम उपयोगी सिद्ध होता है, पर अच्छे स्वभाववाले मनुष्य के लिए ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। फिर भी अच्छे स्वभाववाला मनुष्य इसलिए सब जगह मान्य हो सकता है कि वह किसी से लडाई-भगडा करना पसन्द नहीं करता। स्वभाव बहुत कुछ अर्जित भी होता है और प्रायः परिस्थितियों से प्रभावित भी। सामने आये हुए कार्य मनुष्य साधारणतः अपने स्वभाव के अनुसार ही अच्छे या बुरे ढंग से करता है। इसके सिवा अच्छे शीलवाला मनुष्य कुछ उग्र या कठोर स्वभाववाला भी हो सकता है, और दुःशील व्यक्ति अच्छे या कोमल स्वभाववाला भी हो सकता है। यही आकर शांति तथा स्वभाव का अन्तर स्पष्ट होता है।

चिन्तनीय

विचारणीय

चिन्तनीय स० चिन्तन से बना हुआ विशेषण है,* जिसका अर्थ है—जो चिन्तन का विषय हो, अर्थात् जिसके सम्बन्ध में चिन्तन करना पड़े। चिन्तन का अर्थ है—किसी चीज या बात के विषय में बार-बार सोचना और मननपूर्वक उसके तथ्य या वास्तविक रूप तक पहुँचना। यदि हमारे सामने कोई ऐसी जटिल समस्या आ जाय, जिसका हम सहज में निराकरण न कर सकें तो वह हमारे लिए चिन्तनीय होगी। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हमें यह सोचना पड़े कि इसके सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात् हमें सोच-विचार कर कुछ स्थिर करना पड़े, तो वह भी चिन्तनीय कहलावेगी।

⊗ कुछ लोग भूल से इसे 'चिन्ता' से बना हुआ विशेषण समझते हैं, और 'चिन्ताजनक' के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। पर ऐसा करना ठीक नहीं है। हिन्दी में चिन्ता और चीज है, चिन्तन और चीज।

इसमें ऐसे सोच-विचार का भाव मुख्य है जो हमें उचित या ठीक निष्पत्ति तक पहुँचने से पहले करना पड़ता है। यदि हमारे सामने कोई ऐसा मत या सिद्धान्त उपस्थित किया जाय, जिसके ठीक होने में हमें सन्देह हो अथवा जिससे हम तत्काल सहमत न हो सकते हों, तो हम कहेंगे—यह बात चिन्तनीय है, अर्थात् इसके सम्बन्ध में हमें अपना मत सोच-समझकर स्थिर करना पड़ेगा। गम्भीरता और मनन के विचार से विचारणीय इसकी अपेक्षा कुछ हलका शब्द है। हमारे सामने कोई ऐसा विषय या बात आती है, जिसमें हमें साधारण रूप से थोड़ा विचार करने की आवश्यकता होती है। पर ऐसा विचार इतना गहन या गम्भीर नहीं होता कि उसके लिए हमें विशेष आयास करना पड़े। यह विचार-कार्य कुछ ऐसा होता है, जिसके हम प्रायः अभ्यस्त होते हैं। न्यायालयों में न्यायाधीशों के सामने अथवा सभा-समितियों में प्रस्तावों आदि के रूप में सदस्यों के सामने प्रायः ऐसे विचारणीय विषय आते रहते हैं, जिन पर उन्हें तत्काल विचार करके अपना मत स्थिर करना पड़ता है, और वे प्रायः सहज में अपना मत स्थिर कर भी लेते हैं। पर इन्हीं विषयों में से कोई ऐसा जटिल विषय भी हो सकता है, जिसके सम्बन्ध में बहुत अधिक विचार का मनन करने की आवश्यकता हो। ऐसा विषय विचारणीय के क्षेत्र से निकलकर चिन्तनीय वाले क्षेत्र में चला जायगा।

चुनाव (? Election & Selection)

अनुकल्प (Alternative)

वरण (Choice)

चयन (Pick)

वरीयता (Preference)

निर्वाचन (Election)

विकल्प (Option)

चुनाव हिन्दी चुनना* से बना है, और चुनना स० चयन से व्युत्पन्न है। चुनने की क्रिया या भाव ही चुनाव है। पर कभी-कभी यह उस वस्तु का भी वाचक हो जाता है, जो पसन्द करके चुनी जाती है। जैसे—यह पुस्तक भी तो आपका ही चुनाव है, अर्थात् इसे आपने ही चुनकर पसन्द किया है। जब हमारे सामने बहुत-सी चीजें या बातें होती हैं, तब उनकी उपयोगिता, विशेषता आदि के विचार से अपने मन के अनुकूल कुछ चीजें पसन्द करके अलग करना या लेना ही चुनाव है। अपने विस्तृत अर्थ में यह प्रायः उस निर्वाचन का भी वाचक होता है जो लोक-तन्त्री नियमों और सिद्धान्तों के अनुसार किसी कार्य या पद के लिए प्रतिनिधि चुनने के समय किया जाता है। चुनाव सब तरह की चीजों का और सब तरह के कामों के लिए हो सकता है। अपने लिए कपड़ों का, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का और कार्यालय में काम करने के लिए कर्मचारियों का चुनाव होता है। पर नगरपालिका, विधान सभा आदि के लिए प्रतिनिधि नियत करने के उद्देश्य से उसके सदस्यों का जो चुनाव है, वह विशिष्ट रूप से निर्वाचन कहलाता है। चुनाव अपना दृच्छा या रुचि के अनुसार होता है, और निर्वाचन चुने जानेवाले व्यक्ति की योग्यता, कार्य-कुशलता आदि के विचार से। चुनाव के लिए प्रायः सख्या, सीमा आदि की बाधा नहीं होती। हम स्वतन्त्रतापूर्वक बहुतों में से एक या अनेक का चुनाव कर सकते हैं, पर निर्वाचन में अनेक प्रकार के बन्धन होते हैं, और उसके लिए हमारे सिवा और भी बहुत-से लोगों के मत की

✽ अंग्रेजी में चुनना के लिए दो शब्द हैं—Choose और Select, और इन दोनों के अर्थों में कुछ सूक्ष्म अन्तर भी माने गये हैं। पर हिन्दी में इन दोनों के लिए एक 'चुनना' शब्द ही प्रचलित है।

अपेक्षा होती या हो सकती है। चयन भी है तो बहुत कुछ वही, जो चुनाव है, फिर भी दोनों में एक सूक्ष्म अन्तर है। चयन सदा वस्तुओं का ही होता है, कार्यों, व्यक्तियों आदि का नहीं। बाग में पहुँचकर हम सुन्दर फूलों का चयन करते हैं, और पत्र-सम्पादक अपने पत्र में देने के लिए दूसरे पत्रों में के सुन्दर लेखों, टिपणियों आदि का। व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रायः चयन का प्रयोग नहीं होता। वरण स० के उस वर से बना है, जिसका अर्थ है—श्रेष्ठ, और वरण का अर्थ होता है—श्रेष्ठ को चुनना। अर्थात् वरण वह है जिसमें बहुत-सी चीजों, बातों या व्यक्तियों में से अपने काम के लिए कोई एक चीज, बात या व्यक्ति (और सब चीजों, बातों या व्यक्तियों से परम श्रेष्ठ समझकर) ग्रहण या निश्चित किया जाय। स्वयंवर में कन्या अपने लिए बहुतों में से किसी एक को पति के रूप में वरण करती है, और युद्ध-क्षेत्र में वीर योद्धा पीठ दिखाने या आत्म-समर्पण करने के बदले हँसते हुए मृत्यु का वरण करते हैं। अर्थात् वरण सदा बहुतों में से किसी एक का और उसे परम उपयुक्त या सर्व-श्रेष्ठ मानकर किया जाता है। वरीयता में भी बहुत कुछ वरण का सिद्धान्त ही काम करता है। फिर भी तात्त्विक दृष्टि से चुनाव या वरण से वरीयता कई बातों में बहुत कुछ भिन्न है। चुनाव या वरण तो अपनी इच्छा या रुचि के अनुसार भी हो सकता है, पर वरीयता में कई प्रकार की बातों का विचार होता है। हम अपने लिए पहले दो अच्छे कपड़ों या पुस्तकों का चुनाव करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि हम उनमें से एक ही कपड़ा या पुस्तक ले या पा सकते हैं, तब हमें उन दोनों में से किसी एक को वरीयता देनी पड़ती है। वरीयता में हमें वस्तुओं के गुण-दोषों का आपेक्षिक विचार करना पड़ता है—यह देखना पड़ता है कि दोनों या बहुतों में से कौन-सी हमारे लिए अच्छी और काम की है। इसमें भी हमारी रुचि या प्रवृत्ति तो काम करती ही है, पर कुछ गौण रूप से। इसके सिवा चुनाव प्रायः अपने अनुभव, ज्ञान आदि के आधार पर किया जाता है, पर वरण और वरीयता दोनों मुख्यतः हमारी अनुभूतियों और मनोभावों पर आश्रित होते हैं और इनमें अनुकूलता, सुभीते आदि का भी विचार होता है। अपने बालक की शिक्षा के लिए पहले हम दो-चार विद्यालय चुन सकते हैं, पर पटाई, आने-जाने के सुभीते आदि के विचार से हमें उनमें से

किसी एक को वरीयता देनी पडती है। अच्छा प्रधान मन्त्री बहुत सोच-समझकर और कार्य-कुशलता, योग्यता आदि के विचार से तथा निष्पक्ष होकर अपने सहायक मन्त्रियों का चुनाव करता है। पर निकम्मा या बे-ईमान प्रधान मन्त्री पक्षपातपूर्वक अपने सगी-साथियों या सगे-सम्बन्धियों को वरीयता देता है। वाक्य-रचना और प्रयोग के विचार से हम यह भी कह सकते हैं कि वरण या तो स्वयं किया जाता है या अपने लिए किया जाता है, पर वरीयता किसी वस्तु या व्यक्ति को दी जाती है। चुनाव सदा बहुतो मे से अच्छे का ही होता है, पर वरीयता बहुत ही परिमित क्षेत्र मे से किसी बुरे को भी मिल सकती है। अनुकल्प और विकल्प* हैं तो बहुत कुछ एक ही प्रकार के शब्द, फिर भी उनमे एक सूक्ष्म अन्तर है। अनुकल्प सदा दो में से कोई एक या किसी एक का होता है। जब हमारे सामने दो बातें होती हैं और उनमे से कोई एक बात हमारे लिए आवश्यक रूप से ग्राह्य होती है या हमें चुननी पडती है, तब दोनो बातें एक दूसरी की अनुकल्प कहलाती हैं। अथवा एक के अभाव में उसके स्थान पर काम दे सकनेवाला दूसरा भी अनुकल्प होता है। अनुकल्प एक प्रकार की विवशता का सूचक है। पर

ॐ अब तक के हिन्दी कोशो मे Alternative और Option दोनों के लिए एक विकल्प शब्द ही आता रहा है। पर यह लेख लिखने के समय जब मुझे इनके लिए दो अलग-अलग शब्दों की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब ढूँढने पर मुझे संस्कृत कोशों में Alternative के लिए अपने यहाँ का पुराना शब्द अनुकल्प मिला, और इसके उदाहरण भी इन रूपों में मिले— यदि कुश न हो तो दूर्वा (मॉनियर विलियम्स) और तडुल न हो तो यव (आष्टे) से काम चल सकता है, अर्थात् इनमें से दूसरे पदार्थ पहले पदार्थ के अनुकल्प हैं।

ॐ यद्यपि अँगरेजी में भी Alternative का ठीक वही आशय लिया जाता है, जो यहाँ अनुकल्प का बतलाया गया है, पर जान पडता है कि Option से उसका इस प्रकार का पार्थक्य इधर हाल में निश्चित हुआ है। फर्नाल्ड ने English Synonyms and Antonyms (पृष्ठ ६०) में

विकल्प एक तो बहुत-सी चीजों के सम्बन्ध में होता है, और दूसरे उसमें हमारे अधिकार, अनुकूलता, रचि आदि का भाव मुख्य होता है। यदि उसमें कभी या कही कुछ विवशता होती भी है, तो वह गौण ही रहती है। आज-काल विद्यार्थियों के सामने किसी परीक्षा के लिए बहुत-से विषय रहते हैं, और वे विकल्प से उनमें से कुछ विषय अपनी पढाई के लिए चुन लेते हैं। हाँ अनुकल्प और विकल्प दोनों में चुनाव के लिए क्षेत्र योडा-बहुत परिमित ही रहता है, चुनाव या वरीयता की तरह विस्तृत नहीं होता।

चेतावनी (Warning)

पूर्व-सावचित्य (Precaution) सावचित्य (Caution)

पूर्व-सूचन (Fore-warning)

ये शब्द इस भाव के सूचक हैं कि आनेवाली जोखिम, सकट, हानि आदि के सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिए। इनमें से चेतावनी विशेष ब्यापक अर्थवाला शब्द है, और हिन्दी चेताना से बना है, जिसका अर्थ है—याद दिलाकर सचेत या सजग करना। यदि आगे चलकर कोई प्रतिकूल या विकट परिस्थिति उत्पन्न होने को हो तो उसके सम्बन्ध में पहले से सावधान करने की क्रिया चेतावनी कहलाती है। यदि रास्ते में ऐसा जगल पडता हो जिसमें शेर या चीते रहते हो या चोर, डाकू, लुटेरे आदि छिपे रहते हो तो उधर से जानेवाले यात्रियों को

वतलाया है कि मिल और ग्लैडस्टन ने Alternative का प्रयोन Option वाले अर्थ में किया है, अर्थात् उसमें दो की सख्यावाला बन्धन नहीं माना है। पर आक्सफर्ड डिक्शनरी से पता चलता है कि अँग्रेजी में सन् १६५० से ही Alternattue में दो में से कोई एक ग्रहण करने का भाव चला आ रहा है। हिन्दी में Alternative का जो दूसरा अर्थ एकान्तर है, वह भी इसी 'दो में से एक वाले' भाव से युक्त है।

पहले चेतावनी देकर सचेत कर दिया जाता है। पर इनके सिवा इस शब्द में एक और भाव भी है। यदि किसी अवसर पर किसी से कोई भूल हो जाय, जिसके लिए उसे कुछ दंड मिल सकता हो अथवा किसी प्रकार की उसकी कुछ हानि हो सकती हो, तो उसे भी चेतावनी दी जाती है। प्रायः कार्यालय के कर्मचारियों को कोई भूल करने पर, भविष्य में सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जाती है। आशय यही होता है कि इस बार तो इस भूल के लिए तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जाता, परन्तु भविष्य में फिर ऐसी भूल होने पर दंड दिया जायगा। न्यायालय में भी कभी-कभी छोटे-मोटे अपराधों के अपराधी इसी प्रकार चेतावनी देकर छोड़ दिये जाते हैं। पूर्व-सूचना अपेक्षा बहुत पहले से मिलनेवाली चेतावनी (केवल पहले अर्थ में) है। जहाँ आगे चलकर किसी प्रकार के सकट की सम्भावना हो सकती हो, वहाँ इसका प्रयोग होता है। रोगी से यह कहना कि 'यदि अगली बरसात में तुम अमुक औषध का सेवन न करोगे अथवा अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान न रखोगे, तो फिर बीमार पड़ जाओगे।' पूर्व-सूचना ही है। चेतावनी और पूर्व-सूचना तो सदा दूसरों की ओर से प्राप्त होते हैं, पर साक्षित्य दूसरों की ओर से भी प्राप्त हो सकता है और स्वयं भी रखा जा सकता है। पहले से ही ऐसा ध्यान या व्यवस्था रखना जिसमें कोई सकट आने या हानि होने न पावे, साक्षित्य है। यह सचेत का भाव-वाचक रूप है, और इसका अर्थ है—सचेत रखने, रहने या होने की अवस्था, क्रिया या भाव। सड़को पर प्रायः साक्षित्य के जो पट्टे लगे रहते हैं, वे इस बात के सूचक होते हैं कि आगे के रास्ते में दुर्घटना की सम्भावना है, अतः सचेत होकर चलना चाहिए। हमें अपने पुराने अनुभव से भी साक्षित्य प्राप्त होता है। जब दो-चार बार हम देख लेते हैं कि अमुक प्रकार के कुपथ से हमें खाँसी या ज्वर हो आता है, तब हमारे लिए उस विषय में सचेत रहना या साक्षित्य रखना आवश्यक होता है। बहुत पहले से सोच-समझकर रखा जानेवाला साक्षित्य ही पूर्व-साक्षित्य है। घर में चोरी से बचने के लिए सदा साक्षित्य की आवश्यकता होती है, पर पहले से खिडकियाँ और दरवाजे बन्द कर रखना या बहुमूल्य वस्तुएँ मजबूत पेटियों या अच्छे बक की रक्षा में रखना पूर्व-साक्षित्य है।

चौकन्ना (Alert)

चौकस (Wakeful)

सजग (Wakeful)

जागरूक (Vigilant)

सतर्क (Cautious)

जाग्रत (Awake)

सावधान (Careful)

इस वर्ग के शब्द व्यक्तियों की ऐसी अवस्थाओं के सूचक हैं, जिनमें वे संकट आदि से बचने के प्रयत्न अथवा उपयुक्त अवसर से लाभ उठाने की ताक में रहते हैं। इन सभी शब्दों में मुख्य भाग यही है कि उपयुक्त समय आते ही मनुष्य उचित काम करने के लिए तैयार रहे। चौकन्ना चौ=चारो + कान से बना है, जिसका अर्थ होता है—चारो ओर कान रखना, अर्थात् हर तरफ की आहट लेते रहना। गौएँ, बैल, हिरन आदि पशु जगली अवस्था में सदा शेर-चीतो और शिकारियों के भय से चौकन्ने रहते हैं—वे चारो ओर के शब्द कान लगाकर सुनते रहते हैं, और आहट पाते ही जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। वही से यह शब्द मनुष्यों की इस प्रकार की स्थितियों के लिए लिया गया है। हम लोग किसी प्रकार के भय या संकट से बचने के लिए भी चौकन्ने रहते हैं और उपयुक्त समय आने पर उससे कुछ लाभ उठाने के लिए भी। चौकस में भी बहुत कुछ वही भाव है, जो चौकन्ना में है, फिर भी यह उससेकुछ हलका और अधिक व्यापक शब्द है। दूर-दर्शी और समझदार लोग प्रायः प्राकृतिक रूप से सदा चौकन्ने रहते हैं, और साधारण लोगों को विकट प्रसंग आने पर चौकन्ने रहना पड़ता है। पर चौकस का प्रयोग सभी प्रकार की परिस्थितियों में होता है—चाहे संकट की तत्काल कोई सम्भावना न हो। साधारणतः सभी लोग रात को सोने के समय चौकसी के विचार से घर की खिडकियाँ और दरवाजे बन्द करके सोते हैं; पर जिन दिनों महल्ले या शहर में उपद्रवों या चोरियों की अधिकता होती है, उन दिनों सबको चौकन्ने रहना पड़ता है। इस दृष्टि से चौकस और सतर्क बहुत कुछ समानक हैं। दोनों में मुख्य भाव यही है कि आनेवाले संकट का पहले से ध्यान रहे और उससे बचने की तैयारी रहे। सावधान भी बहुत कुछ इसी तरह का शब्द है। यह स० स + अवधान से बना है, और इसका शब्दार्थ है—जो ध्यान

से युक्त हो या रहे । अर्थात् सब बातों का ठीक और पूरा ध्यान रखना ही सावधान रहना या होना है । जिन कामों, चीजों या बातों का हमसे सम्बन्ध हो, उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की उपेक्षा या त्रुटि न होने देना ही इसका मुख्य लक्षण है । हम सबको पर इसलिए सावधान होकर चलते हैं कि गाड़ियों की चपेट में आकर गिर न पड़े, माताएँ अपने बच्चों की देख-रेख में और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करने में सावधान रहते हैं । जागरूक, जाग्रत और सजग अर्थ की दृष्टि से भी और व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी बहुत कुछ एक ही हैं । इनमें लाक्षणिक रूप से मनुष्य के उसी प्रकार चैतन्य या सचेत रहने का भाव मुख्य है, जिस प्रकार वह जागते रहने की दशा में साधारणत रहता है । अर्थात् ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानो वह सो रहा हो—कुछ देख, समझ या सुन न रहा हो । इन शब्दों में जागरूक सबसे अधिक दमदार शब्द है । इसमें चौकन्ने या चौकस रहने की तुलना में अधिक सक्रिय या सचेष्ट रहने और अधिक सूझ-बूझ रखने का भाव प्रधान है । मनुष्य कुछ सोच-समझकर और किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए जागरूक रहता है, और यह ध्यान रखता है कि हमारा कोई अनिष्ट या हानि न होने पावे । सजग में भी है तो बहुत कुछ यही भाव, पर जागरूक की तुलना में सजग कुछ हलका शब्द है । यह हि० जागना (या जगना) में के जग के साथ स उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ ठेठ हिन्दी का शब्द है । स० जाग्रत का साधारण अर्थ तो है—जागता हुआ, पर प्रस्तुत प्रसंग में लाक्षणिक रूप से यह भी सजग का समानक ही है ।

जलाना (१ Burn, २ Cremate)

आग लगाना (Set fire to) पलीता लगाना (Ignite)

उत्तापन (Ignition) फूकना (१. Char, २ Incinerate)

भुलसना (१. Scorch, २ Singe) सुलगाना (Kindle)

दागना (१. Brand, २. Sear)

इस वर्ग का मुख्य शब्द जलाना अर्थ की दृष्टि से बहुत व्यापक है। यह जलाना का सकर्मक रूप है, जो स० ज्वलन से व्युत्पन्न है। इसका मुख्य अर्थ है—आग या बहुत अधिक ताप की क्रिया से मुक्त या प्रभाव से युक्त करना। जैसे—चूल्हे में लकड़ी जलाना, दीये में तेल जलाना आदि। इसमें इस बात का विचार नहीं होता कि जलाई जानेवाली चीज थोड़ी जलती है या बहुत, वह कुछ बच भी रहती है या बिलकुल नष्ट हो जाती है। जैसे—तवे पर रोटी जलाना, कुरते का कोना जलाना, तपी हुई रेत पर बिना जूते पहने चलने से पैर जलाना आदि आशिक परिणाम के सूचक हैं। पर जब हम कहते हैं—कमरे में रखे हुए सभी कपड़े और कागज जला दिये गये, या गोदाम की सारी रूई जल गई या रात भर में आठ मोम-बत्तियाँ जला डाली गई, तो ऐसे प्रयोग सर्वाशिक परिणाम के सूचक होते हैं। चिता पर मृत शरीर रखकर भस्म करना भी मुरदा जलाना कहलाता है। इसके लिए अधिक मर्यादा सूचक और शिष्ट प्रयोग हैं—दाह कर्म करना, अन्त्येष्टि करना, शव-दाह करना आदि। जब प्वर में शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है, तब भी कहा जाता है—सारा शरीर जल रहा है, और जब बहुत गरमी के कारण वनस्पतियाँ निर्जीव-सी हो जाती हैं, तब भी कहा जाता है—इस बार की तपन में सब पेड़-पौधे जल गये। लाक्षणिक रूप में यह भी कहा जाता है—इस लडके की बदमाशियों और बेईमानियों ने हमें जला डाला। आशय यही होता है कि इसने हमें बहुत ही दुःखी और सन्तप्त कर रखा है। ईर्ष्या या क्रोध से जलाना का अर्थ होगा—मन ही मन विकट सन्ताप का अनुभव करना। यदि कहा जाय—‘उसने अपने पापों से अपनी आत्मा को जला डाला है।’

तो इसका आशय होगा—उसने बहुत अधिक दुष्कर्म करके अपना विवेक नष्ट कर दिया है। किसी चीज में आग लगाना का साधारण अर्थ तो उसे जलाना है ही, फिर भी इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट अर्थों और प्रसंगों में ही होता है। जैसे शत्रु-सेना ने सारा गाँव या नगर लूटकर उसमें आग लगा दी। अर्थात् जान-बूझकर पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से जलाना ही उसे (या उसमें) आग लगाना कहलाता है। लाक्षणिक रूप में इसका अर्थ होता है—द्वेष-वश या तमाशा देखने के लिए दूसरों में लडाई-भगडा या वैर-विरोध कराना। जैसे—तुमने जरा-सी बात कहकर (या ना-समझी का काम करके) भाई भाई (या पड़ोसियों) में आग लगा दी। फूकना अनुकरण-वाचक शब्द है। आग सुलगाने के लिए प्रायः फू फू करके जो मुँह से हवा निकाली जाती है, उसी से यह शब्द बना है। यह भी एक अर्थ में वही है जो जलाना या आग लगाना है। किसी का घर फूकना और किसी के घर में आग लगाना एक ही है। पर फूकना का प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कई स्वतंत्र अर्थों से भी युक्त है। जगलो में लकड़ी का कोयला बनाने के लिए कई प्रकार के वृक्षों के तने और डालियाँ फूकी जाती हैं, और चूना बनाने के लिए कई प्रकार के ककड-पत्थर फूके जाते हैं। ऐसे प्रसंगों में फूकी जानेवाली चीज पूरी तरह से जलाकर नष्ट या भस्म नहीं कर दी जाती, बल्कि उसका उपयोगी अंश बचा लिया जाता है, अथवा उसका उपयोगी रूपान्तर किया जाता है। वैद्य लोग रासायनिक क्रियाओं से धातुओं आदि की जो भस्म बनाते हैं, उसे भी फूकना कहते हैं। जैसे—राँगा, लोहा या सोना फूकना। इसी को पारिभाषिक क्षेत्र में भस्म करना कहते हैं। लाक्षणिक रूप में फूकना का अर्थ होता है—बुरी तरह से और विशेषतः दुर्व्यसनों आदि में धन-सम्पत्ति नष्ट करना। जैसे—आज-कल वह हजारों रूपए हर महीने फूक रहा है, अथवा यह तो घर फूककर (अर्थात् अपनी बहुत बड़ी हानि करके) तमाशा देखना है। भुलसना और दागना प्रायः एक वर्ग के शब्द हैं। भुलसना भी स० ज्वल से ही बना है। जब कोई चीज इस प्रकार आशिक रूप में और केवल

* आग पानी में ढगाते हैं लगानेवाले।—कोई शायर।

ऊपर ऊपर से जलती या जलाई जाती है कि उसका बाहरी तल ही नष्ट, विकृत या विवर्ण होकर रह जाय, तो उसे भुलसना कहते हैं। यह क्रिया इसी रूप में अकर्मक भी रहती है और सकर्मक भी। जैसे—लू से शरीर भुलसना (अकर्मक), और लुआठी (जलती हुई लकड़ी) से किसी का मुँह भुलसना (सकर्मक)। दागना यो तों फा० दाग से बना हुआ माना जाता है, पर है यह मूलतः संस्कृत से व्युत्पन्न ही। कारण यह है कि फा० दाग भी मूलतः स० दग्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है—जलाना या भस्म करना। स० दग्ध से जिस प्रकार प्रा० में दाघ हुआ है, उसी प्रकार फारसी में दाग हो गया है। दोनों ही दृष्टियों से दागना का पहला अर्थ होता है—दग्ध करना। यह कुछ विशेष उद्देश्यों से अथवा कुछ विशेष कार्यों के लिए आशिक रूप से कोई चीज जलाने की एक विशिष्ट क्रिया है। लोहा बहुत गरम करके शरीर पर लगाने से उतना अश जलकर प्रायः स्थायी रूप से काला हो जाता है। इसी क्रिया से पहचान के लिए घोड़े, साँड आदि पशु दागे जाते हैं, और कुछ दिन पहले तक भक्त साधु आदि अपने अंग शस्त्र, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल आदि के चिह्नों से इसलिए दगावते थे कि इस लोक में उनके सम्प्रदाय की पहचान तो ही, परलोक में भी यम-दूत उन्हें पहचानकर उनके इष्ट देव के लोक में ले जायें। साँप शरीर में जहाँ काटता है, वहाँ पहले प्रायः इसलिए गरम लोहे से दाग देते हैं कि सारा विष वही जल जाय, शेष शरीर में फैलने न पावे। आज-कल कई तरह के धाव, फोडे आदि भी तेजाबों या दूसरे दाहक औषधों से दाग कर अच्छे किये जाते हैं। पलीता लगाना और प्रञ्जालन एक ही वर्ग में आते हैं। पलीता फा० फलीत का हिन्दी रूप है। टोने गेटके के लिए कागज पर कोई मन्त्र या यन्त्रलिखकर जलाने के लिए उस कागज की जो बत्ती बनाई जाती थी, वही फलीत कहलाती थी। इसी से आगे चलकर वह रस्सी भी पलीता कहलाने लगी जो पुरानी चाल की तोडेदार बन्दूकों में इसलिए लगाई जाती थी कि इधर रस्सी जला देने पर उसके द्वारा आगे आगे बढ़कर उस बारूद तक पहुँच जाय जिसके भभकने से गोली छूटती थी। आज-कल पलीता ऐसी डोरी या तार को भी कहते हैं, जिसके द्वारा ताप या विद्युत् की धारा चलकर दूसरे सिरे पर लगी हुई ऐसी चीज तक पहुँचती

है, जो जल या भभक सकती हो। सीधे किसी वस्तु तक ताप या बिजली न पहुँचाकर इस प्रकार तार आदि के द्वारा पहुँचाना ही पलीता लगाना कहलाता है। लाक्षणिक रूप में पलीता लगाना का अर्थ होता है—कोई ऐसी बात कहना या युक्ति लगाना जिसका दुष्परिणाम अन्दर ही अन्दर बहुत दूर तक पहुँचकर अन्त में घातक या नाशक रूप में प्रकट हो*। उत्तापन का अर्थ है—उत्तप्त या खूब गरम करना, और उत्तप्त या खूब गरम होने का फल होता है जलाना। अतः उत्तापन का अर्थ हुआ—खूब गरम करके जलाना। विस्तृत अर्थ की दृष्टि से यह भी वही है जो पलीता लगाना है, पर यह पारिभाषिक और वैज्ञानिक क्षेत्र का शब्द है, और इस विशिष्ट क्रिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। सुलगाना (स० सुलग्न ?) का अर्थ है—ऐसी चीज को जलाने का आरम्भिक प्रयत्न करना जो जल्दी या सहज में न जलती हो। भोजन बनाने के समय चूल्हे में कोयला या लकड़ी रखकर और उस पर मिट्टी का तेल आदि डालकर जलाने का जो प्रयत्न किया जाता है, अथवा कोयलो पर आग की चिनगारी रखकर पखे आदि से हवा करके सब कोयले अच्छी तरह जलाने का जो प्रयत्न किया जाता है, वही आग सुलगाना है। लाक्षणिक रूप में अन्दर ही अन्दर राग, द्वेष, असन्तोष आदि दूषित बाते बढाने का प्रयत्न करना भी सुलगाना कहलाता है। जैसे—कुछ लोग बहुत दिनों से देश में विद्रोह की आग सुलगाने का प्रयत्न कर रहे थे। हम यह भी कहते हैं—उनके मन में बहुत दिनों से चिन्ता (दुःख, द्वेष आदि) की आग सुलग रही है। आशय यही होता है कि अन्दर ही अन्दर कोई ऐसी कष्टदायक बात हो रही है जो आगे चलकर उग्र रूप में अपना दुष्परिणाम प्रकट कर सकती है।

✻ आशय की दृष्टि से यह भी बहुत कुछ वही है, जो (लाक्षणिक रूप में) आग लगाना है।

जांच (Test)

अंकक्षण (Audit)	परख=जांच (आंशिक रूप में)
अनुसन्धान (Investigation)	परीक्षण, परीक्षा (Examination)
अन्वेषण (Exploration)	पूछ-ताछ (Enquiry)
गवेषणा (Research)	शोध=गवेषणा
छान-बीन=अनुसन्धान	सत्यापन (Verification)
निरीक्षण (Inspection)	समीक्षा (Scrutiny)
पडताल (Check)	

जांच हि० जांचना * क्रिया का भाव-वाचक रूप है। जब हमारे सामने कोई चीज आती है, तब हम अनुभव, तुलना, प्रयोग, व्यवहार आदि के द्वारा यह जानना चाहते हैं कि (क) यह चीज कैसी है अथवा (ख) ऊपर से देखने में यह जैसी जान पड़ती है, वास्तव में वैसी ही है या नहीं। यह मानो एक प्रकार का परीक्षण है, जिसे हिन्दी में परखना कहते हैं और जिसका भाववाचक रूप परख † है। जांच में यही देखा जाता है कि जो कुछ सामने है, वह अच्छा, उपयुक्त, ठीक या पूरा है अथवा उसमें कोई कमी, दोष या भूल है। किसी को नौकर रखने या कोई चीज खरीदने से पहले प्रायः उसकी जांच कर ली जाती

❖ जांचना सं० याचना से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है—किसी से प्रार्थना पूर्वक कुछ माँगना। पुरानी हिन्दी में जांचना का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग में इसका जो अर्थ है, वह इसी मूल अर्थ का विकसित रूप है। आशय यह है कि देख, पूछ या माँगकर यह परीक्षा करना कि यह खरा है या खोटा।

† एक दूसरे प्रसंग से परख का अर्थ होता है—अभ्यास आदि के द्वारा प्राप्त की हुई वह योग्यता या शक्ति जिससे सहज में यह जान लिखा जाता है कि सामने आई हुई चीज अच्छी है या बुरी।

है, और किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ सन्देह होने पर उसके चरित्र, व्यवहार आदि के सम्बन्ध में भी जाँच होती है। अनुसन्धान और छान-बीज इसी के कुछ अधिक गम्भीर तथा वर्धित रूप हैं। अनुसन्धान तो संस्कृत का शब्द है ही, जिसका मूल अर्थ है—किसी के पीछे लगकर उसका सम्बन्ध या पता लगाना, पर छान-बीन हि० छानना+बीनना (चुनना) से बना हुआ उसका भाववाचक रूप है। अनाज काम में लाने से पहले छाना और बीना (या चुना) जाता है—उसमें का कूड़ा-कचरा निकालकर अलग किया जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में ये दोनों शब्द ऐसी जाँच के वाचक हैं जिनमें अपेक्षा अधिक प्रयास या परिश्रम किया जाता है। जाँच और छान-बीन तो बहुधा ऐसी बातों के सम्बन्ध में होती है जिनका बहुत-कुछ अंश हमारे सामने आ चुका होता है, पर अनुसन्धान ऐसी बातों का भी हाँ सकता है, जिनका बहुत बड़ा अंश अभी अन्धकार में हो, जिनके सम्बन्ध में बहुत-से तथ्यों का पता लगाना हो। किसी विषय के बारे में और सूक्ष्म बातों की जाँच ही अनुसन्धान है। किसी बहुत बड़े अपराध या दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस को बहुत छान-बीन करनी पड़ती है, पर किसी पदार्थ या वस्तु के गूढ तत्वों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को और किसी बहुत पुराने राजा का काल, वंश आदि जानने के लिए पुरातत्त्व के ज्ञाताओं को बहुत-कुछ अनुसन्धान करना पड़ता है। पूछ-ताछ भी इसी वर्ग का शब्द है। पूछ-ताछ हि० पूछना + अनु० ताछना का भाववाचक रूप है। जब किसी तथ्य का पता लगाने के लिए हम इधर-उधर के लोगों से कुछ बातें पूछते हैं, तो इसे पूछ-ताछ कहते हैं। यह भी जाँच या अनुसन्धान का एक प्रकार ही है। कहीं कोई अपराध या दुर्घटना हो जाने पर पुलिस वहाँ पूछ-ताछ करने पहुँचती है, और किसी सन्देह व्यक्ति के पकड़े जाने पर भी उसके सम्बन्ध में उससे पूछ-ताछ करनी पड़ती है। बड़े बड़े कार्यालयों में, जहाँ बहुत-से विभाग या काम होते हैं, नये आदमियों को पहुँचकर पहले किसी नियत स्थान पर (जिसे पूछ-ताछ घर या इन्कवायरी आफिस कहते हैं) पहुँचकर पूछ-ताछ करनी पड़ती है कि अमुक कार्य कहाँ या कैसे होगा अथवा अमुक विभाग के अधिकारी कब, कहाँ या कैसे मिलेंगे। हिन्दी में

अनुसन्धान और अन्वेषण प्रायः समानक माने जाते हैं, पर दोनों में जो व्युत्पत्तिक अन्तर है, वही उनके अर्थों में सूक्ष्म पार्थक्य करता है। अनुसन्धान में किसी बात या व्यक्ति का सन्धान या पता लगाना पडता है, और अन्वेषण में एषण या (किसी बात या वस्तु की) खोज की इच्छा प्रधान होती है। आज-कल अन्वेषण (मूल अर्थ—खोजना या ढूँढना) बहुत दूर की और प्रायः ऐसी अज्ञात वस्तुओं, स्थानों आदि का पता लगाना कहलाता है जो अब तक सामने न आई हो या जिनके सम्बन्ध में बहुत थोड़े तथ्य ज्ञात हों। प्रायः साहसी अन्वेषक बड़े-बड़े बीहड़ जंगलों, पहाड़ों और प्रदेशों में पहुँचकर वहाँ की नई नई बातों का अन्वेषण करते हैं। उत्तरी ध्रुव या हिमालय पर्वत की उपत्यकाओं और ऊँची चोटियों के चकर इसी प्रकार के अन्वेषणों के लिए लगाये जाते हैं, और युद्ध काल में हवाई जहाज आस-पास की सैनिक स्थितियों अथवा सैनिक महत्व के स्थानों का अन्वेषण करने निकलते हैं। अपने विस्तृत और सार्विक अर्थ में किसी प्रसंग में नये तथ्यों या बातों का पता लगाने या कुछ ढूँढ निकालने का प्रयत्न ही अन्वेषण है। गवेषणा (स० गव=गौ+एषणा) का मूल अर्थ है—गौ या गौओं को पाने की इच्छा या कामना करना, अथवा (भूली-भटकी, चोरी गई हुई या छिन जाने के कारण हाथ से निकल गई हुई) गौ या गौओं को ढूँढने निकलना। यह हमारी सम्यता के उस आरम्भिक समय का शब्द है, जब गौएँ ही मुख्य सम्पत्ति होती थी। पर अब यह ऐसे अनुसन्धान या छान-बीन का वाचक हो गया है जो किसी वैज्ञानिक या शास्त्रीय विषय के सम्बन्ध में नई बातों का पता लगाने के लिए को जाती है। आज-कल इतिहास, पुरा-तत्त्व, प्रकृति, मौक्तिक विज्ञान आदि के अच्छे ज्ञाता और पंडित अपने प्रिय विषय के सम्बन्ध में नये नये तथ्यों का पता लगाने के लिए जो छान-बीन करते हैं, वही अन्वेषण है। इसमें निरन्तर बहुत परिश्रमपूर्वक अनेक प्रकार के अध्ययन, अनुशीलन और विचार करने पडते हैं, और प्रायः ऐसे नये तथ्यों और सिद्धान्तों का प्रस्थापन करना पडता है जिनसे या तो पुराने तथ्यों और सिद्धान्तों का खडन होता है या उनमें सशोधन और सुधार होता है। किसी बात या विषय की मूल स्थिति अथवा गूढ़ रहस्य जानने के लिए कुछ अधिक समय तक चलती रहनेवाली विचारपूर्ण जाँच

या छान-बीन ही गवेषणा है। वास्तविक तथ्य या शुद्ध रूप का पता लगाना ही इसका उद्देश्य होता है। हम कहते हैं—आज-कल प्रायः सभी उन्नत और सम्यक देश (या राष्ट्र) अपने यहाँ परमाणु सम्बन्धी अनेक प्रकार की गवेषणाएँ कर रहे हैं। शोध का मूल अर्थ है—शुद्ध या स्वच्छ करने की क्रिया या भाव। पर मराठी में यह शब्द प्रायः उसी अर्थ में चलता है जो यहाँ गवेषणा का बतलाया गया है, और वही में आकर यह हिन्दी में भी थोड़ा-बहुत चल गया है। निरीक्षण किसी काम, चीज या बात को ऐसी पैनी दृष्टि से देखना है जिसमें उसकी त्रुटियों, दोषों आदि का पता लग जाय और उन्हें दूर किया जा सके। इसका एक गौण हेतु यह भी होता है कि भविष्य में उस प्रकार की त्रुटियाँ या दोष न होने पावें। आज-कल इस शब्द का प्रयोग प्रायः बड़े अधिकारियों के प्रसंग में ऐसे साधारण दृष्टि-पात के अर्थ में भी होने लगा है, जिसका उद्देश्य त्रुटियों या दोष निकालना नहीं, बल्कि केवल ज्ञान या परिचय प्राप्त करना अथवा याँ ही देखना भर होता है। हम कहते हैं—राष्ट्रपति महोदय ने इस बार की यात्रा में दामोदर बाँध (अथवा चित्तूर जन नगर के इन्जन बनानेवाले कारखाने) का भी निरीक्षण किया था। ऐसी अवस्थाओं में यह साधारण देखना का आदरार्थक रूप ही रहता है। परीक्षा और समीक्षा प्रायः एक ही वर्ग के शब्द हैं। समीक्षा का साधारण अर्थ है—किसी बात या वस्तु के सभी अंग और उपाग अथवा व्योरे की सभी बातें बहुत अच्छी तरह और ध्यान से देखना और उसके गुण-दोषों का पता लगाना। ग्रन्थों, लेखों आदि की समीक्षा इसी उद्देश्य और दृष्टि से होती है। परीक्षण या परीक्षा भी है तो बहुत-कुछ यही, पर इसका उद्देश्य अपेक्षया कुछ अधिक व्यापक होता है। किसी वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली विशिष्टता, सत्यता आदि या किसी कार्य-प्रणाली और उसके फल-स्वरूप होनेवाली सिद्धि से परिचित होने के लिए और भी अधिक सूक्ष्म दृष्टि से जो जाँच या समीक्षा की जाती है, वही परीक्षा कहलाती है। कुछ अवस्थाओं में यह प्रश्नों के द्वारा और कुछ अवस्थाओं में प्रयोगों के द्वारा होती है। चिकित्सक लोग जब तक किसी नई दवा की परीक्षा नहीं कर लेते, तब तक उसे पारित नहीं करते। विद्यार्थियों को अपना अध्ययन पूरा करने के उपरान्त (प्रश्नों के उत्तर देते हुए) इस बात की परीक्षा

देनी पडती है कि उन्होंने अपने विषय (या विषयो) का ठीक और पूरा अव्ययन किया है या नहीं। जौहरी लोग गहनों और रत्नों का परीक्षण करके उनका अर्थ निश्चित करते हैं। अंकेक्षण भी है तो एक प्रकार की परीक्षा या समीक्षा ही, पर (जैसा कि इसके पहले पद 'अक' से स्पष्ट है) यह एक विशिष्ट क्षेत्र का शब्द है। वही-खाते, लेखे-जोखे या हिसाब-किताब की परीक्षा या समीक्षा ही अंकेक्षण है। जब आया व्यय या लेन-देन का कोई बड़ा लेखा या हिसाब बनकर तैयार होता है, तब इस बात की जाँच होती है कि वह लेखा या हिसाब सब तरह से बिलकुल ठीक है या नहीं। यही अवेक्षण है। पडताल^४ हमारे यहाँ का पुराना महाजनी शब्द है। इसमें उस पूरे अर्थ का अन्तर्भाव तो होता ही है जो यहाँ अंकेक्षण का बतलाया गया है, उसके सिवा इसके अर्थ में एक और तत्त्व भी है। इसमें सभी तरह के कागज-पत्रों तथा लेखों की वह छान-बीन या जाँच भी आ जाती है जो उसकी शुद्धता, सत्यता आदि के सम्बन्ध में की जाती है। पुराना हिसाब ड्रॉट निकालने के लिए वही-खातो की और साल भर की लेखियाँ जाँचने के लिए पटवारियों की पजियों की पडताल होती है। कुछ अवसरों पर इसका प्रयोग जाँच के साथ यौगिक पद जाँच-पडताल के रूप में भी होता है, और ऐसी अवस्था में इसमें दोनों शब्दों का आशय या भाव आ जाता है। सत्यापन का साधारण अर्थ है—किसी बात की सत्यता की जाँच करना। किसी लेखे या विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में जो जाँच या पडताल होती है, वही प्रस्तुत प्रसंग में सत्यापन है। इसमें प्रायः प्रत्येक पद या बात के ठीक होने की जाँच होती है। किसी मूल लेख या लेख्य की प्रतिलिपि के अक्षरशः

ॐ हिन्दी शब्द-सागर में इसे परितोलन (अच्छी तरह तौलना) से व्युत्पन्न बतलाया गया है, पर यह व्युत्पत्ति कल्पित है और सन्दिग्ध जान पडती है। सम्भव है, इस शब्द का सम्बन्ध उस पडता शब्द से हो जिसका एक अर्थ माध्य (देखे माध्य) और दूसरा अर्थ लागत, व्यय आदि का लगाया जानेवाला वह हिसाब है, जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्य स्थिर किया जाता है।

ठीक होने के सम्बन्ध में मिलान करने पर जो जाँच होती है, वह भी और उसकी सत्यता प्रमाणित करने की जो लेखन क्रिया होता है, वह भी स्त्यापन कहलाती है।

ज्ञान (Knowledge)

अनुभव (Experience)	बोध Comprehension)
अन्तर्ज्ञान (Instinct)	सहज बुद्धि (Intuition)
अन्तर्बोध=अन्तर्ज्ञान	सूचना (Information)
ज्ञानकारी (Knowledge	
आंशिक रूप में)	

ज्ञान का पहला और साधारण अर्थ है—जानना। अनेक प्रकार के उपायों और साधनों से हम जितनी बातें जान और समझ लेते हैं, उन सबका सामूहिक नाम ज्ञान है। हम नित्य बहुत-सी बातें देखते-सुनते और समझते-सीखते रहते हैं, और अनुभव, छान-बीन, निरीक्षण आदि के द्वारा कारणों, नियमों, सिद्धान्तों तथा इसी प्रकार की और बहुत-सी बातों से परिचित होते रहते हैं। इस प्रकार की सभी बातें हमारे ज्ञान का अंग होती और उसे बढ़ाती रहती हैं। किसी बात की ठीक, पूरी और वास्तविक जानकारी या परिचय ही उसका ज्ञान कहलाता है। धार्मिक क्षेत्रों में आत्मा और ईश्वर के सम्बन्ध तथा स्वरूप का ठीक-ठीक परिचय या बोध ही ज्ञान माना जाता है। ज्ञान का वास्तविक और सत्य होना आवश्यक है। यदि वह पूरा, वास्तविक और सत्य न हो, तो वह जानकारी, परिचय आदि के वर्ग में ही रह जायगा, उसकी गिनती विशुद्ध ज्ञान में नहीं होगी। जानकारी भी है तो ज्ञान के ही अन्तर्गत, क्योंकि जानना वस्तुतः ज्ञान से ही व्युत्पन्न है, पर वह अधूरी या अ-वास्तविक भी हो सकती है और पूरी या वास्तविक भी। यह ज्ञान का साधारण और हलका रूप है। आरम्भ में हमें किसी कला, विद्या या

विषय की साधारण जानकारी होती है, पर कुछ दिन बाद अध्ययन, अनुभव, अभ्यास, कर्तृत्व, शिक्षा आदि के योग से हमें उसका अच्छा ज्ञान होने लगता है। इसी दृष्टि से कहा जाता है—उन्हे दर्शन शास्त्र (या विज्ञान, साहित्य आदि) का अच्छा ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान सदा इन्द्रियों के द्वारा बाहर से प्राप्त होता है, और हम उसे अर्जित करके अपने मन में संचित करते चलते हैं। पर इसके सिवा एक और प्रकार का ज्ञान होता है, जो हमें प्रकृति की ओर से (स्वाभाविक रूप से) प्राप्त होता है। यही प्राकृतिक ज्ञान अन्तर्ज्ञान या अन्तर्बोध कहलाता है। अन्तर्ज्ञान मनुष्यों को ही नहीं, जीव मात्र को होता है, और जीवन भर बना रहता है। यह अन्तर्ज्ञान हमें कहीं बाहर से अर्जित करना या सीखना नहीं पड़ता, और न इसके लिए किसी तर्क या विचार की अपेक्षा होती है। यही अन्तर्ज्ञान जीव मात्र को अपने ज्ञेय-कल्याण, जीवन-निर्वाह, वश-वृद्धि आदि में प्रवृत्त करता और समर्थ रखता है। जीव-जन्तुओं के क्षेत्र में बोध और समझ (अपने मूल अर्थ में) इसी अन्तर्ज्ञान के समानक हैं, और वहाँ इनके वर्धन, विकास आदि के लिए विशेष अवकाश नहीं होता—इनका स्वरूप सदा बहुत-कुछ एकसा बना रहता है। पर मानव वर्ग में इसका परिवर्द्धन, विकास और संस्कार भी हो सकता और बहुधा होता भी है। इसी से कर्तृत्व का क्षेत्र तथा ज्ञान का भंडार बढ़ता रहता है। मानव वर्ग में जो अन्तर्ज्ञान होता है, वही दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान आदि में सहज-बुद्धि कहलाता है। यह वही शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ विशिष्ट अवसरों पर बिना कुछ तर्क-वितर्क किये अथवा बिना कुछ सोचे-समझे या कर्मेन्द्रियों की सहायता लिये आपसे आप किसी बात की तह तक पहुँच जाता अथवा स्थिति का बोध प्राप्त कर लेता है। इससे मनुष्य को अनेक अतीन्द्रिय तथा लोकोत्तर बातों या विषयों का तत्काल ज्ञान हो जाता है। हम जानें या न जाने, चाहे या न चाहे, पर अन्तर्ज्ञान आवश्यकता पड़ने पर हमसे अपेक्षित और कर्तव्य कर्म करा ही लेता है। बोध हमारी बुद्धि का धर्म भी है और फल भी। यो यह ज्ञान और समझ दोनों का पर्याय माना जाता है, पर यह मुख्यतः बुद्धि को वह शक्ति है जो हमें विचारों और विषयों से परिचित होने अथवा उन्हे ग्रहण करने में समर्थ करती है। हम कहते हैं—थोड़े ही दिनों में इस लडके को संस्कृत

का अच्छा बोध हो गया है। यहाँ हमारा अभिप्राय संस्कृत भाषा और व्याकरण से ही होता है, और यहीं तक इम वर्ग की और बातें बोध का विषय होती हैं। सूचना हमारे ज्ञान का वह साधारण और हलका रूप है, जो हमें यों ही, दूसरों से कुछ सुनने या पुस्तकें, पत्र आदि पढ़ने से प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान कौ-सी गम्भीरता नहीं होती, ऐसी ऊपरी जानकारी भर होती है जो कभी आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आ सकती है। फिर भी बहुत-सी सूचनाओं का भंडार हम सुविज्ञ बना सकता है। बहुत-सी सूचनाएँ हमारे लिए निरर्थक या रद्दी भी हो सकती हैं। अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर बहुत-से काम करते रहने और देखते, समझते या सुनते रहने की दशा में हम जो बातें जानते हैं, उन्हीं सबका पुज या राशि हमारा अनुभव है। हमें अपने जीवन के दैर्घ्य व्यवहारों, परिस्थितियों अथवा दुःख-सुख आदि की स्थितियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह भी इसी अनुभव के अन्तर्गत आता है। अनुभव व्यक्तियों का तो होता ही है, जातियों, देशों, वर्गों, समाजों आदि का भी होता है। इसका मुख्य उपयोग हमारे भावी जीवन के आचरण और व्यवहार के क्षेत्र में होता है। इसी लिए हम कहते हैं—अनुभवों आदमी जल्दी कहीं धोखा नहीं खाता, अथवा तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर तो सँभलकर चलना चाहिए था।

ज्योतिष

गणित ज्योतिष (Astronomy) फलित ज्योतिष (Astrology)

तेजस् ज्योतिष (Radio Astronomy)

आकाश या व्योम में हमें जो असंख्य ग्रह, नक्षत्र आदि पिंड दिखाई देते हैं, वे बिलकुल नियत रूप में और नियत गति से एक नियत गोलाकार

या अडाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। इन सबकी गति-विधि आदि बतलानेवाला शास्त्र ज्यौतिष कहलाता है। इसके दो मुख्य भेद हैं—गणित ज्यौतिष और फलित ज्यौतिष। गणित ज्यौतिष में इस बात का विचार होता है कि कौन-सा ग्रह या नक्षत्र किस गति और किस मार्ग से और कितने समय में अपनी परिक्रमावाली यात्रा पूरी करता है। इसी की सहायता से यह पता चलता है कि कब कौन-सा ग्रह या नक्षत्र कहाँ पर था; अथवा वह इस समय कहाँ है और भविष्य में कब कहाँ पहुँचेगा। अब कुछ ऐसी युक्तियाँ भी निकल आई हैं जिनसे यह जाना जाता है कि अमुक नक्षत्र या पिंड किन-किन तर्जों से बना है, वह अपनी जीवन-यात्रा का किस स्थिति में है, और हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, आदि-आदि। भिन्न-भिन्न ग्रहों और आकाशस्थ पिंडों के भूत और भावी ग्रहण-कालों आदि का पता इसी शास्त्र से लगाया जाता है। इधर हाल में जब से रेडियो का आविष्कार हुआ है, तब से इसकी एक नई शाखा निकली है जिसे तेजस् ज्यौतिष कहते हैं। गणित ज्यौतिष का कार्य क्षेत्र तो हमारे विश्व तक ही परिमित है, पर तेजस् ज्यौतिष से इस विश्व के बाहर और ब्रह्मांड के दूसरे अनेक दूरस्थ भागों के सम्बन्ध की भी बहुत-सी बातों का पता लगने लगा है, जिनसे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ ही थे। (विशेष दे० 'आकाश' और 'ब्रह्मांड') ज्यौतिष का वह अंग फलित ज्यौतिष कहलाता है, जिसमें इस बात का विचार होता है कि ग्रहों, नक्षत्रों आदि का हमारी पृथ्वी, उसके भिन्न भिन्न विभागों या देशों और उनके निवासियों आदि पर कब, क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तियों के जन्म-काल के विचार से उनके सारी भावी जीवन की बातें और भविष्य में होनेवाली घटनाओं के रूप और काल तक इसके द्वारा जाने और बतलाये जाते हैं। वर्षा, शीत, ताप, भूकम्प आदि के सम्बन्ध में भी इसके द्वारा भविष्यद्वाणियों की जाती हैं। बहुत-से लोगों का ज्यौतिष के इस अंग पर विश्वास नहीं है और वे इसे कपोल-कल्पना मात्र समझते हैं, पर बहुत-से लोग ऐसे भी हैं जो इस पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। इस शास्त्र के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे कभी तो ठीक घटते हैं और कभी नहीं भी घटते। पर गणित ज्यौतिष का आधार गणित शास्त्र और उसकी अनेक प्रकार की गणनाएँ हैं, इसलिए उसके

निष्कर्ष सदा ठीक होते हैं। उनमें कभी भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे निश्चित नियमों और सिद्धान्तों पर आश्रित होते हैं।

टकर (Collision)

झटका (Jerk)

विघात (Concussion)

ठोकर (Kick, trip)

संक्षोभ (Shock)

धक्का (१. Push, २ Shock)

संघात (Impact)

भिड़न्त (Clash)

समाघात (Percussion)

मुठ-भेड़ (Encounter)

हिचकोला (Jolt)

टकर हिं० टकराना से बनी भाववाचक सज्ञा है। टकराना (अकर्मक) का अर्थ है—दो चीजों का एक दूसरी से कुछ दस प्रकार जोर से आकर भिड़ना कि दोनों को या एक को आघात लगे और हानि पहुँचे। इसके लिए दोनों का या एक का गति में होना और टकराने के फल-स्वरूप उस गति में बाधा पड़ना आवश्यक है। टकरा अचानक होती है और इसकी तत्क्षण समाप्ति भी हो जाती है, इसका परिणाम चाहे जो हो और चाहे जितनी देर तक रहे। अंधेरे में चलते समय हमारे सिर में खम्भे या दीवार की टकरा लग सकती है, सड़क पर बैल-गाड़ी और मोटर की तथा रेल की पटरियों पर इन्जनों की भी टकरा होती है। इस शब्द का प्रयोग लाक्षणिक रूप में भी होता है। किसी समय आर्य-समाजियों और सनातन-धर्मियों में खूब टकरा होती थी, और पाकिस्तानी आन्दोलन के समय हिन्दू-मुसलमानों में जमकर टकरा होती थी। ऐसे प्रसंगों में आशय यही होता है कि बराबरी के दोनों पक्ष आपस में खूब लड़ते-भिड़ते, कहा-सुनी करते और एक दूसरे की हानि करने या उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। दो परस्पर विरोधी विचार-धाराओं में भी टकरा होती है। परन्तु ऐसे अवसरों पर टकरा प्रायः ऐसे

विरोध की सूचक होती है जो जल्दी दूर नहीं हो सकता। इसी आधार पर मुहावरे का एक पद भी बन गया है—‘टक्कर का’ जिसका अर्थ होता है—जोड़, बराबरी या मुकाबले का। जैसे—इसकी टक्कर की और कोई किताब है ही नहीं। एक और मुहावरा है—किसी से टक्कर लेना=किसी की बराबरी तक पहुँचना। जैसे—उनकी कोठी अच्छे-अच्छे महलों से टक्कर लेती है। यहाँ टक्कर में विरोध का नहीं, बल्कि बराबरी का भाव है। भटका शब्द अनुकरण-वाचक क्रिया ‘भटकना’ से बना है। भटकना का अर्थ है—अकस्मात् जोर से दूर हटाना या फेंकना। भटका इसी क्रिया का परिणाम है। कोई चीज तेजी से बटती हुई सहसा किसी और चीज से टकराकर इम प्रकार रुक जाती है कि आगे पडनेवाली चीज उसके धक्के से कुछ दूर जा पडती है। जब रेल-गाडी में इतना आकर लगता है, तब उसके भटके से सब डब्बे सहसा हिलकर कुछ आगे बट या पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग साँप की दुम पकड़कर उसे ऐसा भटका देते हैं कि उसकी सब हड्डियाँ टूट जाती हैं। भटका उस भौतिक या शारीरिक परिणाम का भी सूचक है जो साधारण आघात या धक्का लगने पर होता है। जैसे—गिरने से किसी नस का भटका खाना, बीमारी का भटका लगना, व्यापार में छोटे-मोटे घाटे का भटका लगना आदि। बार बार और ठहर-ठहरकर लगनेवाले छोटे और हलके भटका को हिच-काला कहते हैं। यह अनुकरण-वाचक शब्द है, और इसकी गति आगे-पीछे भी होती है और ऊपर-नीचे भी। एकके, ताँगे आदि की सवारियाँ हिचकोले खाती हुई चलती हैं। धक्का स० धक्क से बना है, जिसका अर्थ है—नष्ट करना, मार डालना आदि। पर इसका साधारण अर्थ इस व्युत्पत्तिवाले अर्थ से अलग है। भटका और धक्का में मुख्य अन्तर यही है कि भटके से धक्का सदा कुछ उग्र या विकट होता है। भटका मुख्यतः उस गति का परिणाम है जो बहुत वेग में होने पर भी सहसा रुक जाती है, पर धक्का उस प्रयत्न या व्यापार का सूचक है जो आघात करता और गिरा देता या गिराने का प्रयत्न करता है। जैसे-गाडी के धक्के से लडका गिर गया। धक्का का एक लान्घनिक अर्थ भी होता है। कभी-कभी कोई ऐसा आघात या व्याघात होता है जिसका स्थिति, मन आदि पर अनिष्ट या विपरीत प्रभाव पडता है। बाजार-भाव गिरने से प्रायः व्यापार को, कोई अनुचित

जात हो जाने पर प्रतिष्ठा को और किसी की मृत्यु से मन को ऐसा धक्का लगता है जिससे आदमी का सँभलना कठिन हो जाता है। इसी लाक्षणिक अर्थ में यह सन्नाह का समानक है।

ठोकर हिं० ठोकना से बनी भाववाचक शब्दा है, पर इसका अर्थ ठोकना के अर्थ से बिलकुल अलग है। चलते समय पैर में कड़ी या भारी चीज की जो टक्कर लगती है, मुख्यतः वही ठोकर है। टक्कर और ठोकर में कई अन्तर हैं। एक तो टक्कर सिर या सामनेवाले अथवा ऊपरी भाग से होती है, और दूसरे इसमें टकरानेवाली चीजों की कुछ समानता का भाव होता है। पर ठोकर प्रायः पैर की ओर के या निचले भाग में लगती है*, और इसमें उस चीज के भारीपन का भाव मुख्य है, जिससे कोई चीज टकराती या ठोकर खाती है। इसमें चलते समय बीच में सहसा ऐसी टक्कर या धक्का लगता है, जिससे ठोकर खानेवाली चीज अपने स्थान से हिल और उछलकर कुछ पीछे या दूर हट जाती है और उसका सन्तुलन बिगड़ जाता है। ठोकर खाकर चलता हुआ थोड़ा गिर सकता है और मोटर उलट सकती है। किसी को जान-बूझकर पैर के अग्रले भाग या पजे से ठोकर लगाई भी जाती है। ठोकर का पहला लाक्षणिक अर्थ होता है—ऐसा आघात जो किसीको अपमानित करके दूर हटाने के लिए किया जाय। दूसरा अर्थ होता है—बीच में उपस्थित होनेवाली ऐसी बाधा या विरोध जो भविष्य के लिए सचेत कर सके। जैसे—ठोकरें खाकर ही आदमी सीखता है, अथवा पहली ही ठोकर में उन्हें सँभल जाना चाहिए था। भिडन्त और मुठ-भेड़ एक वर्ग के शब्द हैं। भिडन्त हिं० भिडना का भाववाचक रूप है। भिडना का अर्थ है—अचानक दो वस्तुओं या व्यक्तियों का आमने-सामने आकर दस प्रकार टकराना कि दोनों के तल एक दूसरे से सट जायँ और एक से दूसरे को कुछ आघात पहुँचे। भिडन्त छोटी-मोटी लड़ाई या मार-पीट के रूप में भी हो सकती है और जवानी कहा-सुनी या विवाद के रूप में भी। यह हलकी टक्कर के रूप में,

ॐ प्रायः लोग भूल से कह जाते हैं—अँधेरे में सिर में ठोकर लगी।
झोना चाहिए—टक्कर लगी। हाँ, पैर में ठोकर ही लगती है, टक्कर नहीं।

आघात के भाव से रहित और निर्दोष भी हो सकती है। ऐसी दशा में इसका अर्थ होता है—मुकाबला या सामना होना। मुठ-भेड में का मुठ शब्द हिं० मुठ्ठी का वाचक है, और भेड भी उसी प्रकार भिडना का सक्षित भाववाचक रूप है, जिस प्रकार भिडन्त है। इसमें का मुठ शब्द मुठ्ठी का वाचक होने के कारण दो बातों का सूचक हो सकता है, एक तो बंधो हुई मुठ्ठी (या मुक्के) का, और दूसरे, उस मुठ्ठी का जिसमें तलवार की मूठ पकडी हुई हो। मूलत या तो यह मुक्को से होनेवाली लडाई का सूचक रहा होगा, या हाथ में तलवार की मूठ पकडकर किये जानेवाले द्रुद्ध युद्ध का। अधिक सम्भावना इसी अन्तिम बात की जान पड़ती है। इसका प्रयोग प्रायः सैनिक सघर्षों के प्रसंग में होता है। जंगल में डाकुओं के दल से पुलिस की टुकड़ी की मुठ-भेड होती है। गुडे-बदमाशों के दलों में भी प्रायः मुठ-भेड होती रहती है। भिडन्त की तरह इसका प्रयोग भी साधारण वाद-विवाद के सम्बन्ध में हो सकता है। लाक्षणिक अर्थवाली टक्कर में तो थोड़े-बहुत नाश या हानि का भाव होता है, पर मुठ-भेड में लडाई-भगडे, वैर-विरोध आदि का भाव है। टक्कर तो बड़े और छोटे में भी हो सकती है, पर मुठ-भेड और भिडन्त में दोनों पक्ष प्रायः बराबर के होते हैं। सघात भी टक्कर के ही वर्ग का शब्द है; पर इसमें कुछ अतिरिक्त भाव भी है। जब किसी ओर से वेगपूर्वक आनेवाली वस्तु का तल दूसरी वस्तु के तल से टकराता है और उस वस्तु पर आकर टकरानेवाली वस्तु की किसी प्रकार की छाप या प्रभाव पडता है, तब उसे सघात कहते हैं। इसमें उन तलों का भाव प्रधान है जो आपस में टकराते हैं। तोप के गोलों के सघात से किले की दीवारे टूट जाती हैं, और चाँद-मारी के लिए ऐसे तख्ते बनाये जाते हैं, जो गोलियों का सघात सह सके। लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग अ-भौतिक या अ-मूल्य पदार्थों के सम्बन्ध में भी होता है। जैसे—नई पीढी के लोग मन में नये नये विचारों के सघात का अनुभव करते हैं। फिर भी यह स्थानिक ही होता है, और इसकी व्याप्ति उसी तल तक या उसके आस-पास परिमित रहती है, जिसपर या जिससे सघात होता है। सच्चोभ उस परिणाम या प्रभाव का सूचक है जो सघातवाले तल के सिवा शेष सारे शरीर पर पडता है। सघात से जो उत्तेजना, क्षोभ या स्तब्धता होती है, वही सच्चोभ है। बोल-

चाल में यही धक्का कहलाता है। यह मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी और मनोभाविक भी, पर सभी अवस्थाओं में यह समय पाकर बहुत-कुछ घट जाता और प्रायः नष्ट हो जाता है। इसमें प्रबल आघात के दुष्परिणाम का भाव मुख्य है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या बहुत बड़ी हानि से तो सन्नोभ होता ही है; आज-कल उन्माद के रोगियों की चिकित्सा उनके मस्तिष्क पर विद्युत् का सक्षाम पहुँचाकर भी की जाती है। विद्युत् का प्रयोग प्रायः पारि-भाषिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में होता है। यह सघात और सन्नोभ से उत्पन्न एक विशिष्ट प्रकार की भीतरी शारीरिक विकृति का सूचक है। बाहर से कोई भारी सघात होने पर कभी कभी भीतरी अंग भी आपस में कुछ रगड़ खाकर खराब हो जाते हैं और ठीक तरह से काम करने के योग्य नहीं रह जाते। यही उन अंगों का विघात है। यदि लाठी की चोट या जमीन पर गिरने से सिर की हड्डी टूट जाय, तो यह लाठी या जमीन के सघात का परिणाम होगा। अब यदि उस चोट से आदमी बेहोश हो जाय, तो यह उस सघात से उत्पन्न सन्नोभ का फल होगा। अथवा यदि इनमें से कोई बात न होने पर (या होने पर) भी मस्तिष्क के भीतरी भागों में आपस की रगड़ के कारण कोई विकार उत्पन्न हो और मस्तिष्क ठीक तरह से काम करने के योग्य न रह जाय, तो भी कहा जायगा कि मस्तिष्क में विघात हुआ है। जो आघात या सघात जान-बूझकर और किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में वही समाघात कहलाता है। शब्द-लहरियाँ, विस्फोट, स्पन्दन आदि समाघात से ही उत्पन्न होते हैं। दोल, मँजीरा, घडियाल आदि बजाने के लिए जो आघात किया जाता है, वह भी समाघात ही है।

— — —

तत्त्व (Element)

अणु (Molecule)	परम तत्त्व (Matter)
कण (Particle)	परमाणु (Atom)
कनी=कण	भूत (Matter)
द्रव्य=भूत	महाभूत=भूत
पदार्थ=भूत	

भूत का मूल अर्थ है—होना, और इससे विशेषण भौतिक बनता है। पर वाद में यह शब्द उन सब वस्तुओं का वाचक हो गया, जिनका वास्तविक अस्तित्व होता है। जब हमारे यहाँ के दार्शनिक लोग सृष्टि की रचना और उसके मूल तत्त्वों तथा सिद्धान्तों का विचार करने लगे, तब उन्हें सबके मूल में कई तरह के पदार्थ या भूत दिखाई दिये, और भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने इनके भिन्न-भिन्न रूप, लक्षण और संख्याएँ स्थिर कीं—पर सावयव सृष्टि मुख्य रूप से इन पाँच चीजों की बनी हुई मानी जाती थी। पृथ्वी (या घन तत्त्व), जल (या तरल तत्त्व), वायु (या वाष्पीय तत्त्व) अग्नि (या तेजस् तत्त्व) और आकाश (जिसे अँगरेजी में ईश्वर कहते हैं)। ये पाँचों भूत या महाभूत कहलाते हैं, और इसी लिए सृष्टि की सब चीजों को भौतिक जगत कहते हैं। इन्हीं को कहीं कहीं तत्त्व, द्रव्य या पदार्थ भी कहते थे। इन भूतों और इनके कुछ दूसरे रूपों के आधार पर वैशेषिक ने ६ द्रव्य और सांख्य ने २५ तत्त्व माने थे। पर आगे चलकर मुख्यतः ५ तत्त्व या भूत ही प्रधान रह गये, और द्रव्य तथा पदार्थ केवल वस्तु या चीज के अर्थ में प्रयुक्त होने लगे। (दे०—वस्तु) हमारे यहाँ के दार्शनिक युग के उपरान्त जब पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक युग आया और इस क्षेत्र में अधिक छान-बीन और प्रयोग होने लगे, तब पुरानी धारणाएँ बदलने लगीं, और नये नये तत्त्वों का पता लगने लगा। तब तक भारत में भूत शब्द भी पुराना पडने के सिवा प्रेतात्मा का वाचक बन गया था, और इस क्षेत्र में भारत में केवल तत्त्व और अँगरेजी में केवल एलिमेंट्स

(Element) शब्द प्रधान हो चुका था । सिद्धान्त यह स्थिर किया गया कि वास्तविक तत्त्व वही है जो एक ही प्रकार के संयोजक परमाणुओं से बना हो, अर्थात् जिसका विश्लेषण करने पर एक प्रकार के परमाणुओं के सिवा और कुछ मिलता ही न हो, और इसी लिए जिसका और अधिक विश्लेषण व्यर्थ सिद्ध हो । अब इसी से सम्बन्ध रखनेवाले नये नये अन्वेषण होते हैं ।

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने नये नये प्रयोगों से सिद्ध किया कि जल वास्तव में मूल भूत नहीं है, उसमें दो-तिहाई आक्सिजन और एक-तिहाई हाईड्रोजन है । एक जल के स्थान पर ये दो मूल तत्त्व आ गये । इसी प्रकार वायु में भी आक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बोनिक अम्ल वात तथा कुछ दूसरे तत्त्व मिले, और इसलिए वायु का भी तत्त्व के क्षेत्र से बहिष्कार हो गया । अग्नि इसलिए तत्त्व नहीं रह गई कि वह शक्ति मात्र थी—कोई द्रव्य, पदार्थ या भूत नहीं थी । आधुनिक वैज्ञानिकों को अब तक ऐसे ६८ मूल तत्त्व* मिल चुके हैं, जिनका संघटन किसी एक ही प्रकार के परमाणुओं से हुआ है और जिनमें उस प्रकार के परमाणुओं के सिवा और किसी प्रकार के परमाणु होते ही नहीं । इनमें अधिकतर तत्त्व घन रूप में, थोड़े-से द्रव रूप में और कुछ बाष्पीय या वायविक रूप में हैं । इसी आधार पर लौकिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में तत्त्व उस सारयुक्त गुण या विशेषता का वाचक बन गया है जो किसी मूर्त्त या अमूर्त्त वस्तु अथवा विषय का मूल आधार हो और जिसके बिना या तो उस मूर्त्त वस्तु का अस्तित्व ही न हो सकता हो या उस अमूर्त्त वस्तु या विषय की कोई उपयोगिता ही न रह जाती हो ।

✽ आज-कल का नया वैज्ञानिक सिद्धान्त यह है कि इन ६८ तत्वों के मूल में भी मुख्य रूप से एक ही तत्व काम करता है जो सभी तत्वों के परमाणुओं में समान रूप से व्याप्त है । वस्तुतः यही मूल द्रव्य या परम तत्व है जो भिन्न-भिन्न रूपों में सारी सृष्टि और उसके सब अंगों तथा पदार्थों में स्थित रहकर उनका अस्तित्व बनाये रखता है । तत्त्व, पदार्थ, भूत आदि सब का मूल यही है । इसी के साथ ऊर्जा (Energy) का संयोग होने पर सृष्टि की उत्पत्ति तथा विकास होता और उसके सब काम चलते हैं ।

कडी और ठोस चीज का बहुत ही छोटा टुकड़ा कण कहलाता है। हिन्दी में इसी को कनी कहते हैं। बालू या रेत की प्रत्येक इकाई उसका कण है। धूल के भी कण होते हैं और अनाज के टूटे-फूटे दानों के भी। सोने-चाँदी आदि धातुओं के भी और हीरे-पत्थर आदि रत्नों के भी छोटे-छोटे टुकड़े कण ही कहलाते हैं। पर ऐसे सभी कण रज्य जिन बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों के योग और संयोजन से बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। विज्ञान में किसी तत्त्व का वह सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है, जिसके और अधिक टुकड़े हो ही नहीं सकते। अर्थात् परमाणु वह है जो किसी प्रकार काटा, तोड़ा या विभक्त न किया जा सकता हो, अथवा जिनके और अधिक छोटे टुकड़ों की कल्पना ही न हो सकती हो। इसका दूसरा वैज्ञानिक लक्षण यह है कि यह एक ही तत्त्व का बना हुआ होता है, और इसमें एक तत्त्व के अणुओं के सिवा दूसरे तत्त्व का कोई अंश होता ही नहीं। कई परमाणुओं के योग से उसका जो कुछ बड़ा रूप बनता है, वही अणु कहलाता है। कण और अणु में दो मुख्य अन्तर हैं। एक तो यह कि कण से अणु बहुत छोटा होता है—एक कण में लाखों, करोड़ों अणु होते हैं। दूसरे यह कि कण तो तोड़ फोड़ कर छोटा भी किया जा सकता है, पर अणु तोड़ा नहीं जा सकता—केवल विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं से ही उसके परमाणु अलग किये जा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अणु किसी चीज का वह छोटे से छोटा टुकड़ा है जिसमें उस चीज का विशिष्ट रूप या गुण किसी न किसी अंश में वर्तमान हो। अणु का विभाजन या विश्लेषण होने पर उसमें मूल वस्तु की विशेषता या रूप नहीं रह जाता, बल्कि वह किसी मूल तत्त्व के परमाणुओं में बदल जाता है। उदाहरणार्थ—यदि जल के अणु का रासायनिक विश्लेषण किया जाय, तो पता चलेगा कि वह ऑक्सिजन के एक कण और हाइड्रोजन के दो कणों के योग से बना है।

त्वचा (Skin)

खाल (Pelt)

छाल (Bark)

खोपड़ी (Shell)

छिलका (Peel)

चमड़ा (Hide)

पपड़ी (Crust)

झिल्ली

भूसी (Husk)

ये सब शब्द उस ऊपरी आवरण के सूचक हैं जो किसी कोमल वस्तु या शरीर के बाहरी या भीतरी कोमल अंगों या तन्तुओं की रक्षा के लिए उनके ऊपरी या बाहरी भाग के साथ चिपका या सटा रहता है और खींच या छीलकर हटाया जा सकता है। त्वचा पशुओं और मनुष्यों के शरीर का वह ऊपरी आवरण है, जिस पर प्रायः बाल या रोएँ उगे हुए होते हैं। मनुष्यों की त्वचा कोमल, चिकनी और पतली होती है, पर गैंडे या हाथी की कड़ी, खुरदुरी और मोटी होती है। सभी प्रकार की त्वचाएँ खींच या छीलकर शरीर से अलग की जा सकती हैं। बहुत छोटे-छोटे जीवों में यह प्रायः बहुत ही पतली होती है, और यही पतली त्वचा झिल्ली कहलाती है। जीव-जन्तुओं और मनुष्यों के अङ्गि-गोलक पर सामने की ओर जो बहुत पतला आवरण होता है, उसे भी झिल्ली ही कहते हैं। स्वयं त्वचा के ऊपर भी इसी प्रकार की झिल्ली होती है, जो साधारण दुर्घटना आदि के कारण छिलकर अलग हो जाती है। कभी-कभी कुछ गाढ़े तरल पदार्थों के ऊपर भी जो पतला आवरण-सा जम जाता या निकल आता है, उसे पपड़ी ही कहते हैं। चमड़ा (स० चर्म) भी है तो वही, जो त्वचा है, पर इसका प्रयोग मुख्यतः उस त्वचा के लिए होता है जो मृत जीव-जन्तुओं के शरीर से खींचकर औद्योगिक व्यवहारों के लिए अलग कर ली जाती है। सारे शरीर पर से खींचकर निकाला हुआ ऐसा पूरा आवरण अपनी प्रकृत अवस्था में खाल कहलाता है। चीते, शेर आदि की खालें प्रायः साधु लोग ओढ़ते-बिछाते हैं। इसी खाल पर से जव्व रोएँ आदि खुरचकर साफ कर लिये जाते हैं और इसे सिझाकर कई तरह की चीजें बनाने के योग्य कर लेते हैं, तब इसे चमड़ा कहते हैं। इस चमड़े के जूते, तस्मे, पेटियाँ आदि दैनिक व्यवहार की बहुत-सी चीजें

बनती हैं। वृक्षों आदि के तनों पर इस प्रकार का जो कड़ा, खुरदुरा और मोटा आवरण होता है, वह छाल कहलाता है। छालों का प्रयोग प्रायः वैद्यक में अनेक प्रकार के औषध बनाने और कई तरह के रंग आदि तैयार करने में होता है। अन्नो, फलों आदि के ऊपर इस प्रकार का जो आवरण होता है, वही छिलका कहलाता है। यह बहुत पतला और मुलायम भी होता है (जैसे—चने की दाल, अमरूत या सेब का छिलका), कुछ मोटा भी हो सकता है (जैसे—केले का छिलका), और कड़ा, खुरदुरा तथा यथेष्ट मोटा भी हो सकता है (जैसे कटहल का छिलका)। जब यह छिलका बहुत अधिक मोटा और इतना कड़ा होता है कि बिना भारी आघात के नहीं टूट सकता, तब इसे खोपड़ी * कहते हैं। हमारे यहाँ नारियल की खोपड़ी तो प्रसिद्ध ही है, अखरोट, बादाम आदि के ऊपरी कडे और मोटे छिलके को भी हम खोपड़ी कह सकते हैं। अनाबो के दानो आदि के ऊपर का बहुत पतला और हलका छिलका भूसी कहलाता है। भूसी इतनी छोटी, पतली और हलकी होती है कि साधारणतः छीलकर नहीं निकाली जा सकती। यह प्रायः दानों के सूख जाने पर उन्हें कूटकर ही निकाली जाती है। जैसे—चने, जौ या इसब (यशव) गोल की भूसी।

दयनीय (Pitiful)

दयापात्र (Pitiable)

शोचनीय (Deplorable)

दयनीय शब्द स० दया से बना हुआ विशेषण है, इसका शब्दार्थ है—जिस पर दया आती हो अथवा जो दया किये जाने का पात्र हो। पर इसका मुख्य आशय या भाव इस शब्दार्थ की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तृत (और दयापात्र) से भिन्न है। यह विशेषण ऐसे व्यक्ति (अथवा अवस्था, दशा, स्थिति आदि) के लिए

* इसे बँगला में खोला और मराठी में कवची कहते हैं। खोपड़ी के अर्थ में कवची का हिन्दी में भी प्रयोग हो सकता है। बँगला में 'खोला' का प्रयोग प्रायः सभी तरह के छिलकों के लिए होता है।

प्रयुक्त होता है, जो बहुत ही दीन-हीन हो गया हो और जिसकी दीनता आपसे आप हमारे मन में दया उत्पन्न करती हो और हम में यह विचार उत्पन्न करती हो कि हो सके तो इसकी कुछ सहायता भी की जाय। पर इसमें सहायता की प्रेरणा-वाला भाव गौण ही है, और मुख्य तत्त्व देखनेवाले के मन में दया का भाव जाग्रत होना ही है। दयनीय बहुधा वही होता है, जो अच्छी दशा या स्थिति में गिरकर बुरी दशा या स्थिति में पहुँच गया हो अथवा जिसे साधारणतः अपेक्षया अच्छी दशा या स्थिति में होना चाहिए था। यदि कोई अच्छा आदमी अपने दोषों अथवा विकृत परिस्थितियों के कारण दुर्दशा-ग्रस्त हो गया हो तो वह दयनीय माना जायगा। दशा भी तभी दयनीय होगी जब वह बिगड़कर हीन हो गई हो। इसी लिए कहा जाता है—आज-कल उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। दयापात्र वह व्यक्ति है जो अपनी प्राकृतिक या स्वाभाविक दुर्बलता, त्रुटि, स्थिति आदि के कारण सदा सबकी दया का विषय बना रहने के योग्य हो, जिस पर दया करना मनुष्य का साधारण और स्वाभाविक धर्म हो। शिशु, बालक, भिखमग, रोगी आदि साधारणतः सबकी दया के पात्र होते हैं। स्त्रियाँ और वृद्ध भी सदा दयापात्र समझे जाते हैं, उनके साथ उग्र या कठोर व्यवहार करना नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। शोचनीय वह दशा है जिसे देखकर मन में शोच उत्पन्न होता हो। शोच हमारे मन का वह भाव है जो किसी दुर्दशा या दुरवस्था के प्रति कष्ट, विन्ता, दया, सहानुभूति आदि से युक्त होता है। जिस अवस्था को देखकर हमारा मन कष्ट से भरकर द्रवित होने लगे, वह शोचनीय है। अशिक्षित और दरिद्र देहातियों की हीन दशा अथवा युद्ध-क्षेत्र में भूखे-प्यासे और तडपाते हुए प्रायलो की दशा शोचनीय होती है। यदि कोई मरणासन्न व्यक्ति कई दिनों से पडा हुआ घोर शारीरिक कष्ट भोग रहा हो, तो उसकी यह दशा भी शोचनीय कही जायगी। दयनीय व्यक्ति भी होता है और अवस्था या दशा भी, पर दयापात्र केवल व्यक्ति होता है, और शोचनीय सदा अवस्था या दशा ही होती है।

दया (Mercy)

अनुकम्पा (Pity)	मार्दव (Leniency)
अनुग्रह (Favour)	राज दया (Clemency)
करुणा (Compassion)	रिआयत=मार्दव
कृपा (Kindness)	संवेदना
क्षमा (Excuse, Forgive, Pardon)	सहानुभूति (Sympathy)
क्षमाशीलता (Forgiveness)	सान्त्वना (Consolation)
प्रसाद (Grace)	

ये सब शब्द ऐसे उदारतापूर्ण तथा कोमल मनोभावों के सूचक हैं जो दूसरों के कष्ट, दोष आदि देखने पर सज्जन अथवा समर्थ सहृदयों में उत्पन्न होते हैं। यदि कोई अपराध या दोष करे और हाथ में शक्ति रहने पर भी हम उसे दण्ड न देकर या यो ही थोड़ा दण्ड देकर छोड़ दे अथवा यह सोचकर जाने दे कि हमारे दण्ड से उसे कष्ट होगा, तो यह उस अपराधी या दोषी पर दया करना कहलावेगा। यदि किसी को यो ही बहुत कष्ट में देखकर हम उसका कष्ट कम करने का प्रयत्न करें, तो यह भी दया ही होगी। जिस पर दया की जाती है, उसके मंगल की कामना भी साथ में अवश्य होती है। जो किसी तरह हमारे वश में हो या हमारे हाथ में दबाना हो, उसके साथ उग्र या कठोर व्यवहार न करना भी दया है। हम जंगल में डाकूओं से घिरने पर इसलिए उनकी दया चाहते हैं कि वे हमारी हत्या न करें। साधारणतः दया की जगह कृपा का भी प्रयोग देखने में आता है। पर दोनों में कुछ अन्तर है। दया तो केवल अधीनस्थ या छोटों पर भी होती है, पर कृपा का व्यवहार छोटे के सिवा बराबरवालों के साथ भी होता है। कृपा का भाव सज्जन पुरुषों में बहुत-कुछ स्वाभाविक होता है; और सद्गुणों का एक अंग-सा है। कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं, जहाँ कृपा की जगह

दया का प्रयोग खटकता है। यदि हम अपने किसी मित्र से कहे—‘हमारे भाई साहब की कृपा से आपका काम हो गया।’ तो वह सम्भवतः प्रसन्न होकर कृतज्ञता ही प्रकट करेगा। पर यदि हम उक्त वाक्य में कृपा की जगह दया कह जायें, तो वह बहुधा अपनी हेटी ही समझेगा। राज-दया राजा या प्रधान शासक की ओर से होनेवाली वह दया है जो विशिष्ट अवसरों पर बड़े-बड़े दरदनीय या दण्डित अपराधियों के प्रति होती है और जिसके फल-स्वरूप वे दण्ड-भोग से बच जाते हैं। किसी को कष्ट या सकट में देखकर हमारे मन जो कष्टप्रद अनुभूति उत्पन्न होकर हममें उसका वह कष्ट या सकट दूर करने का भाव उत्पन्न करती है, वही अनुकम्पा है। इसमें किसी की विपत्ति से दुःखी होकर उसपर दया करने का भाव मुख्य है। यह सदा छोटे और दुर्बलों के प्रति होती है। करुणा भी है तो बहुत कुछ अनुकम्पा की ही तरह की चीज, पर यह छोटे और दुर्बलों के सिवा बराबरवालों और बड़े के प्रति भी हो सकती है। यदि कोई राज-परिवार बहुत बड़े सकट में पड़ जाय तो उसकी दशा देख-सुनकर किसी भिखारी के मन में भी करुणा उत्पन्न हो सकती है। इसमें सहानुभूतिवाले गौरवपूर्ण तत्त्व के सिवा सहृदयतावाला आदरणीय तत्त्व भी रहता है। सहानुभूति स० सह + अनुभूति के योग से बना हुआ शब्द है, और इसका शब्दार्थ है—वैसी ही अनुभूति होना, जैसी किसी दूसरे को हो रही हो। ऐसी अनुभूति दूसरे के दुःख के सम्बन्ध में भी हो सकती है और सुख के सम्बन्ध में भी। इसका उद्गम गुण, प्रवृत्ति, स्वभाव आदि की समानता और सहृदयता में होता है। आपको उदास देखकर हम भी उदास हो जाते हैं, और आपकी प्रसन्नता से हमें भी प्रसन्नता होती है। वस्तुतः यही सहानुभूति है। पर आल-कल प्रयोग के विचार से इसका यह मौलिक अर्थ कुछ सकुचित हो गया है, और इसका प्रचलन केवल कष्ट, विपत्ति, शोक आदि के प्रसंगों में रह गया है। किसी मित्र के यहाँ कोई दुर्घटना होने पर उसके पास सहानुभूति सूचक पत्र भेजा जाता है, अथवा स्वयं पहुँचकर सहानुभूति प्रकट की जाती है। कुछ विस्तृत अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, पर कम। जैसे दूसरों के मतों और सम्मतियों पर हमें सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। आशय यही होता है कि केवल विरोधी भाव से विचार नहीं

करना चाहिए, बल्कि उसका दृष्टि-कोण भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए * ।
 आर्थां दृष्टि से सवेदना भी बहुत-कुछ वही है, जो सहानुभूति है, क्योंकि इसका
 अर्थ है—वैसा ही वेदन (अनुभूति या ज्ञान) होना, जैसा कष्ट, सकट आदि
 के अवसर पर दूसरों को होता है । इसका प्रयोग भी केवल विपत्ति, शोक
 आदि के प्रसंगों में होता है । सान्त्वना भी इसी वर्ग का शब्द है, पर इसमें
 मुख्य तत्त्व धैर्य धारण करने का परामर्श देते हुए किसी का कष्ट या दुःख कम करने
 का प्रयत्न करना है । इसका उद्देश्य किसी के मन पर पडा हुआ भार हलका
 करना होता है । इस दृष्टि से इसका कार्य-क्षेत्र कोणी सहानुभूति और सवेदना-
 वाले क्षेत्रों से कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है । यदि हम किसी के पुत्र-शोक के
 समय कहे—‘हमें इससे बहुत दुःख हुआ । बहुत ही योग्य लड़का था । बुढ़ापे
 में उससे आपको सुख मिलना चाहिए था, उल्टे यह दुःख मिला ।’ आदि, तो
 यह कथन सहानुभूति या सवेदना तक ही परिमित रहेगा । पर यदि हम कहें—

❁ अँगरेजी में सिम्पैथी से बने हुए विशेषण सिम्पैथेटिक (Sympathetic)
 का प्रयोग और भी अधिक विस्तृत अर्थ तथा क्षेत्र में होता है । चोट, फोडे-
 फुन्सी, विष-पान आदि के कारण शरीर में जो ज्वर होता है, उसे सिम्पैथेटिक
 फीवर कहते हैं । हमारे यहाँ इसे आगन्तुज ज्वर कहते हैं । आस-पास की
 वनस्पतियों के रंगों से मिलते-जुलते कीड़ों-मकोड़ों के जो रंग होते हैं, वे
 भी सिम्पैथेटिक कलर कहलाते हैं । इसके लिए हमारे यहाँ का शब्द
 सवादी रंग है । कभी-कभी किसी धातु-खड पर आघात करने से कुछ क्षन-
 कार निकलती है, और उस क्षनकार की प्रतिक्रिया से पास रखे हुए दूसरे
 धातु-खड में से भी कुछ वैसी ही क्षनकार निकलने लगती है, जिसे अँगरेजी
 में सिम्पैथेटिक वायब्रेशन कहते हैं । इसे भी हम सवादी स्पन्दन तो कह
 सकते हैं, पर यह सवादी विशेषण ज्वर के साथ ठीक नहीं बैठता । यदि इस
 सिम्पैथेटिक के लिए हम ‘अनुषंगी’ शब्द रख ले तो सभी क्षेत्रों में समान रूप
 से इसका प्रयोग हो सकेगा । जो सहानुभूति से भी काम चल सकता है,
 पर उसमें पारिभाषिकतावाले तत्त्व का अभाव ही रहेगा ।

‘आपके बाकी दोनो लडके सकुशल रहे । ये उसके स्थान की पूर्ति करेंगे ।’ अथवा ‘हम (या हमारे भाई, लडके आदि) सदा आपकी सेवा और सहायता के लिए तैयार हैं । जब कोई आवश्यकता हो, तब हमे बुला लीजिएगा ।’ आदि, तो यह बात सान्त्वना कहलावेगी । करुणा, सवेदना और सहानुभूति का क्षेत्र तो मनोभावो तक ही सीमित रहता है, पर अनुकम्पा, अनुग्रह, दया आदि प्राय और आगे बढ़कर कुछ कर भी दिखाती हैं । क्षमा का प्रयोग केवल अपराध, अवज्ञा, उपेक्षा, कर्त्तव्य-न्युति, त्रुटि, दोष आदि के प्रसंगो मे होता है, और इसमे मुख्य भाव अपराध, दोष आदि पर ध्यान न देकर उसके कर्त्ता को दण्ड-भोग से उदारतापूर्वक मुक्त कर देने का है । इसमे यह भी भाव होता है कि अपराधी या दोषी के प्रति अधिकारी के मन मे जो उत्तेजना, क्रोध या दुर्भाव पहले उत्पन्न हुआ था, वह अब दूर हो गया अथवा नहीं रह गया है । मार्दव या रिआयत भी क्षमा के ही वर्ग मे आती है । मार्दव स० मृदु से बना हुआ उसका वैसा ही भाव-वाचक रूप है, जैसा मृदुता* है; और रिआयत उसी अरबी गिश्वा से बना हुआ शब्द है, जिससे रिआया या रिपेयत (प्रजा) बना है । रिआयत का प्राथमिक अर्थ है—देख रेख और रक्षा; और दूसरा अर्थ है—पक्षपात । पर प्रस्तुत प्रसंग मे इसका अर्थ है—दण्ड, भर्त्सना, व्यवहार आदि म उतनी कठोरता या दृढता न दिखाना, जितनी साधारणत दिखाई जाती है । हम दण्ड देने के समय भी किसी विशिष्ट कारण से किसी के प्रति जो मृदुता दिखाते हैं, वही मार्दव या रिआयत है । इससे सूचित होता है कि शक्तिशाली ने अपनी दया और सद्भाव का मां कुछ परिचय दिया है । माता-पिता या शिक्षक दुष्ट बालकों को दण्ड देते समय और बड़े-बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों या छोटे व्यापारियों के साथ दर-भाव निश्चित करने के समय कुछ मार्दव दिखलाया

❀ हमारी समझ में अ० माइल्डनेस (Mildness) के लिए मृदुता और लीनिएन्सी (Leniency) के लिए मार्दव शब्द रखना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि मृदुता केवल भाव-वाचक है, परन्तु मार्दव में अपेक्षया कुछ अधिक और गुण-वाचक भी भाव है ।

रिआयत कर सकते हैं। अनुग्रह और प्रसाद दोनों कृपा और दया के स-वर्गीय हैं, और सदा क्रियात्मक रूप में प्रकट होते हैं। किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना अनुग्रह है। यह बहुधा सुपात्र के प्रति ही होता है। प्रसाद हमारे धार्मिक क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध शब्द है। यद्यपि इसके मूल अर्थ स्पष्टता, स्वच्छता आदि हैं, पर साधारणतः प्रचलित अर्थ में यह किसी की प्रसन्नता का सूचक तर्क है। हम कहते हैं—हमारा सारा वैभव आपका ही प्रसाद है। आशय यही होता है कि यह सब आपकी ही प्रसन्नतापूर्ण कृपा का परिणाम या फल है। मन्दिरों में देवताओं का जो प्रसाद बँटता है, वह भी मूलतः देवता की प्रसन्नतापूर्ण कृपा का ही सूचक होता है। प्रस्तुत प्रसंग में प्रसाद उस काम, बात या वस्तु का सूचक है जो बड़े लोग प्रसन्न होकर किसी के हित के लिए करते या किसी को देते हैं। ससार में हमें जो अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुएँ दिखाई देती हैं और उन वस्तुओं का भोग करने की हममें जो शक्ति है, वह सब ईश्वर का ही प्रसाद है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें अनधिकारी और अधिकारी अथवा कुपात्र और सुपात्र का विचार प्रायः नहीं होता, और कुछ अवसरों पर तो अनधिकारी या कुपात्र ही विशिष्ट रूप से प्रसाद का भागी होता है। यदि कोई अयोग्य लडका परीक्षा में एक दो अंकों की कमी के कारण ही उत्तीर्ण होने से वंचित रहता हो, तो परीक्षक प्रसाद रूप में एक दो अंक बढ़ाकर उसे उत्तीर्ण कर देता है।

दान (१. Giving, act of २. Charity)

अधिदेय (Premium)	परिदान (Subsidy)
अनुदान (Grant)	पारितोषिक (Prize)
अभिदान (Bounty)	पुरस्कार (Reward)
इनाम=१.पारितोषिक २.पुरस्कार प्रदान (Bestowing)	
दक्षिणा	रिक्थ-दान (Bequest)
देन (Boon)	वृत्ति-दान (Endowment)

दान का प्राथमिक अर्थ है—किसी को कुछ देना । देने की क्रिया भी दान कहलाती है, और जो कुछ दिया जाय, वह भी दान कहलाता है । बहुत प्राचीन काल से ही यह शब्द विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगा था । जड़ बड़े बड़े राजा-महाराज यज्ञ करते थे, तब वे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों और याज्ञिकों को गौएँ, जमीनें, सोने-चाँदी के टुकड़े आदि बाँटा करते थे । इसी को 'दान' कहते थे । मध्य युग में यज्ञों आदि की परम्परा उठ जाने पर भी बड़े आदमी गरीबों को जो धन आदि देते थे, वह भी दान कहलाता था । हिन्दुओं में अब भी धार्मिक दृष्टि से ब्राह्मणों आदि को सकल्प-पाठ करके जो कुछ दिया जाता है, वह भी दान कहलाता है । इसलिए यह शब्द एक विशिष्ट भाव से युक्त हो गया है । बड़ों या समर्थों की ओर से छोटों को प्रसन्नतापूर्वक सहायता के रूप में जो कुछ दिया जाता है, वही दान है । इसमें दूसरों के उपकार, कल्याण आदि का भाव प्रधान है । आप भिखमगो को एक पैसा भी दे दे तो वह आपका दान ही कहलावेगा । पर यदि भिखमगो किसी श्रवसर पर आपको अपना सर्वस्व भी दे दे, तो वह उसका दान नहीं कहलावेगा । हाँ यदि वह भी किसी लोकोपकार के या सार्वजनिक कार्य में थोड़ा-बहुत धन दे तो उसका यह देना भी दान ही कहलावेगा । इसी दृष्टि से विधिक क्षेत्र में दान व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ देने की वह क्रिया है जो अपनी इच्छा से, उदारता या धर्म-भावपूर्वक की जाय या दी जानेवाली वह चीज है जो किसी प्रतिकार या प्रतिफल की आशा किये

बिना अपनी इच्छा से दी जाय। इसमें से छोटे-बड़ेवाला भाव दिन पर दिन निकलता जाता है, और प्रायः उदारता, त्याग, लोकोपकार आदि के भाव मुख्य होते जा रहे हैं *। आज-कल जीवन-दान, भू-दान, श्रम-दान आदि पद बहुत प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे अवसरों पर दान का अर्थ होता है—दूसरों के भले के लिए उदारतापूर्वक कुछ करना या देना। पर होता यह मुख्यतः वैयक्तिक ही है। प्रदान का भी बहुत कुछ इसी से मिलता-जुलता अर्थ है, पर एक तो इसमें दान का धर्म-भाववाला पुट नहीं है, दूसरे इसका प्रयोग सदा बड़ों की ओर से छोटों को मिलनेवाली चीजों के सम्बन्ध में होता है, छोटों की ओर से बड़ों को दी जानेवाली चीजों के सम्बन्ध में नहीं। सरकार कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करती है; बड़े बड़े पंडित और विद्वान् आशीर्वाद या प्रसाद प्रदान करते हैं, और अधिकारी अपने अधीनस्थों को किसी काम या बात की अनुमति प्रदान करते हैं। पर यह कहना ठीक नहीं है—(क) राज्यपाल को मानपत्र प्रदान किया गया। अथवा (ख) भाई साहब को आज मैंने एक पुस्तक प्रदान की है। ऐसे प्रसंगों में भेट (दे० 'अर्पण' के अन्तर्गत) या इससे मिलते-जुलते किसी नम्रतासूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अनुदान वह आर्थिक सहायता है जो किसी बड़े अधिकारी या आधिकारिक सस्था की ओर से किसी को अथवा किसी विशेष कार्य के लिए दी जाती है। इसमें धन के अधिक या सम्पत्ति के बहुमूल्य होने का भाव प्रधान है। जैसे—इस वर्ष सरकार से हमारे पुस्तकालय को नई पुस्तकें खरीदने (या गाँव में दो तालाब बनवाने) के लिए पचीस हजार रुपये का अनुदान मिला है, अथवा यह जमींदारी उन्हें मुगलों के शासन काल में अनुदान के रूप में मिली थी। परिदान वह आर्थिक सहायता है जो राज्य या सरकार की ओर से किसी व्यक्ति या व्यापारिक सस्था को किसी नये उद्योग के परिवर्द्धन या प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। यदि देश में कोई ऐसा नया उद्योग या कारखाना खुले जिसमें आरम्भ में कुछ घाटा होता हो तो वह घाटा पूरा करने के लिए सरकार की ओर से जो धन मिलेगा, वह परिदान होगा। युद्ध के

❁ विशेष दे० 'चन्दा' के अन्तर्गत दत्त और अन्न दान।

समय कोई राष्ट्र अपने किसी साथी राष्ट्र को युद्ध जारी रखने के लिए जो आर्थिक सहायता देता है, उसे भी परिदान ही कहते हैं। अभिदान भी वही आर्थिक सहायता है जो राज्य या सरकार की ओर से उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है, पर इसका क्षेत्र यही तक परिमित है। इसका प्रयोग उस आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में नहीं होता जो युद्ध आदि के समय छोटे राष्ट्रों को बड़े राष्ट्र देते हैं, संस्कृत में रिक्थ का अर्थ है—वह सम्पत्ति जो कोई व्यक्ति मरने के समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ आता है। आज-कल रिक्थ-दान वह कहलाता है, जो किसी के नाम यह कहकर लिख दिया जाता है कि हमारी मृत्यु के उपरान्त यह (धन-सम्पत्ति) अमुक को मिले। यह अपने वास्तविक या नियत उत्तराधिकारी व्यक्तियों के नाम भी हो सकता है और लोकोपकार की दृष्टि से सस्थाओं आदि के नाम भी। पर यह दाता की मृत्यु के उपरान्त ही प्राप्त होता है। वृत्ति का अर्थ है—जीवन-निर्वाह, भरण-पोषण आदि के उद्देश्य से दिया जानेवाला धन। इसी लिए वृत्ति दान वह कहलाता है जो किसी को इस उद्देश्य से दिया जाता है कि पानेवाला इसकी सहायता से अपना जीवन निश्चिन्त होकर या सुखपूर्वक बिता सके। दक्षिणा हमारे यहाँ के धार्मिक क्षेत्र का शब्द है। प्राचीन काल में यज्ञ करानेवाले ऋषियों, ब्राह्मणों आदि को राजा लोग दूसरी चीजों के साथ अर्थ के रूप में सोने-चाँदी के जो टुकड़े या सिक्के दिया करते थे, उन्हें दक्षिणा कहते थे। आज-कल भी ब्राह्मणों को जो वस्तुएँ दान करके दी जाती हैं, उनके साथ कुछ रुपये-पैसे भी दक्षिणा के रूप में दिये जाते हैं, अथवा ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद चलते समय कुछ नगद दक्षिणा दी जाती है। यों तो पुरस्कार और पारितोषिक दोनों वही हैं, जिसे इनाम (अरबी इनआम) कहते हैं, फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। पुरस्कार किसी के अच्छे काम या परिश्रम पूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर दिया जाता है। इसमें स्वयं कार्य की उत्कृष्टता के अतिरिक्त दाता की प्रसन्नता और रुचि का भी भाव होता है। सौ आदमी सौ तरह के काम करते हैं। दाता को उनमें से जिन लोगों के काम अच्छे जान पड़ते हैं, उन्हें वह पुरस्कार देता है। पर पारितोषिक बहुधा किसी प्रकार की प्रतियोगिता होने पर और उस प्रतियोगिता में कुछ लोगों के विजयी

या श्रेष्ठ सिद्ध होने पर अथवा कोई असाधारण योग्यता दिखलाने या उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। यह शब्द मूलतः परितोष से बना है, और इसी लिए इसमें प्रतियोगियों को परितुष्ट या प्रसन्न करने का भाव प्रधान है। (विशेष दे० 'वितन' के अन्तर्गत 'आनुतोषिक') देन कई बातों में इनसे भिन्न है। एक तो यह शब्द सदा बड़ों, बल्कि बहुत बड़ों की ओर से मिलनेवाली ऐसी उत्कृष्ट बातों या वस्तुओं का सूचक है, जिनमें लोगों का यथेष्ट उपकार या हित होता हो। दूसरे, यह दाता की उदारता या वदान्यता का भी सूचक होता है। तीसरे, इसमें कुछ विलक्षणता और विशेषता अथवा लोकोत्तरता का भाव भी निहित है। हम कहते हैं—प्रतिभा और विचक्षण बुद्धि ईश्वर की देन हैं। आशय यही है कि ये अर्जित नहीं की जा सकतीं, ईश्वर स्वयं कृपा करके जिन्हें दे, उन्हीं में पाई जाती हैं। अन्न और फल हमारे लिए प्रकृति की सबसे बड़ी देन हैं, अर्थात् इन्हीं के द्वारा हमें जीवन का सब से बड़ा सहारा मिलता है। यदि कोई विद्वान् बहुत बड़ा और अच्छा ग्रन्थ लिखे तो भी हम कहेंगे—हमारे लिए यह उनकी बहुत बड़ी देन है। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की दो बातें और हैं। एक तो यह कि देन भी दान की तरह है तो देने की क्रिया या भाव ही, पर यह मुख्यतः उस वस्तु का वाचक है जो किसी की ओर से हमें मिलती है। दूसरे, देन शब्द सीधे स० दान से व्युत्पन्न नहीं है, बल्कि वह हिन्दी व्याकरण के नियम के अनुसार हिं० देना क्रिया से उसी प्रकार बना हुआ इसका भाववाचक रूप है, जिस प्रकार लेना से बना हुआ लेन है। अधिदेय स० देय में अधि (=अधिक, अलग से, ऊपर आदि) उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। यों तो साधारण के अतिरिक्त या साधारण से अधिक जो कुछ दिया जाय, वही अधिदेय है; फिर भी पारिभाषिक क्षेत्रों में इसके कुछ विशिष्ट अर्थ तथा प्रयोग होते हैं। किसी प्रकार के कार्य, प्रयत्न आदि के लिए, किसी को प्रलोभन या प्रोत्साहन देने के विचार से, नियत अथवा नियमित और साधारण से अतिरिक्त जो और धन दिया जाता है, वही अधिदेय है। यों दिन भर काम करने पर मजदूर को साधारण मजदूरी तो मिलती ही है, पर यदि किसी विशिष्ट अवसर पर उतने ही समय में उससे और अधिक काम कराने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त धन दिया जाय,

तो वह अधिदेय कहलावेगा। कुछ बेचने के लिए साधारण छूट (कमीशन) के अतिरिक्त कुछ अधिक दिया जानेवाला धन भी अधिदेय ही कहा जायगा। आज-कल जान, माल आदि का बीमा कराने पर उसके बदले में बीमा मंडलियों (कम्पनियों) को नियत समयों पर जो नियत धन किस्तो या खंडियों के रूप में दिया जाता है, वह भी (अँगरेजी के अनुकरण पर) अधिदेय ही कहा जायगा।

दाम (Price)

अधिष्ठान=लगगत

मूल्य (१ Price, २. Value)

अर्घ (Worth)

लगगत (Investment)

स्वर्च=व्यय

लागत (Cost)

परिव्यय (१ Charge २. Cost) व्यय (Expenditure)

मान (Value आंशिक रूप में)

दाम यों तो हिन्दी में फारसी से आया हुआ माना जाता है, पर है यह मूलत यूनानी ड्रैम से व्युत्पन्न शब्द। प्राचीन यूनान में चाँदी का एक छोटा सिक्का होता था, जो ड्रैम कहलाता था, और उसकी तौल भी ड्रैम कही जाती थी। इसी से फारसी में दाम और संस्कृत में द्रम्म बना था। अतः हम दाम को सं० द्रम्म से ही व्युत्पन्न कह सकते हैं। अर्घ और मूल्य दोनों सं० शब्द हैं और एक दूसरे के पर्याय हैं। इसी अर्घ के पहले मह लगाने से महार्घ शब्द बनता है, जिसका हिन्दी रूप महंगा (अधिक दामवाला) है। मूल्य मूलतः विशेषण है और इसका पहला अर्थ है—जो किसी चीज के मूल या जड में हो। दूसरा अर्थ होता है—जो धन देकर (मोल) लिया जा सके। यों अर्थ के विचार से अर्घ, दाम और मूल्य में कोई अन्तर नहीं है। पर अर्घ का प्रचलन अब एक विशेष अर्थ में (अर्थ शास्त्र के ग्रन्थों में) होने लगा है। लोक में दाम और मूल्य दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। पर अँगरेजी में इस वर्ग के तीन अलग-

अलग शब्द और उनके अलग-अलग अर्थ या भाव हैं, अतः हिन्दी में भी इन शब्दों में भेद करना आवश्यक हो गया है* ।

हमारे यहाँ भी दाम मूलतः एक छोटा सिक्का ही था जिसका अर्थ एक दमड़ी के तीसरे या एक पैसे के चौबीसवें भाग के बराबर था । इसी से छुदाम (=६ दाम) शब्द बना या जो एक पैसे का चौथाई या और दुकड़ा भी कहलाता था । पर अब दाम (सिक्कों आदि के रूप में) वह धन कहलाता है, जो कोई चीज लेने के समय बदले में उसके मालिक को दिया जाता है । पहले यह बहुवचन में बोला जाता था, जैसे—इस चीज के कितने दाम देने पड़ेंगे ? पर अब यह एक-वचन में ही चलता है, जैसे—इस पुस्तक का क्या दाम देना पड़ा ? इसका प्रयोग चीजे खरीदने और बेचने के प्रसंग में ही होता है । जैसे—वह अपने मकान का दाम बीस हजार माँगता है, या इस भैंस का दाम तीन सौ रुपये लग चुका है, आदि । जहाँ खरीद-बिक्री न हो, वहाँ दाम का प्रयोग न तो जल्दी होता ही है और न होना ही चाहिए । यो लोग कह जाते हैं—आज-कल गेहूँ का दाम चढ़ गया है । पर वास्तव में यहाँ दाम की जगह दर या भाव

* अर्थ शास्त्र की हिन्दी पुस्तकों में Price को मूल्य और Value को अर्घ कहा जाता है । दाम को तो हमारे अर्थ-शास्त्रियों ने शायद फारसी का शब्द समझकर छोड़ दिया है, और Worth की ओर उन्होंने कदाचित् इसलिए ध्यान नहीं दिया कि वह उनके यहाँ कोई विशेष महत्व का या पारिभाषिक शब्द नहीं था । इस प्रकार एक ओर हिन्दी का दाम और दूसरी ओर अँगरेजी का Worth खाली पड़ जाता है । कुछ शब्दकारों ने अर्थ-शास्त्रियों की यह भूल सुधारने का प्रयत्न न करके Worth के लिए अर्हा शब्द सुझाया है । पर एक तो अर्हा शब्द के हिन्दी में चल सकने की कोई सम्भावना नहीं है; दूसरे अर्थ और अर्हा में कोई विशेष मौलिक अन्तर भी नहीं है । जैसा कि इस शब्द-माला के शीर्षक में बतलाया गया है, यदि हम Price को दाम, Value को मूल्य और Worth को अर्घ मान लें तो सब गड़-बड़ियाँ सहज में दूर हो सकती हैं और हमारा काम अच्छी तरह चल सकता है ।

शब्द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसरो पर गेहूँ की खरीद या बिक्री की कोई बात नहीं होती ।

मूल्य भी वस्तुतः है तो वही जो दाम है, पर उसमें साधारण दाम की अपेक्षा कुछ विशेष आशय या भाव है । कोई चीज चाहे बिकने को हो, चाहे न हो, पर हम अनुमान या कल्पना से उसका जो समानक स्थिर करते हैं, वही उसका मूल्य होता है । हम कहते हैं—आपके लेखे इस पुस्तक का भले ही कोई मूल्य न हो, पर हमारे लिए तो यह बहु-मूल्य निधि है । अर्थात् हमारी दृष्टि में उसकी जो उपयोगिता और महत्त्व है, वही हमारे लिए उसका मूल्य है । केवल तुल्यता के विचार से जो समानक स्थिर किया जाता है, वही गणितीय क्षेत्र में मान कहलाता है । दाम तो मुख्यतः धन के रूप में ही होता है, पर मूल्य का सदा धन के रूप में होना आवश्यक नहीं है । मूल्य मुख्य रूप से किसी वस्तु का वह समानक है, जिससे उस वस्तु का विनिमय होता या हो सकता हो । इसमें क्रय-विक्रय का भाव मुख्य नहीं है । हम कहते हैं—बिना पूरा मूल्य चुकाये किसी देश को कभी स्वतन्त्रता नहीं मिलती । यहाँ मूल्य का आशय धन से नहीं, बल्कि स्वार्थ-त्यागपूर्वक पूरा प्रयत्न करने, कठिनाइयाँ सहने, आत्म-बलिदान करने आदि से है । इसके सिवा मूल्य में उपयोगिता, महत्ता, श्रेष्ठता आदि का भी बहुत कुछ विचार होता है । हम कहते हैं—उन्होंने हमारी सहायता या सेवा का ठीक मूल्य नहीं समझा । आशय यही होता है कि उसकी ठीक-ठीक उपयोगिता या महत्त्व की ओर उनका ध्यान नहीं गया । अर्घ मुख्य रूप से सदा स्वयं वस्तु से सम्बद्ध होता है । इसमें न तो क्रय-विक्रय, लेन-देन या विनिमयवाला भाव ही है, न महत्त्ववाला तत्त्व ही । यह सदा उन्ही गुणों या तत्त्वों पर आश्रित होता है, जो स्वयं किसी वस्तु में निहित या वर्तमान होते हैं । पर इसमें वस्तुओं की उपयोगिता या उनसे प्राप्त होनेवाली सेवा का विचार अवश्य होता है । मान लीजिए कि आपके पास गुप्त काल का सोने का ऐसा सिक्का है, जो बहुत ही दुष्प्राप्य है—जिस मेल के सिक्के आज तक बहुत ही थोड़े मिले हैं या मिले ही नहीं हैं । यह सिक्का तोले भर सोने का है । अब इस सिक्के का अर्घ उतना ही होगा, जितने में बाजार में एक तोला सोना मिलता है । यदि सोना बाजार में सौ रुपये तोले मिलता है,

तो उस सिक्के का अर्थ भी सौ रुपये ही होगा, इससे कम या अधिक नहीं। पर सिक्कों का संग्रह करनेवाले लोग (या संग्रहालय) उस सिक्के का भिन्न-भिन्न मूल्य आँक सकते हैं। किसी की दृष्टि में वह हजार रुपए मूल्य का हो सकता है और किसी की दृष्टि में दो हजार रुपए मूल्य का। अब यदि वही सिक्का किसी जगह तीन हजार रुपयों पर बिके तो यही तीन हजार उसका दाम कहा जायगा। अर्थात् अर्थ प्रायः सर्व-मान्य और बहुत-कुछ स्थायी होता है, और उसमें जल्दी कोई अन्तर नहीं पडता, मूल्य अपनी-अपनी आवश्यकता, उपयोगिता और रुचि के अनुसार आँका या लगाया जाता है, और दाम वह है जो माँगा और लिया-दिया जाता है।

खर्च या व्यय अपने साधारण रूप में यही सूचित करता है कि किसी कार्य, वस्तु, सेवा आदि के बदले में कितना धन दिया या लगाया गया है। खाने-पीने, कपड़े खरीदने और बनवाने, चिकित्सा कराने, मन बहलाने आदि में हम जितना धन अपने पास से निकालकर लगाते या दूसरों को देते हैं, वह सब खर्च या व्यय कहलाता है। जैसे—भोजन-व्यय, यात्रा-व्यय आदि। परिव्यय मुख्यतः किये हुए किसी विशिष्ट कार्य या सेवा के बदले में माँगा गया जानेवाला धन है। घड़ी या रेडियो की मरम्मत करनेवाला अपने कार्य या सेवा का अर्थ या धन के रूप में हमसे जो प्रतिफल माँगा या लेता है, वही उसका परिव्यय है। व्यापारी कह सकता है—हम बिना कोई परिव्यय लिये यह माल इसी दाम पर आपके घर पहुँचा देंगे। इसका आशय यही है कि गाड़ी या रेल के भाड़े, दुलाई आदि में होनेवाले व्यय वह हम से नहीं लेगा। किसी काम या बात के लिए इस रूप में माँगा और लिया जानेवाला धन ही परिव्यय है। लागत और लगगत में बहुत-से लोग इसी लिए कोई अन्तर नहीं समझते कि ये दोनों शब्द सम-रूपी होने के सिवा एक ही क्रिया 'लगना' से बने हुए और उसके भाववाचक रूप हैं। पर अर्थ के विचार से दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। कोई चीज बनाकर तैयार करने में जितनी सामग्री लगती है, उसका दाम और जितना परिश्रम, व्यय और परिव्यय होता है, वह सब मिलाकर लागत कहलाता है। हम कहते हैं—यह मकान बनवाने में हमारी पन्द्रह हजार रुपए लागत

आई है; अथवा इस तरह का नया हार बनवाने में इस समय हज़ार रुपए लागत आवेगी। यहाँ मकान की लागत में उसकी जमीन, ईंट-पत्थर, लकड़ी आदि का दाम और मजदूरों को दी हुई मजदूरी मिली है; और हार की लागत में सोने, रत्नों आदि का दाम और सुनार को दी जानेवाली गढ़ाई सम्मिलित है। अर्थात् किसी चीज़ के सम्बन्ध में किया हुआ उसका सारा और सब प्रकार का व्यय ही लागत कहलाता है। लागत किसी रोजगार या व्यापार में लगे हुए धन या पूँजी का वाचक शब्द है। व्यापारी प्रायः कहते हैं—हमारी दूकान में पचास हज़ार की लागत है। आशय यही होता है कि हमने पचास हज़ार रुपए इस दूकान (काम या रोजगार) में लगा रखे हैं। इधर कुछ दिनों से हिन्दी में लागत की जगह संस्कृत का अधिष्ठान* शब्द भी चलने लगा है। लागत तो केवल आर्थिक और महाजनी क्षेत्र का शब्द है, पर अधिष्ठान बहुत-कुछ साविक तथा व्यापक अर्थ से युक्त है।

अर्घ, मूल्य और व्यय का आर्थिक क्षेत्रों के सिवा लाक्षणिक रूप से दूसरे क्षेत्रों में भी कई प्रकार से प्रयोग होता है। किसी मनुष्य का अथवा उसके गुणों, विचारों, सुभावों आदि का भी कुछ अर्घ और मूल्य हो सकता है, और किसी काम में हम अपनी बुद्धि, विद्या, समय आदि का भी व्यय कर सकते हैं †। पर परिव्यय, लागत और लागत केवल आर्थिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होनेवाले शब्द हैं।

✽ इसी आधार पर अँगरेजी के वेस्टेड इण्टरेस्ट (Vested Interest) के लिए अधिष्ठित स्वार्थ (या हित ?) सरीखे प्रयोग देखने में आते हैं।

† अँगरेजी में Cost का लागत के सिवा एक अर्थ मूल्य से मिलता-जुलता भी होता है, और Expense का कुछ ऐसा आशय भी होता है जो व्यय से कुछ भिन्न है। इसी आधार पर अँगरेजी में कुछ मुहावरे भी बने हैं। जैसे —Victory won at great cost of life. A joke at another's expense आदि। ऐसे मुहावरों के अनुवाद के समय लोग प्रायः मूल से 'मूल्य पर' 'व्यय पर' आदि लिख जाते हैं। पर हिन्दी में ऐसे

दुःख (Grief, Sorrow)

कष्ट (Distress)

वेदना (Agony)

क्लेश

व्यथा (Anguish)

खेद (Regret)

शोक (Mourning)

पीड़ा (Pain)

सन्ताप (Torment)

विषाद (Gloom)

दुःख अनेक प्रकार की प्रतिकूल भौतिक और मानसिक अनुभूतियों का सूचक ऐसा व्यापक शब्द है, जो अपने वर्ग के प्रायः सभी पर्यायों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अप्रिय, प्रतिकूल और हानिकारक बातें इसका कारण होती हैं। है तो यह मुख्यतः मानसिक ही, पर कभी-कभी ऐसे भौतिक और शारीरिक प्रसंगों में भी इसका प्रयोग होता है, जहाँ वस्तुतः कष्ट का प्रयोग होना चाहिए। कष्ट ऐसी कठिन और विकट स्थितियों में होता है जो मुख्यतः भौतिक या शारीरिक बातों से सम्बन्ध रखती हैं। अनेक प्रकार के अभाव और असमर्थताएँ

प्रयोगों का वस्तुतः कुछ भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि ऐसे प्रयोग हिन्दी शब्दार्थों के भी विरुद्ध होते हैं और हिन्दी की प्रकृति के भी विपरीत पड़ते हैं। कुछ अवसरों पर अँगरेजी में Cost और Expense के अर्थों में भी बहुत बड़ा अन्तर होता है। जैसे — A joke at another's expense बहुत हलके भाव का सूचक है, पर A joke at another's cost उससे बहुत उल्टा या कठोर भाव का सूचक है। पहले वाक्य में किसी को केवल मूर्ख बनाने या कुछ नीचा दिखाने का भाव है, पर दूसरे वाक्य में उसकी बहुत बड़ी हानि करने की ध्वनि है। ऐसे अवसरों पर बहुत सावधानी से अँगरेजी शब्दों का ठीक आशय समझते हुए और हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप अनुवाद करना चाहिए। अँगरेजी शब्दों के स्थान पर हिन्दी शब्द रख देने भर से काम नहीं चलेगा।

कष्ट का कारण होती हैं। यही इसका मुख्य क्षेत्र है। कभी-कभी यह पीड़ा, वेदना, व्यथा और सन्ताप के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। पर है यह मुख्य रूप से शारीरिक और गौण रूप से मानसिक ही। क्लेश सर्वांश में मानसिक है, और मानसिक प्रसंगों में ही कष्ट और दुःख दोनों की जगह इसका प्रयोग होता है। हम यह तो कह सकते हैं कि कल आप हमारे यहाँ आने का कष्ट करे। पर यह नहीं कह सकते कि आने का क्लेश या दुःख करे। कारण यही है कि आने में शारीरिक श्रम होता है, और क्लेश तथा दुःख ऐसे मानसिक अप्रिय भावों या अवस्थाओं के सूचक हैं, जो वेदना, व्यथा आदि के वर्ग की हैं। क्लेश का प्रयोग घर के लडाई-भगडों या कलह के अर्थ में भी होता है, पर यह उसका गौण अर्थ है।

मानसिक कष्ट या दुःख का बहुत ही हलका और साधारण रूप खेद कहलाता है। कोई साधारण-सी अनुचित बात या छोटी-मोटी भूल होने पर खेद होता और प्रकट किया जाता है। इससे अधिक गम्भीर प्रसंगों में इसका प्रयोग अनुचित है। पीड़ा मुख्य रूप से शारीरिक और गौण रूप से मानसिक होती है। बहुत अधिक परिश्रम करने या चोट लगने से हाथ-पैरों में, ज्वर से सारे शरीर में और किसी के दुर्व्यवहार से मन में पीड़ा होती है। मानसिक पीड़ा जब उग्र रूप धारण करती है, तब उसे वेदना कहते हैं। यह प्रायः अभाव, वियोग, आदि से उत्पन्न होती और अपेक्षा स्थायी होती है। कहीं-कहीं (जैसे बंगला में) शारीरिक पीड़ा के अर्थ में वेदना का जो प्रयोग होता है, वह ठीक नहीं है। व्यथा की उत्पत्ति की परिस्थितियाँ तो बहुत-कुछ वही हैं जो दुःख की हैं, पर यह दुःख की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, और इसी लिए वेदना से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। रह-रहकर मन में उठनेवाली टीस ही व्यथा है। विषाद मन की वह अवस्था है, जो अभिलाषा या उद्देश्य पूरा न होने पर अथवा भविष्य के सम्बन्ध में कोई गहरी चिन्ता या निराशा होने पर और इसी लिए बहुत उदासी छाने और चारों ओर अन्धकार दिखाई देने पर उत्पन्न होती है। जब कोई व्यथा या वेदना उग्र रूप धारण करके कुछ स्थायी हो जाती है, तब उसके कारण मन में सन्ताप होता है, जो कुछ समय तक बना रहता है। शोक सदा किसी प्रिय मित्र

या सगे-सम्बन्धी की मृत्यु अथवा किसी बहुत बड़े महापुरुष के निधन पर होता है। मृत्यु के सिवा और किसी प्रसंग में इसका प्रयोग अनुचित है।

यदि हमारे मित्र को उदर-शूल रोग हो, या सीटियों पर से गिरने के कारण गहरी चोट लगे तो उसे पीडा होगी, और उसके फल स्वरूप हमें दुःख होगा। उसके दिन-रात रोते-चिल्लाते रहने से आस-पासवालों को, और आय का मार्ग बन्द हो जाने से घरवालों को कष्ट होगा। यदि वह चिकित्सा कराने के लिए कहीं दूर चला जाय या पागल हो जाने के कारण पागलखाने में बन्द हो जाय, तो हमें व्यथा होगी; और उसकी मृत्यु हो जाने पर हमें शोक होगा। उसकी मृत्यु के बाद जत्र-जत्र हमें उसकी याद आवेगी, तत्र-तत्र वेदना होगी, और उसके छोटे-छोटे बच्चों को कष्ट और दुर्दशा में देखने पर सन्ताप होगा।

दुर्लभ (Rare)

अवसरिक (Occasional)

दुष्प्राप्य

चुट-पुट=छुट-फुट

विकीर्ण (Sporadic)

छुट-फुट (Sporadic)

विरल (Scarce)

इस वर्ग के शब्द ऐसी स्थितियों के सूचक विशेषण हैं, जिनमें कुछ घटनाएँ, चीजे या बातें सदा और नियमित रूप से नहीं, बल्कि कभी-कभी या बीच-बीच में होती, मिलती या देखने में आती हैं। दुर्लभ सं० दु + लम् से बना है, जिसका व्युत्पत्तिक अर्थ है—कठिनता से या बहुत कम मिलने या होनेवाला। पर व्यवहार में इसका प्रयोग केवल ऐसी चीजों के सम्बन्ध में होता है जो वस्तुतः होती ही बहुत कम हैं या बहुत कम देखने में आती हैं। जो चीज प्राप्त करने में बहुत कठिनता होती है, अर्थात् जिसे पाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम या प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए हमारे यहाँ का प्रचलित विशेषण दुष्प्राप्य है। जो चीज केवल कहीं-कहीं या जो बात केवल कभी-कभी (और वह भी

बहुत कम) होती हो, वही दुर्लभ कही जाती है, पर जो होने पर भी बहुत कठिनता से हाथ आती हो, उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। उदाहरण के लिए कोह-नूर हीरा ससार में है तो सही, पर उसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है; अतः वह हमारे-आपके लिए दुष्प्राप्य है। पर यदि हम कोह-नूर की तरह का और हीरा ढूँढना चाहे तो वह हमें जल्दी ढूँढे न मिलेगा, इसी लिए हम कहते हैं—कोह-नूर के जोड़ का हीरा ससार में दुर्लभ है। हम कहते हैं—दधीचि का-सा दानी या महात्मा गान्धी जैसा सत्यवादी ससार में दुर्लभ है। इसका भी यही आशय है कि दानशीलता और सत्यवादिता में हम टकरा के और लोग जल्दी नहीं मिलेंगे। अवसरिक स० अवसर* से बनाया गया है। अवसर का व्युत्पत्तिक अर्थ है—ऊपर में (जल का) नीचे आना, अर्थात् पानी बरसना या वर्षा। पर संस्कृत में भी और हिन्दी में भी अवसर मुख्यतः उस समय का वाचक बन गया है, जिसमें (क) कोई घटना घटित हुई हो यह होने को हो अथवा (ख) अपनी इच्छा, प्रवृत्ति, रुचि आदि के अनुसार जिसमें कोई कार्य किया या घटना घटाई जा सकती हो। अवसरिक शब्द अवसर के पहले अर्थ के विचार से ही बनाया गया है†।

जो घटना या बात केवल बीच-बीच में और विशिष्ट अवसरों या समयों पर ही होती हो, प्रायः या सदा न होती हो, वह अवसरिक कहलाती है। अर्थात् जो नियमित और निरन्तर न हो, योही किसी-किसी समय हो जाया करे, वही अवसरिक है। सावन मादों में तो प्रायः वर्षा होती है, पर चैत, कुआर या माघ में वह अवसरिक ही होती है। छूट-फुट हिं० छूटना + फूटना के योग से बना है। जो बात किसी बन्धन से छूटकर अथवा किसी काया (विस्तृत अर्थ में) से फूटकर

ॐ अंग्रेजी के ऑक्केजन (Occasion) का मुख्य अर्थ अवसर ही है, और इसी दृष्टि से ऑक्केजनल (Occasional) के लिए अवसरिक शब्द बनाया गया है। पर हिन्दी में अवसर का प्रयोग ऑपरच्युनिटी (Opportunity) के समानक के रूप में भी होता है।

† अवसर के दूसरे अर्थ के विचार से हिन्दी में अवसरवादी (Opportunist) शब्द बनता है।

योही कहीं-कहीं हो जाय, उसे छुट-फुट कहते हैं। यह विशेषण अवसरिक से इस बात में भिन्न है कि इससे किसी घटना के घटित होने की सम्भावना और भी कम होती है। अवसरिक और छुट फुट में एक और अन्तर यह है कि इनमें से पहला शब्द तो समय के भाव से सम्बद्ध है और दूसरा स्थान के भाव से। अवसरिक कभी-कभी होता है और छुट-फुट कहीं-कहीं। हम कहते हैं—भारत और पाकिस्तान की सीमा पर छुट-फुट मुठभेडे होती रहती हैं। आशय यही होता है कि आज यहाँ मुठभेड हुई तो दस दिन बाद वहाँ, और महीने दो महीने बाद किसी तीसरी जगह हुई। पर जग हम कहते हैं—‘दोनों दलों में अवसरिक रूप से बौछारें होती रही हैं।’ तब हमारा आशय यह होता है कि आज एक बार कुछ कहा-सुनी हो गई, तो दस-बीस दिन बाद फिर कभी हो गई। चुट-फुट इसी छुट-फुट का स्थानिक रूप है। विकीर्ण का अर्थ है—छितरा या फैलाया हुआ। अनाज छितराने पर उसके कुछ दाने यहाँ गिरते हैं, कुछ वहाँ और कुछ कहीं। इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रसंग में विकीर्ण का भी वही अर्थ है जो छुट-फुट का है। जब हम कहेंगे—‘नगर में उपद्रवों (या हैजे, लगे आदि से मृत्यु) की कुछ छुट फुट (विकीर्ण) घटनाएँ हुई हैं।’ तब आशय यही होगा कि नगर के भिन्न-भिन्न भागों में अलग-अलग घटनाएँ हुई हैं। सं० विरल की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। संस्कृत में इसका स्त्री० रूप विरला होता है। पर हिन्दी में इस विरल से जो विरला रूप बना है, वह पु० ही है, और उसका स्त्री० रूप विरली होता है। जैसे—विरले पुरुषों की विरली बाते। अर्थ की दृष्टि से विरल (या विरला) भी बहुत कुछ वही है, जो दुर्लभ है, फिर भी दोनों के अर्थों में कुछ सूक्ष्म अन्तर हैं। दुर्लभ में तो पाये जाने या मिलने का भाव प्रधान है, पर विरल में केवल रहने या होने का भाव मुख्य है। दोनों में एक दूसरा अन्तर यह भी है कि दुर्लभ जितना कम होता है, विरल उतना कम नहीं होता, अपेक्षया कुछ अधिक होता है। दुर्लभ तो मिलता ही बहुत कम है, पर विरल कहीं-कहीं मिल या हो भी सकता है। संस्कृत में विरल का मूल अर्थ है—जो साथ-साथ मिला या सटा हुआ अर्थात् घना न हो। इससे आगे बटकर यह ऐसी चीज या बात का वाचक हो जाता है जो बहुत कम देखने में आती हो। छुट फुट की ही

तरह विरल में भी स्थानवाले भाव की ही प्रधानता है, काल अथवा घटनावाले भावों की नहीं। हम कहते हैं—वस्तु-सज्जन पुरुष ससार में विरले ही होते हैं। आशय यही होता है कि ऐसे सज्जन पुरुष होते तो हैं, पर बहुत कम होते हैं और केवल कहीं-कहीं दिखाई देते हैं।

दुर्वचन (Abuse)

अप-भाषण (Scurrility) गाली (Vituperation)

तर्जन (Scold) गाली-गलौज (Vilification)

दुर्वचन का शब्दार्थ है—अनुचित और बुरा वचन या बात। किसी के सम्बन्ध में कही हुई दूषित और अनुचित बात या शब्द दुर्वचन है। क्रोध में आकर किसी को मानसिक कष्ट पहुँचाने और प्रायः तुच्छ या हीन सिद्ध करने के लिए दुर्वचन का प्रयोग होता है। इसमें उग्र रूप से किसी की निन्दा होती है। किसी को बेईमान या लुच्चा कहना दुर्वचन है। कभी-कभी यह गाली का भी पर्याय हो जाता है, और इसका प्रयोग अपने मन का दुःख या रोष प्रकट करने के लिए भी होता है, पर ऐसी अवस्थाओं में उस व्यक्ति की कोई हानि नहीं होती, जिसके प्रति इसका प्रयोग होता है। यदि किसी दुष्ट को कुछ दण्ड मिले, तो वह भी दण्ड देनेवाले के सम्बन्ध में दुर्वचनो का प्रयोग कर सकता है। शब्दार्थ की दृष्टि से अप-भाषण भी बहुत कुछ वही है जो दुर्वचन है, परन्तु प्रयोग की दृष्टि से यह उससे अधिक गर्हित और बुरा है। इसे गाली और दुर्वचन के बीच का स्थान दिया जा सकता है। इसमें भाषा की रुद्धता तो अधिक होती ही है, कभी-कभी यह अश्लीलता की सीमा तक भी पहुँच जाता है। इसमें दूसरों की निन्दा का भाव उतना अधिक नहीं होता, जितना उन्हें औरों की दृष्टि में गिराने का प्रयत्न होता है। गाली (स० गालि) में भी प्रायः यही बातें होती हैं, पर उसमें वक्ता के क्रोध या रोष की मात्रा भी अधिक होती है और उसकी अशिष्टता तथा अ-संस्कृति भी सूचित होती है। गाली में भले ही अश्लील शब्दों का

प्रयोग न हो, फिर भी तात्त्विक दृष्टि से यह सदा अश्लीलता के क्षेत्र में रहती और सम्य समज में बहुत निन्दनीय समझी जाती है। अत्यधिक कठोर दुर्वचनो और अप-भाषा का प्रयोग ही गाली कहलाता है। गाली और गाली-गलौज* में मुख्य अन्तर यही है कि जब तक यह एक ही पक्ष से हो, तब तक तो गाली रहती है, पर जब इसका प्रयोग दोनों पक्षों से प्राय समान रूप से हो, तब इसे गाली-गलौज कहते हैं। तर्जन इस वर्ग का सबसे हलका शब्द है। जब हम कुछ क्रोध में आकर या चिटकर किसी को दवाने के लिए कुछ उग्र और कटु बातें कहते हैं, तब ऐसी बातों की गिनती तर्जन में होती है। साधारण बोल-चाल में इसी को (किसी पर) बिगडना कहते हैं। तर्जन अ-कारण तो होता ही है, पर कभी-कभी अ-कारण या कुछ का कुछ समझने के कारण भी हो सकता है। माता-पिता का बच्चों पर या मालिक का नौकर पर बिगडना तर्जन में ही अन्तर्मुक्त है। तर्जन प्राय उसी की ओर में होता है, जो या तो कुछ सप्रर्थ और सशक्त हो, या अपने आपको समर्थ और सशक्त समझता हो।

* व्युत्पत्तिक दृष्टि से गलौज का कोई विशेष अर्थ नहीं है, यह गाली का अनुकरण-वाचक शब्द मात्र है।

दुष्कर्म (Vice *)

अतिचार (Transgression)	दुर्वृत्ति (Depravity)
अनाचार (Immorality)	दोष (१. Fault २. Guilt)
अनैतिकता=अनाचार	पातक
अपकर्म (Misdeed)	पाप (Sin)
अपराध (१. Crime २. Offence)	भ्रष्टाचार (Corruption)
कुकर्म=दुष्कर्म	विकर्म (Lapse)
दुराचरण (Misconduct)	

दुष्कर्म (सत्कर्म का विपर्याय) का शब्दार्थ है—बुरा काम । व्यक्ति और समाज का अहित करनेवाले तथा धर्म, नीति, मानवता आदि के विरुद्ध होनेवाले जितने अनुचित या बुरे काम होते हैं, वे सभी दुष्कर्म कहलाते हैं । धार्मिक क्षेत्र में सभी प्रकार के दुष्कर्मों की सजा पाप है, और इस रूप में यह पुण्य का विपर्याय है । पाप का क्षेत्र दुष्कर्म की अपेक्षा बहुत विस्तृत है । दुष्कर्म तो केवल कायिक अर्थात् शरीर से किये हुए काम होते हैं, पर पाप कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के होते हैं । हमारे यहाँ अनुचित काम करना तो पाप माना ही गया है, उचित तथा कर्त्तव्य कर्म न करना भी पाप कहा गया है, और मन में बुरे कामों या बातों का ध्यान अथवा विचार करना भी । दुष्कर्मों का कुफल या दरिद्र तो हम इस लोक में भोगकर भी छुट्टी पा सकते हैं, पर पापों का फल हमें

ॐ अँगरेजी के Virtue और Vice शब्द मुख्यतः गुण या भाव की सूचक सज्ञाएँ हैं, और इस दृष्टि से इनके हिन्दी समानक होंगे—सद्गुण और दुर्गुण । आगे चलकर जब ये दोनों गुण या तत्त्व जीवन में कार्य अथवा व्यापार के रूप में परिणत होते हैं, तब ये सत्कर्म और दुष्कर्म कहलाते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में Vice के इसी दूसरे अर्थ और रूप के विचार से इसका समानक दुष्कर्म रखा गया है ।

जन्मान्तरो तक मे भोगना पड़ता है। चोरी, परस्त्री-गमन, मद्य-पान, हिंसा आदि दुष्कर्म तो हैं ही, पर कुछ अवस्थाओं मे हम इस लोक मे इन दुष्कर्मों के फल-भोग से बच भी सकते हैं। पर ये सब दुष्कर्म वस्तुतः पाप भी हैं; और पापों का फल-भोग हमारे लिए अनिवार्य होता है—हमे ईश्वर के यहाँ से उनका दण्ड अवश्य मिलता है। पाप सदा कर्त्ता का भी और उसके साथ दूसरों का भी कुछ न कुछ अपकार या अहित करता है। शास्त्रों मे पाप की निवृत्ति के दो ही उपाय कहे गये हैं—प्रायश्चित्त और भोग। जिन पापों का हिन्दू धर्म-शास्त्रों मे विशेष रूप से उल्लेख करके उनके दण्ड या प्रायश्चित्त का विधान किया गया है, वे पातक कहलाते हैं। पातक का साधारण अर्थ है—पात या पतन करने अर्थात् गिरानेवाला। इस प्रसंग मे पातक का अर्थ होता है—नरक मे गिरानेवाला पाप। अर्थात् पातक ऐसे पाप कहलाते हैं जिनके फल-भोग के लिए मनुष्य को नरक मे जाना पड़ता है। बर्म-शास्त्रों मे पातकों के अतिपातक, उप-पातक, महापातक आदि अनेक भेद किये गये हैं। अपकर्म का भी अर्थ है, तो बुरा काम ही, पर यह दुष्कर्म से बहुत-कुछ हलके भाव का सूचक शब्द है। दुष्कर्म जितने घृणित और निन्दनीय होते हैं, अपकर्म उतने नहीं होते। अपकर्म का अर्थ है—बुरा; और दु (या दुष्) का अर्थ है—बहुत बुरा। नित्य के छोटे-मोटे बुरे काम (जैसे, अपनी बचत करने के लिए साधारण भूठ बोलना, किसी की चुगली खाना, लोगों मे लड़ाई-भगवाडा कराना आदि) अपकर्म हैं, पर शराब पीकर सड़कों पर धींगा-मस्ती करना, पराई स्त्रियों के पीछे घूमते फिरना या उन्हें छेड़ते रहना, चोरी-चमारी, जूआ आदि दुष्कर्म हैं। अपकर्म और दुष्कर्म दोनों नीति-विरुद्ध और दूसरों की दृष्टि मे निन्दनीय होते हैं। अर्थ के विचार से अतिचार मे औचित्य की सीमा के उल्लंघन का भाव मुख्य है। पर यह किया जाता है प्राय किसी विशेष उद्देश्य से, और अपने लाभ के लिए। अपने सुख-सुमीते के विचार से ऐसा काम करना जो दूसरों के सुख-सुमीते मे बाधक हो, अतिचार कहलाता है। अनाचार इससे कुछ आगे बढ़ा हुआ और प्राय अपकर्म से भी गुरुतर तथा दुष्कर्म की सीमा तक पहुँचता हुआ है। अपकर्म और दुष्कर्म मे उन बुरे कामों का भाव मुख्य है जो किये जाते हैं, पर अनाचार

में नीति-विरुद्ध आचरण का भाव प्रधान है। सच्चा रूप में दुर्वृत्ति * इससे भी कुछ और आगे बढ़ी हुई चीज है। जैसा कि स्वयं इस शब्द से सूचित होता है, इसमें वृत्ति (या स्वभाव) का भाव मुख्य है। अनाचार तो चरित्र की दुर्बलता के कारण होता है, पर दुर्वृत्ति बहुत-कुछ अभ्यास और स्वभाव पर आश्रित होती है। इसी लिए अनाचार तो प्रायः निन्दनीय मात्र होकर रह जाता है, पर दुर्वृत्ति मनुष्य को दूसरों की घृणा का पात्र बना देती है। इसमें आचार-विचार आदि का नैतिक पतन (साधारण अनाचार की अपेक्षा) बहुत आगे बढ़ा हुआ होता है। इसी से कहा जाता है—वह अनाचारी ही नहीं, दुर्वृत्त भी है। दुष्कर्मों का बराबर आचरण करते रहना ही दुराचरण है। यह चरित्र के बहुत बढ़े हुए दोषों और पतन का सूचक है। यद्यपि इसका मुख्य क्षेत्र नैतिक है, तो भी कुछ अवस्थाओं में आगे बढ़कर, विधिक दृष्टि से, यह अपराध के क्षेत्र में भी पहुँच सकता और दण्डनीय हो सकता है। दुष्कर्म और दुराचरण में मुख्य अन्तर यह है कि दुष्कर्म तो कोई एक बुरा काम भी हो सकता है, पर दुराचरण में प्रायः नियमित रूप से अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते रहने का भाव है। हो सकता है कि कोई भला आदमी कभी किसी परिस्थिति के कारण कोई दुष्कर्म कर बैठे और तब उसके लिए पश्चात्ताप भी करे। पर दुराचरण प्रायः मनुष्य का स्वभाव-सा बन जाता है; और उसके लिए कर्त्ता को जल्दी उसका कोई दुःख या पश्चात्ताप भी नहीं होता। अर्थ के विचार से भ्रष्टाचार भी बहुत-कुछ वही है, जो अनाचार है। पहले यह शब्द हमारे धार्मिक क्षेत्र में उन आचरणों का वाचक था, जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों और विधानों के विपरीत होते थे। पर आज-कल भ्रष्टाचार मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार के अतिचार और अनाचार के मिश्रण का वाचक बन गया है। आज-कल राजकीय कार्यालयों और विभागों में वहाँ के अधिकारी या कर्मचारी केवल आर्थिक स्वार्थ की दृष्टि से जो तरह-तरह की बेईमानियाँ और अन्याय करते तथा अपने सगी-साथियों और सगे-सम्बन्धियों का आर्थिक लाभ कराने

❖ विशेषण रूप में इसका अर्थ होता है—बुरी वृत्तियोवाला, और इस अर्थ में दुर्वृत्त का भी प्रयोग होता है।

के लिए अनेक प्रकार के पद्-पात करते हैं, उन सबकी गिनती भ्रष्टाचार में होती है। विकर्म का मौलिक अर्थ है—निषिद्ध या विधि-विरुद्ध कार्य, और इस दृष्टि से प्रत्येक अनुचित कार्य विकर्म हो जाता है। पर वि उपसर्ग का एक अर्थ रहित या हीन भी है, जैसे—विकच=बालों से रहित या हीन, अर्थात् गजा, अथवा विकटक=कटकों या काँटों से रहित या हीन, आदि। प्रस्तुत प्रसंग में विकर्म का आशय है—आचार, व्यवहार आदि की कोई ऐसी चूक या त्रुटि जिसका सुधार अपेक्षित और आवश्यक हो। हम अपनी नैतिक या मानसिक दुर्बलता, कुसंगति अथवा सस्कारों के वश होकर भी कोई उचित और कर्तव्य कर्म छोड़ सकते हैं और अनवधानता, आवेश, प्रमाद आदि के कारण भी। कर्तव्य के पथ से इस प्रकार विचलित होना ही विकर्म कहा जायगा। यह विकर्म जब अपराध या दोष को सीमा तक पहुँच जाता है, तब भी प्रायः हलका और दयनीय ही समझा जाता है। इसके कर्ता के साथ कुछ मार्दव या रिश्तायत ही की जाती है। प्रयोग की दृष्टि से विकर्म में उन साधारण कुर्मों या दुष्कर्मों का भी अन्तर्भाव होता है जो मनुष्य अपनी चारित्रिक या नैतिक दुर्बलता के वश होकर कर बैठता है। फिर भी इसमें नहिक तत्त्व ही मुख्य है, और यह किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता के ही कारण घटित होता है, बुरे उद्देश्य से नहीं।

अपराध और दोष दोनों के आर्थी क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हैं। ये दोनों छोटे-से छोटे या नगण्य भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े या दण्डनीय भी। अपने साधारण या हलके रूप में कोई अनुचित या बुरा काम (जिसे धार्मिक क्षेत्र में पाप कहते हैं) अपराध होता है। गुरु-जनो के आने पर उठकर खड़े न होना या उनकी आव-भागत के फेर में पड़ जाने के कारण उन्हें हाथ जोड़ना या उनके चरण छूना भूल जाना भी अपराध है; और आलस्य के कारण उन्हें उपयुक्त आसन न लाकर देना भी। ऐसे हलके अपराध प्रायः भूल-चूक के वर्ग में चले जाने के कारण सदा क्षम्य होते हैं। इससे आगे बढ़ने पर (अपने मध्यम स्तर पर) अपराध दूसरों को हानि पहुँचानेवाला रूप धारण करता है। नैतिक दृष्टि से अनुचित माने जानेवाले वे सब काम इसी वर्ग में आते हैं, जिन्हें हम साधारणतः दोष भी कह सकते हैं। यहाँ इसका स्वरूप प्रायः अनिश्चित रहता है, फिर भी इसमें

अपचार, अतिचार, अनाचार, विकर्म आदि अनेक ऐसे बातें आ जाती हैं जिनमें या तो दण्ड की अपेक्षा होती ही नहीं, और यदि कुछ अपेक्षा हो भी तो प्रायः इसलिए दण्ड नहीं दिया जाता कि ऐसे अपराध अपेक्षा तुच्छ समझे जाते हैं। इसी दृष्टि से पिता रघु होकर पुत्र से कहता है—इस अवधर पर तुमने झूठ बोलकर (अपने भाई को थप्पड़ मारकर या अपने सहापाठी का कुरता फाड़कर) बहुत बड़ा अपराध किया है। इससे भी आगे बटने पर जब यह नियत विधि-विधान आदि के विरुद्ध और उग्र रूप का होता है, तब कर्ता को कुछ दण्ड मिलना आवश्यक होता है। प्रायः सभी दुष्कर्म जब विधिक दण्डनीयता के क्षेत्र में आ जाते हैं, तब वे इसी वर्ग के अपराध होते हैं, जैसे चोरी, जूआ, मारपीट, हत्या आदि। दोष स० दु या दुष् से बना है जिसके अर्थ हैं—अनुचित, अपवित्र, बुरा आदि। लौकिक क्षेत्र में हर तरह का अभाव, अवगुण या बुराई दोष कहलाती है। हम दृष्टि-दोष से प्रतिलिपि करने में कुछ भूलें कर जाते हैं, किसी की बात ठीक तरह से न सुनने पर अपने कानों का दोष बतलाते हैं; समालोचक लोग दूसरों की कृतियों के दोष दिखलाते हैं, और वैद्य जी हमारे ज्वर का कारण पित्त का दोष बतलाते हैं। हो सकता है कि ऐसे दोष बहुत गम्भीर न हो अथवा जान-बूझकर न किये गये हों, पर ये किसी न किसी प्रकार की अपूर्णता या विकार के सूचक अवश्य होते हैं। हममें समझ की कमी, उदासीनता, दृढ़ निश्चय का अभाव आदि अनेक ऐसे दोष हो सकते हैं जो दुरुर्णो की सीमा तक पहुँचते हों, फिर भी इनके कारण हम कभी अपराधी या दुष्कर्मी नहीं कहे जा सकते। पर जब हम जान-बूझकर कोई ऐसा दोष करते हैं जिससे दूसरों का अपकार या हानि होती है, तब हम निन्दनीय तो ठहरते ही हैं, दण्डनीय तक हो सकते हैं। इस सीमा तक पहुँचा हुआ दोष भी उग्र रूपवाले अपराध के वर्ग में चला जाता है। और इसी दृष्टि से कहा जाता है—न्यायालय ने अमुक को दोषी ठहराकर साल भर की सजा दी, पर उसके साथी को निर्दोष समझकर छोड़ दिया।

दृष्टान्त (Instance)

उदाहरण (Example)

पूर्व-वर्ती=पूर्व-पद

निदर्शन (Illustration)

पूर्विका (Precedent)

पूर्व-पद (Antecedent)

प्रघटन (Case)

दृष्टान्त (स० दृष्ट + अन्त) का शब्दार्थ है—जो देखा गया हो, उसका अन्त या लक्ष । पर व्यावहारिक क्षेत्र में इसका अर्थ बिलकुल भिन्न है । हम कोई बात कहते या मत प्रकट करते हैं अथवा किसी की बात या मत का खण्डन करते हैं, और उसके पोषण या समर्थन में प्रमाण या साक्षी के रूप में वैसी ही और कोई बात या किसी व्यक्ति का आचरण, व्यवहार आदि लोगों के सामने रखते हैं । इस प्रकार पोषण या समर्थन के लिए दिखलाया जानेवाला तथ्य दृष्टान्त कहलाता है । हम कहते हैं—दोनों भाइयों को बहुत ही प्रेम तथा सद्भावपूर्वक साथ रहना चाहिए—उसी तरह रहना चाहिए, जैसे राम और लक्ष्मण रहते थे । इस प्रकार हम राम और लक्ष्मण का दृष्टान्त दोनों भाइयों के सामने रखते हैं । पौराणिक कथाएँ कहनेवाले व्यास और अर्जुन वक्ता प्रायः अपनी बातों की पुष्टि के लिए बीच-बीच में कुछ दृष्टान्त भी देते चलते हैं । किसी नियम, सिद्धान्त, स्थिति आदि का विवेचन करते समय उसका ठीक-ठीक रूप बतलाने के लिए हम जो तथ्य (या व्यक्ति) दृष्टान्त के रूप में सामने लाते हैं, वह उदाहरण कहलाता है । दृष्टान्त और उदाहरण में कई मुख्य अन्तर हैं । दृष्टान्त बहुधा कृतियों के सम्बन्ध में और आदर्श तथा प्रमाण के रूप में होता है, परन्तु उदाहरण प्रायः नैतिक और बौद्धिक तथ्यों, विचारों और भौतिक पदार्थों के सम्बन्ध में और उन्हीं के रूप में स्पष्टीकरण के लिए होता है । नियमों, व्यवस्थाओं आदि के सम्बन्ध में उदाहरण और चरित्र, व्यवहार आदि के सम्बन्ध में दृष्टान्त उपस्थित किये जाते हैं । अर्थ के विचार से उदाहरण बहुत अधिक व्यापक शब्द है, और उसमें दृष्टान्त का भी अन्तर्भाव हो जाता है । प्रत्येक दृष्टान्त को तो हम उदाहरण भी कह सकते हैं, पर प्रत्येक उदाहरण को दृष्टान्त नहीं कह

सकते। हम स्वयं किसी प्रकार का आचरण करके दूसरो के लिए उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं, पर दृष्टान्त देने के लिए हमे दूसरों (या उनके चरित्रों) का आश्रय लेना होगा। हाँ, किसी बात का विधान या निषेध करने के लिए दोनो का उपयोग हो सकता है। गणित का कोई विषय समझाने के लिए अथवा किसी ग्रन्थ की रचना-शैली, विषय-विवेचन आदि के स्वरूप का परिचय देने के लिए उदाहरण ही उपस्थित किये जाते हैं, दृष्टान्त नहीं। निदर्शन भी है तो एक प्रकार का उदाहरण या दृष्टान्त ही, पर अर्थ और प्रयोग के विचार से इसकी व्याप्ति अपेक्षया कम है। इसका प्रयोग किसी ऐसी बात का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए होता है जो साधारण रूप से कहकर समझाई गई हो। यह बहुधा कल्पित और स्व-रचित भी होता है, पर होता सदा मूल कथन के अनुरूप ही है। भौतिक विज्ञान, रेखा गणित आदि की समस्याओं का जो विवेचन ग्रन्थों में होता है, उसके स्पष्टीकरण के लिए चित्रों के रूप में जो आकृतियाँ आदि अंकित की जाती हैं, वे वस्तु निदर्शन के रूप में ही होती हैं, और इसी लिए ऐसे रेखा-रुन भी निदर्शन कहलाते हैं। पूर्व-पद वस्तुतः व्याकरण और साहित्य के क्षेत्रों का शब्द है। किसी यौगिक शब्द या समस्त पद में का पहला शब्द या पद व्याकरण में पूर्व-पद कहलाता है, और दूसरा या बादवाला शब्द या पद (इसके विपर्याय के रूप में) उत्तर-पद कहलाता है। देश-सेवा में का देश या लोक-गीत में का लोक पूर्व-पद है। परन्तु किसी सोपाधिक बात का वह पहला अश पूर्व-पद कहलाता है, जिस पर उसका दूसरा अश आश्रित होता है। जैसे—‘यदि आप वहाँ चले तो मैं भी आपके साथ चलूँगा।’ में का ‘यदि आप वहाँ चले’ भी पूर्व-पद ही है। अपने लाक्षणिक अर्थ और विस्तृत रूप में (क) वह बात भी पूर्व-पद कहलाती है, जिस पर तार्किक दृष्टि से कोई बात अवलम्बित हो, और (ख) घटना-काल या घटना-क्रम के विचार से वह पहली घटना या बात भी पूर्व-पद कहलाती है, जिसका कारणात्मक रूप से किसी बादवाली घटना या बात से

✽ इस अर्थ में यह ‘नमूना’ का समानक होता है। (दे०—नमूना)

† Conditional.

प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो। प्रस्तुत प्रसंग में वह घटना, चीज, परिस्थिति या बात पूर्व-पद कही जायगी जो बाद की वैसी ही किसी और घटना, चीज, परिस्थिति या बात की उत्पादक या जनक हो। इसी दृष्टि से हम पूर्व-पद को पूर्व-वर्ती भी कह सकते हैं, और तब इसका विपर्याय पर-वर्ती होगा*। हम कहते हैं—हम किसी घटना या बात का ठीक रूप तभी जान या बतला सकते हैं, जब हम उसके पूर्व-पद से भी परिचित हों, अथवा—पुराने जमाने की बैल-गाड़ियाँ और छुकड़े ही आज कल की मोटरो के पूर्व-पद हैं। अर्थ और आशय के विचार से भी और प्रयोग के विचार से भी पूर्विका विधिक क्षेत्र का शब्द है, पर सार्विक बातों में भी इसका प्रयोग होता ही है। पूर्विका मुख्यतः पहले की वह घटना, चीज या बात कहलाती है, जिसके आदर्श या आधार पर बाद में होनेवाली कोई घटना, चीज या बात भी नियम, विधि आदि की दृष्टि से घटित हो सकती या ठीक मानी जा सकती हो अथवा कार्य क्षेत्र में आ सती या बलवत् हो सकती हो। इसका प्रयोग प्रायः ऐसे प्रसंगों में होता है जिनके सम्बन्ध में नियम या विधान में कोई स्पष्ट समर्थन या स्वीकृति नहीं दिखाई देती। इसे भी हम एक प्रकार से ऐसा दृष्टान्त कह सकते हैं, जिसके आधार पर बाद में किया जानेवाला कोई काम या बात नियमित और वैध ठहर सकती हो। न्यायालयों में जहाँ किसी बात का विधि-विधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, वहाँ कहा जाता है—अपने पक्ष के समर्थन में

* यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व-वर्ती और पर-वर्ती केवल विशेषण हैं, पर जहाँ सजा की आवश्यकता होगी, वहाँ पूर्व-पद और उत्तर-पद (अथवा उत्तराधिकारी) का ही प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरे, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व-पद और उत्तर-पद में तो कारणात्मक अथवा और किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी होता है, परन्तु पूर्व-वर्ती और पर-वर्ती में काल-क्रम के सिवा और किसी प्रकार का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। के विशेषण केवल काल-क्रम के सूचक हैं, किसी और प्रकार के सम्बन्ध के नहीं।

† इसका अरबी समानक 'नजीर' हिन्दी में मुख्यतः विधिक तथा वैधानिक क्षेत्रों में प्रचलित है।

कोई पूर्विका दिखलाइए । आशय यही होता है कि यह बतलाइए कि पहले ऐसा कब हुआ था । और बहुवा इसी तरह की पूर्विका (या पूर्विकाओं) के आधार पर निरर्थक भी होते हैं । प्रघटन स० घटन मे प्र उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ नया शब्द है* । इसका शब्दार्थ होगा—विशिष्ट रूप से घटित होने की क्रिया या भाव । प्रयोग के विचार से यह ऐसे कार्य, घटना, परिस्थिति या स्थिति का वाचक है जो वस्तुतः उपस्थित या घटित हुई हो और जो किसी प्रकार के अव्ययन, अनुसन्धान, निरर्थक, विचार आदि की अपेक्षा रखती हो, अथवा किसी कार्य, घटना आदि की प्रत्यक्ष सक्रियता दिखलाती हो । जैसे—(क) आज-कल नगरों में चोरियों के और देहातो मे डाको तथा लूट-पाट और हत्या के अनेक प्रघटन होते रहते हैं । (ख) चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को ग्रन्थों का अव्ययन करने के सिवा अनेक प्रकार के रोगों (या रोगियों) के प्रघटन भी देखने और समझने पड़ते हैं । अथवा (ग) इधर कुछ दिनों से भारत मे प्लेग के प्रघटन अपेक्षया कम होने लगे हैं आदि ।

धमकी (Threat)

गीदड़-भमकी=भमकी	धौंस (Brow-beating)
तजेन (Intimidation)	बन्दर-घुड़की=भमकी
धुप्पल, धुप्पस (Bluff)	भमकी

इस वर्ग के शब्द उन क्रियाओं या बातों के सूचक हैं जो किसी को उसके कार्यों के भावी हानिकारक परिणामों से भयभीत करके दबाने अथवा किसी विरोधी

⊗ अभी तक इससे अच्छा और कोई शब्द मेरे ध्यान में नहीं आया, इसलिए अ० केस (Cars) की व्युत्पत्ति का ध्यान रखते हुए मैं यही शब्द विचारार्थ भी और प्रयोगार्थ भी उपस्थित कर रहा हूँ ।

को अपने अनुकूल या वश में करने के उद्देश्य से अपने बल-प्रदर्शन के रूप में की जा सकती है। इनमें से धमकी और धौंस दोनों स० धम् धातु से व्युत्पन्न हैं। धम् का अर्थ है—कोई क्रिया सम्पन्न करने (जैसे आग सुलगाने या शक्ति बजाने) के लिए मुँह की हवा जोर से बाहर निकालना। हिं० के धमकना (किसी पर जुरमाना धमकना) धौंकना (भाथी से आग सुलगाना) आदि शब्द इसी धम् से बने हैं। धमकी का अर्थ सम्बन्ध भी धमकना और धौंकना से है, भले ही यह सम्बन्ध दूर का हो। जब कोई व्यक्ति कुछ अनुचित या नियम-विरुद्ध कार्य करता अथवा हमारे विरुद्ध खडा होकर हमें हानि पहुँचाना चाहता है, तब हम उससे कहते हैं—यदि तुम ठीक तरह से आचरण या व्यवहार न करोगे अथवा सीधे रास्ते पर न आओगे, तो हम तुम्हें असुक दण्ड देंगे अथवा असुक प्रकार से तुम्हारी भी हानि करेंगे। इस प्रकार की बात कहना ही मूलतः धमकी है। अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को और माता-पिता अपने लडकों को धमकी देते हैं कि यदि भविष्य में तुम फिर ऐसा अनुचित काम करोगे तो तुम्हें दण्ड दिया जायगा। इसका उद्देश्य किसी को ठीक रास्ते पर लाना होता है— उचित मार्ग दिखलाना होता है। तर्जनी का अर्थ है—डर या भय दिखाना या डराना। इसी से अँगूठे के बादवाली उँगली का नाम तर्जनी पडा है, क्योंकि डराने-धमकाने के समय वही उँगली खडी करके धमकी दी जाती है। पर प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ है—अपना काम निकालने के लिए किसी को डराकर उसे अपने वश में करने का प्रयत्न करना। इसमें एक तो स्वार्थ का (और वह भी प्रायः अनुचित रूप से) और दूसरे किसी के मन में भय के संचार का भाव प्रधान है। जब उपद्रवियों की भीड पर पुलिस गोलियाँ न चलाकर भूठ-भूठ बन्दूके दागती और सिर्फ कोरी आवाजें करती है, तब उसका उद्देश्य तर्जनी ही होता है। वह लोगों के मन में भय उत्पन्न करके उन्हें तितर-बितर करना चाहती है। यदि कोई अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने के लिए हमसे भूठ-भूठ कहे कि तुम्हारे यहाँ हमारे बीस हजार रुपये निकलते हैं, और अपने मित्रों को इस सम्बन्ध के जाली और भूठे कागज-पत्र दिखाता फिरे तो हम कहेंगे—यह सब उसका तर्जनी मात्र है। तर्जित व्यक्ति पर इसका बौद्धिक या इन्द्रिय-जन्य परिणाम होता है।

गुरखे प्राय स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने के लिए और डाकू लोगों का माल लूटने के लिए पिस्तौल दिखाकर उन्हें तर्जित करते हैं। धौंस वस्तुतः धमकी और तर्जन के बीच की च्विज है, और प्रयोग के विचार से इन दोनों से हलके भाव की सूचक है। इसका प्रयोग और परिणाम दोनों प्राय क्षणिक या अल्प-स्थायी होते हैं। उद्ग्रहतापूर्वक किसी को अपने सामने तुच्छ या दुर्बल ठहराते हुए धमकी या तर्जन की जो छोटी-मोटी बात कही जाती है, वही धौंस कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है—किसी को उसकी दुर्बलता का भान कराके उससे अपना मतलब निकालना। हम कहते हैं—इस तरह की धौंस में आकर भला हम अपना मकान उसे दे देंगे या उसके सामने सिर झुकावेंगे। धुप्पल या धुप्पस भी है तो बहुत-कुछ धौंस की ही तरह की चीज, पर इसमें किसी को धोखा देकर आतंकित करने या उसकी आँखों में धूल भोकेकर अपना काम निकालने का भाव मुख्य है। प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यों या बातों और मुख्यतः कई प्रकार के जूए के खेलों में प्राय लोग चालाकी से अपना पक्ष प्रबल सिद्ध करके दूसरे पक्ष को दबाने या हराने का जो प्रयत्न करते हैं, उसकी गिनती धुप्पस में ही होती है। गीदड-भभकी और बन्दर घुडकी दोनों बहुत-कुछ एक हैं, और बोल-चाल में दोनों का काम खाली भभकी से चलता है। भभकी हिन्दी की अनुरणवाचक भभकना (=आवेश या वेगपूर्वक रह रहकर ऊपर उठना, जैसे आग भभकना) क्रिया का भाव-वाचक रूप है। इसका प्रयोग प्राय ऐसी आवेश-पूर्ण धमकी या धौंस के सम्बन्ध में होता है जिसके मूल में वास्तविक बल बहुत ही कम हो। गीदड और बन्दर प्राय किसी को सामने देखकर अपने झूठे क्रोध और बल के आधार पर डराकर भगाने का प्रयत्न करते हैं। यदि डटकर उनका सामना किया जाय और कुछ अधिक बल या साहस दिखाया जाय, तो वे स्वयं डरकर हट या भाग जाते हैं। गीदडो और बन्दरो की तरह का ऐसा ही दिखावटी क्रोध-प्रदर्शन भभकी कहलाता है। इसी लिए प्राय कहा जाता है—ऐसी भभकियाँ किसी और को दिखाना, यहाँ कोई तुमसे डरनेवाला नहीं है।

नमूना (Specimen)

बानगी (Sample)

नमूना फा० नमून * का हिन्दी रूप है जो अपने मूल अर्थ में हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। बानगी हिन्दी के उस बाना (स० वार्ण) से बना है, जिसके अर्थ हैं—(क) कुछ विशिष्ट प्रकार का पहनावा, (ख) पद, मर्यादा आदि के अनुरूप अवस्था या स्थिति, और (ग) रग-ढग, रीति आदि। यद्यपि हमारे यहाँ नमूना और बानगी में अर्थ के विचार से कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता, पर प्रयोग के विचार से इतना ही अन्तर कहा जा सकता है कि नमूना तो लोक-व्यवहार का बहुत प्रचलित और इधर हाल का शब्द है, और बानगी हमारे यहाँ का पुराना और महाजनी बोल-चाल का शब्द है, जो बहुत-कुछ मरता हुआ-सा जान पड़ता है। अंगरेजी के उक्त दोनों शब्दों के अर्थों और प्रयोगों के विचार से हिन्दी में भी कुछ वैसे ही अन्तर देखने में आते हैं। हमारे यहाँ बानगी वह थोड़ी-सी चीज कहलाती है जो किसी बहुत बड़ी राशि में से निकालकर दिखाई जाती है। अनाज बेचनेवाले गेहूँ, चावल आदि के बोरो में से थोड़ा-सा गेहूँ या चावल निकालकर उसकी बानगी दिखाते हैं, और धी-तेल आदि बेचनेवाले कनस्तारों में से इन चीजों की बानगी ग्राहकों को देते हैं। इसी आधार पर हम तरह-तरह के कपडों के उन छोटे टुकड़ों को भी बानगी ही कहेंगे, जो कपडों के कल-कारखानेवाले अपने बड़े-बड़े ग्राहक व्यापारियों के पास उन्हें अपने यहाँ तैयार माल का रूप-रग आदि दिखाने के लिए भेजते हैं। भले ही बोल-चाल में ऐसे टुकड़े भी नमूना कहलाते हों, फिर भी आर्थी स्पष्टता और पार्थक्य के विचार से उन्हें बानगी कहना ही ठीक होगा। किसी चीज की बानगी से उस सारी चीज के रूप-रग, गुण, विशेषता आदि का पूरा पता चल जाता है। नमूना

* यह फारसी के उस नमू शब्द से बना है, जिसका अर्थ है—उठ या उभरकर सामने आना। इसी नमू से फारसी के नमूद (उठान, उभार) और नमूदार (उदित, दृष्टि-गत, प्रकट) शब्द बने हैं।

प्रायः एक ही प्रकार की बहुत-सी चीजों में से किसी एक चीज के रूप में होता है, और उस वर्ग की सब चीजों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। बानगी तो सदा किसी वस्तु का अश या खण्ड होती है, इसलिए उसके आधार पर जल्दी कोई धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि यह बात निश्चित होती है कि किसी चीज की जैसी बानगी होगी, वैसी ही वह चीज भी होगी। पर नमूना केवल किसी वस्तु-वर्ग की परिचायक इकाई मात्र होती है, और कुछ अवस्थाओं में उस वस्तु से बहुत कुछ भिन्न भी हो सकती है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। हम बक में अपने हस्ताक्षर का जो नमूना भेजते हैं, वह हमारे हस्ताक्षर का कोई अश या खण्ड नहीं होता, उसके प्रकार मात्र का सूचक एक रूप होता है। हम कहते हैं—हम अपनी पुस्तक की एक प्रति आपके पास नमूने के तौर पर भेजते हैं। हो सकता है कि हमने नमूने के तौर पर १०—२० प्रतियाँ अच्छे कागज पर छपा ली हो, और बाकी प्रतियाँ रद्दी कागज पर छपाई हों। पर जब कहते हैं—‘अब जरा इस पुस्तक की कविताओं की बानगी देखिए।’ तब हम उस समूची पुस्तक या उसमें की कविताओं कुछ अश ही आपके सामने रखते हैं, और उस बानगी के आधार पर यह आशा की जाती है कि पुस्तक में दी हुई शेष कविताएँ भी वैसी ही होंगी। इन्हीं दृष्टियों तथा विचारों से नमूना और बानगी के ठीक प्रयोग होने चाहिए। अपने विस्तृत अर्थ में नमूना का प्रयोग उस रूप में भी होता है, जिसे हमारे यहाँ उदाहरण कहते हैं। (दे०—‘दृष्टान्त’ के अन्तर्गत ‘उदाहरण’)

नारी (Woman)

अबला	महिला (Lady)
कान्ता	वामा
कामिनी (Belle)	सुन्दरी=कामिनी
बाला	स्त्री (Female)

नारी स० नर (पुरुष) का स्त्रीलिंग रूप है, और प्रायः स्त्री का पर्याय माना जाता है। पर इसका प्रयोग मनुष्य जाति की सभी स्त्रियों के सम्बन्ध में और मुख्यतः युवती तथा वयस्क स्त्रियों के सम्बन्ध में होता है। जैसे—दया, प्रेम, लज्जा आदि गुण नारी के भूषण हैं, अथवा नारी घर का शृंगार है। अबला स० अबल का स्त्री० रूप है, जिसका अर्थ है—बल से रहित या शक्ति से हीन। स्त्रियाँ स्वभावतः पुरुषों की तुलना में असमर्थ या दुर्बल मानी जाती हैं, और अबला उनकी इसी दुर्बलता का सूचक है। पर कहीं-कहीं यह शब्द नारी और स्त्री का पर्याय भी मान लिया जाता है। जैसे—अबला यत्र प्रबला । कान्ता स० कान्त का स्त्री० है जिसके अर्थ हैं—प्रिय, प्रेमयुक्त, सुन्दर आदि। अतः कान्ता का अर्थ होता है—प्रेम करनेवाली सुन्दर स्त्री। कान्त का एक अर्थ पति भी होता है, अतः कान्ता का अर्थ पत्नी भी है। कामिनी स० कामिन् का स्त्री० है जिसका पहला अर्थ है—कामना करनेवाला; और दूसरा अर्थ है—अनुराग या प्रेम करनेवाला। अर्थ की दृष्टि से कामिनी भी प्रेम करनेवाली अथवा प्रेम की पात्री सुन्दरी का वाचक है। बाला स० बाल का स्त्री० है, जिसका अर्थ है—बालक या लड़का। बाला साधारणतः ऐसी स्त्री को कहते हैं जिसकी अवस्था १५—१६ वर्ष के लगभग हो। वामा स० वाम का स्त्री० है, जिसका पहला अर्थ है—बायाँ (दाहिना का विपर्याय), और दूसरा अर्थ है—प्रिय, मनोहर, सुन्दर आदि। स्त्रियाँ आकर्षक और सुन्दर तो होती ही हैं, वे पुरुषों के साथ उनकी बाईं ओर बैठती या रहती भी हैं। इसी लिए वामा भी सुन्दर स्त्री का ही वाचक है। महिला है तो मूलतः नारी या स्त्री का वाचक शब्द ही, पर अब यह विशिष्ट

रूप से भले घर की ऐसी स्त्रियों का वाचक हो गया है जो कुल, शील, प्रतिष्ठा, सस्कृति आदि के विचार से श्रेष्ठ हो और जिनका समाज में अच्छा आदर हो। स्त्री शब्द की व्युत्पत्ति सम्भवतः सूत्री या सोत्री से है, जिसका अर्थ होता है—प्रसव करने अथवा सन्तान उत्पन्न करनेवाली। नारी की ही तरह स्त्री का प्रयोग भी सामूहिक और सार्विक रूप में होता है। जैसे—स्वतन्त्रता के आन्दोलन में स्त्रियों ने भी अच्छी सहायता की थी। इसमें एक और अर्थ भी लगा है जो जाति मात्र का सूचक है। यह पशुओं, वनस्पतियों आदि के भी उस लिंग या प्रकार का सूचक है जो मुख्यतः प्रसव का काम करता है। जैसे—सिंह जाति की मादा या सिंहनी को हम स्त्री—सिंह भी कह लेते हैं, और फूलों, वृक्षों आदि के सम्बन्ध में हम कहते हैं—यह स्त्री जाति का फूल (या वृक्ष) है। बोल-चाल में स्त्री शब्द प्रायः पत्नी या भार्या का भी वाचक हो गया है। ऐसे अवसर पर स्त्री के पहले सम्बन्ध-वाचक विभक्ति या विशेषण भी लगता है। जैसे—प० श्यामलाल की स्त्री, अथवा—इस बार यात्रा में वे अपनी स्त्री को भी साथ लेते गये हैं।

निन्दा (Censure)

घुड़की

फिड़की (Chide)

हाँट (Rebuke)

हाँट-फटकार

ताड़ना (Admonition)

दीषारोपण

भर्त्सना (Reproval)

निन्दा (अर्थ की दृष्टि से) प्रशंसा का विपर्याय है। जिस तरह कोई अच्छा काम करने पर मनुष्य की प्रशंसा होती है, उसी तरह बुरा काम करने पर उसकी निन्दा होती है। यह स्वयं उस व्यक्ति की भी हो सकती है, और उसके अनुचित

काम की भी । यदि कोई उद्द बालक अपने माता-पिता के साथ अनुचित व्यवहार करे अथवा कोई व्यक्ति अपने किसी उपकारक के साथ विश्वास-घात करे, तो ऐसी अनुचित बातों के लिए वह दूसरों की दृष्टि में दोषी समझा जायगा, और ऐसे अनुचित व्यवहारों या दोषों की लोक में जो अप्रिय, कटु और तीव्र चर्चा होगी, वही उस दोषी व्यक्ति की निन्दा कही जायगी । यदि कोई अधिकारी कोई अनुचित, अन्यायपूर्ण या नियम-विरुद्ध कार्य करता रहे, तो लोक में उसकी भी निन्दा होगी* । किसी व्यक्ति या उसके काम की निन्दा उसके मुँह पर भी हो सकती है और पीठ पीछे भी । घुड़की और भिड़की† हैं तो एक ही वर्ग के शब्द, पर घुड़की से भिड़की अधिक उग्र और कटु होती है । इनका प्रयोग प्रायः अधीनस्थों और छोटे के लिए (उनके कोई अनुचित काम करने पर) होता है । घुड़की प्रायः अनुचित काम होते रहने अथवा शौचित्य की सीमा का उल्लंघन करने की दशा में उसे रोकने के लिए और भिड़की प्रायः अनुचित काम हो जाने के उपरान्त उसकी सूचना मिलने पर भविष्य में सचेत रहने के लिए दी जाती है । पर दोनों का उद्देश्य असन्तोष और रोष प्रकट करना ही होता है । डाँट और डाँट-फटकार भी हैं तो प्रायः एक ही, पर डाँट से डाँट-फटकार अधिक उग्र होती है, और उसमें डाँट की अपेक्षा कुछ और अप्रिय तथा कठोर बातें भी होती हैं । डाँट तो घुड़की का कुछ उग्र और बटा हुआ रूप है, और डाँट-फटकार भिड़की का । दोनों का स्वरूप प्रायः आधिकारिक और प्रयोग प्रायः वयस्क अधीनस्थों के प्रति होता है । यदि हमारा नौकर हमारे किसी पडोसी या मित्र के साथ कोई साधारण अनुचित व्यवहार करे तो उसे डाँट सुननी पड़ेगी, और यदि वह बराबर कई तरह के अनुचित व्यवहार करता रहे तो वह डाँट-

ॐ प्रायः सभा-समितियों में ऐसे अनुचित कार्यों का खुलकर विरोध भी किया जाता है और दोषी के सम्बन्ध में निन्दात्मक प्रस्ताव भी उपस्थित किया जाता है, जिसे निन्दा का प्रस्ताव (वोट ऑफ सेन्सर) कहते हैं ।

† ये दोनों शब्द अनुकरण-वाचक हैं और क्रमात् घुड़कना तथा भिड़कना के भाव-वाचक रूप हैं ।

फटकार का पात्र हो जायगा। डॉट में केवल दबाने और रोकने का भाव है, पर डॉट-फटकार में कुछ तिरस्कार भी सम्मिलित रहता है। ताड़ना भी है तो इसी वर्ग में, पर उसमें कुछ तो कठोरता कम होती है और कुछ सचेत रहने का और कुछ परामर्श का भी भाव मुख्य होता है। इसका उद्देश्य भी अप्रसन्नता प्रकट करने के साथ साथ कर्त्तव्य-पालन की ओर ध्यान आकृष्ट करना ही होता है। भर्त्सना इस वर्ग में सबसे अधिक उग्रता, कठोरता और रोष का सूचक शब्द है। यह स० भर्त्स से बना है, जिसके अर्थ हैं—डराना, धमकाना आदि। इसका प्रयोग प्राय बहुत अधिक अनुचित काम करने पर होता है। यह डॉट-फटकार का ऐसा आगे बढ़ा हुआ रूप है जिसमें निन्दा के साथ घुड़की और भिड़की भी मिली रहती हैं। इसमें कुछ धमकी (दे०—वमकी) भी मिली रहती है, और इसका आशय यह होता है कि यदि भविष्य में ध्यान न रखोगे या फिर ऐसा अनुचित काम करोगे, तो तुम्हें कठोर दंड दिया जायगा। दोषारोपण (स० दोष + आरोपण) भी बहुत कुछ बही है जो अभियोजन (देखें) है, पर कई दृष्टियों से यह अभियोजन से कुछ हलके भाव का सूचक है। शब्दार्थ की दृष्टि से यह किसी पर कोई दोष लगाना भर है। यह सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी। इसका उद्देश्य कुछ दंड दिलाना भी हो सकता है और केवल अपमानित, कलकित या लज्जित करना भी।

नियमित (Regular)

ठेठ=प्ररूपी

प्रसम (Normal)

प्रकृत (Natural)

प्राकृतिक=प्रकृत

प्ररूपी (Typical)

नियमित का शब्दार्थ है—नियम से बंधा या बाँधा हुआ। जिस बात या विषय के सम्बन्ध में कुछ नियम बने हो अथवा जो बात साधारणतः किसी नियम

या बन्धेज से होती हो, वही नियमित है। कर्मचारी नियमित रूप से कार्यलक्ष्य जाते और वहाँ अपना काम करते हैं; ग्वाला नियमित रूप से अपने ग्राहकों के घर दूध पहुँचाता है, और डाक, रेल, हवाई जहाज आदि नियमित रूप से आते-जाते रहते हैं। इन सबके सम्बन्ध में पहले से जो बातें निश्चित होती हैं, उन्हीं के अनुसार जब इनके सब काम ठीक तरह से, समय पर लगातार होते रहते हैं, तब वे नियमित कहलाते हैं। प्रकृत वह है जो प्रकृति* के अनुसार हो, अर्थात् जो सदा से समान रूप में होता आया हो और जिसका सदा समान रूप में घटित होना अनिवार्य हो। (कभी किसी विशिष्ट कारण से ऐसा न होने पर वह अप्रकृत कहलावेगा।) अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करना प्रायः सभी प्राणियों का प्रकृत धर्म है—इसके लिए उनकी प्रकृति ही उन्हें प्रेरित और बाध्य करती है। हम गरमी, सर्दी, कष्ट, सकट आदि से प्रकृत रूप से बचना चाहते हैं, और कुत्ते, बिल्ली, शेर आदि का प्रकृत भोजन मास है। प्ररूपी वह है जो अपनी जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं में प्रकृत (अर्थात् सबसे समान) रूप से पाये जानेवाले आकार-प्रकार, रूप-रंग, विशिष्टताओं आदि के ठीक अनुरूप हो। हम कहते हैं—अमुक श्लोक कालिदास की शैली का प्ररूपी उदाहरण है। आशय यही होता है कि कालिदास के समस्त काव्य-साहित्य में जो विशेषाणें मिलती हैं, प्रायः उन सबसे यह श्लोक युक्त है। प्ररूपी के लिए हमारे यहाँ का पुराना शब्द ठेठ है। ठेठ बनारसी बोली का अर्थ है—बनारस की वह बोली जो साधारणतः बनारस में ही चलती हो या चली आ रही हो। ठेठ या प्ररूपी जगली या पहाड़ी वही कहलावेगा जिसमें वे सभी बातें या विशेषताएँ हों जो साधारणतः सभी जगलियों या पहाड़ियों में समानयत् पाई जाती हैं। प्रसम्भ (विपर्याय-अप्रसम्भ) वह है जो अपनी सगत और साधारण अवस्था, स्थिति आदि

* यहाँ प्रकृति शब्द अपने व्यापक अर्थ में आया है। प्रत्येक वस्तु या बात में कुछ ऐसे तत्त्व होते हैं जो उसमें सदा समान रूप से पाये जाते हैं और जिनमें कभी कोई अन्तर या परिवर्तन नहीं होता। यही सब मूल तत्त्व उसकी प्रकृति कहलाते हैं।

मे ही हो—विशेष घटा-बढा या इधर-उधर हटा हुआ न हो। प्रकृत और प्रसम मे अन्तर यह है कि प्रकृत तो सदा एकरस रहता है; और उसमे अन्तर या भेद के लिए कदाचित् ही कोई अवकाश रहता हो। पर प्रसम का क्षेत्र अपेक्षया परिमित होता है, और उसमे कुछ अन्तर या भेद भी देखने मे आते हैं। पूस-माघ मे जाडा प्रकृत रूप से पडता है। यह हो ही नहीं सकता कि पूस-माघ मे जाडा न पड़े। पर साधारणत हर साल पूस-माघ मे जितना जाडा पडता हुआ हम देखते हैं, वही हमारे लिए प्रसम होता है। हो सकता है कि किसी साल जाडा कुछ अधिक हो या कम। उस दशा मे हम कहेंगे—इस साल सरदी अप्रसम है, अर्थात् साधारणत हर साल जितनी या जैसी सरदी पडती थी, उससे इस साल कुछ अधिक (या कम) है। (विशेष दे०—‘भाव्य’ के अन्तर्गत ‘प्रसमा’)

निषेध (Forbiding)

निरोध (Restraint)	वर्जन = प्रतिषेध
निवारण (Prevention)	वारण (Banning)
प्रतिबन्ध (Restriction)	रुकावट
प्रतिषेध (Prohibition)	रोक-थाम=निवारण
मनाही=१. निषेध, २. वारण	

इस वर्ग के शब्द किसी व्यक्ति को कोई काम करने, किसी चीज का उपयोग या व्यवहार करने, कही आने-जाने अथवा ऐसा ही कोई आचरण करने से रोकने के वाचक हैं। इनमे से निषेध और प्रतिषेध बहुत कुछ एक ही भाव के सूचक तथा प्राय समानक हैं। अन्तर यही है कि निषेध का प्रयोग साधारण लोक-व्यवहार मे और कुछ व्यापक अर्थ मे तथा प्रतिषेध का प्रयोग प्राय विधिक क्षेत्रों में और कुछ परिमित अर्थ मे होता है। दोनो का आशय यही है कि कुछ विशिष्ट

कारण-वश अथवा परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए किसी को कोई काम करने से अधिकार-पूर्वक रोका या मना किया जाता है। शास्त्रों में नीति-विरुद्ध काम करने का निषेध होता है, और शासन प्रायः स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिषेध करता है। महत्त्व की दृष्टि से प्रतिषेध की तुलना में निषेध का स्थान पहला पडता है, उसमें आज्ञा के पालन का भाव अपेक्षया अधिक प्रबल है। माता-पिता अपने बच्चों को दुष्ट व्यक्तियों या बुरे कामों से बचने की जो आज्ञा देते हैं, वह निषेध है। आज-कल सिनेमा-घरों में बीड़ी, सिगरेट आदि पीने का निषेध है। आज्ञा यही की जाती है कि ऐसे निषेधों का दृढता-पूर्वक और पूरा पालन होगा। प्रतिषेध साधारणतः निषेध में कुछ शिथिल और हलका है। सार्व-राष्ट्रीय अभिसमयों और विधानों में युद्ध-काल में नगरों पर बम बरसाने का और नगर-पालिकाओं की ओर से सड़कों पर चौपाये खुले छोड़ने का प्रतिषेध होता है। पर ऐसे प्रतिषेध न तो जल्दी कठोरता-पूर्वक बलवत् किये जाते हैं, न उनका उतना अधिक ध्यान रखा जाता है, जितना निषेध सम्बन्धी आज्ञाओं के पालन का रखा जाता है। हम कहते हैं—भारतीय सविधान में राज्यों को अमुक काम करने का अधिकार तो नहीं दिया गया है, पर उसका प्रतिषेध भी नहीं किया गया है। आज्ञा यही होता है कि यदि कोई राज्य वह काम करना चाहे तो कर सकता है। वर्जन भी बहुत-कुछ वही है, जो प्रतिषेध है। इसमें भी आज्ञा-पालन पर उतना जोर नहीं है, जितना निषेध में है*। वारण भी है तो बहुत-कुछ वही जो निषेध या प्रतिषेध है, फिर भी इसमें एक विशिष्ट भाव लगा है। निषेध और प्रतिषेध में तो केवल रोकने का भाव प्रधान है; पर वारण में उस काम या बात के दूषित या निन्दनीय होने का भाव प्रधान है, जिसके सम्बन्ध में यह होता है। शासन की ओर से अश्लील चित्र या गन्दी पुस्तकें छापना अथवा राजद्रोहात्मक पुस्तकें बेचना वारित होता है। जिस प्रकार प्रतिषेध की तुलना में निषेध

ॐ 'बरजो जसोदा मैया अपने लाल को' में का बरजो (वजित करो) में साधारण रूप से रोकने या मना करने का ही भाव है, किसी प्रकार की कठोरता या दृढता दिखलाने का भाव नहीं है।

अधिक कठोर या तीव्र है, उसी प्रकार निषेध की तुलना में वारण और भी अधिक उग्र या कठोर है। वारणिक आज्ञा का उल्लंघन हमें दंड का भागी बना सकता है। मनाही हिं० मना, (अरबी मनऽ) से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है; और अपनी आर्थी शिथिलता के कारण निषेध, प्रतिषेध और वारण तीनों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। रुकावट हिं० रुकना या रोकना का भाव-वाचक रूप है, और यह भी अर्थ तथा प्रयोग के विचार से मनाही की ही तरह अनियमित और शिथिल है। फिर भी इसमें उस बाधा का भाव प्रधान है जो बीच में आकर कोई चलता हुआ काम रोक देती है या उसका आगे बढ़ना (चाहे थोड़े ही समय के लिए हो) बन्द कर देती है। इस दृष्टि से यह बाधा का समानक है। (दे० 'बाधा' के अन्तर्गत 'रुकावट') हम कहते हैं—इस पुस्तक की तैयारी में चारों ओर से तरह-तरह की रुकावटें सामने आईं। आशय यही होता है कि हमें परिस्थिति-वशा बीच-बीच में रुकना या ठहरना पड़ा। प्रतिबन्ध का साधारण अर्थ है—आगे की ओर से बँधना या बाँधना। इसमें किसी काम या बात के लिए कुछ ऐसी मनाही करने या रुकावट डालने का भाव मुख्य है जो उस काम या बात के लिए कोई क्षेत्र नियत या निर्धारित कर देती है, और उस क्षेत्र से बाहर निकलने के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रतिषेध का विधान करती है। जहाँ किसी काम या बात पर कोई प्रतिबन्ध लगता है, वहाँ किसी नियत या निश्चित क्षेत्र अथवा परिधि के अन्दर ही वह काम या बात करने की स्वतंत्रता रहती है, उससे बाहर निकलने या होने की नहीं। शासन की ओर से कभी-कभी हमारे यहाँ प्रायः दंड-विधान की १४४ वीं धारा के अनुसार जलूस निकालने, भाषण या समाएँ करने, सड़कों पर लाठी-सोटा लेकर चलने आदि पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। आशय यही होता है कि सब लोग साधारण रूप से ही इधर उधर आ-जा सकते या आपस में बात-चीत कर सकते हैं, इस क्षेत्र या परिधि के बाहर नहीं जा सकते। किसी प्रकार के बन्धन या बन्धनों की योजना ही प्रतिबन्ध है। निरोध में भी रुकने या रोकने का ही भाव मुख्य है; पर यह किसी उत्कृष्ट अधिकार, बल या शक्ति के योग से होनेवाली रुकावट का सूचक है। किसी प्रकार के नियंत्रण के द्वारा किसी बात को सीमित रखना और उस सीमा का उल्लंघन न करने देना ही

उसका निरोध करना है। 'योगश्चित्त-वृत्ति निरोध' में चित्त की वृत्तियों को बलपूर्वक रोकने और सीमित रखने का भाव मुख्य है। निवारण भी होता तो है बहुत-कुछ वही जो निरोध है, फिर भी यह कुछ भिन्न और अपेक्षया हलके भाव का सूचक है। जब कोई अनिष्टकारक या आपत्तिजनक बात या विकट बाधा सामने आती या होती हुई दिखाई देती है, तब उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो चेष्टा या प्रयत्न किया जाता है, वही वस्तुतः निवारण है। हिन्दी में इसे इसी लिए रोक थाम कहते हैं कि इसमें थाम (या पकड़) कर रोकने का भाव मुख्य है। यद्यपि हिन्दी में निवारण का प्रयोग बहुत दिनों से केवल दूर करने के अर्थ में होता आया है (जैसे—इस औषध से आपके रोग का निवारण हो जायगा), पर वास्तव में यह निवारण शब्द के अर्थ का एक अश मात्र है। जब शरीर में रोग आ लगा हो, तब केवल उसे अन्ध्या या दूर करने के अर्थ में निवारण का प्रयोग (इस शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से) अनुचित तो नहीं है, फिर भी प्रयोग के विचार से और शब्द की आर्थी सीमा निर्धारित करने के लिए इसका वही अर्थ मानना चाहिए जो ऊपर बतलाया गया है। जिस समय नगर में कोई छूतवाला या सक्रामक रोग फैलने की आशका या सम्भावना हो, उस समय कहा जायगा—नगर-पालिका की ओर से इसके निवारण के लिए पूरा प्रयत्न हो रहा है। आशय यही होगा कि ऐसा प्रयत्न हो रहा है जिसमें यह रोग फैल या बढ़कर भीषण रूप न धारण करने पावे।

नींद (Sleep)

उँघाई, ऊँघ (Doze)	परिशयन (Hibernation)
झपकी (Nap, slumber)	शयन (Sleeping)
तन्द्रा (Stupor)	सुषुप्ति (Deep sleep)
निद्रा=नींद	सोना (Sleep)

नींद (स० निद्रा) प्राणियों की वह स्थिति है, जिसमें वे बीच बीच में और प्रायः निश्चित समयों पर अपनी बाह्य चेतना और ज्ञान से रहित होकर चुपचाप पड़े रहते हैं। दिन भर चलते-फिरते और काम धन्धा करते रहने से शरीर में जो थकावट आती है, वह इस विश्राम से दूर हो जाती है और शरीर फिर से काम करने के योग्य हो जाता है। इसमें हमारी अनेक शारीरिक और स्नायविक क्रियाएँ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में बन्द हो जाती हैं, केवल हृदय की गति, रक्त का संचार और पाचन-सम्बन्धी भीतरी क्रियाएँ चलती रहती हैं। शारीरिक शक्तियों की क्षीणता और शिथिलता दूर करने का यह प्राकृतिक विधान है। इसी को हिन्दी में सोना* और संस्कृत में शयन कहते हैं। साधारण अवस्था में मनुष्य और पशु-पक्षी तथा आधुनिक खोजों के अनुसार पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ तक रात के समय ही सोती हैं, पर कुछ अवस्थाओं में मनुष्य और कुछ पशु-पक्षी बहुत थक जाने या बीमार पड़ने पर दिन में भी कुछ समय तक सोते हैं। सोने की दशा में होना ही नींद लेना कहलाता है। यों तो मनुष्य सदा लेटकर ही सोता है, पर कुछ अवस्थाओं में कुछ लोग (और कभी-कभी कुछ पशु-पक्षी) बैठे-बैठे ही निद्रा के वश में होने लगते हैं। इस अवस्था में उनका सिर रह-रहकर नीचे झुकने लगता, पर कुछ ही क्षणों में प्रायः फिर ऊपर उठता रहता है। इस प्रकार थोड़ी और हलकी नींद में होना ही उँघाई या ऊँघ है। ये दोनों शब्द स० अवाह् में व्युत्पन्न हैं, जिसका अर्थ है—नीचे की ओर सिर झुकना या होना। झपकी हिन्दी झपकना (आँख का) से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है।

* हिन्दी का सोना स० शयन से ही व्युत्पन्न है।

लेटने पर थोड़ी देर के लिए आदमी को जो हलकी नींद आती है, वही भ्रमकी कहलाती है। थोड़ी देर के लिए आँखे भ्रमकना ही भ्रमकी है। तन्द्रा यों तो बोल-चाल में हलकी और थोड़ी नींद या भ्रमकी को भी कह लेते हैं, पर वास्तव में यह (तन्द्रा) हमारी वह शारीरिक निश्चेतन अवस्था है, जो बहुत अधिक दुर्बलता, रोग, विष के प्रभाव आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह मन और शरीर दोनों के बहुत भारी और शिथिल हो जाने पर आती है, और इस बात की सूचक होती है कि आई हुई शारीरिक आपत्तियाँ सहने की मन और शरीर में शक्ति नहीं रह गई है। यह भी हलकी नींद या भ्रमकी के रूप में ही होती है, और इसमें मनुष्य को थोड़ी सुष भी रहती है। यह बेहोशी और नींद के बीच की-सी दशा है। प्रायः मरणासन्न रोगियों को मृत्यु के पहले थोड़ी-बहुत और एक या अनेक बार तन्द्रा आती है। सुषुप्ति का साधारण अर्थ है—गहरी नींद में या खूब सोना। परन्तु योग शास्त्र में यह चित्त की एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति या अवस्था मानी गई है, जिसमें योगाभ्यास के समय योगी को ब्रह्म का साक्षात्कार तो होता है, पर मन के सोये रहने के कारण उसे ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान नहीं होने पाता। परिशयन कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव-जन्तुओं की वह तन्द्रा या निद्रा वाली अवस्था है, जिसमें वे जाड़े के दिनों में, शीत के प्रभाव से बचे रहने के लिए, चुपचाप एक स्थान पर बिना खाये-पीये और बिना हिले-डुले पड़े रहते हैं। सभी प्रकार के साँप जाड़ा आते हो जमीन के नीचे कुछ गहराई में जाकर और बरफीले देशों के रीछ गुफाओं में छिपकर इसी प्रकार परिशयन करते हैं। परिशयन की यह क्रिया इनके सिवा और भी अनेक जीव-जन्तुओं में होती है। मेटक तो केवल बरसात में ऊपर आते हैं, बाकी ८ महीने वे मिट्टी के नीचे परिशयन करते हैं।

पकाना (Cooking)

उबालना (Boiling)	दम देना (Steaming)
छौंकना (Spicing)	बघारना=छौंकना (आंशिक रूप में)
तड़का देना = बघारना	भूनना (Roasting)
तलना (Frying)	सैंकना (Baking)

इस वर्ग के सब शब्द खाने-पीने की चीजों से सम्बन्ध रखनेवाली उन क्रियाओं के सूचक हैं जो आग की सहायता से वे चीजे तैयार करते समय की जाती हैं। साधारणतः कोई चीज (बरतन में) आग पर रखकर तैयार करना या बनाना पकाना कहलाता है। यह उसी स० पच् धातु से बना है, जिससे पक, पचन, पाचक आदि शब्द बने हैं। साधारणतः पका करना ही पकाना है। रोटी, दाल, चावल तरकारी, खीर आदि सभी चीजे पकाई जाती हैं। कच्चे अन्न, तरकारी आदि को आग की सहायता से गलाकर खाने योग्य बनाना ही उन्हें पकाना* है। उबालना स० उद्बालन से व्युत्पन्न है। पानी में डालकर कोई चीज आग पर चटाना और उसे गलाना ही उबालना है। चावल तो साधारणतः उबाला ही जाता है, कई तरह की तरकारियाँ और मास भी मसाले आदि डालने से पहले इसलिए उबाले जाते हैं कि वे गलकर मुलायम हो जायें। खाली दूध तो उबाला जाता है, पर उसमें चावल डालकर खीर पकाई जाती है। ऊल के रस, गुड या चीनी के शरबत आदि में भी चावल उबाले नहीं, बल्कि पकाये जाते हैं। छौंकना अनुकरण-वाचक शब्द है। कोई चीज कड़ाही में या तवे पर डालने के समय जो छौँ छौँ या छायँ छायँ शब्द होता है, उसी से यह शब्द बना है। यह दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में कड़ाही में (या तवे पर) घी या तेल डालकर उसमें जीरा, मिर्च, हींग आदि मसाले डालकर उन्हें तलते हैं, और तब उसमें

* आम, पपीते आदि फल भी कई तरह से पकाये जाते हैं, पर फलों का पकाना (Ripening) इस वर्ग में नहीं आता। ईंटें, मिट्टी के बरतन आदि भी पकाये जाते हैं, पर वे खाद्य वर्ग के बाहर हैं।

तरकारी डालकर उसे कुछ देर तक भूनते हैं। दूसरे प्रकार में पकी हुई दाल में उक्त प्रकार से कलछी, चम्मच आदि में मसाले तलकर डाले या मिलाये जाते हैं, और तब तुरन्त ही दाल इसलिए दक दी जाती है कि मसालों की महक दाल में ही समा जाय, बाहर न निकलने पावे। छौंकने का यह दूसरा प्रकार ही बघारना या तड़का देना भी कहलाता है। बघारना (स० श्रवघ्रापण) का मूल अर्थ है—सुगन्धित करना। कडाही में घी या तेल डालकर उसे तपाना और तब उसमें कोई चीज डालकर पकाना ही उसे तलना है। तलना या तो स० तरण से या तलन से बना होगा। स० में कही कही 'तला हुआ' के अर्थ में 'तलित' का भी प्रयोग मिलता है। कचौरी, पूरी, समोसे आदि तलकर ही बनाये जाते हैं। कभी-कभी कुछ तरकारियाँ भी पकाने से पहले इस प्रकार घी या तेल में तली जाती हैं। जिन चीजों में जल का अंश अधिक होता है, उन्हें केवल उनकी भाप की सहायता से पकाना दम देना है। जिन चीजों का जल का अंश सूख जाता है, उन्हें भी कुछ समय तक नीचे या ऊपर हलकी आँच रखकर दम दिया जाता है। भूनना स० भर्जन से व्युत्पन्न है। यह भी है तो एक प्रकार का तलना ही; पर भूनने में उतना अधिक घी या तेल नहीं दिया जाता, जितना तलने में दिया जाता है; बल्कि उससे कम ही दिया जाता है। भाड़ में चने, चावल, गेहूँ आदि अन्न बिना घी या तेल दिये केवल गरम बालू की सहायता से भी भूने जाते हैं। कभी-कभी बिना बरतन में रखे यो ही आग पर रखकर और उलट-पुलटकर भी चीजें भून ली जाती हैं। यह पकाने का एक विशेष प्रकार मात्र है। सेंकना शब्द स० श्रेषण से बना है, जिसका अर्थ है—जलाना। जब कोई चीज केवल आग पर इस उद्देश्य से रखी जाय कि उसमें की आर्द्रता निकल जाय या पकने में जो कसर रह गई हो, वह पूरी हो जाय, तो यह क्रिया सेंकना* कहलाती है। तब पर रोटी

* यों लोग जाड़े में आग भी सेंकते हैं और धूप भी। ऐसे प्रसंगों में इसका एक पर्याय 'तापना' भी है। बाजेवाले भानख (चमड़े से मढ़े हुए) बाजे भी उनकी आवाज ऊँची करने के लिए आग के पास रखकर उन्हें सेंकते हैं। आँखें सेंकना एक अलग मुहावरा है, जिसका आशय है—प्रेम से आर्द्र या शिथिल आँखों में गरमाहट या जान (सजीवता) लाना।

पकाने के बाद रोटी जलते कोयलों पर सेकी जाती है। पर पाव-रोटी, बिस्कुट, नान, खताई आदि पकवान इसी प्रकार केवल सेंककर तैयार किये जाते हैं।

पर्याय (Synonym)

तदर्थी=समानक

विपर्याय (Antonym)

पर्यायकी (Synonymy)

समानक (Equivalent)

पर्यायज्ञ (Synonymist)

समानार्थी=समानक

पर्याय का पहला या मौलिक अर्थ है—चारों ओर चलना या घूमना। पर उसके और कई अर्थों में मुख्य और सबसे अधिक प्रचलित अर्थ है—अर्थ की दृष्टि से कोई ऐसा शब्द जो उसी प्रकार का अर्थ रखनेवाले दूसरे शब्द के स्थान पर काम में लाया जा सके। अर्थात् प्रायः समान अर्थ रखनेवाले जो शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हो, वही एक दूसरे के पर्याय कहलाते हैं। परन्तु विचारपूर्वक देखने पर पता चलता है कि कदाचित् हो कुछ ऐसे शब्द हों जो अर्थ के विचार से किसी दूसरे शब्द के पर्याय कहे जा सकें, क्योंकि प्रत्येक शब्द का कुछ विशेष अर्थ और स्वतन्त्र आशय होता है। साधारणतः संस्कृत के दिवाकर और प्रभाकर या ऐसे ही और अनेक शब्द इसी लिए सूर्य के पर्याय माने जाते हैं कि वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। पर दिवाकर का अर्थ है—दिन करनेवाला, और प्रभाकर का अर्थ है—प्रकाश करनेवाला। ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्याय माने जाने पर भी कभी समानक* या समानार्थी नहीं कहे जा

- अंग्रेजी के Equivalent के लिए हिन्दी में उपयुक्त शब्द समानक ही होगा, जो सभी भवसरो पर और प्रायः सभी प्रसंगों में एक-सा और ठीक तरह से चलेगा, तदर्थी और समानार्थी तो केवल शब्दों के प्रसंग में चले सकते हैं।

सकते, क्योंकि इन का अर्थ है—वही या समान अर्थ रखनेवाला। एक दूसरे के पर्याय माने जानेवाले कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जिनके अर्थों का ठीक, ठीक अन्तर चाहे न बतलाया जा सके, तो भी दोनों के प्रयोगों में अवश्य कुछ अन्तर होता है; और इसी लिए वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते। हम यह तो कह सकते हैं—यह चीज हमारे काम की नहीं है, पर यह नहीं कह सकते—यह हमारे कार्य या कर्म की नहीं है। फिर भी लोक-व्यवहार में कुछ शब्द अपने अर्थ की बहुत कुछ समानता के आधार पर एक हो दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते ही हैं। हम कहते हैं—उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर हमें बहुत दुःख हुआ। ऐसे अवसरों पर हम दुःख की जगह क्लेश, विषाद, सन्ताप आदि शब्दों का प्रयोग करके भी काम चला सकते और प्रायः चलाते भी हैं, क्योंकि इनके अर्थों में बहुत ही सूक्ष्म अन्तर है (दे०—दुःख)। ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्याय तो मान लिये जाते हैं, पर समानक नहीं कहे जा सकते। यही से प्रयोग के विचार से पर्याय और समानक का अन्तर आरम्भ होता है। एक दूसरे की जगह प्रयुक्त हो सकने के विचार से ही यह भी कहा जा सकता है कि एक भाषा के शब्द आपस में ही एक दूसरे के पर्याय होते हैं, किसी दूसरी भाषा के शब्द के पर्याय नहीं हो सकते। वारिधि, समुद्र और सागर इसी लिए एक दूसरे के पर्याय माने जा सकते हैं (और माने भी जाते हैं) कि ये किसी वाक्य में एक दूसरे की जगह प्रयुक्त हो सकते हैं, पर अरबी बहर या अँगरेजी Ocean के पर्याय नहीं, बल्कि समानक या तदर्थी ही होंगे। स० या हिं० पवन को हम अरबी हवा या अँगरेजी एयर (Air) के वाचक होने के कारण तदर्थी, समानक या समानार्थी तो कह सकते हैं, परन्तु पर्याय नहीं कह सकते। पर्याय की तरह समानक का भी ऐसा प्रयोग केवल गौण या प्रचलित अर्थ के विचार से ही होगा, स्वयं शब्दार्थ के विचार से नहीं। तात्पर्य यह कि एक भाषा के जो शब्द किसी एक काम, चीज, बात या भाव के वाचक या बोधक हों, वे एक दूसरे के पर्याय माने जायेंगे, पर उसी काम, चीज, बात या भाव के वाचक या बोधक जो शब्द दूसरी भाषाओं के होंगे, वे एक दूसरे के समानक कहे जायेंगे। विपर्याय शब्द पर्याय के विपरीत भाव का सूचक है। यह पर्याय में वि उपसर्ग लगाकर बनाया गया

है*। किसी शब्द का विरोधी अर्थ या भाव सूचित करनेवाला शब्द उस शब्द का विपर्याय कहलाता है। ऐसा शब्द प्रायः विपरीत या बुरे भाव का सूचक होता है। जैसे—नास्तिक, पाप और शत्रु शब्द क्रमात् आस्तिक, पुण्य और मित्र के विपर्याय हैं। पर जिन शब्दों या शब्द-युग्मों में तुलनात्मक दृष्टि से अच्छाई और बुराईवाला कोई भाव नहीं होता, वे शब्द भी एक दूसरे के विपर्याय ही कहलाते हैं। जैसे—गद्य और पद्य अथवा दिन और रात आपस में एक दूसरे के विपर्याय हैं।

पर्यायज्ञ वह कहलाता है जो पर्यायो और समानक शब्दों के सूक्ष्म अन्तरो का अध्ययन और विचार करके उनका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता अथवा दूसरों को वे अन्तर बतलाता है। पर्यायकी का आशय है—पर्यायो के अर्थों के सूक्ष्म अन्तरो या भेदों का अध्ययन या इससे सम्बन्ध रखनेवाली और सब बातों का विचार जो एक विद्या या शास्त्र के रूप में माना जाने लगा है। यह भाषा-शास्त्र का नया अंग या शाखा है। प्रस्तुत पुस्तक इसी शास्त्र की है। साधारणतः सत्र पर्यायो अथवा पर्याय वर्गों को भी सामूहिक रूप से पर्यायकी कह सकते हैं।

— — —

❁ विपर्याय शब्द पहले-पहल प्रामाणिक हिन्दी कोश के काम के लिए बनाया गया था। इससे पहले हिन्दी शब्द-सागर में इसका आशय सूचित करने के लिए 'विरोधी शब्द' का प्रयोग हुआ था, जो किसी तरह ठीक नहीं माना जा सकता।

† पर्यायकी भी हिन्दी के 'गायकी' 'नायकी' (=नायक का भाव वाचक हिन्दी रूप) आदि शब्दों के अनुकरण पर इसी प्रसंग के लिए नया गढ़ा हुआ शब्द है।

पाखण्ड (Hypocrisy)

आटोप=तड़क-भड़क	ढोंग
आडम्बर (Ostentation)	तड़क-भड़क (Pomp)
औपचारिकता (Formalism)	दिखावट (Show)
गर्वोक्ति (Boast)	दुनियादारी
ढोंग (Brag, Bravado)	धर्म-ध्वजता (Sanctimony)
ढंग=ढोंग	बनावट (Affectation)
ढकोसला	शेखी

पाखण्ड मूलतः संस्कृत में पाषण्ड है, जो हमारे यहाँ के धार्मिक समाज का उपेक्षा-सूचक शब्द है। प्राचीन भारत में जो हिन्दू, जैन या बौद्ध अपने धर्म पर सच्ची निष्ठा तो नहीं रखते थे, पर लोगों को दिखलाने भर के लिए झूठ-मूठ और कुछ बड़ा-चढ़ाकर धार्मिक आचार-व्यवहार करते थे, वे पाखण्डी या धर्म-ध्वजी कहलाते थे; और उनका ऐसा आचरण ही पाखण्ड कहलाता था। आज-कल पाखण्ड ऐसे सभी आचरणों और व्यवहारों का सूचक हो गया है, जिनमें मनुष्य वास्तव में नीतिमान् और सत्यनिष्ठ न होने पर भी औरों के सामने अपने आपको नीतिमान् और सत्य-निष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहता है। यदि हमारा कोई सच्चा सिद्धान्त या मत तो हो ही नहीं, पर हम जगह-जगह किसी सच्चे सिद्धान्त या मत का ढोल पीटते फिरें या बातें तो ऊँची-ऊँची करें, पर अन्दर ही अन्दर अनुचित या नीति विरुद्ध आचरण भी करते रहें, तो हम पाखण्डी कहे जायेंगे। अपना वास्तविक कलुषित या हीन रूप छिपाकर स्वार्थ-वश उसे शुद्ध और उच्च सिद्ध करने का प्रयत्न ही पाखण्ड है। पर इसमें वास्तविक आचरण का भाव गौण रहता है, प्रधानता उस रूप या व्यवहार की होती है, जो दूसरों को धोखे में रखने के लिए दिखाये या किये जाते हैं। पाखण्ड का यही बाहरी रूप आडम्बर कहलाता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि आडम्बर सदा पाखण्ड से सम्बद्ध ही हो। हम बिना पाखण्ड रचे भी आडम्बर खड़ा कर सकते हैं। उस

दशा में इसका उद्देश्य दूसरो की दृष्टि में बड़े बनना और उनसे अपनी प्रशसा कराना होता है। जब अन्दर कुछ भी तत्त्व नहीं होता या बहुत कम तत्त्व होता है, पर बाहरी रूप इतना भव्य रखा जाता है कि लोग धोखे में आ जायें, तो वह बाहरी भव्य रूप ही आडम्बर कहलाता है। यदि किसी बड़े रईस की सम्पत्ति तो उसके हाथ से निकल गई हो, पर वह अपनी बाहरी ठाठ-बाट और रूप-रंग पहले की तरह ही बनाये रखे, तो हम कहेंगे—यह इनका आडम्बर ही है। यदि हम में विद्या-बुद्धि तो बहुत कम हो, पर हम किसी प्रकार बड़े-बड़े विद्वानों की सभाओं में पहुँचकर उनके साथ उठे बैठे और उन्हीं की तरह आचार-व्यवहार करें या सदा दो-चार आदमियों को अपने शिष्यों और अनुयायियों के रूप में साथ लेकर इधर-उधर आया-जाया करें, तो यह भी हमारा आडम्बर ही होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरो की दृष्टि में अपना महत्त्व स्थापित करने के सिवा और कुछ न होगा। आटोप या तड़क-भडक भी बहुत-कुछ है तो वही, जो आडम्बर है, फिर भी उससे कुछ भिन्न अवश्य है। आडम्बर प्रायः निस्सार ही होता है, पर आटोप या तड़क-भडक के मूल में कुछ सार भी होता है; और इसी लिए यह आडम्बर की तुलना में कम निन्दनीय या हास्यास्पद होता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रायः दूसरो को अपना बल और वैभव दिखलाना होता है; अपनी प्रशसा कराने का भाव प्रायः गौण ही रहता है। प्राचीन भारत में राजा महाराजों की सवारियाँ खूब तड़क-भडक से निकलती थीं, और आज-कल नये रईसों की बरतें भी प्रायः तड़क-भडक से निकलती हैं। दिखावट का सम्बन्ध केवल बाहरी रूप से है, भीतरी तत्त्व या रूप अथवा वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रायः दूसरों को प्रभावित और आकृष्ट करने के लिए होती है। दूकानों में उनकी बाहरी दिखावट इसी लिए बढ़िया होती है कि ग्राहक उनसे प्रभावित होकर सौदा लेने आवें। बाहरी रूप-रंग अच्छा रखना और आकर्षक बनाना ही दिखावट है। यदि दिखावट केवल बाहरी हो और उसके अन्दर कुछ भी तत्त्व या सार न हो अथवा बहुत ही कम सार हो, तो उसे ढकोसला कहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरो को ठगने और धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं होता। यदि किसी थिएटर या सर्कस में बाहरी तड़क-भडक या दिखावट तो बहुत-कुछ हो,

पर अन्दर तमाशा बहुत ही साधारण या रद्दी हो तो हम कहेंगे—व्यर्थ का ढकांसला खडा कर रखा है। यही ढकांसला अपने कुछ छोटे, हलके और परिमित रूप में ढंग या ढोग कहलाता है। इसका उद्देश्य दूसरों को अपनी ओर अनुरक्त करके उनकी दया, सहानुभूति आदि प्राप्त करना अथवा और किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करना होता है। वच्चे प्रायः विद्यालय जाने से वचने के लिए पेट या सिर के दर्द का ढोग रचते हैं, और भिखभगे प्रायः भीख मांगते समय हाथों या पैरों पर पट्टियाँ बाँधकर लँगड़े-खुले या अपाहिज होने का ढोग रचते। बनावट हिन्दी 'बनना' से बना है, और बनना का एक अर्थ यह भी है—अपने आपको ऐसा योग्य सिद्ध करना, जैसा वास्तव में न हो। बनावट वह है जिसमें मनुष्य अपने आपको उचित से अधिक योग्य, विद्वान् या सदाचारी सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। यह ऐसा मिथ्या आचरण है जिससे पहले तो लोगों को कुछ आशा होने लगती है, पर बाद में निराशा होना पड़ता है। इस प्रकार यह पाखण्ड का छोटा और हलका रूप है। इस प्रकार का आचरण कर्त्ता के लिए प्रायः लज्जाजनक होता है, इसी लिए वह बीच-बीच में या तो कुछ लज्जित होता रहता है या लज्जित होने का अभिनय-सा करता रहता है। पर बनावट प्रायः मनुष्य के स्वभाव का अंग होती या धीरे-धीरे अंग बन जाती है। इसमें अपनी दुर्बलता या दोष छिपाने के साथ-साथ दूसरों की दृष्टि में अपने आपको योग्य सिद्ध करने का बहुत-कुछ सकोचपूर्ण प्रयत्न होता है। फिर भी इसका उद्देश्य अपना महत्त्व स्थापित करना ही होता है, और महत्त्व प्राप्त करने की आकांक्षा इसमें इतनी बढ़ जाती है कि समाज में थोड़ा-बहुत अपमान या उपहास होने पर भी मनुष्य उसे हँसकर टाल देता है, पर अपनी आदत नहीं छोड़ता। इस प्रकार बनावट में लज्जाशीलता और निर्लज्जता का एक विलक्षण सम्मिश्रण होता है। लोक में इसी को बनना कहते हैं, और ऐसे आदमी को लोग प्रायः बनाते रहते हैं। बनाने का अर्थ ऐसे प्रसंग में व्याज-स्तुति करके किसी को और भी अधिक बनने या इतराने में प्रवृत्त करना है। औपचारिकता और दुनियादारी दोनों बहुत-कुछ एक होने पर भी एक दूसरे से कुछ भिन्न हैं। औपचारिकता केवल दिखाने के लिए बंधे हुए सामाजिक नियमों का पालन मात्र है। हृदय की शुद्धता और

सत्यता का इसमें प्रायः अभाव होता है। दुनियादारी वह है जिसमें आदमी सिर्फ लोगों (दुनियाँ) को दिखाने के लिए तरह तरह के आचार-व्यवहार करता है, पर हृदय से उन आचार-व्यवहारों पर निष्ठा नहीं रखता। शेखी शब्द अरबी 'शेख' से बना है। शेख वास्तव में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मुहम्मद साहब के वंशजों की जातीय उपाधि या अल्ल है। शेखों को अपने उच्च वंश का विशेष अभिमान होता था, और वे अक्सर पढ़ने पर दूसरों के सामने अपना यह अभिमान या गर्व खुलकर प्रकट भी करते थे। इसी से शेखी का अर्थ हो गया है—अभिमानपूर्वक अपने बड़प्पन की चर्चा या प्रदर्शन। यह प्रवृत्ति भी बहुत-कुछ मनुष्य की प्रकृति से सम्बद्ध होती है, और इसके कारण कुछ लोग प्रायः बहुत बड़-बड़कर यह कहा करते हैं कि मैंने यह किया है, वह किया है, अथवा मैं यह कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ, आदि। हिन्दी में ऐसी प्रवृत्ति के लिए तो कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, शायद इसलिए कि हमारे यहाँ शेख होते ही नहीं, पर इस प्रकार की उक्ति को हम गर्वोक्ति कह सकते हैं और ऐसे प्रसंग में गर्व अपने दूषित और निन्दनीय रूप में (देखे 'अभिमान' के अन्तर्गत 'गर्व') प्रयुक्त होता है। जब अपने आडम्बर से सम्बन्ध रखनेवाली बातें अपने मुँह से अभिमान-पूर्वक और भड़े ढग से कही जाती हैं, तब उसे शेखी कहते हैं। यह कभी-कभी आचार-व्यवहार में भी प्रकट की जाती है, और देखने-सुननेवालों पर चोट करती है, इसी लिए घृणित और निन्दनीय समझी जाती है। इसके कारण कभी-कभी मनुष्य समाज या समुदाय में ऐसे लोगों से भी प्रायः कुछ अलग या दूर रहता है, जिनसे वैयक्तिक जीवन में उसका विशेष मेल-जोल या सम्पर्क होता है। डींग वस्तुतः गर्वोक्ति का दार्शनिक, विकृत और हलका रूप है। जब किसी प्रसंग में मनुष्य कुछ अभिमानपूर्वक अपने बल, योग्यता, साहस आदि के सम्बन्ध में अत्युक्तिपूर्ण बातें कहता है, तब ऐसी बातों को डींग कहते हैं। यदि हम कहे—'हम तुम्हें क्या समझते हैं! हमने बड़े-बड़ों के दाँत खट्टे कर दिये हैं। या बड़े-बड़े बुद्धिमान् और विद्वान् हमारे यहाँ आकर सिर झुकाते हैं।' और यदि इसमें सत्यता का कुछ अंश भी हो, तो इसकी गिनती गर्वोक्ति या शेखी में होगी। पर यदि हम झूठ-मूठ और लोगों पर धाक जमाने के लिए कहे—'रैल में एक

बार अकेले डब्बे में दो डाकू हम पर आक्रमण करने आये थे; पर हमने बड़े कौशल से उन दोनों को पिस्तौल दिखाकर और धक्का देकर नीचे गिरा दिया।' तो यह हमारी डोंग कहलावेगी।

पुराना (Old)

अनुश्रुत (Legendry)	पूर्व-प्लावनिक (Ante-diluvian)
ऐतिहासिक (Historical)	पौराणिक (Mythological)
परम्परागत (Traditional)	प्राचीन (१. Ancient, २. Old)
पुरा-कालीन (Antique)	सनातन (Eternal)
पुरातन (Ancient)	

इस वर्ग के सब शब्द ऐसी चीजों या बातों के सूचक हैं जो बहुत दिन पहले रही हों या बहुत दिनों से चली आ रही हो। पुराना स० पुराण (विशेषण) से बना है और 'नया' का विपर्याय है। पुराना वह है जो बहुत दिन पहले रहा हो; या बहुत दिनों से उपयोग या व्यवहार में आ रहा हो, या जिसे बीते अथवा हुए बहुत दिन हो चुके हो। प्रयोग को दृष्टि से यह दस-बीस दिन पहलेवाले का भी सूचक हो सकता है और सौ दो सौ अथवा हजार-पाँच सौ वर्ष पहलेवाले का भी। पुराने खँडहर, पुरानी पुस्तकें, पुराना जमाना, पुराने दिन, पुराने लडाईं-भगडे, पुरानी प्रथाएँ या बातें सब वही हैं जो कुछ या बहुत दिन पहले अस्तित्व में आईं या घटित हुईं हों अथवा जिन्हें बने, बीते या हुए बहुत दिन हो चुके हों। इसका प्रयोग ऐसी चीजों या बातों के लिए भी होता है जो अब न रह गई हों; अथवा हीन रूप में बच रही हो। यद्यपि प्रयोग की दृष्टि से प्रायः पुरानी चीजें निकम्मी या रद्दी समझी जाती हैं, फिर भी बहुत-सी चीजें ऐसी भी होती हैं, जिनकी उपयोगिता, महत्त्व या मूल्य बहुत-कुछ बढ़ जाता है। पुराने बरतन या

मकान भले ही किसी काम के न हों, पर पुराने चावल या पुराने सिक्के अधिक श्लथवान् होते हैं। यों साधारणतः पुराना और प्राचीन (अर्वाचीन या आधुनिक का विपर्याय) एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। पुराना तो दस-पाँच दिन या महीने दो महीने पहले का भी हो सकता है, पर प्राचीन सौ दो सौ या हजार पाँच सौ बरस पहले का ही होगा। प्राचीन में एक तो अपेक्षया अधिक पुराने होने का भाव मुख्य है, और दूसरे, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ ही अच्छा लगता है। जैसे-प्राचीन इतिहास, प्राचीन जातियाँ, प्राचीन संस्कृति आदि। पुराने कपड़े में तो निकम्मेपन का भाव भी है; परन्तु प्राचीन वस्त्र में इसलिए कुछ गौरव और महत्त्व है कि प्राचीन का सम्बन्ध प्रायः ऐतिहासिकता से होता है। हम यह तो कहते हैं—पुरानी बातें या पुराने लड्डाई-भण्डे भूल जाओ, पर ऐसे प्रसंगों में पुरानी या पुराने की जगह प्राचीन का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते कि पुरानी बातें या लड्डाई-भण्डे तो हमारे सामने के होते हैं, पर प्राचीन ऐसा नहीं हो सकता, जो हमारे सामने घटित हुआ हो। प्राचीन का जगह तो प्रायः पुराना से भी काम चल सकता है, पर हर जगह हम पुराना के बदले प्राचीन का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ प्राचीन और पुराकालीन श्रवण्य बहुत-कुछ एक हैं। जिस प्रकार साधारण पुराना से प्राचीन बहुत-कुछ पहले का होता है, उसी प्रकार प्राचीन से पुराकालीन और भी पहले का होता है। प्राचीन तो प्रायः ऐतिहासिक काल का होता है, पर पुरा-कालीन ऐतिहासिक काल से पहले का भी हो सकता है। पुरा-कालीन मुख्यतः वह कहलाता है जिसका प्रचलन या प्रयोग उठे बहुत दिन हो गये हों—जिसका चलन अब उठ गया हो। सनातन वह है जो सदा से चला आ रहा हो, अर्थात् जिसके सम्बन्ध में यह कहा ही न जा सकता हो कि इसका आदि कहाँ है या आरम्भ कब हुआ। प्राचीन या पुरा-कालीन के सम्बन्ध में तो यह भी माना जा सकता है कि आज नहीं तो कल उसके काल और मूल का पता चल जायगा, पर जिसे सनातन कहते हैं, उसके सम्बन्ध में हम पहले से ही यह मान लेते हैं कि यह सदा से चला आ रहा है; और इसके सम्बन्ध में किसी तरह यह जाना ही नहीं जा सकता कि इसका आरम्भ कब हुआ।

इसके सिवा सनातन मे यह भाव भी है कि यह सदा से जिस रूप मे चला आ रहा है, उसी रूप मे सदा बना भी रहेगा। जैसे—सत्य बोलना सनातन धर्म है। हम अपने यहाँ की किसी प्रथा को भूल से भले ही सनातन कह या मान लें, परन्तु प्रथा कभी इसलिए सनातन नहीं हो सकती कि वह बीच बीच में नई चलती और बदलती रहती है। परन्तु सत्य बोलना ऐसा धर्म है जिसका न तो कभी खंडन या विरोध हो सकता है और न जिनमे कभी किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव है। ऐतिहासिक और पौराणिक मे यों तो बहुत-कुछ अन्तर है, फिर भी पर्यायकी की दृष्टि से दोनों एक ही वर्ग मे रखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक वह है जिसका या तो इतिहास से सम्बन्ध हो या इतिहास मे उल्लेख हो, अर्थात् जिसके ठीक, निश्चित या वास्तविक होने मे साधारण इतिहास की दृष्टि से कोई सन्देह न किया जा सकता हो। जिस घटना, बात, वस्तु या व्यक्ति का कोई आधार-युक्त प्रमाण मिल चुका हो और जिसे इतिहास के उल्लेखो मे स्थान मिल चुका हो, वही ऐतिहासिक है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पृथ्वीराज या महाराणा प्रताप इसलिए ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और भारत पर सिकन्दर की चढाई या मुसलमानो और अंगरेजों के शासन इसलिए ऐतिहासिक तथ्य हैं कि इनके ठीक और पूरे प्रमाण मिलते हैं। इसके विपरीत पौराणिक वह है जिसका उल्लेख पुराणो* मे तो मिलता हो, पर इतिहास के ज्ञाताओं को जिसका अभी तक कोई ठीक और पूरा प्रमाण न मिला हो। पौराणिक कथाएँ, घटनाएँ और व्यक्ति कल्पित भी हो सकते हैं और किसी रूप मे उनके वास्तविक होने की भी सम्भावना हो सकती है। जो तथ्य आज पौराणिक माने जाते हैं, वे कल को ऐतिहासिक भी सिद्ध हो सकते हैं; पर जब तक इतिहास उन्हें ठीक न मान ले, तब तक वे पौराणिक ही रहेंगे। देवासुर-संग्राम, समुद्र मथन आदि घटनाएँ विशुद्ध

✽ यहाँ पुराण शब्द अपने उस सङ्कुचित अर्थ में नहीं आया है, जिसमें वह भारत के सनातन-धर्मो हिन्दुओं में प्रचलित है, बल्कि इसका प्रयोग उस विस्तृत और व्यापक अर्थ में हुआ है, जिसमें ससार भर की सभी जातियो और देशो के देव-देवियों तथा उनके धार्मिक कथा-साहित्य का अंतर्भाव होता है।

पौराणिक हैं, पर राम-रावण युद्ध या जनमेजय का नाग-यज्ञ पौराणिक माना जाने पर भी बहुत-कुछ ऐतिहासिक है या हो सकता है; भले ही अभी हम इनमें से किसी के सम्बन्ध में उस सीमा तक न पहुँचे हों, जिस सीमा तक आधुनिक छान-बीन से स्थिर किया हुआ इतिहास पहुँचा है। फिर भी पौराणिक अधिकतर वही बातें मानी जाती हैं जो ऊपर से देखने पर या तो बिलकुल कपोल-कल्पित तथा असंभव जान पड़ती हों अथवा जिन्हें ठीक मानने में इतिहास के सिवा साधारण बुद्धि भी सकोच करती हो। पूर्व-प्लावनिक भी है तो ऐतिहासिक तथा पौराणिक की तरह का ही शब्द, पर यह अपने वर्ग के सभी शब्दों से कहीं अधिक पुरानेपन का सूचक है। प्रायः सभी देशों और जातियों में किसी न किसी रूप में यह प्रवाद प्रचलित है कि किसी समय इस पृथ्वी पर एक ऐसी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें सारा ससार डूब गया था और जिसके बाद नये सिरे से सारी सृष्टि बनी थी। हिन्दुओं में यह प्रलय के नाम से और दूसरी जातियों में प्लावन के नाम से प्रसिद्ध है। अपने विशुद्ध अर्थ में पूर्व-प्लावनिक का आशय होता है—प्रलय या प्लावन से पहले का। पर साधारणतः बोल-चाल में इसका प्रयोग ऐसी बहुत पुरानी चीजों या बातों के सम्बन्ध में होता है, जिनमें कुछ भी दम न रहा गया हो या जिनका कुछ भी उपयोग न हो सकता हो। जिन चीजों या बातों को हम पुराने जमाने की, उपेक्ष्य और निकम्मी समझकर हँसी में टालना चाहते हैं, उन्हें हम उसी प्रकार पूर्व प्लावनिक कहते हैं, जिस प्रकार 'बाबा आदम*' के जमाने की' कहते हैं। अनुश्रुत और परम्परागत अर्थ के विचार से एक दूसरे से भिन्न होने पर भी एक ही वर्ग के शब्द हैं। अनुश्रुत का शब्दार्थ है—ऐसी कथा या बात, जिसे लोग बहुत दिनों से एक ही रूप में सुनते चले आये हो। प्रायः सभी जातियों और देशों में कुछ ऐसी कथाएँ प्रचलित रहती हैं जो ऐतिहासिक तो होती ही नहीं, पर पौराणिक भी नहीं

* बाबा आदम का सम्बन्ध भी इसी प्लावन से है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि पैगम्बरी मतों में माना जाता है कि प्लावन के बाद बाबा आदम ने ही फिर से नया संसार बसाया था।

होती। ऐसी बातें प्रायः लोकाचार, वीर-गाथा आदि से सम्बन्ध रखती हैं। ये साधारण कथा-कहानियों के रूप में होती हैं और इनमें सत्य का अंश बहुत ही कम होता है। परम्परागत भी बहुत कुछ वही है, जो अनुश्रुत है। पर एक तो अनुश्रुत केवल बातें या कथाएँ होती हैं, और दूसरे उनमें तथ्य बहुत कम होता है। इससे भिन्न, कथाओं और बातों के सिवा प्रथाएँ, रूढ़ियाँ आदि भी परम्परागत होती हैं और उनमें तथ्य तथा सत्य का अंश भी अपेक्षा अधिक होता है। अनुश्रुत का कोई ऐतिहासिक आधार न होने के कारण उसमें प्रामाणिकता भी नहीं होती; पर परम्परागत का अनेक पीढ़ियों से चला आया हुआ कुछ ऐतिहासिक आधार भी होता है; और फलतः उसमें प्रामाणिकता का भी कुछ अंश रहता है।

पृथ्वी (Earth)

जगत्
दुनियाँ

लोक
संसार (World)

पृथ्वी हमारे सौर जगत् (दे०—ब्रह्माण्ड) का वह ग्रह है जिस पर हम सब लोग रहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द पृथु से बना है, जिसका अर्थ है—चौड़ा या विस्तृत। दूरी के विचार से यह सूर्य से तीसरा ग्रह है और सूर्य से प्रायः सवा नौ करोड़ मील दूर है। प्रयोग के विचार से यह हमारे ग्रह के उस ऊपरी भाग का वाचक है, जिस पर मिट्टी है और जिस पर रहकर हम खेती-बारी आदि सब काम करते और जीवन बिताते हैं। एक ओर तो यह जलवाले भाग के विपरीत (और स्थल का वाचक) है, दूसरी ओर आकाश या स्वर्ग से भिन्न। हम कहते हैं—(क) बहुत-से जल-जन्तु पृथ्वी पर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते, और (ख) इस पृथ्वी के जीव स-शरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। व्युत्पत्तिक दृष्टि से और विशेषण रूप में जगत् का अर्थ है—चलता-फिरता अर्थात् जीता-

जागता । यह मुख्यतः पृथ्वी के उस अंश का वाचक है, जिसमें जीवधारी या प्राणी रहते हैं । अर्थात् समस्त चेतन सृष्टि का इसमें अन्तर्भाव होता है । लाक्षणिक रूप में यह किसी विशिष्ट क्षेत्र का भी वाचक होता है । जैसे—(क) हिन्दी जगत् भारतेन्दु जी का सदा ऋणी रहेगा, अथवा (ख) इस नई खोज से वैज्ञानिक जगत् में हलचल मच गई है । व्युत्पत्तिक दृष्टि से लोक का अर्थ है—अवकाश, देश या स्थान । पर आगे चलकर यह शब्द स्थानों के ऐसे विभाग का वाचक हो गया था, जिसमें किसी विशिष्ट प्रकार की सृष्टि हो । इसी दृष्टि से हमारे यहाँ पहले दो लोक माने गये थे—इह-लोक, और पर-लोक पर बाद में पृथ्वी, आकाश और पाताल ये तीन लोक माने गये । पौराणिक काल में विभागों की यह संख्या १४ तक पहुँच गई थी, जिनमें ७ लोक तो ऊपरी विस्तार में माने गये और ७ लोक नीचेवाले विस्तार या पाताल में* । आज-कल हिन्दी में लोक सज्ञा रूप में जगत् या ससार का वह अर्थ माना जाता है, जिसमें सब प्रकार के मनुष्यों का समावेश है । हम कहते हैं—(क) लोक में ऐसा आचरण निन्दनीय माना जाता है, अथवा (ख) लोक-कल्याण का ध्यान रखना शासन का मुख्य कर्तव्य है । इस प्रकार यह शब्द मानव समाज का वाचक होता है । विशेषण रूप में इसका अर्थ होता है—सब लोगों से सम्बन्ध रखनेवाला । जैसे—लोक वास्तु, लोक स्वास्थ्य आदि । ससार स० सू घातु में सं उपसर्ग लगने से बना है; और इसका व्युत्पत्तिक अर्थ है—चलते या घूमते-फिरते रहना । पर आगे चलकर आध्यात्मिक क्षेत्र में यह शब्द आत्मा या जीव की उस दशा का वाचक हो गया था, जिसमें वह बराबर इस पृथ्वी पर या इस लोक में आता-जाता (अर्थात् बार-बार जन्म लेता और मरता) रहता है । प्रयोग की दृष्टि से इसका अर्थ भी बहुत-कुछ वही है, जो ऊपर जगत् का बतलाया गया है । हम जिसे हिन्दी जगत् कहते हैं, उसे हिन्दी ससार भी कह लेते हैं । फिर भी यह मुख्य रूप से हमारे जीवन के व्यावहारिक अर्थ से सम्बन्ध रखता है । हम कहते हैं—ससार में आकर मनुष्य को सब कुछ करना पड़ता है । इस प्रकार यह मुख्यतः हमारे

❖ इस विभाजन के अनुसार ये सब लोक 'भुवन' भी कहलाते हैं ।

कार्यों, व्यापारों आदि के क्षेत्र का बोधक होता है। कुछ अवस्थाओं में जगत्, लोक और ससार समानक भी होते हैं। जैसे—(क) सबको एक न एक दिन यह ससार छोड़ना है, और (ख) हमें इस लोक में अपनी कोई कीर्ति छोड़ जानी चाहिए। ऐसे अवसरों पर उक्त तीनों में से हर शब्द का प्रयोग हो सकता है। दुनियाँ (अरबी दुनिया) प्रायः उक्त चारों शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने-वाला शब्द है।

प्रतिकृति (१. Likeness, २. Copy)

अनुकृति (Imitation)	परिरूप (Design)
अनुलिपि (Facsimile)	प्रति (Copy)
अभिप्राय (Motif)	प्रतिलिपि (Copy)
नकल=१.अनुकृति, २.प्रतिकृति, भाँत=परिरूप	
३. प्रतिलिपि	मूल (Original)

जो आकृति (दे० 'मूर्ति' के अन्तर्गत 'आकृति') या वस्तु देखने पर आकार-प्रकार, रूप-रंग आदि में किसी दूसरी आकृति या वस्तु के ठीक समान जान पड़े या बनी हो, वह उस आकृति या वस्तु की प्रतिकृति कहलाती है। यह प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी। प्राकृतिक क्षेत्र में हम कहते हैं—यह लडका अपने पिता (अथवा माता) की ठीक प्रतिकृति है। आशय यही होता है कि चाल-ढाल, रूप-रंग आदि में यह अपने पिता (या माता) के ठीक समान है। कभी-कभी संयोग से हमें दो ऐसे आदमी भी दिखाई पड़ जाते हैं, जो आकार, रूप आदि में बिलकुल एक ही तरह के होते हैं और उनमें से एक को देखकर दूसरे का धोखा होता है। ऐसे व्यक्ति भी आपस में एक-दूसरे की प्रतिकृति होंगे। कृत्रिम क्षेत्र में प्रतिकृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो कपड़े,

कागज आदि पर रंगों आदि से बनाई हुई, जिसे चित्र कहते हैं, और दूसरी पत्थर, लकड़ी आदि को गढ़-छीलकर या धातुओं आदि से सॉचे में ढालकर या मिट्टी, मोम आदि से थापकर बनाई हुई हो और जिसे हम स्थूल* रूप से मूर्ति (देखें) कह सकते हैं । प्रतिकृति के लिए आवश्यकता इसी बात की है कि वह देखने में किसी प्राणी या वस्तु के ठीक समान जान पड़े । इसमें स्वयं उस कृति या वस्तु का भाव मुख्य है, जो प्रतिकृति कहलाती है । अनुकृति का अर्थ है— किसी के अनुकरण पर बनाई हुई चीज । प्रतिकृति से अनुकृति दो बातों में भिन्न है । एक तो किसी प्राणी या वस्तु को देखकर उसके अनुकरण पर जो कृति प्रस्तुत की जाती है, वही अनुकृति कहलाती है । इसमें अनुकरण का भाव ही मुख्य होता है, स्वयं उस कृति के अस्तित्व का भाव गौण रहता है । दूसरे, यह सदा किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति आदि के अनुकरण पर प्रस्तुत की जाती है, इसलिए यह सदा कृत्रिम ही होती है, प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं हो सकती । नकल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मौलिक अर्थ है—स्थानान्तरण अर्थात् एक से दूसरे स्थान पर ले जाना । पर व्यावहारिक रूप में यह उस वस्तु, लेख आदि का वाचक शब्द है, जो किसी वस्तु या लेख के अनुरूप या अनुकरण पर प्रस्तुत हुआ हो । नकल इसी लिए अनुकृति, प्रति, प्रतिकृति और प्रतिलिपि चारों की समानक है । यों तो संस्कृत में प्रति के अव्यय और सज्ञा रूप में अनेक अर्थ हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में प्रति किसी पुस्तक, लेख, चित्र आदि की बहुत-सी प्रतिकृतियों में से किसी एक अथवा प्रत्येक का वाचक स्वतन्त्र शब्द है । हम कहते हैं—(क) इस पुस्तक की एक हजार प्रतियाँ छपी थीं, (ख) इस लेख की एक प्रति हमने अपने पास भी रख ली है, और (ग) अपने चित्र की तीन प्रतियाँ तैयार करा लो । अर्थात् ठीक एक ही तरह की जो बहुत-सी चीजे छपी या लिखी गईं हो, उनमें से प्रत्येक उसकी प्रति कहलाती है । प्रतिलिपि सदा हाथ की लिखी हुई (अथवा आज-कल टंकण

* स्थूल रूप में इसी लिए कि मूर्ति मुख्यतः प्राणियों और देवताओं की ही होती है; पर प्रतिकृति प्राणियों के सिवा दूसरे पदार्थों या वस्तुओं की भी होती है ।

यत्र से टकित या टाइप की हुई) वह प्रति होती है, जो किसी लेख को देखकर ठीक उसके अनुरूप प्रस्तुत की गई हो। जैसे—जो पत्र उन्हें भेज रहे हो, उसकी एक प्रतिलिपि भी अपने पास रख लो। अनुलिपि किसी लिपि या लेख की वह अनुकृति कहलाती है जो लिखावट और व्योरे की सभी बातों के विचार से ठीक ज्यों की त्यों या अपने मूल के अविकल समान हो। जब किसी प्राचीन लिपि में लिखे हुए लेख पूरे पढ़े नहीं जाते, तब उनकी अनुलिपि प्रस्तुत करके दूसरे विद्वानों के पास पढ़ने के लिए भेजी जाती है। किसी व्यक्ति की लिखावट की भी अनुलिपि होती है, जो बहुधा दूसरों को दिखलाने के लिए प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तुत प्रसंग में मूल वह चीज कहलाती है, जिसकी कोई अनुकृति, प्रतिकृति या प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई हो। हम कहते हैं—(क) यह अनुकृति (या प्रतिकृति) मूल से ठीक मिलती-जुलती है, अथवा (ख) मूल से मिलाकर देख लो कि यह प्रतिलिपि ठीक हुई है या नहीं। दूसरे प्रसंगों में मूल के कुछ और अर्थ भी हैं। किसी वर्ग में जो चीज सबसे पहले तैयार हुई हो और जिसके अनुकरण पर उस वर्ग की बाकी और सब चीजें बनी हों, वह भी मूल कहलाती है। जैसे—यों तो अब इस चित्र की बहुत-सी प्रतिकृतियाँ बन गई हैं; पर मूल चित्र अभी तक चित्रकार के उत्तराधिकारियों के पास है। ग्रन्थों और साहित्यिक रचनाओं के क्षेत्र में मूल वह ग्रन्थ (या लेख) कहलाता है, जिस पर टीका-टिपणियाँ, भाष्य आदि प्रस्तुत हुए हो अथवा जिसके सम्बन्ध में कोई विचार-विमर्श या समीक्षा हो रही हो। जो किसी स्थान पर सबसे पहले रहा हो, वह भी मूल निवासी कहलाता है, जैसे—अफ्रिका के मूल* निवासी अब धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। परिष्कृत रूप में परि उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ नया शब्द है, और इसका सम्बन्ध मुख्यतः कला और शिल्प के क्षेत्रों से है। यह किसी बननेवाली वस्तु का ऐसा आरम्भिक और प्रायः छोटा रूप होता है, जो उसके अनुकरण पर बननेवाली वस्तु के आकार-प्रकार, रंग-ढंग आदि का स्वरूप बतलाने के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया गया हो। यह बनावट या रचना के ढंग और

❁ इक अर्थ में हिन्दी में इसका पर्याय 'आदिम' भी प्रचलित है।

प्रकार मात्र का सूचक होता है। कपडों पर बेल-बूटों आदि के जो अलग-अलग प्रकार होते हैं (चाहे वे पहले अनुकृति के लिए प्रस्तुत किये गये हों, चाहे प्रस्तुत होकर सामने आये हों), वे सब उसके परिरूप कहलाते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ का पुराना शब्द भौत (स० भेदत या भाति ?) है, जो धीरे-धीरे मरता जा रहा है। हम कहते हैं—(क) आज-कल बाजार में नये-नये परिरूपों (या भाँतों) की साड्डियाँ आई हैं; और (ख) उन्होंने बिलकुल नये परिरूप (या भौत) का बाग या मकान बनवाया है। आशय यही होता है कि उसकी बनावट का ढग और ऊपरी रूप-रंग बिलकुल नई तरह का है। अभिप्राय यों तो उद्देश्य (देखे) के वर्ण का शब्द है, पर कला के क्षेत्र में आज-कल यह एक नये अर्थ से युक्त हो गया है। इसका प्रयोग बहुधा चित्र-कला और मूर्त्ति-कला में ऐसे अवसरों पर होता है, जहाँ उनके रचना-प्रकार और परिरूपों आदि का आलंकारिक या सजावट की दृष्टि से विचार होता है। यों तो मूर्त्तियों आदि के अलंकरणों और परिरूपों में अनेक प्रकार के भाव मिले-जुले रहते हैं, पर उनमें जो आशय, भाव या विचार प्रधान होता अथवा मुख्य रूप से स्पष्ट सामने दिखाई देता है, वही अभिप्राय कहलाता है। ऐसा अभिप्राय बीच-बीच में प्राय व्यक्त होता रहता है। हम कहते हैं—ताज-महल की आलंकारिक कृतियों (या कला) में दो अभिप्राय मुख्य रूप से देखने में आते हैं, एक तो मोर का और दूसरा सरो (वृक्ष विशेष) का, अथवा भारतीय चित्र-कला में बहुधा कमल का अभिप्राय देखने में आता है। आशय यही होता है कि उक्त रचनाओं में प्राय मोर, सरो या कमल की-सी आकृतियाँ ही अधिक दिखाई देती हैं।

प्रशंसा (Praise)

गुण-कीर्त्तन=गुणानुवाद श्लाघा (Commendation)

गुणानुवाद (Encomium) सराहना (Acclamation)

तारोफ=प्रशंसा स्तवन (Extolment)

प्रशस्ति (Glorification) स्तुति (Panegyric)

बड़ाई (Eulogy)

इस वर्ग के शब्द ऐसे कथनों के वाचक हैं जो किसी के अच्छे काम या बातों की मान्यता के सम्बन्ध में होते हैं। जब हम कोई अच्छा काम, चीज या बात देख कर प्रसन्न होते हैं और अपनी वह प्रसन्नता अच्छे शब्दों में दूसरों पर प्रकट करते हैं, तब हमारा ऐसा कथन उस काम, चीज या बात की प्रशंसा करना कहलाता है। अरबी तारीफ और हिन्दी सराहना* (स० श्लाघा) भी इसके समानक ही हैं। प्रशंसा से सराहना इस दृष्टि से कुछ और आगे बढ़ी हुई है कि सराहना में प्रायः जी खोलकर और कुछ अधिक प्रशंसा की जाती है। किसी के गुणों का अच्छा और यथेष्ट वर्णन ही गुण-कीर्त्तन या गुणानुवाद कहलाता है। अर्थ की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, इनमें प्रायः साधारण गुणों का भी बड़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। मध्य युग के कवि अपने आश्रयदाता राजाओं, रईमों आदि का (अपने कान्यों आदि में) यथेष्ट गुणानुवाद करते थे। भक्त भी अपने इष्ट देव का गुणानुवाद करना अपना कर्त्तव्य समझता है। बड़ाई हिं० बड़ा का भाव-वाचक रूप है। जब हम किसी को किसी बात में बहुत बड़ा (या बहुत अच्छा) समझते हैं, तब उसके बड़ापन (या अच्छाई) के सम्बन्ध में लोगों से जो प्रशंसात्मक बातें कहते हैं, वही उनकी बड़ाई कहलाती है। साधारणतः यह भी कहा जा सकता है कि प्रशंसा या सराहना तो प्रायः बड़ों का बराबरवालों के

॥ सराहना हिन्दी में सकर्मक क्रिया के रूप में भी और स्त्री० सज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे—(क) उन्होंने इस सद्भाव के लिए आपको बहुत सराहा, और (ख) आपके इस सद्भाव की बहुत सराहना की।

सम्बन्ध में होती है, पर बड़ाई प्रायः बड़े लोग ही अपने से छोटे लोगों की करते हैं, और इसमें उनका उद्देश्य उन छोटे को भी अपेक्षा बड़ा सिद्ध करना होता है*। श्लाघा स० श्लाघा से बना है, जिसका मूल अर्थ है—भरोसा या विश्वास करना। इसका एक और अर्थ होता है—अभिमान या गर्व करना। जब हम किसी की कोई बात उसके लिए (अथवा अपने लिए) अभिमान या गर्व की वस्तु समझकर उसकी अधिक प्रशंसा या सराहना करते हैं, तब इसे श्लाघा कहते हैं। इसी से आत्म-श्लाघा पद बना है, जिसका अर्थ होता है—अभिमान या गर्व-पूर्वक अपनी प्रशंसा आप ही करना। इसका उद्देश्य किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होता है। स्तवना और स्तुति दोनों स्तुति वातु से बने हैं, जिसका अर्थ है—प्रशंसा करना, सराहना आदि। पर आशय के विचार से स्तवना अपने वर्ग के सभी शब्दों से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। किसी बड़े की कीर्ति और यश का विस्तार करने के लिए हम जी खोलकर उसकी जो प्रशंसा करते हैं, वही उसका स्तवना कहलाता है। स्तुति भी बहुत कुछ वही है जो स्तवना है, परन्तु व्यवहार की दृष्टि से आज-कल स्तुति का प्रयोग प्रायः देवी-देवताओं के गुणानुवाद के सम्बन्ध में ही होता है†। प्रशस्ति का साधारण अर्थ भी प्रशंसा या स्तुति ही है; परन्तु प्राचीन काल से इसमें एक विशिष्ट अर्थ लगा आ रहा है और एक विशिष्ट क्षेत्र में इसका प्रयोग होता आ रहा है। किसी नये राजा के सिंहासन पर बैठने के समय राज्य में मंगल और शान्ति की कामना से जो ईश्वर-प्रार्थना होती थी, वह प्रशस्ति कहलाती थी। आगे चलकर राजाओं की वे घोषणाएँ और प्रख्यापन भी प्रशस्ति कहलाने लगे, जो चट्टानों, ताम्र-पट्टों आदि पर खुदवाकर कुछ प्रमुख स्थानों पर, जन-साधारण की जानकारी के लिए, लगवा दिये जाते थे। इससे और आगे बढ़कर यह शब्द उन पंक्तियों का वाचक हो गया था जो प्राचीन काल के ग्रन्थकार

॥ रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई ।—कोई तुलसीदास ।

† इस प्रकार के गुणानुवाद से युक्त जो पद्यात्मक रचनाएँ होती हैं, उन्हें स्तोत्र कहते हैं, जैसे दुर्गा-स्तोत्र, शिव-स्तोत्र आदि ।

अपने ग्रन्थों के आरम्भ या अन्त में इस दृष्टि से रखते थे कि लोगों को ग्रन्थकार, ग्रन्थ और उसके विषय आदि का साधारण परिचय हो जाय* । पर आज-काल प्रशस्ति वह बढी-चढी और (प्रायः लिखित) प्रशंसा कहलाती है, जिसमें किसी के गुणों, विशेषताओं आदि का विशद और विस्तृत विवेचन होता है, और जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या उसके कामों को बहुत बढाकर लोगों के सामने रखना होता है ।

प्रश्न (Question)

अनुयोग (Query)

पूछना (Asking)

जिज्ञासा

पृच्छा=पूछना

हिन्दी में साधारणतः किसी में कुछ प्रश्न करना का भी वही अर्थ माना जाता है, जो पूछना का प्रचलित है । फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है । पूछना स० पृच्छन से व्युत्पन्न है, और इसका प्रयोग ऐसे अवसर पर या प्रसंग में होता है जब हम कोई साधारण बात जानने के लिए किसी से कुछ कहते हैं । यह बहुत प्रचलित और सार्विक शब्द है, और इस पर किसी तरह की कोई रगत नहीं चढी है । हम पूछते हैं—(क) मोहन का घर कहाँ है ? (ख) आप हमारे साथ चलेगे या नहीं ? (ग) इस कपड़े (या पुस्तक) का क्या दाम है ? (घ) आज की डाक आई या नहीं ? आदि । इस प्रकार बिल्कुल साधारण रूप से और साधारण कामों के सम्बन्ध में कुछ जानने के लिए हम किसी से जो बात कहते हैं, वही पूछना कहलाता है । प्रश्न भी है तो बहुत-कुछ यही, फिर भी एक तो यह संस्कृति-सूचक और साहित्यिक शब्द है, दूसरे इसमें एक और भाव भी लगा है । जब कई गूढ या गम्भीर बातें एक साथ पूछी जाती हैं, तब उनमें से हर

* भागे चलकर ऐसी पक्तियाँ पुष्पिका कहलाने लगी और इनमें रचना-काल अथवा लिपि-काल आदि का भी उल्लेख होने लगा ।

वात, अपने अलग रूप में, प्रश्न कहलाती है। हम कहते हैं—हमारे प्रश्न-पत्र में कुल ६ प्रश्न थे, जिनमें से पाँच का उत्तर देना आवश्यक था, अथवा उनका पहला प्रश्न ही इतना विकट था कि सुनते ही सब लडके घबरा गये। पुच्छा बिलकुल वही है, जो पूछना है। संस्कृत में अनुयोग के कई अर्थों में पहला अर्थ प्रश्न करना या पूछना ही है, पर इसका प्रयोग मुख्यतः ऐसे प्रश्नों के सम्बन्ध में होता है जो या तो (क) किसी प्रकार के सन्देह की निवृत्ति के लिए किये जाते हैं, या (ख) जहाँ हम किसी कथन की सत्यता मानने में असमर्थ होते हैं। प्रतिलिपि करते समय जब कोई शब्द हमारी समझ में नहीं आता अथवा हमें ठीक नहीं जान पड़ता, तब हम उस शब्द के आगे अनुयोग-सूचक चिह्न लगा देते हैं, जो इस रूप में होता है—? हम यह भी कहते हैं—गुरुजनों की आज्ञा के सम्बन्ध में हमें कभी अनुयोग नहीं करना चाहिए। आशय यही होता है कि उनके ठीक और पालनीय होने में सन्देह नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा मुख्य रूप से कोई बात जानने की वह इच्छा है जो केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है। हम जो बात नहीं जानते या नहीं समझते, फिर भी जिसे हम अपनी ज्ञान-वृद्धि या सन्देह की निवृत्ति के लिए जानना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में कहते हैं—इस विषय में हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। जिज्ञासा बहुधा बड़ों से और नम्रतापूर्वक की जाती है, और जिज्ञासा के अज्ञान या अपरिचिति की सूचक होती है।

प्रेम (Love)

अनुराग (Affection)	राग (Passion)
आसक्ति (Attachment)	लगन
प्यार, प्रीति	व्यामोह=मोह
प्रणय	सख्य (Alliance)
मित्रता (Friendship)	सद्भाव (Good will)
मित्र-भाव (Friendliness)	सद्-भावना=सद्-भाव
मोह (Infatuation)	सौहार्द=मित्र-भाव

इस वर्ग के सभी शब्द मनुष्यों के ऐसे पारस्परिक व्यवहारों और सम्बन्धों के सूचक हैं, जो आपसी चाह, सग-साथ, सहानुभूति आदि के भाव से उत्पन्न होते हैं। इस वर्ग का मुख्य शब्द प्रेम भी दुःख, सत्य आदि शब्दों की तरह आर्या दृष्टि से बहुत व्यापक है। ऊपर की ओर यह ईश्वर और सारे विश्व या प्राणी-मात्र तक पहुँचता है, और नीचे की ओर यह तुच्छ कामासक्ति तक के क्षेत्र में पहुँचा दिया जाता है। पर है यह वस्तुतः पवित्र और शुभ ही। यह सदा दो पक्षों की अपेक्षा रखता है, और अनुराग, प्रणय, स्नेह आदि का बहुत उत्कृष्ट रूप है। लौकिक व्यवहार में यह प्रायः सग-साथ से अथवा रूप, गुण आदि के मोह से उत्पन्न होता है और अपने विशुद्ध रूप में सदा स्वार्थ-रहित होता है। स्वार्थ-साधन की भावना इसके लिए घातक ही होती है। अनेक अवसरों पर यह बड़े-बड़े स्वार्थ-त्याग भी कराता है। यह छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित सभी प्रकार के लोगों में होता है, यहाँ तक कि कभी-कभी भिन्न प्रकार और विरोधी प्रकृति के जीव-जन्तुओं तक में देखा जाता है। इसमें सुख और सन्तोष के सिवा और कोई प्रतिफल न तो मिलता ही है और न उसकी कामना ही की आती है। देश, साहित्य आदि से होनेवाला प्रेम इसी वर्ग में आता है। शृंगारिक क्षेत्रवाले प्रणय से इसे मिलाना ठीक नहीं है।

अनुराग शब्द राग में 'अनु' उपसर्ग लगाने में बना है। राग का मुख्य

अर्थ है—उग्र मनोविकार और विशेषतः काम-वासनावाला विकार। इसका विपर्याय 'विराग' है। किसी विषय या व्यक्ति की ओर शुद्ध भाव से मन लगना ही अनुराग है। इसका प्रयोग प्रायः अच्छे अर्थों में ही होता है। जैसे—कविता या देश के प्रति होनेवाला अनुराग। शृंगारिक क्षेत्र में यह आरम्भिक या हलके प्रेम का भी सूचक होता और प्रायः स्नेह का अर्थ देता है। व्यक्तियों के विचार से यह एक पक्ष में भी हो सकता है और दोनों पक्षों में भी। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अनुराग तो हो, पर वह हमसे अलग या दूर रहना चाहता हो। आसक्ति वह है जिसमें मन दूसरी बातों या व्यक्तियों से बहुत-कुछ हटकर विशेष रूप से किसी एक बात या व्यक्ति में लगा रहता है और चल्दी उससे अलग नहीं होना चाहता। यह अनुराग का कुछ बटा हुआ और बिलकुल एक-पक्षीय रूप है। इसमें दूसरी ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, हाँ उससे प्राप्त होनेवाले प्रतिफल (सुख, सन्तोष आदि) की कामना अवश्य रहती है। मोह सं० मुह् से बना है, जिसके अर्थ हैं—स्तब्ध या चेतना-हीन होना, धराना, चकित होना, भूलना, भटकना आदि। मुख्यतः यह मन की उस अवस्था का वाचक है जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण सत्य का ठीक स्वरूप पहचानने में असमर्थ हो जाता है। इसी लिए धार्मिक क्षेत्र में यह उस स्थिति का वाचक हो गया है जिसमें मनुष्य ईश्वर या ब्रह्म को भूलकर भौतिक जगत को ही सत्य समझने लगता है, और उसके फेर में पड़कर धोखा खाता और हानि सहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण रामायण में 'नारद-मोह' के प्रकरण में आया है जो बहुत प्रसिद्ध है। लौकिक क्षेत्र में इसका अर्थ होता है—किसी चीज के झूठे प्रेम में इस प्रकार फँसना कि न्याय, सत्य आदि का उचित ध्यान न रह जाय। जहाँ हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, वहाँ यदि हम किसी मनोविकार के फेर में पड़कर ना-समझी का काम करने लगें, तो यह हमारा मोह कहलावेगा। जिस अनुराग या आसक्ति के कारण हमारी बुद्धि पर परदा पड़ जाय, वही मोह है। साहित्य में यह ३३ सचारी भावों में से एक माना गया है; और चिन्ता, दुःख, भय आदि के कारण होनेवाली विकलता को इसका लक्षण कहा गया है। न्यायोमोह के मूल अर्थ तो हैं—चेतना का नाश, मन की विकलता

आदि, वर साधारणतः लोक-व्यवहार में यह भी मोह का ही पर्याय हो गया है। मोह और व्यामोह में अन्तर यही है कि माह तो मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों का शब्द है, पर व्यामोह बिलकुल सार्थिक शब्द है, और मन की उस स्थिति का वाचक है, जिसमें मनुष्य किसी चीज या बात के धोखे या फेर में पडकर इधर-उधर भटकने लगता है या अपने कर्त्तव्य अथवा उचित मार्ग से च्युत हो जाता है। प्यार और प्रीति लौकिक व्यवहार के और समानार्थी शब्द हैं और प्रायः बराबरी के भाव से युक्त हैं। इनमें अनुरागवाले तत्त्व भी हैं और स्नेहवाले तत्त्व भी। अर्थात् शृ गारिक क्षेत्र में भी इसका प्रचलन है और सामाजिक क्षेत्र में भी। प्रणय मुख्यतः शृ गारिक क्षेत्र का शब्द है। यह स्त्री-पुरुष के उस प्रेम का वाचक है जो साधारण अनुराग या स्नेह से बहुत-कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। इसमें विशुद्ध प्रेमवाली उत्कृष्टता का भी कुछ भाव है और दृढता तथा पुष्टता का भी। मित्रता बहुत-कुछ बुद्धि तथा वय से सम्बन्ध रखती और प्रायः बराबरी-वालों में तथा सकारण होती है। संस्कृत मनवाले लोगों में ही मित्रता होती है, अ संस्कृत मन और अ-परिपक्व बुद्धिवालों में नहीं होती। यह किसी प्राकृतिक सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं रखती, हाँ परिस्थितियों और स्वाभाविक समानताओं से अवश्य उत्पन्न होती और समय पाकर दृढ तथा स्थायी होती है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह मित्र के लिए बहुत-कुछ स्वार्थ-त्याग भी कराती है। मित्र-भाव वह है जिसमें वास्तविक मित्रता न होने पर भी बहुत-कुछ वैसा ही आचरण या व्यवहार किया जाता है, जैसा मित्रों में होता है। हम किसी अपरिचित या विरोधी से भी मित्र-भाव से मिलते हैं। लगन (हि० लगना) भी वही है जो आसक्ति है, फिर भी लगन का प्रयोग मन की वह वृत्ति सूचित करने के लिए होता है, जिसमें मनुष्य एकाग्र चित्त तथा शान्त भाव से किसी बात या काम में लगता है। जैसे—भजन या सगीत की लगन। शृ गारिक क्षेत्र में किसी के दर्शन की भी लगन हो सकती है। मुख्य वह स्थिति है जिसमें किसी का सग-साथ रहने पर उसके प्रति मित्रों का-सा और सौहार्दपूर्ण आचरण तथा व्यवहार हो। यह व्यक्तियों और समाजों में होता है। सद्भाव का शब्दार्थ है—अच्छा भाव या

विचार । प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ होता है - किसी व्यक्ति के प्रात मन में अच्छे भाव या विचार रखना; उसके अनिष्ट, अपकार आदि का विचार न करना । यह एक ओर से भी हो सकता है और दोनो ओर से भी । इसके लिए शुभ कामना का भाव आवश्यक होता है, और मन मे किसी प्रकार का द्वेष या विरोध नहीं रहने दिया जाता । इसी को सद्भावना भी कहते हैं । स्नेह का एक अर्थ चिक्नापन और दूसरा अर्थ तेल भी है । प्रस्तुत प्रसंग मे यह मनुष्यों के ऐसे आपसी व्यवहार का सूचक है, जिसमे पारस्परिक वैर-विरोध आदि के लिए कोई अवकाश न हो, और साथ मिलकर बैठने और बाल-चीत करने में विशेष आनन्द या सुख मिलता हो । व्यवहार में रूखापन नहीं होना चाहिए, खिग्घता होनी चाहिए, यही स्नेह है । यह स्वाभाविक भी हो सकता है और मित्रता की तरह सग-साथ से उपन्न भी । अनुराग से स्नेह कुछ बढा हुआ तो होता ही है, इसके सिवा इसमे कुछ और अन्तर भी है । अनुराग तो मूर्त्त और अमूर्त्त दोनों के प्रति हो सकता है, पर स्नेह सदा व्यक्तियों में ही होता है । हम कहते हैं—नये कार्यकर्त्ताओं मे परस्पर बहुत स्नेह है । आशय यही होता है कि वे लडते-भगडते नहीं, और अच्छी तरह मिलकर सब काम करते हैं । सौहार्द सदा दो व्यक्तियों या पक्षों मे होता है । इसका अस्तित्व उसी दशा मे माना जाता है, जब दोनो ओर यथेष्ट और समान सद्भाव हो । यह उतना दृढ और पुष्ट नहीं होता, जितनी मित्रता होती है । इतना ही होता है कि इसमे एक दूसरे के मगल और हित का उचित ध्यान रखा जाता है ।

बड़ा (Large)

बृहत् (Enormous) **महान् (Great)**
भारी (Big आंशिक रूप में) **विशाल (Colossal आंशिक**
महत् (Stupendous) **रूप में)**

बड़ा (स० वड्) वह कहलाता है, जो अपने क्षेत्र या वर्ग में साधारणतः औरों की तुलना में आकार, महत्त्व, मान, विस्तार आदि के विचार में बहुत कुछ आगे बढ़ा, ऊपर उठा या इधर-उधर फैला हो। इसका विपर्याय छोटा है; अतः कहा जा सकता है कि जिसके सामने उस तरह के और सब छोटे जान पड़ते हों, वही बड़ा है। किसी के चार लडकों में से जो पहले पैदा हुआ हो, वही बड़ा होगा, चार चित्रों में से अधिक लम्बाई-चौड़ाईवाला चित्र बड़ा होगा, और चार आदमियों में अधिक वय, विद्या, बुद्धि, धन-सम्पत्ति आदि में औरों से प्रमुख बड़ा कहलावेगा। कम्बल, नदी, पहाड़, मैदान, लकड़ी, सन्दूक सभी अपने वर्ग में दूसरे छोटों की तुलना में बड़े हो सकते हैं। भारी (स० भार) मूलतः वह कहलाता है, जिसका या जिसमें भार अधिक हो—जो तौल में अधिक हो। जैसे—भारी कम्बल, भारी पत्थर, भारी बोझ, भारी शरीर आदि। पर अपने विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ आकार, मान आदि की अधिकता सूचित करना अभीष्ट होता है। कोई पदार्थ या व्यक्ति बड़ा तो बहुधा औरों की तुलना में ही होता है, पर भारी होने में तुलना का उतना अधिक भाव नहीं है, जितना स्वयं उस पदार्थ या व्यक्ति के भार का। हमारे लिए काम भी भारी हो सकता है, चलना भी और सकट भी। इस दृष्टि से जिसका निर्वाह या वहन करना कठिन हो वह भी हमारे लिए भारी होता है। इसी से लाक्षणिक रूप में ऐसे प्रयोग भी

⊗ यहाँ भार का प्रयोग उसके परम विस्तृत और व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के महत्त्वों का अन्तर्भाव होता है।

† हमारे यहाँ लाक्षणिक रूप में भारी के जैसे प्रयोग होते हैं, वैसे अँगरेजी में बिग (Big) के नहीं होते। इसी लिए हमने ऊपर इसे आंशिक रूप में ही भारी का समानक माना है।

होते हैं—(क) हमारा दो दिन वहाँ ठहरना उसके लिए भारी हो गया, (ख) बीमारी की हालत में दिन बिताना भारी होता है, आदि । हम यह भी कहते हैं—(क) हमें देखते ही उसका मुँह भारी हो जाता है, या (ख) आज मन कुछ भारी जान पड़ता है । ऐसे अवसरों पर मुँह या मन पर किसी प्रकार के मानसिक भाव का भार आ पड़ना सूचित होता है । बृहत् वह कहलाता है, जो आकार, मान, विस्तार आदि के विचार से औरो से बहुत आगे बढ़ा हुआ हो, और इस दृष्टि से यह बड़ों की तुलना में भी बहुत बड़ा होता है । इसमें साधारण सीमाओं से बहुत आगे बढ़े हुए होने का भाव मुख्य है । बृहत् जन-समूह, बृहत् शब्द-कोश, बृहत् साम्राज्य आदि प्रयोगों में बड़े-बड़े जन-समूहों, शब्द-कोशों और साम्राज्यों की तुलना में भी बहुत बड़े होने का भाव है । महत् और महान् अर्थ और व्युत्पत्ति दोनों के विचार से बहुत कुछ एक ही हैं । इनकी विशेषता यही है कि ये अश, मर्यादा, योग्यता आदि की यथेष्ट अधिकता या विपुलता के सूचक शब्द हैं । मुख्य रूप से इनका प्रयोग या तो अमूर्त भावनाओं के सम्बन्ध में या उनसे युक्त व्यक्तियों आदि के सम्बन्ध में होता है, पर वे भावनाएँ मंगलकारक या शुभ होनी चाहिएँ । जैसे—महती (महत् का स्त्री०) कृपा, महान् कलाकार आदि । महात्मा, महादेश आदि में का महा भी इसी महान् का एक रूप है । विशाल का मुख्य अर्थ है—आकार, महत्त्व, विस्तार, शक्ति आदि के विचार से बहुत बड़ा । पर यह बड़प्पन ऐसा होना चाहिए जो या तो हमें चकित कर सके या बल्दी जिसकी हम कल्पना भी न कर सके । जैसे—भारत विशाल देश है । कुछ अवस्थाओं में इसका प्रयोग केवल भव्यता, श्रेष्ठता, सुन्दरता आदि की अधिकता सूचित करने के लिए भी होता है । जैसे—विशाल नेत्र, विशाल बाहु, विशाल हृदय आदि ।

बदनामी (Scandal)

अपवाद (Obloquy)

अपयश (Ignominy)

अपकीर्ति (Infamy)

कुख्याति (Ill-repute)

बदनामी फारसी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ है—किसी के नाम के सम्बन्ध में लोक में होनेवाली निन्दा। जब कोई श्रच्छा या प्रतिष्ठित आदमी नीति और मर्यादा के विरुद्ध कोई काम कर बैठता है, तब समाज में उसकी जो निन्दात्मक चर्चा फैलती है, वही बदनामी है। अर्थात् कोई अनुचित या निन्दनीय काम करने पर समाज में जो विपरीत धारणा फैलती है, वही जन-साधारण की चर्चा का विषय बनने पर बदनामी कहलाती है। यदि कोई बहुत बड़ा अधिकारी बहुत बड़ी रकम रिश्तत में ले ले, या खुलकर अन्याय, पक्ष-पात या स्वार्थ-साधन करने लगे अथवा कोई बड़ा नेता या रईस किसी प्रकार चरित्र-भ्रष्ट हो जाय, तो समाज को पता चलने पर जगह-जगह उसकी जो चर्चा होने लगेगी, वही उसकी बदनामी होगी। जो आदमी जितना ही बड़ा या मान्य होगा, उसकी बदनामी भी उतनी ही बड़ी होगी। अपवाद भी बहुत कुछ वही है, जो बदनामी है, पर यह बदनामी की अपेक्षा कुछ हलका और प्रायः क्षणिक या अस्थायी होता है, और इसका क्षेत्र भी अपेक्षया कुछ कम विस्तृत होता है। इसका सम्बन्ध बहुधा किसी एक कार्य या घटना से होता है, और हो सकता है कि बहुत-से लोग किसी अपवाद को ठीक न भी मानें। मनुष्य बदनामी के कारण समाज की दृष्टि में जितना अधिक गिर जाता है, उतना अधिक अपवाद के कारण नहीं गिरता। अपकीर्ति और अपयश भी इस दृष्टि से बहुत-कुछ एक हैं कि कीर्ति और यश एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, फिर भी दोनों में कुछ अन्तर अवश्य है। (दे०—‘प्रशसा’ के अन्तर्गत ‘कीर्ति’) अपकीर्ति बहुधा ऐसा अनुचित काम करने पर होती है, जो पहले की अर्जित कीर्ति के लिए घातक सिद्ध हो। अपकीर्ति उसी की हागी, जिसकी पहले से कुछ कीर्ति चली आ रही हो, पर अपयश के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले का कुछ यश वर्तमान भी हो। एक साधारण आदमी को भी बिना कुछ किये, केवल घटना-चक्र या संयोग से ही अपयश

मिल सकता है। हम कहते—इस रोगी का मरना तो अवश्यम्भावी था, पर बेचारे हकीम जी के भाग्य में व्यर्थ का अपयश बढ़ा था। अर्थ के विचार से कुरव्याति भी बहुत कुछ वही है, जो बदनामी है; फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। बदनामी किसी एक काम या बात से भी हो सकती है, पर कुरव्याति प्रायः निरन्तर छोटे-मोटे बहुत-से अनुचित काम करते रहने पर ही होती है। अर्थात् कुरव्यात व्यक्ति के सम्बन्ध में लोग प्रायः यही समझते हैं कि यह बराबर कुछ बुरे काम करता रहता है।

बाधा (Obstacle)

अड़चन, अड़चल (Hinderance), बाध (Bar)

अर्गल (Clog)

रुकावट (Impediment)

अवरोध (Obstruction)

रोक=१. रुकावट, २. बाध

कठिनता (Difficulty)

रोध (Check)

परिघ (Barrier)

विघ्न=बाधा

बाधा स० बाध से बना है, जिसके अर्थ हैं—कसना, दबाना, बांधना आदि; और इसी लिए इन क्रियाओं के फल-स्वरूप होनेवाले कष्ट, रुकावट, विरोध आदि के सूचक भाव भी इस शब्द के साथ सम्बद्ध हो गये हैं। पर मुख्यतः यह उस अवस्था, तत्त्व, बात या स्थिति का वाचक है जो कोई काम करते समय हमारे मार्ग में अथवा सामने आकर हमें वह काम करने से कुछ समय के लिए रोकती है; और जब तक हम उसे दूर नहीं कर लेते, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। अर्थ की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है; और किसी न किसी रूप में इस वर्ग के सभी शब्दों का इसमें अन्तर्भाव हो जाता है। यह इन सभी शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होता है अथवा हो सकता है। कभी तो स्वयं काम का स्वरूप ही बाधा-

मय हो जाता है और कमी परिस्थियाँ अथवा दूसरे लोग हमारे मार्ग में बाधाएँ खड़ी करते हैं। संस्कृत में विशेषण रूप में विघ्न का अर्थ है—तोड़ने-फोड़ने या नष्ट करनेवाला। परन्तु सज्ञा रूप में हिन्दी में इसका अर्थ भी बहुत-कुछ वही है जो बाधा का है। दोनों शब्द एक दूसरे के समानक हैं। फिर भी कुछ अवस्थाओं में दोनों का एक साथ यौगिक रूप में भी प्रयोग होता ही है। हम कहते हैं—भारत ने सभी विघ्न-बाधाएँ पार करके अन्त में स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। ऐसे अवसरों पर विघ्न ऐसी बातों का सूचक होता है जो हमें अपने नाशक प्रभाव के कारण विफल और हतोत्साह करना चाहती हैं, और बाधा उन तत्त्वों की सूचक होती है जो हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं। कठिनता भी बाधा की ही तरह व्यापक अर्थवाला शब्द है, पर इसका सम्बन्ध मुख्यतः कार्य के स्वरूप से ही है। यह शब्द ऐसी दशा या परिस्थिति का सूचक है जिसमें ऐसे विकट प्रसंग हमारे सामने आते हैं जो विशेष कौशल, धैर्य, परिश्रम आदि की अपेक्षा रखते हैं। यदि मनुष्य में ये गुण न हों तो वह कठिनता दूर नहीं कर सकता। योग्य व्यक्तियों के लिए कठिनता दूर करना प्रायः सहज ही होता है।

अडचन शब्द का ठीक, पुराना, व्युत्पत्तिक और स्थानिक रूप अडचल है, जो अडना (=रुकना) + चलना के योग से बना है। चलते-चलते बीच में अडना या रुकना ही भावत अडचन या अडचन है। आज-कल अधिकतर अडचन ही बोला और मानक रूप माना जाता है। किसी वस्तु की क्रिया या व्यक्ति के काम में अथवा उसकी गति, वृद्धि आदि में रह रहकर जो छोटी-मोटी कठिनाइयाँ, बाधाएँ या रुकावटें सामने आती हैं, उन्हीं को अडचन कहते हैं। अडचन से कार्य आरम्भ या समाप्त करने में प्रायः देर होती है, और उसके कर्त्ता को चिन्तित होकर अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। रुकावट हि० रुकना का भाव-वाचक रूप है। अर्थ के विचार से है तो यह भी बहुत कुछ अडचन के ही समान, पर इसमें रुकने या ठहरने का भाव ही प्रधान है। यह आप से आप भी हो सकती है और किसी दूसरे के प्रयत्न के फल-स्वरूप भी। इसके कारण कार्य कुछ समय के लिए रुक या ठहर जाता है। अडचन की तुलना में रुकावट कुछ अधिक चिन्ताजनक होती है। अडचनो से पार पाना तो उतना कठिन नहीं

होता, पर रुकावटें दूर करना प्रायः अधिक श्रम-साध्य होता है। रुकावट में कठिनाइयों या बाधाओं का रूप अपेक्षा अधिक उग्र या तीव्र होता है। रोध और अवरोध हैं तो बहुत कुछ एक ही, फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। एक तो रोध की अपेक्षा अवरोध अधिक तीव्र या विकट होता और प्रायः अधिक समय तक काम को रोक रखता है। दूसरे, रोध में रोक रखने की क्रिया या भाव प्रधान है; पर अवरोध में उस बात या तत्त्व की प्रधानता है, जो रोकने में समर्थ और सफल होती है। तीसरे, रोध तो काम ही रोकता है, पर अवरोध उसका मार्ग बन्द कर देता है। इनके कारण काम कुछ देर के लिए, पूरी तरह से और बिलकुल बन्द-सा हो जाता है, और इस दृष्टि से ये शब्द अड़चन और रुकावट से बहुत कुछ आगे बढ़े हुए होते हैं। कुछ अवस्थाओं में रोध केवल काम को जाँच अथवा उसकी गति, स्वरूप आदि ठीक रखने के उद्देश्य से भी हो सकता है; पर अवरोध का उद्देश्य काम को रोक रखना भर होता है, उसमें सुधार आदि करना नहीं। अधिकारी या मालिक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कामों की देख-रेख रखने के लिए उन पर अनेक प्रकार के रोध रखते हैं, पर युद्ध-क्षेत्र में शत्रुओं के मार्ग में अवरोध खड़े किये जाते हैं, जिससे वे आगे न बढ़ सकें। अर्गल और परिघ एक ही वर्ग के शब्द हैं और मूलतः एक दूसरे के समानक भी हैं। पुराने जमाने में घर का दरवाजा बन्द करके अन्दर से लकड़ी का मोटा डंडा दोनों ओर की दीवारों में किये हुए गड्ढों में इस प्रकार फँसाकर बेड़े बल में लगा दिया जाता था कि बाहर से बक्का देने पर दरवाजा अन्दर की तरफ खुल न सके। यही डंडा अर्गल या परिघ कहलाता था। लाक्षणिक रूप में ये दोनों शब्द उस अवरोधक तत्त्व के सूचक हैं जो किसी काम को यथा-साध्य पूरी तरह से रोक रखने में समर्थ होते हैं। इनका उद्देश्य काम को रोक रखना और आगे बढ़ने न देना ही होता है। व्यावहारिक रूप में औरमान के विचार से अर्गल प्रायः छोटे और हलके तत्त्व का सूचक है, और परिघ प्रायः बड़े और भारी तत्त्व का। रोक और बाध एक वर्ग के शब्द हैं। रोक का एक साधारण अर्थ रुकावट तो है ही, पर उसका दूसरा अर्थ बहुत कुछ वही है, जो बाध का है। बाध वह तत्त्व या वस्तु है जो किसी को आगे बढ़ने से अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रोकने

जिससे हम सब बातें सोचते-समझते हैं, बुराई-भलाई का विचार करते हैं, आगे-पीछे या ऊँच-नीच का ध्यान रखते हैं और इन सब बातों के आधार पर उचित रूप से अपने सब काम करते हैं। इन्हीं तर्कों से युक्त मनुष्य बुद्धिमान् कहलाता है। यह विशेषता मनुष्य के परिष्कृत मन और सुन्दर आचरण तथा व्यवहार की भी सूचक है, और बहुत कुछ ईश्वर-दत्त होने के सिवा शिक्षण, प्रशिक्षण आदि से भी प्राप्त होती है। जो सब प्रकार की अवस्थाओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों, व्यवहारों आदि से भली भाँति परिचित होता है, सब बातों और वस्तुओं का ठीक तरह से उपयोग करना जानता है और जिसे बहुत-सी बातों का अच्छा ज्ञान और अनुभव होता है, वही बुद्धिमान् कहलाता है। बुद्धिमान् माता-पिता अपने बच्चों को और बुद्धिमान् शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदा अच्छी बातें सिखलाते और अच्छे रास्ते पर लगाते हैं, और बुद्धिमान् मित्र हमें सदा अच्छी सलाह देते हैं। जो बुद्धिमान् और समझदार समानक समझे जाते हैं, पर दोनों में बहुत-कुछ अन्तर है। (दे०—'मन' के अन्तर्गत 'बुद्धि' और 'समझ') समझदार हिं० समझ में फा० प्रत्यय दार लगाकर बनाया गया है। समझ हमारी वह मनोगत शक्ति है जिसकी सहायता से हम बाहरी या सासारिक वस्तुओं से सम्बन्ध स्थापित करके उनका अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसमें औरों की तुलना में यह शक्ति अधिक और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम समझदार कहते हैं। व्यवहार में हम अपने कुत्ते या घोड़े को समझदार तो कह सकते हैं, पर बुद्धिमान् नहीं कह सकते। कारण यही है कि कुत्ते या घोड़े में समझवाला तत्त्व तो स्पष्ट दिखाई देता है, पर बुद्धि के और और कार्य नहीं दिखाई देते। चतुर (स०) और चालाक (फारसी) दोनों बहुत-कुछ समानक हैं। चतुर वह कहलाता है जो नित्य के सब काम बहुत समझ-बुझकर, अच्छे ढंग से और सहज में करना जानता हो। इस शब्द में बुद्धि की तीव्रता का उतना अधिक भाव नहीं है, जितना कोई बात जल्दी समझने और कोई काम अच्छी तरह कर सकने का भाव है। यह गुण अधिकांश में प्राकृतिक या स्वाभाविक होता है। मनुष्य बात-चीत करने, नये काम सीखने, लोगों के साथ ठीक व्यवहार करने आदि में चतुर हो सकता है। कलाकार, चिकित्सक, वकील सभी अपने-अपने काम में चतुर हो सकते

हैं। यों चालाक का मूल अर्थ भी प्रायः वही है जो चतुर का है, पर आज-कल चालाक में धूर्तता के क्षेत्र का एक दूषित भाव भी आ गया है, और अधिकतर इसी दूषित अर्थ में इसका प्रयोग भी होता है*। चालाक का व्युत्पत्तिक सम्बन्ध स० चल (हि० चाल=चलने की क्रिया या भाव) से है, और इसी लिए चालाक और चालाकी से चालबाज और चालबाजी शब्द भी सम्बद्ध हैं। चालाक का भाव-वाचक रूप चालाकी प्रायः हलके छल-कपट या धूर्तता का वाचक हो गया है। यदि हम कहें—'वह बहुत चतुर है।' तो इससे कार्य-कुशलता और बुद्धिमत्ता-वाला भाव ही प्रकट होगा। पर यदि हम कहें—'वह बहुत चालाक है।' तो लोग यही समझेंगे कि वह चालबाज या धूर्त है। आर्थी दृष्टि से विचक्षण और सयाना भी इसी वर्ग में आते हैं। विचक्षण का शब्दार्थ है—वह जो अच्छी तरह देख सकता हो। पर प्रस्तुत प्रसंग में विचक्षण वह कहलाता है जो सब बातों की तह तक पहुँचकर और अच्छी तरह सोच समझकर सब कार्य और निर्णय करता है। इसमें दूर-दर्शी होने का भी कुछ भाव मिला है। सयाना स० सज्जान से व्युत्पन्न है। इसमें विचक्षणता और समझदारी से बहुत-सी बातें जानने और अनेक प्रकार के अनुभव रखने का भाव भी सम्मिलित है। तेज (विशेषण) यद्यपि फारसी शब्द है, पर उसकी व्युत्पत्ति स० तेज या तेजस् (सज्ञा) से ही है। तेज होने के लिए चतुर और समझदार होना तो आवश्यक होता ही है, पर कुछ ऐसी तत्परता और फुरतीलापन भी आवश्यक होता है, जिससे आदमी औरों से जल्दी आगे बढ़ सके या पहले और ठीक तरह से काम पूरा कर सके। प्रज्ञ और विवेकशील बहुत-कुछ एक वर्ग के शब्द हैं। प्रज्ञ (दे०—'मन' के अन्तर्गत 'प्रज्ञा') का साधारण अर्थ है—अच्छी तरह जानने-वाला। पर प्रस्तुत प्रसंग में प्रज्ञ वह कहलाता है जो जानी, समझी और सीखी हुई बातों का ठीक तरह से उपयोग करके उचित निष्कर्ष निकाल सकता हो, और

✽ अँगरेजी के क्लेवर (Clever) का अर्थ चतुर भी होता है और चालाक भी, अर्थात् उस एक ही शब्द में हमारे यहाँ के इन दोनों शब्दों का अन्तर्भाव होता है।

ऐसे निष्कर्ष के आधार पर तब कार्य और विचार कर सकता हो। ऐसा व्यक्ति न तो जल्दी आवेश में ही आता है, न इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातों पर सहसा विश्वास ही करता है। विवेकशील मनुष्य साधारणतः प्रज्ञा तो होता ही है, पर उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि वह सदा अपने विवेक के अनुसार सब काम करता है। ऐसा आदमी सदा सीधा और सच्चा होता है। वह जो कुछ उचित तथा न्याय-संगत समझता है, वही करता या कहता है; जिसे वह अनुचित या अन्याय-पूर्ण समझता है, उससे सदा अलग या दूर रहता है। प्रत्युत्पन्न-मति हमारे यहाँ का पुराना शब्द है, पर उपस्थित-बुद्धि इधर हाल का और अँगरेजी साँचे में ढालकर बनाया हुआ शब्द है। परन्तु अर्थ या आशय की दृष्टि में दोनों प्रायः एक ही हैं। प्रत्युत्पन्न-मति उसे कहते हैं जो उपयुक्त अवसर आते ही अथवा विकट स्थिति उत्पन्न होते ही तुरन्त सब बातें समझकर उचित कार्य कर सके अथवा ठीक बात कह सके। इसमें तात्कालिक तत्परता और समझदारी के तत्त्व प्रधान हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी कहीं धोखा नहीं खाता, और सकट के समय भी बिना विचलित हुए अपने वचन का रास्ता निकाल लेता है। इसकी मुख्य विशेषता यही होती है कि जहाँ और लोग असमजस या गडबडी में पड जाते हैं, वहाँ यह अपनी बुद्धि से तत्काल ठीक काम कर लेता या उचित उत्तर दे देता है। ऐसा आदमी जल्दी कहीं चूकता नहीं।

ब्रह्माण्ड (Cosmos)

आकाश-गंगा (Milky way)	धूम-केतु=पुच्छल तारा
उपग्रह (Satellite)	नक्षत्र (Constellation)
उल्का (Meteor)	नीहारिका (Nebula)
केतु=पुच्छल तारा	पुच्छल तारा (Comet)
ग्रह (Planet)	विश्व (Universe)
छाया-पथ (Galaxy)	सौर जगत् या मंडल (Solar System)
तारा (Star)	
तारा-पुंज (Asterism)	

ब्रह्माण्ड (स० ब्रह्म + अण्ड) की ठीक-ठीक कल्पना करने के लिए पहले विश्व का रूप जानना आवश्यक है । विशेषण रूप में विश्व का अर्थ है—कुल, सब या समस्त । पर सज्ञा रूप में इसका अर्थ होता है—वह सब कुछ, जो हमें दिखाई देता है या जिसे हम जानते हैं । इस आधार पर इसका अर्थ सारा जगत् या ससार (दे०—पृथ्वी) होता है । पर व्यापक अर्थ में विश्व उस समस्त सृष्टि का सूचक है, जो हमें दिन के सिवा रात के समय भी आकाश में लाखों-करोड़ों ग्रह-नक्षत्रों आदि के रूप में दिखाई देती है । इस प्रकार आंखों से हमें जो कुछ दिखाई पड़ता है, उस सब का अन्तर्भाव विश्व में होता है । पर वैज्ञानिकों का मत है कि जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँचती है, उसके बाहर भी चारों ओर बहुत दूर दूर तक ऐसी ही सृष्टि या विश्व फैला हुआ है (दे०—ज्योतिष), और ऐसी अनन्त सृष्टियों या विश्वों का पूरा विस्तार ब्रह्माण्ड कहलाता है । ब्रह्माण्ड का शब्दार्थ है—ब्रह्म का अण्ड । ब्रह्म ने जो ये समस्त सृष्टियाँ रची हैं और जो अनुमानत एक बहुत बड़े अण्ड के रूप में फैली हैं, उन सब का सामूहिक नाम ब्रह्माण्ड है । न तो काल के विचार से, न विस्तार के विचार से और न इसमें नित्य बनते-बिगड़ते रहनेवाले पिंडों के विचार से ही इसकी ठीक और पूरी कल्पना की जा सकती है ।

नई-नई दूरबीनों और साधनों से हमारा ज्ञान और भी बढ़ता जा रहा है। आज से ५-७ वर्ष पहले तक यह ब्रह्माण्ड जितना बड़ा माना जाता था, अब उसका तिगुना और चौगुना बड़ा माना जाने लगा है। अब तक समझा जाता था कि इसका आयु दो अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पर अब कहा जाता है कि कम से कम ६ अरब वर्षों से इसका क्रम चल रहा है और यह बराबर बढ़ता जा रहा है। पहले इसके तारों की संख्या लाखों तक ही मानी जाती थी, पर अब वह करोड़ों क्या, अरबों तक मानी जाने लगी है। पर वस्तुतः यह सभी दृष्टियों से अनादि और अनन्त है*। जहाँ तक जीवन और रूप का विस्तार हो, वहाँ तक ब्रह्माण्ड ही है। हमारा विश्व इसी ब्रह्माण्ड का एक अंश मात्र है, और वह भी कदाचित् बहुत ही छोटा अंश है। नई खोजों से पता चलता है कि इसका विस्तार बराबर बढ़ता भी जा रहा है।

रात के समय हमें आकाश में उत्तर-दक्षिण फैली हुई एक बहुत चौड़ी चमकीली पट्टी-सी दिखाई देती है, जिसे हम आकाश-गंगा कहते हैं। यह वास्तव में अरबों-खरबों जैसे ही चमकीले पिंडों या तारों का समूह है, जैसे लाखों पिंड या तारे हमें रात के समय आकाश में दिखाई देते हैं। ये तारे हमसे अरबों-खरबों मील दूर होने पर भी अपेक्षा बहुत ही पास हैं; और इसी लिए ये तारों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। पर आकाश-गंगा इससे बहुत अधिक आगे या दूर है, और इसी लिए उसके अलग-अलग तारे हमें अलग-अलग नहीं दिखाई देते, सब मिलकर एक सड़क-सी जान पड़ते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी दूरबीनों से उसमें के कुछ तारे अवश्य दिखाई देते हैं, और इसी से यह अनुमान होता है कि इसमें सब तारे ही तारे होंगे।

तारा वह पिंड है जो रात के समय हमें आकाश में विन्दु की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जो तारे हमें बिना दूरबीन की सहायता के दिखाई देते हैं, उनकी संख्या हजारों-लाखों तक और बड़ी बड़ी दूरबीनों की सहायता से

ॐ विश्व की अनन्तता का आभास पाने के लिए साहित्य-रत्नमाला कार्यालय, बनारस से प्रकाशित 'देव-लोक' नामक उपन्यास देखें।

दिखाई पडनेवाले तारों की संख्या करोड़ों तक पहुँचती है। साधारणतः आकाश के सभी चमकीले पिंड तारे कहलाते हैं; पर तास्विक और वैज्ञानिक दृष्टि से इनके दो भेद हैं। एक तो ऐसे तारे हैं जो सदा एक ही स्थान पर रहते हैं; या कम से कम सदा एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। पर बहुत-से ऐसे तारे भी हैं जो बराबर चलते और अपना स्थान बदलते रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे आदि इसी दूसरे वर्ग में है। अतः तारे मुख्यतः वही हैं जो सदा एक ही स्थान पर ठहरे रहते हैं या ठहरे हुए जान पड़ते हैं। रात के समय आकाश से कभी कभी जो छोटे चमकते हुए पिंड पृथ्वी की ओर तेजी से आते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। ये वास्तव में किसी आकाशस्थ पिंड के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं जो उनसे टूटकर अलग होते और गिरते हैं। इनका वेग तीव्र होता है और इस अवस्था में जब पृथ्वी के वातावरण से इनका सघर्ष होता है तो इनमें जो गरमी पैदा होती है, उसी के कारण ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी बहुत भारी उल्काएँ भी पृथ्वी पर गिरती हैं। सितम्बर १६२८ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में ५० मन की उल्का गिरी थी।

छाया-पथ तारों के उस प्रकार के वर्ग या समूह को कहते हैं, जिसे हम आकाश-गंगा कहते हैं और जिसका कुछ परिचय ऊपर दिया जा चुका है। हमें जो आकाश-गंगा दिखाई देती है, वह हमारे विश्व का एक छाया-पथ ही है। वैज्ञानिकों को अब तक ऐसे लगभग ८०० छाया-पथों का पता लग चुका है जो हमारी आकाश-गंगा की तरह के, पर उससे भिन्न हैं। सम्भव है कि आगे चलकर अभी और छाया-पथों का भी पता लगे। यह भी पता चलता है कि ये छाया पथ एक दूसरे से बराबर दूर होते चले जा रहे हैं। इसका आशय यह होता है कि ब्रह्माण्ड का विस्तार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नीहारिका वह प्रकाश-पुंज है जो आकाश में कहीं-कहीं बहुत दूर तक घने कोहरे के रूप में फैला हुआ दिखाई देता है। सम्भवतः यह वही घनी भाप है जिससे समय समय पर नये तारों या आकाशस्थ पिंडों का उत्पन्न होना माना जाता है। हो सकता है कि इसके उदर में बहुत-से तारा-पुंज हों। ब्रह्माण्ड में ऐसी छोटी-बड़ी अनेक नीहारिकाएँ फैली हैं जिनमें से एक नीहारिका हमारी आकाश-गंगा से बहुत

कुछ मिलती-जुलती और कदाचित् आकार मे उसी के बराबर है। सम्भवत इन्ही मे करोड़ों मील व्यासवाले, जलती हुई आग के वे हजारों बड़े-बड़े गोले हैं, जिनमे से लगभग सौ गोलों का पता अभी हात्त मे तेजस् (रेडियो) ज्यौतिष (दे०-ज्यौतिष) की सहायता से लगा है, और जिनसे आगे चलकर नये-नये सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि उत्पन्न होते है। सौर जगत् या सौर मडल आकाशस्थ पिंडों के उस वर्ग को कहते हैं जिसमे एक सूर्य प्रधान होता है; और कई ग्रह तथा उप-ग्रह उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। हमारे सूर्य के साथ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण, पृथ्वी आदि ग्रह लगे हैं जो अपने अपने अन्न पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एक या कई छोटे ग्रह भी लगे होते हैं। ये उप-ग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा तो करते ही हैं, उनके साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते है। चन्द्रमा हमारी पृथ्वी का ऐसा ही उप-ग्रह है। इसी प्रकार मंगल के साथ दो, बृहस्पति तथा शनि के साथ नौ नौ, वरुण के साथ एक और वारुणी के साथ चार उप-ग्रह है। नक्षत्र का पहला अर्थ है—तारा; और दूसरा अर्थ है—तारा-पुंज। प्राय कई तारे एक साथ मिले हुए या बहुत पास-पास रहते और सदा साथ ही चलते हैं। तारों का ऐसा वर्ग तार-पुंज कहलाता है, पर आज कल हमारे यहाँ गणित या फलित ज्यौतिषों मे नक्षत्र उन विशिष्ट तारा पुंजों को कहते हैं जो चन्द्रमा की कक्षा या भ्रमण मार्ग मे पडते हैं। पहले २७ नक्षत्र माने जाते थे, पर एक नये नक्षत्र का पता चलने पर अब इनकी संख्या २८ हो गई है। फिर भी हमारे यहाँ के फलित ज्यौतिष मे २७ ही नक्षत्र माने जाते हैं। प्रत्येक नक्षत्र मे कई-कई स्थिर तारे होते हैं, और उन तारों की बाह्य रेखाओं के योग से उनकी कुछ कल्पित आकृतियाँ भी मान ली जातो हैं। जैसे—अश्विनी मे तीन तारे है, जिनके योग से घोड़े के मुँह का आकार बनता है; और इसी लिए हम इसे अश्विनी कहते हैं। अनुराधा मे सात तारे हैं, जिनके योग से साँप का आकार बनता है। कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जिनमे पीछे की ओर दूर तक भाङ्ग की तरह बहुत लम्बी दुम लगी हुई दिखाई देती है। ऐसे तारे धूम केतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ऐसे तारों का मुख्य अंश तो ठोस होता है, पर यह दुमवाला अंश बिलकुल धूर्ँ या भाप की तरह

और इतना पारदर्श होता है कि उसके सामने रहने पर भी उस पार के तारे आदि प्रायः स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ तारे तो एक निश्चित अंशकार या दीर्घ वृत्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और कुछ का मार्ग बिलकुल अनिश्चित होता है। जिन पुच्छल तारों का मार्ग निश्चित होता है, वे नियत समय पर दिखाई भी देते हैं। जैसे—प्रसिद्ध हेली का पुच्छल तारा हर ७६ वे वर्ष दिखाई देता है। पर कुछ पुच्छल तारों का न तो समय निश्चित होता है और न मार्ग। वे बीच-बीच में आकाश के एक सिरे से आते और तेजी से बटते हुए दूसरे सिरे पर पहुँचकर अदृश्य हो जाते हैं। कभी-कभी नियत समय और नियत मार्गवाले पुच्छल तारे भी न जाने कहाँ चले जाते हैं। बीला (Biela) का पुच्छल तारा हर ६ बरस ८ महीने पर दिखाई देता था, पर सन् १८५२ के बाद वह फिर आज तक दिखाई नहीं दिया। महाव्योम (दे०—आकाश) में इन पुच्छल तारों के दल और परिवार तक देखे गये हैं।

भक्ति (Devotion)

अनुचार (Allegiance)

व्रतचार (Fidelity)

निष्ठा (Loyalty)

व्रत्य=व्रतचार

विश्वास (Belief)

श्रद्धा

इस वर्ग के शब्द ऐसे मानसिक भावों या विचारों के वाचक हैं जो हमें अपने कर्तव्य, प्रतिष्ठा, प्रेरणा आदि के पालन में दृढ़ रखते अथवा प्रवृत्त करते हैं। इस माला का मुख्य शब्द भक्ति अर्थ और प्रयोग दोनों की दृष्टि से बहुत व्यापक है, और शेष शब्दों का इसमें किसी न किसी रूप में अन्तर्भाव हो जाता है। यों तो भक्ति का मूल अर्थ है—किसी चीज के अलग-अलग भाग या हिस्से करना, अथवा उसे विभक्त करना, परन्तु आगे चलकर इसमें सेवा, विश्वास, श्रद्धा, स्नेह आदि और भी कई अर्थ लग गये। आज-कल धार्मिक क्षेत्र में भक्ति जिस

अर्थ में सबसे अधिक प्रचलित है, उसमें ईश्वर, देवता अथवा पूज्य व्यक्ति के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखने और स्नेहपूर्वक तथा आदर भाव से उसकी सेवा करने के सभी तत्त्व आ जाते हैं। भक्ति हमें अपने इष्ट या पूज्य (देवता अथवा व्यक्ति) के प्रति सदा निष्ठ रखती है, उसके लिए हमसे सब तरह के त्याग कराती है, सब प्रकार की सेवाओं से उसे प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने के प्रयत्न कराती है और हमें सदा उसके पास पहुँचने और रहने के लिए परम उत्सुक रखती है। ईश्वर, देवता आदि की भक्ति सदा इसी रूप में होती है। प्रजा अपने राजा के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति अथवा शिष्य अपने गुरु के प्रति जो भक्ति रखता है, उसमें भी प्रायः यही सब बातें होती हैं। अनुचार का शब्दार्थ है—किसी के पीछे चलना, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इसका आशय है—जिसे हम आदरणीय, पूज्य या सेव्य समझते हैं, सदा शुद्ध हृदय से उसके अनुचर बने रहना—विकट प्रसंगों में भी उसका साथ छोड़कर इधर-उधर न होना। प्राचीन काल में छोटे-मोटे राजा और सामन्त इसी प्रकार बड़े-बड़े राजाओं के अनुचारी बने रहते थे; और बड़े-बड़े राजकीय अधिकारियों को अब भी राज्य या राष्ट्र के प्रति अनुचार की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। निष्ठा के आरम्भिक अर्थ हैं—अवस्था, दशा, दृढता, भक्ति आदि। पर यह शब्द मुख्य रूप से हमारी उस भावुकतापूर्ण मनोवृत्ति का वाचक है जो हमें किसी के प्रति वैयक्तिक रूप से आसक्त या उससे संलग्न रखती है। अनुचार की तुलना में निष्ठा इस दृष्टि से कुछ और आगे बढ़ी हुई है कि यह अविक धनिष्ठ सम्बन्ध और समीपता की सूचक है। दूसरे, निष्ठा में दृढता भी अपेक्षया अधिक होती है। अनुचार तो बहुधा कर्त्तव्य-वश और कुछ अवस्थाओं में केवल औपचारिक भी होता अथवा हो सकता है; परन्तु भक्ति की तरह निष्ठा भी मुख्यतः हमारे आन्तरिक विश्वास और श्रद्धा से उत्पन्न होती है और बहुत कुछ स्वेच्छापूर्वक होती है। फिर भी भक्ति से निष्ठा कुछ निम्न स्तर पर होती है।

⊗ हमारे यहाँ के धार्मिक ग्रन्थों में नव-धा (नौ प्रकार की) भक्ति कही गई है। वे नौ प्रकार ये हैं—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, चन्दन, दास, सख्य और आत्म-निवेदन।

किसी बात, व्यक्ति या सिद्धान्त की श्रेष्ठता के कारण उस पर हमारा जो दृढ़ विश्वास रहता है, वही उसके प्रति हमारे मन में निष्ठा उत्पन्न करता है। व्रत स० का प्रसिद्ध शब्द है, जिससे व्रत्य रूप बनता है। विशेषण व्रत्य का अर्थ होता है—जो व्रत के रूप में धारण किये जाने के योग्य हो, और सच्चा रूप में इसका अर्थ होता है—वह जिसने कोई व्रत धारण किया हो। पातिव्रत्य में का व्रत्य भाव-वाचक रूप है। इसी का दूसरा रूप व्रतचर है। प्रस्तुत प्रसंग में व्रतचर का अर्थ है—कोई बात व्रत के रूप में ग्रहण करके शुद्ध हृदय से उसका सदा पूरा-पूरा पालन करना। व्रत्य या व्रतचर उसी बात या विषय के सम्बन्ध में होता है, जिस पर हमारा पूरा और सच्चा प्रेम और विश्वास होता है। यह प्रायः अपनी इच्छा से चुना और ग्रहण किया जाता है। हो सकता है कि कोई सेवक (या स्त्री) अपने पहले स्वामी (या पति) के प्रति व्रतचारी न हो या न रहा हो (या न रही हो), परन्तु बादवाले किसी स्वामी (या पति) के प्रति व्रतचारी हो जाय। यह एक प्रकार के अनुराग-जनित उत्तरदायित्व के भाव से युक्त होता है, पर कभी-कभी प्राकृतिक अथवा स्वभाविक भी होता है। कुछ अवसरों पर इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में भी होता है, जिनका ठीक और पूरा पालन किया गया हो। जैसे—मूल चित्र की यह प्रतिकृति (देखें) पूरे व्रतचर-पूर्वक प्रस्तुत की गई है। आशय यही होता है कि प्रतिकृति प्रस्तुत करने में अपनी ओर से कुछ भी घटाया-बढ़ाया नहीं गया है। विश्वास का साधारण अर्थ है—सामने आई हुई बात को क्लिप्तुल ठीक मान लेना, उसके ठीक या सत्य होने पर पूरा भरोसा रखना। हिन्दी में यह शब्द मुख्यतः इसी अर्थ में बहुत प्रचलित है। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इसका आशय इससे कुछ आगे बढ़ा हुआ है। हमारे सामने बहुत-सी चीजें यः बातें होती हैं। हम उनमें से किसी एक को पूर्णतः ठीक, वास्तविक या सत्य मान लेते हैं, और उसी के अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार रखते हैं। हमारा ईश्वर और सत्य पर अटल विश्वास हो सकता है, आपका किसी देवी-देवता, पूजा-पाठ या तन्त्र-मन्त्र पर। हम कर्मठता पर विश्वास रख सकते हैं और आप भ्रम पर विश्वास रखकर सब काम कर सकते हैं। इस प्रकार दृढ़ आस्था, निश्चय और अज्ञापूर्वक कोई बात स्थायी रूप से मान लेना ही विश्वास है। जब हम कहते

हैं—ईश्वर पर विश्वास रखो। वह जो करेगा, वह अच्छा ही होगा।^१ तब हमारा आशय यही होता है कि हमें ईश्वर की सत्यता और न्याय-शीलता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए। विश्वास सदा हमारी मनोवृत्ति या मानसिक वारणा पर आश्रित होता है; और इसी लिए तर्क-वितर्क आदि से सहसा बदला नहीं जा सकता। श्रद्धा हमारी वह मनोवृत्ति है जो निष्ठा, भक्ति और विश्वास तीनों से युक्त होकर किसी पूज्य या बड़े की ओर उन्मुख होती है। विश्वास में तो विचारों की दृढ़ता का भाव प्रधान होता है, पर श्रद्धा में पूज्य बुद्धि और भक्ति की प्रधानता होती है। हम कहते हैं—ईश्वर या देवता की उपासना या पूजा तभी फलवती होती है, जब वह श्रद्धा और भक्तिपूर्वक की जाय। आशय यही होता है कि उपासना या पूजा के समय हमारे मन में यथेष्ट आदर-भाव या पूज्य बुद्धि और पूरा विश्वास होना चाहिए।

भड़ौआ (Skit)

अंशगीत (Lampoon)

विद्रूपिका (Parody)

निडंबिका=विद्रूपिका

व्यंगिका (Satire)

इस वर्ग के शब्द ऐसे कथनों या रचनाओं, विशेषतः छन्दोबद्ध रचनाओं के वाचक हैं जो प्रायः दूसरों की हँसी उड़ाने, और हो सके तो उन्हें तुच्छ सिद्ध करने के लिए की जाती हैं। इनमें से भड़ौआ किसी समय हिन्दी में बहुत प्रचलित था, पर अब इसका प्रचलन कम हो गया है; और इसका स्थान प्रायः विरूपिका और व्यंगिका ले रही है। भड़ौआ हिं० भांड (स० भड या भाण ?)

। * प्रायः ६० वर्ष पहले काशी के भारत-जीवन प्रेस से इस प्रकार की मर्मज्ञ-युगीन कविताओं का एक संग्रह 'भड़ौआ-संग्रह' नाम से चार भागों में प्रकाशित हुआ था।

से बना हुआ शब्द है, और हिन्दो में यह ऐसी कविताओं का वाचक है जो मुख्य रूप से दूसरों की त्रुटियों और दोषों का उल्लेख करते हुए, उनकी हँसी उड़ावे के लिए की जाती हैं। पर इसके वर्णन की शैली प्रायः अशिष्टतापूर्ण ही होती है—सुरुचिपूर्ण नहीं होती। इसमें गभीरता का तो अभाव होता ही है, पर कटुता, गाली-गलौज या द्वेष का भाव नहीं होता। हाँ इसमें लगती हुई बात या दश अवश्य होता है। इस प्रकार की गद्य में कही हुई बातें या लेख भी भड़ौआ ही कहलाते हैं। अवगीत मुख्यतः गीत ही होते हैं, पर उनमें जो बातें होती हैं, वे भड़ौआ की तुलना में अधिक अश्लील, गन्दी और भद्दी होती हैं। होली के दिनों में जो अनेक प्रकार के अश्लील गीत गाये जाते हैं, उनकी गिनती अवगीत में ही होती है। भड़ौआ तो जैसे-तैसे शिष्ट समाज में चल भी जाता है, पर अवगीत शिष्ट समाज में नहीं चल सकते। विडम्बिका या विद्रूपिका वह कहलाती है जो किसी अच्छे कवि की कविता के अनुकरण पर (उसी के छन्द, रचना-शैली, शब्दावली आदि के अनुकरण पर) केवल उसकी विडम्बना या विद्रूपण (दे०—उपहास) करके हँसने-हँसाने के उद्देश्य से की जाती है। इसके लिए सदा यह आवश्यक नहीं है कि यह कवि या कविता का उपहास करने या उसे तुच्छ सिद्ध करने के लिए ही हो; अर्थात् यह शुद्ध हास्य के विचार से भी हो सकती है; और कुछ अवस्थाओं में द्वेष वश भी। व्यंगिका वह उक्ति या कविता कहलाती है जिसमें किसी व्यक्ति, प्रथा, समाज आदि के दोषों का मुख्यतः व्यापक रूप से उल्लेख या चर्चा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रायः निन्दा या भर्त्सना के द्वारा लोगों को दोषों और मूर्खताओं से बचाने के सिवा और कुछ नहीं होता। हाँ, व्यंग्य-प्रधान होने के कारण यह प्रायः मनोरञ्जक और मोदकारक अवश्य हो जाती है*।

* विडम्बिका (या विद्रूपिका) और व्यंगिका हमारे यहाँ की चीजें नहीं हैं, हमने इन्हें प्राश्नात्य साहित्य से ग्रहण किया है।

भद्रा (Awkward)

गँवारू (Rustic)

बाँगड़ (Boorish)

बे-डौल (Clumsy)

भोंडा=बे-डौल

इस वर्ग के सभी विशेषण ऐसी वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यवहारों आदि के सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं जो देखने में सुन्दर, ठिकाने के या सुभीते के न होते हों—जो अपने मानक से गिरे हुए हों। भद्रा सम्भवतः भद्रसे व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है—ऐसा देश जहाँ के रहनेवाले अर्द्ध-सम्य या गँवार हो। इसका सम्बन्ध बाहरी दिखाव से है। जो देखने में शिष्ट, शील या सुन्दर न हो, वही भद्रा है। भद्दी बातें या आचरण वे होते हैं जो सुस्निग्ध अथवा शिष्ट समाज के लिए उपयुक्त न हों; और भद्दी लिखावट यह है जो देखने में सुन्दर और स्पष्ट न हो। भद्दी व्यवस्था या स्थिति वह है जिससे लोगों को कुछ भ्रम या परेशानी हो। इस विशेषण का प्रयोग व्यक्तियों के लिए न तो जल्दी होता ही है, न होना ही चाहिए। भोंडा की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। इसका पर्याय बे-डौल उसके वास्तविक अर्थ का सूचक है। बे-डौल उसे कहते हैं, जिसका डील-डौल या बनावट अच्छी न हो, भद्दी हो। इसका प्रयोग ऐसी आकृति, बनावट, रूप आदि के सम्बन्ध में होता है जो बहुत ही त्रुटि-पूर्ण हो और जिसमें कला, प्रतिसाम्य, सापेक्षता आदि का खटनेवाला अभाव हो। भोंडापन या तो प्राकृतिक होता है या रचना सम्बन्धी दोषों के कारण, पर भद्रापन बहुधा शिक्षा, संस्कृति, सुस्निग्ध आदि के अभाव के कारण होता है। भालू की आकृति भोंडी होती है और उसका नाच भद्रा होता है। भोंडा तो सदा भद्रा ही होगा, पर भद्दे के लिए सदा भोंडा होना आवश्यक नहीं है। कुछ अवस्थाओं में भद्रा और भोंडा एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त भी हो सकते हैं, फिर भी भोंडा में भद्दे होने की अपेक्षा कुत्सित होने का भाव कुछ अधिक है। भद्दी बात उतनी अधिक निन्दनीय या बुरी नहीं होती, जितनी भोंडी बात होती है। गँवारू हि० गाँव से व्युत्पन्न है, और इसका अर्थ है—उस प्रकार का, जैसा प्रायः गाँवों या गँवारों में होता या देखा जाता है। यह विशेषण नागरिकता, परिष्कृति और अच्छेपन के अभाव का

सूचक है। गँवारू बोल-चाल, पहनावा या रहन-सहन वैसी परिष्कृत और सुरुचि-पूर्ण नहीं होती, जैसी नागरिकों की होती है। यह उस परिणाम या प्रभाव का सूचक है जो गाँवों में रहनेवालों की कृतियों आदि से उत्पन्न होकर दूसरी बातों पर पड़ता है। इसी कारण देखनेवालों के लिए यह सुखकर नहीं होता। बाँगडू शब्द बाँगड (आज-कल का हरियाना, जिसमें करनाल, रोहतक, हिसार आदि जिले पड़ते हैं) से बना है। जान पड़ता है कि कुछ दिन पहले वहाँ के निवासी आस-पास के उन्नत समाज की दृष्टि में विशेष सभ्य और सस्कृत नहीं होते थे*। आज-कल यह विशेषण ऐसी वस्तुओं, व्यवहारों आदि के लिए प्रयुक्त होता है, जो गँवारू की अपेक्षा भी अधिक अशिष्ट और असभ्य जान पड़ते हैं। यह शब्द जब व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, तब उनकी निम्न सामाजिक स्थिति का सूचक होता है; पर आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने पर सस्कृति और सुरुचि के परम अभाव का।

* यह उक्त प्रदेश के आधुनिक निवासियों पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है।

भय (Fear)

आतंक (Terror)	भीषिका (Panic)
आशंका (Apprehension)	रोब=सम्भ्रम (आंशिक रूप में)
खटका, खुटका=आशंका	वितंक (Horror)
खलबली (Turmoil)	विभीषिका (Dread)
डर=भय	संत्रास (Consternation)
त्रास (Fright)	सम्भ्रम (Awe)
दबदबा=सम्भ्रम (आंशिक रूप में)	हौआ (Bogey, Bugbear)
भीति (Menace)	

इस वर्ग के शब्द या तो (क) मनुष्य की उस मानसिक चिन्ता और विकलता के सूचक हैं जो कोई सकट उपस्थित होने पर अथवा सकट की सम्भावना होने पर उत्पन्न होती है, अथवा (ख) किसी न किसी प्रकार के सकट की स्थिति के सूचक हैं। इस वर्ग का प्रधान शब्द भय अर्थ और प्रयोग दोनों के विचार से सबसे अधिक व्यापक है। हिन्दी का डर (स० दर) इसका समानक ही है। कोई अनिष्टकारी बात या सकट सामने आने पर अथवा उसकी सम्भावना होने पर मन में जो चञ्चलता और विकलता होती है और जिसके फल-स्वरूप अनिष्ट अथवा सकट से बचने की इच्छा या प्रवृत्ति होती है, उन सबका सामूहिक नाम भय है। इसके फल-स्वरूप मनुष्य का साहस छूट जाता है और वह कुछ कायर-सा हो जाता है, अथवा कुछ अवस्थाओं में वह अपनी जान पर खेलकर भय उत्पन्न करनेवाले सकट का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है। साधारण रूप में उपस्थित होने की दशा में तो यह भय ही कहलाता है; पर जब संकट की स्थिति सामने आती हुई दिखाई देती है, तब वह स्थिति मुख्यतः भीति कहलाती है। हिं० डर का इन दोनों शब्दों के स्थान पर प्रायः समान रूप से प्रयोग होता है। बच्चों को अँधेरे घर में अकेले रहने पर भय या डर लगता है; और अति-वर्षा

या अवर्षा होने पर हमारे मन में अकाल की भीति या डर होता है। यही भय कुछ अधिक तीव्र होने पर त्रास कहलाता है, और जब उसकी तीव्रता और भी अधिक बढ़ जाती है, तब उसे विभीषिका कहते हैं। इच्छा-शक्ति या साहस में हम भय का तो सामना कर सकते हैं, पर त्रास के समय प्रायः हमारा कोई वश नहीं चलता; और विभीषिका तो बहुधा हमें किंकर्तव्य-ध्रुव ही कर देती है। भय और विभीषिका में एक और अन्तर यह है कि भय तो प्रायः ऐसी साधारण बातों का होता है जो बहुत कुछ हमारी जानी-समझी हुई होती हैं, पर विभीषिका ऐसी बातों के सम्बन्ध में होती है जिनके वास्तविक स्वरूप से हम बहुत-कुछ अपरिचित होते हैं। मृत्यु या शेर से तो हमें भय ही लगता है, पर भूत-प्रेत या पर-लोक में होनेवाले दृश्य-भोग की भीति हमारे मन में विभीषिका उत्पन्न करती है। भय और त्रास का प्रभाव तो केवल हमारी मानसिक शक्तियों पर पड़ता है, पर विभीषिका का मानसिक और शारीरिक दोनों पर। इससे हम थर-थर कांपने लगते और प्रायः बगले भाँकने लगते हैं। आशका कोरी मानसिक स्थिति है जो वास्तविक या कल्पित भय की सम्भावना होने पर उत्पन्न होती है। यह हमें चिन्तित करती है और हमारे मन में कुछ खटक-सी उत्पन्न करती है। इसी लिए इसे हिन्दी में खटका या खुटका कहते हैं। यह भीति का हलका रूप है। चोर जब चोरी करने के लिए कहीं जाता है, तब उसे यह आशका रहती है कि मैं पकड़ा न जाऊँ अथवा मुझ पर मार न पड़े। भीति इसी आशका का उग्र रूप है। जब आनेवाले संकट की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है अथवा संकट का सामना कुछ निश्चित-सा हो जाता है, तब उसे भीति कहते हैं। चोर की आशका पाकर जब घर के लोग इधर-उधर देखने लगते हैं, तब चोर को पकड़े जाने की भीति आ घेरती है। जब अचानक कोई भय या त्रास हमारे सामने आ उपस्थित होता है, तब हम विकल होकर यह निश्चय नहीं कर पाते कि इसका सामना कैसे किया

ॐ कुछ भवसरो पर लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों को डरा धमकाकर उनके मन में जो भीति उत्पन्न करते हैं, उसे तर्जन कहते हैं।
(दे०—'धमकी' के अन्तर्गत 'तर्जन')

जाय, और इसी लिए हम विचलित हो जाते हैं। यह स्थिति वैयक्तिक भी हो सकती है और सामूहिक भी; और प्रायः देखा-देखी फैलती या बढ़ती है। मन या जन-समूह की यही स्थिति भीषिका है। यदि अचानक कहीं दंगा-फसाद होने लगे और इंटों, लाठियों आदि के प्रहार होने लगे तो आस-पास के लोगों में भीषिका फैल जायगी, और वे अस्त-व्यस्त होकर इधर-उधर भागने लगेंगे। यदि किसी सभा-स्थल में कहीं साँप निकल आवे या आस-पास साँड लडने लगे, तो भी उपस्थित जनता में भीषिका फैल जायगी। इसी भीषिका का हलका रूप खलबली और अधिक उग्र तथा व्यापक रूप सत्रास कहलाता है। खलबली तो साधारण-सी घटना होने पर भी मचती है (जैसे सभा-समाज में कोई कटु या कठोर बात कहने पर), परन्तु सत्रास ऐसे विकट अवसरो पर फैलता है, जब बहुतों के जान-माल सहसा और तत्काल जोखिम में पडते हुए दिखाई देते हैं। स० में तक का अर्थ है—वियोग से उत्पन्न दुःख। इसी में आ उपसर्ग लगने से आतंक शब्द बना है, जिसके मूल अर्थ हैं—रोग, मानसिक कष्ट, विकलता, भय आदि। पर हिन्दी में आतक उसी अर्थ में प्रचलित है जो यहाँ बतलाया गया है। जब कोई भारी सकट अचानक सामने आ जाता है और हम डर के मारे कुछ भी करने-धरने या सोचने-समझने में बिलकुल असमर्थ हो जाते हैं, तब हमें मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अक्रिय कर देनेवाली बाह्य स्थिति ही आतक कहलाती है। इससे लोग बहुत डर जाते और हर तरह से सचेत रहते हैं। यदि भारी उपद्रव होने पर शहर में दो-चार जगह गोलियाँ चल जायँ या भारी उपद्रव की आशंका होने पर शहर में पलटने लाकर खड़ी कर दी जायँ, तो सारे शहर में आतंक छा जायगा। यदि पास-पड़ोस में दो-चार डाके पड़ जायँ तो भी वहाँ के निवासियों में आतंक फैल जायगा। वितक इसी आतक के अनुकरण पर नया बनाया हुआ शब्द है। आतक से वितक उग्र और विकट तो है ही, उममें कुछ और भाव भी मिला हुआ है। आतक तो केवल भय के कारण होता है, पर वितक का प्रयोग ऐसे अवसरो पर होता है, जब भय उत्पन्न करनेवाली बात साथ ही साथ घृणित, विरक्त करनेवाली या बीभत्स भी हो। यदि अचानक कमरे में पैर रखते ही हमें खून से लथ-पथ लाश दिखाई दे या कोई कोढ़ी (अथवा

साँप) हमारे पैरों से लिपट जाय, तो हम पर चितक लड़ा जायगा—हम वितंकित हो जायेंगे । सम्भ्रम हमारे भय और आतक का वह मिश्रित रूप है जो हमें प्रायः अवाक्या चकित कर देता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि भय-भीत और आतकित करनेवाली बात या व्यक्ति में कुछ अ-साधारण महत्ता, विशेषता या श्रेष्ठता हो । जब हम किसी बहुत बड़ी बात (या व्यक्ति) के सामने चकित होकर चुपचाप मुँह ताकते हुए खड़े रह जायें, तब हम कहेंगे—उस बात (या व्यक्ति) के सम्भ्रम ने हमें स्तब्ध कर दिया । अपने साधारण रूप में यह शब्द ऐसे आदर, श्रद्धा, सम्मान आदि का भी सूचक होता है जिसमें आतक और आश्चर्य दोनों मिले-जुले होते हैं । दबदबा (फारसी दबदब = ढोल का शब्द) मूलतः है तो आतक या रोब (अरबी) का ही वाचक, पर प्रस्तुत प्रसंग में यह व्यक्ति-जन्य (वस्तु-जन्य नहीं) सम्भ्रम का समानरुही माना जाता है । हौआ (हाऊ-हाऊ से अनुकरण-वाचक) हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है, जिसका प्रयोग प्रायः बच्चों को डराने के लिए किया जाता है । जब किसी को बहुत भयभीत करने के लिए कोई ऐसी डरावनी या विकट बात खड़ी कर दी जाती है, जिसका वास्तव में कुछ भी अस्तित्व नहीं होता, तब ऐसी बात हौआ कहलाती है । इसमें एक तो भीषण और दूसरे अ-वास्तविक होने का भाव मुख्य है । इसका उद्देश्य सदा दूसरों को झूठा भय दिखाकर और उन्हें आतकित करके अपना कोई दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करना होता है । यदि आगे चलकर बिना अणु बमों का उपयोग हुए सारे ससार से शान्ति और सद्भाव स्थापित हो जाय, तो हम कहेंगे—अणु बमों का हौआ ही ससार में शान्ति स्थापित करने में समर्थ हुआ था । यद्यपि अणु बमों का अस्तित्व भी वास्तविक है और उनकी भीषण संहारक शक्ति भी निर्विवाद रूप से सिद्ध है, तो भी ऐसे प्रसंग में हौआ का प्रयोग इस दृष्टि से सगत होगा कि एक तो अणु बमों का कहीं उपयोग नहीं हुआ, और दूसरे सारे ससार पर उसका आतक लगाया है ।

भाग (Part)

अंश (१. Portion, २. Share)	प्रभाग (Section)
अवधा=वृत्त का खंड	भिन्न (Fraction)
उप-विभाग (Sub-division)	विखंड (Fragment)
खंड (Segment)	विभाग (१. Division,
प्रखंड (Division)	२ Department)
खंडिका, खेप, किस्त (Instalment)	विभाजन (Partition)
टुकड़ा (Piece)	शकल (Sector)

भाग वह व्यापक शब्द है, जिसमें उमके प्राय सभी उक्त पर्यायों का अन्तर्भाव हो जाता है। जब किसी बड़ी चीज या मान के कुछ या कई खंड अथवा टुकड़े किये जाते हैं, तब उनमें का हर खंड या टुकड़ा उसका भाग कहलाता है। भाग प्रयत्न-पूर्वक तो किये ही जाते हैं, पर वे आपसे आप भी हो सकते हैं। किसी चीज का खंड या टुकड़ा तो तभी कहलावेगा, जब वह उससे कटकर बिलकुल अलग हो जायगा, पर भाग के लिए सदा यह आवश्यक नहीं है कि वह मूल से बिलकुल अलग ही हो जाय। किसी देश के अनेक भाग कुछ दृष्टियों से एक दूसरे से बिलकुल अलग भी हो सकते हैं; और कुछ दृष्टियों से एक में मिले भी रह सकते हैं। हम कहते हैं—इस कपड़े के चार भाग कर दो। यहाँ भाग केवल विचार और उसके साथ लगी हुई भावी क्रिया का सूचक है*। पर जब उस कपड़े के चार भाग अलग-अलग हो जाते हैं, तब उनमें से हर भाग को हम खंड या

ॐ अँगरेजी के to take part के अनुकरण पर हिन्दी में जो किसी काम में 'भाग लेना' प्रयोग चल पडा है, वह हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है और इसी लिए प्रशस्त नहीं है। हिन्दी में इसका रूप 'योग देना' या 'सम्मिलित होना' रहना चाहिए, अथवा इसी तरह का और कोई प्रयोग होना चाहिए।

टुकड़ा कहते हैं; क्योंकि वह अपने मूल से कटकर अलग हो चुका होता है। पर देश या राज्य का उक्त प्रकार का अंश सदा भाग ही रहता है, खंड या टुकड़ा नहीं कहलाता। पुस्तक के कई भाग अलग-अलग भी हो सकते हैं और एक में भी; और उसका कोई प्रसंग या पृष्ठ भी भाग ही कहा जायगा, खंड या टुकड़ा नहीं। गणित में भाग की जो क्रिया होती है, वह भी विचार के ही क्षेत्र में होती है। उसमें अलग-अलग छोटे बड़े खंड या टुकड़े करने का कोई भाव नहीं होता। किसी खंड या टुकड़े का बहुत ही छोटा, टूटा-फूटा और छिन्न-भिन्न अंश विखंड कहलाता है। ऐसा अंश बहुत-कुछ निकम्मा या रद्दी भी हो चुका होता है। किसी चीज का खंड या टुकड़ा देखकर तो हम उस सम्पत्ति चीज के आकार प्रकार या रूप-रंग की बहुत-कुछ कल्पना या अनुमान भी कर सकते हैं; पर विखंड से ऐसी कल्पना या अनुमान करना प्रायः बहुत कठिन और कभी-कभी असंभव भी होता है। अंश मुख्यतः एक ही इकाई के दो या कई अलग-अलग अंगों का सूचक शब्द है। यह है तो वस्तु का भाग ही, पर इसका सम्बन्ध किसी रूप में किसी मूर्त्त वस्तु से होता है; अथवा ऐसी वस्तु से होता है जिसे हम मूर्त्त न होने पर भी मूर्त्त मान लेते हैं। हम कहते हैं—इस सम्पत्ति (अथवा कार्य, प्रयत्न आदि) में हमारा भी कुछ अंश है, अथवा ठट्टे में भाग का अंश कम है। यहाँ भाग किसी व्यक्ति से सम्बद्ध होने के कारण ही अंश कहलाता है। किसी भवन का एक अंश किसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यासिद्ध कर दिया जाता है। यहाँ उस विशिष्ट कार्य का पृथक् व्यष्टित्व (स्वतन्त्र अस्तित्व) ही भवन के उस भाग को अंश का रूप देता है। इसका मुख्य भाव इसी व्यष्टित्व या पृथक् अस्तित्ववाले तत्त्व से सम्बद्ध है। पर व्यवहार में उनके दो अलग-अलग रूप होते हैं। कही तो किसी चीज में हमारा अंश प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप में होता है, और कही आधिकारिक रूप में। जब देश सुखी और सम्पन्न होता है, तब उसके सुख और सम्पन्नता का कुछ न कुछ अंश सभी लोगों को प्राप्त होता है, और यही उसका स्वाभाविक रूप है। पर व्यापार या उद्योग-धन्धे में भी हमारा कुछ अंश होता है, जो उसी अनुपात में निश्चित होता है, जिस अनुपात में हम उस व्यापार या उद्योग-धन्धे में पूँजी लगाते या श्रम करते हैं। और यह उसका आधिकारिक

रूप है%। अर्थात् हम अधिकार-पूर्वक उस अंश के स्वामी होते हैं। अंश लेने के रूप में ही नहीं होता, देने के रूप में भी होता है। किसी बहुत बड़े कार्य में सहायक होने के लिए लोगों को श्रपना-श्रपना अंश देना पड़ता है। वह देना यदि हम पूरा एक साथ नहीं चुकाते, बल्कि धीरे-धीरे कई खंडो या भागों में चुकाते या देते हैं, तब उनमें का प्रत्येक खंड या भाग खंडिका या किस्त† कहलाता है। देन के सिवा इन शब्दों का प्रयोग ऐसे कामों के सम्बन्ध में भी होता है जो छोटे रूप में और थोड़े-थोड़े समय में अलग-अलग करके पूरे किये जाते हैं। किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित होनेवाली लेख-माला के हर अगले लेख के सम्बन्ध में कहा जाता है—यह उसकी दूसरी, तीसरी या चौथी किस्त (या खंडिका) है। खेप स० खेप से व्युत्पन्न है। मजदूरे जब चीजे टोते हैं, तब हर बार की ढुलाई और उसके बोझ को खेप कहते हैं। जैसे—चार खेप आ चुके; अमी दो खेप और बाकी हैं। विभाग का अर्थ होता है—काटकर अलग किया हुआ या विशेष भाग, पर इस शब्द का प्रयोग मुख्यत किसी समूचे पदार्थ या समूची इकाई के विचार से और उसकी अपेक्षा में होता है। जैसे—भारत सरकार का शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का न्याय विभाग आदि। अर्थात् किसी विशेष कार्य के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य या विचार से किया हुआ भाग ही विभाग कहलाता है। किसी कार्य या पदार्थ के विभागों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सब आपस में बराबर ही हों, वे एक दूसरे से छोटे-बड़े भी हो सकते हैं। यदि किसी विभाग के अन्तर्गत और भी कई छोटे-छोटे भाग या विभाग हों, तो

❧ अपने पहले रूप में यह अँगरेजी में Portion कहलाता है और दूसरे रूप में Share. पर खेद है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी इन दोनों रूपों के लिए दो भलग-भलग शब्द स्थिर नहीं किये जा सके।

† किस्त अरबी भाषा का शब्द है, जो हिन्दी में बहुत अधिक प्रचलित हो चुका है। मध्य युग में विशेषतः मराठों के शासन काल में अधीनस्थ रियासतों या राजाओं से किस्त में जो रकमें वसूल की जाती थी, उन्हें 'खंडणी' कहते थे। इसी के आधार पर खंडिका शब्द बनाया है।

उनमें से प्रत्येक उप-विभाग कहलावेगा। किसी वस्तु के भाग, विभाग, उप-विभाग आदि स्थिर या नियत करने की क्रिया ही विभाजन है। किसी भाग या विभाग के जो और कई छोटे-छोटे खंड या टुकड़े होते हैं, वे प्र-भाग कहलाते हैं। यदि किसी विभाग में चार प्रकार के काम होते हों और वे भी सब काम अलग-अलग क्षेत्रों में होते हों तो उनमें का हर क्षेत्र उस विभाग का प्रभाग कहा जायगा। भिन्न गणित शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। जब कोई पूरी इकाई कई बराबर-बराबर भागों में बँटी हो, तब उनमें का प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। ३, ६, ९ आदि इसके उदाहरण हैं।

खंड हमारे यहाँ का दूसरा ऐसा शब्द है जिसका भाग ही की तरह वहुत व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें अँगरेजी के Segment, Section और Sector तीनों के अर्थों का अन्तर्भाव हो जाता है। यह संस्कृत खंड् धातु में बना है, जिसका अर्थ है—काटना, तोड़ना आदि। किसी चीज को तोड़कर या ऐसी ही और किसी क्रिया से जो टुकड़े या भाग किये जाते हैं, वे सभी उसके खंड कहलाते हैं। यद्यपि इसमें किसी प्रकार काटकर अलग करने का भाव प्रधान है, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक खंड सदा या सभी दशाश्रु में अपने मूल से अलग ही हो। वह अलग भी हो सकता है और किसी रूप में अपने मूल के साथ जुड़ा हुआ भी। बड़े-बड़े ग्रन्थों के अनेक खंड होते हैं; और मकानों में एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा खंड होता है। बड़े-बड़े देशों के मुख्य भाग भी खंड कहलाते हैं; जैसे—भरत खंड, उत्तरा खंड आदि। शासनिक व्यवस्था या ऐसे ही किसी और कार्य के विचार से किसी खंड या विभाग के जो बड़े-बड़े अंश अलग मान लिये जाते हैं, वे प्रखंड कहलाते हैं। ज्यामिति में वृत्त या रेखा के टुकड़े को भी खंड ही कहते हैं, जिसका दूसरा पारिभाषिक नाम अवधा है। वृत्त या गोले के प्रसंग में इसी को संस्कृत में शकल (या शकर) कहते हैं।

भाषण (Speech)

अभिभाषण (Address)	वाणी=भाषण
उक्ति (Utterance)	वाद-विवाद (Debate)
उद्धरणो (Recitation)	वार्त्ता (Talk)
उपदेश (१ Teachings, २. Sermon)	वार्त्तालाप, संलाप (Conversation)
प्रपठन=उद्धरणो	वितंडा (Wrangling)
प्रवचन (Discourse)	व्याख्यान=वक्तृता
वक्तृता (Lecture)	संदेश (Message)
वाक्-पटुता (Rhetoric)	संभाषण (Oration)
वाक्-तांडव (Harangue)	संवाद (Dialogue)

भाषण का साधारण अर्थ है—कहना, बोलना या बातें करना, और इसी लिए इसके वर्ग में बात-चीत करने और कहने-सुनने के सभी प्रकार और भेद आ जाते हैं। वस्तुतः साधारण रूप से बात-चीत करना या अपने विचार प्रकट करना ही भाषण है। हम कहते हैं—हमने उनसे भाषण करना छोड़ दिया है। प्रायः इसका उपयोग वक्तृता या व्याख्यान के अर्थ में या उसके स्थान पर भी होता है। जैसे—सभापति का भाषण। अभिभाषण विशिष्ट महत्त्व के अवसरों पर होनेवाला उच्च कोटि का भाषण है। सभा-सम्मेलनों आदि में होनेवाले अभिभाषण बहुधा पहले से लिखकर तैयार कर लिये जाते हैं। पर न्यायालयों के सामने वकीलों आदि के अभिभाषण लिखित नहीं, बल्कि मौखिक ही होते हैं। वाणी मुख्यतः मनुष्यों के मुँह से उच्चरित होनेवाले सार्थक शब्दों की सूत्रक है। इसका मुख्य सम्बन्ध बोलने की शक्ति या उच्चारण से है। उक्ति किसी की कही हुई वह बात है, जिसका कहीं किसी प्रसंग में उल्लेख या चर्चा की जाय। जैसे—कब्रों, तुलसी या सूर की अनूठी उक्तियाँ। उद्धरणो या प्रपठन मुख्यतः कोई घटना या

बात बिलकुल ज्यों की त्यों कह या पढ़ सुनाना है। विद्यार्थी पढ़े हुए पाठ की उद्धरण करतें हैं; और कवि-सम्मेलनो में दूसरे कवियों की अच्छी कविताओं का प्रपठन होता है। उपदेश का अर्थ है—ऐसी अच्छी बातें जो बड़े लोग छोटों के हित के विचार से उन्हें सिखाते-समझाते हैं। प्रायः नैतिक या धार्मिक क्षेत्रों में ही इसका उपयोग होता है। प्रवचन किसी गम्भीर विषय पर बहुत विचार-पूर्वक और मनन के योग्य कही जानेवाली बातें हैं। इसमें उपदेश और वक्तृता दोनों के तत्त्व होते हैं, और यह इन दोनों का सम्मिलित उत्कृष्ट रूप है। वक्तृता या व्याख्यान किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए होनेवाला ऐसा भाषण है जो श्रोताओं को उस विषय से परिचित तथा प्रभावित करने के लिए कुछ समय तक बराबर चलता रहता है। वाक्पटुता भाषण का उपभेद नहीं, बल्कि कौशल या अच्छा ढंग है। कोई बात ऐसे अच्छे ढंग से कहना कि सुननेवाले उससे प्रभावित होकर उसे ठीक मान लें, वाक्पटुता है *। अलङ्कार भाषा में प्रभावोत्पादक तथा रोचक रूप में बातें कहना ही वाक्पटुता है। वाग्मिता इसी का बहुल उत्कृष्ट रूप है, और इसे प्रायः ईश्वर-दत्त गुण या प्राकृतिक देन माना जाता है। इसमें भाव और विचार मनुष्य के हृदय से उद्भूत होकर और बहुत ही आकर्षक तथा मनोहर रूप धारण करके दूसरों के हृदय में प्रवेश करते हैं। वाक्ताडव वह है जिसमें ऊट-पटांग और बे-सिर पैर की बातें कुछ जोर-जोर से और क्रोध में आकर या विगडकर कही जायें। इसी का और अधिक उग्र तथा उद्धत रूप वितंडा है। यह मुख्यतः तर्क-वितर्क या वाद-विवाद के क्षेत्र का शब्द है। वाद-विवाद का एक अर्थ झगडा या तकरार तो है ही, पर प्रस्तुत प्रसंग में उसका मुख्य अर्थ है—कुछ लोगों में होनेवाली ऐसी बात-चीत, जिसमें किसी विषय पर वे अपना अपना मत प्रकट करें; और आवश्यकता हो तो दूसरों के मतों का खण्डन करते हुए तर्क-पूर्वक अपना मत ठीक सिद्ध करने का भी प्रयत्न करें। वार्ता के बात-चीत, समाचार आदि कई साधारण अर्थ तो हैं ही, पर आज-कल वह मुख्य रूप से

* इसी लिए इस विषय का एक अलग शास्त्र बन गया है, जिसे अलंकार-शास्त्र (Rhetorics) कहते हैं।

किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा कथन या भाषण है जो कुछ समय तक चलता रहे और जो दूसरों को उस विषय का साधारण ज्ञान कराने के लिए हो। यह प्रवचन से कुछ हलके दर्जे की चीज है, और वक्तृता या व्याख्यान से इसमें अधिक सगति और सक्षिप्तता की अपेक्षा होती है। आज-कल रेडियो पर प्रायः किसी विद्या, विज्ञान अथवा दूसरे अनेक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली बार्ताएँ सुनने में आती हैं। सन्देश वह उक्ति या कथन है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी ऐसे ही और साधन से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुँचाये जाने के लिए होता है। हम अपने किसी मित्र के पास बधाई या शुभ कामना का सन्देश भेजते हैं, और बड़े-बड़े नेता विशिष्ट अवसरों पर जन-साधारण के नाम किसी विशेष प्रकार का आचरण करने या न करने का सन्देश भेजते हैं। संभाषण यो प्राथमिक अर्थ में बहुत-कुछ वही है जो भाषण है, पर अपने विशिष्ट आर्थी क्षेत्र में यह बहुत-कुछ वही है जो अभिभाषण या व्याख्यान है। पर इसमें प्रायः वक्तृत्व कला कुछ अधिक मात्रा में होती है। सवाद का साधारण अर्थ तो समाचार ही है, और इसी लिए कभी-कभी समाचार-पत्र भी सवाद-पत्र कहलाते हैं। पर मुख्य रूप से दो या अधिक व्यक्तियों में होनेवाली बात-चीत सवाद कहलाती है। नाटक या उपन्यास में पात्रों की आपस की (कथा-वस्तु सम्बन्धी) बात-चीत या रास-लीला, राम-लीला, आदि के अभिनयों में पात्रों की बात-चीत सवाद कहलाती है।

— — —

भाषा (Language)

उप-भाषा (Dialect)	मातृ-भाषा (Mother-tongue)
जवान=१. बोली, २. भाषा	मुहावरा (Idiom)
देश-भाषा=उप-भाषा	वि-भाषा
बोली (Tongue)	शब्द-विन्यास (Diction)
भाषण* (Speech)	शब्दावली (Vocabulary)

भाषा और भाषण सस्कृत भाष् से बने हैं, जिसका अर्थ है—कहना, बोलना या उच्चारण करना। भाषा से आगे चलकर देश-भाषा, उप भाषा, वि-भाषा आदि शब्द बने हैं। ये सभी शब्द उन प्रकार तथा रूपों के सूचक हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है। हम अपने विचार प्रकट करने के लिए जो बातें कहते हैं, उन सब की गिनती हमारी भाषा में होती है। पर अब कुछ और विस्तृत अर्थ में मनोभाव प्रकट करने के सभी प्रकार इसके अन्तर्गत आने लगे हैं। यद्यपि पशु-पक्षियों के शब्दों को बोली कहना हो युक्ति-सगत होगा, पर लोग प्रायः उमें भी भाषा ही कहते हैं†। यहाँ तक कि जो गूँगे और बच्चे केवल सकेत से अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उनके उन सकेतों का अन्तर्भाव भी भाषा ही में होने लगा है। कभी-कभी कविता में नयनों की भाषा और फूलों की भाषा सरीखे पद भी देखने में आते हैं। अपने कुछ सीमित और निश्चित अर्थ में वह उन सभी शब्दों और प्रयोगों का सामूहिक वाचक है, जो किसी देश या जाति में मन के भाव या विचार प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे—अंगरेजों या चीनियों की भाषा। इससे भी कुछ और सीमित तथा विशिष्ट रूप में भाषा वह नानी जाती

ॐ वक्तृता या व्याख्यान के अर्थ में 'भाषण' का जो प्रयोग होता है, उसके लिए दे०—'भाषण' की स्वतंत्र शब्द-माला।

† खग जानै खग ही की भाषा।—तुलसी।

है, जिसका अच्छा साहित्य और व्याकरण हो और जिसका किसी देश के शिक्षित और शिष्ट समाज में प्रचलन हो। जैसे—गुजराती, बँगला, मराठी, हिन्दी आदि भाषाएँ। इसी भाषा के जो स्थानिक भेद होते हैं, उन्हें उप-भाषा कहते हैं। प्रायः सभी उन्नत और बड़ी भाषाओं के ऐसे कुछ स्थानिक भेद होते हैं, जिनके उच्चारण, प्रयोग आदि एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं। ऐसे भेद आज-कल उप-भाषा कहलाते हैं, और इन्हीं को प्राचीन काल में देश-भाषा कहते थे। पर आज-कल साधारणतः किसी देश में बोली जानेवाली भाषा वहाँ की देश-भाषा कहलाती है। भाषा और उप-भाषा (या देश-भाषा) में एक मुख्य अन्तर यह है कि भाषा तो साधारणतः वह कहलाती है, जो शिक्षित समाज में बोली जाती हो; पर उप-भाषा वह है, जिसे किसी क्षेत्र में रहनेवाले सभी छोटे-बड़े और शिक्षित-अशिक्षित प्रायः समान रूप से बोलते हों। ब्रज-भाषा, अवधी, बघेली, बुन्देलखण्डी, पूर्वी हिन्दी आदि इसी प्रकार की उप-भाषाएँ या देश-भाषाएँ हैं। कुछ लोगो ने इसी के लिए वि-भाषा शब्द का भी प्रयोग किया है; पर वस्तु में उप-भाषा के लिए इस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि विभाषा अर्थ कुछ और है*। बोली भी यद्यपि बहुत-कुछ वही है, जो उप-भाषा है, पर यह अपेक्षया कुछ छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे—मेरठ या भोजपुर की बोली। यह केवल जन-साधारण की बोल-चाल की होती है। मातृ-भाषा वह है जो बच्चे अपनी माता की गोद में रहकर उससे सीखते और बोलते हैं। किसी की भाषा उसकी मातृ-भाषा से भिन्न भी हो सकती है। यदि पञ्जाबी माता-पिता की सन्तान बंगाल (या महाराष्ट्र) देश में जाकर वहाँ की भाषा बोलने लगे, तो कहा जायगा कि पञ्जाबी उसकी मातृ-भाषा और बँगला (या मराठी) उसकी भाषा है। मुहावरा (अरबी) किसी भाषा के शब्दों, क्रियाओं और उनसे बने हुए कुछ विशिष्ट प्रकार के गठे हुए पदों का वह रूप है जो मुख्यतः उसी

* वि-भाषा का वास्तविक अर्थ आज-कल के 'विकल्प' से मिलता-जुलता है। व्याकरण में ऐसे प्रयोग वि-भाषा कहलाते हैं, जो विकल्प से एक-दूसरे के स्थान पर चल सकते हों।

भाषा में चलता हो और दूसरी भाषाओं में जिसका अनुवाद न हो सकता हो। इसमें पदों के तर्क-सगत और व्याकरण-सिद्ध अर्थ से कुछ अलग और विलक्षण प्रकार का अर्थ निकलता है। किसी भाषण, लेख, भाषा या बोली में जिन सब शब्दों का प्रयोग होता है, उन सबका वर्ग या समूह शब्दावली कहलाता है। इसी शब्दावली को ठीक ढंग से और व्याकरण के नियमों के अनुसार पदों और वाक्यों का रूप देना शब्द-विन्यास कहलाता है। यह शब्दावली का विस्तृत, व्यवस्थित और व्यापक रूप है। (विशेष दे०—वाक्य)

भुगतान (Payment)

अग्रिम (Advance)	पूर्ति (Compensation)
ओल (Ransom)	पेशगी=अग्रिम
किराया (१. Hire, २ Rent)	प्रतिफल (Return)
क्षति-पूर्ति (Compensation*)	भाड़ा (Freight)
चुकता या चुकती (Full payment)	लगान (Rent)
निष्क्रय (Redemption)	हरजाना=क्षति पूर्ति

भुगतान हि० भुगताना (स० भोग, मुक्त, हि० भुगतना) से बनी हुई भाववाचक सज्ञा है। महाजनी क्षेत्र की परिभाषा में भुगतान का अर्थ है—जो

ॐ अंगरेजी में कम्पेन्सेशन का अर्थ हि० क्षति-पूर्ति की अपेक्षा बहुत-कुछ व्यापक है, और वहाँ वह किसी काम, चीज, सेवा आदि के बदले में दिये जानेवाले धन का भी वाचक है। इस दृष्टि से उसमें कमाई, भाड़े और वेतन तक का अन्तर्भाव हो जाता है। पर यहाँ इस शब्द का अधिक प्रचलित और सीमित अर्थ ही लिया गया है।

घन उचित या विधिक रूप से किसी को दिया जाने को हो, वह उसे देना; अर्थात् अपना देन चुकाना। जब किसी से उधार लिये हुए माल का दाम या हुडी के रूप में चुकाये जाते हैं, तब उसे पुरजे या हुडी का भुगतान कहते हैं। नौकरों का वेतन, मजदूरों की मजदूरी आदि चुकाना या देना भी भुगतान ही है। यही देन जब पूरा या सारा चुकाया जाता है, तब चुकता या चुकती कहलाता है। इसके बाद और कुछ देन बाकी नहीं रह जाता। अग्रिम वह धन है जो किसी को पारिश्रमक आदि निश्चित होने पर उस काम के मद्धे या कोई माल मँगाने के समय उसके दाम के मद्धे पहले से, बात पक्की करने के लिए, दिया जाता है। यह प्रायः पूरे दातव्य धन का कुछ अंश ही होता है। किसी को १००) पर किसी काम का ठीका देने के समय १०) या १०००) के माल का आदेश देने के समय ५०) अग्रिम भी दिया जा सकता है। पेशगी इसका फारसी समानक और अगाऊ हिन्दी समानक है। क्षति-पूर्ति का स्पष्ट अर्थ ही है—किसी की हानि पूरी करना। यदि हमारे किसी काम से आप की कोई क्षति या हानि हो जाय अथवा आपको किसी क्षति का उत्तरदायित्व हम पर हो और उसके बदले में हम आपको कुछ रकम देकर सन्तुष्ट करें, तो इस प्रकार कुछ देना क्षति पूरक कहलावेगा। हरजाना इसी का फारसी पर्याय है, जिसका शब्दार्थ है—किसी का कोई हरज (क्षति या हानि) होने पर उसके बदले में दिया जानेवाला धन। प्रस्तुत प्रसंग और लाक्षणिक रूप में पूर्ति भी क्षति-पूर्ति का ही पर्याय है, पर इसमें क्षति के सिवा त्रुटि या दोष दूर करने का भाव भी सम्मिलित है। हम कहते हैं—उनके ग्रन्थ (या लेख) के पूर्वाङ्क में जो त्रुटियाँ रह गई थीं, उनकी पूर्ति उन्होंने उत्तराङ्क में कर दी है। यहाँ भी बहुत-कुछ क्षति-पूर्ति वाला आशय ही निकलता है। प्रति-फल का शब्दार्थ है—किसी काम या बात के बदले में होने-वाला काम या बात, अर्थात् उसका फल। प्रस्तुत प्रसंग में यह किसी मिली हुई या पाई हुई चीज के बदले में दी जानेवाली चीज या किये जानेवाले काम का वाचक है। हम कहते हैं—उन्होंने आजन्म दरिद्र बने रहकर साहित्य की जो अनेक सेवाएँ की थीं, उन्हीं का शुभ प्रति फल आज उन्हें धन और मान दोनों रूपों में मिल रहा है। किराया और भाड़ा स-वर्गीय शब्द तो हैं ही, प्रायः एक

दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हुए भी देखे जाते हैं। किराया अरबी किराय का और भाडा स० भाटक (मजदूरी) का हिन्दी रूप है। प्रस्तुत प्रसंग में दोनों के अर्थों में इसलिए कोई विशेष अन्तर नहीं है कि जिस समय ये शब्द बने और चले थे, उस समय इनके अर्थों के सूक्ष्म भेदों का उतना और वैसा विचार नहीं हुआ था, जितना और जैसा आगे चलकर पाश्चात्य देशों में हुआ है। वर्तमान परिस्थितियों में इनके अर्थों का परिसीमन आवश्यक हो गया है*। किराया मुख्यतः मकान का और कभी-कभी जमीन का भी होता है। यदि हम रहने के लिए किसी का मकान ले या खेल-तमाशा करने के लिए किसी की जमीन† लें तो उसके बदले में हम उसके मालिक को जो धन देंगे, वह किराया कहलावेगा। भाडा वस्तुतः वह धन है जो किसी की कोई चीज थोड़े समय के लिए अपने काम में लाने पर उसके बदले में मालिक को दिया जाता है। यों हम हम ताँगे या रेल का भी किराया कह देते हैं, पर ऐसे अदसरोँ पर भाडा का प्रयोग अधिक उपयुक्त होगा। 'भाड़े का टट्टू' मुहावरे का पद यही सूचित करता है कि कुछ धन

ॐ अँगरेजी में इस वर्ग के तीन शब्द हैं—फ्रेंट, रेंट और हायर, पर हमारे यहाँ दो ही शब्द (किराया या भाडा) हैं, जिनका इन तीनों के साथ हमें सामजस्य बैठाना है। अँगरेजी में फ्रेंट उस माल या सामान का वाचक है, जो जहाजों या रेलों के द्वारा दूर के स्थान पर भेजा जाता है। रेंट किसी जमीन या उसपर बने हुए मकान के उपयोग के बदले में दिये और लिये जानेवाले धन का वाचक है। अँगरेजी में हायर का अर्थ है—बदले में कुछ धन देकर किसी की चीज का कुछ समय तक उपभोग करना। पर अब ये तीनों शब्द उस धन के भी वाचक हो गये हैं जो उक्त कामों के लिए दिये और लिया जाता है।

† खेती-बारी करने, बाग-बगीचा लगाने आदि के लिए जमींदारों से जो जमीन किसान लोग लेते थे, उसका किराया पारिभाषिक रूप में लगान कहलाता था। पर अब जमींदारी प्रथा उठ जाने के कारण इस प्रकार का जो किराया सरकार लेती है, उसे मालगुजारी कहते हैं।

देकर बदले में कुछ समय तक किसी से अपना काम निकाला जाता है। व्याह-शादी के समय किराये पर खेमे, तम्बू आदि मँगाकर लगाये जाते हैं। ओल ऐसा पुराना शब्द है जिसका प्रचलन अब उठ-सा गया है। यह स० ओड से व्युत्पन्न जान पड़ता है*, जिसका अर्थ है—लाकर पास पहुँचाना। प्राचीन काल में प्रायः युद्ध में कुछ लोग पकड़ लिये जाते थे और बदले में कुछ धन मिलने पर छोड़ दिये जाते थे। चोर, डाकू अब भी कहीं-कहीं लडको, बच्चों या स्त्रियों को उठा ले जाते हैं और कुछ धन मिलने पर उन्हें छोड़ देते हैं। कभी-कभी पराजित राजा अपने विजयी शत्रु को मन-माना धन न दे सकने के कारण अपने किसी सगे-सम्बन्धी को तब तक के लिए उसके हाथ सौंप देते थे, जब तक धन नहीं चुका सकते थे। दक्षिण के टीपू सुलतान ने अपने दोनो लड़को को इसी प्रकार कुछ समय के लिए लार्ड कार्नवालिस के पास भेज दिया था। इस प्रकार धन के बदले में किसी को अपने पास रोक रखना या किसी के हाथ किसी को सौंप देना तो ओल कहलाता ही है; उसके बदले में दिया और लिया जानेवाला धन भी ओल कहलाता है।

* हिन्दी शब्द-सागर में इसे स० क्रोड से व्युत्पन्न कहा गया है, और इसी लिए उदाहरण सहित इसका एक अर्थ क्रोड़ या गोद भी दिया गया है। पर न तो यह व्युत्पत्ति ही ठीक जान पड़ती है और न उदाहृत पद के ओल का अर्थ ही क्रोड़ या गोद है। यथा—सूरदान ताकौं डर का कौ हरि गिरिवर के ओले। यहाँ ओल शब्द आड या ओट का वाचक है, अथवा यह भी अर्थ हो सकता है—जो गिरिवर के हाथ सौंपा हुआ हो, अर्थात् उनकी संपुर्णता में हो। इस प्रकार यहाँ भी ओल का वही अर्थ या आशय है, जो ऊपर बतलाया गया है।

मन (Mind)

अन्तःकरण (Conscience)	प्रज्ञा (Wisdom)
आत्मा (१. Soul, २. Spirit*)	बुद्धि (१. Intellect, २. Wisdom)
चित्त=मन	मस्तिष्क (Brain)
चेतना (Consciusrness)	विवेक (Conscience)
तर्कणा (Reasoning)	समझ (Intelligence)

अर्थ, आशय और प्रयोग सभी के विचार से मन बहुत ही व्यापक शब्द है। शास्त्रीय दृष्टि से यह हमारे शरीर में रहनेवाला वह विशिष्ट तत्त्व या उन शक्तियों का समाहार है, जिनके द्वारा हम सब प्रकार के सकल्प-विकल्प करते, सब बातें सोचते-समझते और याद रखते तथा सब प्रकार के काम करते हैं। इच्छा, प्रयत्न, राग, विराग, सवेदन आदि इसी के द्वारा जाने भी जाते हैं और क्रियात्मक रूप में प्रयुक्त भी होते हैं। अनुभूति भी इसी को होती है और ज्ञान भी इसी में आता और रहता है। यह आत्मा, शरीर और हृदय तीनों से भिन्न और अन्तःकरण की एक वृत्ति के रूप में माना जाता है। वैशेषिक दर्शन में इसे अप्रत्यक्ष द्रव्य तथा बौद्ध दर्शन में छुटी इन्द्रिय माना है, और योग शास्त्र में इसी को चित्त कहा गया है। इधर हाल के पाश्चात्य विद्वानों ने इसे अ-भौतिक परन्तु शरीर से सम्बद्ध तत्त्व माना है, क्योंकि शरीर के नाश के साथ ही इसका भी अन्त हो जाता है; पर वे इसे आत्मा का गुण मानते हैं। हिन्दी में प्रयोग की दृष्टि से चित्त और मन में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अनेक अवस्थाओं में चित्त और मन पर्याय ही रहते हैं, केवल कुछ अवस्थाओं में वे स्वतन्त्र अर्थ या भाव के

ॐ अंगरेजी में प्रयोग की दृष्टि से 'सोल' और 'स्पिरिट' में जो सूक्ष्म अन्तर है, उसके विचार से हमारे यहाँ दो अलग-अलग शब्द नहीं हैं। दोनों के लिए एक आत्मा से ही काम चलता है। हाँ प्रेतात्मवाद के विचार से हम सोल को आत्मा और स्पिरिट को लिंग शरीर कह सकते हैं।

सूचक होते हैं। हम कहते हैं—(क) इस काम में हमारा मन नहीं लगता, (ख) आपसदारी में कोई बात मन में छिपाकर रखना ठीक नहीं, (ग) यह बात हमारे मन की नहीं हुई, (घ) उन्होंने अकारण हमसे मन मोटा कर लिया है, आदि। ऐसे प्रसंगों में यद्यपि मन के कई अलग-अलग अर्थ (प्रवृत्ति, विचार, विवेक, हृदय आदि) जान पड़ते हैं, पर मूलतः वे सब अर्थ उसी एक तत्त्व के सूचक होते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है। केवल स्थितियों, क्रिया-प्रयोगों और मुहावरों की छाया के कारण इनमें कुछ अर्थ-भेद दिखाई देता है। बुद्धि, प्रज्ञा और समझ एक वर्ग के शब्द हैं, फिर भी इनके अर्थों में थोड़ा-बहुत अन्तर है। बुद्धि शब्द उस बुध् धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ जागना है और जिससे बोध, बुद्ध, प्रबुद्ध आदि शब्द बने हैं। साख्यकार ने कहा है कि जिन समय जगत् पहले-पहल सुषुप्तावस्था से उठा (अर्थात् जागा) था, उस समय सबसे पहले महात्तत्त्व (जिसे बुद्धि-तत्त्व भी कहते हैं) का आविर्भाव हुआ था। बुद्धि को भी हमारे यहाँ मन की ही तरह अन्तःकरण की चार वृत्तियों में से एक माना है, पर पाश्चात्य विद्वान् मस्तिष्क को रसका अधिष्ठान (रहने की जगह) मानते हैं। प्रायः लोग इसका प्रयोग मन के स्थान पर भी कर जाते हैं, जैसे—यह बात हमारे मन में नहीं बैठती, और यह बात हमारी बुद्धि में नहीं आती। ऐसे अवसरों पर दोनों का आशय था बहुत-कुछ एक होता है। पर दार्शनिक दृष्टि से मन और बुद्धि अलग-अलग चीजें हैं। बुद्धि वस्तुतः वह तत्त्व या शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य किसी उपस्थित वस्तु या विषय के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरे से सुन, समझ या सीखकर अथवा कार्य-कारण आदि के सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए हम जो ज्ञान या बोध प्राप्त करते हैं, वह इसी बुद्धि के सहारे होता है। प्रज्ञा यो तो बुद्धि का पर्याय ही है, फिर भी है यह बुद्धि का कुछ विकसित और संस्कृत रूप। यह मनुष्य की वह शक्ति है जो अध्ययन, अभ्यास आदि के द्वारा सम्पादित की जाती है और जिसकी सहायता से वह सब बातों का आगा-पीछा और ऊँच-नीच सहज में समझकर अपने सब कार्य करता है। यह अनुभव, पांडित्य और विचार-शीलता का प्रकाशमान् सम्मिश्रण है—यह गटी, तराशी और खराद पर चढ़ाकर तैयार की हुई बुद्धि है। इसमें

साधारण बुद्धि की तुलना में अधिक गम्भीरता और गहनता है। समझ सं-संबुद्ध (प्रा० समुब्ध, समुब्ध) से व्युत्पन्न है। यद्यपि इस संबुद्ध में का बुद्ध भी बुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है, तो भी बुद्धि और समझ में कुछ अन्तर है। यो कुछ अंशों में बुद्धि और समझ समानक तो हैं ही*, फिर भी आगे चलने पर दोनों का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। तात्त्विक दृष्टि से बुद्धि तो सामान्य और साविक शब्द है, जो हमारी विशिष्ट मानसिक शक्ति का वाचक है, पर समझ विशिष्ट रूप से उसका वह वैयक्तिक अभिव्यञ्जन है, जो प्रायः कार्य-क्षेत्र में सबके सामने आता है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके जितनी बातें जानते हैं, उनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, और उस ज्ञान के बल से हम में अच्छी तरह काम करने की जो योग्यता आती है, वही समझ कहलाती है। यह हमारी बुद्धि का क्रियात्मक और व्यावहारिक रूप है। इसके सिवा कोई बात समझना बुद्धि के बहुत-से कामों में से एक काम है। इसी लिए बुद्धि से समझ कुछ छोटे और हल्के दरजे की चीज मानी जाती है, और इसका क्षेत्र कुछ परिमित होता है (दे०—'बुद्धिमान्' के अन्तर्गत 'समझदार')। तर्कणा यों तो इसी बुद्धि का एक धर्म या व्यापार है, पर हम इसे मन का कार्य भी कह सकते हैं। संस्कृत में तर्क का अर्थ है—कुछ जानने या पता लगाने का प्रयत्न करना, चाहे यह प्रयत्न कल्पना के आधार पर हो, चाहे बुद्धि के द्वारा। वस्तुतः यही प्रयत्न तर्कणा है। प्रस्तुत प्रसंग में तर्कणा हमारे मन की वह शक्ति है, जिसके आधार पर हम कार्य कारण आदि के स्वरूप देखकर और सोच-समझकर कुछ निष्कर्ष निकालते या सिद्धान्त स्थिर करते हैं। इसकी सहायता से हमें नई-नई बातों का बोध होता और हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसके द्वारा हम सत्य का स्वरूप भी देख सकते हैं और अपने विरोधियों की बातों या मतों की त्रुटियाँ या दोष देखकर उन्हें ठीक रास्ते पर भी ला सकते हैं। मस्तिष्क सं० मस् से बना है, जिसका अर्थ है—नापना या परिमाण स्थिर करना। इसी मस् के आधार पर गरदन का ऊपरी भाग मस्तक

❀ हम यह तो कहते ही हैं—जरा बुद्धि से काम लिया करो, पर ऐसे अवसरों पर बुद्धि की जगह समझ का भी प्रयोग करते ही है।

कहलाता है; और मस्तक के अन्दर जितने अवयव या यन्त्र हैं, उन सबका सामूहिक नाम मस्तिष्क है। बुद्धि और विचार से सम्बन्ध रखनेवाले जितने काम हम करते हैं, उन सबका उद्गम यही मस्तिष्क है—यही हमारी बुद्धि का अधिष्ठान है। जो पाश्चात्य विद्वान् मन और बुद्धि को बहुत-कुछ एक समझते हैं, वे मस्तिष्क को बुद्धि के सिवा मन का भी अधिष्ठान मानते हैं। शरीर के इसी अंग को सब बातों का बोध होता है, यहीं सारी कल्पनाएँ और विचार उत्पन्न होते तथा निश्चय अपना रूप प्राप्त करते हैं। चेतना उसी चित् घातु से बना है, जिससे चित्त, चित्र, चिकित्सा, चेतन, चैतन्य आदि शब्द बने हैं। चित् का अर्थ है—ध्यान या मन लगाकर देखना, समझना आदि। यह हमारे मन की वह वृत्ति है जो मुख्यतः ज्ञान से सम्बद्ध है। हम जो कुछ देखते, जानते, सोचते, समझते, चाहते या अनुभव करते हैं, उन सबका ज्ञान हमें इसी शक्ति से प्राप्त होता है। यह शक्ति मनुष्य में भी होती है और जीव-जन्तुओं में भी। इसी के नष्ट या अक्रिय होने पर हम अचेत या बेहोश होते हैं। विवेक हमारे मन की वह आन्तरिक वृत्ति या शक्ति है, जिसके द्वारा हम यह विवेचन करते हैं कि हमारे सामने जो चीजें या बातें हैं, उनमें से अच्छी कौन है और बुरी कौन। भले और बुरे, सत्य और मिथ्या, सार और असार आदि की पहचान या विचार ही इसका मुख्य काम है। हम बातों या वस्तुओं के वर्गीकरण भी इसी शक्ति के आधार पर करते हैं। यह बुद्धि, विचार, शिक्षा आदि से परिष्कृत भी होता है। हम कहते हैं—आपकी बात तो हमें ठीक मालूम होती है, फिर भी हमारा विवेक (अन्तःकरण या मन) हमें यह काम करने से रोकता है। आशय यही होता है कि आपकी बात तर्क-सगत और बुद्धि-ग्राह्य होने पर भी हमारी आत्मा इसे ग्रहण या मान्य नहीं करती। यह भी माना जाता है कि विवेक सदा शुद्ध और सत्य के पक्ष में रहता है। वह न तो कभी बुरी बातों के पक्ष में होता है, न उनका समर्थन करता है। हम कहते हैं—उसने अपने विवेक को हत्या कर डाली है। आशय यही होता है कि उसने अपनी आत्मा या वह आत्मिक शक्ति अक्रिय कर दी है जो मनुष्य को सन्मार्ग दिखलाती और उस पर चलाती है। अन्तःकरण का शब्दार्थ है—अन्दर की इन्द्रिय। पर प्रयोग के विचार से यह पूर्णतः विवेक

का और अशत मन का भी वाचक होता है। अन्तःकरण हमारी विशुद्ध मन नामक इन्द्रिय का वाचक है; उसके अभिलाषा, इच्छावाले अर्थों का इसमें अन्तर्भाव नहीं है। विवेक के द्वारा हम विवेचन का जो काम करते हैं, वह इसी अन्तःकरण की प्रेरणा और शक्ति से करते हैं। आत्मा (सं० आत्मन्*) की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मत-भेद है। कुछ लोग इसे अन् (साँस लेना) से, कुछ लोग अत् (निरन्तर गति में रहना या चलना) से और कुछ लोग त्मन् (प्राण वायु) से व्युत्पन्न मानते हैं। दार्शनिकों में इसके स्वरूप के सम्बन्ध में भी दो मत हैं। कुछ लोग इसे प्रकृति से भिन्न रखते और ब्रह्म के अश के रूप में इसकी स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। ऐसे लोग आत्मवादी कहलाते हैं। पर कुछ लोग इसके विपरीत इसे प्रकृति का ऐसा विकार मात्र मानते हैं जो शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और अन्त में उसी के साथ नष्ट भी हो जाता है। आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता न मानने के कारण ही ऐसे लोग अनात्मावादी कहलाते हैं, जिनमें आज-कल के नये वैज्ञानिकों की संख्या ही अधिक है। पर अब इनमें से भी बहुतेरे आत्मावादी होते जा रहे हैं। फिर भी दोनों के मत से यह ऐसी शक्ति है जो शरीर में रहने पर उसे जीवित रखती और उससे सब काम कराती है और जिसके नष्ट हो जाने पर (या शरीर में न रह जाने पर) शरीर मर जाता है। प्रायः धार्मिक क्षेत्रों में (जहाँ यह शरीर से पृथक् सत्ता और ब्रह्म का अश मानी जाती है) यह विश्वास है कि आत्मा एक अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्त्व या पदार्थ है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर के सभी व्यापार इसी के अस्तित्व के कारण और फल-स्वरूप होते हैं। लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग किसी वस्तु या विषय के उस आन्तरिक, गूढ़ और मूल तत्त्व के लिए होता है जो उसका सार-भाग होता है और जिस तत्त्व तक साधारण लोगों की पहुँच नहीं होती—

✽ संस्कृत में आत्मा (आत्मन्) पुलिग है। हिन्दी में यद्यपि इसके सभी यौगिक रूप (जैसे—धर्मात्मा, परमात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा आदि) पुलिग ही माने जाते हैं, फिर भी स्वयं आत्मा का प्रयोग अधिकतर स्त्री-लिंग रूप में ही होता आ रहा है।

केवल विचारशीलों की पहुँच होती है। जैसे—कविताएँ पढ़ जाना या शब्दों का प्रयोग कर लेना और बात है; पर उनको आत्मा तक पहुँचनेवाले विरले ही होते हैं।

महक (Scent)

खुशबू=सुगन्ध

वास (Odour)

गन्ध (Smell)

सुगन्ध (Aroma)

परिमल (Perfume)

सौरभ (Fragrance)

बू=गन्ध, वास, महक

महक स० महक* से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है—दूर तक फैलनेवाली सुगन्ध। यद्यपि इसका प्रयोग अधिकतर अच्छी गन्ध के लिए होता है, फिर भी कुछ अवस्थाओं में यह हर तरह की गन्ध या वास के लिए भी प्रयुक्त होता है। हमें इत्र या फूलों की तो महक आती ही है; कपड़े के जलने की भी महक आती है और मरे हुए चूहे या बिल्ली की भी। और इस दृष्टि से यहाँ यह गन्ध और वास दोनों का वाचक और पर्याय बन गया है। गन्ध अच्छी और बुरी सब तरह की हो सकती है। हमारे यहाँ जो बहुत-से गन्ध-द्रव्य गिनाये गये हैं, वे सबके सब सदा सुगन्धित ही नहीं होते, उनमें से कुछ की गन्ध अप्रिय, उग्र या कटु भी होती है। इसी लिए इसके इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, स्निग्ध, रूक्ष आदि नौ-दस भेद माने गये हैं, पर व्यवहारतः मुख्य भेद दो ही हैं—इष्ट और अनिष्ट, अर्थात् सुगन्ध और दुर्गन्ध। संस्कृत में यह सुगन्ध का भी वाचक है, इसी लिए देवताओं को सुगन्धित द्रव्य अर्पित करने के समय कहा जाता है—

❀ हिन्दी शब्द-सागर में इसे स० गमक से व्युत्पन्न माना गया है, जो ठीक नहीं है।

गन्धा पान्तु । पर परियों आदि की कहानियों में बच्चों को सुनाया जाता है कि जब उनके आस-पास मर्त्य लोक का कोई आदमी पहुँच जाता है, तब वे आपस में 'मानस-गन्ध, मानस-गन्ध' कहकर नाक-भौं सिकोड़ने लगती हैं। अर्थात् ऐसे अवसरो पर यह अप्रिय दुर्गन्ध का भी वाचक हो जाता है। शिकारी कुत्ते शिकार की गन्ध के आधार पर उनका पीछा करते हैं, और जंगल में गौ-बकरियों आदि को शेर या चीते की गन्ध आने पर वे विकल होने लगती हैं। यद्यपि उनकी यह विकलता स्वभावतः प्राण-भय से होती है, फिर भी शेर या चीते की गन्ध होती सबके लिए अनिष्ट या अप्रिय ही है, और उसकी गिनती दुर्गन्ध में ही होती है। हमारे यहाँ सङ्घर्ष आदि की तरह के जो कई शब्द प्रचलित हैं, उनमें का 'घ' इसी गन्ध का विकृत रूप है। तो भी गन्ध शब्द साधारण वास का ही वाचक है, और इसी लिए इससे सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों शब्द बनते हैं। फारसी का बू शब्द भी स० गन्ध या वास का समानक ही है। यद्यपि कहीं-कहीं यह खुशबू या सुगन्ध का भी अर्थ देता है*, तो भी यह है साधारण गन्ध या वास ही, और इसी लिए इससे भी सुगन्ध और दुर्गन्ध की तरह खुशबू और बदबू शब्द बनते हैं। हम कह सकते हैं कि गन्ध, वास, महक और बू चारों शब्द अर्थ या भाव के विचार से अमर्यादित हैं, और इनका प्रयोग सभी प्रसंगों में बिना किसी विशेष विचार के होता है। अच्छा या बुरा भाव सूचित करने के लिए इनके आरम्भ में उस प्रकार के उपसर्ग लगाने पड़ते हैं। पर महक शब्द तत्सम नहीं, बल्कि तद्भव है, इसलिए उसके पहले कोई उपसर्ग नहीं लगता। वास शब्द के अर्थ में एक और भाव भी लग गया है, और वह है किसी चीज को किसी दूसरी चीज की गन्ध या महक से युक्त करने का। कई तरह की लकड़ियों, जानवरों या उनके कुल्लु अंगों और अधिकतर अच्छे फूलों में तो स्वयं सुगन्ध होती है, पर कपड़े सदा इत्र और फूलों से सुवासित किये जाते हैं, सुगन्धित नहीं किये जाते। प्राचीन काल में रानी-महारानियाँ अपने सिर के

❀ गुल्लिस्तों में जाकर हर एक गुल्ल को देखा ।

न तेरी सी रगत, न तेरी सी बू है ॥—कोई शायर ।

बाल अग्ररु आदि के धूँ से सुवासित ही करती थीं, सुगन्धित नहीं। आशय यही है कि सुगन्ध तो पदार्थों में स्वयं ही होती है; पर सुवास उनमें हो भी सकती है और बाहर से लाकर युक्त भी की जा सकती है। परिमल मुख्यतः फूलों से निकलनेवाली वह प्रिय सुगन्ध है जो कुछ ही दूर तक पहुँचती है। सौरभ सं० सुरभि से बना है और सुरभि का भी एक अर्थ है—सुगन्ध। पर सौरभ मुख्यतः वृक्षों और वनस्पतियों की फूल-पत्तियों से निकलनेवाली वह हलकी सुगन्ध है जो हवा के साथ मिलकर बहुत दूर-दूर तक फैलती है।

माध्य (Average)

औसत=माध्य

मध्यक (Mean)

पड़ता=माध्य

माध्यिका (Median)

प्रसमा* (Norm)

सम (Par)

इस वर्ग के शब्द ऐसे मान, संख्या, स्थिति आदि के सूचक हैं जो औरों के बीच में या उस (बीच) के आस-पास पड़ती हैं। माध्य सं० मध्य से बना हुआ विशेषण है; पर प्रस्तुत प्रसंग में यह अपने वर्ग के और शब्दों की तरह सजा रूप में ही प्रयुक्त होता है। हाँ, एक प्रसमा को छोड़कर प्रसंगवश शेष

* यद्यपि डा० रघुवीर ने नॉर्म (Norm) और (Normal) के लिए क्रमात् 'सामान्यक' और 'सामान्य' शब्द सुझाये हैं, पर ये शब्द इसलिए ठीक नहीं हैं कि सामान्य अ० कॉमन (Common) के लिए चल गया है। हमारी समझ में नॉर्म के लिए 'प्रसमा' और नॉर्मल के लिए 'प्रसम' रखना ठीक होगा। इससे प्रसमतः (नॉर्मली), प्रासमिक (नॉर्मेटिव), अप्रसम (एबनॉर्मल) अप्रसमतः (एबनॉर्मली), अनुप्रसम (सब-नॉर्मल) और अनुप्रसमतः (सब-नॉर्मली) सभी रूप सहज में बन जाते हैं।

सत्र शब्दों का प्रयोग विशेषण रूप में भी हो सकता है। माध्य के लिए उसके अरन्त्री समानक औसत का भी हिन्दी में प्रचलन है। हमारे यहाँ की महाज्जनी बोल-चाल में इसे पड़ता कहते हैं, और इसके साथ निकालना तथा बैठानः क्रियाओं का प्रयोग होता है। यह मुख्यतः गणितीय क्षेत्र का शब्द है, और उस भाग-फल के लिए प्रयुक्त होता है जो कई सख्याओं के जोड़ को उतने से भाग देने पर प्राप्त होता है, जितनी सख्याएँ गिनती में होती हैं। मान लीजिए कि किसी वर्ग या श्रेणी में १०, किसी में १५, किसी में २०, किसी में २५ और किसी में ३० विद्यार्थी हैं। इस प्रकार कुल ५ श्रेणियों में सब मिलाकर १०० विद्यार्थी हुए। इन पाँचों श्रेणियों के विद्यार्थियों का माध्य निकालने के लिए विद्यार्थियों की सख्या १०० को श्रेणियों की सख्या ५ से भाग देने पर भाग-फल २० निकलेगा, और तब हम कहेंगे—इस विद्यालय की पाँचों श्रेणियों में विद्यार्थियों का माध्य (या औसत) २० है। यदि किसी बस्ती के १० आदमियों की मासिक आय १००), १० की ८०), १० की ६०), और १० की ४०) हो तो इन ४० आदमियों की मासिक आय कुल मिलाकर २८००) होगी। २८०० को ४० से भाग देने पर भाग-फल ७० निकलेगा, और तब कहा जायगा—इस बस्ती के रहनेवालों की माध्य आय ७०) मासिक है। अर्थात् जहाँ मान, सख्या आदि में बहुत-सी असमानताएँ होती हैं, वहाँ उन सबका समान मोटा हिस्सा लगाने के लिए उसका माध्य निकाल लिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के पुराने आँकड़ों या माध्यों के आधार पर भावी घटनाओं या उनकी सम्भावनाओं का भी अनुमान या कल्पना की जाती है। यदि काशी की वार्षिक वर्षा का माध्य ४० इंच है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ साधारणतः हर साल ४० इंच पानी बरसता है। हाँ, विशेष अवस्थाओं में कभी इससे कुछ कम और कभी कुछ अधिक पानी भी बरस सकता है। मध्यक विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिन्दुओं, सख्याओं आदि के ठीक बीच का बिन्दु या संख्या है। यदि २४ घरों में किसी स्थान का तापमान उतरकर ६५ अंश हो जाय और बटकर १०५ अंश तक पहुँच जाय तो ताप-मान का मध्यक १०० होगा। ८ और १६ का मध्यक १२ होगा, २० और

४० का मध्यक ३० होगा* । बीच का विन्दु या स्थिति ही मध्यक कहलाती है । माध्यिका ठीक बीच का वह विन्दु है जिसके ऊपर और नीचे दोनों ओर संख्या के विचार से बराबर इकाइयाँ हों । इसमें केवल क्रमिक दृष्टि से ठीक बीचवाले अंक, विन्दु या स्थिति के सिवा और किसी बात का विचार नहीं होता । इसे निकालने के लिए ऊपर और नीचे की इकाइयाँ भर गिन लेनी पड़ती हैं, गणित की और कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती । १, २, ३, ४ और ५ की माध्यिका ३ होगी, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ और १५ की माध्यिका ११ होगी । माध्य, मध्यक और माध्यिका के पारस्परिक अन्तर एक और प्रकार से सहज में समझे जा सकते हैं । मान लीजिए कि किसी जगह ५ आदमी रहते हैं । उनमें से एक ३०), दूसरा ४०), तीसरा ५०), चौथा ८०) और पाँचवाँ १००) मासिक वेतन पाता है । पाँचों मिलकर ३००) मासिक पाते हैं । ३०० को ५ से भाग देने पर भाग-फल ६० निकलता है । अतः पाँचों आदमियों की मासिक माध्य आय ६०) हुई । अब एक आदमी तो सबसे कम ३०) पाता है और एक सबसे अधिक १००) पाता है । अब यदि हम ३० और १०० का मध्यक निकालें तो वह ६५ होगा, क्योंकि ३० और १०० के ठीक बीच में ६५ ही पड़ता है । पर यदि हम इन्हीं ३०, ४०, ५०, ८० और १०० की माध्यिका देखेंगे तो वह ५० ही ठहरेगी, क्योंकि वही पाँचों इकाइयों या संख्याओं के ठीक मध्य में है । प्रसमा (दे० 'नियमित' के अन्तर्गत 'प्रसम') नया बनाया हुआ शब्द है । पहले सम में प्र उपासर्ग लगाकर प्रसम (विशेषण) बनाया गया है, और तब इस प्रसम से सज्ञा बनाने के लिए उसके अन्त में 'की मात्रा' लगा दी गई है । यह भी है तो एक प्रकार का माध्य (या औसत) ही, पर इसकी विशेषता यह है कि यह सदा ठीक उस प्रकार की गणितीय क्रिया के आधार पर स्थिर नहीं की जाती, जिस प्रकार की क्रिया से माध्य स्थिर किया जाता है । प्रसमा बहुधा अनुमान, कल्पना,

❖ पाटी गणित में तो ४ और १६ का मध्यक १० होगा, पर इन्हीं ४ और १६ का ज्यामितिक मध्यक ८ होगा; क्योंकि $४ \times १६ = ६४$ होता है, और ६४ का वर्ग-मूल ८ होता है ।

पर्यवेक्षण आदि के आधार भी स्थिर होती है। मान लीजिए कि किसी स्थान पर १०० लडकों की, किसी स्थान पर २०० लडकों की और किसी स्थान पर ५०० लडकों की धारणा शक्ति की जाँच हुई। सब जगह की जाँच करके यह स्थिर किया गया कि १० वर्ष की अवस्था के लडके इतनी बाते, १२ वर्ष की अवस्था के लडके इतनी बाते और १६ वर्ष की अवस्था के लडके इतनी बाते जान या सीख सकते हैं। यही उन अवस्थाओं के शेष सभी लडकों की अलग-अलग प्रसमा मान ली जायगी। जब सब का माध्य नहीं निकाला जा सकता और केवल कुछ का माध्य निकालकर शेष सबके सम्बन्ध में कोई मानक या मान-दंड स्थिर कर लिया जाता है, तब वही मानक या मान दंड प्रसमा बन जाता है। समाज-शास्त्र में चोरों, डाकुओं, हत्यारों और दूसरे प्रकार के अपराधियों की इस प्रकार जाँच करके उनके सम्बन्ध में प्रसमा स्थिर कर ली जाती है; और इसी आधार पर कहा जाता है—अमुक व्यक्ति की मानसिक स्थिति प्रसम है, अमुक की अ-प्रसम (प्रसम से कुछ ऊँची) और अमुक की अनुप्रसम (प्रसम से कुछ नीची)। जहाँ वार्षिक वर्षा का माध्य ४० इंच होता है, वहाँ प्रसमत प्राय ३७-३८ से ४२-४३ इंच तक वर्षा होती है। यदि वर्षा ३०-३२ इंच होकर रह जाय तो इसे अनुप्रसम कहेंगे, और यदि वह बढ़कर ४८-५० इंच तक पहुँच जाय तो वह अ-प्रसम कहलावेगी। सम संस्कृत का प्रसिद्ध विशेषण है, जिसके अर्थ हैं—तुल्य, बराबर, समान आदि। प्रस्तुत प्रसम में इसका प्रयोग मुख्यतः व्यापारिक क्षेत्रों में किसी वस्तु का मौलिक मूल्य सूचित करने के लिए होता है। जैसे—अमुक कम्पनी (व्यापारिक मंडली) के हिस्से आज-कल सम पर बिक रहे हैं। आशय यही होता है कि प्रत्येक हिस्से पर जितना मूल्य लिखा है अथवा जितने पर वह मूल्य सब लोगों के हाथ बेचा गया था, उतने ही मूल्य पर वह अब भी बाजार में बिक रहा है। यदि उसका दाम बढ़ जाय तो कहेंगे—वह 'अधि मूल्य पर' (एबव पार) बिक रहा है; और यदि घट जाय तो कहेंगे—वह 'अव मूल्य पर' (बिलो पार) बिक रहा है। पर ये आज-कल के नये गठे हुए पद हैं। हमारे यहाँ की पुरानी महाजनी बोल-चाल में 'सम मूल्य पर' की जगह 'बराबर (या बराबरी) से,' 'अधि मूल्य पर' की जगह 'बढ़ती से' और 'अव मूल्य पर' की जगह 'बट्टे

से' पद बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। लाल्गिक रूप में भी सम का प्रयोग प्रायः माध्य और माध्यिका के अर्थ में होता या हो सकता है। हम कह सकते हैं—आज-कल हमारा स्वास्थ्य सम (या सम पर) है। आशय यही होता है कि वह साधारणतः जैसा रहता आया है, वैसा ही है, न अधिक अच्छा है, न अधिक बुरा।

मानक (Standard)

आदर्श (Ideal) प्रतिमान (१ Model, २ Pattern)
 कसौटी (१. Touchstone, मान-दंड=माप-दंड
 २. Criterion) माप-दंड (Yardstick)

गज=माप-दंड

संस्कृत में मान के अनेक अर्थ हैं, जैसे—नाप, तौल, लम्बाई-चौड़ाई, आकृति की समानता आदि। प्रस्तुत प्रसंग में मान शब्द इन सब बातों का सामूहिक वाचक माना गया है; और इसी अर्थ के विचार से उसमें क प्रत्यय लगाकर मानक बनाया गया है*। किसी वस्तु की नाप-तौल, रूप-रंग, आकार-प्रकार अथवा किसी बात के गुण, महत्त्व, विशेषता आदि जाँचने और स्थिर रखने

❖ प्रायः ८-१० वर्ष पहले मैंने 'अच्छी हिन्दी' के किसी आरम्भिक संस्करण में अ० स्टैण्डर्ड (Standard) के लिए मानक शब्द सुझाया था। उस समय कुछ लोगो ने इस पर कड़ी टीका-टिप्पणी की थी। पर अब यह शब्द अच्छी तरह चल गया है, और भारत सरकार तक ने इसे मान लिया है, और दिल्ली में 'भारतीय मानक संस्था' (Indian Standard Institute) के नाम में इसे स्थान मिला है।

के लिए प्रायः आधिकारिक रूप से जो मान या माप सब जगह चलता और ठीक माना जाता है, वही मानक कहलाता है। इसी मानक के विचार से चीजों या बातों के बढ़िया-घटिया और अच्छे-बुरे होने का अनुमान तथा निर्णय किया जाता है। इस दृष्टि से हम इसे आदर्श माध्य (दे०—माध्य) भी कह सकते हैं। जैसे—आज-कल मानक सेर ८० तोले का और मानक गज ३६ इंचों का माना जाता है। इसी आधार पर रासायनिक क्रियाओं से तेल, मद्य आदि का भी मानक इसलिए स्थिर कर लिया जाता है कि उनकी उपयोगिता, गुण आदि स्थिर रहें—मिलावट आदि के कारण कम न होने पावे। इसी तरह हम कुछ अमूर्त बातों के लिए भी अपने मन में कुछ मानक स्थिर कर लेते हैं, और कहते हैं—(क) आज-कल अमुक पत्र या पत्रिका अपने मानक से गिर गई है; अथवा (ख) वे अपनी साहित्यिक रचनाओं का मानक दिन पर दिन ऊँचा करते चलते हैं। आशय यही होता है कि साधारणतः जो अच्छी स्थिति होनी चाहिए या रहती आई है, उससे (क) पत्रिका नीचे गिरती जा रही है या (ख) रचनाएँ ऊपर उठती जा रही हैं। यह गुण-दोष आदि की परख का एक स्थिर प्रतिमान ही होता है। आदर्श का शब्दार्थ तो है—आँखों से देखना, पर साधारणतः यह दर्पण या शीशे का वाचक है। प्रस्तुत प्रसंग में और हिन्दी में विशेष प्रचलित रूप में आदर्श वस्तुतः किसी बात की वह श्रेष्ठतम अवस्था या स्थिति है जिस तक हम आगे बढ़ते हुए अन्त तक पहुँचना चाहते हैं। आदर्श वस्तुतः अवास्तविक और प्रायः काल्पनिक होता है। हम पहले किसी बात या वस्तु की पूर्णता का जो रूप अपने मन में बना लेते हैं, वही हमारा आदर्श कहलाता है; और उसी की सिद्धि के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार आदर्श हमें सदा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा करता है। कुछ अवस्थाओं में आदर्श वास्तविक भी होता है। महात्मा गान्धी ने राम-राज्य को अपना आदर्श मान रखा था, और अनेक देश-भक्तों ने स्वयं महा० गान्धी को अपना आदर्श मान लिया था। प्रतिमान का शब्दार्थ है—जोड़ की या बराबरी करनेवाली चीज या बात। पर हिन्दी में यह मुख्यतः दो अर्थों में चलता है। एक तो वह चीज होती है, जिसे हम नमूना मानकर उसके अनुरूप कोई दूसरी चीज तैयार करते हैं। दूसरे, वह चीज भी होती है

जो हम पहले नमूने के तौर पर बनाकर रख लेते हैं, और तब उसके अनुसार दूसरी बहुत-सी चीजें बनाते हैं* । प्रतिमान इन दोनों तरह की चीजों का वाचक है । इसमें मुख्य भाव यही है कि कोई चीज नमूना मान ली जाय, और तब उसके अनुरूप और चीज या चीजें बनाई जायें । प्रतिमान किसी बनाई जानेवाली चीज का वह आदर्श रूप होता है, जिसकी सहायता से और अनुकरण पर उस वस्तु की दूसरी प्रतियाँ या प्रतिकृतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं । कारीगरों को जब कोई मकान या मूर्ति बनानी होती है, तब वे पहले उसका एक प्रतिमान बना लेते हैं, जिससे उसके आकार-प्रकार, रूप-रंग, गुण-दोष आदि का पहले से विवेचन कर लेने का अवसर मिलता है । जब वह प्रतिमान हर तरह से ठीक हो जाता है, तब उसी के अनुकरण और आधार पर वास्तविक मकान या मूर्ति बनती है । यदि पहले से बनी हुई कोई अच्छी चीज सामने होती है और उसी के अनुकरण पर कोई और चीज या कुछ और चीजें बनने को होती हैं, तो वह पहली चीज भी प्रतिमान ही कहलाती है । हर तरह से प्रतिमान वह नमूना है जिसके अनुकरण पर कोई चीज बनती है । कसौटी स० कष-पट्टिका से व्युत्पन्न है, और मूलतः विशिष्ट प्रकार के उस काले पत्थर की वाचक है, जिस पर कस (या रगड) कर सोने या उसके अभूषणों आदि के खरे-खोटे होने की परीक्षा की जाती है । लाक्षणिक रूप में कसौटी में मुख्य भाव गुण-दोषों की जाँच या परख का है, और इसका प्रयोग यही जानने या सूचित करने के लिए होता है कि कोई चीज किसी नियम, सिद्धान्त आदि के विचार से कहाँ तक पूरी या अधूरी है । ऐसी जाँच वस्तुओं की भी हो सकती है, विचारों की भी और व्यक्तियों की भी । इससे उनके गुण, प्रकार, रूप और विशेषता का पता चलता है । हर चीज या बात की कसौटी हमें उसके सम्बन्ध में उचित और ठीक निर्णय करने में सहायता देती है । हम कहते हैं—सत्यता (या सौजन्य) मनुष्य की सबसे बड़ी कसौटी है । आशय यही होता है कि जिसमें पूरी-पूरी सत्यता (या सौजन्य) न हो, वह वास्तविक दृष्टि से

* अंगरेजी में इन दोनों भावों के सूचक दो अलग-अलग शब्द (मॉडल और पैटर्न) हैं, पर हमारे यहाँ इनका काम अकेले प्रतिमान से ही चलता है ।

मनुष्य नहीं है। गज (फारसी गज) हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है। यह लकड़ी, लोहे, फीते आदि की वह चीज है जिससे लकड़ियाँ, पत्थर, कपडे आदि नापे जाते हैं। मान-दड या माप-दड भी शब्दार्थ के विचार से वही है, जो गज है। किसी वस्तु का मान या माप जानने के लिए जिस दड का व्यवहार किया जाय, वही मान-दड या माप दड कहलाता है। लाक्षणिक रूप में ये तीनों शब्द भी बहुत-कुछ उसी अर्थ में प्रचलित हैं, जो ऊपर मानक का बतलाया गया है। हम कहते हैं—आप हमें अपने गज (या माप-दड) से नापने का प्रयत्न न करें। आशय यही होता है कि व्यावहारिक क्षेत्र में आप हमें उस तरह का आदमी न समझे, जिस तरह के स्वयं आप हैं। पहले हिन्दी में मान-दड का ही अधिक प्रयोग होता था; पर अब इसके स्थान पर मानक शब्द चलने लगा है।

मिलान

तुलना (Comparison) मेल=मिलान (आंशिक रूप में)
परितुलन (Collation) व्यतिरेक (Contrast)

मिलान हिन्दी की सर्कर्मक क्रिया मिलाना का भाव-वाचक रूप है। मिलान के कई अर्थ हैं, जैसे—मिश्रित करना, सयुक्त करना, सम्मिलित करना, साथ लगाना या सटाना आदि, और साधारणतः इन सभी क्रियाओं का भाव मिलान से निकलता या निकल सकता है। फिर भी यह शब्द कुछ ऐसे विशिष्ट भावों से युक्त है, जो मुख्यतः तुलना के वर्ग के हैं। हम प्रायः गुण-दोष, न्यूनता-विशेषता आदि परखने के लिए चीजों का आपस में मिलान करते हैं। कहा जाता है—इन कपडों (या पुस्तकों) का मिलान करके देख लीजिए, आप ही पता चल जायगा कि कौन रखने योग्य हैं और कौन लौटाने योग्य। किसी मूल लेख की प्रतिलिपि के ठीक होने की जाँच भी सदा मिलान करके ही की जाती है। आय-व्यय आदि की सब मदों की रकमों के जोड़ और बाकी का मिलान करके

देखा जाता है कि हिसाब में क्यों और कहाँ फरक पड़ता है। यहाँ मिलान में मिलाकर देखने का ही भाव है। बढई, राज आदि इस बात की जाँच करते हैं कि लकड़ियों या दीवार के कोनों का ठीक मिलान हुआ है या नहीं। ऐसे प्रसंगों में मिलान ठीक तरह से मिले या सटे हुए होने का वाचक होता है। इस प्रकार मिलान उस क्रिया का वाचक है, जिससे किसी चीज के ठीक होने अथवा जैसी चाहिए, वैसी होने का पता चलता है। हाँ मिलाने का जो मिश्रित या सयुक्त करनेवाला अर्थ है, उसका भाव-वाचक रूप मिलान नहीं है*। हम यह नहीं कह सकते—इस दूध में पानी का मिलान है, अथवा इली स्टेशन पर दोनों गाड़ियों का मिलान होगा। ऐसे अवसरों पर मेल का प्रयोग ही ठीक होगा। तुलना सं० तुल् धातु से बना है, जिसके अर्थ हैं—ऊपर उठाना, भार का पता लगाना आदि। इसी तुल् से संस्कृत के तुला, तुल्य, तोलन आदि शब्द और हिन्दी के तौल, तौलना, तौलाई आदि शब्द बने हैं। सज्ञा रूप में तुलना† मुख्यतः ऐसा अन्वेषण या विचार कहलाता है, जिससे पता चलता है कि सामने आई हुई वस्तु या अधिक चीजों में से कौन-सी भारी और कौन-सी हलकी है, अथवा कौन सी अच्छी और कौन-सी बुरी है। अर्थात् चीजों के गुण, महत्त्व, मान आदि का विचार करके ठीक पता लगाना ही तुलना का उद्देश्य होता है। तुलना उन्हीं चीजों में या उन्हीं चीजों की होती है, जिनमें आकार, प्रकार, गुण, धर्म आदि की थोड़ी-बहुत समानता होती है। यो रूप-रंग या रहन-सहन के विचार से तो आदमी और शेर की तुलना नहीं हो सकती, पर बल, मनोवृत्ति आदि के विचार से तुलना हो सकती है। हम कहते हैं—वह तो पूरा राजस है, उससे हमारी क्या तुलना हो सकती है। आश २ यही होता है कि गुण, धर्म

✽ इस अर्थ की दृष्टि से मिलान का भाव-वाचक रूप मिलन या मेल और मिलाना का भाव-वाचक रूप मिलाई या मलावट होता है।

† हिन्दी में तुलना का प्रयोग अकर्मक क्रिया के रूप में भी होता है, जिसका अर्थ होता है—तौलना। पर यह अर्थ और रूप प्रस्तुत क्षेत्र के बाहर का है।

आदि के विचार से उससे हमारा कोई सादृश्य नहीं है। ऐसे प्रसंगों में तुलना शब्द प्रायः बराबरी या समानता का वाचक हो जाता है। विद्यार्थियों से कहा जाता है—सूर के विनयवाले पदों की तुलसी के विनयवाले पदों से तुलना कीजिए। आशय यही होता है कि बतलाइए कि दोनों में कहाँ कहाँ समानताएँ हैं और कहाँ कहाँ क्या अन्तर तथा विशेषताएँ हैं। तुलना तो सदा समान गुण-धर्मों के विचार से होती है, पर जब विपरीत अथवा विरोधी बातों का परस्पर मिलान किया जाता है, तब उसे व्यतिरेक कहते हैं*। व्यतिरेक के मुख्य अर्थ हैं—अन्तर या भेद, पार्थक्य, विरोध आदि। हम कहते हैं—जो शब्द एक दूसरे के पर्याय जान पड़ते हैं, उनका ठीक ठीक अन्तर और प्रयोग व्यतिरेक के द्वारा ही बताया जा सकता है। आशय यही होता है कि हम दोनों शब्दों का ठीक अन्तर तभी जान सकते हैं, जब दोनों को (वाक्यों में) एक दूसरे के सामने रखकर उनका पार्थक्य या विरोध दिखलावें। यदि हम किसी बड़े पहलवान और बिलकुल दुबले-पतले तथा ककाल सरीखे भिखमगे को सामने रखकर दोनों के सम्बन्ध की कुछ बातों का विचार करें, तो यह व्यतिरेक कहा जायगा, तुलना नहीं। अर्थात् जो तुलना केवल विरोधी तत्त्वों के आधार पर की जाती है, वही व्यतिरेक कहलाती है। परितुलन स० तुलन में परि उपसर्ग लगाकर नया बनाया हुआ शब्द है, और इसका सम्बन्ध मुख्यतः साहित्यिक क्षेत्र से है। किसी प्राचीन ग्रन्थ के लेखों, विवरणों, सस्करणों आदि की समानताओं और विरोधों का ठीक तरह से विचार करते हुए जो तुलना की जाती है, वही पारिभाषिक क्षेत्र में परितुलन कहलाती है। इसमें यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि किसी चरण, पद्य, प्रयोग आदि का मूल रूप क्या था अथवा

❀ इसी आधार पर हमारे यहाँ साहित्य में व्यतिरेक एक अलंकार भी माना है। जहाँ (क) उपमान की अपेक्षा उपमेय में कुछ उत्कर्ष या विशेषता अथवा (ख) उपमान में कुछ अपकर्ष या न्यूनता दिखाई जाती है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार का अस्तित्व माना जाता है। जैसे—तुम्हारा निष्कलक मुख चन्द्रमा से कहीं बढ़कर है (क्योंकि चन्द्रमा ती कलक से युक्त है)।

क्या होना चाहिए। अधिक विचारशील तथा सुयोग्य सम्पादक प्राय प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन करते समय इसी प्रकार का परितुलन करते हैं। हम कह सकते हैं—सूर सागर का सम्पादन करते समय रत्नाकर जी को पचीसों-पचासों पुरानी प्रतियों का परितुलन करना पडा था।

मूर्त्त (Concrete)

गोचर (१. Perceptible, धार्य (Tangible)
२. Sensible)

मूर्त्त (विपर्याय अमूर्त्त) वह कहलाता है, जिसकी कोई मूर्त्ति, रूप या शकल हो। जिसका कोई आकार या शरीर हो, वह तो मूर्त्त है ही, परन्तु पारिभाषिक क्षेत्र और लाक्षणिक रूप में वह भी मूर्त्त कहलाता है, जो इतना स्पष्ट हो कि हम सहज में उसका अनुभव कर सके या उससे परिचित हो सके। कपडा, घर, बरतन आदि तो मूर्त्त हैं ही, क्योंकि उनकी स्पष्ट आकृति या मूर्त्ति होती है, पर जब कोई कथन या योजना कुछ उदाहरणों का रूप-रेखाओं आदि से युक्त होकर इस प्रकार हमारे सामने आती है कि हम उसके सभी अंगों और उपागों तथा ब्योरे की बातों से सहज में परिचित हो जाते हैं, तब वह कथन या योजना भी मूर्त्त के वर्ग में आ जाती है। यदि हम यों ही किसी बालक से कहे—‘सदा सच बोलना चाहिए।’ तो यह हमारे सामने उपदेश या शिक्षा का कोई मूर्त्त रूप न होगा। पर यही बात उसे उदाहरण सहित और कथा-कहानी के रूप में सच बोलने का अच्छा परिणाम (और हो सके तो भूठ बोलने का बुरा परिणाम भी) दिखलाते हुए बतलाई जाय, तो यह हमारे उपदेश का मूर्त्त रूप कहा जायगा। गोचर (विपर्याय अगोचर) का साधारण अर्थ है—जिसका ज्ञान हमें इन्द्रियों के द्वारा हो सके या होता हो। यो साधारणतः जिन चीजों या बातों का हमें श्रांख, कान, नाक, जीभ या त्वचा से ज्ञान होता है, वे तो गोचर

हे ही, पर हमारे यहाँ मन को भी छूठी इन्द्रिय माना है, इसलिए हमें मन या बुद्धि से जिन बातों का ज्ञान होता है और जिन्हें हम बाहरी लक्षणों की सहायता से देख और पहचान सकते हैं (फिर चाहे वे मूर्त्त हो और चाहे अमूर्त्त), उन्हें हम गोचर कहते हैं। हम कहते हैं—(क) उनके व्यवहारों में अब गोचर परिवर्तन होने लगा है, अथवा (ख) आप लोगों की बातों में कोई गोचर अन्तर नहीं दिखाई देता। ऐसे अबसरो पर गोचर का अर्थ होता है—जो सहज में ध्यान अथवा समझ में आ सके। धार्य (विपर्याय अर्थात्) का साधारण अर्थ है—जिसे धारण किया जा सके। यों तो हम वस्तु भी धारण करते हैं और शब्द भी, परन्तु लाक्षणिक रूप में धार्य का भी बहुत-कुछ वही अर्थ होगा, जो ऊपर गोचर का बतलाया गया है। तो भी गोचर की अपेक्षा धार्य के अर्थ में कुछ विशेषता है। साधारणतः धार्य वही वस्तु होती है, जिसे हम हाथ से पकड़ सके। पर लाक्षणिक रूप में धार्य ऐसी वस्तु भी कही जायगी, जिसे हमारी धारणा शक्ति सहज में ग्रहण कर सके और जिसका अस्तित्व प्रामाणिक किया जा सके। पारिभाषिक क्षेत्र में वही चीज धार्य कही जायगी, जिसकी कोई वास्तविक और स्वतंत्र भौतिक (दे०—‘शारीरिक’ के अन्तर्गत ‘भौतिक’) सत्ता हो, फिर चाहे वह हाथ से छूई या पकड़ी जा सकती हो और चाहे न छूई या न पकड़ी जा सकती हो। हमारे प्रति आप की शुभ कामना या सद्भावना वास्तविक होने पर भी इसलिए धार्य नहीं मानी जायगी कि उसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है। पर आप का परामर्श या सम्मति हमारे लिए इस दृष्टि से धार्य हो सकती है कि हम उस पर विचार करके उसका ऊँच-नीच समझ सकते और उससे भौतिक लाभ उठा सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में देने-पाने की रकम भी धार्य हो सकती है, पर व्यापारिक जगत में आप की साख धार्य नहीं हो सकती। सूर्य की किरणों या उनके कारण पडने-

ॐ सस्कृत में मुख्य रूप से गोचर का अर्थ है—इन्द्रियों से ज्ञात होने-वाला। कर्ण-गोचर का अर्थ होता है—कान से सुनाई पडनेवाला, और दृष्टि-गोचर का अर्थ होता है—आँख से दिखाई पडनेवाला। पर यहाँ गोचर शब्द अधिक विस्तृत और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

वाली किसी वस्तु की छाया तो इसलिए धार्य नहीं होगी कि हम उसे नहीं पकड़ सकते; पर बिजली इसलिए धार्य मानी जाती है कि उसे हम किसी न किसी रूप में पकड़ रखते और मन-माने ढंग से उससे कई तरह के काम ले सकते हैं। गोचर और धार्य में एक और अन्तर है। जो गोचर होगा, वह बहुधा सबके लिए समान रूप से गोचर रहेगा, पर धार्य का ज्ञान प्रायः सम्बद्ध लोगों को ही होगा। किसी बहुत बड़े विवाद का परिणाम प्रायः सभी लोगों के लिए बहुत कुछ समान रूप से गोचर होगा, पर उसका धार्य परिणाम (या हानि-लाभ) उन्हीं लोगों को जान पड़ेगा जो विशिष्ट रूप से उस विवाद से सम्बद्ध होंगे।

मूर्त्ति (Idol)

आकृति (Figure)

प्रतिमा (Image)

चेहरा=वर्णक

वर्णक (Mask)

पुतला (Effigy)

विग्रह (Statue)

प्रतिमा, मूर्त्ति और विग्रह तीनों एक ही प्रकार की प्रतिकृतियों (दे०-प्रतिकृति) के सूचक हैं, और हमारे यहाँ के धार्मिक क्षेत्रों में प्रायः एक ही अर्थ में और समानक के रूप में प्रचलित हैं। हम जिसे देवता की प्रतिमा कहते हैं, उसी को मूर्त्ति और विग्रह भी कह लेते हैं। ये तीनों शब्द प्रायः कल्पित अथवा वास्तविक व्यक्तियों के आकार और रूप के अनुकरण पर बनी हुई ऐसी प्रतिकृतियाँ होती हैं, जो सदा आदर-भाव और पूज्य बुद्धि से धातु, पत्थर, लकड़ी आदि से प्रस्तुत की और देखी जाती हैं। तो भी व्युत्पत्ति और व्यवहार की दृष्टि से इनमें कुछ अन्तर है, और स्पष्टता के विचार से कुछ अन्तर होने भी चाहिये। इस वर्ग के मुख्य शब्द मूर्त्ति का एक स्वतंत्र वर्ग और विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें प्रतिमा

और विग्रह के सिवा मिट्टी, लकड़ी आदि के खिलौने तक आ जाते हैं*। दूसरे, इसमें पशु-पक्षियों तक की प्रतिकृतियों का अन्तर्भाव होता है। जैसे-गौ या गवड की मूर्ति। लौकिक व्यवहार में हम इन्हें प्रतिमा या विग्रह नहीं कहते। यों मूर्ति शब्द स० मूर्त्त (दे०-मूर्त्त) का भाव-वाचक रूप है, और इसका अर्थ मूर्त्त वस्तु की अथवा उसके अनुकरण पर बनी हुई प्रतिकृति है। फिर भी मूर्त्ति का प्रयोग अधिकतर देवी-देवताओं के सम्बन्ध में ही होता है। जैसे-राम, कृष्ण, दुर्गा, पार्वती या विष्णु की मूर्त्ति। यों शब्दार्थ के विचार से प्रतिमा भी बहुत-कुछ वही है, जो प्रतिमान (दे०-‘माध्य’ के अन्तर्गत ‘प्रतिमान’) है, और इसी लिए यह मूर्त्ति का पर्याय भी बन गया है। तो भी इसमें किसी अनुकृति या नकल का भाव ही मुख्य है; स्वयं उस वस्तु का नहीं, जो किसी की अनुकृति या नकल पर बनती है। विग्रह का पहला अर्थ है—देह या शरीर, और दूसरा अर्थ है—देव-मूर्त्ति। पर अपने विस्तृत अर्थ में विग्रह किसी जीवित या मृत व्यक्ति की (चित्र से भिन्न) वह प्रतिकृति है जो उसके प्रति आदर या करने और उसकी कीर्त्ति तथा स्मृति स्थायी करने के लिए बनाई जाती है। आज-कल यह प्रायः किसी ऐसे प्रमुख और सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता है, जहाँ सब लोग उसे देखकर उससे प्रभावित हो सके। मूर्त्ति बहुधा आराधन, पूजन आदि के लिए, प्रतिमा प्रदर्शन के लिए और विग्रह आदरपूर्वक स्मृति बनाये रखने के उद्देश्य से बनता है। आकृति का मुख्य अर्थ है—किसी चीज या आदमी का वह रूप या शकल जो उसकी गठन या बनावट के कारण हमें ऊपर या बाहर से दिखाई देती है। जैसे—पशु या मनुष्य की आकृति। आकृति की कल्पना बाह्य रेखाओं के आधार पर होती है। हम कहते हैं—उसकी आकृति अभी तक हमारी आँखों के सामने बनी है। आशय यही होता है कि उसके शरीर का आकार-प्रकार, रूप-रंग, बनावट आदि हम अभी तक नहीं भूले हैं। जो अनुकृति इस

✽ यहाँ तक कि साधुओं और विरक्तों के समाज में व्यक्तिगत रूप से उन के सब सदस्य भी आ जाते हैं। साधु लोग प्रायः कहते हैं—हम लोग यहाँ दस मूर्त्तियाँ हैं। आशय यही होता है कि हम लोग दस आदमी हैं।

आकृति के आधार पर बनाई जाती है, वह भी आकृति ही कहलाती है, चाहे वह धातु, पत्थर आदि की मूर्तियों के रूप में हो, चाहे कागज पर अंकित रेखाओं आदि के रूप में। किसी वस्तु के रूप, आकार-प्रकार आदि का परिचय कराने के लिए ही अनुकृति के रूप में आकृति प्रस्तुत भी की जाती है। ज्यामिति आदि में केवल रेखाओं की सहायता से जो रूप बनाये जाते हैं, उन्हें भी आकृति कहते हैं, जैसे—त्रिकोण या चतुष्कोण आकृति। इसका उद्देश्य केवल आकार और रूप बतलाना होता है। पुतला भी अपने प्राथमिक अर्थ में है तो बहुत-कुछ वही, जो मूर्ति या विग्रह है, पर बाद में इसका प्रयोग कुछ दूसरे अर्थ में होने लगा। हिन्दुओं में घर के किसी प्राणी का पंचकों (धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नाम के अन्तिम पाँच नक्षत्रों) में मरना इसलिए अशुभ माना जाता है कि लोगों का विश्वास है कि इसके बाद घर के और पाँच आदमी भी मरते हैं। ऐसे व्यक्ति के शव-दाह के समय घास-पात के पूलों के पाँच पुतले भी इसलिए बनाकर उसके साथ जलाये जाते हैं कि पंचकों में मरने के दोष का परिहार हो जाय। कुछ और प्रसंगों में अपना घोर असतोष या विरोध प्रकट करने के लिए भी किसी का पुतला बनाकर अपमानित क्रिया या जलाया जाता है। पुतला प्रायः किसी की ठीक प्रतिकृति के रूप में तो नहीं होता, फिर भी वह उस व्यक्ति का सूक्ष्म प्रतिनिधि अवश्य माना जाता है, जिसका पुतला बनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन के विकट दिनों में प्रायः ब्रिटिश शासन, अत्याचारी अंगरेज अधिकारियों और कठोर राज-नियमों के पुतले बनाकर जलाये जाते थे। कुछ ही दिन पहले डोम, माँड, भाट, मीरासी आदि ऐसे कजूसों के पुतले बनाकर बाजारों में लाते थे, जिनसे उन्हें अभीष्ट धन नहीं मिलता था। उन पुतलों को ही वे जनता के सामने अनेक प्रकार की हास्यजनक बातों से अपमानित करके अपना असन्तोष प्रकट करते थे। प्राचीन भारत में वणक प्रायः मिट्टी का बना हुआ ऐसा आवरण होता था जो अभिनय आदि के समय अपनी आकृति छिपाकर दूसरों की आकृति प्रकट करने के लिए माथे और मुँह पर लगाया जाता था। इसमें आगे की और मस्तक, मुँह, नाक, आँखें आदि बनी होती थीं, जिनमें

कई तरह के रग* भरे होते थे। काली, हनुमान आदि देवी-देवताओं तथा खर, दूषण, रावण आदि राक्षसों की आकृतियोंवाले ऐसे वर्णक या चेहरे अब भी बाजारों में मिलते हैं, जो या तो बच्चों के खेलने के काम आते हैं या राम-लीला, रास लीला आदि के समय स्वांग भरने के लिए। इससे असल चेहरा तो छिप जाता है, और नकली चेहरा सामने रह जाता है। इसी लिए लोक में इसे चेहरा भी कहते हैं। पर पाश्चात्य देशों में चेहरे या वर्णक का रूप भी बहुत-कुछ बदल गया है और उपयोग भी। वहाँ प्रायः मखमल, रेशम आदि के ऐसे चेहरे या वर्णक बनते हैं जिनमें आँखों की जगह दो छेद तो होते हैं, परन्तु जिन पर कोई आकृति नहीं बनी होती। प्रायः चौर, डाकू अपराध करने के समय अपनी पहचान छिपाने के लिए और नृत्य, स्वांग आदि के समय भले आदमी केवल मनोविनोद के लिए मुँह पर ऐसा चेहरा या वर्णक लगा लेते हैं।

मृत्यु (Death)

निधन (Demise)

मरण = मृत्यु

निर्वाण

स्वर्ग-वास, काशी-वास, गंगा-

प्रमोति (Decease)

लाभ आदि

मृत्यु सार्विक शब्द है जो इस बात का सूचक है कि किसी जीव या प्राणी, विशेषतः मनुष्य, के जीवन का अन्त हो गया, अर्थात् शरीर से उसके प्राण निकल गये हैं। इसका प्रयोग एक के सम्बन्ध में भी होता है और अनेक के सम्बन्ध में भी, और प्रायः इसके साथ कारण का भी उल्लेख होता है। जैसे—मकान गिरने से दस आदमियों की मृत्यु हो गई। निधन का प्रयोग मुख्यतः बड़े

रुग्ण का एक संस्कृत पर्याय वर्ण भी है, और अनेक प्रकार के वर्णों से युक्त होने के कारण ही यह आवरण वर्णक कहलाता था।

और महत्त्व के लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में होता और उनके प्रति विशिष्ट आदर या श्रद्धा का सूचक होता है। जैसे—लोक-मान्य तिलक या माहत्मा गान्धी का निधन। निर्वाण मुख्यतः उन बौद्धों का शब्द है जो आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व उस रूप में नहीं मानते, जिस रूप में हिन्दू मानते हैं। निर्वाण का प्राथमिक अर्थ है—ज्योति, लौ आदि का अन्त हो जाना या बुझना, जैसे—ज्वाला या दीपक का निर्वाण। इसी लिए जीवन-ज्योति का अन्त भी निर्वाण कहलाता है। प्रमीति मुख्यतः भाव-सूचक सज्ञा है, अर्थात् उससे मृत्यु की क्रिया का व्यापार का भाव मात्र सूचित होता है। मरण यद्यपि है तो मृत्यु का पर्याय ही, फिर भी इसमें मुख्यता प्रमीतिवाले भाव-वाचकत्व की है, अर्थात् यह भी भाव-प्रधान शब्द है। हम कहते हैं—(क) जन्म के साथ मरण भी लगा हुआ है, अथवा (ख) कुछ क्रियाएँ या सत्कार भी मरणोत्तरक होते हैं। स्वर्ग-वास है तो मुख्यतः हिन्दुओं का शब्द, पर इसका प्रयोग आदरार्थक रूप में ऐसे सभी लोगों के सम्बन्ध में होता है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कहा जाता है आज असुक सज्जन का स्वर्गवास हो गया है। आशय यही होता है कि उनके इस लोक के जीवन का अन्त हो गया, और अब वे पर-लोक या स्वर्ग में जाकर रहेंगे। ऐसा प्रायः इसी लिए कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के प्रति आदर भाव दिखलाना सभी जातियों में शिष्टता और सौजन्य का आवश्यक अंग है। काशी-वास और गंगा लाभ केवल हिन्दुओं में प्रचलित पद हैं; और इनका प्रयोग आस्तिक तथा धार्मिक हिन्दुओं में ही होता है। साधारणतः माना यह जाता है कि काशी में मनुष्य के मरने से उसकी मुक्ति हो जाती है; और इसी लिए काशी में शरीर छोड़ने के उद्देश्य से प्रायः लोग वृद्धावस्था में दूर दूर से आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार यह भी माना जाता है कि मरने पर मनुष्य का मृत शरीर या उसकी राख, हड्डियाँ आदि गंगा जी में डालने या बहाने से उस आदमी की मुक्ति हो जाती है। और इसी लिए इन पदों का भी स्वर्ग-वास की तरह आदरार्थक प्रयोग होता है।

मौलिक (Original)

आदि, आदिक (Initial)	प्राथमिक (Primary)
आरम्भिक (Elementary)	प्रारम्भिक (Preliminary)
प्रधान (Principal)	मूल-भूत (Fundamental)
मुख्य=प्रधान	

मौलिक स० मूल से बना हुआ विशेषण है, जिसका साधारण अर्थ है— मूल में होनेवाला या मूल-सम्बन्धी। प्रस्तुत प्रसंग में यह मुख्यत या तो (क) ऐसी चीज या बात के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, जो सबके आरम्भ में हुई हो या रही हो, या (ख) जिसके आधार पर या देखा-देखी उसी तरह की और चीजें या बातें निकली, बनी या विकसित हुई हो, या (ग) जो ऐसा अनोखा और नया हो, जैसा पहले कभी देखने-सुनने में न आया हो, या (घ) जिसमें किसी का अनुकरण या नकल न की गई हो। सक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि जो किसी दूसरे से व्युत्पन्न न हुआ हो, बल्कि स्वयं उत्पन्न हुआ अथवा किया गया हो, वही मौलिक है। फिर भी अधिकतर अवस्थाओं में इसके साथ (बाद में) अनुकृत, विकसित आदि होने का भाव भी लगा रहता है। कुछ अवस्थाओं में इसके स्थान पर मूल शब्द का भी प्रयोग होता है (दे०—‘प्रतिकृति’ के अन्तर्गत ‘मूल’)। हम कहते हैं—(क) त्याग का मौलिक अर्थ छोड़ना है; (ख) न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का मौलिक सिद्धान्त ढूँढ निकाला था, (ग) इस पुस्तक में बहुत से मौलिक विचार भरे पड़े हैं, और (घ) जो अच्छा मौलिक ग्रन्थ निकलता है, उसके अनुवाद अनेक भाषाओं में हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर मौलिक का आशय होता है—जो बिलकुल नया हो या नयेपन से युक्त हो और साथ ही जिसमें कोई उत्कृष्टता या विशेषता हो। आदि का सज्ञा (पुं०) रूप में अर्थ है—आरम्भ। पर कुछ अवस्थाओं में यह शब्द सज्ञाओं के

पहले लगकर विशेषण का भी काम देता है*। जैसे—आदि कारण। प्रस्तुत प्रसंग में भी इसका प्रयोग विशेषण रूप में ही होता है। इसी आदि में क प्रत्यय लगने से इसका आदिक रूप बनता है। यहाँ इसका आशय है—कोई कार्य आरम्भ या चलता करने के लिए पहले होनेवाला। कोई कार्य आरम्भ करने के लिए जो क्रियाएँ या बातें होती हैं, वही आदि या आदिक कहलाती हैं। दो दलों में कुछ भगडा या तना-तनी होती है, पर उसका अन्त करने के लिए जब किसी दल की ओर से आरम्भ में कुछ बातें होने लगती हैं, तो वे आदिक बातें कहलाती हैं। हम कोई बहुत बड़ा और व्यय-साध्य काम करना चाहते हैं, पर उसकी आरम्भिक व्यवस्था करने में हमारा जो थोड़ा बहुत व्यय हो जाता है, वह भी आदिक व्यय कहा जायगा। न्यायालय में कोई अभियोग उद्दिष्ट करते समय आरम्भ में होनेवाला व्यय भी आदिक व्यय होगा। यहाँ तक तो आदिक और आरम्भिक बहुत-कुछ एक ही हैं, परन्तु आरम्भिक में आदिक की अपेक्षा कुछ और भाव भी लगे हैं। किसी बड़े काम के आरम्भ का अंश या भाग भी आरम्भिक कहलाता है। आरम्भिक विद्यालय वह कहलाता है, जिसमें शिक्षा का आरम्भ करनेवाले ही कुछ दरजे या वर्ग हों, और आरम्भिक विज्ञान वह कहा जायगा, जिसमें विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली वे बातें हों, जिन्हें आरम्भ में ही जान लेना आवश्यक होता है। पारिभाषिक क्षेत्रों के सिवा, सार्विक क्षेत्रों में आरम्भिक का सीधा-सादा अर्थ होता है—आरम्भ का या आरम्भ में होनेवाला। हम कहते हैं—‘प्रसाद’ जी की आरम्भिक कृतियों में उर्वशी चम्पू मुख्य है। आशय यही होता है कि उन्होंने पहले-पहल जो साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की थीं, उनमें उर्वशी चम्पू का भी अन्तर्गम्य स्थान है। आरम्भिक और आरम्भिक में उसी प्रकार कोई अन्तर नहीं है,

॥ अव्यय के रूप में और वगैरह के अर्थ में आदि का जो प्रयोग होता है (जैसे—पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि) वह भी इसके आरम्भवाले अर्थ से लिया गया है। आशय यही होता है कि जिस तालिका (दे०—सूची) या वर्ग से यहाँ हमारा अभिप्राय है, उसका आरम्भ अमुक अमुक चीजों या बातों से होता है।

जिस प्रकार आरम्भ और प्रारम्भ में नहीं है*। तो भी आदिक में उन बातों का भाव प्रधान है, जो कोई काम आरम्भ करने या छेड़ने के समय या उससे कुछ पहले करनी पडती हैं, और आरम्भिक में कार्य के उस अंश का भाव प्रधान है, जो आरम्भ में होता है, परन्तु प्रारम्भिक में उस तैयारी, प्रबन्ध या व्यवस्था का भाव मुख्य है जो कोई काम चलाने के समय या उससे कुछ पहले करनी पडती है, अथवा उस आरम्भिक अंश का भाव मुख्य है जो हमें अपने उद्दिष्ट कार्य या विषय की ओर अग्रसर करता है। प्राथमिक स० प्रथम से बना हुआ विशेषण है; इसी लिए इसमें गणना या गिनती के विचार से आरम्भ में या पहले पडने या होने का भाव मुख्य है। प्रगति, विकास आदि के क्रम या शृंखला में जो अंश सबसे पहले पडता या सामने आता हो, वही प्राथमिक है। कहीं कहीं यह शब्द आदिक और आरम्भिक वाले तत्त्वों या भावों से भी युक्त हो जाता है। प्राथमिक विद्यालय तो वह कहलावेगा, जिसमें पहले, दूसरे आदि दरजों की शिक्षा का प्रबन्ध हो, परन्तु जब हम कहेंगे—“शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य को ज्ञान देकर उसे शिष्ट और सभ्य बनाना है।” तब प्राथमिक का अर्थ पहला ही जायगा। प्रधान, मुख्य और मूल-भूत उक्त सब शब्दों से कुछ भिन्न प्रकार के शब्द हैं, और आशय के विचार से एक स्वतंत्र वर्ग में आते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में प्रधान और मुख्य में कोई अन्तर नहीं है। उपयोगिता, महत्त्व, मान, स्थिति आदि अथवा विचाराधीन तत्त्व या विषय की दृष्टि से जो सबसे अच्छा या बढकर हो, जिनके बिना काम न चल सकता हो अथवा जिसके सामने और सब बातें घटकर या दबती हुई हों, वही प्रधान या मुख्य कहलाता है। हम कहते हैं— (क) शान्तिपूर्वक सब बातों का निपटारा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, (ख) देश को उन्नत और सम्पन्न करना शासन का प्रधान लक्ष्य है, (ग) प्रधान अधिकारी की आज्ञाओं का पालन करना अधीनस्थ कर्मचारियों का मुख्य कर्तव्य है, आदि। ऐसे सभी अवसरों पर प्रधान या मुख्य का अर्थ होता है—सबसे बढकर। कुछ

॥ यहाँ इन दोनों शब्दों में जो अन्तर दिखलाया गया है, वह मुख्यतः इनके अँगरेजी समानको के आधार पर और विचार से ही है।

अवस्थाओं में केवल प्रयोग के विचार से प्रधान और मुख्य में कुछ अन्तर भी हो जाता है। जैसे—मुख्य मंत्री का प्रधान कार्यालय प्रायशः उनके साथ चलता है। मूल-भूत में के मूल और भूत पद ही यह सूचित करते हैं कि इसका आशय उस भूत या तत्त्व (व्यापक अर्थ में) से है, जो किसी वस्तु या विषय के मूल में रहता और उसके सब कार्य संचालित करता हो। इसका प्रयोग प्राथमौलिक या अमूर्त्त और भावात्मक बातों, वस्तुओं आदि के सम्बन्ध में ही होता है। यहाँ तक कि आलंकारिक प्रसंगों में भी वह कारण, भाव या विचार मूल-भूत कहलाता है, जो किसी बात की तह में हो और उसकी जड़ या मूल के रूप में काम करता हो। जैसे—(क) प्रकाश और शब्द की गति में मूल-भूत सिद्धान्त एक ही है; (ख) हमारे और आपके विचारों में कई मूल-भूत अन्तर हैं; (ग) इधर-उधर की और व्यर्थ बातों का विचार छोड़कर हम लोगों को मूल-भूत प्रश्न (या समस्या) पर ध्यान देना चाहिए, और (घ) जब तक मनुष्य के विचारों में मूल-भूत परिवर्तन न हो, तब तक वह सच्चा त्यागी या विरक्त नहीं कहा जा सकता। ऐसे अवसरों पर मूल-भूत का अर्थ होता है—सब के मूल में रहनेवाला और प्रधान या मुख्य तत्त्व।

यंत्र (Machine)

इंजन (Engine)	कल=यंत्र
उपकरण (Implement)	कल-पुरजे=यंत्रांग
उपस्कर (Apparatus)	प्रयंत्रां (Appliance)
औजार (Tool)	यंत्रांग (Mechanism)
करण* (Instrument)	हस्तक=औजार

इस वर्ग के शब्द ऐसे साधनों के सूचक हैं जो कोई चीज बनाकर तैयार करने (अर्थात् रचना के काम) में प्रयुक्त और सहायक होते हैं। आरी, करनी, गज, छेनी, निहाई, बसला, रेती, हथौड़ी आदि ऐसी चीजे हैं, जिनके बिना बढई, राज, लोहार, सुनार आदि अपना काम नहीं कर सकते। घड़ीसाजों, जुलाहों, रंगरेजों आदि को भी अपने अपने काम के लिए ऐसी कई तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसी सभी चीजें औजार या हस्तक कहलाती है। इनके प्रयोग से काम जल्दी भी होते हैं और कम परिश्रम से या सहज में भी। इनकी मुख्य विशेषता यही है कि ये छोटे और हलके होते हैं, इनमें पेचीले कल-पुरजे नहीं होते, और ये प्रायः साधारण एक दो काम देते हैं। उपकरण भी देते तो इसी प्रकार के काम हैं, पर वे अपेक्षया कुछ बड़े और कई अंगों से युक्त तथा

॥ डा० रघुवीर ने भ० इन्स्ट्रूमेन्ट के लिए उपकरण शब्द रखा है; परन्तु इन्स्ट्रूमेन्ट का प्रयोग इस यांत्रिक क्षेत्र के सिवा और कई क्षेत्रों (जैसे-विधि, व्याकरण आदि) में तथा साविक रूप से भी और लाक्षणिक रूप से भी होता है, जहाँ 'करण' शब्द ही चलता या चल सकता है। इसी लिए प्रामाणिक हिन्दी कोश में मैंने इन्स्ट्रूमेन्ट के लिए 'करण' ही रखा था; और वही यहाँ भी लिया गया है।

† एप्लायन्स में प्रयोग का भाव मुख्य है, इसी लिए यहाँ यंत्र में प्रयोग का चरचक "प्र" उपसर्ग लगाकर प्रयंत्र शब्द बनाया गया है।

अपनी बनावट के विचार से कुछ पेचीले होते हैं। जुलाहो का करघा या परेता अथवा किसानो का हल या हेंगा उपकरण ही कहलावेगा, औजार नहीं। शेर का पंजा भी उसका उपकरण तो कहला सकता है, पर औजार नहीं। औजारो के उपयोग मे मुख्यत हाथ ही काम देता है*, पर उपकरणो के उपयोग मे हाथों के सिवा पैर भी अथवा कुछ दूसरी शक्तियाँ भी काम आ सकती हैं। औजार किसी काम का एक ही अंग पूरा करता है; पर उपकरण उसके एक से अधिक अंग भी पूरे कर सकता है। किसी काम मे कई तरह की जो बहुत-सी चीजे लगती हैं, वे भी (उनके) उपकरण ही कहलाती हैं। खेती-बारी के काम मे आनेवाले छोटे-बड़े औजार (कुदाल, फावडे आदि) अथवा युद्ध के लिए गोले गोर्लियाँ, तोपें और उन्हे लादकर ले चलनेवाली गाडियाँ और दूसरी सब तरह की चीजे भी सामूहिक रूप से उपकरण कहलाती हैं। उपस्कर बहुत-कुछ व्यापक तथा सार्विक (पर साथ ही बहुत कुछ अनिश्चित अर्थवाला) शब्द है। तो भी इसमे छोटे-मोटे कल-पुरजो से युक्त होने के सिवा बनावट के कुछ अधिक पेचीलेपन का भी भाव मुख्य है। यह प्राय छोटे यत्र के रूप मे होता है। इसका उपयोग भी सहज मे किया जाता और सीखा जा सकता है। रेडियो कुलक (सेट) भी उपस्कर है, और तरह तरह की चीजें तौलने के लिए बने हुए छोटे यत्र भी। जिन कमानियों की सहायता से दरवाजे आप से आप बन्द हो जाते हैं या एक जगह से बैठे बैठे खोले और बन्द किये जा सकते हैं†, वे भी उपस्करो मे ही गिने जाते हैं। शरीर मे बिजली या अनेक प्रकार की किरणों का संचार करने के लिए जो यंत्र-युक्त डिब्बे आदि होते हैं, वे भी उपस्कर ही हैं। करण वह है जो किसी प्रकार की शक्ति के योग से कोई उद्दिष्ट कार्य सिद्ध करता है, और यही करण का वास्तविक शब्दार्थ भी है। यह भी होता तो प्राय एक प्रकार का औजार या हस्तक ही है, पर इसकी बनावट भी साधारण औजारो की बनावट की अपेक्षा

❖ इसी दृष्टि से इसके लिए यहाँ 'हस्तक' शब्द रखा गया है।

† पाश्चात्य देशो में इस प्रकार के अनेक उपस्कर होते हैं, जिनका अभी हमारे यहाँ प्रचलन नहीं हुआ है।

बहुत पेचीली होती है; और प्रयोग की क्रिया भी कुछ ऐसी सूक्ष्म होती है जिसे समझने-सीखने में कुछ समय लगता है। इसके द्वारा प्रायः निपुण और विशेषज्ञ लोग बहुत हलके हाथ से, बारीक काम करते हैं। अनेक प्रकार के औजार भी पारिभाषिक क्षेत्रों और शिष्ट समाज में करण कहलाते हैं। चीर-फाड़ करनेवाले चिकित्सकों, ग्रहों का वेध करनेवाले ज्योतिषियों, दन्तकारों, कलाकारों आदि के जो औजार बहुत बारीक और बिलकुल सटीक काम करते हैं तथा ताप मापक, वायु-भार-मापक तथा ऐसे ही और बीसियों प्रकार के मापक करण के ही अन्तर्गत आते हैं। विधिक क्षेत्र में करण वह लेख्य कहलाता है, जो किसी कार्य, व्यवहार, सविदा, प्रक्रिया आदि का सूचक हो और जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व उत्पन्न, अतरित, परिमित, निर्वापित, विस्तृत या अभिलिखित होता है। साधारण बोल-चाल में इसी को दस्तावेज या साधन पत्र भी कहते हैं। लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग अच्छे अर्थ में ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में होता है जो कोई विशिष्ट शुभ कार्य करते या कराते हैं। जैसे—बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता युग-परिवर्तन के करण* होते हैं (अर्थात् वे नये युग का प्रवर्तन करते हैं)। प्रयत्न भी है तो उपस्कर और करण के वर्ग की ही चीज, पर इसका परिचालन प्रायः किसी शक्ति (जैसे पानी, बिजली, भाप, हवा आदि) के द्वारा होता है। इनकी बनावट बड़े यंत्रों की अपेक्षा सरल होती है और ये प्रायः हाथ से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जा सकते हैं। पन-चक्की, पवन-चक्की, बिजली की इस्तरी आदि इसी वर्ग में आती हैं। यत्र वह विशिष्ट रचना है जिसमें बहुत-से कल-पुरजे होते हैं और जिन्हें बैठाने, चलाने और काम में लाने के लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान या दक्षता अपेक्षित होती है। छोटे यत्र प्रायः हाथ से और बड़े यत्र बिजली या भाप की शक्ति से चलाये जाते हैं। इन्हीं को कल भी कहते हैं। जैसे—छापने, कपड़े बुनने या सीने, चाकू, छुरी आदि

* इसके विपरीत कठ-पुतली का प्रयोग बुरे अर्थ में ऐसे लोगों के सम्बन्ध में होता है, जो बिना भला-बुरा सोचे किसी दबाव या लोभ में पड़कर दूसरों का दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने में सहायक होते हैं।

बनाने, दीया सलाई बनाने की कल या यंत्र । इसका काम भी और बनावट भी बन-साधारण के लिए आश्चर्यजनक होती है । इसकी विशेषता यह होती है कि इसके द्वारा थोड़े-से आदमी, कम समय में बहुत-सा माल तैयार कर सकते हैं और इनसे तैयार होनेवाला माल बहुत-कुछ एक-रूप होता है । इज्जन भी है तो एक प्रकार की कल या यंत्र ही; पर इसका काम बड़े बड़े यंत्रों को गति में लाना या चलाना ही होता है, ये स्वयं स्वतंत्र रूप से (इसके सिवा) और कोई काम नहीं करते । इनसे जो बिजली या भाप पैदा होती है, वही यंत्रों के लिए गति-दायक शक्ति का काम देती है । सभी बड़े बड़े कारखानों के यंत्र, रेलें, जहाज आदि किसी न किसी प्रकार के इज्जन से ही चलते हैं । कलों या यंत्रों में जो छोटे-छोटे अंग या पुरजे होते हैं, वही कल-पुरजे कहलाते हैं; और इन्हीं के सामूहिक रूप का वाचक यंत्राग है । अर्थ की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है । किसी यंत्र के सब यंत्राग मिलकर ही कोई कार्य सम्पन्न करते हैं, यंत्र से अलग होने पर ये प्रायः निरर्थक होते हैं । कोई कल या यंत्र चलाने अथवा उसकी मरम्मत करने के लिए उसके यंत्राग की जानकारी होनी चाहिए ।

यात्रा (Journey)

अभियान (Expedition)	भ्रमण (Tour)
जोंठ (Picnic)	विहार (Outing)
जल-यात्रा (Voyage)	त्रजन (Trip)
तीर्थ-यात्रा (Pilgrimage)	सफर=यात्रा
नौ-यात्रा-जल-यात्रा	समुद्र-यात्रा (Sea Voyage)
पर्यटन (Travel)	सैर (Excursion)

यात्रा का मुख्य अर्थ है—एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाना; पर इसका आशय है—अपने रहने के स्थान से किसी दूर के स्थान तक (या पर) जाना ।

यदि हम अपने घर से चलकर अपने पड़ोस में या अपनी बस्ती में ही चलकर किसी मित्र से मिलने जायें, तो इसे यात्रा नहीं कहेंगे। पर यदि हम काशी से प्रयाग या लखनऊ जायें तो हमारा वह जाना अवश्य यात्रा कहलावेगा। यही सफर (अरबी) है। हम कहते हैं—रेल में कलकत्ते की यात्रा १२ घंटों में होती है; अथवा हवाई जहाज से विदेश-यात्रा बहुत सहज हो गई है। यात्रा में आगे चलकर एक विशेष अर्थ और लग गया है; और वह है—देवता के दर्शनों के लिए जाना। काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थ-स्थानों में अब भी धार्मिक हिन्दू स्त्रियाँ नित्य प्रातः काल अनेक देव-मन्दिरों में देव-दर्शन के लिए जाती हैं; और उनका इस प्रकार जाना भी यात्रा ही कहलाता है। यदि हम धार्मिक दृष्टि से किसी तीर्थ या तीर्थों में स्नान, दर्शन, दान-पुण्य आदि करने के लिए जाते हैं, तो हमारा इस प्रकार का जाना तीर्थ-यात्रा कहलाता है। नाव या जहाज पर चलकर जल-मार्ग से कहीं जाना जल-यात्रा या नौ-यात्रा कहलाता है। यदि हम नाव पर गंगा के रास्ते प्रयाग से पटने जायें तो यह जल-यात्रा कहलावेगी। यदि हमारी यात्रा नदियों, नहरों आदि से नहीं, बल्कि समुद्र के मार्ग से हो, तो वह समुद्र-यात्रा कहलावेगी। भ्रमण का मुख्य अर्थ है—घूमना या चक्कर खाना। चक्कर लगाना भी इसी लिए भ्रमण कहलाता है। इस प्रसंग में भ्रमण वह है, जिसमें हम कहीं से चलकर और अनेक स्थानों पर घूमते-फिरते हुए फिर अपने स्थान पर लौट आते। यों तो पर्यटन भी बहुत-कुछ वही है, जो भ्रमण है; फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। भ्रमण प्रायः किसी विशिष्ट कार्य के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य से होता है, और उसका कार्यक्रम भी बहुत-कुछ निश्चित होता है। परन्तु पर्यटन मुख्यतः सैर-सपाटे और भिन्न-भिन्न स्थानों के दृश्य देखने और उनसे परिचित होने के उद्देश्य से होता है; और इसका कार्यक्रम प्रायः पहले से निर्धारित या निश्चित नहीं होता। बड़े-बड़े राजकीय अधिकारी अपने क्षेत्रों का कार्य देखने के लिए उनमें भ्रमण करते हैं, और बड़े-बड़े धनी रईस यों ही युरोप, अमेरिका आदि का पर्यटन करने निकलते हैं। अभियान सैनिक दंग की विशिष्ट यात्रा है जो किसी निश्चित उद्देश्य से अथवा किसी विशेष कार्य के लिए और सदा पूरे दल बल सहित होती है। किसी

छोटे मोटे शत्रु को दबाने या किसी उपद्रवी वर्ग का उपद्रव शान्त करने के लिए जो सैनिक दल भेजे जाते हैं, उनकी यात्रा भी अभियान कहलाती है। बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने या दुर्गम वनों की भीनरी बातों का पता लगाने के लिए जो दल निकलते हैं, उनकी यात्रा भी इसलिए अभियान कहलाती है कि इसमें उन पर्वतों, वनों आदि पर विजय प्राप्त करने का भाव होता है। गोठ, विहार, व्रजन और सैर चारों एक ही वर्ग की चीजे हैं, क्योंकि इनका एक मात्र उद्देश्य मनोविनोद या आमोद-प्रमोद होता है। गोठ * (स० गोष्ठ) वह है, जिसमें कुछ लोग प्रायः नगर के बाहर किसी बगीचे या दूसरे रमणीय स्थान में जाकर खाने-पीने की तरह तरह की चीजे बनाते और खाते हैं। विहार में केवल मन-बहलाव मुख्य उद्देश्य होता है, और इसके लिए कुछ मित्र प्रायः वस्ती के बाहर निकल जाते और उसकी सीमा के आस-पास कहीं थोड़ा समय बिताते हैं। यह प्रायः बड़े बड़े नगरों के व्यर्थ तथा व्यस्त जीवन से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने और निश्चिन्त होकर थोड़ा समय बिताने के उद्देश्य से होता है। सैर अरबी भाषा का शब्द है। इसका उद्देश्य किसी अच्छे स्थान की शोभा देखकर मन बहलाना और अवकाश का समय बिताना होता है। सैर आस-पास के स्थानों की तो होती ही है कभी कभी दूर के स्थानों की भी होती है। सवेरे-सन्ध्या लोग किसी बगीचे की तरफ या नदी किनारे भी सैर करने जाते हैं, और बड़े आदमी गरमी के दिनों में नैनीताल, दारजिलिंग या कश्मीर की सैर करने भी चले जाते हैं। शहर के लोग देहात में और देहात के लोग शहर में सैर करने जाते हैं। व्रजन का साधारण अर्थ है—चलना, घूमना-फिरना या टहलना। पर छोटी मोटी ऐसी यात्रा भी, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, व्रजन कहलाती है। इसका उद्देश्य भी मुख्यतः मनोविनोद या स्वास्थ्य-सुधार होता है। अधिक विस्तृत अर्थ में यह एक बार में होनेवाली ऐसी पूरी यात्रा का भी सूचक होता है, जिसमें एक स्थान से चलकर

✽ व्रज और राजपूताने में यह शब्द इसी अर्थ में बहुत दिनों से प्रचलित है।

दूसरे ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ से फिर लौटकर पहले स्थान पर आना होता है। इस प्रकार हर बार का जाना और लौटना एक स्वतंत्र व्रजन कहलाता है।

योग्यता (Ability)

अधिगम (Attainment)	सक्षमता=सामर्थ्य
कार्य-कुशलता (Efficiency)	समाई (Capacity)
धारिता (Capacity)	सामर्थ्य (Capability)
परिगुण (Qualification)	सिद्धि (Attainment)
पात्रता (Capacity)	सुयोग्यता (Competency)
विसात=समाई (आंशिक रूप में)	सुविज्ञता (Proficiency)

योग्यता स० योग्य (विशेषण) का भाव-वाचक सज्ञा रूप है। योग्य स० युज् धातु से व्युत्पन्न है, जिसके मूल अर्थ हैं—किसी के साथ जोडना, लगाना, सयुक्त या सम्मिलित करना आदि। योग्यता का साधारण अर्थ है—जो किसी काम में आ सके या लगाया जा सके। पर विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जो अपने गुणों, विशेषताओं आदि के कारण किसी काम के लिए उपयुक्त हो सके—ठीक और पूरा काम दे सके। प्रस्तुत प्रसंग में इसी अर्थ के विचार से योग्यता किसी वस्तु या व्यक्ति की वह गुण-युक्त विशेषता है जो उसे किसी काम के लिए उपयुक्त और समर्थ बनाती है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग अधिकतर व्यक्तियों के सम्बन्ध में, और वह भी उनकी कार्य-कुशलता, जानकारी, विद्या आदि के विचार से ही होता है। हम कहते हैं—(क) इस काम के लिए आपकी योग्यता निर्विवाद रूप से सिद्ध है, अथवा (ख) आपने नये पद पर पहुँचकर अपनी योग्यता का अच्छा परिचय दिया था। ऐसे अवसरों पर इसका आशय होता है—अच्छी तरह काम

कर सकने का गुण या विशेषता । इसी योग्यता में सु उपसर्ग लगने से सुयोग्यता शब्द बनता है, जो उच्च या उत्कृष्ट कोटि की योग्यता का वाचक है । फिर भी यह शब्द विद्या, बुद्धि आदि की श्रेष्ठता के अतिरिक्त कर्तव्य-पालन, कार्य संचालन आदि के कौशल या दक्षता का भी परिचायक है । कार्य-कुशलता भी इसी वर्ग का शब्द है । जैसा कि स्वयं इस शब्द से सूचित होता है, यह अपने कार्य में कुशल या दक्ष होने का परिचायक है । जो काम सामने आवे, उसे अच्छी तरह पूरा करने की योग्यता ही कार्य-कुशलता है । सुविज्ञता का आशय है—ज्ञान, विज्ञान सम्बन्धी किसी विषय या शास्त्र की अच्छी और पूरी जानकारी रखना । इसका सम्बन्ध केवल ज्ञान से है, क्रिया या उसे सम्पन्न करने के कौशल से नहीं । स० गुण में परि उपसर्ग लगाकर परिगुण नया बनाया हुआ शब्द है* । परिगुण मुख्यतः ऐसे गुण या योग्यता का वाचक है जो शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के द्वारा अर्जित या प्राप्त की जाती है और जिसमें मनुष्य ज्ञान आदि के किसी नियत मानक तक पहुँच जाता है, और बहुधा उस मानक तक पहुँचने का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर चुका होता है । परिगुणी चिकित्सक (या चित्रकार) का अर्थ होगा—ऐसा चिकित्सक (या चित्रकार) जिसने अपने विषय या शास्त्र की ठीक और पूरी शिक्षा और योग्यता प्राप्त की हो । सब अवस्थाओं में किसी परिगुण के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी अनेक अवस्थाओं में परिगुणी होने के लिए प्रमाण-पत्र की भी अपेक्षा होती ही है । अधिगम और सिद्धि भी हैं तो इसी वर्ग के शब्द, पर ये कुछ और प्रकार के आशय से युक्त हैं । अधिगम का मूल अर्थ है—आगे बटना या ऊपर पहुँचना; पर यह साधारणतः ऐसे गुण, योग्यता, शक्ति आदि का वाचक है, जो

ॐ संस्कृत में परिगुणन रूप तो होता है, जिसका अर्थ है—बढ़ाकर कई गुना अधिक करना, और इससे भूत कृदन्त गुणित भी बनता है । पर परिगुण संस्कृत में नहीं होता, इसी लिए आवश्यकता-वशा यह नया रूप स्थिर किया गया है । इससे विशेषण रूप परिगुणी (Qualified) बनेगा; पर भूत कृदन्त रूप वही परिगुणित रहेगा, जो परिगुणन का है ।

अपने अध्यवसाय और प्रयत्न से अर्जित या प्राप्त की गई हो। इसमें अपने प्रयत्न का भाव प्रधान है। कला, राजनीति, विज्ञान आदि के प्रसंगों में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है, जैसे—भौतिक विज्ञान सम्बन्धी अपने अधिगम के बल से ही वे इतने उच्च पद पर पहुँचे थे। यहाँ तक तो अधिगम और सिद्धि एक दूसरे के समानक हैं; पर इससे आगे सिद्धि में कुछ और अर्थ या भाव भी लगा है। सिद्धि स० सिध् * धातु से बना है, जिसके अर्थ हैं—पूरा या सम्पन्न करना, सफल होना आदि। सिद्ध, सिद्धान्त आदि शब्द भी इसी सिध् से बने हैं; और हम सिद्धि को सिद्ध का भाव-वाचक सज्ञा रूप भी कह सकते हैं। सिद्धि का साधारण शब्दार्थ अर्थ है—कोई काम पूरा या सम्पन्न करने की क्रिया या भाव। इसी लिए हम कहते हैं—उन्हे कई बार प्रयत्न करने पर भी अपने काम में सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। आशय यही होता है कि वे अपना काम या उद्देश्य पूरा न कर सके। आगे चलकर यह शब्द ऐसी योग्यता या शक्ति का भी वाचक हो गया था, जो कोई अच्छा और बड़ा काम करने पर प्राप्त होती है। प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ भी बहुत-कुछ वही है, जो ऊपर अधिगम का बतलाया गया है; पर इसमें अधिगम की तुलना में गौरव या महत्त्व का भाव बहुत अधिक है। जब किसी विषय में ऐसी योग्यता दिखलाई या प्राप्त की जाती है, जो साधारणतः सब लोगो में न दिखलाई देती हो, तो उसे सिद्धि कहते हैं। धारिता, पात्रता, विसात, समाई और सामर्थ्य आर्थी दृष्टि से एक वर्ग के शब्द हैं। धारिता स० धारण से बनाया हुआ नया शब्द है, और इसका अर्थ होगा—धारण करने की शक्ति या पात्रता। जो पात्र, वस्तु या व्यक्ति जितना कुछ धारण या ग्रहण कर

✽ निरुक्त के विचार से सिध् और वह साध् बहुत-कुछ एक ही हैं, जिससे साधन, साधु आदि शब्द बने हैं। साध् का कुछ हलका रूप ही सिध् माना गया है।

† इसी आधार पर हमारे यहाँ योग के क्षेत्र में ये आठ सिद्धियाँ मानी गई हैं—अणिमा, महिमा, गरिमा, लविमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्क और बक्षित्व।

सकता हो (अर्थात् अपने में ले सकता हो) वही या उतनी ही उसकी धारिता मानी जायगी । व्यक्तियों के प्रसंग में धारिता को हम उनकी धारणा शक्ति का भी वाचक कह सकते हैं, परन्तु पदार्थों के सम्बन्ध में धारिता का कुछ और अर्थ होगा । 'इस हड्डे की धारिता एक मन पानी से अधिक नहीं है ।' का अर्थ होगा—इसमें एक मन से अधिक पानी आ या समा नहीं सकता, और इसी अर्थ में यह समाई का पर्याय है । समाई हिन्दी समाना क्रिया का भाव वाचक रूप है । इसका साधारण अर्थ है—समाने की क्रिया या भाव । हम कहते हैं—इस कमरे में १०० आदमियों से अधिक की समाई नहीं हो सकती । आशय यही होता है कि इसमें १०० आदमियों से अधिक नहीं आ या बैठ सकते । इसका प्रयोग लाक्षणिक रूप में भी होता है । हम कहते हैं—जिसकी समाई हमारे घर में न हुई, उसकी समाई कहीं न होगी । ऐसे अवसरों पर समाई का अर्थ होता है—घर में रहकर निर्वाह करने की योग्यता । पर कुछ अवस्थाओं में धारिता का प्रयोग (इस समाई वाले अर्थ से भिन्न) कुछ और अर्थों तथा प्रसंगों में भी होता है । हम कहते हैं—(क) इस इजन में दस हजार मन बोझ खींचने की धारिता है, (ख) हममें हजार रुपए खर्च करने की धारिता नहीं है, अथवा (ग) उनमें अभी तक बहुत-कुछ काम कर सकने की धारिता बची है । ऐसे प्रसंगों पर इसका आशय शक्ति या सामर्थ्य से मिलता-जुलता होता है । पात्र का साधारण अर्थ है—बरतन, और पात्रता इसी पात्र का भाव-वाचक सजा रूप है । इसमें धारिता और समाई के अर्थों का वही अर्थ वर्तमान है, जो अपने में कोई दूसरी वस्तु भर या ले सकने से सम्बन्ध रखता है । जैसे—किसी से दान (या विद्या) प्राप्त करने के लिए मनुष्य में पात्रता होनी चाहिए । आशय यही होता है कि वह उसके लिए उपयुक्त या योग्य अधिकारी होना चाहिए । बिसात अरबी बसात का हिन्दी रूप है, जिसका अर्थ है—बिछाने का कपडा या चटाई * । आगे चलकर

✽ इसी बिसात से बिसाती और बिसातबाना शब्द बने हैं । पहले जो खोग जमीन पर कोई कपड़ा बिछाकर और उस पर तरह तरह की छोटी मोटी चीजे रखकर बेचने बैठते थे, वही बसाती या बिसाती कहलाते थे । और

यह शब्द उस कपड़े, कागज, दफ्ती आदि का भी वाचक हो गया, जिस पर चौपड, शतरज आदि के मोहरे रखकर खेले जाते हैं और जिन पर बहुत-से खाने या घर बने होते हैं। इससे और आगे बढ़ने पर यह शब्द कोई कार्य, विशेषतः व्यवहार करने की शक्ति या सामर्थ्य का वाचक हो गया है। हम कहते हैं—(क) हम तो अपनी बिसात देखकर ही ब्याह के सब काम करेंगे, अथवा (ख) उसकी क्या बिसात है जो हमारे सामने इस तरह बट-बटकर बोले। सामर्थ्य स० समर्थ का भाव-वाचक रूप है; और इसका शब्दार्थ है—सम (समान) अर्थ होने की अवस्था या भाव। पर हिन्दी में यह साधारणतः एक प्रकार की ऐसी शक्ति का वाचक हो गया है, जो धारिता, समाई आदि के वर्ग की है। सामर्थ्य वस्तुतः ही तो स्वास्थ्य आदि की तरह पुलिंग ही, पर प्रायः लोग इसे भूल से स्त्रीलिंग रूप में बोल या लिख जाते हैं। सामर्थ्य सदा मनुष्यो या अधिक से अधिक जीव-जन्तुओं तक के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, वस्तुओं आदि के सम्बन्ध में नहीं, क्योंकि यह मुख्यतः आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आदि शक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। किसी विशिष्ट प्रकार का कार्य कर सकने का जो गुण या बल हममें होता है, उसी का सूचक शब्द सामर्थ्य है। जैसे—चलने-फिरने का सामर्थ्य, दौड़ने धूपने का सामर्थ्य; और ताप-शीत आदि सहने का सामर्थ्य। हम कहते हैं—(क) यह काम हमारे सामर्थ्य के बाहर है, अथवा (ख) हमारे कानों में सुनने या आँखों में देखने का सामर्थ्य नहीं रह गया। ऐसे प्रसंगों में यह शक्ति का (कुछ परिमित रूप में) वाचक होता है। सक्षमता का अर्थ भी प्रायः वही है, जो सामर्थ्य का है, पर उसमें मुख्य रूप से कोई काम कर सकने की शक्ति का भाव ही प्रधान है, और कोई भाव नहीं है।

बिक्री की तरह तरह की छोटी-मोटी चीजों का बर या वर्ग अब तक बिसात-बाना कहलाता है।

* ऐसे प्रसंगों में बिसात उसी आशय या भाव का सूचक होता है, जो 'तेतो पाँव पसारिप, जेती लाँबी सौड़।' में है, और इसी दृष्टि से यह समाई या सामर्थ्य का पर्याय होता है।

लेख (Article)

अभिपत्र (Paper)	मत-बन्ध (Dissertation)
निबन्ध (Essay)	रचना (Composition)
प्रबन्ध (Thesis)	विबन्ध (Treatise)

इस वर्ग के शब्द ऐसे मतों या विचारों के सहत रूपों के वाचक हैं, जो दूसरों के पढ़ने, सुनने और सोचने-समझने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। इनमें का लेख सबसे अधिक प्रचलित और व्यापक अर्थवाला शब्द है। व्युत्पत्तिक दृष्टि से लेख में उन सभी बातों का समावेश हो जाता है, जो किसी जगह लिखकर इकट्ठी की गई हों। प्रस्तुत प्रसंग में लेख मुख्यतः किसी एक विषय पर प्रकट किये हुए विचारों का वह स्वतंत्र रूप है, जो साधारणतः समाचार-पत्रों अथवा सामयिक-पत्रों में प्रकाशित होता है। विचार-शील और सुयोग्य लेखक तथा विद्वान् जो अच्छे लेख प्रस्तुत करते हैं, वे प्रायः ग्रन्थों, सकलनों, सग्रहों आदि के रूप में भी प्रकाशित होते हैं। निबन्ध, प्रबन्ध आदि की तुलना में लेख प्रायः छोटे होते हैं। अभिपत्र हि० पत्र में अभि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, और अभि यहाँ अभिप्राय का वाचक समझा जाना चाहिए। अभिपत्र भी है तो लेख का ही कुछ विस्तृत रूप, परन्तु इसमें किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अच्छी जानकारी की बातों की प्रमुखता होती है; और यह प्रायः किसी विशिष्ट सभा-समाज के सामने विचारार्थ पढ़ा या वैज्ञानिक आदि पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है। इस प्रकार यह किसी गहन विषय के सम्बन्ध में लेखक के गूढ़ अभिप्राय या मत का दिग्दर्शक होता है। इसका साहित्यिक महत्त्व उतना नहीं होता, जितना वैज्ञानिक या वैचारिक महत्त्व होता है। इसके विपरीत निबन्ध (शब्दार्थ=अच्छी तरह गढ़ा या बाँधा हुआ पदार्थ) का स्वरूप मुख्यतः साहित्यिक होता है। किसी विषय या उसके किसी अंग का अच्छा अध्ययन करके नये और मौलिक ढंग से उसका सक्षेप में, स्वतंत्र रूप से विवेचन करते हुए जो गम्भीर और अपेक्षया कुछ विवरणात्मक लेख प्रस्तुत किया जाता है, वही पारिभाषिक क्षेत्र में निबन्ध कहलाता है।

इसमें तर्क और उसकी दृष्टि से सब अर्थों के विवेचन का पूरा ध्यान रखा जाता है; और इस पर लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप व्यक्त होती है। इसका रूप गंठा हुआ और ठोस होता है। प्रायः दार्शनिक, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि सभी विषयों पर निबन्ध लिखे जाते हैं। मराठी में श्रीविष्णु शास्त्री चिपूलणकर के और हिन्दी में प० रामचन्द्र शुक्ल के कतिपय निबन्ध विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत प्रसंग में और आज-कल की दृष्टि से प्रबन्ध* वह विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक रचना है, जो साधारणतः होती तो निबन्ध की ही तरह है, पर जिसका उद्देश्य कुछ भिन्न होता है। जब कोई उच्च श्रेणी का विचार-शील विद्यार्थी किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से बहुत-कुछ छान-बीन करके कुछ नई बातें ढूँढ निकालता है और अपना नया मत प्रतिपादित और स्थापित करने के उद्देश्य से उन्हें बड़े विद्वानों के सामने विचारार्थ रखता है, तब ऐसा निबन्ध या लेख ही प्रबन्ध कहलाता है। इसमें दो बातें मुख्य होती हैं। एक तो नये मत का अनुसन्धानपूर्ण प्रतिपादन, और दूसरे उसके सम्बन्ध में औरों के विचार देखते हुए किसी ठोक निष्कर्ष तक पहुँचने की इच्छा या प्रयत्न। इसमें कुछ बातें प्रमाणित या सिद्ध भी की जाती हैं, और उन पर होनेवाले साधारण आक्षेपों का उत्तर भी दिया जाता है। आज-कल प्रायः अच्छे स्नातक अधिक उच्च परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने अथवा उच्च शास्त्रीय उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए परीक्षकों के पास जो निबन्ध लिखकर भेजते हैं, वही विशिष्ट रूप से प्रबन्ध कहलाते हैं। मत-बन्ध नया गंठा हुआ शब्द है। इसमें किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी मतों या विचारों की गवेषणा करके उनके सम्बन्ध में अपना पुष्ट मत व्यक्त किया जाता है; और इसका उद्देश्य दूसरों को उस विषय का अच्छा ज्ञान कराना होता है। इसमें प्रायः विवेच्य विषय के सभी अर्थों पर क्रमिक विचार होता है; और आलोचनात्मक ढंग से सब बातों का विश्लेषण होता है। रचना क्लिप्त

✽ प्रबन्ध के पुराने साहित्यिक अर्थ के लिए देखें 'कविता' के अन्तर्गत 'प्रबन्ध'।

† मत-बन्ध प्रायः किसी अवसर पर कोई विवादात्मक प्रश्न उठने पर उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं, और इनका

सार्विक शब्द है; और इसका प्रयोग सभी प्रकार की साहित्यिक कृतियों के सम्बन्ध में होता है। इस वर्ग के और सब प्रकार के लेख तो मुख्यतः गद्य में ही होते हैं; पर रचना में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की साहित्यिक कृतियों का अन्तर्भाव होता है। अर्थ की दृष्टि से भी यह शब्द बहुत व्यापक है। छोटे बच्चों के लिखे हुए साधारण लेख भी इसमें आ जाते हैं, और व्यक्तों के विचारपूर्ण ग्रन्थ भी। इसमें प्रतिपादित विषय या उसकी शैली आदि के महत्त्व का उतना विचार नहीं होता, जिनका स्वयं उस साहित्यिक कर्तृत्व का होता है। विवन्ध भी साधारणतः है तो बहुत कुछ वही, जो निवन्ध या प्रवन्ध है; पर इसमें जो विवेचन होता है, वह प्रायः अधिक गम्भीर और व्यवस्थित रूप में होता है। किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर विशेष विचारपूर्वक और वैज्ञानिक तथा शिक्षाप्रद ढंग से और मुख्यतः लोगों को उस विषय की गहरी जानकारी कराने के उद्देश्य से जो बड़े लेख या ग्रन्थ लिखे जाते हैं, उनकी गिनती विवन्ध में ही होती है।

वस्तु (Thing)

चीज=वस्तु

पदार्थ (Object)

द्रव्य (Substance)

प्रवस्तु (Article)

पण्य वस्तु (Commodity)

माल (Goods)

वस्तु का शब्दार्थ है—वह जिनकी कोई वास्तविक सत्ता हो। अर्थात् जो कुछ वास्तविक और स्पष्ट रूप में दिखाई पड़े, वही वस्तु है। प्रयोग की दृष्टि से

स्वरूप बहुत-कुछ खडन मंडनात्मक होता है, और फलतः इनका महत्त्व भी तात्कालिक ही होता है, स्थायी नहीं होता। मत-वन्ध तथा इस वर्ग की अन्य कई साहित्यिक रचनाएँ हमारे लिए पाश्चात्य साहित्य की देन हैं। हिन्दी पाठकों को इनके स्वरूप से परिचित कराने के लिए ही यहाँ इनका विवेचन हुआ है।

इसका अर्थ बहुत व्यापक है। जो कुछ हमें दिखाई दे या परिणाम, प्रभाव, लक्षणों आदि से हमारी समझ में आवे, वह सब वस्तु के अन्तर्गत है। कपड़े-लत्ते, गहने, पुस्तकें, मकान आदि सब कुछ तो वस्तु हैं ही; आपका सद्भाव भी हमारे लिए अभिमान की वस्तु है। फिर भी वस्तु मुख्यतः वही मानी जाती है, जिसे हम देख या छू सकें। जैसे—(क) कोठरी में बहुत-सी वस्तुएँ ढूँढ़े हैं। (ख) बाजार से कुछ वस्तुएँ मँगवाई गई हैं, (ग) जो वस्तुएँ तुम ले जाना चाहते हो, वे ले जाओ, आदि। हाँ जीव-जंतुओं, तत्वों, विचारों आदि का वस्तु में अन्तर्भाव नहीं होता। चाज इसी का फारसी समानक है। प्रयोग की दृष्टि से चीज में कुछ ऐसे अर्थ भी लग गये हैं, जो वस्तु में नहीं लगे हैं। जैसे—हमारे सामने वह क्या चीज है। ऐसे असरो पर चाज का अर्थ होता है—महत्त्वपूर्ण सत्ता। 'भला यह भी कोई चीजाँ में चीज है।' का आशय भी यही होता है कि इसकी सत्ता महत्त्वपूर्ण नहीं है। द्रव्य भी साधारणतः है तो वही जो वस्तु है, फिर भी तार्किक दृष्टि से यह कुछ विशिष्ट भावों से युक्त है। दार्शनिक क्षेत्रों में अथवा पारिभाषिक रूप में द्रव्य वह कह जाता है, जो कुछ विशिष्ट गुणों से युक्त हो और किसी प्रकार की क्रिया करने में समर्थ हो; फिर चाहे वह साधारण हो, चाहे निरवयव। इसी आधार पर वैशेषिक ने ये नौ मुख्य द्रव्य माने हैं—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन (विशेष दे०-तत्त्व)। पर जैना ने ये ६ द्रव्य माने हैं—जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल, काल और आकाश। पर आज जल वस्तु की तरह द्रव्य भी वही कह जाता है, जिसकी कोई स्पष्ट और स्वतंत्र सत्ता हो। पर वस्तु की तुलना में द्रव्य में यह विशेषता होती है कि यह कुछ क्रियाएँ कर सकना और गुणों से युक्त होता है; और अनेक प्रकार की वस्तुओं का आधार, आश्रय या प्रसक्त होता है। द्रव्य स्वयं भी कुछ विशिष्ट क्रियाओं का परिणाम होता है, और कुछ विशिष्ट क्रियाएँ करता भी है। इसी लिए प्रत्येक द्रव्य तो वस्तु हो सकता है, पर प्रत्येक वस्तु को हम द्रव्य के अन्तर्गत नहीं मान सकते। द्रव्य में उपयोगिता, क्रियाशीलता, महत्त्व आदि अनिवार्य रूप से होते हैं; पर वस्तु में इनका होना आवश्यक नहीं है। यों साधारण अवस्था में मिट्टी वस्तु है, पर जब उस मिट्टी का उपयोग हम गमले, घड़े,

मकाना आदि वस्तुएँ बनाने में करते हैं, तब वही मिट्टी इन वस्तुओं का समवायि कारण होकर द्रव्य के वर्ग में चली जाती है। अपने साधारण रूप में लकड़ी भी वस्तु है, पर द्रव्य वह इस दृष्टि से (और उस दशा में) कही जायगी कि (और जब) उससे बहुत-से सामान बन सकेंगे और बनने लगेंगे। पदार्थ स० पद + अर्थ के योग से बना है। इसका व्युत्पत्तिक अर्थ है—पद (या शब्द) का अर्थ। पर आगे चलकर यह शब्द इसी लिए वस्तु या चीज का वाचक हो गया कि हर पद (या शब्द) किसी वस्तु (विस्तृत अर्थ में) का वाचक होता है। वृद्ध शब्द जिस पदार्थ या वस्तु का वाचक है, वस्तुतः वही पदार्थ या वस्तु वृद्ध है, शब्द तो उसका नाम या वाचक मात्र है। आगे चलकर यह दर्शन शास्त्रों में प्रतिपादित ऐसे विषयों का वाचक हो गया, जिनके वास्तविक ज्ञान से मनुष्य को मोक्ष मिल सकता था। वैशेषिक ने द्रव्य, गुण, कर्म आदि छः पदार्थ माने थे; गौतम ने न्याय सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, सिद्धान्त आदि १६ पदार्थ माने थे; और सांख्यकार ने २५ पदार्थ माने थे। परवर्ती काल में इसी आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पदार्थ माने गये थे। पर लौकिक क्षेत्र में पदार्थ वह माना जाता है, जिसका कोई दृश्य और बाह्य रूप अथवा कुछ अकार-प्रकार हो और फलतः जिसके सम्बन्ध में हम कुछ जान या सोच-समझ सकते हों। हम अपने दैनिक व्यवहार में अनेक प्रकार के पदार्थों का

✽ यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि अँगरेजी में ऑब्जेक्ट (Object) का अर्थ जितना अधिक विस्तृत है, हिन्दी में पदार्थ का अर्थ उतना अधिक विस्तृत नहीं है। हिन्दी में पदार्थ केवल घन और मूर्त वस्तुओं का वाचक रह गया है, पर अँगरेजी में ऑब्जेक्ट में अमूर्त धारणाओं, विचारों और विषयों का भी अन्तर्भाव होता है। हमारे यहाँ भी पहले पदार्थ का उतना ही व्यापक अर्थ था; पर अब वह परिमित हो गया है। Object of thought को अब हम 'विचार का विषय' ही कहते हैं, विचार का पदार्थ नहीं कहते। फिर भी मेरा अपना मत यह है कि हमें पदार्थ का अर्थ भी उतना ही विस्तृत कर लेना चाहिए, जितना पहले था, और जितना अंग्रेजी ऑब्जेक्ट का है।

उपयोग करते हैं, अंधेरे में कोई चलता हुआ पदार्थ देखकर सहम जाते हैं; और अपने मन में अनेक प्रकार के नये-नये पदार्थों की कल्पना भी करते हैं। परन्तु नये पदार्थों की कल्पना प्रायः लोक में देखे-सुने पदार्थों के आधार पर ही या उनकी सहायता से ही होती है। प्रवस्तु स० वस्तु में प्र उपसर्ग लगाकर (अंगरेजी के आर्टिकल के स्थान की पूर्ति के लिए *) बनाया गया है। यह मुख्यतः ऐसी वस्तु का वाचक है जो किसी प्रकार के वर्ग या श्रेणी के अग के रूप में या अन्तर्गत होती है। जैसे—हमारी खाद्य वस्तुओं (या पदार्थों) में दूध एक मुख्य प्रवस्तु (या पद) है, अथवा ऊन भी पण्य वस्तुओं की एक प्रवस्तु (या पद) है। पण्य वस्तु और माल दोनों बहुत-कुछ एक ही हैं, फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। पण्य वस्तु तो मुख्य रूप से वे सब वस्तुएँ कहलाती हैं, जो बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं या खरीदी-बेची जा सकती हैं; और मुख्यतः इन्हीं उद्देश्यों से बनाई या पैदा की जाती हैं। अनाज, चमड़ा, रूई, सोना, चाँदी सभी पण्य वस्तुएँ हैं। माल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मुख्य अर्थ धन-सम्पत्ति आदि है। प्रस्तुत प्रसंग में माल वे सब वस्तुएँ कहलाती हैं, जिनका मनुष्य कुछ उपयोग करता या कर सकता है; और इसी दृष्टि से जिनका कुछ मूल्य होता है। इसमें पण्य वस्तु का भी अन्तर्भाव होता है; और दैनिक व्यवहार की वस्तुओं का भी। हर घर में सैकड़ों हजारों रुपयों का माल (गहने, कपड़े, बरतन-आदि) रहता है; और हर व्यापारी नित्य सैकड़ों हजारों रुपयों का माल खरीदता, बेचता और बाहर से मँगाता या बाहर भेजता रहता है। माल जब तक क्रय-विक्रय के क्षेत्र में रहे, तब तक तो पण्य वस्तु कहा जायगा, पर जब वह क्रय-

* एक दूसरे प्रसंग में अ० आर्टिकल् का एक अर्थ पद भी होता है। अनेक अवसरों पर प्रवस्तु का काम पद से भी चल सकता है। अभी यह विषय कुछ विचारणीय ही है कि प्रस्तुत प्रसंग में भी आर्टिकल् का अर्थ पद ही रहे अथवा नया शब्द प्रवस्तु चलाया जाय। पद को आर्टिकल् मान लेने में एक कठिनता यह भी हो सकती है कि हिन्दी में पद शब्द अ० आइटम (Item) की जगह भी चलता है।

विक्रय के क्षेत्र से निकलकर उपयोग या व्यवहार में आने लगेगा अथवा संचित होकर पड़ा रहे, तब उसकी सजा माल हो जायगी। हम प्रत्येक पण्य वस्तु को तो माल कह सकते हैं (क्योंकि अन्त में उसका भी कुछ न कुछ उपयोग या व्यवहार होगा ही); परन्तु प्रत्येक माल को पण्य वस्तु नहीं कह सकते (क्योंकि उसका क्रय-विक्रय के क्षेत्र में जाना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है)।

वाक्य (Sentence)

षद (Phrase)

व्यंजन (Expression)

पद विन्यास

शब्द-योजना=शब्द विन्यास,

पदावली (Phraseology)

शब्द विन्यास (Diction)

भाव व्यंजन

शैली (Style)

भाषा (Language)

वाक्य का व्युत्पत्तिक अर्थ है—कहना या बोलना। पर लोक-व्यवहार में कुछ कहने या मन का कोई भाव प्रकट करने के लिए जब हम कुछ शब्द कुछ निश्चित नियमों के अनुसार, एक साथ रखकर बोलते (या लिखते) हैं, तब वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। यों साधारणत लिखित व्याकरणों के अनुसार वाक्य में कर्ता या कर्म और क्रिया की अपेक्षा होती है। पर वाक्य का इससे अधिक व्यापक लक्षण यह माना जाता है कि उससे मन का कोई एक पूरा भाव प्रकट होना चाहिए। यदि हम किसी से कहे—‘चलो!’ तो इसके साथ ‘तुम्ह’ का अध्याहार माना जायगा। अर्थात् इसका वास्तविक रूप समझा जायगा—‘तुम चलो। यह हम ‘तुम’ का प्रयोग किये बिना खाली ‘चलो’ कहे, तो यह ‘चलो’ भी वाक्य कहलावेगा, भले ही यह वाक्य केवल एक शब्द का और कर्ता तथा कर्म से रहित है। पर यदि हम कहे—‘जा रहा है’ तो यह वाक्य नहीं होगा;

क्योंकि इससे मन का पूरा भाव प्रकट नहीं होता—यह पता नहीं चलता कि आदमी जा रहा है या घोड़ा; पत्र जा रहा है या वस्त्र। वाक्य के लिए शब्दों का एक निश्चिन्त क्रम से होना भी आवश्यक है। 'घर की दीवार गिर गई है।' तो वाक्य है, पर 'गई की गिर है दीवार घर' वाक्य नहीं है, क्योंकि न तो इसके शब्द नियत और शिष्ट सम्मत क्रम से ही लगे हैं और न इसका कुछ अर्थ ही समझ में आता है। अपने शब्द-विस्तार और भाव-व्यञ्जन की प्रणाली के विचार से व्याकरण में साधारणतः तीन प्रकार के वाक्य माने जाते हैं—साधारण, मिश्र और संयुक्त*। पद के अनेक अर्थ हैं, जैसे—पैर, डग, अश, चौथाई भाग आदि। परन्तु इस प्रसंग में पद का अर्थ होता है—वाक्य का कोई टुकड़ा या उसमें आया हुआ शब्द। साधारण स्थिति में 'राम' शब्द व्यक्ति-वाचक सज्ञा है। परन्तु जब हम कहेंगे—'राम आया।' तब इसमें का 'राम' भी उक्त वाक्य का पद होगा और 'आया' भी। पद कुछ अर्थ या भाव तो अवश्य प्रकट करता है, पर वह अर्थ या भाव पूरा नहीं, बल्कि अधूरा होता है। 'मेरे पहनने के कपड़े सन्दूक में रख दो।' में 'मेरे पहनने के कपड़े' 'सन्दूक में' और 'रख दो' ये तीन पद हैं। इन तीनों पदों में से हर एक कुछ न कुछ अर्थ या भाव तो प्रकट करता ही है; पर वह अर्थ या भाव अपूर्ण है और पूरी तरह से समझ में नहीं आता। पर यदि कोई पूछे—'ये कपड़े कहाँ रखे जायें?' और उसे उत्तर दिया जाय—'सन्दूक में।' तो यही शब्द पद न रह जायेंगे, बल्कि पूरे अर्थ या भाव के सूचक होने के कारण वाक्य हो जायेंगे। वाक्य में उसके सब पद ठीक तरह और क्रम से रखना ही पद-विन्यास है। यदि कोई कहे—'मेरे पहनने के सन्दूक में कपड़े रख दो।' या 'मेरे सन्दूक के पहनने में कपड़े रख दो।' तो कहा जायगा कि इन वाक्यों का पद-विन्यास ठीक नहीं है या अशुद्ध है। लेख आदि में प्रयुक्त होनेवाले समस्त पदों का समूह (उनके रूप और विन्यास दोनों के विचार से) पदावली कहलाता है। हम कहते हैं—इस लेख (प्रबन्ध, भाषण आदि) की पदावली बहुत ही सुन्दर (अशुद्ध, भद्दी

* इनकी विस्तृत व्याख्या व्याकरण के ग्रन्थों में मिलेगी।

आदि) है । ऐसे अवसरों पर पदावली से हमारा अभिप्राय होता है—पदों की शब्द-योजना का प्रकार या रूप और उनके विन्यास का ढंग । अर्थ और प्रयोग के विचार से भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है । यह उन शब्दों का क्रम-बद्ध सार्विक रूप है, जिनका प्रयोग मन के भाव प्रकट करने के लिए होता है । दो हिन्दी-भाषी हिन्दी में बोलते हुए भी एक ही भाव या विचार अपनी अलग भाषा में व्यक्त कर सकते हैं । हम कहते हैं—भारतेन्दु और प्रेमचन्द की भाषा (या जयशंकर प्रसाद की भाषा) में बहुत अन्तर है । आशय यही होता है कि इनकी शब्दावलियाँ, पद-विन्यास और भाव-व्यञ्जन के प्रकार एक दूसरे से बहुत-कुछ भिन्न हैं । ऐसे अवसरों पर भाषा शब्द अपने सङ्कुचित या सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता है, और इस अर्थ में यही अर्थ अभीष्ट तथा सगत है* । मन के भाव दूसरों पर प्रकट करना ही भाव-व्यञ्जन है । अलग अलग परिस्थितियों में यह काम अलग-अलग प्रकार से होता है । शब्दों से तो यह काम होता ही है, कभी-कभी केवल मुख की आकृति या मुद्रा से भी होता है । इसमें आवश्यक बात यही है कि जिसपर मन का भाव प्रकट करना हो, वह समझ जाय । पर प्रस्तुत प्रसंग में भाव-व्यञ्जन का अर्थ है—मन का भाव उपयुक्त शब्दों में और ठीक तरह से दूसरों पर प्रकट करना । इसी को सन्क्षेप में व्यञ्जन भी कहते हैं । पर साहित्यिक क्षेत्र में यह व्यञ्जन साधारण भाव-व्यञ्जन से कुछ अधिक व्यापक अर्थगला माना जाता है, क्योंकि इसका अभिप्राय होता है—जोरदार शब्दों में और प्रभावशाली रूप में होनेवाला भाव-व्यञ्जन । इन्हीं आधार पर साहित्य-शास्त्र की व्यञ्जना (इसी व्यञ्जन से) बनी और चली है ।

✽ इसका विस्तृत और व्यापक रूप जानने के लिए देखें—‘भाषा’ शीर्षक चतुर्थांश-माला ।

वायु (Air)

अंधड़, आंधी (Windstorm) प्रवात (Hurricane)

अतिवात (Tempest) बगूला=चक्रवात

घूर्णवात, घूर्णा (Tornado) महावात (Storm)

चंडवात, तूफान (Typhoon) वातावर्त्त (Cyclone)

चक्रवात, बवंडर (Whirlwind) वात्या (Gale)

जल-स्तंभ (Waterspout) समीर (Breeze)

झंभा झंडी=जल-स्तंभ

भोंका (Blast, Gust) हवा=वायु

पवन (Wind)

वायु (सस्कृत) या हवा (अरबी) बहुत व्यापक और अपने वर्ग का सब से अधिक प्रचलित शब्द है । यह अनेक प्रकार के वातो या वातियों (गैसों) का ऐसा मिश्रण है जो हमे दिखाई नहीं देता । यह पृथ्वी के चारों ओर बहुत ऊँचाई तक भरा हुआ और पृथ्वी पर हर जगह व्याप्त है । शरीर के स्पर्श मात्र से हमे इसका अनुभव या ज्ञान होता है । यही वह तत्त्व है जो साँस लेने पर हमारे शरीर के अन्दर फेफड़ों तक बराबर आता-जाता रहता है । शब्द भी इसी के द्वारा हमारे कानों तक पहुँचता है; और चिडियाँ इसी मे उड़ती हैं । इसकी गति कभी तो बहुत मन्द, कभी साधारण और कभी बहुत तेज ही जाती है । इसका जो अंश पृथ्वी के प्राणियों के आस-पास रहकर कभी तेज और कभी धीमे चलता है और जिसका हमारी त्वग्निन्द्रिय को ज्ञान होता है, वही पवन है । यही जब बहुत ताजे और स्वच्छ रूप मे बहुत धीरे-धीरे चलता है, और अपनी साधारण शीतलता के कारण प्रिय या मधुर जान पडता है, तब इसे समीर कहते हैं । जब यह एक बार थोडी देर के लिए कुछ तेजी से आकर शरीर मे लगता हुआ जान पडता है, तब

(पवन या वायु का) भौंका कहलाता है । प्रायः रह रहकर हवा के ऐसे भौंके आते रहते हैं । पर जब यह लगातार कुछ समय के लिए बहुत तेज होकर और अपने साथ सड़कों और खेतों की धूल-मिट्टी आदि लेकर चलता है, तब इसे अंधड़ या आँधी कहते हैं । जब तेज हवा या आँधी के साथ पानी भी बरसता है, तब उसे भूभा कहते हैं । आँधी जब अधिक उग्र रूप धारण करती है, तब वात्या कहलाती है । इसमें वायु की गति एक घण्टे में ४० से ७५ मील तक हो जाती है । जब यह और अधिक तीव्र होकर तथा प्रबल रूप में १०० मील प्रति घण्टे तक की गति से चलने लगती है, तब इसे प्रवात कहते हैं । महावात वस्तुतः एक सार्विक पद है, जिसमें प्रबल भूभा, वात्या और प्रवात तीनों का अन्तर्भाव हो जाता है । पर वैज्ञानिक दृष्टि से जब वायु की गति ६५ से ७५ मील प्रति घण्टे तक रहती है, तब उसे महावात कहते हैं । वात्या और प्रवात के रूप सदा वैज्ञानिक पीढ़ियों या प्रयोगों और यंत्रों की सहायता से ही स्थिर होते या हो सकते हैं । पर जन-साधारण ऐसे सूक्ष्म अन्तर नहीं जान सकते; अतः वे इन सब को महावात ही मान लेते हैं । चडवात और तूफान भी इसी प्रकार के शब्द हैं । तूफान वस्तुतः चीनी भाषा से चला हुआ शब्द है । चीन और फिलिपाइन्स के आस-पास के समुद्रों में एक विशिष्ट प्रकार की बहुत तेज आँधी या वात्या चलती है, जिसे चीनी भाषा में ताई-फू कहते हैं । अरब के प्राचीन नाविकों ने इसी ताई-फू से अपनी भाषा में तूफान शब्द बना लिया था, जिससे आगे बढ़कर अँगरेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं में 'टाइफून' शब्द बन गया था । हिन्दी में भी तूफान बहुत प्रचलित है । चडवात, तूफान और महावात साधारणतः सभी प्रकार की बहुत तेज और अपेक्षा कुछ अधिक समय तक और कभी-कभी कई दिनों तक चलनेवाली ऐसी आँधियों या तेज हवाओं को कहते हैं, जिनके साथ बीच-बीच में कुछ तेज वर्षा भी होती है । ऐसी आँधियाँ या तूफान प्रायः धन-जन के लिए बहुत नाशक सिद्ध होते हैं । इनसे छोटे-मोटे मकान या उनकी छतें उड़ जाती हैं, बड़े-बड़े वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं और नावें या जहाज आपस में टकराकर या किनारों की चट्टानों आदि से टकराकर टूट-फूट जाते या पानी में डूब जाते हैं । चडवात, तूफान और महावात जब बहुत ही उग्र

तथा भीषण रूप धारण करते हैं, तब उसकी सहा अतिवात हो जाती है। यह वेगपूर्ण वायु का सबसे अधिक भयकर और सहाकर रूप है।

घूर्णवात या घूर्णा, चक्रवात या बवंडर और वातावर्त्त अलग प्रकार के प्रवाह हैं। आँधी, तूफान, प्रवात आदि की गति बहुत सीधी होती है। जहाँ से इनका आरम्भ होता है, वहाँ से ये 'प्रायः किसी दिशा में दूर तक सीधे चलते रहते हैं। परन्तु घूर्णा, चक्रवात और बवंडर में विशेषता यह होती है कि ये गोलाकार चक्र भी लगाते चलते हैं। हिन्दी में इनके लोक प्रचलित नाम बवंडर (सं० वायु मंडल) और बगूना (हिं० वाउ=वायु + गोला) हैं। इनमें हवा कुछ घेरा बाँधकर, चकर लगाती और ऊपर उठती हुई आगे बढ़ती है। नाशक परिणाम, प्रचंडता और वेग के विचार से चक्रवात या बवंडर प्रायः कुछ कम प्रबल तथा विकट होता है, और वातावर्त्त प्रायः बहुत उग्र और भयकर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वातावर्त्त की चक्रदार गति प्रायः वातावर्त्त और दक्षिणी गोलार्ध में प्रायः दक्षिणावर्त्त होती है। गरम देशों में इसका घेरा या व्यास प्रायः १०० से ५०० मील तक का और ठंडे देशों में कभी कभी १५०० मील तक का हो जाता है। प्रायः ऐसे बवंडरों के चक्र की गति भी प्रति घण्टे १२५ से १५० मील तक पहुँच जाती है। दक्षिणी एशिया में इसके साथ बादलों की गरज, बिजली की चमक और वर्षा भी होती है। ऐसे बवंडर प्रायः वर्षा ऋतु के उत्तरार्ध से शरद ऋतु के अन्त तक उठते हैं। मुख्यतः ऐसे ही बवंडर चीन में तूफान कहलाते हैं। ऐसे सभी वायविक उपद्रव प्रायः बहुत अधिक नाशक होते हैं। कभी-कभी समुद्र या जलाशय के तल पर ऐसे बवंडर भी दिखाई देते हैं जो स्तंभ की तरह आकाश तक पहुँचते हैं। इसी लिए इन्हें जल-स्तंभ कहते हैं। ऐसे जल-स्तंभ प्रायः नल के आकार के होते हैं और उनके अन्दर बादलों में से खिंचकर आया हुआ तांबा बढिया पानी भरा रहता है। ये प्रायः कुछ मिनटों में ही नष्ट भी हो जाते हैं। साधारण बोल-चाल में इन्हीं को सूँडी (सं० शुयड, हिं० सूँड) कहते हैं।

विचार (१. Idea, २. Thought)

उद्भावना, उपज	भाव (Concept)
कल्पना (Imagination)	भावना (Conception)
चिन्तन (Pondering, Reflection)	मनन (१. Contempla- (tion २. Meditation)
छाप (Impression)	समझ (Understanding)
धारणा (१. Conception, २. Notion)	सूझ

इस वर्ग के शब्द उन सब बातों के वाचक हैं जो हमारे मन में कुछ सोचने-समझने के समय उठती हैं, सोचने-समझने पर हमारे मन में आती या होती हैं या हमें सोचने समझने में समर्थ करती हैं। इनका सम्बन्ध या तो हमारे भावी कार्यों की योजना आदि से होता है या किसी विषय में कुछ निर्णय या मत स्थिर करने में। इसमें का विचार शब्द अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से बहुत व्यापक है, और यह अपने वर्ग के दूसरे अधिकतर शब्दों के स्थान पर भी व्यवहार में आता है। इन्द्रियों के द्वारा किसी चीज या बात का अनुभव या ज्ञान होने पर हमारे मन में उसका जो चित्र या रूप बनता है अथवा अपनी कल्पना के आधार पर किसी भावी कार्य या विषय के सम्बन्ध में चिन्तन या तर्क-वितर्क करके हम जो चित्र या रूप अपनी मानसिक दृष्टि के सामने रखते हैं, उन सबका अन्तर्भाव इसी विचार में होता है। यह हमारी सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं या व्यापारों का वाचक है। विचार अपने मन में छिपाकर भी रखा जा सकता है और दूसरों के सामने प्रकट भी किया जा सकता है। हम कहते हैं—(क) इस समय हमारे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ है; (ख) इस पुस्तक में बहुत-से नये नये विचार भरे पड़े हैं, (ग) मनुष्य को हर काम विचारपूर्वक करना चाहिए; अथवा, (घ) आपको निष्पन्न होकर इस विषय में अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इन सभी प्रसंगों में हमारे मन में उठनेवाली बातों की ओर संकेत है।

जब हम कहते हैं—“इस विषय पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए।” तब भी हमारा आशय यही होता है कि इस विषय में जितनी बातें हो सकती हैं, या होनी चाहिएँ, वे सब अच्छी तरह सोच और समझ ली जानी चाहिएँ। जब हमारे मन में कोई ऐसी अनोखी, चमत्कारपूर्ण और नई बात या विचार उत्पन्न होता है, जो जल्दी औरों को न सूझ सकता हो या अब तक किसी को न सूझा हो, तब ऐसी बात या विचार उद्भावना कहलाता है। इसका शब्दार्थ ही है—ऊपर उठा हुआ (नया) विचार या भावना। हिन्दी में इसी को उपज (हि० उपजना = उत्पन्न होना) कहते हैं। प्रायः किसी अच्छे कवि की कृति के सम्बन्ध में कहा जाता है—यह अनेक सुन्दर उद्भावनाओं से पूर्ण है। यो साधारण बात-चीत में भी जब कोई अनोखा और नया विचार हमारे सामने रखता है, तब हम कहते हैं—वाह, कैसी अच्छी उपज है! सूझ (हि० सूझना = दिखाई देना) भी है तो बहुत कुछ वही, जो उपज है, पर उपज में नये विचार की उत्पत्ति का और सूझ में उसके सूझने या दिखाई पड़ने का भाव प्रधान है। उपज तो सदा नई होगी, और ऐसी बातों के सम्बन्ध में होगी, जो केवल कल्पना के क्षेत्र की होती हैं; पर सूझ ऐसी बातों के सम्बन्ध में भी हो सकती है जो किसी न किसी रूप में वर्तमान हों अथवा जिनकी सम्भावना की सहज में कल्पना की जा सकती हो, फिर भी जिनकी ओर जल्दी किसी का ध्यान न जाता हो या न गया हो। कल्पना स० कल्पन से बना है, जिसका अर्थ है—प्रस्तुत करना, बनाना या रचना। कल्पना वस्तुतः हमारे मन की वह क्रिया और शक्ति है जिससे हम अपनी मानस दृष्टि के सामने अनेक प्रकार के नये रूप और विचार बनाकर खड़े करते हैं। ये रूप और विचार पुराने या देखे सुने रूपों और विचारों के पुनरावर्तन भी हो सकते हैं और हमारी उक्त शक्ति के नये गढ़े हुए भी। जो रूप और विचार हमने कभी देखे सुने न हो या जिनका कभी अस्तित्व न रहा हो, उनके चित्र भी यह कल्पना हमारे सामने लाकर रख सकती है। हम अपनी बीती हुई बाल्यावस्था की भी कल्पना कर सकते हैं और आनेवाली वृद्धावस्था की भी। अपने पुराने अनुभव, ज्ञान, स्मृति आदि की सहायता से बहुत सी बातों के अनेक खण्डों को एक में जोड़ या मिलाकर हम बहुत-सी नई चीजों, बातों या विचारों

की भी कल्पना कर सकते हैं। चित्रकार और मूर्तिकार अपनी कल्पना से ही नये नये चित्र और मूर्तियाँ बनाते हैं; और कवि की सुन्दर रचनाएँ प्रायः उसकी कल्पना से ही प्रसूत होती हैं। उद्भावना, उपज और सूझ सब इसी के क्षणिक या तात्कालिक स्फुरण के परिणाम या फल हैं। चिन्तन और मनन प्रायः एक वर्ग के शब्द हैं। चिन्तन में किसी विषय या समस्या के सब अंग और सम्भावनाएँ अच्छी तरह सोची जाती हैं; उनका ऊँच-नीच देखा जाता है, और इस बात का विचार किया जाता है कि दूसरी सम्बन्ध बातों की तुलना में उनका क्या महत्त्व है। यह पुरानी बातों या विचारों के सम्बन्ध में भी हो सकता है और नई बातों के सम्बन्ध में भी*। चिन्ता इसी चिन्तन का वह दूसरा बड़ा हुआ रूप है जो मनुष्य को किसी भावी अनिष्ट या अप्रिय कार्य या बात के सम्बन्ध में विचल रखता है। जहाँ तक हम कोई बात सोचते रहते हैं, वहाँ तक तो वह चिन्तन है; पर जब हम उसने आगे बढ़कर उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, तब हम मानों उस विषय का (या पर) मनन करते हैं। इसमें कोई बात समझने के लिए उस पर अपना ध्यान अच्छी तरह केन्द्रित करने का भाव प्रधान है। किसी विषय या समस्या से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातों का पूरा ज्ञान या परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके सभी अंग अच्छी तरह से देखना और तुलनात्मक दृष्टि से तथ्यों का विचार करना ही मनन है। जब हम आध्यात्मिक विषयों का चिन्तन करते हैं, तब हम मानों उनकी सब बातें सोचते हैं; पर जब हम आध्यात्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करके उन्हें अच्छी तरह जानने या समझने का प्रयत्न करते हैं, तब हम उन विषयों (या ग्रन्थों) का मनन करते हैं। भाव और भावना एक ही वर्ग के शब्द हैं; और आर्थी दृष्टि से विचार की कोटि में आते हैं। भाव का पहला अर्थ है—अस्तित्व में आना या सत्तावाज़ा रूप प्राप्त करना; और इस दृष्टि से यह 'अभाव' का विरोध-सूचक शब्द है। इसी आधार पर

❀ पुरानी बातों के सम्बन्ध का चिन्तन अँगरेजी में रिफ्लेक्शन कहलाता है; और नई या भविष्य में होनेवाली बातों का चिन्तन फॉरवर्डिंग कहलाता है; पर हमारे यहाँ ये दोनों पक्ष एक माने गये हैं।

अस्तित्व में लाने या सत्ता के रूप में उपस्थित करने की क्रिया भावना कहलाती है। इसी भावना से भावना शब्द बना है, जिसका वास्तविक अर्थ है—वह वस्तु या विचार जो अस्तित्व में लाया गया हो या जिसे सत्ता का रूप दिया गया हो। पर प्रस्तुत प्रसंग में भाव और भावना के इनसे भिन्न और भी कई अर्थ हैं; पर यहाँ यह उस सन्निहित चित्र या रूप का वाचक है जो कोई चीज या बात देखकर उसके सम्बन्ध में हम अपने मन में साराश रूप में बनाते हैं। इस चित्र या रूप में व्योरे की सब बातें तो छूट जाती हैं और केवल काम की मुख्य मुख्य बातें आ जाती हैं। इसी लिए कोई कविता या पुस्तक पढ़कर अथवा कोई बात या भाषण सुनकर हम अपने मित्रों से कहते हैं सारी कविता (या भाषण) का भाव यही था कि हमें अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने समाज की उन्नति करनेवाले कामों में करना चाहिए। इस दृष्टि से यह शब्द आशय, साराश आदि के वर्ग में चला जाता है। पर है यह वास्तव में किसी तत्त्व के अस्तित्व का मन पर पड़नेवाला परिणाम ही, और इस विचार से हम इसे सत्ता की आत्मा का वह प्रतिबिम्ब कह सकते हैं, जो देखने-सुननेवालों के मन पर पड़ता है। हम पत्थर या लोहे का बड़ा टुकड़ा देखकर समझ लेते हैं कि यह घन या ठोस भी है और भारी भी; और इसी आधार पर कहते हैं—घनता और भार दो भिन्न भाव हैं। आशय यही होता है कि घनता किसी अलग तत्त्व की सूचक है; और भार किसी अलग तत्त्व का; और इस पत्थर या लोहे में घनता का भी भाव है और भारीपन का भी। भावना हमारी मानसिक शक्ति की वह क्रिया-शीलता है जो उक्त प्रकार के भाव ग्रहण या धारण * कती और उन्हें मूर्त्त रूप देती है। कोई भाव ग्रहण कर लेने पर जब हम उसे अपने मन में कोई क्रियात्मक रूप देने लगते या किसी प्रकार उसे व्यक्त करना चाहते हैं, तब वही हमारी

❁ इसी आधार हम इसे 'धारण' भी कह सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अँगरेजी में कन्सेप्शन (Conception) का एक अर्थ गर्भ-धारण भी है, और इन दोनों प्रसंगों में धारण करने या अपने ऊपर या अपने में लेने का भाव ही प्रधान है।

भावना हो जाती है। भावना हमारे भाव का वह रूप है जिस पर हमारी निजी अनुभूति, कल्पना, प्रवृत्ति या विचारों की कुछ रगत चढती है और उसमें क्रियाशीलता आती है। विचार तो बहुत-से लोगों के एक-से हो सकते हैं; पर भावनाएँ सब की प्रायः अलग-अलग होती हैं*। यहीं आकर भावना और धारणा दोनों बहुत-कुछ एक हो जाती हैं। फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है ही। पहला अन्तर तो दोनों की अलग-अलग निरुक्तियों से ही स्पष्ट है। भावना का उत्पत्ति तो हमारे मन में स्वयं भाव या सत्ता के आधार पर आप से आप होती है, पर धारणा में किसी बाहर से आये हुए तत्त्व या बात को धारण (या ग्रहण) करने का भाव प्रधान है। हम कहते हैं—उनकी बातों से हमारी तो यही धारणा हुई कि वे हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। आशय यही होता है कि उनकी बातों का हमारे मन पर ऐसा परिणाम हुआ—हमने उन्हें इस रूप में देखा या समझा। इस दृष्टि से छाप भी बहुत कुछ वही हो जाती है, जो धारणा है। परन्तु छाप शब्द हि० छापना या छपना का भाव-वाचक रूप है; और छापने की क्रिया में कुछ ज़ोर या दबाव भी ऊपर से आकर पड़ता ही है। इसलिए छाप हमारे मन पर पड़नेवाले ऐसे प्रभाव की सूचक है जो अपेक्षा अधिक गहरा या प्रबल होता है। धारणा तो सहज में बदल सकती है; पर छाप का मिटना उतना सहज नहीं होता—वह कुछ अधिक दृढ़ और स्थायी होती है। हम कहते हैं—वाल्यावस्था में जो छाप मन पर पड़ती (या बैठती) है, वह प्रायः बहुत दिनों तक ज्यों की त्यों बनी रहती है। समझ (स० सञ्ज्ञ, प्रा० समुझ) हमारे मन की वह शक्ति (या बुद्धि का वह अंग) है, जिसके अनुसार हम देखी और सुनी हुई बातें ग्रहण या धारण करते हैं। हमें जो कुछ पढाया, बतलाया

✽ जा की रही भावना जैसी। हरि मूर्ति देखी तिन्ह तैसी।—तुलसी।
यहाँ हरि की मूर्त तो एक ही थी; पर अपनी अपनी भावना के अनुसार वह लोगों को अलग अलग प्रकार या रूप की जान पड़ती थी।

† बुद्धि और समझ का विशेष अन्तर जानने के लिए दे० 'बुद्धिमान्' वाली शब्द-माला और उसके अन्तर्गत 'समझदार' शब्द।

या सिखाया जाता है, वह इसी के द्वारा हमारे मन में बैठता है। आस-पास की घटनाएँ या बातें देखकर हम उनकी जो तुलना करते या उनमें पारस्परिक तारतम्य स्थापित करते हैं अथवा आवश्यकता पडने पर हम जो उपाय, कर्तव्य आदि सोचते या स्थिर करते हैं, वे सब इसी समझ के बल से करते हैं। समझ मनुष्यों में तो होती ही है, पशु-पक्षियों में भी थोड़ी-बहुत होती है। यह प्रायः वयः और अनुभव के अनुसार बढ़ती और कुछ अवस्थाओं में बदलती भी रहती है।

विरुद्ध (Opposit)

उल्टा=प्रतिलोम	प्रतिलोम (Reverse)
प्रतिकारिक (Counter-active,)	प्रतिवादि (Contradictory)
प्रतिकूल (Adverse)	मारक (Antidote)
प्रतिक्रियक=प्रतिकारिक	विपरीत (Contrary)
प्रतिपक्षीय (Hostile)	विलोम=प्रतिलोम

इस वर्ग के प्रायः सभी शब्द ऐसे कार्यों, भावों आदि के सूचक हैं जो किसी दूसरे काम में बाधक या हानिकारक सिद्ध हो सकते या मेल न रखने के कारण सामने की ओर आकर रुकावट डाल सकते हैं या उलटी दिशा में प्रवृत्त रहते हैं। प्रतिकूल, विपरीत और विरुद्ध प्रायः एक दूसरे के समानार्थी माने जाते और इसी रूप में प्रयुक्त भी होते हुए देखे जाते हैं। फिर भी इनमें बहुत-कुछ अन्तर है। विरुद्ध का शब्दार्थ है—सामने आकर रोकनेवाला अथवा मुकाबले में होने या रहनेवाला। इस दृष्टि से यह साधारण-सी आपत्ति का भी सूचक हो सकता है और घोर वैर या शत्रुता का भी। हम किसी के विरुद्ध अपने विचार प्रकट कर सकते हैं; और युद्ध में एक राष्ट्र के विरुद्ध अनेक राष्ट्र सम्मिलित हो सकते हैं। राजनीतिक अन्यायों अथवा सामाजिक कु-प्रथाओं के विरुद्ध प्रायः आन्दोलन होते रहते हैं। इस प्रकार किसी के उद्देश्य, कार्य या विचार को विफल करने का भाव ही इसमें मुख्य

है। प्रतिकूल का शब्दार्थ है—सामनेवाला कूल या किनारा। जिस छोर या सिरे पर हम हैं, उसके सामनेवाले छोर या सिरे पर जो हो, वही हमारे लिए प्रतिकूल है। इसमें दूरी और मुकाबले पर होने के भाव मुख्य हैं, सामने आकर टकराने या रास्ता रोकने का भाव गौण ही है। यह विरुद्ध की तुलना में कुछ अधिक भाव का सूचक है। विरुद्ध तो प्रायः निश्चित रूप से घातक या हानिकारक सिद्ध होता है; पर प्रतिकूल का मदा घातक या हानिकारक सिद्ध होना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। हाँ कुछ अवसरों पर वह थोड़ा-बहुत घातक या हानिकारक हो भी सकता है। कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारी प्रकृति के प्रतिकूल होते हैं, और आपके सिद्धान्त हमारे सिद्धान्तों के प्रतिकूल हो सकते हैं। पर इनसे घात या हानि होना अनिवार्य या आवश्यक नहीं होता। यह अनुकूल का विपर्याय मात्र है। विपरीत अपेक्षया और भी हलका शब्द है। इसका शब्दार्थ है—पीछे की ओर घूमा या मुड़ा हुआ। पर साधारणतः जिन चीजों, बातों, भावों आदि में मन्दी किसी तरह मेल न बैठ सकता हो या जिनसे समझौते का कोई आधार न हो, उन्हें विपरीत कहते हैं। दुष्ट प्रकृति के लोग सामाजिक नियमों के विपरीत आचरण करते हैं; चीते या शेर और गौ या बकरी की प्रवृत्ति और स्वभाव परस्पर विपरीत होते हैं; और वैद्यक में विपरीत भोजन (मास-मछली या मद्य के साथ दूध आदि) का सेवन वर्जित है। कुछ अवस्थाओं में यह शब्द स्थिति मात्र का सूचक और निरीह तथा निदोष भी हो सकता है। हम कहते हैं—इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है; अर्थात् इसके बदले अनुकूल बात भी हो सकती है। यद्यपि हिन्दी में चलटा (स उल्लुट्ट—लुटकना) का कई अर्थों में प्रयोग होता है, पर प्रस्तुत प्रसंग में यह प्रतिलोम या विलोम का समानक ही है। इसका प्रयोग नियत, नियमित या स्वाभाविक क्रम, दिशा, सम्बन्ध, स्थिति आदि के विचार से दिखाई देनेवाली विपरीतता सूचित करने के लिए होता है। प्रतिलोम और विलोम वस्तु अनुलोम* के विपर्याय हैं। यदि हम १ से आरम्भ करके १० तक गिनती गिनें

❁ अनुलोम का शब्दार्थ है—वह दिशा या स्थिति जो शरीर से निकलने-वाले लोमो (रोओं) की स्वभावतः होती है। इसी लिए यह शब्द नियत और स्वाभाविक क्रम, व्यवस्था आदि का वाचक हो गया है।

तो यह अनुलोम क्रम होगा; पर यदि हम १० से आरम्भ करके ६, ८, ७ आदि कहते हुए १ तक आवें, तो यह प्रतिलोम या विलोम क्रम कहलावेगा। वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्रम तो अनुलोम है; पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण का क्रम प्रतिलोम या विलोम है। इसी आधार पर यदि ब्राह्मण पुरुष किसी क्षत्रिय या वैश्य कन्या से विवाह करे, तो इसे अनुलोम विवाह कहेंगे, पर यदि कोई वैश्य किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण कन्या से विवाह करे, तो वह प्रतिलोम विवाह कहलावेगा। नदी के बहाव के साथ चलना अनुलोम गति है; इसके विपरीत चढाव की ओर चलना प्रतिलोम गति है। जो नीचे सदा ऊपर की ओर जाती हो (जैसे—धूआँ) वह यदि ऊपर से नीचे की ओर आने लगे तो उसकी गति प्रतिलोम कहलावेगी; और जो सदा ऊपर से नीचे की ओर आती हो (जैसे—पेड़ से फल का जमीन पर गिरना) वह यदि किसी कारण या किसी परिस्थिति में नीचे से ऊपर की ओर जाय, तो उसकी यह विपरीत गति प्रतिलोम या विलोम कही जायगी। अर्थ के विचार से प्रतिकारिक*

* अ० रिप्लक्शन (Reaction) के लिए हमारे यहाँ बहुत दिनों से प्रतिक्रिया शब्द प्रयुक्त होता आया है, जिसे अब हटाना प्रायः असम्भव है। पर प्रस्तुत अर्थ के विचार से यह ठीक नहीं है। इसकी जगह अनुक्रिया का प्रयोग ही प्रशस्त होगा। प्रतिक्रिया तो Counter-action का समानक है। यह ठीक है कि हमारे यहाँ संस्कृत उपसर्ग प्रति के अनेक अर्थ हैं, पर Reaction में जो भाव मुख्य है, वह 'प्रति' से नहीं, बल्कि 'अनु' से ही अच्छी तरह सूचित होता है। किसी क्रिया के बाद उसके फल-स्वरूप जो दूसरी क्रिया (चाहे वह अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल) होती है, वही रिप्लक्शन है। मनोविज्ञान और रसायन शास्त्र की मान्यता में परवर्ती क्रिया बहुधा अनुकूल या अभीष्ट ही होती है। पर 'प्रति' प्रायः विरुद्ध या विपरीत भाव का सूचक होता है, अतः प्रतिक्रिया को यदि हम Counter-action मान लें तो प्रत्याक्रमण (Counter-attack) प्रति प्रस्ताव (Counter-proposal) आदि के साथ इसकी ठीक तरह से सगति बैठ जायगी; अतः यह विषय शब्दकारों, भाषाविदों और विद्वानों के लिए विचारणीय है।

(या प्रतिक्रियक), प्रात-पक्षीय और प्रतिवादिक् एक वर्ग में रखे जा सकते हैं । प्रतिक्रियक वह है जो किसी कार्य या क्रिया के विरुद्ध हो और उस कार्य अथवा क्रिया में विघात करे । जब कोई बुरा या हानिकारक प्रभाव दिखाई देता है, तब उसे नष्ट करने के लिए जो अच्छा या लाभदायक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, वह पहले प्रभाव का प्रतिक्रियक कहलाता है । चिकित्सक जब रोगी को कोई औषध देते हैं, तब इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें कोई ऐसी औषधि न हो, जो किसी दूसरी औषधि या रोगी के स्वास्थ्य के लिए प्रतिक्रियक हो । प्रति-पक्षीय वह है जो सदा विरुद्ध पक्ष में रहता हो और अक्सर पाते ही शत्रुता का आचरण या व्यवहार करता हो । राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिपक्षीय दल, देश या राष्ट्र सदा एक दूसरे को हानि पहुँचाने की ताक में रहते हैं, और अक्सर पाते ही घात करते हैं । प्रतिपक्षीय सदा अशुभ-चिन्तक होता है । प्रतिवादिक् स० प्रतिवाद से बना हुआ विशेषण है । यदि हमारे सम्बन्ध में हमारा प्रतिपक्षी किसी अनुचित या मिथ्या बात का प्रचार करे अथवा हमारे सम्बन्ध में कोई भ्रम फैलाना चाहे, तो स्वभावतः हमें कहना पड़ता है कि यह बात ठीक नहीं है । यही हमारा प्रतिवाद है, और हमारा ऐसा कथन प्रतिवादिक् कहलावेगा । यहाँ तक तो इसका मूल अर्थ हुआ । पर इससे आगे कुछ विस्तृत अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है । यदि हम अपनी किसी पुस्तक में एक जगह तो एक सिद्धान्त प्रस्थापित करें, पर आगे चलकर दूसरे स्थान पर कोई ऐसा सिद्धान्त प्रस्थापित करें जिससे उस पहले सिद्धान्त का खंडन या विरोध होता हो, तो हमारे दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के प्रतिवादिक् कहे जायेंगे । यदि हम आज किसी प्रसंग में न्यायालय के सामने एक बात कहे और चार दिन बाद दूसरे प्रसंग में उससे बिलकुल उलटी या विपरीत बात कहे तो हमारी दोनों बातें एक दूसरी की प्रतिवादिक् कही जायेंगी । इसमें मुख्य भाव अपनी पहली बात नकारकर उसकी जगह दूसरी उलटी बात कहने का है, और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी कही हुई दोनों बातों में से कोई एक बात तो ठीक है और दूसरी गलत । 'मोहन सत्यवादी है ।' और 'मोहन सत्यवादी नहीं है ।' एक दूसरे के प्रतिवादिक् कथन हैं । इनमें से कोई एक बात ठीक हो सकती है, दोनों ठीक नहीं हो सकतीं । या तो हमें कहना

पड़ेगा कि हमारी घड़ी बिलकुल ठीक समय देती है; या यह कहना पड़ेगा कि वह ठीक समय नहीं देती। यह नहीं हो सकता कि वह ठीक समय दे भी और न भी दे। दोनों बातें एक साथ कहना प्रतिवादिक होगा। मारक का साधारण अर्थ तो है—मार डालनेवाला, पर वैद्यक और रसायन शास्त्रों में इसका एक मुख्य पारिभाषिक अर्थ होता है। वहाँ मारक उस औषध या पदार्थ को कहते हैं जो किसी विषय या वस्तु का नाश या शमन करे। यदि किसी को साँप काट ले तो उसे प्रायः केले के तने का पानी इसलिए पिलाया जाता है कि उसके शरीर में फैले हुए विष का प्रभाव नष्ट हो। इसी लिए केले का पानी सर्प-विष का मारक कहलाता है। विस्तृत अर्थ में, चीनी खरबूजे के लिए और दूध आम के लिए मारक माना जाता है। यदि कोई ढेर से खरबूजे या आम खा ले, तो उसका प्रभाव कम करने के लिए चीनी या दूध का सेवन किया जाता है। लाक्षणिक रूप में, जो काम या बात किसी पहले काम या बात के शुभ या अशुभ परिणाम या प्रभाव करे, अथवा उसे विफल और व्यर्थ कर दे, उसे पहले काम या बात का मारक कहेंगे। यदि हमारे साथ कोई धूर्त्ता, बोखेबाजी या विश्वास-घात करे और हमारे हाथ में कोई ऐसा उपाय, प्रमाण या शस्त्र हो जिससे हम सहज में उसके दुष्कर्मों का भडा-फोड़ करके उसे बेईमान या विश्वास-घातक सिद्ध कर सकें, तो हम कहेंगे—उसे दुष्टता कर लेने दो; हमारे पास उसका मारक है। आशय यही होगा कि हम सहज में उसे विफल कर सकते हैं।

विवाह (Marriage)

एक-विवाह (Monogamy)	बहु-विवाह (Polygamy)
द्वि-विवाह (Bigamy)	विधवा-विवाह (Widow-marriage)
पाणि-ग्रहण=विवाह	
बहु-पतित्व (Polyandry)	स्वयंवर
बहु-पत्नीत्व (Polygyny)	

विवाह वह संस्कार है, जिसके सम्पन्न होने पर कोई पुरुष और कोई स्त्री मिलकर पति और पत्नी के रूप में साथ-साथ रहते हैं। पहले यह सम्बन्ध विल-कुल वैयक्तिक और सामाजिक अनुबन्ध के रूप में होता था, पर बाद में स्त्रियों की रक्षा, वश-वृद्धि, सपत्ति की सुरक्षा, उत्तराधिकार आदि के विचार से इसमें धार्मिक, विधिक और सामाजिक बन्धन लगते गये और इसके अनेक प्रकार, भेद और रूप होते गये। सभी देशों और समाजों में इसके लिए कुछ अलग-अलग नियम और विधान हैं। कहीं स्त्रियाँ धन लेकर खरीदी जाती हैं, कहीं वे अपने लिए स्वयं पति का वरण करती हैं, और कहीं ऐसी रस्में होती हैं कि मानो स्त्री लड़ाई में जीत और पकड़कर लाई गई हो। कहीं-कहीं परम निकट सम्बन्धियों या कुछ विशिष्ट कुलों और गोत्रों में विवाह सम्बन्ध बजित होता है। हिन्दुओं में यह १६ स्कारों में से एक मुख्य स्कार माना गया है, और इसके ये आठ प्रकार कहे गये हैं—ब्राह्म, दैव, आर्ष, आसुर, प्राजापत्य, गन्धर्व, राजस और पैशाच। पर आज-कल इनमें से केवल ब्राह्म विवाह प्रचलित और लोक-विहित है। साधारणतः विवाह में लड़की का हाथ लडके को पकड़ाने की प्रथा प्रचलित है, जिसका आशय यह है कि लडकी का पिता या अभिभावक उपयुक्त वर के हाथ में उसे सौंप देता है। इसी प्रथा के आधार पर हमारे यहाँ विवाह को पाणि ग्रहण भी कहते हैं; क्योंकि इसमें वर अपनी भावी वधू का हाथ पकड़कर उसे अपने सरलून में लेता है। जब लडकियाँ अपनी इच्छा से अपने लिए आप पति या वर ढूँढ लेती हैं, तब ऐसी प्रथा स्वयंवर कहलाती है। अनेक देशों और समाजों में एक व्यक्ति

एक ही समय में कई स्त्रियों को पत्नी के रूप में रखता है। पर अधिकतर सभ्य देशों और समाजों में एक-विवाह की प्रथा ही ठीक और मान्य समझी जाती है। इसमें कोई स्त्री या पुरुष एक समय में एक ही पुरुष या स्त्री से विवाह-सम्बन्ध रख सकता है। न तो स्त्री को अपने पति के जीवन-काल में उसके अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष से और न किसी पुरुष को पत्नी के जीवन रहने पर किसी दूसरी स्त्री से दाम्पत्य या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार होता है। स्त्री के मर जाने पर प्रायः सभी जगह पुरुषों को दूसरा विवाह करने का अधिकार और स्वतन्त्रता होती है; पर अनेक देशों और स्थानों में स्त्रियों को पति के मरने पर दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होता। अब स्त्रियों को भी धीरे-धीरे यह अधिकार मिलने लगा है। जब विधवा स्त्रियाँ फिर से अपना विवाह करती हैं; तब उसे विधवा विवाह कहते हैं*। जब कोई पुरुष या स्त्री एक ही समय में दो स्त्रियों या पुरुषों से विवाह सम्बन्ध स्थापित करे, तब उसे द्वि-विवाह कहते हैं। पर इस प्रकार का विवाह बहुधा पुरुषों का ही होता है, स्त्रियों का नहीं; और अब ऐसे विवाह विधिक दृष्टि से वर्जित होते जाते हैं। बहु-विवाह वह कहलाता है, जिसमें धार्मिक, विधिक या सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्री या पुरुष को एक ही समय में कई पुरुषों या स्त्रियों के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार होता है। बहु-पतित्व और बहु-पत्नीत्व इसी के दो अलग-अलग भेद हैं। जब एक स्त्री को एक ही समय में अनेक पुरुषों के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध रखने का अधिकार होता है, तब उसे बहु-पतित्व कहते हैं। भारत के कुछ पार्वत्य प्रदेशों तथा तिब्बत के कृष्क वर्ग में और ससार की कई आदिम जातियों में यह प्रथा अब भी प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार प्रायः कई भाइयों का एक साथ एक ही स्त्री से विवाह हो जाता है, और उन सब को उस स्त्री के सम्बन्ध में पति होने का अधिकार होता है। महाभारत के पाँचों पांडवों और द्रौपदी का विवाह सम्बन्ध हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। इसके विपरीत जब पुरुष को एक ही समय में कई स्त्रियों

ॐ विधवा-विवाह का एक और अर्थ यह भी होता है—किसी विधवा के साथ होनेवाला पुरुष का विवाह। पर कलतः दोनों एक ही हैं।

के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध रखने का अधिकार होता है, तब उसे बहु-पत्नीत्व कहते हैं। अफ्रिका के हबिश्यों और आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों में यह प्रथा अब तक प्रचलित है। पश्चिमी एशिया की सभी जातियों में किसी समय यह प्रथा प्रचलित थी, और वहीं से यह इस्लाम धर्म में आई थी, जो अब तक मुसलमानों में कुछ न कुछ प्रचलित और मान्य है। पर अब धीरे-धीरे इन सब प्रथाओं का अन्त होता जाता है; और केवल एक-विवाह वाली प्रथा न्याय-सगत, विधि-विहित और शिष्ट सम्मत मानी जाती है।

विवेचना (Prudence)

पूर्व-दृष्टि (Foresight) पूर्व-विवेचन (Providence)

पूर्व-विचार (Fore-thought) संविवेक (Discretion)

ये शब्द मनुष्य के उन गुणों के वाचक हैं, जिनके योग से वह असमजस या कठिनाई के समय समझ-बूझकर ठीक रास्ता निकाल सकता है। विवेचना वह गुण या शक्ति है जो हमें सब बातों का आगा-पीछा या ऊँच-नीच समझने के योग्य बनाती और हमें कर्त्तव्य का उचित मार्ग बताती है। इससे हम सावधानता-पूर्वक सब बातों पर विचार करते हैं, भले ही वह विचार स्वार्थ-पूर्ण और दूसरों के लिए अप्रिय हो। इसमें मुख्य भाव दूर तक देखते हुए ठीक तरह से विचार करने का है। पूर्व-दृष्टि वह है जो हमें भविष्य की बातें और उनके सम्भावित परिणाम समझने और उनके लिए तैयार रहने के योग्य बनाती है। बुद्धि यथेष्ट विकसित होने पर ही मनुष्य पूर्व-दर्शी हो सकता है। पूर्व-विचार भी बहुत-कुछ वही है, जो पूर्व-दृष्टि है, पर पूर्व-दृष्टि में जहाँ दर्शिता का भाव मुख्य है, वहाँ पूर्व-विचार में विचारणा या विवेचना प्रधान है। पूर्व-दृष्टि में प्रायः भावी घटनाओं की अपेक्षा होती है, परन्तु पूर्व-विचार बहुत-कुछ प्रस्तुत प्रसंग से सम्बद्ध है, और इसी लिए हम इसे पूर्व-विवेचन का पर्याय भी कह सकते हैं। हाँ, पूर्व-विचार

की अपेक्षा पूर्व-विवेचन अधिक व्यापक शब्द है। पूर्व-विचार तो किसी एक घटना या प्रसंग के सम्बन्ध में ही हो सकता है; पर पूर्व-विवेचन वह गुण या शक्ति है जो हमें पूर्व-दृष्टि भी प्रदान कर सकती है और जो हमसे पूर्व-विचार भी करा सकती है। संविवेक शब्द इसलिए सयम और विवेक के योग से बनाया गया है कि अंगरेजी में डिस्क्रिशन (Discretion) का जो अर्थ है, वह संयम और विवेक दोनों के भाव से युक्त है। यह मुख्यतः उस गुण का वाचक है जो विकट अवसरों पर हमें सब बातें अच्छी तरह सोच-समझकर और उनके सब अंगों पर पूरा विचार करके भविष्य के सम्बन्ध में उचित निर्णय करने के योग्य बनाता है। यह हमें सब ओर से सचेत रखकर उतावलापन करने से रोकता है, और आपे से बाहर नहीं होने देता। जब हमारे सामने एक ओर कूआँ और दूसरी ओर खाई हो अथवा जब हम चारों ओर से घिर गये हो, तब हमें सविवेक से काम लेकर कहीं कुछ दबना भी पड़ता है। यहीं इसमें सयम का भाव दिखाई देता है। पर यह हमें बुद्धिमत्तापूर्वक उचित कार्य या निर्णय करने के योग्य भी बनाता है, इसलिए विवेक के भाव से भी युक्त है। इसी दृष्टि से कहा जा सकता है— न्यायाधीश का विचार तो कुछ और ही जान पड़ता था, पर जब उनके सामने कानून की धारा निकालकर रख दी गई, तब उनके लिए कोई उपाय (या मार्ग) न रह गया—वे अपने सविवेक से काम न ले सके।

वेतन (१. Pay, २. Salary*)

अधिलाम (Bonus)	भत्ता (Allowance)
अनुवेतन (Pension)	भृति (Wage, Wages)
आनुतोषिक (Gratuity)	मजदूरी=भृति
तनखाह=वेतन	महीना=वेतन
परिवेतन (Emolument)	मानदेय (Honorarium)
पारिश्रमिक (Remuneration)	वृत्ति (Stipend)
फीस=शुल्क	शुल्क (Fee)

इस वर्ग के शब्द ऐसी घन-राशि के वाचक हैं जो कोई काम या सेवा करने-वालों को विविध दृष्टियों से दी जाती है। वेतन सबसे अधिक प्रचलित शब्द है, जिसे तनखाह (फा० तनखाह) भी कहते हैं। यह प्रायः हर महीने दिया जाता है, इधं लिए साधारण बोल-चाल में इसे महीना भी कहते हैं। इसकी रकम महीने के हिसाब से निश्चित होती है; और प्रायः हर महीने के बाद निश्चित समय पर दी भी जाती है। आप तीन सौ रुपए मासिक वेतन पर किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं; और हम अपनी मजदूरी को दस रुपए मासिक वेतन देते हैं। अनुवेतन वह है जो किसी को बहुत दिनों तक किसी पद पर काम कर चुकने के बाद, उसके वृद्ध और अस्मर्थ हो जाने पर, उससे बिना कोई काम या सेवा लिये और केवल उसके भरण-पोषण के विचार से उसे दिया जाता है। यह

❀ अँगरेजी में पे (Pay) और सैलरी (Salary) में यह अन्तर है कि 'पे' तो सार्विक शब्द है, और सब जगह प्रयुक्त होता है, पर 'सैलरी' ऐसे व्यक्तियों की होती है जो अपने काम के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जैसे अध्यापक, सैनिक अधिकारी आदि। पर हमारे यहाँ ऐसा कोई अन्तर नहीं माना जाता और अँगरेजी के उक्त दोनो शब्दों के लिए एक 'वेतन' शब्द ही प्रचलित है।

प्रायः सेवा-काल के वेतन के आधे के लगभग या उससे कुछ कम होता है, और सरकारी सेवाएँ करनेवालों को मिलता है। बड़े-बड़े व्यापारी या अमीर भी कभी-कभी अपने पुराने और बड़बड़े नौकरों को कुछ अनुवेतन देते हैं। भृति वह है जो साधारण शारीरिक श्रम करनेवाले लोगों (जैसे-राज, मजदूर, बढई आदि) को दैनिक या साप्ताहिक काम के हिसाब से दी जाती है। इसे मजदूरी भी कहते हैं। भत्ता वह है जो कुछ विशिष्ट अवसरों पर खाने-पीने आदि के अतिरिक्त व्यय के विचार से श्रुगुह या सविवेकपूर्वक किसी नौकर को, उसके वेतन के अतिरिक्त, दिया जाता है। यदि कोई नौकर महीने दो महीने के लिए किसी दूसरी जगह काम करने के लिए भेजा जाय, तो वहाँ उसका जो अतिरिक्त व्यय होगा, उसी की पूर्ति के विचार से उसे भत्ता दिया जायगा। अथवा यदि किसी से उसकी नियत सेवा के सिवा कुछ और काम भी लिया जाय या खाने-पीने की चीजें अस्थायी रूप से बहुत महँगी हो जायें, तो इस दृष्टि से भी कुछ भत्ता दिया जाता है*। वृत्ति भी एक प्रकार का वेतन ही है; पर यह कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों को केवल उनके भरण-पोषण या निर्वाह के विचार से दी जाती है। यह वेतन और भत्ते दोनों के लिए सम्मान-मूलक शब्द है। वृत्ति पानेवाले के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह नियमित और निश्चित रूप से उसी प्रकार कोई काम करे, जिस प्रकार वेतन या भृति पानेवाले लोग करते हैं। गरीब विद्यार्थियों, बृद्ध और सम्मानित विद्वानों, नि स्वार्थ भाव से बड़ी-बड़ी सेवाएँ करनेवालों आदि को सरकार या बड़े आदमियों के यहाँ से प्रायः वृत्ति मिलती है। परिवेत्तन वह है जो किसी बड़े अधिकारी को उसके पद के विचार से वेतन, भत्ते, गाड़ी या मोटर के व्यय, यात्रा-व्यय आदि के रूप में मिलता है। इसमें वेतन के अतिरिक्त और प्रकार से (घूस या चोरी-बेईमानी आदि के द्वारा नहीं) होनेवाली वह सारी आय भी सम्मिलित है जो उस पद पर होने के कारण उसे होती है। मानदेय वह है जो प्रायः विशिष्ट रूप से बहुत योग्य व्यक्तियों को उनके सम्मान मात्र के

✽ इस अन्तिम दृष्टि से जो भत्ता दिया जाता है, उसे महँगाई Dearness allowance कहते हैं।

विचार से किसी ऐसी बड़ी सेवा के लिए दिया जाता है, जो बहुत नियमित रूप से नहीं ली जाती। जिन्हे उनकी योग्यता के अनुसार वेतन नहीं दिया जा सकता अथवा वैतनिक सेवक के रूप में जिनसे काम लेना या काम कराना अपमानजनक समझा जाता है, उन्हें विशिष्ट सेवाश्री के बदले में जो थोड़ा-बहुत धन (प्रायः नियमित रूप से) अर्पित किया जाता है, वही मानदेय कहलाता है। पारिश्रमिक वह है जो किसी को उसके परिश्रमपूर्वक कोई काम करने पर एक साथ (वेतन, वृत्ति आदि के रूप में नहीं) दिया जाता है। लेखक कोई पुस्तक लिखकर प्रकाशक को प्रकाशित करने के लिए देता है, और प्रकाशक उस लेखक को परिश्रम के फल-स्वरूप हजाररुपए पारिश्रमिक देता है। कोई हमारा साल भर का बही-खाता या हिसाब लिख देता या उसे जाँच देता है, और उसके इस परिश्रम के बदले में हम उसे पाँच सौ रुपए पारिश्रमिक देते हैं*। अधिलाभ और आनुतोषिक प्राय व्यापारिक क्षेत्रों के शब्द हैं। स० लाभ में अधि उपसर्ग लगाकर अधिलाभ (नया शब्द) बनाया गया है। जब किसी व्यापारी या कारखाने के मालिक को विशिष्ट आर्थिक वचत या लाभ होता है, तब वह अपने लाभ का कुछ अंश अपने नौकरों को भी (अथवा अपने हिस्सेदारों को भी) उत्साहित अथवा प्रसन्न करने के लिए देता है। यही अधिलाभ कहलाता है। यह वेतन, भत्ते आदि के अतिरिक्त होता और प्राय तीसरे या छठे महीने अथवा वर्ष के अन्त में (लाभ का हिसाब हो चुकने पर) दिया जाता है। आनुतोषिक स० अनुतोषण से बनाया हुआ शब्द है। अनुतोषण का अर्थ है—किसी को (अपने अनुकूल करने के लिए) सन्तुष्ट या प्रसन्न करना। जब हम किसी के

* अँगरेजी में Remuneration का भाव हमारे पारिश्रमिक के भाव से बहुत आगे बढ़ा हुआ है। उसमें कार्य की उत्कृष्टता का भी भाव है और उसके कर्ता के आदर-सम्मान का भी। पर हमारे यहाँ इसके लिए 'पारिश्रमिक' चल पड़ा है, जो 'परिश्रम' से बना है, और इसी दृष्टि से यहाँ 'पारिश्रमिक' की व्याख्या की गई है। अन्यथा Remuneration भी तत्त्वतः पुरस्कार के ही वर्ग की चीज है।

किसी कार्य या सेवा से प्रसन्न और सुखी होकर उसे कुछ धन यों ही अथवा उसके वेतन आदि के अतिरिक्त उसे सन्तुष्ट करने के लिए देते हैं, तब इस प्रकार दिया जानेवाला धन आनुतोषिक कहलाता है (विशेष दे०-‘दान’ के अन्तर्गत ‘पारितोषिक’ और ‘पुरस्कार’)। होटलों में चाय, भोजन आदि लानेवाले नौकरों, धर्मशालाओं के जमादारों, बड़े अधिकारियों के चपरासियों आदि को चलते समय कुछ आनुतोषिक देने की प्रथा सी है। इसी रूप में दिया जानेवाला धन आनुतोषिक है। फीस या शुल्क वह धन है जो गवैयाँ, चिकित्सकों, वकीलों आदि को उनसे लिये जानेवाले काम के बदले में दिया जाता है। विद्यार्थियों को विद्यालयों में पढाई के बदले में जो धन नियमित रूप से प्रति मास देना पडता है, उसे भी फीस या शुल्क कहते हैं। पर यदि कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को अपने घर बुलाकर या उसके घर जाकर अलग से कुछ और पढाता है, तो उसके बदले में उसे मिलनेवाला धन यदि मासिक हिसाब से हो तो वेतन और सब मिलाकर इकट्ठा और एक साथ मिले तो पारिश्रमिक कहा जायगा। विद्यालयों में दी जानेवाली फीस या शुल्क को छोड़कर बाकी सब प्रकार की फीसे या शुल्क प्रायः अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग होते हैं। जैसे—वैद्य जी अपने घर रोगी को देखने का शुल्क १) और रोगी के घर जाकर देखने का ५) लेते हैं; अथवा हमारे वकील साहब पहले तो हर पेशी का शुल्क १०) लेते थे, पर अब १५) लेने लगे हैं।

वैर (Hostility)

विरोध (Conflict)

२. Opposition)

वैमनस्य

शत्रुता (Enmity)

वैर शब्द स० वीर से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है, और इस दृष्टि से इसका अर्थ होता है—वीर का काम या वीरता। पर इसका यह व्युत्पत्तिक

अर्थ इसमें से बिलकुल निकल गया है; और इसमें दुश्मनी या शत्रुता के भाव का सूचक एक नया अर्थ आ लगा है। वीर लोग प्राय आपस में लड़ते-भगड़ते रहते थे, अत एक दूसरे के साथ शत्रुता होने पर उसके प्रति मन में जो विरोधी भाव बना रहता है, वही वैर कहलाता है। यह सदा ऊपर से तो प्रकट नहीं होता, पर बीच बीच में अपना साधारण या उग्र रूप प्रकट करता ही रहता है। ऊपर से देखने पर शत्रुता यदि न भी रह जाय, तो भी मन में अधिक समय तक वैर बना रह सकता है। इससे प्रेरित होकर प्रतिपक्षी को हानि पहुँचानेवाला जो काम किया जाता है, वही लड़ाई, विग्रह, युद्ध आदि के रूप धारण करता है। यह मनोमालिन्य (दे०-कलह) का उग्रतम और सक्रिय रूप है। विरोध स० विरुद्ध से बना है, जिसका अर्थ है—वेगना, रोकना, बाधक होना आदि। हिन्दी में यह मुख्यतः दो अर्थों में चलता है। जब एक आदमी कोई काम करता या कोई बात कहता है और दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा होकर कहना है—‘तुम्हारा यह काम या बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए; मैं तुम्हें रोकता हूँ, मैं तुम्हारा दोष या भूल बतलाता हूँ, तो उस दूसरे आदमी का ऐसा कहना या इसके अनुसार कुछ करना विरोध कहलाता है। यह श्रच्छा, बुरा, उग्र, कोमल (या हलका) सभी प्रकार का होता है। हम किसी बुरी बात का उचित रूप से भी विरोध कर सकते हैं; और केवल दल-वन्दी, राग-द्वेष आदि के कारण किसी श्रच्छी बात का अनुचित रूप से भी विरोध कर सकते हैं। पर ऐसा विरोध सदा एक ही विषय से सम्बद्ध होता है, और उस विषय की समाप्ति के साथ ही ऐसा विरोध भी समाप्त हो जाता है। पर इसका दूसरा रूप वह होता है जो व्यक्तियों या दलों में होनेवाली सभी बातों से सम्बन्ध रखता है, और प्राय कुछ दिनों तक चलता रहता है। इसके फल-स्वरूप दोनों व्यक्तियों या दलों में किसी न किसी रूप में कुछ संघर्ष होता रहता है। इसमें प्राय दो शक्तियाँ बराबर एक दूसरी से टकराती रहती और विपरीत दिशा में काम करती रहती हैं। इसी दृष्टि से विरोध का प्रयोग जीम-बगत में ही नहीं, निर्जीव बगत में भी होता है। साँप और नेवले में जो प्राकृतिक और स्वभाविक विरोध है, वह उनके बश-गत वैर के रूप में दिखाई देता है। खाने-पीने के क्षेत्र में भी कहा जाता है—

मास और दूध का विरोध है। अर्थात् मास खाने के बाद तुरन्त ही दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दोनों में तात्त्विक विरोध है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। (विशेष दे०-विरुद्ध)

वैमनस्य शब्द सं० विमनस् का भाव-वाचक रूप है, और विमनस् का अर्थ है—जिसका चित्त या मन ठिकाने न हों, या घबराहट, सकट आदि के कारण जो बहुत ही खिन्न और उदास हो रहा हो। इसी विमनस् का एक और रूप होता है—अन्यमनस। हिन्दी में इनके रूप क्रमात् विमना और अन्यमना होते हैं; और इन्हीं से विमनस्क और अन्यमनस्क रूप बनते हैं। इसी लिए वैमनस्य का शाब्दिक अर्थ होता है—मानसिक अवसाद, या ऐसा खेद जिससे मनुष्य का सारा उत्साह ठटा पड़ गया हो और वह सब बातों से विरक्त-सा हो रहा हो। पर हिन्दी में इस वैमनस्य शब्द में न जाने कहाँ से और कैसे एक नया अर्थ आ लगा है, जिससे यह विद्वेष, वैर-विरोध, शत्रुता आदि शब्दों का पर्याय-सा बन गया है। हिन्दी में यह मन में रहनेवाले वैर या शत्रुता के भाव का सूचक हो गया है। हम कहते हैं—दोनों परिवारों में बहुत दिनों से वैमनस्य चला आ रहा है; अथवा—व्यर्थ आपस से वैमनस्य बढ़ाना ठीक नहीं है। शत्रुता वस्तुतः विद्वेष और वैर का वह खुला हुआ और स्पष्ट विकास है जो प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील होकर सामने आता है। शत्रुता सदा दुष्टतापूर्ण और नाशक कार्य करती रहती है। यद्यपि यह वैर या विरोध की तरह दीर्घ-काल-व्यापी नहीं है, फिर भी एक बार आरम्भ होने पर प्रायः कुछ दिनों तक चलती रहती है; और यदि अविक्रम हो तो कई पीढ़ियों तक भी चल सकती है। पर होती यह सदा व्यक्तिगत कारणों से और वैयक्तिक ही है। जातियों, देशों या राष्ट्रों में भी शत्रुता होती है, पर उस दशा में भी उन जातियों, देशों, राष्ट्रों आदि के रत्नव्यक्ति का भाव ही मुख्य होता है। वैर विरोध आदि की तरह यह भी बीच-बीच में कुछ दब-

ॐ हिन्दी का अनमना शब्द इसी अग्रमना से बना है, जिसका अर्थ होता है—अवसाद, खेद आदि के कारण जिसका मन किसी काम या बात में न लग रहा हो।

कर फिर सिर उठाती रहती है; और प्रायः विशेष विनाश के बाद ही इसका अन्त होता है। यो साधारणतः वैर और शत्रुता में विशेष अन्तर नहीं माना जाता *; फिर भी शत्रुता की तुलना में वैर अधिक उग्र, विकट, विनाशक और स्थायी होता है। हमारे यहाँ नीति का वाक्य है—माता वैरी, पिता शत्रु, ये न बालेन पाठित। इसमें वैरी और शत्रु को प्रायः समानक माना गया है, पर वस्तुतः दोनों में अन्तर है। हम यह तो कहते हैं—हम इस समय आप ही अपने शत्रु ही रहे हैं; पर यह नहीं कहते—हम इस समय आप ही अपने वैरी हो रहे हैं। कारण यही है कि वैरी बहुत विकट होता और सदा भारी हानि पहुँचाने का प्रयत्न करता रहता है।

शक्ति (Power)

ऊर्जा (Energy)

प्रभविष्णुता (Potency)

ओज (Vigour)

बल (१. Force, २ Strength)

जीवति (Vitality)

महाबल (Might)

ताकत=१. बल, २. शक्ति

विक्रम=पराक्रम

पराक्रम (Valour)

सबलता=प्रभविष्णुता

पौरुष (Prowess)

इस वर्ग के शब्द ऐसे तत्त्वों के सूचक हैं, जिनके कारण पदार्थ, व्यक्ति आदि किसी प्रकार का कार्य या व्यवहार करते अथवा करने के योग्य होते हैं। इस वर्ग

* अँगरेजी में Enemy और Foe दो अलग-अलग शब्द हैं, और हमें इनके लिए हिन्दी में क्रमात् शत्रु और वैरी शब्द रखने चाहिए।

का मुख्य शब्द शक्ति (अर्थ और प्रयोग दोनों के विचार से) बहुत अधिक व्यापक और सार्विक है। यही बात इसके अरबी समानक ताकत के सम्बन्ध में भी है। शक्ति सं० शक्* से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है—कोई काम कर सकने के योग्य होना, कुछ कर सकने में समर्थ होना। साधारणतः कुछ कर सकने की योग्यता या सामर्थ्य ही शक्ति है। हम कहते हैं—रोग (अभाव, चिन्ता, वृद्धावस्था आदि) के कारण उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई है; अथवा—अब तो उसमें उठकर खड़े होने की भी शक्ति नहीं रह गई। ऐसे प्रसंगों में शक्ति से हमारा अभिप्राय होता है—वह शारीरिक तत्त्व जिसके कारण हम सब काम करते हैं। मनुष्यों के सिवा सब प्रकार के जीव-जन्तुओं और पदार्थों में भी किसी न किसी प्रकार की ऐसी शक्ति होती है, जिससे उनके सब काम और उपयोग होते हैं। यह दस्तुत पदार्थों का वह गुण या धर्म है जो अनेक रूपों में काम करता है। इस शब्द का प्रयोग भौतिक, शारीरिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में होता है। मानसिक या शारीरिक शक्ति तो होती ही है; यंत्रों और शब्दों तक की शक्ति मानी जाती है। यहाँ तक कि आर्थिक, दैवी, प्राकृतिक, लौकिक आदि शक्तियाँ भी होती हैं। ओपधियों में रोग दूर करने की और जल के प्रवाह में बड़ी-बड़ी चट्टानें तोड़ने-फोड़ने की शक्ति होती है। शक्ति का काम ही है—कुछ कर दिवाना, फिर चाहे वह क्रिया हो, चाहे परिणाम, चाहे विकार, चाहे बिगाड, चाहे सुधार। यह कार्य या शरीर में स्वाभाविक भी होती है और बाहर से अर्जित या प्राप्त भी की जा सकती है। आज-कल बलवान् और सशक्त देश या राष्ट्र भी अपने बल, वैभव आदि के कारण शक्ति कहलाने लगे हैं। हम कहते हैं—इस समय अमेरिका और रूस ही सत्ता की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। आशय यही होता है कि ये सब प्रकार की शक्तियों के अधिष्ठान हैं—जो चाहे, वह कर सकते हैं। ईश्वर सब-कुछ कर सकता है, इसी लिए हम उसे सर्व-शक्तिमान् कहते हैं। बल सं० बल् से बना है, जिसका अर्थ है—साँस लेना, जीवित रहना आदि। बल मुख्यतः

✽ इसी से सं० शक्य (किये जाने या हो सकने के योग्य) विशेषण और हिन्दी की 'सकना' क्रिया भी बनी है।

हमारे शरीर की वह शक्ति है जिसके सहारे हम जीवित रहकर चलते-फरते और सब काम करते हैं। कोई चीज उठाना, खींचना, टकेलना, फेंकना आदि इसी के काम हैं। यह हमारी शक्ति का क्रियात्मक रूप है। हममें कार्य करने की शक्ति तो होती है, पर कार्य करने के समय हमें उसमें अपना बल लगाना पड़ता है। उपयुक्त साधन अथवा सहायता मिलने पर हमारा बल बढ़ जाता है। राज्य की सैनिक शक्ति युद्ध आदि के समय अपने बल का प्रयोग करती है; और जो प्रबल* होता है, वह दुर्बल को दबा या हरा देता है। इसी दृष्टि से इजनों आदि के सम्बन्ध में हॉर्स पावर (Horse Power) की जगह अश्व-बल का प्रयोग होता है; क्योंकि वह बाहर निकलकर या सामने आकर कुछ काम करता है। लाक्षणिक प्रयोग में भी शक्ति और बल में कुछ ऐसा ही अन्तर देखने में आता है। भाषा में विचार प्रकट करने की शक्ति निहित होती है, पर जब हम अज्ञपूर्ण भाषा में अपने विचार प्रकट करते हैं, तब उसमें दूसरों को प्रभावित करने का (धार्य और प्रत्यन्त) बल आता है। हमारी आन्तरिक शक्ति ही हमें बल के प्रदर्शन में समर्थ करती है। यदि किसी पहलवान को रस्सों से बाँध दिया जाय तो उसकी शक्ति तो शरीर में वर्तमान रहेगी, पर यदि उसमें उन रस्सों को तोड़ने का बल न होगा, तो वह जहाँ का तहाँ पड़ा रह जायगा। शक्ति और बल

* प्रबल का साधारण अर्थ बलवान् तो होता ही है, फिर भी इसमें तुलना का भाव प्रधान है। प्रबल सदा किसी की अपेक्षा या तुलना में अधिक बलवाला होता है, और इसी लिए वह वस्तुतः अ० स्ट्रॉगर (Stronger) का समानक है। कुछ मित्रों का सुझाव था कि अ० स्ट्रेंथ (Strength) के लिए प्रबलता रखा जाय, पर कई बातों का विचार करके अन्त में मुझे 'बल' को ही फोर्स और स्ट्रेंथ दोनों का समानक मानना पड़ा। अँगरेजी में Strength तो शरीर (व्यापक अर्थ में) में निहित मानी जाती है; और उसका प्रयोगात्मक, दृश्य तथा बाह्य रूप Force कहलाता है। पर हमारे यहाँ यह अन्तर सूचित करनेवाले दो अलग-अलग शब्द नहीं हैं; दोनों का काम एक 'बल' से ही चलता है।

दोनों का बहुत बड़ा-चढ़ा रूप ही महाबल है। यद्यपि संस्कृत में यह विशेषण रूप में और बलवान् के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पर प्रस्तुत प्रसंग में यह सज्ञा रूप में ही ग्रहण किया गया है। ऊर्जा सं० ऊर्ज से बनाया गया है, जिसका अर्थ है— बल या शक्ति प्रदान करना। ऊर्जा भी है तो हमारी शारीरिक शक्ति ही; पर यह मुख्यतः शक्ति का वह रूप है जो कोई काम करने के समय उसमें लगता या व्यय होता है, अर्थात् जो कार्य करनेवाले बल के रूप में परिणत हो सकता और कुल्लु कर दिखाने के लिए तत्पर या प्रयत्नशील रहता है। भौतिक विज्ञानों में इस शब्द का बहुत अधिक प्रयोग होता है; और वहाँ यह तत्त्व या द्रव्य (दे०- तत्त्व) का एक अंग माना जाता है। तत्त्व या द्रव्य की सब क्रियाएँ इसी ऊर्जा के कारण और द्वारा होती हैं। यह यांत्रिक, रासायनिक, वैद्युत् और शारीरिक सभी प्रकार की होती है। हम कहते हैं—(क) आज-कल हमारी सारी ऊर्जा इसी काम में लगी है; (ख) वीर रस की कविता हमारे मन या शरीर में ऊर्जा का संचार करती है, अथवा (ग) दुबला-पतला आदमी भी अपनी ऊर्जा से बड़े बड़े काम कर सकता है। ओज (स० ओजस्) का मौलिक अर्थ तो ऊर्जा या शक्ति ही है; पर यह मुख्यतः उस अग्नि या ताप का वाचक है जो हमारे सारे शरीर में व्याप्त रहकर उसे जीवित रखता और शक्ति या ऊर्जा से सम्पन्न रखता है। हमारे यहाँ के वैद्यक शास्त्र के अनुसार हम जो कुल्लु खाते हैं, वह पहले रस बनता है, जिससे क्रमशः मास, मेद, शुक्र आदि घातुएँ बनती हैं। इसी रस का जो सार भाग हमारे सारे शरीर में फैलता है, वही ओज है, जो हमारी शक्ति का मूल अंश है। आवेश, साहस आदि इसी ओज के फल हैं। इसी लिए साहित्य में कविता, भाषण आदि का वह गुण (या विशेषता) ओज कहलाता है, जो पढ़ने-सुननेवाले के मन में आवेश, साहस आदि का संचार करता है। रौद्र और वीर रस की कविताओं में इसका होना भी इसी लिए आवश्यक माना गया है। यह प्रायः हमारी मानसिक और शारीरिक शक्तियों पर अभिहित होता है। यों साधारणतः यह युवावस्था में अपने पूर्ण रूप में व्यक्त होता है; पर वृद्धावस्था में इसका क्षीण या नष्ट हो जाना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। जब तक यह हमारे शरीर में रहता है, तब तक हमारी मानसिक और

शारीरिक शक्ति बहुत-कुछ वैसी ही बनी रहती और व्यक्त होती है, जैसी युवा-वस्था में होती है या होनी चाहिए। हमारे कार्यों या बातों में तो ओज प्रकट होता ही है; बहुत अच्छे और बड़े विचारशील को हम ओजस्वी* विचारशील तथा नस नस फडका देनेवाली कविता या भाषण को ओजस्विनी कविता या ओजस्वी भाषण भी कहते हैं। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यह ओज ही अपने एक विशिष्ट रूप में जीवति है। पर अंगरेजी में विगर और वाइटैलिटी दो अलग अलग शब्द हैं; और अ० विगर हमारे यहाँ बहुत पहले से ओज का वाचक माना जाता रहा है; अतः वाइटैलिटी के लिए नया शब्द जीवति† बनाया गया है। यह स० जीवत् (विशेषण) से बनाया गया है, जिसका अर्थ है—जीवित या जीता हुआ। इसका प्रयोग यौगिक शब्द बनाने में होता है; जैसे—जीवत्पतिका=वह स्त्री जिसका पति जीवित हो; अर्थात् सधवा। जीवित प्राणियों में जो शक्ति मुख्य रूप से काम करती है और जो जीवन का मूल तत्व मानी जाती है, वही वस्तुतः जीवति है। वनस्पतियों आदि को भी यही शक्ति जीवित रखती है। सबसे क्रियाशीलता, सहनशीलता आदि गुण इसी शक्ति पर आश्रित होते हैं; और इसी के क्षीण होने पर सबसे दुर्बलता

* Vigorous

† जीवति शब्द अभी हाल में स० जीव से बनाया गया है। डा० रघुवीर ने इसे अ० विटैमिन (Vitamin) के लिए उपयुक्त समझा है। पर मेरी समझ में विटैमिन (Vitamin) के लिए हमें जीवतिक शब्द रखना चाहिए। जीवति अ० वाइटैलिटी (Vitality) के लिए ही अधिक उपयुक्त है। इसी आधार पर हम जीवत् विशेषण का भी अ० वाइटल (Vital) के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। डा० रघुवीर ने Vital air के लिए जीव वायु और Vital Function के लिए जीवन कार्य रखा है; पर इनमें के जीव और जीवन शब्द भ्रामक हो सकते हैं; अतः क्रमात् जीवत् वायु और जीवत् कार्य पद होने चाहिये। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अ० फंक्शन (Function) के लिए हमारे यहाँ का समानक 'कार्य' नहीं, बल्कि 'कृत्य' है। कार्य तो सीधा-सादा वर्क (Work) है।

भी आती है और वृद्धावस्था भी। प्रभविष्णुता का अर्थ है—सब की तुलना में होनेवाली प्रधानता या सर्व-श्रेष्ठता। पर प्रस्तुत प्रसंग में यह किसी वस्तु में स्थायी रूप से और निहित रहनेवाला वह गुण या तत्त्व है, जिसके कारण उस वस्तु का दूसरी वस्तुओं पर कोई परिणाम होता या प्रभाव पड़ता है। दूसरों पर किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने की और क्रियात्मक रूप में कुछ विकसित करने की योग्यता या शक्ति ही प्रभविष्णुता है। इसका प्रयोग बहुधा ओषधियों आदि के सम्बन्ध में होता है। कहा जाता है—(क) बरसात खाने (या बीत जाने) पर भी इस ओषधि की प्रभविष्णुता कम नहीं होती। सबलता यों तो साधारण रूप से बलवान् होने के भाव से युक्त है, फिर भी यह अर्थ के विचार से प्रभविष्णुता का समानक ही है। पराक्रम या विक्रम और पौरुष एक वर्ग के शब्द हैं। पराक्रम का मूल अर्थ है—दृढतापूर्वक आगे बढ़कर किसी पर आक्रमण करना, और विक्रम का अर्थ है—आगे बटना। पर आज-कल ये शब्द मनुष्य के उस गुण या शक्ति के वाचक हो गये हैं जिनके सहारे वह सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता और उन्हें दूर करता हुआ आगे बढ़कर अपना कोई सद् उद्देश्य या कार्य पूरा करता है। यह बहुधा शारीरिक बल, ऊर्जा और जीवति का परिचायक होता है; और इसमें दृढता, निर्भीकता, साहस आदि के तत्त्व भी सम्मिलित होते हैं। शूरवीर या योद्धा युद्ध-क्षेत्र में पराक्रम दिखलाते हैं; और साधारण मनुष्य भी अपने पराक्रम से विशेष धन-सम्पत्ति प्राप्त करता अथवा उच्च पद पर पहुँचता है। पौरुष* (विशेषण) का अर्थ है—पुरुष सम्बन्धी; पर सज्ञा रूप में इसका अर्थ

* संस्कृत में पुरुष शब्द की तीन प्रकार की वृद्धियाँ होती हैं—पुरुषता, पुरुषत्व और पौरुष। साधारणतः पुरुषता और पुरुषत्व भाव-वाचक संज्ञा रूप हैं, और इनका अर्थ है—पुरुष होने की दशा या भाव। फिर भी पुरुषता विशुद्ध भाव-वाचक संज्ञा है, और पुरुषत्व में पुरुषता की अपेक्षा कुछ अधिक भाव लगे हैं। पुरुषत्व एक तो मनुष्य की पुंसत्व शक्ति का भी सूचक है, दूसरे उन विशिष्ट गुणों का भी जो मुख्य रूप से पुरुषों में होते हैं अथवा होने चाहिएँ। पौरुष विशेषण भी है और भाव-वाचक संज्ञा भी। प्रयोग

जा सकती है। मनुष्यों के सम्बन्ध में इस विशेषण का प्रयोग उनके आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व से भिन्नता सूचित करता है। यदि हम कहें—‘भगवान् का शारीरी रूप देख सफ़ना हमारे लिए असंभव है।’ तो इसका अर्थ यही होगा कि भगवान् को हम शरीरधारी रूप में नहीं देख सकते। पर हमारे यहाँ के धार्मिक ग्रन्थों में राम अथवा कृष्ण की आकृति, रूप आदि के जो वर्णन मिलते हैं, वे उनके शारीरिक वर्णन ही कहे जायेंगे, शारीरी वर्णन नहीं। नैसर्गिक सं० निसर्ग से बना हुआ और प्राकृतिक सं० प्रकृति से बना हुआ उसका विशेषण वाला रूप है। निसर्ग का पहला अर्थ है—पहले आना, बनना या होना। शब्दार्थ के विचार से जो कुछ पहले सामने आवे, बने या हो, वही निसर्ग या प्रकृति है। पर हिन्दी में प्रकृति मुख्यतः दो अर्थों में* प्रचलित है। इसका पहला और सबसे अधिक प्रचलित अर्थ है—वह मुख्य नियामक शक्ति जो भौतिक जगत के सब पदार्थों की रचना या सृष्टि करती है और जो सारे जगत का मूल कारण है। हमारे यहाँ इसे जगत् का मूल बीज या उपादान कारण माना है। इसी अर्थ में यह निसर्ग का समानक है। हिन्दी में प्रकृति का दूसरा प्रचलित अर्थ है—मनुष्य या मानव जाति (अथवा किमी पदार्थ) का वह विशिष्ट गुण या विशेषता जो जन्म या रचना के समय से ही उसके साथ आती और अन्त तक प्रायः ज्यों की त्यों बनी रहती है। हिन्दी में इसी का पर्याय स्वभाव है; और इस अर्थ के विचार से प्राकृतिक का पर्याय स्वाभाविक है, और यही स्वाभाविक शब्द लोक में अधिक प्रचलित है। प्रस्तुत प्रसंग में प्राकृतिक का सम्बन्ध मुख्यतः प्रकृति शब्द के पहले अर्थ से ही है। इस दूसरे अर्थ के विचार से हम प्रकृति की जगह कभी निसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। प्राकृतिक वह कहलाता है, जो

✽ अगरेजी में भी प्रकृति के समानक नेचर (Nature) के ये दोनों अर्थ समान रूप से प्रचलित हैं, फिर भी मुख्यता उस पहले अर्थ की है, जिसका वाचक हमारे यहाँ का निसर्ग शब्द है। प्रस्तुत प्रसंग में प्राकृतिक शब्द का विवेचन भी मुख्यतः इसी पहले अर्थ के विचार से किया गया है। दूसरे अर्थ का सूचक हमारे यहाँ स्वाभाविक शब्द विशेष प्रचलित है।

अपने ठीक उसी रूप में हो, जिसमें प्रकृति ने उसे उत्पन्न किया है। लाक्षणिक रूप में प्राकृतिक वह कहलाता है, जो अपने उसी मूल रूप में हो, जिसमें प्रकृति ने उसे बनाया था। जिसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता या बनावट न हो, जो बाद में किसी तरह बनाया-बिगाडा न गया हो, जिसमें किसी कला या शिल्प का प्रयोग न हुआ हो, वही प्राकृतिक है। इसी अर्थ के विचार से इसका विपर्याय कृत्रिम या अ-प्राकृतिक है। इसी से और विस्तृत होकर यह विशेषण ऐसी चीजों या बातों का भी वाचक हो गया है, जो साधारणतः अपने वास्तविक रूप में हमारे सामने आती हैं। जैसे—सन्तान के प्रति माता का स्नेह सदा प्राकृतिक होता है। भौतिक सं० भूत (विशेष दे०—‘तत्त्व’ के अन्तर्गत ‘भूत’) से बना हुआ विशेषण है, जिसके दो अर्थ हैं। एक तो भूतों से सम्बन्ध रखनेवाला, दूसरे, जो भूतों या तत्त्वों से बना हो। सब प्रकार के जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, पत्थर-मिट्टी और इनके बने या बनाये पदार्थ भूतों या तत्त्वों से बने होने के कारण भौतिक कहलाते हैं। अपने विस्तृत अर्थ में वे प्राकृतिक घटनाएँ भी भौतिक कहलाती हैं जो इस लोक में होती या देखने में आती हैं। आँधी, बाट, भूकम्प आदि इसी लिए भौतिक उपद्रव कहलाते हैं कि इनकी सृष्टि भौतिक तत्वों के संयोग से होती है।

❁ इस दृष्टि से तात्त्विक भी वही कहलाता है, जो भौतिक है; परन्तु हिन्दी में तत्त्व और तात्त्विक और ही अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, (दे० ‘संगत’ के अन्तर्गत ‘तात्त्विक’) अतः यहाँ केवल भूत और भौतिक शब्दों का प्रयोग हुआ है।

† अंगरेजी में फिजिकल (Physical) का अर्थ हमारे यहाँ के शारीरिक के अर्थ की अपेक्षा और भी अधिक व्यापक है। अंगरेजी में वे चीजें या बातें भी फिजिकल कहलाती हैं, जिनका हमें शरीर या इन्द्रियों से ज्ञान होता है; अथवा जो किसी प्रकार धार्य (दे० ‘मूर्त्त’ के अन्तर्गत ‘धार्य’) होती हैं। पर हमारे यहाँ फिजिकल के इस अतिरिक्त अर्थ का अन्तर्भाव ‘भौतिक’ में ही होता है, ‘शारीरिक’ में नहीं होता। हमारे यहाँ फिजिकल जियोग्राफी (Physical Geography) को भौतिक भूगोल ही कहते हैं, शारीरिक भूगोल नहीं कहते। दे०—इसी प्रकरण में भागे ‘भौतिक’।

साधारण भौतिक का प्रयोग आध्यात्मिक, पारलौकिक, मानसिक आदि अघार्य या अमूर्त्त बातों या वस्तुओं से भेद सूचित करने के लिए होता है। हम कहते हैं—नास्तिक और वैज्ञानिक प्रायः भौतिक जगत् को ही सब कुछ मानते हैं; इससे परे उनके लिए और कुछ होता ही नहीं। आशय यही होता है कि जो बातें या वस्तुएँ उन्हें इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, उनके सिवा और किसी बात या वस्तु पर उनका विश्वास नहीं होता।

— — —

शिष्टता (Courtesy)

नागरता (Civility)

शालीनता (Mannerliness)

भल-मनसत=सज्जनता, सौजन्य

शील (Disposition)

विनम्रता (Humility)

सज्जनता (Gentlemanliness)

विनय (१. Modesty,

सौजन्य=१. शिष्टता,

२. Discipline)

२. सज्जनता

इस वर्ग के सभी शब्द भले आदमियों के उन गुणों और विशिष्टताओं के सूचक हैं, जिनका सम्बन्ध आपस के अच्छे सामाजिक व्यवहारों से है। सबके साथ सदा भले आदमियों का-सा व्यवहार करना और कभी अपनी ओर से किसी को दुःखी न होने देना ही शिष्टता है। यह सं० शिष्ट का भाव-वाचक रूप है। शिष्ट का घात्वर्थ है—जिसे अच्छी बातें सिखाई गई हों; या जिसने अच्छा आचार-व्यवहार सीखा हो। शिष्ट का एक अर्थ राज-दरबारी (Courtier) भी है, अतः शिष्टता का अर्थ होता है—वैसा आचरण और व्यवहार, जैसा राज-दरबारों में होता हो। पर भले आदमी इसका आचरण और प्रयोग राज-दरबार के बाहर भी सब जगह करते हैं, और सबकी मान-मर्यादा की रक्षा के विचार से ऐसा

करना आवश्यक भी है। सब लोग सदा सभी अवसरों पर सभी के प्रति शिष्टता दिखला सकते हैं। इसके आचरण के लिए मर्यादा, वय, सामाजिक स्थिति आदि का कोई बन्धन नहीं है। कर्त्तव्य रूप में इसका पालन सबके लिए आवश्यक है। इसमें मनुष्य को अपना स्वभाव बहुत ही कोमल और विचार बहुत ही उदार रखने पड़ते हैं। इसका आचरण दूसरों से सीख कर या उनके अनुकरण पर भी किया जाता है, और अपने मन से सोच समझकर भी। नागरता का अर्थ है—उस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का नागर या शिक्षित और सभ्य नगर-निवासी आपस में करते हैं; या जैसा व्यवहार उन्हें आपस में करना चाहिए। गँवारों और देहातियों का-सा रूखा, मूटता और उजड़ूपन का व्यवहार न करके इनके विपरीत कोमल और आदरपूर्ण व्यवहार करना ही नागरता है। सभा-समाजों में ऐसा व्यवहार करने की विशेष आवश्यकता होती है। विनम्रता यद्यपि शिष्टता का बहुत बड़ा और आवश्यक अंग है, तो भी दोनों के प्रयोग और स्वरूप में कुछ अन्तर है। विनम्र का अर्थ है—विशेष रूप से झुका हुआ, और विनम्रता तभी सामने आवेगी, जब आदमी दूसरों के आगे कुछ झुकेगा, उनके प्रति विशेष आदर भाव दिखलावेगा। अतः इसका उपयोग और प्रयोग उन्हीं क्षेत्रों में हो सकता है, जहाँ पद, मर्यादा, वय, शिक्षा आदि की कुछ समानता होती है। नौकर के सामने मालिक या चेले के सामने गुरु विनम्र (झुका हुआ) नहीं हो सकता। इसका उचित उपयोग मनुष्य की सामाजिक रहन सहन चमका देता है, और यह प्रायः शिष्टता से भी कुछ आगे बढ़ जाती है। शिष्टता में तो अवसर आने पर ही दूसरों को प्रसन्न या सन्तुष्ट किया जाता है; पर विनम्रता दूसरों को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने के अवसर ढूँढती है। शिष्टता से हम इतना ही कर सकते हैं कि दूसरों को दुःखी न होने दे, पर विनम्रता से हम दूसरों को प्रसन्न करने के सिवा अपने उत्कृष्ट मानसिक तथा हार्दिक गुणों का भी परिचय देते हैं। भोजन के लिए अपने यहाँ कुछ मित्रों को बुलाकर उनके खाने-पीने आदि की सब व्यवस्था अपने घर के आदमियों या नौकर-चाकरों से कराना तो शिष्टता है ही, पर हर मित्र के पास बार-बार जाकर उसकी आवश्यकताएँ पूछना, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति का स्वयं और व्यक्तिशः तत्परतापूर्वक ध्यान रखना आदि बातें इसलिए विनम्रता

के क्षेत्र में आती हैं कि हम अपना बड़ापन भूलकर अपने आगत मित्रों के आगे झुकते हैं। यो तो बोल-चाल में विनय भी बहुत-कुछ बही है, फिर भी विनय अपेक्षया बहुत व्यापक अर्थ का सूचक पुराना पारिभाषिक शब्द है। विनय का व्युत्पत्तिक अर्थ है—अलग या दूर हो जाना। पर आगे चलकर यह मनुष्य की एक विशिष्ट चारित्रिक, मानसिक और व्यावहारिक स्थिति का सूचक हो गया है। अच्छे कुल में उत्पन्न, गुणी, विद्वान् और सुयोग्य व्यक्ति में यदि मानवोचित विशेषताओं के साथ साथ इन गुणों का नाम को भी अभिमान न हो, तो इसे विनय कहेंगे। व्यवहार में नम्रता, लज्जा, सकोच आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। इसे (पुलिंग रूप में) लज्जा का पुत्र माना गया है। हिन्दी में यह साधारणतः स्त्री० रूप में और निवेदन, प्रार्थना आदि के अर्थ में प्रचलित है। बौद्धों में यह उन नियमों, विधानों आदि का सामूहिक नाम था, जिनका पालन बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक था। इसी लिए यह आज-कल उन नियमों, विधानों आदि के पालन का सूचक हो गया है, जो वगैरें आदि के लिए विहित होते हैं। कार्यालय के कर्मचारियों, विद्यालय के विद्यार्थियों, सभा-समितियों के सदस्यों, सेना के सैनिकों आदि को नियम-पालन आदि के सिवा आपस में भी और अधिकारियों आदि के साथ भी जो शिष्ट और रुच्यत व्यवहार करने पड़ते हैं, उन सबका सामूहिक नाम विनय है। शालीन का व्युत्पत्तिक अर्थ तो है—शाला या घर से सम्बन्ध रखने-वाला, पर संस्कृत में मुख्य अर्थ है—वह जो घर-गृहस्थों के सासारिक काम अच्छी तरह और ठीक ढंग से करता हो। हिन्दी में इसका अर्थ रह गया है—अच्छे और उचित व्यवहार करनेवाला; अर्थात् व्यावहारिक रूप में दिखाई देनेवाला शील ही शालीनता है। इसमें मनुष्य अपनी मर्यादा का भी और दूसरों की मर्यादा का भी उचित और पूरा ध्यान रखता है। उद्दंड, कठोर और सकीर्ण आन्धर-विचार का त्याग ही शालीनता है। इसका मुख्य सम्बन्ध आचार से है; और इसका क्षेत्र उचित मर्यादा के पालन तक ही परिमित है। शील उसी स० शील धातु से बना है जिससे अनुशीलन आदि शब्द बने हैं। हिन्दी में शील मुख्यतः दो अर्थों में प्रचलित है। पहला अर्थ तो मनुष्य के स्वभाववाले क्षेत्र से सम्बद्ध है (दे०—'चरित्र' के अन्तर्गत 'शील'), जहाँ यह अपने प्राकृतिक या

जन्म-जात रूप में रहता है। पर अपने दूसरे अर्थ (प्रस्तुत प्रसंग) में यह बहुत-कुछ अर्जित और शिक्षा तथा शिष्ट समाज के सम्पर्क से ग्रहीत या प्राप्त होता है। यह हमारे मन की वह भावनापूर्ण वृत्ति है जो विकट प्रसंग आने पर भी हमें जल्दी उग्र या उद्धत नहीं होने देती— हमें विनम्रता, शिष्टता और समय का त्याग नहीं करने देती। शीलवान् मनुष्य जल्दी उन लोगों का भी प्रतिकार या विरोध नहीं करना चाहता, जो उसका कुछ अहित करना चाहते या उससे कुछ अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसा मनुष्य अपने विरोधियों या शत्रुओं को भी जल्दी अप्रसन्न या रुष्ट नहीं होने देता। व्यवहार में शील के साथ प्रायः सकोच भी देखने में आता है। जिसमें कुछ अधिक शील होता है, वह प्रायः उपयुक्त अवसर पर भी ठोक बात कहने में सकोच करता है। सज्जनता और सौजन्य हैं तो प्रायः एक ही, फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। सज्जन स० सत् + जन के योग से बना है, जिसका व्युत्पत्तिक अर्थ है—अच्छे या उत्तम कुल में उत्पन्न। इसी में पीछे से वह भला आदमीवाला अर्थ लगा है, जिस अर्थ में वह आज-कल प्रचलित है। सज्जनता उन गुणों का सूचक शब्द है, जिनके होने पर मनुष्य साधारणतः भला आदमी, उदार, सभ्य और सुयोग्य माना जाता है। किसी के साथ व्यर्थ लड़ाई-भगाडा न करना, जहाँ तक हो सके, दूसरों की कुछ सेवा और सहायता करना, सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करना आदि इसके विशिष्ट लक्षण हैं। सौजन्य स० सुजन का भाव-वाक रूप है, और सुजन का अर्थ है—भला आदमी। इसी लिए सौजन्य और भल-मनसत एक दूसरे के पर्याय हैं। इसमें सज्जनतावाले व्युत्पत्तिक अर्थ का अन्तर्भाव नहीं होता; पर सज्जनता का जो दूसरा लोक-प्रचलित अर्थ है, वही सौजन्य का भी है। कुछ अवस्थाओं में यह शिष्टता के पर्याय के रूप में (कदाचित् इसलिए) प्रचलित हो गया है कि जो सुजन होता है, वह साधारणतः शिष्ट भी होता ही है।

शोधन (Correction)

संशोधन (Amendment) परिष्करण (Embelishing)

अनुशोधन (Modification) विशोधन (Purification)

परिशोधन

शोधन का अर्थ है—शुद्ध करना । किसी प्रकार की त्रुटि, दोष या भूल दूर करके उसे ठीक करना ही शोधन है । हमारे यहाँ वैद्यक में ओषधियों आदि का जो शोधन होता चला आया है, उसमें उनके दूषित और हानिकारक अंश ही दूर किये जाते हैं । आज-कल इसका प्रयोग कुछ क्षेत्रों में मुख्यतः भूले दूर करने के प्रसंग में होता है । छापे, लेख आदि की भूलें दूर करना शोधन कहलाता है । संशोधन का वास्तविक अर्थ है—अच्छी तरह किया जानेवाला शोधन; इसी-लिए इसका प्रयोग प्रायः शोधन के स्थान पर भी किया जाता और यह उसका पर्याय माना जाता है । पर आज-कल इसका प्रयोग मुख्य रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में होने लगा है । जब किसी सभा-समिति में कोई प्रस्ताव उपस्थित होता है या विधान सभा में कोई विधेयक विचारार्थ आता है, तब अपने अपने विचार के अनुसार उसे ठीक करने या सुधारने के लिए जो सुझाव सदस्य लोग सबके सामने रखते हैं, वे सशोधन कहलाते हैं । इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो निश्चय हो या विधान बने, उसमें त्रुटियाँ, दोष और भूलें न रह जायें—वह हर तरह से ठीक हो जाय । पर सशोधन सदा व्यक्ति-गत दृष्टि-कोण से ही उपस्थित किये जाते हैं; और इसी लिए किसी प्रस्तावित सशोधन के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह सदा आवश्यक और उपयोगी ही होता है । हम कह सकते हैं कि अमुक प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित किये गये थे, उनमें से कई बिलकुल मूर्खतापूर्ण थे । फिर भी साधारणतः संशोधन के सम्बन्ध में यही माना जाता है कि वह त्रुटियाँ और दोष दूर करने के उद्देश्य से ही होता है । इसके विपरीत विशोधन सभी अवस्थाओं में अच्छा, ठीक और शुभ ही होता है । विशुद्ध उसे कहते हैं जो सब प्रकार से, सभी दृष्टियों से ठीक और शुद्ध हो । जैसे विशुद्ध आचरण सदा अनुकरणीय और प्रशसनीय होता है ।

जिस चीज में किसी तरह का खोट या मैल न हो अथवा जन्ममें किसी ऐसी-वैधी चीज का मेल या मिलावट न हो, वह भी विशुद्ध कहलाती है। इसलिए किसी चीज या बात को विशुद्ध करना या बनाना ही विशोधन है। परिष्करण का अर्थ है—अच्छी तरह से शुद्ध और उज्ज्वल या स्वच्छ करना—सब प्रकार के मल या दोष दूर करके आभा, शोभा आदि बटाना। इसमें गहरी और भीतरी दोनों रूप-रंग अच्छे और आदर्श बनाकर प्रभावोत्पादक बनाने का भाव ही मुख्य है, पर साथ में सजा-सँवारकर आकर्षक और मनोहर बनाने का भाव भी निहित है। कलाकार जब अपनी कृति प्रस्तुत कर चुकता है, तब उसे और भी अच्छा रूप देने के लिए अनेक प्रकार से परिष्कृत करता है, और कुशल लेखक या कवि की रचना अच्छे, नये और सुन्दर वर्णनों, विलक्षण भावों और ओजपूर्ण शब्द-योजना से परिष्कृत होती है। यो तो परिशोधन का अर्थ भी बहुत कुछ वही है, जो विशोधन या परिष्करण का है, फिर भी अच्छी तरह किया जानेवाला परिष्करण या विशोधन ही परिशोधन कहलाता है। अनुशोधन नया शब्द है; और शोधन में अनु-उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। इसका मुख्य आशय है—किसी चीज या बात में कोई ऐसा परिवर्तन या सुधार करना, जिसमें उसकी कोई त्रुटि या दोष तो दूर हो जाय, फिर भी उसका आकार या रूप ज्यों त्यों बना रहे—उसकी बाह्य आकृति में कोई अन्तर न आने पावे। अर्थात् कोई अनुचित, कठोर या हानिकारक अंश ठीक करना या सुधारना ही अनुशोधन है। यदि प्रयोग के समय किसी आज्ञा, नियम या विधान में कोई अड़चन या उल्टता दिखाई दे, तो उसे दूर करके ठीक तरह से व्यवहार्य रूप देना अनुशोधन कहलाता है।

अम (Labour)

आयास (Exertion)	चेष्टा (Attempt)
उद्यम (Striving)	परिश्रम
उद्योग (Endeavour)	प्रयत्न (Effort)

अम शब्द सं० अम् से बना है, जिसका अर्थ है—कोई काम इस प्रकार करते रहना कि उससे शरीर थक जाय। आज कल अम ऐसा शारीरिक काम कहलाता है, जो समाज जी कुछ आवश्यकताएँ पूरी करनेवाली चीजे बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे काम के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि वह शरीर को थकानेवाला हो; और दूसरे यह कि वह अनिवार्य रूप से अथवा विवश होकर करना पड़े। कल-कारखानो, खेत-खलिहानो, वास्तु-निर्माण आदि के काम अम के ही अन्तर्गत हैं; इसी लिए ऐसे काम करनेवाले मजदूरो का वर्ग अमिक कहलाता है। इसी अम में परि उपसर्ग लगने से परिश्रम बना है, जिसमें साधारणतः शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के काम आ जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि परिश्रम भी अम की तरह अनिवार्य ही हो अथवा किसी प्रकार की विवशता का सूचक हो। हाँ, इसमें अम अपेक्षया अधिक और व्यापक रूप में होता है। हम कहते हैं—यह पुस्तक बहुत परिश्रम से लिखी गई है; अथवा हमारे प्रधान मंत्री को आज-कल बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। अधिक कार्य आ जाने पर कार्यालय के कर्मचारियों को और विवाह आदि उत्सवों के समय घर के लोगों को प्रायः बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसमें शरीर की थकावट का भाव मुख्य है, और इसी लिए इसके बाद प्रायः विश्राम की आवश्यकता होती है। आयास सं० आयास् से बना है, जिसका अर्थ है—इतना या ऐसा काम करना जिससे शरीर थक जाय, इसी लिए इसमें शरीर की थकावट का भाव प्रधान है, भले ही वह थकावट परिश्रम या अम की अपेक्षा कम हो। यह उद्योग और प्रयत्न के वर्ग का शब्द है; और इसमें लगातार कुछ परिश्रम करते रहने का भाव मुख्य है। इसका प्रयोग किसी विशेष कार्य के प्रसंग में ही होता है। जैसे—इस विषय की छान-बीन में हमें विशेष आयास

करना पडा है। जो काम बिना कुछ भी परिश्रम किये और आप से आप हो जाय, उसके सम्बन्ध में हम कहते हैं—यह काम अनायास हो गया; अर्थात् इसके लिए हमें किसी प्रकार का आयास (उद्योग या प्रयत्न) नहीं करना पडा। जब तक कार्य का प्रसंग न हो, तब तक यों ही अथवा व्यक्ति के सम्बन्ध में इसका प्रयोग नहीं होता। हम यह नहीं कह सकते—आज-कल हम आयास कर रहे हैं, या आयास में लगे हैं। उद्यम का धात्वर्थ तो है—ऊपर ले जाना या ऊँचाई की ओर उठाना, पर इसका आशय है—ऐसा काम करना जिससे कोई अच्छा उद्देश्य सिद्ध हो या किसी इष्ट फल की प्राप्ति हो। उद्यम सदा किसी शुभ और महत्त्व के काम के लिए और विशुद्ध वैयक्तिक रूप से होता है। हमें जीविका-निर्वाह के लिए कुछ उद्यम करना पड़ता है, और जब हमारे पास कोई विशेष कार्य न हो, तब भी किसी उद्यम में लगे रहना अच्छा माना जाता है। जो सदा मन लगाकर कुछ न कुछ करता रहता हो, पूरी शक्ति से किसी न किसी कार्य या व्यापार में लगा रहता हो, उसे हम उद्यमी कहते हैं। उद्योग सं० उद्युज्ज् में बना है, जिसका अर्थ है—किसी काम या बात में जुट या लग जाना। यह सदा किसी विशेष कार्य के लिए या किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए होता है। इसमें परिश्रम आदि का कोई भाव या विचार नहीं है, केवल कार्य की सिद्धि का भाव मुख्य है। यह भी प्रायः अच्छे और कर्त्तव्य कर्मों के लिए होता है। यह किसी विशेष कार्य की सिद्धि के विचार से, वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप से की जानेवाली किसी विशिष्ट क्रिया-शृंखला या कार्यावली का सूचक है। यदि हमारा कोई मित्र किसी मुकदमे में फँस जाय तो हम यथा-साध्य उसे बचाने का उद्योग करते हैं। आशय यही होता है कि हम उसके लिए निरन्तर अनेक प्रकार के उपाय और प्रयत्न करते रहते हैं। चेष्टा का प्राथमिक अर्थ है—कोई काम करने के लिए हाथ-पैर हिलाना; इसी लिए इसमें शारीरिक दृष्टि से कुछ करने का भाव मुख्य है। कोई काम पूरा करने के लिए उसमें मन लगाकर या दृढ़तापूर्वक लगे रहने का जितना भाव उद्योग में है, उतना चेष्टा में नहीं है। उद्योग की अपेक्षा चेष्टा इसलिए कुछ हलके दर्जे की चीज है कि उद्योगों में कार्य सिद्धि जितनी अधिक अभीष्ट होती है, उतनी चेष्टा में नहीं होती। चेष्टा अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत

उद्योग या प्रयत्न करने की ही सूचक है। प्रयत्न स० प्रयत् से बना है, जिसका अर्थ है—कोई कार्य सिद्ध करने के लिए क्रियाशील होना। अर्थ और क्षेत्र दोनो के विचार से यह अपने वर्ग में सबसे अधिक व्यापक शब्द है, और उद्योग तथा चेष्टा इसके वर्गी शब्द हैं। प्रयत्न अच्छे और बुरे, छोटे और बड़े सभी प्रकार के कामों के लिए होता है। चोरी-डाके या हत्या के भी प्रयत्न होते हैं और लोक-कल्याण तथा शान्ति स्थापना के भी। कोई उद्देश्य सिद्ध अथवा कार्य सफल करने के लिए आदि से अन्त तक जितनी चेष्टाएँ और उद्योग होते हैं, वे सब प्रयत्न में आते हैं। इष्ट-सिद्धि के लिए शक्तियों का उपयोग ही प्रयत्न है।

संगत (Consistent)

आनुषंगिक (Incidental)	प्रासंगिक (Relevant)
तात्त्विक (१ Material,	फलिक (Resultant)
२. Substantial)	साङ्गत (Significant)
परिणामिक (Consequential)	सारवान् (Essential)

संगत स० स + गम् से बना है, जिसका अर्थ है—साथ चलना। इस दृष्टि से संगत का शब्दार्थ है—साथ आया हुआ या आकर साथ मिला हुआ। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग (और हिन्दी में प्रचलित अपने मुख्य अर्थ) में यह ऐसा बात का वाचक विशेषण है, जिसका किसी दूसरी बात (अथवा उसके मुख्य वर्गों) से ठीक मेल बैठता हो; किसी दृष्टि से कोई प्रतिकूलता या विरोध न होता हो। जब न्यायालय में कोई विवाद या विचारणीय विषय उपस्थित होता है या मित्रों में किसी गम्भीर विषय पर वाद-विवाद होता है, तब इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कुछ कहा जाय, वह संगत हो। आशय यही होता है कि केवल ऐसी बातें सामने आवें जो प्रस्तुत या विचारणीय विषय से सम्बन्ध रखती हों (पृथक् या विरुद्ध न हों) और जिनसे उचित निष्कर्ष निकालने में सहायता

मिले। यदि विचारणीय विषय तो कला या साहित्य से सम्बन्ध रखता हो, पर कोई अपने प्रवास के अनुभवों या अपने घर के भगडों की चर्चा करने लगे, तो ऐसी चर्चा इस दृष्टि से अ-सगत मानी जायगी कि प्रस्तुत विषय से उसका कोई सम्बन्ध न होगा। प्रासंगिक भी प्रायः सगत की तरह का ही शब्द है, फिर भी यह अर्थ-तथा महत्त्व के विचार से अपेक्षया और आगे बढ़ा हुआ है। प्रासंगिक का शब्दार्थ है—प्रसंग या घनिष्ठ सम्बन्ध से (या के कारण) उपन्न होनेवाला, पर यहाँ इसका अर्थ है—प्रसंग से सम्बन्ध रखनेवाला। जो बात प्रस्तुत प्रसंग से सम्बन्ध रखती हो, वही प्रासंगिक है। सगत का तो आ-वश्यकतानुसार प्रस्तुत विषय से तर्क-सम्मत सम्बन्ध सिद्ध या स्थापित करना पड़ सकता है, पर प्रासंगिक स्वतः ऐसा होता है, जिसका प्रस्तुत प्रसंग के साथ सीधा और स्पष्ट सम्बन्ध होता अथवा दिखाई देता है। प्रासंगिक बात हमें ठीक निर्णय तक पहुँचने में सहायता ही नहीं देती, बल्कि वह ठीक निर्णय भी करा सकती है। जब कोई बात सामने आती है, तब उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी सभी बातें आप से आप प्रासंगिक हो जाती हैं। पर वही बातें दूसरे प्रसंगों में अप्रासंगिक होती हैं। आनुषंगिक स० अनुषंग से बना हुआ विशेषण है। अनुषंग का अर्थ है—घनिष्ठ सम्बन्ध या गहरा सग-साय, और इस दृष्टि से आनुषंगिक का अर्थ होता है—बहुत घनिष्ठ या पास का सम्बन्ध रखनेवाला। आनुषंगिक ऐसी घटना या बात का वाचक है, जो किसी दूसरी घटना या बात के साथ, किसी प्रकार के विशिष्ट सम्बन्ध के कारण, प्रायः आवश्यक रूप से घटित हो। फिर भी पहली या मूल घटना अथवा बात की तुलना में आनुषंगिक घटना या बात गौण ही रहती है। हम किसी मुख्य उद्देश्य या विचार से कोई काम करते हैं। उसका उद्दिष्ट फल तो होता ही है, उसके साथ आनुषंगिक रूप से किसी और फल की भी प्राप्ति हो सकती है। हम तीर्थ-यात्रा के उद्देश्य से पावेत्य देशों में जाते हैं, पर वहाँ आनुषंगिक रूप से हम सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भी देखते हैं और अपना स्वास्थ्य भी सुधारते हैं। हम अच्छी तरह हिसाब लगा लेते हैं कि अमुक काम में हमारा (१००) से अधिक व्यय न होगा, फिर भी बीच में और साथ लगे हुए कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम निकल ही आते हैं, जिनके लिए हमें

दस पाँच रूपए अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं। ऐसा व्यय भी आनुषंगिक कहलाता है। आनुषंगिक की मुख्य विशेषता यही होती है कि पहले से उसका ठीक-ठीक अनुमान या कल्पना नहीं की जा सकती, फिर भी वह बीच में कहीं से आकर इस प्रकार मूल काम या बात से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है कि हम उसे किसी तरह अलग नहीं कर सकते। प्रस्तुत प्रसंग में, अर्थके विचार से, तात्त्विक और सारवान् (मूलतः स० सारवत्) एक वर्ग के विशेषण हैं। तात्त्विक का शब्दार्थ है—तत्त्व-सम्बन्धी या तत्त्व से युक्त; और सारवान् का अर्थ है—सार रखनेवाला या सार से युक्त। यों कुछ अशों में तत्त्व भी बहुत-कुछ वही है, जो सार है; फिर भी दोनों में अन्तर है। तत्त्व तो वह है जो मूलतः किसी प्रकार की रचना में काम आता है; और सार वह है जो किसी बात या वस्तु में से उसके सभी मौलिक अशों में से सक्षिप्त रूप में निकाला गया हो या वर्तमान को। तत्त्व में रचना करनेवाला भाव प्रधान है; पर सार में रचित वस्तु के सभी अशों के जाने या निकाले हुए आधारों या तत्त्वों का भाव मुख्य है। सार स्वयं उम तत्त्व का भी हो सकता है जिससे कोई चीज मुख्यतः बनी हो, और साथ में उन दूसरे पदार्थों या वस्तुओं का भी हो सकता है, जो आवश्यक रूप से उसका अंग हो या उसमें मिली हों। तात्त्विक वह कहलाता है जो प्रस्तुत विषय या तत्त्व के साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रखता हो कि उससे किसी प्रकार अलग किया ही न जा सके; और जिसके अलग होने या निकल जाने पर उस विषय या वस्तु का स्वरूप ही नष्ट या विकृत हो जाय। हम कहते हैं—इस विवाद से सम्बन्ध रखनेवाली कई तात्त्विक बातों पर अभी तक विचार ही नहीं हुआ है। आशय यही होता है कि अनेक ऐसी बातें छूट या रह गई हैं, जिनके बिना इस विवाद का ठीक-ठीक निर्णय ही नहीं सकता—उन बातों के सामने आने पर ही विवाद का ठीक रूप समझ में आ सकता है और हम ठीक निर्णय कर सकते हैं। तात्त्विक तो वस्तु या विषय का निर्मायक (या मूल) अश ही होता है; पर सारवान् का महत्त्व इसलिए अपेक्षया कुछ कम होता है कि वह तत्त्व के सिवा दूसरी बातों या विशेषताओं से भी युक्त होता है। तात्त्विक का सम्बन्ध तो केवल तत्त्व से होता है; पर सारवान् का वस्तु या विषय की सारी प्रकृति और स्वरूप से सम्बन्ध

होता है। तात्त्विक में एक ही बात हो सकती है; पर सारवान् में कई या बहुत-सी विशेषताएँ हो सकती हैं। भले ही सारवान् का उतना महत्त्व न हो, जितना तात्त्विक का होता है; फिर भी सारवान् होता परम आवश्यक ही है। अनेक अवसरों पर सारवान् का प्रयोग मूल आधार के अर्थ में भी होता है। हम कहते हैं—मकान बनाने में पहले उसकी पक्की नींव रखना सारवान् कार्य है। आशय यही होता है कि पक्की नींव रखे बिना अच्छा और मजबूत मकान बन ही नहीं सकता। परिणामिक और फलिक एक वर्ग के शब्द हैं। परिणामिक का अर्थ है—परिणाम के रूप में होनेवाला; और फलिक का अर्थ है—फल के रूप में होनेवाला। यद्यपि हिन्दी में परिणाम और फल प्रायः समानक माने जाते हैं, पर वस्तुतः दोनों में बहुत अन्तर है। किसी बात और उसके परिणाम में कार्य-कारण-वाला सम्बन्ध उतना तात्कालिक, प्रत्यक्ष और स्पष्ट नहीं होता, जितना किसी कार्य और उसके फल में होता है। किसी कार्य और उसके परिणाम के बीच में और भी कई तरह की घटनाएँ या परिवर्तन, विकार आदि हो सकते और प्रायः होते ही हैं, परन्तु कार्य और उसके फल के बीच में ऐसी बातें प्रायः नहीं होती। किसी दुष्कर्म का फल दण्ड के रूप में मिल सकता है; पर उसके कारण चरित्र पर जो कलक लगेगा या समाज में जो हेटी होगी, उसे हम दुष्कर्म का परिणाम ही कहेंगे। फल प्रायः जल्दी और परिणाम प्रायः देर में होता है। विद्यार्थियों की परीक्षा का फल निकलता है, और उसके परिणाम-स्वरूप वे योग्य या अयोग्य सिद्ध होते हैं। इसी दृष्टि से जो बात परिणाम के रूप में हो, वह परिणामिक कही जायगी, और जो फल के रूप में हो, उसे फलिक कहेंगे। साकून (सं स + आकृत) है तो हमारे यहाँ का बहुत पुराना शब्द; पर हिन्दी में अभी तक

* अंगरेजी के एसेन्शल (Essential) का दूसरा हिन्दी समानक 'परमावश्यक' भी है। अभी तक हमारे यहाँ एसेन्शल की जगह 'परम आवश्यक' सरीखे पदों से ही काम लिया जाता रहा है। परन्तु अनेक अवसरों पर एसेन्शल के लिए स्वतंत्र शब्द की भी आवश्यकता होती या हो सकती है; इसी लिए सारवान् विशेषण स्थिर किया गया है।

इसका प्रचलन नहीं हुआ है। साकूत का मूल अर्थ है—जिसका कुछ अर्थ, आशय या उद्देश्य हो अथवा रहा हो। प्रस्तुत प्रसंग में साकूत वह कहा जायगा, जो बिलकुल व्यर्थ का, सार-हीन या थोथा न हो, बल्कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों, भावों, विचारों आदि से युक्त हो, अर्थात् जिसका कोई स्पष्ट आशय, उद्देश्य ता महत्त्व सहज में दिखाई देता हो, वही साकूत कहा जायगा। साकूत के लिए यह आवश्यक है कि वह आस-पास की बातों, स्थितियों आदि में रहता हुआ भी अपनी कोई विशेषता या स्वतंत्र अस्तित्व व्यक्त अथवा सूचित करता हो। इसका प्रयोग अधिकतर आकृति, इगित, आचार व्यवहार, स्वरूप आदि के प्रसंग में होता है। हम कह सकते हैं—आज-कल उनके व्यवहार (बात-चीत या रंग-दंग) में कई साकूत परिवर्तन दिखाई देते हैं। आशय यही होगा कि वे परिवर्तन ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं और जिनमें महत्त्व की कोई बात या कई बातें गर्भित जान पड़ती हैं।



संतोष (Contentment)

तुष्टि, तोष (Gratification) परितोष (Satisfaction)

सन्तोष स० तोष में स उपसर्ग लगने से और परितोष उसी तोष में परि उपसर्ग लगने से बना है। इस दृष्टि से इन शब्दों का, उत्कर्ष के विचार से भी और अर्थ या आशय के विचार से भी, इस प्रकार क्रम स्थिर होता है—तोष, परितोष और सन्तोष। तोष स० तुष् धातु से बना है जिसके अर्थ हैं—शान्त या स्थिर होना, किसी से प्रसन्न होना, आदि। मन की कोई अभिलाषा या शारीरिक आवश्यकता पूरी होने पर हमें जो समाधान या सुख होता है, वही तोष है। इस प्रकार की कोई साधारण-सी बात होने पर भी हमें तोष हो सकता

है—हम तुष्ट हो सकते हैं* । इसमें किसी एकाध चिन्ता से मुक्ति या आवश्यकता की पूर्ति का भाव मुख्य रहता है, और मन को होनेवाली प्रसन्नता या सुख का भाव गौण होता है । परितोष इससे कुछ और आगे बढ़ा हुआ होता है । एक तो वह सभी अथवा अनेक प्रकार की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ पूरी होने पर होता है, दूसरे, इससे होनेवाली प्रसन्नता, समाधान या सुख कुछ अधिक मात्रा में गम्भीर और अधिक समय तक ठहनेवाला होता है । यह तोष का अधिक विकसित और विशद रूप है । हमारे बाल-बच्चे आज्ञाकारी और सुयोग्य बनकर तथा नौकर चाकर हमारी सेवाएँ करके हमें परितुष्ट करते हैं । ऐसे दुष्टों को उचित दण्ड मिलने पर भी हमें परितोष होता है जिनके दुर्व्यवहारों से हम अथवा और लोग पीड़ित होते हैं । मतलब यह कि हमारी शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति ही हमें परितुष्ट करती है । अपने मूल और पहले अर्थ में सन्तोष इन दोनों से बहुत आगे बढ़ा हुआ है । सन्तोष में आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का भाव प्रायः नहीं के समान है, और प्रसन्नता, समाधान तथा सुख की मात्रा उसमें भर-पूर है । सतोष परम सुख वाली प्रसिद्ध उक्ति इसी तत्त्व की सूचक है । यह मुख्यतः उस मनोवृत्ति का सूचक है जिसमें कोई विशेष कामना या लोभ नहीं होता, और जो कुछ अपने पास होता या सहज में मिल जाता है, उसी से मनुष्य निश्चिन्त और प्रसन्न रहता है । वस्तुतः यही सन्तोष है । पर इधर कुछ दिनों से यह हिन्दी में भ्रम से अधिकतर उसी अर्थ में चलने लगा है, जो ऊपर तोष तथा परितोष का बतलाया गया है । यह तो नहीं कहा जा सकता कि सन्तोष का प्रयोग तोष

* इसी आधार पर अँगरेजी में इल्लिगल ग्रेटिफिकेशन (Illegal gratification) पद बना है जो घूस या रिश्वत का वाचक है । दफ्तर के चपरासी दो-चार आने घूस पाकर (अविधिक रूप से साधारण प्राप्ति होने पर) भी तुष्ट हो जाते हैं, और बड़े अधिकारियों का तोष सैकड़ों-हज़ारों रूपयों से होता है । पर यह किसी एक आवश्यकता या इच्छा की ही पूर्ति है । हिन्दी में हम इसे अवैध तोष कहेंगे ।

वा परितोष के स्थान पर नहीं होना चाहिए; तो भी आर्थी विश्लेषण के विचार से दूसरा अर्थ गौण ही माना जायगा। इसके सिवा सन्तोष का प्रयोग हिन्दी में एक तीसरे प्रकार का आशय या भाव सूचित करने के लिए भी होता है। किसी दुष्ट से त्रस्त और पीड़ित होने पर हम प्राय कहते हैं—हम तो सन्तोष करके बैठ गये हैं, उसके दुष्कर्मों का दंड उसे भगवान देगा। ऐसे अवसरों पर भी सन्तोष में बहुत कुछ छाया उसके पहले और मूल अर्थ की ही होती है, पर उसमें कुछ खिन्नता और विवशता का अंश भी मिला रहता है।

संशय (Doubt)

अनिश्चय (Uncertainty)	मरीचिका (Mirage)
असमंजस (Hestitation)	मृग-तृष्णा = मरीचिका
दुश्धा=असमंजस	विभ्रम (Delusion)
धोखा=भ्रान्ति	शंका (Question)
भ्रम (Mistake आंशिक रूप में)	शक=१. सन्देह, २. सशय
भ्रान्ति (Confusion)	सन्देह (Suspicion)
मति भ्रम (Hallucination)	

इस वर्ग के शब्द ऐसी मानसिक स्थितियों के सूचक हैं जिनमें मनुष्य के लिए रह निर्णय करना या समझना कठिन होता है कि हमारे सामने जो है या हुआ है, वह क्या है और क्या नहीं है, अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अनिश्चय और संशय प्राय एक ही वर्ग में आते हैं। अनिश्चय तो निश्चय का न होना भर है, जो सदा किसी अज्ञात या अनिर्णीत बात के सम्बन्ध में होता है। जहाँ ठीक तरह से हमारी समझ में यह नहीं आता कि यह स्तुत क्या है अथवा क्या नहीं है—जहाँ हम कुछ निश्चय नहीं

कर पाते—वहीं अ-निश्चय का प्रयोग होता है। इसमें उपयुक्तता, वास्तविकता, सत्यता आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निश्चय या विश्वास न होने का भाव मुख्य है। इसमें अनुमान, कल्पना आदि के लिए स्थान तो हो सकता है, पर इन बातों के लिए हममें कोई उत्कठा या जिज्ञासा नहीं होती, हमारी वृत्ति उदासीन-सी रहती है। पर संशय में ये सब बातें होने के सिवा कुछ उत्कठा या जिज्ञासा भी लगी रहती है। हम किसी विषय में अध्ययन, खोज, छान-बीन आदि करते रहते हैं; फिर भी तथ्य या वास्तविकता तक नहीं पहुँच पाते। यहाँ तक अनिश्चय और सशय दोनों एक हैं। पर संशय की अवस्था इससे आगे बटकर यह भी सूचित करती है कि हमारे मन में जिज्ञासा अभी तक बनी है, और हम उसका शमन करना चाहते हैं। अनिश्चय तो प्रायः सभी साधारण अवस्थाओं में होता या हो सकता है, परन्तु सशय बहुधा ऐसी बातों के सम्बन्ध में होता है, जिन पर पहले कुछ निश्चय या विचार हो चुका हो, फिर भी जिस निश्चय या विचार से हमारा सन्तोष या समाधान न होता हो; अथवा जिनके सम्बन्ध में हम निश्चय करने में असमर्थ या विफल रहे हों। 'सशयात्मा विनश्यति' में संशय का भाव यही है कि मनुष्य प्रयत्न करने पर भी निश्चय तक नहीं पहुँचा है, पर उसे अपना संशय दूर करके सिद्धान्त निश्चित या स्थिर करना चाहिए। सन्देह भी है तो बहुत कुछ यही, और इसी लिए लोग प्रायः एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं। फिर भी सन्देह का गूढ़ भाव कुछ और ही है। हमारे सामने कोई चीज या बात आती है; पर कभी कभी हम यह समझते हैं कि हो सकता है कि यह असल, वास्तविक या सच्ची न हो। वास्तविकता, सत्यता आदि के सम्बन्ध की अनिश्चित भावना ही वस्तुतः सन्देह है। इसके सिवा ऐसी अवस्था में भी सन्देह का तत्त्व आ जाता है, जब हम समझते हैं कि श्रमिक बात या व्यक्ति ने सम्भवतः कोई अनिष्ट या अपकार किया है अथवा उसके द्वारा कोई अनुचित या हानिकारक काम या बात हो सकती है। पुलिस को किसी व्यक्ति पर सन्देह हो सकता है कि यह कहीं से चोरी करके या डाका डालकर भाग आया है; अथवा चिकित्सक को यह सन्देह हो सकता है कि हमारी क्लवाली दवा ने या रोगी के किसी कुपथ्य ने आज रोग बढ़ा दिया है। यदि वस्तुतः दोनों बातें सही तो हों, फिर भी

चिकित्सक रोग बढ़ने का कोई कारण स्थिर न कर सके, तो इसे अनिश्चय कहेंगे। पर यदि दोनो मे से कोई बात न हुई हो या किसी बात के होने का ठीक पता न चलता हो अथवा अपनी दया पर तो उसे विश्वास हो, परन्तु रोगी के सयम तथा पथ्यपूर्वक रहने का उसे निश्चय न हो, तो वह कहेगा—मुझे सन्देह है कि रोगी ने कल कोई ऐसी-वैसी चीज खाई होगी। अर्थात् जहाँ कोई ठीक आघार या कारण नहीं मिलता, पर कुछ सम्भावना—सी जान पड़ती है, वहीं सन्देह के लिए अवकाश होता है। इसका फारसी समानक शक है जो हिन्दी मे बहुत प्रचलित है, पर जिसका प्रयोग सन्देह के सिवा सशय के लिए भी होता है। यों शका का प्रयोग कही सन्देह की जगह और कहीं संशय की जगह होता तो है; फिर भी शका मे इन दोनों से कुछ भिन्न और एक विशिष्ट तत्त्व है। जब कोई बात निर्णीत या निश्चित रूप मे हमारे सामने आती है और उस निर्णय या निश्चय के सम्बन्ध मे हमारे मन मे कोई आपत्ति, तर्क या जिज्ञासा होती है, तब उसे शंका कहते हैं। गीता के किसी श्लोक या रामायण की किसी चौपाई की टीका देखकर उसमे प्रतिपादित अर्थ, मत या सिद्धान्त के सम्बन्ध मे हमारे मन मे शंका हो सकती है। आशय यही होता है कि वह अर्थ या मत किसी कारण से हमे ठीक नहीं जान पड़ता, और हम समझते हैं कि यहाँ जो कुछ कहा या बतलाया गया है, उसके सिवा कोई और बात ठीक हो सकती है या होनी चाहिए। धोखा * या भ्रम किसी चीज को कुछ या कुछ समझ लेना है। यह या तो दृष्टि-दोष के कारण होता है या धारणा अथवा विचार के दोष से। यह पहचानने या समझने में होनेवाली भ्रम है। यदि अंधेरे में कहीं मोटी रस्सी पड़ी हो तो हमे साँप का धोखा या भ्रम हो सकता है। आकृति, चाल-ढाल आदि की समानता के कारण किसी अजनबी को देखकर हमे

❀ एक और प्रसंग मे 'धोखा' का अर्थ छल (Deception) भी होता है। वहाँ उसका आशय होता है—अपना कोई काम या मतलब निकालने के लिए ऐसा उपाय करना जिसमें लोग यथार्थ को अयथार्थ अथवा अयथार्थ को यथार्थ समझ लें। इस अर्थ में भ्रम का प्रयोग नहीं होता।

अपने किसी मित्र का धोखा हो सकता है। भ्रान्ति का मौलिक अर्थ भी वही घूमना या चक्कर खाना है, जो भ्रम का है; और इसी लिए कुछ अंशों में यह भ्रम का समानक ही है। पर इसमें एक अतिरिक्त भाव भी है। जब कोई ऐसा भ्रम होता है जो हमें चक्कर या सोच-विचार में डाल देता या उद्विग्न कर देता है, तब ऐसी स्थिति भी भ्रान्ति कहलाती है। मति भ्रम और विभ्रम प्रायः एक वर्ग के शब्द हैं और भ्रम के प्रकार या भेद मात्र हैं। मति-भ्रम का शब्दार्थ ही है—मति (मात्र) के कारण होनेवाला भ्रम, और इसलिए इसका आशय होता है—अ-वास्तविक भ्रम। कभी कभी मानसिक अथवा स्नायविक दुर्बलता के कारण या किसी अज्ञान दैवी अथवा प्राकृतिक सयोग के कारण हमें कुछ ऐसी घटनाओं या दृश्यों का भान होता है जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। ऐसी घटनाएँ या दृश्य कभी-कभी हमारी कल्पना से भी प्रसूत होते या हो सकते हैं। अँधेरे में सोकर उठने पर हमें कहीं कोने में खड़े हुए चोर या भूत का भान हो सकता है। चोर या भूत के न होने पर भी उसका दिखाई पडना मति-भ्रम है विभ्रम ऐसा भ्रम है जो हमें यह नहीं समझने देता कि जो बात वस्तुतः है, वही ठीक है, या उसका जो रूप हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, वही ठीक है। विभ्रम हमारी मानसिक दुर्बलता या विकलता का भी परिणाम हो सकता है और हमारी भावुकता, श्रद्धालुता या स्वाभाविक सरलता का भी। यह हमारे मन में आप से आप भी उत्पन्न हो सकता है और दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया हुआ भी। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर मोटर के घक्के से गिरकर बेहोश हो जाय, तो अस्पताल में पहुँचकर होश आने पर उसे विभ्रम हो सकता है कि मैं अभी तक सड़क पर ही गिरा हुआ धूल में पड़ा लोट रहा हूँ। आर्थिक और नैतिक दृष्टि से तो हमारे समाज का घोर पतन होता जा रहा हो और नये नये उद्योग घन्धे और ऊपरी ठाट-बाट देखकर हम यही समझते रहे कि हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, तो यह भी हमारा विभ्रम ही होगा। मरीचिका (या मृग-तृष्णा) भी प्रायः इसी वर्ग का शब्द है, जो एक भ्रामक प्राकृतिक घटना के आधार पर बना है। प्रायः गरमी के दिनों और बहुत तेज धूप में वातावरण की विशिष्ट स्थितियों के कारण कभी कभी बहुत दूरी पर कुछ उलटी प्रतिकृतियाँ दिखाई देती हैं, जो यात्रियों तथा पशु-पक्षियों के मन

मे जलाशय, बस्ती, हरियाली आदि का भ्रम उत्पन्न करती हैं। प्रायः मैदानों में बहुत दूरी पर इसी प्रकार का भ्रामक जलाशय दिखाई पड़ने पर पानी मिलने की आशा से मृग या पशु कोसों दौड़ते चले जाते हैं। पर ज्यों ज्यों वे आगे बढ़ते हैं, त्यों-त्यों जलाशयवाला वह मिथ्या दृश्य और भी दूर होता जाता है; और अन्त में वे थककर और हताश होकर बैठ जाते हैं। इसी को मृग-तृष्णा, मृग-मरीचिका या खाली मरीचिका कहते हैं। लाक्षणिक रूप में मरीचिका का प्रयोग ऐसी स्थिति के सम्बन्ध में होता है जिसमें मनुष्य भूठी और मन गदन्त आशा अथवा कल्पना के आधार पर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता चलता है और यह नहीं समझता कि मेरी आशा या कल्पना मिथ्या है—मेरा अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा। असमंजस (सं० असमंजस्य) या दुबधा (सं० द्विधा) उस स्थिति का वाचक है जिसमें कोई विकट प्रसंग सामने आने पर हम कुछ निश्चय नहीं कर पाते, और यह सोचने के लिए कुछ ठहर या रुक जाते हैं कि अब हमें क्या करना (अथवा कहना) चाहिए और क्या नहीं करना (अथवा कहना) चाहिए। यह अ-निश्चय का ऐसा रूप है जिसमें हमें कुछ सोच-समझकर आगे बढ़ने या अपना कर्त्तव्य स्थिर करने की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं—आपने जो नई समस्या खड़ी कर दी है, उसने हमें असमंजस में डाल दिया है। आशय यही होता है कि हमारे लिए यह निश्चय करना कठिन हो रहा है कि इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

संस्था (Institution)

अकादमी (Academy)	संघ (Union)
ज्ञानालय (Institute)	समवाय (Guild)
निगम (Corporation)	सहचार (Association)
निकाय (Assembly)	

संस्था स० स्था मे सं उपसर्ग लगने से बना है। संस्था का मूल अर्थ है—एक साथ मिलकर खड़े या स्थित होना, और प्रचलित अर्थ है—किसी स्थिति मे होना या वर्त्तमान रहना। प्रस्तुत प्रसंग मे संस्था मुख्य रूप से किसी ऐसे सामाजिक या सार्वजनिक सघटित दल, वर्ग या समाज की सूचक है जो कुछ निश्चित नियमों या विधानों के अनुसार किसी आधिकारिक रूप से बना हो। जैसा कि इस शब्द से ही सूचित है, ऐसा सघटन प्रायः स्थायी रहने के उद्देश्य से बनाया जाता है। सब प्रकार की सभाएँ, महासभाएँ, सम्मेलन आदि तो संस्था के अन्तर्गत आते ही हैं; पुस्तकालयों आदि तक का इसमे अन्तर्भाव होता है। यहाँ तक कि सघटित रूप से व्यापारिक, लोकोपकारक आदि काम करनेवाले दलों या वर्गों के चलाये हुए काम भी संस्था कहलाते हैं। बक भी संस्था है और अनायालय भी। इससे भी अधिक विस्तृत क्षेत्र मे (अँगरेजी शब्द इन्स्टिट्यूशन के आधार पर और आशय के अनुसार) अनेक प्रकार की प्रथाएँ, विधान और संस्कार भी संस्था कहलाते हैं। जैसे—ब्रह्मचर्य आश्रम या विवाह की प्रथा भी (व्यापक अर्थ में) संस्था ही है। अकादमी अँगरेजी एकेडमी का हिन्दी विकृत रूप है। एकेडमी मूलतः ग्रीक देश के एथेन्स नगर के पास गाले उस उपवन या वाटिका का नाम था, जहाँ सुप्रसिद्ध विद्वान् और दार्शनिक प्लेटो (या अफलातून) अपने अनुयायियों और शिष्यों के साथ बैठकर दार्शनिक विषयों का विवेचन करता था और लोगों को शिक्षा तथा सदुपदेश देता था। प्लेटो के बाद भी कुछ दिनों तक विद्वान् लोग उस स्थान पर एकत्र होकर अनेक प्रकार की शास्त्रीय विवेचनाएँ करते थे, अतः आगे चलकर यह शब्द विद्यालय,

विश्वविद्यालय आदि का भी वाचक हो गया था। आज-कल कुछ विशिष्ट प्रकार की शिक्षा देनेवाले विद्यालय या शिक्षा का प्रचार करनेवाली सस्थाएँ अकादमी कहलाती हैं। जैसे—सैनिक अकादमी, हिन्दोस्तानी अकादमी आदि। पर यह शब्द मुख्यतः विद्वानों की ऐसी सघटित सस्था का वाचक है, जो किसी कला, विज्ञान, शास्त्र आदि के उन्नयन, प्रचार और विकास के लिए बनती और प्रयत्न करती हैं। ज्ञानालय (संज्ञान + आलय) का शब्दार्थ ही है—वह स्थान जहाँ ज्ञान सम्बन्धी चर्चा या विवेचन हो, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो सकता हो, अथवा उसका प्रचार और विस्तार होता हो। प्रयोग की दृष्टि से यह भी बहुत कुछ वही है, जो अकादमी है। सहचार का शब्दार्थ है—साथ मिलकर चलना या रहना। पर प्रस्तुत प्रसंग में यह ऐसी सस्था का वाचक है, जिसमें एक एक ही प्रकार के उद्देश्य, मत, विचार आदि रखनेवाले लोग सदस्य के रूप में सम्मिलित होकर, सेवा के भाव से, कोई काम चलाते हैं। कभी-कभी कुछ लोग व्यापारिक दृष्टि से अथवा आपस में एक दूसरे के हित साधन के विचार से भी इस प्रकार के सहचार स्थापित कर लेते हैं। लाक्षणिक क्षेत्र में, हमारे और आपके मतों या विचारों का भी सहचार हो सकता है। आशय यही होता है कि या तो (क) हमारे मत या विचार भी वैसे ही हैं, जैसे आप के हैं, अथवा (ख) वे हमारे और आपके मन में साथ-साथ ही और एक ही रूप में उत्पन्न हुए हैं। निगम, निरुपण, संघ और समवाय बहुत कुछ एक ही प्रकार की सस्थाओं के वाचक शब्द हैं; फिर भी इनमें परस्पर कुछ अन्तर हैं। निगम हमारे यहाँ का वैदिक-कालीन शब्द है, जिसके पुराने अर्थ हैं—शब्द, पद, शब्दों का मूल या निरुक्ति आदि। आगे चलकर वे ग्रन्थ निगम कहलाने लगे थे, जिनमें वैदिक मतों का निरूपण, प्रतिपादन और स्पष्टीकरण होता था। बौद्ध-काल में निगम प्रायः नगर का समानक बन गया था, और मुख्य रूप से उस सस्था या जन-समाज का वाचक हो गया था, जो नगर की व्यवस्था और हितों की रक्षा करता था। आज-कल, विधिक क्षेत्र में, निगम राजकीय आज्ञा या विधान से बनी हुई वह सस्था कहलाती है जो स्थायित्व के उद्देश्य और विचार से स्वतंत्र शरीर या शरीर-धारी के रूप में मानी जाती हो और जो एक व्यक्ति या व्यक्ति के रूप में

सब काम कर सकने के अधिकार रखती हो। आज-कल कुछ विशिष्ट बड़े-बड़े नगरों में नगर-पालिका की तरह की जो बड़ी प्रतिनिधिक सस्था होती है, वह भी निगम कहलाती है। पर इसके कार्य और अधिकार अपेक्षा अधिक और विस्तृत होते हैं। निकाय भी एक प्रकार का सहचार ही है। किसी समय बौद्ध भिक्षुओं का एक विशिष्ट सहचार ही निकाय कहलाता था। इसका शब्दार्थ है—ऐसा जन-समाज जो एक शरीर के रूप में रहकर काम करता हो; और इस दृष्टि से यह यह भी बहुत कुछ निगम के समान ही है। पर इसमें मुख्य भाव कुछ लोगों के एक साथ मिलकर कुछ कार्य और विचार करने का है। सघ का शब्दार्थ है—लोगों का दृढतापूर्वक साथ मिलकर एक होना। प्राचीन भारत में धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि उद्देश्यों से बहुत से लोगों की जो बड़ी सस्था बनती थी, वह सघ कहलाती थी। साधारणतः जब कई सस्थाएँ या राजनीतिक शक्तियाँ अथवा राष्ट्र मिलकर किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई स्वतंत्र और बड़ी सस्था बनाते हैं, तब वह बड़ी सस्था सघ कहलाती है। इसमें सदस्य सस्थाओं या राष्ट्रों का अपना अलग-अलग अस्तित्व और कार्य-क्षेत्र तो बना ही रहता है, परन्तु कुछ बातों में या तो वे सघ के अधीन होते हैं या उनके निर्णायक, निश्चय आदि का ठीक तरह से पालन करते हैं। इस समय ससार के प्रायः सभी बड़े बड़े राष्ट्रों ने मिलकर अपना प्रसिद्ध राष्ट्र सघ स्थापित कर रखा है, जिसकी चर्चा समाचारपत्रों में प्रायः रहा करती है। समवाय का शब्दार्थ है—कुछ लोगों का किसी जगह इकट्ठा होना या आकर मिलना। निरन्तर बना रहनेवाला आपस का धनिष्ठ सम्बन्ध भी समवाय कहलाता है। जैसे—कपड़े और उसके सूतों का अथवा घड़े और उसकी मिट्टी का समवाय सम्बन्ध होता है; अर्थात् ऐसा सम्बन्ध होता है जो किसी प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में समवाय मुख्य रूप से व्यवसायियों, व्यापारियों आदि की उस सस्था का वाचक हो गया है, जो वे अपने व्यवसाय या व्यापार के हितों की रक्षा और वृद्धि के उद्देश्य से बनाते हैं। इसका स्वरूप मुख्यतः व्यावसायिक और स्वार्थ-रक्षक या स्वार्थ-साधक ही होता है।

सभा

अधिवेशन (Session)	समागम (Convention)
धर्म-सभा (Synod)	समावर्तन (Convocation)
परिषद् (Council)	समिति (Committee)
बैठक (Sitting)	समुदाय (१. Assenblage,
महासभा (Congress)	२. Gathering)
संगायन (Synod बौद्धों का)	सम्मेलन (Conference)

सभा शब्द की ठीक व्युत्पत्ति अभी तक निश्चित नहीं हुई है; पर इसका शब्दार्थ इस प्रकार कहा गया है—वह समाज या समूह जिसमें सब लोग साथ मिलकर प्रकाशमान हों*। प्राचीन काल में जब दस बीस भले आदमी किसी जगह अच्छे उद्देश्य से इकट्ठे होते थे, तब उन लोगों का वह समाज या समूह सभा कहलाता था; और उसका काम चलाने के लिए जो प्रधान अधिकारी चुना जाता था, वह सभापति कहलाता था। इसी से सभ्य (विशेषण) शब्द बना है, जिसका अर्थ है—सभा में अथवा भले आदमियों के साथ उठने बैठनेवाला, अर्थात् भला आदमी। आगे चलकर वह स्थान भी सभा कहलाने लगा था, जहाँ इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते थे। वैदिक काल में न्याय करनेवालों की सस्था या राष्ट्रीय न्यायालय को ही सभा कहते थे। पर उन दिनों इसका स्वरूप सार्वजनिक होता था, राजकीय नहीं। आज-कल सभा शब्द अपने उसी आरम्भिक और पुराने अर्थ में चलता है। जब किसी अच्छे काम के लिए आपस में बात चीत और परामर्श करने के उद्देश्य से थोड़े या बहुत-से लोग इकट्ठे होते हैं, तब ऐसे समूह सभा कहलाता है। इसी लिए हम कहते हैं—आज सभ्या को अमुक स्थान पर दूकानदारों (हड़तालियों, हिन्दी-प्रेमियों आदि) की सभा होगी। यह तो केवल इसका अस्थायी और सामयिक रूप है; पर जब ऐसे लोग संघटित होकर

अपनी कोई स्थायी संस्था बना लेते हैं, तब उसे भी सभा ही कहते हैं। जैसे—नागरी-प्रचारिणी सभा, सनातन धर्म सभा आदि। परिषद् और समिति भी इसी वर्ग की संस्थाएँ हैं, जो हमारे यहाँ वैदिक युग से चली आ रही हैं। समिति का शब्दार्थ है—सबका एक जगह मिलना या एकत्र होना। वैदिक काल की सभा-से-समिति कई बातों में भिन्न होती थी। समिति एक तो निर्वाचित और राजकीय संस्था होती थी; दूसरे, इसमें राज्य या शासन की व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाली बातों पर विचार होता था। राजा का चुनाव भी समिति ही करती थी, और वही उसे निकाल या हटा भी सकती थी। पर आज-कल समिति का अर्थ होता है—किसी विशिष्ट कार्य, व्यवस्था आदि के लिए थोड़े-से आदमियों की निर्वाचित और नियुक्त छोटी सभा; और इसका निर्वाचन कोई बड़ी सभा (या संस्था) करती है*। वैदिक काल की समिति ही आगे चलकर, सम्भवतः बौद्ध काल में, परिषद् कहलाने लगी थी। इसी को पहले पर्वत् या परिषत् भी कहते थे, जिसका शब्दार्थ है—बहुत बड़ा अधिवेशन। आज-कल परिषद् वह सभा या समिति कहलाती है, जो मुख्य रूप से किसी विशिष्ट विषय या अनेक विषयों के सम्बन्ध में निर्णय, परामर्श और विचार करने के लिए चुनी या बनाई जाती है। कभी-कभी कुछ लोग स्वयं भी मिलकर उक्त उद्देश्यों से ऐसी स्थायी संस्था स्थापित कर लेते हैं। जैसे—वगीय साहित्य परिषद्, संगीत परिषद् आदि। इस प्रकार की जो छोटी और प्रायः अस्थायी संस्था बनती या बनाई जाती है, वह समिति कहलाती है। इसका कार्य-क्षेत्र भी प्रायः सीमित और कार्य-काल भी प्रायः परिमित होता है। महासभा और सम्मेलन एक वर्ग की संस्थाएँ हैं। जब भिन्न-भिन्न और छोटी स्थानिक शाखा-संस्थाओं के प्रतिनिधि बराबर नियमित समय पर (प्रायः प्रति वर्ष) किसी स्थान पर अनेक विषयों पर विचार-विमर्श और निर्णय करने के लिए एकत्र होते हैं, तब वे या उनका समुदाय, अपेक्षया कुछ छोटा

✽ जब कोई बड़ी समिति अपने किसी कार्य-विभाग के लिए इसी प्रकार की कोई और छोटी समिति नियुक्त करती है, तब वह छोटी समिति व्यवहारतः उप-समिति (सब-कमेटी) कहलाती है।

होने पर सम्मेलन और बहुत बड़ा होने पर महासभा कहलाता है। इनका औरव और महत्त्व इनके प्रतिनिधिक स्वरूप के कारण होता है। इनके निर्णय बहुत विस्तृत क्षेत्र में मान्य होते हैं, और लोगों के विचारों पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। इनका प्रबन्ध और व्यवस्था करने तथा इनके निर्णय आदि कार्यान्वित करने के लिए जो स्थायी सस्थाएँ होती हैं, वे भी इन्हीं नामों से अभिहित होती हैं। जैसे—हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, हिन्दू महासभा आदि। धर्मसभा भी है तो इसी प्रकार की सभा, परन्तु यह विशिष्ट रूप से धार्मिक विषयों पर ही विचार करनेवाली सस्था है। इसका उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक बातों पर विचार करके उनके सम्बन्ध में कुछ निश्चित मत और सिद्धान्त स्थिर करना होता है। इसमें धर्म-गुरु, धार्मिक नेता, पुरोहित आदि वर्गों के लोग ही सम्मिलित होते हैं। प्राचीन काल में भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न उद्देश्यों से बौद्धों की ऐसी कई धर्म-सभाएँ हो चुकी हैं, और आज-कल भी रगून में एक ऐसी सभा हो रही है, जो अगले वर्ष तक चलती रहेगी। ऐसी सभाओं में बौद्ध भिक्षु प्रायः साथ मिलकर महात्मा बुद्ध के उपदेशों और धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन और पाठ प्रायः गाकर कहते थे, इसी लिए इन्हें संगायन कहते हैं। युरोप में ईसाइयों की इस प्रकार की जो कई बहुत बड़ी-बड़ी धर्म-सभाएँ हो चुकी हैं, वे 'सिनॉड' कहलाती हैं। समागम का साधारण अर्थ है—बहुत-से लोगों का दूर-दूर से आकर एक स्थान पर एकत्र होना और आपस में सम्पर्क स्थापित करना या बढाना। जैसे—कुम्भ के अवसर पर प्रयाग, हरद्वार आदि तीर्थों में साधु-सन्तों का अच्छा समागम होता है। पर आज-कल समागम भिन्न-भिन्न दलों, राष्ट्रों, समाजों, सम्प्रदायों आदि के प्रतिनिधियों का वह सम्मेलन कहलाता है, जो प्रायः ऐसे आवश्यक और महत्त्व के विषयों पर विचार करता है, जिनका सम्बन्ध उन सब लोगों से समान रूप से होता है। धार्मिक विषयों पर विचार करने के लिए थियासोफिस्टों का और रेल, डाक, तार, श्रमिक वर्ग का उद्धार, युद्ध-संचालन के नियम आदि विषयों पर विचार करने के लिए सार के बड़े-बड़े-रुष्टों के समागम होते हैं। समावर्त्तन हमारे यहाँ का पुराना शब्द है और

अँगरेजी में ऐसे समागम भी कन्वेंशन कहलाते हैं और उनके वे

इसका शब्दार्थ है—लौटकर घर आना। प्राचीन भारत में बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुलों में जाकर रहते थे, और नियत समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरी शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त जब वे घर लौटने लगते थे, तब इसलिए उनका एक विशिष्ट धार्मिक संस्कार होता था कि वे ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्त्तव्य पूरे करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने के योग्य हो जाते थे। उनका यही विशिष्ट संस्कार समावर्त्तन कहलाता था, जिसका श्रौचचारिक रूप से अब तक द्विजों में यज्ञोपवीत संस्कार के समय पालन होता है। आज-कल विश्वविद्यालयों का वह वार्षिक समागम ही मुख्य रूप से समावर्त्तन कहलाता है, जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधियाँ, प्रमाण-पत्र आदि प्रदान किये जाते हैं; और भावी जीवन के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट महापुरुष से कुछ उपदेश दिलवाये जाते हैं। ऐसे ही श्रवणों पर बड़े-बड़े विद्वानों को, उनका सम्मान करने के लिए, शास्त्रीय योग्यताओं से सम्बन्ध रखनेवाली उपाधियाँ भी प्रदान की जाती हैं। समुदाय भी सभा और समागम की तरह का सार्विक शब्द है। जब बहुत-से लोग किसी विशिष्ट उद्देश्य से एक स्थान पर एकत्र होते हैं, तब उनका वह जमाव समुदाय कहलाता है। सब प्रकार की सभाओं और सस्थाओं में यही होता है कि सब लोग एक साथ मिलकर बैठते हैं और बहुत सी बातों पर विचार करते हैं। उन लोगों का नित्य अथवा हर बार इस प्रकार बैठना बैठक कहलाता है। व्युत्पत्तिक दृष्टि से बैठक का सम्बन्ध हिन्दी की बैठना क्रिया से है; और बैठक का अर्थ है—बैठने की क्रिया, दण या प्रकार और स्थान आदि*। पर प्रस्तुत प्रसंग में यह

निश्चय भी जो प्रायः प्रथाओं और रूढ़ियों का रूप धारण कर लेते हैं। पर हिन्दी में इस प्रकार के निर्णय (हमारे यहाँ के पुराने शब्द 'समय' के आधार पर) 'अभिसमय' कहलाते हैं। दे०—'समझौता' के अन्तर्गत 'अभिसमय'।

✽ इसी आधार पर वह व्यायाम भी बैठक कहलाता है, जो बार बार कुछ विशिष्ट प्रकार से उठ और बैठकर किया जाता है, और घर की वह कोठरी या कमरा भी बैठक कहलाता है, जिसमें घर के लोग भी और बाहर से मिलने-जुलने के लिए आनेवाले लोग भी साथ मिलकर बैठते हैं।

शब्द किसी सस्था, सभा, समिति आदि के सदस्यों के हर बार साथ मिलकर बैठने का वाचक है। जब कोई बड़ी सभा या महासभा कई दिनों तक चलती रहती है, तब प्रायः नित्य और कभी-कभी दिन में दो या तीन बार भी उसकी बैठकें होती हैं। हर बार सदस्यों का विचार-विमर्श के लिए मिलकर बैठना एक स्वतंत्र बैठक कहलाता है। यों अधिवेशन का शब्दार्थ तो है—बहुत-से लोगों का साथ मिलकर बैठना, पर पारिभाषिक क्षेत्र में यह कुछ और ही अर्थ का वाचक हो गया है। जब कोई बड़ी सभा या महासभा बराबर कई दिनों तक और कई बैठकों के रूप में लगातार चलती रहती है, तब उन सब बैठकों का सामूहिक रूप अधिवेशन कहलाता है। हम कहते हैं—हमारी राष्ट्रीय महासभा का अगला अधिवेशन अमृतसर में होगा। आशय यही होता है कि सब प्रतिनिधि और नेता एक साथ मिलकर कई बैठकों में महासभा के सब काम करेंगे। प्रायः विधान सभाओं के अधिवेशन महीनों तक चलते रहते हैं; और नित्य उनकी एक बैठक होती रहती है। पर अधिवेशन के लिए सदा यह आवश्यक नहीं है कि वह कई बैठकों में ही हो। एक ही बैठक में भी पूरा अधिवेशन हो सकता है; और उस दशा में यह शब्द ऐसी पूरी बैठक का वाचक हो जाता है, जिसमें सब लोग साथ बैठकर सब कार्य सम्पन्न करते हैं। इसी विचार से कहा जाता है—अमुक सस्था का वार्षिक अधिवेशन आज सन्ध्या को होनेवाला है। इस प्रकार यह मुख्य रूप से सब प्रतिनिधियों या सदस्यों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने का वाचक है।

सभापति (Chairman)

अध्यक्ष (President)

प्रमुख (Speaker)

प्रधान

संयोजक (Convener)

सभापति का साधारण शब्दार्थ है—सभा का प्रधान अधिकारी। जब कहीं कुछ लोग, किसी विषय या विषयों पर विचार करने के लिए सभा के रूप में एकत्र

होते हैं, तब प्रायः प्रचलित परिपाटी के अनुसार सभा के कार्यों का ठीक तरह से, नियम और व्यवस्थापूर्वक संचालन करने के लिए, कार्य आरम्भ करने से पहले, उपस्थित सज्जनों में से किसी उपयुक्त और योग्य व्यक्ति को उस सभा का सभापति चुन लेते हैं। सभापति का यह काम होता है कि वह लोगों को कोई अनुचित, अशिष्टतापूर्ण या नियम-विरुद्ध काम या बात न करने दे, सब लोगों को बारी-बारी से अपना मत प्रकट करने का अवसर दे; विचार-विमर्श के उपरान्त प्रत्येक विषय पर उपस्थित लोगों के मत लेकर उचित निर्णय या निश्चय करने-कराने में सहायता दे; और यदि कोई ऐसा विवादास्पद विषय सामने आवे, जिसके सम्बन्ध में लोग आपस में सहमत न हों, तब अपना उचित निर्णय दे। साधारणतः सभापति की आज्ञा, आदेश, निर्णय आदि सभी उपस्थित लोगों के लिए मानना आवश्यक होता है। अध्यक्ष का साधारण अर्थ तो मालिक या स्वामी है; परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में अध्यक्ष भी अधिकतर बातों में वही है, जो सभापति है। फिर भी दोनों में प्रमुख अन्तर यह है कि सभापति तो साधारणतः किसी सभा की बैठक होने पर उसी समय और वहीं चुन लिया जाता है, परन्तु अध्यक्ष साधारणतः किसी संस्था का ऐसा सभापति होता है, जो किसी निश्चित अवधि के लिए अथवा संस्था के नियमों के अनुसार अगला चुनाव होने तक के लिए चुना जाता है। संस्था की हर बैठक में नियमतः उसका अध्यक्ष ही उसके प्रधान अधिकारी के रूप में सब कार्यों का संचालन करता है। पर यदि वह उपस्थित न हो तो उस बैठक के कार्य संचालन के लिए उसके स्थान पर अस्थायी रूप से कोई और व्यक्ति सभापति चुन लिया जाता है। यों सभापति किसी सभा या उसकी बैठक का अस्थायी प्रधान अधिकारी होता है, और अध्यक्ष किसी संस्था का नियत-कालिक प्रधान अधिकारी होता है*। सिद्धान्ततः अध्यक्ष में तो सभापति का भी अन्तर्भाव हो जाता है; पर सभापति में अध्यक्ष का अन्तर्भाव नहीं होता। हम

॥ साधारणतः हमारे यहाँ सभापति और अध्यक्ष में कोई अन्तर नहीं माना जाता, और प्रायः सभी अवसरों पर सभापति का प्रयोग साविक रूप से होता है। पर दोनों का जो तात्त्विक अन्तर ऊपर बतलाया गया है, वह सदा ध्यान में रखना चाहिए।

हर अध्यक्ष को तो सभापति भी कह सकते हैं, पर हर सभापति को अध्यक्ष नहीं कह सकते। सभापति अपने पद पर तभी तक रहता है, जब तक सभा की बैठक होती रहती है; पर अध्यक्ष अपने पद पर उतने दिनों तक बराबर बना रहता है, जितने दिनों के लिए वह सभा के नियमों के अनुसार चुना जाता है। सभापति का चुनाव तो उपस्थित लोग ही अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार करते हैं; पर अध्यक्ष का चुनाव सभा के सदस्यों के नियमित मत से होता है। प्रमुख भी है तो वस्तुतः अध्यक्ष ही, पर इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से राजकीय या राष्ट्रीय विधान-सभाओं या राज-सभाओं के अध्यक्ष के लिए व्यासिद्ध है। प्रधान शब्द किसी विशिष्ट प्रकार के पद के लिए नियत या निश्चित नहीं है; और इसका प्रयोग लोग अध्यक्ष, प्रमुख और सभापति तीनों के स्थान पर प्रायः मन माने ढंग से करते हैं। सभाओं में भी और राजकीय या विधान-सभाओं में भी लोग कह जाते हैं—प्रधान जी की ऐसी ही आज्ञा (या निर्णय) है। ऐसे अवसरों पर प्रधान उसी व्यक्ति का वाचक हो जाता है, जो उस समय प्रधान अधिकारी के आसन या पद पर हो अथवा रहा हो। संयोजक का साधारण शब्दार्थ है—संयोजन या इकट्ठा करनेवाला। पर प्रस्तुत प्रसंग में यह शब्द एक विशिष्ट पद का वाचक है। जब कोई सभा या सभा किसी काम के लिए कोई समिति नियुक्त करती है, तब साथ ही यह भी निश्चित कर देती है कि अमुक सज्जन इसके संयोजक रहेगा या होंगे। आशय यही होता है कि वे सज्जन उस समिति के सब सदस्यों का संयोजन करेंगे, और उन्हें एकत्र करके उसके सब कार्यों की व्यवस्था या संचालन करेंगे। इस प्रकार संयोजक उस समिति का मंत्री भी हो जाता है और प्रधान या सभापति भी। उसे एक साथ उक्त दोनों पदों के काम करने पड़ते हैं। वही समिति की बैठकों की सूचना भी सदस्यों के पास भेजता है, विचारणीय विषयों के सम्बन्ध की जानने और करने योग्य सब बातें भी समिति के सामने रखता है, और प्रधान अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति के रूप में उसके सब कार्यों का संचालन भी करता है। समिति की बैठकों की कार्यवाहियों, निर्णयों आदि का विवरण प्रस्तुत करके संयोजक सभा के पास भेजना भी उसी का काम होता है।

सभ्यता (Civilisation)

परिकर्षण (Cultivation)

संस्कृति (Culture)

परिष्कृति (Refinement)

सभ्यता और संस्कृति दोनों शब्द इस बात के सूचक हैं कि किसी जन-समाज या वर्ग ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में कितनी उन्नति की है; अथवा अपनी आदिम अवस्था से आगे बढ़कर वह उन्नति या विकास की किस सीढ़ी अथवा स्तर पर पहुँचा है। सभ्यता मानव समाज की बाह्य और भौतिक सिद्धियों का माप-दण्ड है और संस्कृति उसकी आन्तरिक तथा मानसिक सिद्धियों का। इस प्रकार हम सभ्यता का सम्बन्ध समूह से और संस्कृति का व्यक्ति से भी मान सकते हैं। बिलकुल आरम्भिक अवस्था में मनुष्य जिस तरह रहते थे और जैसा आचरण करते थे, उससे आगे बढ़कर क्रमशः उन्नति करना ही सभ्यता के क्षेत्र में अग्रसर होना है। प्रकृति पर विजय पाने के लिए भौतिक पदार्थों के उपयोग और जीवन-निर्वाह में सुगमता लाने के प्रयत्न इसी के अन्तर्गत आते हैं। प्रस्तर युग की सभ्यता, लौह युग की सभ्यता आदि पद इसी तत्त्व के सूचक हैं। असभ्य जंगलियों को सभ्य बनाने के लिए (नागर दृष्टि से उनकी उन्नति करने के लिए) हम उन्हें नई-नई चीजों के उपयोग बताते और उद्योग-धन्धे सिखाते हैं। अलग-अलग जातियों और देशों के लोग अलग-अलग ढंग से अपनी सभ्यता की सृष्टि और विकास करते हैं। इसी से चीनी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, मिस्री सभ्यता आदि पद बने हैं। मनुष्य के अच्छे और परिष्कृत आचरण, व्यवहार, शिष्टता आदि से भी सभ्यता का सम्बन्ध है। हम कहते हैं—जरा सभ्यता से बातें करना सीखो। अर्थात् उजड़ों, जंगलियों आदि की तरह बातें करना छोड़ो। यहाँ हम मानो सांस्कृतिक दृष्टि से ऊपर उठने पर जोर देते हैं। संस्कृति भी इसी सभ्यता का एक दूसरा अंग, पक्ष या रूप है। यह मानव समाज के आध्यात्मिक, बौद्धिक और मानसिक विकास की सूचक है। ज्ञान और विद्या के उपाजन, धार्मिक और नैतिक विचारों के विकास, कला-कौशल के क्षेत्र में उन्नति, सामाजिक रहन-सहन और परम्परागत योग्यताओं तथा विशिष्टताओं के

विचार से किसी जाति या देश की जो पूर्व-पीठिका होती है, वही उसकी संस्कृति कहलाती है। सामूहिक दृष्टि से सभ्यता तो किसी विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ती चलती है, पर संस्कृति प्रायः अपना रूप कुछ बदलती भी रहती है। जातियों के पारस्परिक सम्पर्क से सभ्यता पर कुछ अधिक और जल्दी तथा संस्कृति पर कुछ कम और देर में प्रभाव पड़ता है। कर्षण का एक पहला अर्थ है—खींचना या घसीटना; और दूसरा अर्थ है—खेती-बारी के लिए जमीन जोतना-बोना और उपज या फसल तैयार करना। इसी कर्षण में 'परि' उपसर्ग लगाकर परिकर्षण बनाया गया है। परिकर्षण में मुख्य भाव है—किसी काम में बराबर लगे रहकर उसकी उन्नति या विकास करना। हम अपनी शक्तियों को निरन्तर सक्रिय रखकर उन्हें स्वतंत्र रूप से उपयोगी बनाने का जो प्रयत्न करते हैं, वही उन शक्तियों का परिकर्षण कहा जायगा। इसमें अव्यवसाय का भाव मुख्य है। अलग-अलग क्षेत्रों में हम अपने बुद्धि-बल, योग्यता और शक्तियों का जो परिकर्षण करते हैं, उन्हीं सब का सामूहिक फल हमारी संस्कृति के रूप में सामने आता है। यही परिकर्षण मनुष्य में भावुकता, रसिकता, कला तथा सौन्दर्य का प्रेम, बोल चाल और रहन-सहन के अच्छे ढंग आदि अनेक बातें लाता है। परिष्कृति का साधारण अर्थ है—सफाई। परन्तु विद्वित अर्थ में यह हमारे आचार-व्यवहार की उस स्थिति का सूचक है, जिसमें अशिष्ट, उद्धत, ग्राम्य, पुरुष तथा रुद्ध तत्त्वों का अभाव और शिष्ट, विनम्र, नागर, कोमल तथा स्निग्ध तत्त्वों की प्रबलता या बहुलता होती है। आचार-व्यवहार आदि में से सभी तरह की दूषित और वृत्कनेवाली बातें हटाकर उनकी जगह अच्छी और रुचिकर बातें लाना ही सामाजिक विकास के क्षेत्र में परिष्कृति है। परिकर्षण हमारी सभ्यता का बीजा-

✽ अँगरेजी का कल्तिवेशन (Cultivation) शब्द तो कृषिक क्षेत्र भी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी समान रूप से चलता है; परन्दी में खाली कर्षण शब्द दोनों क्षेत्रों में नहीं चल सकता। इसी लिए हमें उसमें 'परि' उपसर्ग लगाना पड़ा है। अपने इस नये रूप में यह दोनों क्षेत्रों, अँगरेजी के कल्तिवेशन की तरह, समान रूप से चल सकता है

रोपण करता है, और उसका चरम फल परिष्कृति के रूप में प्रकट होता है। बराबर अनेक पीढ़ियों तक परिकर्षण करते-करते जितनी अधिक परिष्कृति हम अपने आपमें लाते हैं, उतनी ही उन्नत तथा विकसित हमारी संस्कृति होती है।

समझौता (१. Agreement, २. Compromise)

अनुबन्ध=संविदा	परियुक्ति (Engagement)
अभिसमय (Convention)	पाशक* (Pact)
अवहार (१ Armistice, २ Truce)	प्रपाशक* (Compact)
ठहराव=परियुक्ति	संधि (Treaty)
ठहरौनी=ठहराव, परियुक्ति	संविदा (Covenant)
ठीका (Contract)	सौदा (Bargain)
निपटारा (Settlement)	

इस माला के सभी शब्द ऐसे पारस्परिक निश्चयों के वाचक हैं जो दो या अधिक दलों, वर्गों, व्यक्तियों आदि में (क) आपसी भगड़े या मत-भेद दूर करने

⊗ निरुक्त की दृष्टि से अँगरेजी के पैक्ट (Pact) का सम्बन्ध सं० पाश से माना जाता है। इसी विचार से यहाँ पैक्ट के लिए पाशक और कम्पैक्ट (Compact) लिए प्रपाशक रखा गया है। शब्दार्थ के विचार से अ० कम्पैक्ट (विशेषण) का सं० तदर्थी सहत और इसका सज्ञा रूप सहति होता है, पर यदि हम कम्पैक्ट को सहति मान ले तो पैक्ट के लिए कोई सगत शब्द न बन सकेगा; इसी लिए यहाँ पाशक और प्रपाशक शब्द रखे गये हैं। हॉ साविक क्षेत्र में कम्पैक्ट के लिए सहत और सहति ही रहना चाहिए। (दे० 'सारिक' के अन्तर्गत 'सहत')

अथवा (ख) भावी कार्यों, व्यापारों, व्यवहारों आदि के संचालन का स्वरूप स्थिर करने के लिए होते हैं। ऐसे लिखित निश्चयों के द्वारा सम्बद्ध दल या व्यक्ति भविष्य में कुछ काम मिलकर करने अथवा कुछ बातें न करने के लिए बंध जाते हैं। इस माला का मुख्य शब्द समझौता अर्थ की दृष्टि से बहुत व्यापक और सार्विक है; और इसमें प्रायः शेष सभी शब्दों का किसी न किसी रूप में अन्तर्भाव हो जाता है। समझौता हि० समझना का भाव-वाचक रूप है। अपने मूल अर्थ में, आपस में समझ-बूझकर जो बात स्थिर कर ली जाय, वही समझौता है। विधिक दृष्टि से इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक पक्ष से कोई विसर्ग (दे० 'अर्पण' के अन्तर्गत 'विसर्ग') हो (कोई बात सामने रखी जाय) और दूसरा पक्ष उसे मान ले। इस अर्थ में सम्बद्ध पक्षों की आपसी सहमति का भाव मुख्य है। परवर्ती अर्थ में लोग यह भी समझौता कर सकते हैं कि हम आपस के पुराने लडाई-भगड़े भूल जायेंगे और मिलकर शान्तिपूर्वक रहेंगे। ऐसा समझौता किसी विवाद का अन्त करने के लिए होता है, और इसमें दोनों पक्षों को कुछ दबकर या अपनी माँगें घटाकर एक दूसरे के साथ रिश्रायत भी करनी पडती है। समझौता अलिखित या मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। ब्योरे की सब बातों से युक्त और लेख्य के रूप में लिखित समझौता ही विधिक क्षेत्र में सविदा कहलाता है। व्यापारिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में इसका विशेष प्रचलन है। इसमें आपसी भगड़े निपटाने के लिए भी और भावी कार्य-प्रणाली स्थिर करने के लिए भी, प्रायः सभी प्रकार की सम्भावनाओं का ध्यान रखते हुए, जो शर्तें पक्की की जाती हैं, उन सबका पूरा और ब्योरेवार उल्लेख होता है। निपटारा हि० निपटाना (स० निवर्तन) से बना है, जिसके दो मुख्य अर्थ हैं—(क) काम पूरा करना, और (ख) विवाद का अन्त करना। मत-भेद, विवाद, सन्देह आदि की कोई बात सामने आने पर विचार-पूर्वक उसका जो निराकरण या निर्णय किया जाय, वही निपटारा है। यह आपस में भी हो सकता है और किसी को मध्यस्थ मानकर उसके द्वारा भी कराया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इसमें अन्तिम निर्णय तो हो जाता है, पर कोई पक्ष दोषी नहीं ठहराया जाता। दोनों पक्षों को सन्तुष्ट रखकर जो इच्छा और ठोक निर्णय किया जाय, वही

निपटारा है। ठीका हिं० ठीक से बना है। इसका शब्दार्थ है—आपस में ठीक करके तै की हुई बात। पर इसका पारिभाषिक प्रचलित अर्थ कुछ और ही है। समझौते में तो दो ही बातें अपेक्षित होती हैं—विसर्ग या प्रस्ताव और उसकी मान्यता। पर ठीके में इनके सिवा आर्थिक लेन-देन का तीसरा तत्व भी रहता है। जब पहले से पूरा पारिश्रमिक (वेतन नहीं) तै करके किसी को कोई काम या सेवा सौपी जाय, तब ऐसा व्यवहार ठीका * कहलाता है। पुल, मकान, सड़कें आदि प्रायः ठीके पर बनवाई जाती हैं; शासन की ओर से गांजे, भाँग शराब आदि की विक्री ठीके पर कराई जाती है; और अनेक प्रकार के कर, प्राप्य आदि वसूल करने के लिए ठीके दिये जाते हैं। इसका स्वरूप विशुद्ध व्यापारिक होता है। ठहराव हिं० ठहराना का भाव-वाचक (मानक और शिष्ट-सम्मत) रूप है, और ठहरौनी इसी का पूर्वी रूप। परियुक्ति इसके लिए नया गढ़ा हुआ शब्द है। ठहराना का अर्थ है—कोई बात ठीक या स्थिर करना। जब कोई बात जबानी पक्की कर ली जाती है, तब उसे बात ठहराना कहते हैं। एकके, रिकशे या बाजेवाले ठहराये अर्थात् बात-चीत करके नियत या नियुक्त किये जाते हैं। हम कहते हैं—कल हम आपके यहाँ आवेंगे; अथवा परसों सब लोग मिलकर अमुक स्थान पर सैर करने चलेंगे। बोल-चाल में यही ठहराव या परियुक्ति है। लडके-लडकियों के ब्याह की जो बात-चीत पक्की कर ली जाती है, उसे भी पूरव में ठहरौनी कहते हैं। सौदा तुर्की भाषा का शब्द है और उदू के द्वारा हिन्दी में आकर खूल चल गया है। इसका मूल अर्थ है—क्रय विक्रय या खरीदना-बेचना। बोल-चाल में यह उस चीज का वाचक हो गया है जो खरीदी या बेची जाय। हम बाजार में सौदा खरीदने जाते हैं, और दूकानदार अपना सौदा बेचकर प्रसन्न होता है। पर अपने पारिभाषिक रूप और विस्तृत अर्थ में यह उस निश्चय

✽ अंग्रेजी में कन्ट्रैक्ट (Contract) का अर्थ हिन्दी ठीका के इस अर्थ की अपेक्षा बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। अ० कन्ट्रैक्ट में सभी प्रकार के समझौते और सविदाएँ आ जाती हैं। पर हिन्दी में बहुत दिनों से कन्ट्रैक्ट के लिए परिमित अर्थवाला 'ठीका' ही चल रहा है।

का वाचक है जो कोई चीज खरीदने बेचने के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में होता है। हम कहते हैं—उस मकान का दस हजार रूपए में सौदा हो गया है। आशय यही है कि खरीदनेवाले ने उसे दस हजार पर खरीदने और बेचनेवाले ने इतने ही मूल्य पर बेचने का आपस में निश्चय कर लिया है। सट्टेबाज चाँदी-सोने का जो सौदा करते हैं, उसमें भी परस्पर निश्चित किये हुए भाव या दर पर उक्त प्रकार के लेन-देन का विचार निहित है। देशों या राष्ट्रों में ऐसा सौदा भी होता है कि हम आपको इतनी रूई और लोहा देंगे; और इनके बदले में इतना गेहूँ और ताँबा लेंगे। लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग ऐसी बात-चीत के सम्बन्ध में होता है, जिसमें दोनों पक्ष व्यावहारिक दृष्टि से अपना-अपना कुछ लाभ करना या अपने लिए कुछ सुभीता प्राप्त करना चाहते हों। हम कहते हैं—श्रमी तक उन लोगों में सिर्फ सौदा पटाने की बात-चीत चल रही है। आशय यही होता है कि दोनों पक्ष अपने-अपने अनुकूल निश्चय करना-कराना चाहते हैं। पाशक और प्रपाशक हैं तो सार्विक क्षेत्र के ही शब्द, पर इनका राजनीतिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक क्षेत्रों से विशिष्ट सम्बन्ध है। स० पाश० का अर्थ है—जाल, फन्दा या बन्धन; और पाशक का अर्थ है—पाश या बन्धन में बाँधनेवाला। पर अब इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट प्रकार की बातों या व्यवहारों के लिए आपस में होनेवाले निश्चय या समझौते के सम्बन्ध में होता है। पत्र-सम्पादकों में यह पाशक हो सकता है कि हम अमुक सरकारी विभाग की विज्ञप्तियाँ नहीं छापेंगे; और राष्ट्रों में यह पाशक हो सकता है कि हम अमुक अमुक देशों के हाथ अपना माल नहीं बेचेंगे। प्रपाशक भी बहुत-कुछ पाशक ही है, पर इसके द्वारा होनेवाले निश्चयों में गम्भीरता और दृढ़ता का भाव अधिक है, और इसमें अपने-दायित्व का अपेक्षा बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। यह प्रायः ऐसे दलों या समाजों में होता है जो बहुत कुछ एक-से या एक ही तरह के होते हैं और जिन्हें अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए मिलकर रहना पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रयोग ऐसे निश्चयों और समझौतों के सम्बन्ध में भी होता है जो भिन्न-भिन्न राष्ट्र अपने सामूहिक हित के विचार से करते हैं। पाशक और प्रपाशक दोनों अलिखित भी हो सकते हैं; और ऐसी दशा में प्रायः पारस्परिक विश्वास पर

ही आश्रित होते हैं। सन्धि वह है जो दो या अधिक राष्ट्रों में विचार विमर्श के उपरान्त, पारस्परिक हित की दृष्टि से, भावी आचरण से सम्बद्ध निश्चयों के रूप में हो। यों तो सन्धि मुख्यतः युद्ध की समाप्ति पर होती है, पर शान्ति काल में भी सन्धियाँ होती ही हैं। पहले इसकी शर्तें राष्ट्रों के प्रतिनिधि मिलकर स्थिर करते हैं; और तब स्वयं राष्ट्र इसकी अभिपुष्टि (रैटिफिकेशन) करके इसे बलवत् (एन्फोर्स) करते या व्यावहारिक रूप में प्रचलित करते हैं। राष्ट्रों में पहले जो समभौते या पाशक होते हैं, वे भी आगे चलकर औपचारिक और लिखित सन्धि का रूप धारण कर सकते हैं। विराम-सन्धि हाल का बना हुआ शब्द है। इसके लिए हमारे यहाँ का पुराना शब्द अवहार है*। जब युद्ध बहुत बटकर दोनों पक्षों के लिए यथेष्ट अनिष्टकारी सिद्ध होता है और वे युद्ध बन्द करना चाहते हैं, तब वे सन्धि की बात-चीत चलाने और शर्तें तै करने के लिए अस्थायी रूप से हथियार रखने पर राजी हो जाते हैं। सन्धि की बात-चीत चलाने के लिए यही हथियार रखना विराम-सन्धि है। अवहार अपेक्षया अधिक व्यापक अर्थवाला शब्द है; और विराम सन्धि का भी इसमें अन्तर्भाव होता है। युद्ध के सिवा और भी कई तरह की ऐसी लड़ाइयाँ और भगड़े होते हैं, जिनसे लडने-भगडनेवाले भी और देखनेवाले भी ऊब जाते हैं। जैसे—कल-कारखानों के मजदूरों की हडतालें आदि। ऐसे भगडों को भी समभौते के लिए कुछ समय तक रोक रखना अथवा थक जाने पर सुस्ताने के लिए प्रतियोगिता सम्बन्धी खेल आदि रोकना भी अवहार ही है। अभिसमय स० के समय शब्द में 'अभि' उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ नया शब्द है। समय का पहला और पुराना अर्थ है—आपस में होनेवाला कोई निश्चय या समभौता, और इस दृष्टि से इस

ॐ अवहार महाभारत में अँगरेजी के आर्मिस्टिस (Armistice) के अर्थ में और कथा-सरित् सागर में ट्रूस (Truce) के अर्थ में आया है। पर हिन्दी में आर्मिस्टिस तथा ट्रूस दोनों के लिए विराम-सन्धि पद चलने लगा है, जो ठीक नहीं है। अतः यहाँ आर्मिस्टिस के लिए विराम-सन्धि और ट्रूस के लिए अवहार रखा गया है।

माला के प्राय सभी शब्दों का 'समय' में अन्तर्भाव हो सकता है। पर समय अब काल (या वक्त) के अर्थ में चल गया है; इसी लिए उसमें 'अभि' उपसर्ग लगाकर उसका रूप अभिसमय कर दिया गया है। प्राय ऐसी अनेक बातें या विषय होते हैं जिनका सभी अथवा कई राष्ट्रों से सम्बन्ध होता है। जैसे—डाक, तार, रेल, हवाई जहाज, कृतियों आदि का प्रतिक स्वस्व (कॉपी राईट) युद्ध-संचालन के नियम आदि। ऐसी बातों या विषयों के सम्बन्ध में सब राष्ट्र आपस में बात-चीत करके जो बहुत-कुछ स्थायी समभौता करते हैं, वही अभिसमय है। कला, काव्य, सामाजिक रीति-न्यवहार आदि से सम्बन्ध रखने-वाली मानक परिपाटियों या प्रथाओं के मूल में निहित सब लोगों का जो समभौता या सहमति होती है, वह भी समय (या अभिसमय) ही है। जैसे—कवि-समय, अर्थात् कवियों में परम्परा से चली आई हुई परिपाटी। ऐसी बातें स्थिर करने के लिए जो सभाएँ होती हैं, उन्हें भी हम या तो अभिसमय अथवा समागम कह सकते हैं। (दे० 'सभा' के अन्तर्गत 'समागम')

सहिक* (Positive)

उलटा (Negative)	धन, धनात्मक (Positive)
ऋण, ऋणात्मक (Negative)	नहिक (Negative)
गरम (Positive)	सीधा (Positive)
ठंडा (Negative)	

संस्कृत में नहि का अर्थ होता है—निश्चित रूप से नहीं; अथवा कभी नहीं। इसी नहि में क प्रत्यय लगाकर नहिक बनाया गया है। इसी नहिक के अनुकरण पर स० सह या सहि (=स+हि) से सहिक बनाया गया है। नहिक और सहिक मुख्यतः हैं तो वैज्ञानिक क्षेत्रों के पारिभाषिक शब्द; परन्तु कुछ अवस्थाओं में सार्विक क्षेत्रों में भी इनका प्रयोग होता है। नहिक का अर्थ होगा—न होने या न हो सकनेवाला, और सहिक का अर्थ होगा—रहने या होनेवाला अथवा रह या हो सकनेवाला। इन शब्दों का प्रयोग ऐसे प्रसंगों में होता है, जहाँ यह सूचित करना होता है कि (क) कोई अपेक्षित, आवश्यक या विचारणीय तत्त्व (इसमें अथवा यहाँ) नहीं है; अथवा (ख) ऐसा तत्त्व (इसमें

* अंगरेजी के पॉजिटिव (Positive) और नेगेटिव (Negative) के लिए हिन्दी में भिन्न भिन्न क्षेत्रों और प्रसंगों में प्रयुक्त मेरे देखने में अब तक एक दर्जन से अधिक शब्द-युग्म आ चुके हैं। जैसे—भावात्मक और अभावात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, स्वीकारात्मक और निषेधात्मक, लोम और विलोम आदि। परन्तु इनमें से एक भी शब्द युग्म ऐसा नहीं है जो सभी क्षेत्रों और प्रसंगों में समान रूप से काम दे सके। इसी विचार से प्रामाणिक हिन्दी कोश के दूसरे संस्करण में मैंने इनके लिए सहिक और नहिक शब्द रखे थे, जिनके पक्ष या विपक्ष में अभी तक कोई तर्क-सगत चर्चा मेरे देखने में नहीं आई। इसलिए यही दोनों शब्द यहाँ फिर से विचारार्थ और प्रयोगार्थ उपस्थित किये जाते हैं।

अथवा यहाँ) वर्तमान है। सहिक का प्रयोग प्रायः निम्न-लिखित प्रसंगों में होता है— (क) जो कथन निश्चित और स्पष्ट रूप से प्रतिपादित, प्रस्थापित अथवा व्यक्त किया गया हो; अर्थात् ठीक मानकर साफ तरह से कहा गया हो; (ख) जो सचमुच वर्तमान, सत्ता से युक्त और वास्तविक हो, (ग) जो सब तरह से दृढ़ और निश्चित हो; (घ) जिसमें किसी प्रकार के आक्षेप, सकोच, सन्देह आदि के लिए कोई अवकाश न हो, अथवा (ङ) जिसमें कोई अपेक्षित या विशिष्ट तत्त्व वर्तमान हो। इस विचार से सहिक कुछ स्थानों पर ठीक, निश्चित, पूर्ण या वास्तविक का भी आशय प्रकट करता है, और इसी लिए कुछ प्रसंगों में इसका काम उक्त शब्दों से भी चला लिया जाता है*। फिर भी अनेक अवसरों पर पारिभाषिक शब्द सहिक का ही प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे— सौन्दर्य कोई सहिक वस्तु नहीं है; इसका मानक तो लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही स्थिर कर लेते हैं। यहाँ सहिक का अर्थ है—धार्य, माप्य या मूर्त्त (दे०—‘मूर्त्त’) और उसके अन्तर्गत ‘धार्य’) तत्त्व से युक्त। सहिक प्रतिमा या मूर्त्ति वह कही जायगी, जो धातु, पत्थर आदि से गढ़कर बनाई हुई और वास्तविक हो। नहिक इसी सहिक का विपर्याय है; अतः सहिक के जितने आशय या भाव माने जाते हैं, नहिक उन सबके विपरीत आशयों या भावों का सूचक होगा †। उदाहरणार्थ, यदि हम कहें—‘आप वहाँ नहीं जा सकते।’ तो

‡ उदाहरणार्थ—हिन्दी की प्रवृत्ति के विचार से Positive order के लिए हम कहेंगे—निश्चित आज्ञा, और I am not yet positive of any thing की जगह हमें कहना पड़ेगा—अभी किसी बात के सम्बन्ध में मेरा कोई निश्चित मत नहीं है, अथवा मे किसी निश्चित मत पर नहीं पहुँचा हूँ। परन्तु Positive Laws अथवा Positive Philosophy के लिए हमें क्रमात् कहना पड़ेगा—सहिक विधियाँ (या विधान) अथवा सहिक दर्शन।

† इसी लिए कुछ स्थानों पर यह निषेधात्मक, विपरीत आदि का भी वाचक हो जाता है।

हमारा यह कथन निषेधात्मक तो कहलावेगा ही, पर इसे हम नहिक कथन या नहिक आदेश भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जो कुछ सकारात्मक हो, वह सब सहिक होता है। यहाँ तक तो ये दोनों शब्द सार्विक क्षेत्र में चलते हैं। पर इससे आगे कुछ विशिष्ट विज्ञानों और शास्त्रों में भी इनका कुछ विशिष्ट अर्थों में प्रयोग होता है, और ऐसे प्रसंगों के लिए संस्कृत और हिन्दी में कहीं-कहीं कुछ शब्द मिलते और चलते भी हैं। हमारे यहाँ के गणित शास्त्र में अं० पॉजिटिव के लिए धन और नेगेटिव के लिए ऋण शब्द बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, जिन के चिह्न क्रमात् + और—(जोड़ और बाकी के चिह्न) हैं। जैसे—घनकोण, धन राशि, और ऋण चिह्न, ऋण पद आदि प्रसिद्ध पद हैं। विद्युत् शास्त्र में जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव तार कहते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ के बिजली मिस्तरियों ने क्रमात् गरम तार और ठंडा तार पद बना लिये हैं। परन्तु स्वयं विद्युत् में भी दो भिन्न अर्थों या प्रकारों का एक युग्म* होता है, जिन्हे केवल गरम और ठंडा कहने से काम नहीं चल सकता, और इन अर्थों या प्रकारों के लिए भी सहिक और नहिक का प्रयोग ही ठीक होगा। इसके सिवा चुम्बक की सूई में एक सिरा वह होता है जो सदा उत्तर की ओर रहता है और दूसरा सिरों सदा दक्षिण की ओर रहता है। इन दोनों सिरों के लिए हमारे यहाँ अलग-अलग शब्द न होने के कारण प्रायः गणितीय धन और ऋण से काम चलाया जाता है। पर इन्हे भी हम क्रमात् सहिक और नहिक कह सकते हैं। छाया-चित्रण (फोटोग्राफी) में इन शब्दों से जो आशय सूचित होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ अभी तक शब्द बने ही नहीं हैं, ऐसे अवसरों पर भी सहिक और नहिक से अच्छी तरह काम चल सकता है। छाया-चित्रण में सहिक वह चित्र या प्रतिबिम्ब कहा जाता है,

* वस्तुतः अपने प्रकृत रूप में भी विद्युत् या बिजली दो अलग अलग प्रकारों की होती है। एक प्रकार की तो वह बिजली होती है, जो शीशे से रेशम को रगड़ने से पैदा होती है, और दूसरे प्रकार की वह बिजली होती है जो गोद, मोम आदि की रगड़ से पैदा होती है। इनमें से पहले प्रकार की बिजली सहिक और दूसरे प्रकार की नहिक कहलाती है।

जिसमे छाया और प्रकाश दोनों ज्यों के ज्यों अपने प्रकृत रूप में और मूल के ठीक अनुरूप दिखाई देते हैं। इसके विपरीत, नहिक चित्र, प्रतिबिम्ब या शीशा वह कहलाता है, जिसमे प्रकृत या मूल की छाया के स्थान पर प्रकाश और प्रकाश के स्थान पर छाया हो। हिन्दी में साधारण रूप से उन्हें क्रमात् सीधा और उलटा कहते हैं। पर पारिभाषिक क्षेत्र में इन्हें भी हम क्रमात् सहिक और नहिक कह सकते हैं। कुछ प्रसंगों में सहिक और नहिक का प्रयोग विशेषण रूप के अतिरिक्त सज्ञा रूप में भी होता है। जैसे छाया-चित्रण के प्रसंग में वह शीशा तो नहिक कहलाता है, जिस पर वस्तु या व्यक्ति का चित्र पहले लिया जाता है, क्योंकि इसमें छाया की जगह प्रकाश और प्रकाश की जगह छाया होती है। पर ऐसे शीशे पर से जो चित्र छापकर तैयार किया जाता है, उसे सहिक कहते हैं, क्योंकि इसमें फिर छाया और प्रकाश का क्रम दोबारा उलट जाता है और वे ठीक उसी रूप में हो जाते हैं, जिस रूप में वे मूल वस्तु या व्यक्ति में होते हैं।

साधारण (Ordinary)

चलित (Usual)

सामान्य (Common)

प्रायिक (Frequent)

सार्वजनिक (Public)

लोक-गत (Popular)

सार्वजनीन=सार्वजनिक

लोक-प्रिय (Popular)

सार्विक (General)

विश्वक (Universal)

साधारण स० साधार का विकारी रूप है, और साधार स० स + आधार के योग से बना है। साधार का अर्थ है—जिसका कोई आधार हो; या जो किसी के आश्रय या सहारे पर हो। इसी दृष्टि से जो चीजें या बातें एक ही आधार पर या एक ही तरह के आधारों पर आश्रित या स्थित हों, वे साधारण कहलाती

है। जब एक ही तरह की ऐसी बहुत-सी चीजें या बातें हमारे सामने आती हैं, जिनमें एक दूसरी की अपेक्षा कोई महत्त्व का पार्थक्य या विशेषता नहीं होती, तब वे सभी चीजें या बातें हमारे लिए साधारण होती हैं। जिस घटना या व्यक्ति में हमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार नहीं दिखाई देता, उसे हम साधारण मनुष्य कहते हैं। इसके विपरीत, जिन बातों या वस्तुओं में हमें कोई नवीनता या विलक्षणता दिखाई देती है, वही हमारे लिए आसाधारण होती हैं। पर यदि वही बातें या वस्तुएँ हमारे सामने प्राय और अधिकता से आने लगे तो वे साधारण बन जाती हैं। बिजली की रोशनी, मोटर, रेडियो या हवाई जहाज पहले विरले होने के कारण असाधारण थे, पर अब बहुत प्रचलित हो जाने के कारण सभ्य जगत् के लिए साधारण हो गये हैं। पहले चोरियाँ, डाके और हत्याएँ बहुत कम होने के कारण आसाधारण घटनाएँ मानी जाती थी, पर यही आज-कल साधारण बातें हो गई हैं। साधारण प्राय प्रसम (देखे) से कुछ निम्न कोटि का ही होता है, उच्च कोटि का नहीं होता। हम कहते हैं—यह बात साधारण आदमियों की समझ के बाहर है। आशय यही होता है कि यह बात वही समझ सकते हैं जो या तो प्रसम कोटि के हों या उससे कुछ उच्च कोटि के। सामान्य सं० समान से बना है, और मूलतः इसका वही अर्थ* तुल्य या बराबर है जो समान का है। पर बाद में इसका अर्थ भी बढ़ और बदलकर बहुत कुछ वही हो गया है जो साधारण का है। जो सब जगह समान रूप से लोगों के देखने-सुनने में आता हो, जो सब में नहीं तो कम से कम बहुतों में अचरय पाया जाता हो, अथवा जिसे देखने पर कुछ भी आश्चर्य या कुतूहल न हो, वही सामान्य है। साधारण तो प्रसम से प्राय कुछ नीचा होता है, पर सामान्य

✽ अँगरेजी में Common की अपेक्षा Ordinary कुछ उँचे भाव का सूचक है—उसमें तुच्छता या निम्नता की भावना अपेक्षया कम है। पर हिन्दी में इसके विपरीत सामान्य ही कुछ अच्छा और साधारण कुछ हल्का होता है। सामान्य बुद्धिवाला आदमी, प्रयोग के विचार से, साधारण बुद्धिवाले आदमी की अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धिमान समझा जाता है।

बहुधा प्रसंग के समान ही होता है। जो बात दो अथवा कई वस्तुओं, व्यक्तियों आदि में समान रूप से पाई जाती हो, वह भी सामान्य कहलाती है। जैसे— भूख-प्यास आदि प्राणियों का सामान्य धर्म है। यदि ऐसे प्रसंगों में सामान्य की जगह साधारण का प्रयोग किया जायगा तो वाक्य का आशय कुछ तुच्छता या हीनता का सूचक हो जायगा। विश्वक और सार्विक एक ही वर्ग के शब्द है। विश्वक वह है जो सब जगह और सबमें बिना किसी प्रकार के अपवाद के देखने में आता या पाया जाता हो। पर सार्विक वह है जो प्रायः सब जगह या सबमें मिलता या होता हो और जिसमें कहीं-कहीं कुछ अपवादों के लिए भी अवकाश हो। सार्विक नियम या विधान तो प्रायः समाजों या सरकारों के बनाये हुए होते हैं; पर विश्वक नियम ईश्वर-कृत या प्रकृत होते हैं। सार्विक नियमों में कुछ अपवाद या त्रुटियाँ भी हो सकती हैं; पर विश्वक नियमों में कोई अपवाद नहीं होता। मनुष्यों के बनाये हुए विधान सार्विक हित के साधक होते हैं, पर ईश्वरीय विधान विश्वक हित के। अहिंसा, दया, प्रेम, सत्य आदि विश्वक सिद्धान्त हैं। विश्वक कहीं-कहीं सामूहिक रूप में सब या समस्त का भी वाचक होता है। जैसे—भारत-वासियों की यह विश्वक आकांक्षा है; अर्थात् समस्त भारत-वासियों की यह आकांक्षा है। सार्विक मत तो यही है कि स्त्रियों को घर-गृहस्थी के ही काम देखने चाहिए; फिर भी बहुत-सी स्त्रियाँ सार्वजनिक सेवाओं और नौकरी-चाकरी के काम करती ही हैं। पर यह मत विश्वक है कि सबको अपने माता-पिता की आज्ञा माननी और सेवा करनी चाहिए। सार्वजनिक और लोक-गत प्रायः एक वर्ग में आते हैं। सार्वजनिक का अर्थ है—सर्व जन या सब लोगों से सम्बन्ध रखनेवाला। जिस काम या बात का सम्बन्ध सब लोगों अथवा सारे समाज से हो, वही सार्वजनिक कहलाती है। सार्वजनिक धर्मशाला या सभा वह होगी जिसमें सब लोग ठहर या सम्मिलित हो सकते हों। इसमें साधारण लोगों में से किसी के लिए निषेध या वर्जन नहीं होता। डाक, तार, रेल आदि के विभाग सार्वजनिक उपयोग और हित के लिए ही चलते हैं। लोक-गत वह है जिसका उपयोग, प्रयोग या व्यवहार जनता के अधिकांश में होता हो अथवा अधिकतर जनता में जिसका प्रचलन या मान्यता हो। जनता के अतिरिक्त इसका सम्बन्ध देश, युग आदि से भी होता है। हम कह सकते हैं—अमुक प्रथा या अमुक विश्वास अमुक

काल या युग में हमारे देश में बहुत अधिक लोक-गत था* । हम यह भी कह सकते हैं—विधिक धारणाओं अथवा मान्यताओं से लोक-गत धारणाएँ अथवा मान्यताएँ प्रायः बहुत-कुछ भिन्न हुआ करती हैं । चलित वह है जिसका चलन या प्रचलन साधारणतः सब जगह या सब लोगों में प्रायः देखने में आता हो । जैसे—हिन्दुओं में पहले बाँल-विवाह प्रायः चलित रूप से होता था; अथवा चलित रूप में ऐसा अनुचित व्यवहार आपस में नहीं होता । प्रायिक स० प्रायः या प्रायः से बना हुआ शब्द है । प्रायिक वह है जो सदा और नियमित रूप से या बराबर तो न होता हो, फिर भी बीच-बीच में प्रायः या बहुधा होता रहता हो । जो क्रिया आपसे आप या लोगों के द्वारा अथवा किसी एक व्यक्ति के द्वारा बीच-बीच में और बार-बार होती रहती हो, उसे भी प्रायिक कहते हैं । जैसे—माघ फागुन में वर्षा प्रायिक नहीं होती, केवल एक दो बार होती है ।

* कुछ लोग ऐसे अवसरों पर Popular का अनुवाद लोक-प्रिय भी कर जाते हैं । कहीं कहीं तो लोक-प्रिय से काम चलता जाता है, जैसे प्रसाद जी की कामायनी सबसे अधिक लोक-प्रिय रचना है । पर उक्त प्रसंग में अथवा उससे मिलते-जुलते प्रसंगों में लोक-गत ही ठीक बैठता है, जिसका अर्थ होता है—लोक में प्रचलित या मान्य ।

सारिक (Brief, Concise)

अर्थ-गर्भित (Pithy)	संहत (Compact*)
अल्पाक्षरिक (Laconic)	सारभूत=सारिक
परिसंहत (Terse)	सारांशिक (Summary)
बह्वर्थक (Sententions)	सुसंहत (Succint)
संक्षिप्त (Abbreviated)	

सारिक स० सार (व्युत्पत्ति अनिश्रित) से बनाया हुआ नया शब्द है । सार का मूल अर्थ है—किसी घनी चीज में का वह प्रधान तत्त्व, जिसपर उस चीज का अस्तित्व, उपयोगिता, शक्ति आदि आश्रित हो । इसी आधार पर किसी चीज या बात का वह सक्षिप्त या सूक्ष्म अंश भी सार कहलाता है, जो या तो उसके गुणों, विशेषताओं आदि का परिचायक होता है या उन गुणों, विशेषताओं आदि का उपयोग करने के लिए एकत्र किया या निकाला जाता है । इसी लिए हम इसे साराशिक (सज्ञा साराश से बना हुआ विशेषण) भी कह सकते हैं, और सारभूत भी । पर चल सकने योग्य और हलका शब्द सारिक ही है । प्रस्तुत प्रसंग में सारिक वह चीज या बात कही जायगी, जिसमें केवल काम के और मुख्य,मुख्य अंग या अंश ही हों, इधर-उधर की अनावश्यक बातें या व्यर्थ का विस्तार न हो । हम अपना कोई अभिप्राय भी सारिक रूप में प्रकट कर सकते हैं; और किसी ग्रन्थ या लेख का भी सारिक प्रस्तुत कर सकते हैं । किसी घटना या सत्था के विस्तृत विवरण का भी सारिक तैयार किया जा सकता है । अपने विशिष्ट और पारिभाषिक अर्थ में साराशिक वह कहलाता है, जो किसी कथन, वक्तव्य, विवरण आदि के सक्षेप या साराश के रूप में हो; और इस दृष्टि से यह भी बहुत-कुछ वही है, जो सारिक है । सहत ऐसा रूप (व्यापक अर्थ में) कहलाता है जो अच्छी तरह से कसा या गठा हुआ हो, घना

* अंगरेजी कम्पैक्ट (Compact) के संज्ञावाले अर्थ के लिए देखें—
'समझौता' के अन्तर्गत 'प्रपाशक' ।

या ठोस हो। जिसमें विरलता न हो, जो अपेक्षया कम स्थान घेरे, वही संहत है। इसका प्रयोग भौतिक और अ-भौतिक, मूर्त्त और अमूर्त्त सभी प्रकार की वस्तुओं तथा बातों के लिए हो सकता है। आज-कल कुछ विशिष्ट क्रियाओं से दाब पहुँचाकर काठ के टुकड़े इस प्रकार संहत किये जाते हैं कि वे स्थान भी कम घेरते हैं और पहले से बहुत मजबूत भी हो जाते हैं। इसी संहत में परि उपसर्ग लगाकर परिसंहत और सु उपसर्ग लगाकर सुसंहत बनाया गया है। ये शब्द मुख्यत वाक्य-रचना और साहित्यिक क्षेत्र के ही हैं। अच्छे लेखकों की वाक्य-रचना सुसंहत होती है—ऐसी गठी हुई होती है कि न तो उसमें का कोई शब्द फालतू या व्यर्थ होता है, न इधर-उधर किया जा सकता है। जिन रचनाओं में केवल काम की बातें हों, व्यर्थ का विस्तार न हो, उन्हें भी हम सुसंहत कह सकते हैं। ऐसी ही रचना (अथवा वाक्य-रचना) में जब ओज, प्रसाद आदि गुण भी सम्मिलित हों, तो उसे परिसंहत कहते हैं। संचिप्त का पहला अर्थ तो है—यो ही फेंका या ढेर लगाया हुआ; पर हिन्दी में इसका प्रयोग बहुत-कुछ विस्तृत अर्थ और क्षेत्र में, प्रायः मनमाने ढंग से होता है। इस शब्द-माला में जितने शब्द ऊपर आये हैं, उनमें से अधिकतर शब्दों का काम हमारे यहाँ इसी संचिप्त से लिया जाता है। समय के अभाव के कारण लोग अपना भाषण संचिप्त कर लेते हैं, पुस्तकों के संचिप्त संस्करण निकलते हैं; और शब्दों तथा पदों के संक्षिप्त रूप बना लिये जाते हैं। पर आर्थी स्पष्टता और सीमा-निर्धारण के विचार से संचिप्त का प्रयोग ऐसे पदों, शब्दों आदि के सम्बन्ध में ही होना चाहिए जो नियत या निश्चित प्रकार से कुछ अक्षर घटाकर इतने छोटे कर लिये गये हों कि बड़े पदों, शब्दों आदि के साकेतिक वाचक का काम दे सकें। जैसे—महाराज कुमार का संचिप्त रूप महा० कु० या राष्ट्र सघ का संचिप्त रूप रा० स० होता है। कोशों आदि में क्रिया प्रयोग की जगह जो क्रि० प्र०, संस्कृत की जगह स० आदि रखे जाते हैं, वे भी संचिप्त रूप या संचितक (संज्ञा) ही होते हैं। हिन्दी में बी० ए०, एम० ए० आदि जो शास्त्रीय उपाधियाँ लिखी जाती हैं, वे वस्तुतः अंगरेजी संचितकों के हिन्दी रूपान्तर मात्र हैं। अर्थ गर्भित का शब्दार्थ ही है—जिसमें बहुत अधिक अर्थ भरा हुआ हो। जो वाक्य परिसंहत

या सुसंहत होने के सिवा अपेक्षया बहुत अधिक या गम्भीर परन्तु छिपे हुए अर्थ (या अर्थों) से भी युक्त हो, वही अर्थ-गर्भित कहलावेगा। यदि हम किसी अवसर पर कहें—‘वाह, क्या बात है !’ और सुननेवाले अपनी-अपनी रुचि या विचार के अनुसार इसके अलग अलग (निन्दात्मक और प्रशंसात्मक) अर्थ लगाने लगें, तो हमारा उक्त वाक्य अर्थ-गर्भित कहा जायगा। प्राय अन्धे, लेखक या वक्ता कभी कभी बहुत थोड़े शब्दों में बहुत-सी या बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं। ऐसे अवसरों पर कहा जाता है—उनकी हर बात बहुत अर्थ-गर्भित थी। बह्वर्थक (सं० बहु + अर्थक) भी बहुत-कुछ वही है, जो अर्थ-गर्भित है, फिर भी यह अर्थ-गर्भित से बहुत-कुछ आगे बढ़ा हुआ शब्द है। जिस कथन या बात में कोई एक-दो अर्थ छिपे हो, वह तो अर्थ-गर्भित कही जायगी, पर जिसमें बहुत अधिक अर्थ छिपे हों या जिससे बहुत-से अर्थ निकल सकते हों, वह बह्वर्थक कही जायगी। इसमें थोड़ी-सी बातों या वाक्यों में बहुत-से अर्थ निहित होने का भाव प्रधान है। अल्पाक्षरिक का अर्थ ही है—जिसमें बहुत ही थोड़े अक्षरों का प्रयोग हुआ हो। अल्पाक्षरिक वह बात कही जायगी जिसमें कोई अभिप्राय इतने थोड़े शब्दों में कहा गया हो कि लोग या तो ठीक ठीक आशय पूरी तरह से समझ ही न सके या चक्कर में पड़ जायें। ऐसी बात प्राय स्वभाव का रूखापन या असंस्कृति की सूचक होती है*।

ॐ एक बार किसी लिपिक को अपने प्रधान अधिकारी के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ा, जिसमें बहुत अधिक अनावश्यक विस्तार हो गया था। अधिकारी ने बिगड़कर वह प्रार्थना-पत्र फेंक दिया और कहा—जो कुछ कहना हो, वह बहुत मुस्तसर (सक्षेप) में लिखकर लाओ। दूसरे दिन उस लिपिक ने एक छोटा-सा कागज अधिकारी के सामने ला रखा, जिसपर लिखा था—अरजी मुस्तसर, वन्दा इधर या उधर !

साहित्य (Literature)

किताब=पुस्तक	प्रकाशन (Publication)
ग्रन्थ (Literary work)	सत्साहित्य (Belle-lettre)
पुस्तक (Book)	साहित्यिक कृति या रचना
पुस्तिका (Booklet)	(Literary production)

साहित्य स० सहित का भाव-वाचक रूप है, और इसका शब्दार्थ है— सामूहिक रूप से सबके मिलकर एक साथ रहने या होने की दशा या भाव । परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में, अपने विस्तृत अर्थ में, यह सभी देशों और युगों के लोगों के उन सब विचारों का सूचक हो गया है, जो लिखित अथवा प्रकाशित रूप में पाये जाते हैं । सीमित अर्थ में यह किसी देश, भाषा या युग की अथवा मानवी ज्ञान-विज्ञान के किसी क्षेत्र या विभाग की समस्त लिखित अथवा प्रकाशित पुस्तकों आदि का वाचक है । जैसे—भारतीय साहित्य, यूनानी साहित्य आदि; अथवा बँगला, मराठी या हिन्दी का साहित्य । किसी एक विषय या किसी बहुत बड़े लेखक की सब रचनाएँ भी उस विषय या लेखक के नाम के साथ अभिहित होती हैं, जैसे—पुरातत्त्व सम्बन्धी साहित्य, तुलसी या सूर का साहित्य आदि । जिन ग्रन्थों में उच्च कोटि के और सुरुचिपूर्ण भाव या विचार अच्छी भाषा और सुन्दर शैली में रहते हैं, उन सबको सामूहिक रूप से सत्साहित्य कहते हैं । इतिहास, काव्य, दर्शन, नीति, विज्ञान आदि से सम्बन्ध रखनेवाली अच्छी-अच्छी पुस्तकें प्रायः इसी वर्ग में आती हैं । ग्रन्थ सं० ग्रन्थ घातु से बना है, जिसका अर्थ है— एक में बाँधना, गाँठ लगाना, गूथना, पिरोना आदि । प्राचीन काल में ताड-पत्रों, भोजपत्रों आदि पर सारे विचार लिखकर और उनमें छेद करके उन्हें एक साथ बाँधकर उनमें गाँठ (या ग्रन्थि) लगा दी जाती थी; इसी से यह शब्द उन समस्त लिखित विचारों का वाचक हो गया, जो लिखकर एक साथ या एक जगह

रखे जाते थे। आज-कल यह उच्च कोटि की बड़ी बड़ी पुस्तकों का वाचक हो गया है, पर साधारण पुस्तक शब्द की तुलना में ग्रन्थ विशेष आदर और गौरव या महत्त्व का सूचक है। जैसे—गुरु ग्रन्थ साहब, डा० भगवानदास के ग्रन्थ आदि। किस्से-कहानी या कबली-होली की पुस्तकें ही कही जाती हैं, ग्रन्थ नहीं। हम हर ग्रन्थ को तो पुस्तक भी कह सकते हैं, पर हर पुस्तक को ग्रन्थ नहीं कह सकते। पुस्तक का अल्पार्थक पुस्तिका है; और यह शब्द छोटी छोटी पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है। जब कोई ग्रन्थ या पुस्तक छपकर प्रकाशित हो जाती है, तब (केवल इसी विचार से) वह प्रकाशन कहलाती है। यह मुख्यतः प्रकाशन या प्रकाशकों के दृष्टि-कोण से बना हुआ शब्द है। हम कहते हैं—अमुक पुस्तक-विक्रेता के पचासों प्रकाशन हैं; अर्थात् उसने पचासों पुस्तकें छाप कर प्रकाशित की हैं। यों बाजार में हम किसी लेखक का भी कोई नया प्रकाशन छूँ डने निकलते हैं, पर यहाँ भी दृष्टि-कोण वही प्रकाशन या प्रकाशकोंवाला होता है। हमारा आशय यही होता है कि अमुक लेखक का कोई नया ग्रन्थ किसी प्रकाशक ने प्रकाशित किया है या नहीं। साहित्यिक कृति या रचना किसी ऐसे ग्रन्थ या पुस्तक को कहते हैं, जिसका साहित्यिक दृष्टि से कुछ विशेष महत्त्व हो, जिसमें कुछ अच्छे भाव या विचार हों। साधारणतया क्षणिक मनोविनोद के लिए लिखी हुई छोटी-मोटी या रद्दी की टोकरी में स्थान पाने लायक पुस्तक-पुस्तिकाओं की गिनती साहित्यिक कृतियों या रचनाओं में नहीं होती।

साहित्यिक वाद

अभिव्यंजनावाद (Exppres- sionism)	प्रगतिवाद प्रतीकवाद (Symbolism)
आदर्शवाद (Idealism)	प्रयोगवाद
छायावाद	यथार्थवाद (Realism)
प्रकृतवाद (Naturalism)	रहस्यवाद (Mysticism)

इस वर्ग के सब शब्द कुछ नये प्रकार की साहित्यिक रचनाओं, विशेषतः छन्दोबद्ध रचनाओं या कविताओं के विशिष्ट प्रकारों या प्रणालियों के सूचक हैं; और थोड़े ही दिनों से प्रचलित हुए हैं। तार्किक दृष्टि से रहस्यवाद का सिद्धान्त और स्वरूप बहुत पुराना है; और छायावाद उसी की एक विकसित शाखा है। शेष वाद हमारे यहाँ पाश्चात्य देशों के साहित्यिक क्षेत्रों से आये हैं। रहस्यवाद का मूल मनुष्य की वह जिज्ञासा है जो उसके मन में सृष्टि के कर्त्ता के प्रति उत्पन्न होती है। वह समझता है कि एक ऐसी अलौकिक सत्ता भी है जो देश-काल और भौतिक दृष्टि की सीमा से परे है, और हमें उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। चिन्तन जगत् का अद्वैतवाद ही भावना जगत् का रहस्यवाद है। वैदिक काल से अब तक इस क्षेत्र में जितने विचार हुए हैं, उन सबकी परम्परा में आब-कल का साहित्यिक रहस्यवाद भी है। अपना आपा या अहं भाव भूलकर उस असीम और शाश्वत से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न ही इसका मूल तत्त्व है। छायावाद हमारी वैयक्तिक और सामाजिक अनुभूतियों का ऐसा अभिव्यजन है, जो सौन्दर्यमय प्रतीकों के आश्रय या सहारे पर चलता है। आशा और निराशा, सुख और दुःख, भले और बुरे के प्रकाश और अन्धकार में भटकनेवाली लालसापूर्ण अनुभूतियों का अभिव्यजन इस

(छायावाद) की विशेषता है। इस प्रसंग में छाया का अर्थ है—हमारी अनुभूतियों की प्रतिकृति या अनुहार। रहस्यवाद की अपेक्षा इसमें ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता अधिक होती है। जहाँ रहस्यवाद में सृष्टि-कर्त्ता के साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न होता है, वहाँ छायावाद में उस आनन्दमयी अनुभूति का प्रकाशन होता है, जो सृष्टि के कण कण में उस सृष्टि-कर्त्ता की छाया दिखाई देने पर होती है। प्रगतिवाद उस द्वन्द्व की साहित्यिक प्रतिक्रिया है जो आज-कल के भौतिक वाद में दिन पर दिन उग्र रूप धारण करता जा रहा है। राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से इसका लक्ष्य है—समाज की शोचनीय अवस्था की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, और ऐसे समाज की सृष्टि करना जिसमें समष्टिवादी सिद्धान्तों का बोल-बाला हो। यह आज-कल की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि व्यवस्थाओं का विद्रोही है, और इसी लिए इसमें साहित्य के सौन्दर्य-पक्ष की अपेक्षा करके उसकी उपादेयता की ओर ही सारा ध्यान दिया जाता है। छायावाद में जिन बातों के सम्बन्ध में हृदयगत भावनाएँ प्रकट की जाती हैं, प्रगतिवाद में उनके प्रति विद्रोह की भावना से विद्युद्ग मानसिक विचार प्रकट किये जाते हैं। छायावाद का धरातल अति-काल्पनिक है, और प्रगतिवाद का अति भौतिक। प्रतीकवाद अभिव्यक्ति का वह प्रकार है, जिसमें अ-भौतिक, आध्यात्मिक, आदर्श और अमूर्त्त तथा सूक्ष्म तत्त्वों या भावों का प्रस्थापन कुछ लौकिक प्रतीकों के आश्रय से किया जाता है। साहित्य के सिवा चित्र-कला, मूर्त्ति-कला, संगीत आदि में भी इसका प्रयोग देखने में आता है। जो बात अमूर्त्त या आध्यात्मिक होती अथवा केवल आदर्श के क्षेत्र में रहती है, उसे प्रतीकों की सहायता से सबके सामने रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। साधारणतः ठीक और पूरी तरह से यह नहीं बतलाया जा सकता कि भावनाएँ क्या हैं; अर्थात् उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती; अतः उनका प्रतीक या अनुहार हूँ ढकर केवल समानता के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति की जाती है। काव्य के क्षेत्र में, इसका प्रयोग इसलिए जटिलता और दुरूहता उत्पन्न कर देता है कि इसका उद्देश्य ही पाठकों का कुतूहल और जिज्ञासा और भी जाग्रत तथा प्रबल

करना होता है*। इसमें एक स्तर पर दिखाई देनेवाली वास्तविकता का चित्रण दूसरे स्तरों पर दिखाई देनेवाली, उसी प्रकार की वास्तविकता के रूप में होता है। प्रयोगवाद् वह शैली है जिसमें कवि या लेखक अपने आपको मार्ग का अन्वेषक समझता और अपनी रचनाओं को प्रयोग मात्र मानता है। जब युग का अन्वकार, अनाचार और विषाद बहुत बढ़कर भावुक कवि या लेखक को अभिभूत कर लेता है और फलतः उसे अपने भाव व्यक्त करने के लिए न छन्द मिलते हैं और न शब्द, तब वह अनेक प्रकार के प्रतीकों के आधार पर नये नये प्रयोग करने लगता है। अमूर्त्त भावनाओं को उनके अनुरूप छन्दों के सहारे मूर्त्त रूप देना ही आज-कल का प्रयोगवाद् है। इसकी जन-भावना प्रगतिवाद् से और प्रतीक-योजना प्रतीक-वाद् से अनुप्राणित होती है। कल्पना और सौन्दर्य के विचार से यह छाया-वाद् के बहुत कुछ पास तक पहुँचता है। लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जब हम इस भौतिक जगत और जीवन से परे किसी परम सुखमय, सौन्दर्यमय, सब प्रकार से अभीष्ट तथा पूर्ण आदर्श लोक की कल्पना करते हैं, तब मानों हम आदर्शवाद् की सृष्टि करते हैं। इस विचार-धारा में इस बात से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता कि यह जगत और जीवन कैसा है; और यही बात सामने रह जाती है कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए, और उसकी प्राप्ति या सिद्धि कैसे की जानी चाहिए। आदर्शवादी कवि और लेखक अपनी कृतियों में केवल उदात्त

✽ प्रगतिवाद् और प्रतीकवाद् दोनों पिछली शती के अन्तिम चरण में फ्रान्स से चले हैं। उन दिनों वहाँ के पूँजीदारों और श्रमिकों में बड़े बड़े झगड़े होने के कारण अराजकता-सी फैल गई थी। उस समय जिन कवियों ने जन-तन्त्री भावनाओं से सम्बद्ध कविताएँ लिखी थी, वे यथार्थवादी अथवा प्रगतिवादी कहे जाने लगे, पर जो कवि राजनीतिक प्रपञ्चों से दूर रहकर केवल कल्पना और सौन्दर्य की वीथियों में विचरते रहे और आदर्श तथा आध्यात्मिक भावनाओं से युक्त कविताएँ करते रहे, वे प्रतीकवादी कहलाये। छन्द शास्त्र के नियमों और बन्धनों से मुक्त तथा केवल लय-प्रधान और अनुकान्त कविताओं की परिपाटी भी इन्हीं लोगों ने चलाई थी।

तथा श्रेष्ठ गुणों और चरित्रों के चित्र अंकित करते हैं; चरित्रों या पात्रों और उनके दोषों की ओर वे ध्यान नहीं देते। इसमें यही माना जाता है कि सद् की असद् पर सदा से विजय होती आई है और सदा होती रहेगी। इसके विपरीत, यथार्थवाद में आदर्श की उपेक्षा करके केवल प्रत्यक्ष, प्रस्तुत और यथार्थ या वास्तविक तत्त्वों, बातों, स्थितियों आदि का ध्यान रखा जाता है। जो चीज या बात जिस रूप में सदा सबके सामने आती रहती हो, उसे उसी रूप में अंकित या चित्रित करना यथार्थवाद का उद्देश्य होता है। इस प्रकार यह मानो वास्तविकता का नग्न चित्र सबके सामने रखता है। इसमें भौतिक जगत और जीवन से परे किसी अज्ञात शक्ति या सत्ता का अस्तित्व नहीं माना जाता; प्रत्यक्ष जड़ जगत ही सब कुछ माना जाता है। इसमें न तो अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी की जाती है और न अपना कोई निजी दृष्टि-कोण उपस्थित किया जाता है। निष्कर्ष निकालने का सारा भार पाठकों पर छोड़ दिया जाता है। यही और आगे बढ़कर उस प्रकृतवादा का रूप धारण कर लेता है, जिसमें प्रायः जीवन के ऐसे अश्लील और हेय अंगों का भी चित्रण होने लगता है, जो शिष्ट तथा सुरुचि रखनेवाले लोगों को बहुत खटकता है। आदर्शवाद और यथार्थवाद में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अब ऐसी नई विचार-धारा भी प्रवाहित होने लगी है जिसमें यथार्थवाद की नींव पर आदर्शवाद का भवन खड़ा करने का प्रयत्न किया जाता है।

मन की सहज अनुभूतियों को कलापूर्ण रूप में और ज्यो की त्यो सबके सामने रखना ही साहित्यिक क्षेत्र में अभिव्यंजना कहलाता है; और इसी आधार पर अभिव्यंजनावाद की सृष्टि हुई है। इसका प्रयोग साहित्यिक क्षेत्र के सिवा चित्र-कला, मूर्ति-कला और स्थापत्य में भी होता है, पर सबसे अधिक यह अभिनय, नृत्य और संगीत से सम्बद्ध है। इसका एक मन्त्र उद्देश्य अपने मनोविकार कलात्मक ढंग से और सुन्दर रूप में सबके सामने रखना है। इसमें यही माना जाता है कि कला का एक मात्र सम्बन्ध 'सुन्दर' से है—वह 'सत्य' और 'शिव' की अपेक्षा नहीं रखती। कला की दृष्टि में इतिहास और भौतिक विज्ञान के सत्य का कोई महत्त्व नहीं होता। हाँ औचित्य का विचार अवश्य और सदा उसके सामने रहता है। इसी लिये अभिव्यंजनवाद की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि औचित्य

का ध्यान रखकर कलात्मक रूप में मनोभावों को जो अभिव्यक्ति की जाती है, वही जीवन के सब उद्देश्य सफल और सिद्ध कर सकती है।

सीमा (Limit)

अनु-सीमा (Abuttals)

बहिर्रेखा (Outline)

चौहद्दी, पर्यन्त (Boundary)

विस्तार (Extent)

परिमा (Bound)

सीमा किसी दिशा की वह अन्तिम रेखा या बिन्दु सूचित करती है, जहाँ तक पहुँचकर कोई विस्तार समाप्त होता है। इसी लिए यह शब्द इस भाव का भी सूचक हो गया है कि अमुक स्थिति से आगे बढ़ना उचित या ठीक नहीं है। चौहद्दी और पर्यन्त एक ही हैं। इनसे किसी क्षेत्र या प्रदेश के चारों ओर की सीमा या हद्द सूचित होती है। इन शब्दों का प्रयोग यह बतलाने के लिए होता है कि किसी क्षेत्र की सीमा हर दिशा में कहाँ तक है, और साथ ही स्पष्टीकरण के लिए प्रायः यह भी बतलाया जाता है कि हर दिशा में सीमा के बाद कौन-सा घर, देश या स्थान पड़ता है। इनका उपयोग प्रायः खेतों, मकानों, देशों आदि का विस्तार और उन विस्तार के उपरान्त हर दिशा में स्थित खेतों, मकानों, देशों आदि का निरूपण करने के लिए होता है। अनु-सीमा का प्रयोग किसी क्षेत्र या भूमि की सीमा-रेखा के बहुत ही पास पड़नेवाली भूमि और उस पर बनी हुई चीजों के सम्बन्ध में होता है। किसी बगीचे की चहार-दीवारी से प्रायः सटी हुई (इस पार की भी और उस पार की भी) भूमि और विशेषतः उस पर बने हुए मकानों या लगे हुए पेड़ों के सम्बन्ध में कहा जायगा कि ये चीजें अनु-सीमा पर हैं, अर्थात् सीमा के बहुत पास हैं। परिमा भी बहुत कुछ वही भाव सूचित करती है जो सीमा से सूचित होता है; पर इसका प्रयोग प्रायः गणित व्याप्ति

आदि में किसी क्षेत्र की सीमा-रेखा सूचित करने के लिए होता है। यह अकित की हुई भी हो सकती है और बिना अकित की हुई भी। बहिर्रेखा प्रायः यह सूचित करती है कि किसी क्षेत्र के मुख्य विभागों का विस्तार कहाँ तक है और किसी दिशा में कोई विभाग कहाँ समाप्त होता है। विस्तार उस सारे क्षेत्र का वाचक है, जहाँ तक कोई चीज फैली हुई हो। विस्तार हर चीज और-हर बात का होता है, और इसमें सीमा या उस पर की रेखाओं, विन्दुओं आदि का कोई भाव या विचार नहीं होता।

सूचना (१. Information, २. Notice)

अधि सूचन (Notification) प्रख्यापन (Declaration)
 अभिज्ञापन (Announcement) प्रसारण (Broad-casting)
 उद्घोषणा (Proclamation) विज्ञापन (Advertising)
 प्रकाशन (Publishing)

इस वर्ग के सभी शब्द ऐसे कामों या बातों के सूचक हैं, जिनके द्वारा दूसरों को अथवा सब लोगों को प्रायः खुले और सार्वजनिक रूप में किसी विषय की जानकारी या परिचय कराया जाता है। इस वर्ग का मुख्य शब्द सूचना स० सूच से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है—दिखाना, बताना, व्यक्त करना आदि। सूचना का मुख्य अर्थ है—निर्देश, संकेत आदि के द्वारा बताना कि यह अमुक अथवा ऐसी बात या वस्तु है। साधारणतः किसी बात का सामान्य ज्ञान या परिचय करना-कराना ही सूचना कहलाता है। मुख्य रूप से किसी आवश्यक घटना, तथ्य आदि से स्वयं परिचित होना या दूसरों को परिचित कराना तो सूचना कहलाता ही है; इस प्रकार ज्ञान या परिचय किया अथवा कराया जाता है, वह ज्ञान या परिचय भी सूचना कहलाता है। जैसे—(क) हमें आपके आने की सूचना पहले

ही मिल गई थी; अथवा (ख) उनके अस्वस्थ होने की सूचना समाचारपत्रों में निकल गई थी। विशिष्ट रूप से किसी बात की ओर किसी का ध्यान दिलाना या किसी के ध्यान में कोई बात लाना भी सूचना है। जैसे—सब कर्मचारियों को सूचना दे दो कि कल कार्यालय बन्द रहेगा। अपने इसी विशिष्ट रूप में यह अधिसूचना भी कहलाता है; पर इसमें औपचारिक रूप से और किसी निश्चित साधन के द्वारा सूचित करने का भाव मुख्य है। राज्य की ओर से सब लोगों की जानकारी के लिए जो बात राजपत्र या समाचारपत्रों में, विशिष्ट रूप से सबका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, प्रकाशित की जाती है, उसे भी अधिसूचना कहते हैं। विज्ञापन स० ज्ञापन (जतलाना या बतलाना) में वि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। समाचारपत्रों आदि में अथवा यों ही कागज पर लिख या छापकर जनता का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से, कोई बात लोगों को बतलाना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन प्रायः बार-बार या कई बार भी होता है। अपने विस्तृत अर्थ में विज्ञापन का प्रयोग उस दशा में भी होता है, जब कोई बात इस प्रकार बार-बार कही जाती है कि लोगों को कुछ अनुचित या भारी जान पड़े अथवा जिसका उद्देश्य केवल सस्ती खराति या प्रसिद्धि प्राप्त करना हो। जैसे—वे सार्वजनिक सभा-समाजों में भी अपना विज्ञापन करने से नहीं चूकते। ज्ञापन में अभि उपसर्ग लगाने से अभिज्ञापन बना है, जिसका आशय है—पहले पहल लोगों को ऐसी बात की जानकारी कराना, जिससे या तो उनका कोई हित होता हो या जिससे उनका हानि-लाभ सम्बद्ध हो। कभी-कभी यह लोगों की उत्कंठा या कुतूहल शान्त करने के लिए भी होता है। जैसे—शासन का नया अभिज्ञापन यह है कि वह अनाब का भाव गिरने नहीं देगा। उद्घोषणा का शब्दार्थ है—जोर से चिल्लाकर सब को सुनाते हुए कोई बात कहना, अथवा इस प्रकार कही हुई, कोई बात। पहले सार्वजनिक स्थानों में ढोल आदि बजाते हुए उद्घोषणाएँ होती थीं; पर अब कोई बात जोर देकर, गर्व या दृढतापूर्वक और सब को सुनाने के उद्देश्य से ही जोर जोर से कहना उद्घोषणा कहलाता है। आब-कल प्रायः शासकों अथवा बड़े राजकीय अधिकारियों की ओर से कुछ मुख्य और विशिष्ट अवसरों पर अधिक महत्त्व की बातों को उद्घोषणा होती है। यों प्रख्यापन भी है तो कोई बात कहने

या सूचित करने का एक प्रकार ही; पर इसमें औपचारिक रूप से और निश्चित तथा स्पष्ट रूप से कोई बात किसी के सामने या कुछ लोगों के सामने कहने का भाव प्रधान है। हम न्यायालय के सामने (प्रायः लिखित रूप में) यह प्रख्यापन करते हैं कि हमने अमुक काम किया है अथवा कदापि नहीं किया। हम जनता के सामने यह भी प्रख्यापन कर सकते हैं कि हम अपने नागरिक अधिकारों अथवा अमुक अमुक सुभीतों का परित्याग करते हैं; अथवा जब तक अमुक बात न हो जायगी, तब तक हम सुख-भोग की वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे। इस प्रकार प्रख्यापन दृढ़ निश्चयपूर्वक किये जानेवाले कथन या प्रतिज्ञा का सूचक होता है। प्रकाशन का शब्दार्थ है—प्रकाश में लाने की क्रिया या भाव। प्रकाश्य रूप से सबके सामने कोई बात रखना या लाना ही वस्तुतः प्रकाशन है। पर आज-कल कोई चीज छापकर सब के सामने रखना ही प्रकाशन कहलाता है। हम कहते हैं—

(क) इस पुस्तक के प्रकाशन से साहित्य का बहुत उपकार हुआ है; अथवा

(ख) प्राचीन काल में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वैसे साधन और सुभीते नहीं थे, जैसे आज-कल हैं। ऐसे अवसरों पर प्रकाशन का अर्थ होता है—ऐसी स्थिति में सबके सामने रखना कि सब लोग उससे परिचित हो सकें या लाभ उठा सकें*। प्रसारण का साधारण अर्थ है—प्रसार करना या फैलाना। पर प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ होता है—कोई बात चारों ओर दूर-दूर तक इस प्रकार फैलाना कि सब लोग उसे जान जायें। आज-कल मुख्य रूप से रेडियो के द्वारा सब लोगों को किसी बात से परिचित कराना ही प्रसारण कहलाता है; और इसका प्रयोग अब विशिष्ट रूप से रेडियो के कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में होने लगा है। हम कहते हैं—आज कल रेडियो पर पक्के गाने अधिक प्रसारित होने लगे हैं, अथवा कल सन्ध्या को रेडियो पर नेहरू जी का भाषण प्रसारित होगा। आशय यही होता है कि वह इस उद्देश्य से सुनाया जायगा कि सारा देश उसे सुन सके।

* 'प्रकाशन' के दूसरे अर्थ के लिए देखें—'साहित्य' के अन्तर्गत 'प्रकाशन'।

सूची (List)

अनुक्रमणिका (Index)	सन्दर्भिका (Bibliography)
अनुसूची (Schedule)	सारणी (Table)
खर्चा, चीरक (Roll)	सूचीपत्र (Catalogue)
तालिका (Inventory)	

इन सभी शब्दों में मूलत एक ही तत्त्व है। बहुत सी चीजों, बातों, विषयों आदि की क्रम-बद्ध और व्यवस्थित नामावली के अन्तर्गत ऐसी सभी प्रकार की चीजें आ जाती हैं। एक साथ बहुत-सी चीजों के लिखे हुए नाम सूची कहलाते हैं। पुस्तकों, शब्दों, किये हुए अथवा किये जानेवाले कामों, छुट्टियों, नगरों अथवा कर्मचारियों की सूचियाँ ऐसी ही होती हैं, जिनमें बहुधा नामों का ही उल्लेख रहता है। कुछ सूचियों में कभी-कभी नामों के अतिरिक्त कुछ विशेष परिचय या पहचान की बातें भी रहती हैं। जैसे—गाँव के निवासियों या मत-दाताओं की सूची, जिसमें व्यक्ति के नाम के सिवा उसके पिता के नाम, निवास-स्थान आदि का भी उल्लेख होता है। अनुसूची मुख्यत वह सूची कहलाती है जो किसी लेख्य या विवरणात्मक ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट के रूप में लगी रहती है और जिसमें कोष्ठकों, स्तम्भों आदि के रूप में कोई ऐसी सूचना रहती है, जिसका उस ग्रन्थ या लेख में साधारण उल्लेख मात्र रहता है। ऐसी अनुसूची में गिनाई जानेवाली चीजों या नामों के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट विवरण या स्पष्टीकरण भी रहते हैं। खर्चा या चीरक मुख्यत उस वस्तु का सूचक होता है, जिस पर उक्त प्रकार की सूचियाँ आदि लिखी होती हैं। इस वस्तु की चौड़ाई बहुत कम और लम्बाई अधिक होती है। पुरानी चाल की जन्म-पत्रियाँ, चित्रा-वलियाँ आदि, प्रायः खर्चे के रूप में ही होती हैं। गौण रूप से खर्चा या चीरक उस सूची का भी बोधक होता है जो उस पर लिखी जाती है, पर इसमें सूची की अपेक्षा कुछ आधिक्य तथा विस्तार के भी भाव होते हैं। तालिका मुख्यत चीजों

या सामानों की सूची को कहते हैं। जैसे—घर के बर्तनों या कपड़ों की तालिका; कार्यालय की मेज-कुरसियों आदि की तालिका। सन्दर्भिका स० सन्दर्भ से बना हुआ शब्द है। यह मुख्यतः विशेष प्रकार या विषय के सन्दर्भ-ग्रन्थों की ऐसी सूची होती है, जिसमें उन ग्रन्थों के लेखकों, सस्करणों आदि का भी उल्लेख रहता है। यह प्रायः महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अन्त में यह दिखलाने के लिए लगाई जाती है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना में किन-किन ग्रन्थों से सहायता ली गई है, अथवा जो लोग इस विवेच्य विषय की विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें और कौन कौन-से ग्रन्थ देखने चाहिए। सारणी में प्रायः अनेक ऐसे स्तम्भ होते हैं जिनमें छोटे-छोटे कोष्ठों में अनेक प्रकार के अर्थों, पदों, शब्दों आदि का ऐसा विन्यास रहता है जिससे उन अर्थों, पदों शब्दों आदि के पारस्परिक सम्बन्ध और कुछ विशिष्ट तथ्य सूचित होते हैं। यह ऐसे लोगों के उपयोग के लिए होती है जो किसी विषय के मुख्य मुख्य तथ्य या तथ्य सहज में जानना चाहते हों, या बिना स्वयं गणना, विश्लेषण आदि किये ठीक निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हों। सारणी में विशेष अव्ययन और परिश्रम के फल एक जगह और एक साथ इस प्रकार दिये रहते हैं कि लोग सहज में उनका उपयोग कर सकते हैं। सूचीपत्र प्रायः पुस्तक या पुस्तिका के रूप में होता और व्यापारिक क्षेत्रों में काम आता है। यह साधारण सूची का ऐसा विस्तृत रूप है जिसमें अपेक्षया अधिक व्योरे की बातें और विवरण रहते हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तकों के सूचीपत्र में प्रत्येक पुस्तक के लेखक या सम्पादक का नाम, पुस्तक के विषय का यथेष्ट परिचय, पृष्ठ-संख्या, संस्करण, मूल्य आदि का भी उल्लेख रहता है। सूचीपत्र प्रायः व्यापारी लोग अपने ग्राहकों को अपने यहाँ की विक्री की चीजों से परिचित कराने के लिए छापकर बिना मूल्य बाँटते हैं। जैसे—घड़ियों, दवाइयों आदि के सूचीपत्र। पर कभी कभी महत्व के बड़े बड़े सूचीपत्र (जैसे बड़े बड़े पुस्तकालयों में रचित ग्रन्थों के सूचीपत्र) उचित मूल्य पर बिकते भी हैं।

स्मृति (Memory)

अनुस्मरण (Recollection)	स्मरण (Remembrance)
अभिज्ञान=अनुस्मरण, स्मरण	संस्मरण (Reminiscence)
याद=स्मरण	

स्मृति हमारी वह मानसिक शक्ति है जिससे उन बातों या वस्तुओं का चित्र फिर से हमारे सामने आ जाता है, जो पहले किसी समय हमारे मन पर अंकित हो चुकी होती हैं। इसी के द्वारा हम बीती हुई बातों का फिर से ध्यान कर सकते हैं, और देखी हुई वस्तुओं या व्यक्तियों को फिर से पहचान सकते हैं; अथवा मन में उनका चित्र खड़ा कर सकते हैं। जीव मात्र में यह शक्ति थोड़ी बहुत होती है, पर मनुष्यों में प्रायः विशेष विकसित रूप में होती है; और कुछ अवस्थाओं में अभ्यास, शिक्षा आदि के द्वारा और भी अधिक विकसित की जा सकती है। यह शक्ति अपने आप या स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकती है और इच्छा शक्ति के सहयोग तथा सहायता से भी। अनुस्मरण स्मरण, संस्मरण आदि इसी शक्ति के कार्य हैं—इसकी व्यवहारिकता के परिणाम या फल है। स्मरण का अर्थ है—किसी बीती हुई बात या व्यक्ति का चित्र फिर से हमारी मानस दृष्टि के सामने आना या फिर से उसका ध्यान होना। कभी तो किसी बात का स्मरण हमें आपसे आप हो आता है, और कभी हमें प्रयत्नपूर्वक किसी बात का बार-बार स्मरण करके (या रटकर*) उसे इस योग्य बनाना पड़ता है कि हम ज्ञान चाहे, तब उसे अपने मन के सामने ला सकें। विद्यार्थी प्रायः इसी प्रकार अपने पाठों का स्मरण करते हैं। पशु जिस रास्ते से आते-जाते रहते हैं, उसका भी उन्हें उसी प्रकार स्मरण रहता है। स्मरण का यह कार्य बहुधा

० इसी आधार पर एक दूसरे प्रसंग से स्मरण का एक और अर्थ होता है—बार-बार किसी चीज को उसका नाम लेकर याद करना। जैसे—भगवत के नाम का स्मरण।

आप से आप या स्वाभाविक रूप से होता रहता है। किसी मित्र का नाम सुनने या पत्र पाने पर उसकी बहुत-सी बातें हमें आप से आप स्मरण हो आती हैं, पर कुछ अवस्थाओं में पिछली बातों का स्मरण करने में हमें कुछ विशेष आयास या प्रयत्न करना पड़ता है; और इसी आयासपूर्वक स्मरण करने को अनुस्मरण कहते हैं। प्रायः बहुत-सी पुरानी बातें हमें बहुत-कुछ भूल जाती हैं अथवा उनकी स्मृति धुँधली पड़ जाती है। उन्हीं बातों को फिर से प्रयत्नपूर्वक या मानसिक आयास से स्मरण करना अनुस्मरण है। अपनी बाल्यावस्था की बहुत सी बातों, मित्रों, घटनाओं आदि का हमें अनुस्मरण करना पड़ता है। ऐसा अनुस्मरण प्रायः सुखद ही होता है। स्मृति और अनुस्मरण के सम्बन्ध में ध्यान रखने की एक और बात यह है कि स्मृति तो बच्चों और पशु-पक्षियों तक में देखी जाती है; पर अनुस्मरण केवल वयस्क मनुष्य ही कर सकते हैं*। दूसरों को पहचानना तो केवल स्मृति का काम है, पर उनके सम्बन्ध की पुरानी और भूली हुई बातें फिर से याद करना—उन्हें लगे हुए ढेर में से ढूँढ़ निकालना—वयस्क की बुद्धि का ही काम है, और यही अनुस्मरण है। संस्मरण का वास्तविक अर्थ तो अच्छी तरह स्मरण करना ही है; पर आज-कल अ० Reminiscence के अनुकरण पर उसमें एक नया अर्थ लग गया है। किसी बहुत पुरानी घटना या व्यक्ति के सम्बन्ध की बहुत-सी ऐसी बातें होती हैं, जो लोग या तो बिलकुल भूल चुके होते हैं या जिनके जाननेवाले बहुत कम लोग बचे होते हैं। ऐसी ही बातों को फिर से याद करके लोगों को उनसे परिचित कराना संस्मरण कहलाता है। ये संस्मरण प्रायः लोक-प्रिय और सुखद होते हैं, क्योंकि इनसे बहुत-सी पुरानी बातें फिर से सामने आती हैं। किसी व्यक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले पुराने संस्मरणों से उसके गुणों, विशेषताओं, रहन-सहन, स्वभाव आदि का भी अच्छा पता चलता है।

* Beasts & babies remember, that is recognise; but man alone recollects.—Coleridge.

स्वतंत्रता (Freedom)

उन्मुक्ति = छूट

छूट (Exemption)

मुक्ति (Emancipation)

स्वच्छन्दता (Liberty)

स्वाधीनता (Independence)

स्वतन्त्रता का शब्दार्थ अर्थ है—वह अवस्था या स्थिति जिसमें मनुष्य अपने ही तंत्र या शासन में रहे, उस पर किसी दूसरे का या किसी तरह का दबाव या नियंत्रण न हो। स्वाधीनता का शब्दार्थ अर्थ है—ऐसी अवस्था या स्थिति जिसमें कोई अपने ही अधीन रहे, दूसरे के अधीन न हो। मूलतः उक्त दोनों शब्दों के आशय में कोई विशेष अन्तर नहीं है; इसी लिए प्रायः एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग देखने में आता है। फिर भी बहुधा स्वतन्त्रता का प्रयोग व्यक्तियों के सम्बन्ध में और स्वाधीनता का प्रयोग देशों, राष्ट्रों आदि के सम्बन्ध में होता है। 'भारत स्वाधीन हुआ है।' का आशय है कि अब उस पर विदेशियों का शासन नहीं रह गया, और 'भारत स्वतन्त्र हुआ है।' का आशय है कि अब वह अपनी सारी व्यवस्था आप करने की स्थिति में आ गया है। हम यह तो कहते हैं—(क) हमें अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता है; अथवा (ख) समाचार-पत्रों को पहले से बहुत अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है। पर ऐसे प्रसंगों में स्वाधीनता का प्रयोग इसी लिए नहीं होता कि हम अथवा समाचार-पत्र फिर भी किसी न किसी व्यवस्था या शासन के अधीन रहकर ही अपने काम करते हैं। स्वच्छन्दता भी है तो बहुत-कुछ वही, जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता है, पर स्वच्छन्दता में कुछ ऐसी उग्रता या मनमाने आचरण का भाव है, जिससे दूसरों का कुछ अहित हो सकता हो या जो दूसरों की खटक सकता हो। हमारे स्वच्छन्दता पूर्वक आचरण करने का फल दूसरों के लिए कुछ अनिष्ट-कर भी हो सकता है। स्त्रियाँ घर में स्वतंत्रतापूर्वक सब काम कर सकती हैं; पर उनका स्वच्छन्दता-पूर्वक धूमना-फिरना दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता

है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता अपेक्षया निरीह और अभीष्ट होती हैं। स्वतंत्रता में बन्धन और विवशतावाले तत्त्व का अभाव मुख्य है, पर स्वच्छन्दता में मनमाने आचरण का भाव प्रधान है। यदि किसी विशिष्ट कारण-वश या अवस्था में हम पर से किसी कर्त्तव्य के पालन या सेवा का भार हटा लिया जाय अथवा हम उक्त प्रकार के बन्धन से छुटकार या छुट्टी या जायें, तो यह हमारे लिए उन्मुक्ति या छूट कही जायगी। राज्य जब अनिवार्य रूप से सबके लिए सेना में भरती होने के नियम बनाता है, तब अपाहिजों, रोगियों और वृद्धों को सैनिक सेवा से उन्मुक्ति या छूट मिल जाती है। सरकारी लगान की वसूली के समय, फसल खराब होने की दशा में, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के किसानों को लगान देने से उन्मुक्त कर दिया जाता है। यदि बाढ़ के कारण असम या बंगाल में रेल से माल भेजना बन्द कर दिया जाय, तो भी सरकार खाने-पीने और ओढ़ने-पहनने की चीजों को इस आज्ञा से उन्मुक्त कर देती है—लोगों को ऐसी चीजें भेजने की छूट मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ है—बन्धन, बाधा आदि से छूटना या रहित हो जाना। आज हम जिस बात से बँधे हैं, उससे कल यदि हम छूट जायें तो यह हमारी मुक्ति कही जायगी। कारागार से कैदियों की मुक्ति होती है, और दासत्व प्रथा के उठ जाने पर दासों की मुक्ति हो जाती है। उत्तरादायित्व और ऋण भी एक प्रकार के बन्धन ही हैं, इसी लिए उपयुक्त अवस्थाओं में इनसे भी मनुष्य को मुक्ति मिलती है। धार्मिक क्षेत्र में मुक्ति का अर्थ है—शरीर के बन्धन से छूटना। जो लोग आवागमन का सिद्धान्त मानते हैं, उनकी दृष्टि में बार बार शरीर धारण करने के बन्धन से छूटना ही मुक्ति है; और जो लोग उक्त सिद्धान्त नहीं मानते, उनकी दृष्टि से वह अवस्था मुक्ति है जिसमें आत्मा को पापों के फल-भोग से छुटकारा मिल जाता है।

अनुक्रमणिका

(क) हिन्दी-अंगरेजी

	पृष्ठ		पृष्ठ
अंकेक्षण—Audit	१०३	अतुकान्त—Blank Verse	५९
अत.करण—Conscience	२३३	अत्यानन्द—Ecstasy	३३
अतर्गत—Included	८१	अदृश्य—Invisible	३
अतर्ज्ञान—Instinct	१०८	अद्भुत—Wonderful	५
अतर्निष्ठ—Inherent	८१	अद्वितीय—Unique	५
अतर्बोध—Instinct	१०८	अधिकार—Right	८
अतर्मुक्त	८१	अधिगम—Attainment	२६७
अघड—Windstorm	२८१	अधिदेय—Premium	१२८
अश—१. Portion } २. Share }	२२०	अधिलाभ—Bonus	२९८
अशदान—Contribution	८३	अधिवेशन—Session	३३६
अकादमी—Academy	३३३	अधिष्ठान	१३२
अचित्य	७९	अधिसूचन—Notification	२७१
अचितनीय	७९	अध्यक्ष—President	३४७
अज्ञात—Unknown	१	अध्यर्थन—Claim	५
अज्ञेय—Unknowable	१	अध्याय—Chapter	११
अडचन—Hinderance	१९८	अध्याहरण—Inference	८४
अडचल	१९८	अगोचर—Imperceptible	१
अणु—Molecule	११७	अग्रिम—Advance	२२६
अतिचार—Transgression	११४	अन-देखा—Unseen	३
अतिवात—Tempest	२८१	अन-बन	१३
		अनभिज्ञ—Ignorant	१

अनाचार-Immortality	१४४	अनूठा-Singular	५
अनिश्चय-Uncertainty	३२८	अनैतिकता	१४४
अनुकंपा-Pity	१२३	अनोखा	५
अनुकल्प-Alternative	६२	अन्वेषण-Exploration	१०३
अनुकृति-Imitation	१८३	अपकर्म-Misdeed	१४४
अनुक्रमणिका-Index	३७१	अपकीर्ति-Infamy	१९७
अनुगणन-Reckoning	७४	अप-भाषण-Scurrility	१४२
अनुग्रह-Favour	१२३	अपमान-१ Disgrace	} १४
अनुचार-Allegiance	२०९	२ Insult	
अनुच्छेद-Paragraph	११	अपयश-Ignominy	१९७
अनुदान-Grant	१२८	अपराध-१ Crime	} १४४
अनुपम-Incomparable	५	२ Offence	
अनुप्रसम-Sub-Normal	२४०	अपरिचित-Un-acquainted	१
अनुप्रसमत-Sub-Normally	२४०	अपवाद-Obloquy	१९७
अनुप्रास-हीन-Blank Verse	५८	अप्रसम-Abnormal	२४०
अनुबन्ध	३४५	अ-प्रसमत -Abnormally	२४०
अनुभव-Experience	१०८	अबला	{ १५७
अनुयुग-Epoch	६२	अबोध-Incomprehensible	७९
अनुयोग-Query	१८६	अभिकलन-Computation	७४
अनुराग-Affection	१६१	अभिजात तंत्र-Aristocracy	६७
अनुवेतन-Pension	२९८	अभिज्ञान	३७३
अनुशोधन-Modification	३१८	अभिज्ञापन-Announcement	२७१
अनुश्रुत-Legendary	१७७	अभिदान-Bounty	१२८
अनुसंधान-Investigation	१०३	अभिधान	७१
अनुसीमा-Abuttals	३६७	अभिपत्र-Paper	२७२
अनुसूची-Schedule	३७१	अभिपद-Article	११
अनुस्मरण-Recollection	३७३	अभिप्राय-Motif	१६३

अभिप्राय-१ Intent	} ४०	अवस्था-Condition	२६
२. Intention		अवहार-१. Armistice	} ३४५
अभिभाषण-Address	२२४	२ Truce	
अभिमान-Pride	१७	अवहेलना-Disregard	१४
अभियान-Expedition	२६४	अव्याख्येय-Inexplicable	७९
अभियोजन-Accusation	२१	असमजस-Hesitation	३२८
अभिसमय-Convention	३४५	असूया-Jealousy	३८
अर्गल-Clog	१९८	अस्पष्ट-Indistinct	३
अर्घ-Worth	१३२	अस्मिता-Egoism	१७
अर्थ-गमित-Pithy	३५८	अह-Ego	१७
अर्थगम-Proceeds	३५	अहकार-Egoism	१७
अर्पण-Offering	२४	अहभाव-Egoism	१७
अ-लक्षित-Un-observed	३	अहमन्यता-Egotism	१७
अल्प तत्र	६७	अहमिका-Egoism	१७
अल्पाक्षरिक-Laconic	३५८	औंधी-Windstorm	२८१
अवक्षेप-Blame	४८	आकलन-Estimation	७४
अवगणन-Ignoring	१४	आकाश-Sky	३१
अवगीत-Lampoon	२१२	आकाश-गंगा-Milky Way	२०५
अवज्ञा-Contempt	१४	आकृति-Figure	२५२
अवधा	२२९	आग लगाना-Set fire to	९९
अवधि-१. Period	} ६०	आचरित	८८
२. Term		आटोप-Pomp	१७३
अवधीरण-Slight	१४	आडम्बर-Ostentation	१७३
अवमान-Disrespect	१४	आतक-Terror	२१६
अवरोध-Obstruction	१९८	आत्म-श्लाघा-Self-praise	१७
अवलेप-Presumption	१७	आत्मा-१ Soul	} २३३
अवसरिक-Occasional	१३९	२. Spirit	

आदर्श-Ideal	२४४	उल्कोच-Bribe	२४
आदि-Initial	२५७	उत्तर कल्प-Proterozoic Era	६४
आदिक ,,	२५७	उत्तापन-Ignition	९९
आदि कल्प-Archeozoic Era	६४	उदाहरण-Example	१४९
आनन्द-Happiness	३३	उद्घोषणा-Proclamation	३६८
आनन्दातिरेक-Ecstasy	३३	उद्देश्य-१ Object	} ४०
आनुतोषिक-Gratuity	२९८	२. Objective	
आनुषंगिक-Incidental	३२२	उद्धरणी-Recitation	२२४
आमोद-Amusement ¹	३३	उद्भावना	२८४
आय-Income	३५	उद्यम-Striving	३२०
आयास-Exertion	३२०	उद्योग-Endeavour	३२०
आरम्भिक-Elementary	२५७	उन्मुक्ति	३७५
आर्थ	३७	उपकरण-Implement	२६१
आर्थिक	३७	उपग्रह-Satellite	२०५
आर्थी	३७	उपज	२८४
आशका-Apprehension	२१६	उपदेश-१. Teachings	} २२४
आश्चर्यजनक-Surprising	५	२. Sermon	
आसक्ति-Attachment	१९१	उप-धारा-Sub-section	११
आसमान-Sky	३१	उप-भाषा-Dialect	२२७
आह्लाद-Gladness	३३	उप-विभाग-Sub-division	२२०
इजन-Engine	२६१	उपस्कर-Apparatus	२६१
इनाम	१२८	उपस्थित-बुद्धि	२०१
इष्ट-Goal	४०	उपहार-Gift	२४
ईर्ष्या-Envy	३८	उपहास-Ridicule	४२
उक्ति-Utterance	२२४	उपायन	२४
उगाही-Realisation	३५	उपालंभ	२१
डोहाई-Doze	१६६	उपेक्षा-Neglect	१४

उबालना-Boiling	१६८	कल	२६१
उलटा=प्रतिलोम	२८९	कल-पुरजे	२६१
उलटा-Negative	३५१	कलह-Discord	५१
उलाहना	२१	कला-Art	५४
उल्का-Meteor	२०५	कलाकार-Artist	५६
उल्लास-Mirth	३३	कल्प-Era	६२
ऊँच-Doze	१६६	कल्पना-Imagination	२८४
ऊर्जा-Energy	३०४	कविता-Poetry	५८
ऋण-Negative	३५१	कष्ट-Distress	१३७
ऋणात्मक-Negative	३५१	कष्ट-साध्य	४७
एक-विवाह-Monogamy	२९४	कसौटी-१ Touchstone	} २४४
ऐतिहासिक-Historical	१७७	२. Criterion	
ओज-Vigour	३०४	कहा-सुनी-Altercation	५१
ओल-Ransom	२२९	कान्ता	१५७
औजार-Tool	२६१	कामिनी-Belle	१५७
औपचारिकता-Formalism	१७३	कायिक-Bodily	३१०
औसत=माध्य	२४०	कारीगर-Artificer	५६
कटाक्ष-Sarcasm	४२	कारीगरी-Craft	५४
कठिन-Difficult	४७	कार्य-कुशलता-Efficiency	२६७
कठिनता-Difficulty	१९८	काल-Time	५२
कठोर-Hard	४७	कालावधि-Period	६२
कण-Particle	११७	काव्य-Poem	५८
कनी	११७	काशी-वास	२५५
कमाई-Earning	३५	किताब-Book	३८१
करण-Instrument	२६१	किराया-१. Hire २. Rent	२२९
करुणा-Compassion	१२३	किस्त-Instalment	२२०
कलंक-Stigma	४९	कुँकर्म-Vice	१४४

कुतूहलजनक—Curious	५	खुटका	२१६
कुख्याति—Ill-repute	१९७	खुशबू	२३८
कुल-तन्त्र—Oligarchy	६७	खेद—Regret	१३७
कुशल—१ Skilled } २ Skillful }	६८	खेप	२२०
कृपा—Kindness	१२३	खोपड़ी—Shell	१२०
केतु—Comet	२०५	गगा-लाभ	२३८
कोश—Dictionary	७१	गध—Smell	२३८
कोश-कला—Lexicology	७१	गँवारू—Rustic	२१४
कोश-रचना—Lexicography	७१	गज—Yard	२४४
कौशल—Skill	५४	गणन—Counting	७४
क्लेश	१३७	गणित ज्यौतिष—Astronomy	११०
क्षति-पुत्ति—Compensation	२२९	गरम=Positive	३५१
क्षमा—१ Excuse } २ Forgive } ३ Pardon }	१२३	गर्व	१७
क्षमा-शीलता—Forgiveness	१२३	गर्वोक्ति—Boast	१७३
खड—Segment	२२०	गवेषणा—Research	१०३
खड-काव्य	५८	गहन—Recondite	७९
खडिका—Instalment	२२०	गाली—Vituperation	१४२
खटका	२१६	गाली-गलौज—Vilification	१४२
खट-पट	१३	गीत—Song	५८
खर्च—Expenditure	१३२	गीदङ्ग-भभकी	१५२
खर्चा—Roll	३७१	गुण-कीर्तन	१८७
खल-बली—Turmoil	२१६	गुणानुवाद—Encomium	१८७
खाल—Pelt	१२०	गुप्त—Secret	८१
खिल्ली—Derision (आंशिक)	४२	गुह्य—१ Esoteric } २. Mystical }	७९
		गूढ़=गहन	७९

गोचर- १. Perceptible } २. Sensible }	२५०	चिन्तनीय	१०
गोट-Picnic	२६४	चीज	२७४
ग्रन्थ-Literary work	२६१	चीरक-Roll	३७१
ग्रह-Planet	२०५	चुकता-Full payment	२२९
ग्रामी	८४	चुकती	२२९
ग्रामीण	८४	चुगली-Back-biting	२४
ग्राम्य-१. Rural २ Wild	८४	चुटकी-Twit	४२
घमड-Vanity	१७	चुट-फुट-Sporadic	१३९
घुड़की	१५८	चुनाव-१. Election } २. Selection }	९२
घूर्णवात-Tornado	२८१	चेतना-Consciousness	२३३
घूर्णा-Tornado	२८१	चेतावनी-Warning	९५
घूस-Bribe	२५	चेष्टा-Attempt	३२०
चडवात-Typhoon	२८१	चेहरा	२५२
चक्रवात-Whirlwind	२८१	चौकस-Wakeful	९७
चतुर-Clever	२०१	चौकन्ना-Alert	९७
चन्दा-Subscription	८६	चौहद्दी-Boundary	३६७
चमड़ा-Hide	१२०	छन्द-Meter	५८
चमत्कारिक-१. Marvellous } २. Miraculous }	५	छन्दोबद्ध रचना-Metrical composition	५८
चयन-Pick	९२	छान-चीन	१०३
चरित्र-Character	८८	छाप-Impression	२८४
चलित-Usual	३५४	छाया-पथ-Galaxy	२०५
चालाक-Clever	२०१	छायावाद	३६३
चित्त	२३३	छाल-Bark	१२०
चिन्तन-१ Pondering } २ Reflection }	२८४	छिलका-Peel	१२०
		छीटा-Sarcasm	४२

छुट फुट-Sporadic	१३९	झपकी-१ Nap २. Slumber	१६६
छूट-Exemption	२७५	झिड़की-Chide	१५८
छौकना-Spicing	१६८	झिड़ी-Film	१२०
जंगली	८४	झुलसना-१ Scortch २ Singe	९९
जगत्	१८१	झींका-१ Blast २. Gúst	२८१
जन्म-सिद्ध अधिकार-Birth right	८	ठकर-Collision	११२
जवान (भाषा)-	२३७	टुकड़ा- Piece	२२०
जल-यात्रा-Voyage	२६४	ठढा-Negative	३५१
जल-स्तम्भ-Water spout	२८१	ठंढा-Banter	४२
जलाना-१. Burn २. Cremate }	९	ठहराव-Engagement	३४५
जागरूक-Vigilant	९७	ठहरीनी "	३४४
जाग्रत-Awake	९७	ठीका-Contract	३४५
जाँच-Test	१०३	ठेंठ	१६०
जात-अधिकार	८	ठोकर-१. Kick, २. Trip	११२
जानकारी-Knowledge	१०८	डर	२१६
जिज्ञासा	१८९	डॉट-Rebuke	१५८
जीवक-Career	८८	डॉट-फटकार	१५८
जीवति-Vitality	३०४	डींग-१. Brag २ Bravado	१७३
जीवनी कोश-Biographical Dictionary	७१	ढग	१७३
ज्यौतिष	११०	ढकोसला	१७३
ज्ञान-Knowledge	१०८	ढोग	१७३
ज्ञानालय-Institute	३३३	तडक-भडक-Pomp	१७३
ज्ञाना	२८१	तडका देना-Spicing	१६८
झगड़ा-Quarrel	५१	तख-Element	११७
झटका-Jerk	११२	तदर्थी	१७०
		तनखाह	२९८
		तन्द्रा-Stupor	१६६

तमाच्छन्न-Obscure	३	दक्ष-१. Adroit	}	६८
तर्कणा-Reasoning	२३३	२. Dexterous		
तर्जन-१ Intimidation	१५२	दक्षिणा		१२८
२. Scolding	१४२	दत्त-Donation		८६
तर्जना-Scold	१४२	दबदबा		२१८
तलना-Frying	१६८	दम देना-Steaming		१६९
ताकत	३०४	दम्भ-Arrogance		१७
ताडना-Admonition	१५८	दयनीय-Pitiful		१२८
तात्त्विक-१ Material	}	दया-Mercy		१२३
२ Substance		३२२	दया पात्र-Pitiable	
ताना-Taunt	४२	दर्प-Hauteur		१७
तारा-Star	२०५	दशा-State		२६
तारा-पुञ्ज-Asterism	२०५	दस्तकार-Artisan		५६
तारीफ	१८७	दस्तकारी-Handicraft		५४
तालिका-Inventory	३७१	दाग=१ धब्बा, २ कलंक		४९
तिरस्कार-१. Disdain	}	दागना-१ Brand, २. Singe		९९
२. Dishonour		१४	दान-१ Giving	}
तीर्थ-यात्रा-Pilgrimage	२६४	२ Charity		
तुलना-Comparison	२४७	दाम-Price		१३२
तुष्टि-Gratification	३२६	दिखावट-Show		१७३
तूफान-Typhoon	२८१	द्वि विवाह-Bigamy		२९४
तेज-Smart	२०१	दीक्षणीय-Esoteric		७९
तेजस्-ज्यौतिष-Radio-		दुःख-१ Grief, २. Sorrow		१३७
Astronomy	११०	दुनियाँ		१८१
तोष-Gratification	३२६	दुनियादारी		१७३
त्रास-Fright	२१६	दुबधा=असमजस		३२८
त्वचा-Skin	१२०	दुराचरण-Misconduct		१४४

दुरारोह-Arduous	४७	धन-Positive	३५१
दुरूह-Abstruse	७९	धनात्मक	३५१
दुर्गम	४७	धनिक तंत्र-Plutocracy	६७
दुर्बोध	७९	धब्बा-Stain	४९
दुर्लभ्य	४७	धमकी-Threat	१५२
दुर्लभ-Rare	१३९	धर्म-ध्वजता-Sanctimony	१७३
दुर्वचन-Abuse	१४२	धर्म-सभा-Synod	३३६
दुर्वह-Onerous	४७	धारणा-१. Conception	} २८४
दुर्वृत्ति-Depravity	१४४	२. Notion	
दुष्कर	४७	धारा-Section	११
दुष्कर्म-Vice	१४४	धारिता-Capacity	२६७
दुष्प्राप्य	१३९	धार्य-Tangible	२५०
दुस्तर	४७	धुप्पल-Bluff	१५२
दुस्साध्य	४७	धुप्पस "	१५२
दूषण-Blemish	४९	धूम-केतु-Comet	२०५
दृष्टान्त-Instance	१४९	धोखा	३२८
देन-Boon	१२८	धौस-Brow-beating	१५२
देश-भाषा-Dialect	२२७	ध्येय-End	४०
देहाती	८४	नकल	१८३
दैहिक-Bodily	३१०	नक्षत्र-Constellation	२०५
दोष-१. Fault, २. Guilt	१४४	नफा-Profit	३५
दोषारोपण	१५८	नभ-Sky	३१
द्रव्य-१. Substance	} २७४	नमूना-Specimen	१५५
२. Matter		११७	निराला
द्वन्द्व-Duel	५१	नवकल्प-Cenozoic Era	} ६४
द्वेष-Malice	३८	Neozoic Era	
धक्का-१. Push, २. Shock	११२	नहिक-Negative	३५१

नागरता—Civility	३१४	नीद—Sleep	१६६
नाम-कोश—Nomenclature	७१	नीहारिका—Nebula	२०५
नाम-माला	७१	नैसर्गिक—Natural	३१०
नारी—Woman	१५७	नौ-यात्रा—Voyage	२६४
निकाय—Assembly	३३३	पकाना—Cooking	१६८
निगम—Corporation	३३३	पटु—Efficient	६८
निघन्टु—Lexicon	७१	पडता	२४०
निदर्शन—Illustration	१४९	पडताल—Check	१०३
निद्रा	१६६	पण्य-वस्तु—Commodity	२७४
निधन—Demise	२५५	पद—Phrase	२७४
निन्दा—Censure	१५८	पद विन्यास	२७८
निपटारा—Settlement	३४५	पदार्थ—१ Matter	११७
निपुण—Adept	६८	२ Object	२७४
निबन्ध—Essay	२७२	पदावली—Phraseology ७१, ३७८	
नियमित—Regular	१६०	पद्य—Verse	५८
निरीक्षण—Inspection	१०३	पद्यात्मक रचना	५८
निरोध—Restraint	१६२	पपडी—Crust	१२०
निर्बन्ध (काव्य)	५८	परख	१०३
निर्वाचन—Election	९२	परम तत्त्व—Matter	११७
निर्वाण	२५५	परमाणु—Atom	११७
निवारण—Prevention	१६२	परमाधिकार—Prerogative	८
निषेध—Forbidding	१६२	परमानन्द—Beatitude	३३
निष्कय—Redemption	२२९	„ Bliss	३३
निष्ठा—Loyalty	२०६	परम्परागत—Traditional	१७७
निष्ण—Accomplished	६८	पराक्रम—Valour	३०४
निष्णात—Accomplished	६८	परिकर्षण—Cultivation	३४३
निहित—Latent	८१	परिकलन—Calculation	७४

परिगणन-Enumeration	७४	पर्याय-Synonym	१७०
परिगुण-Qualification	२३७	पर्यायकी-Synonymy	१७०
परिच्छेद-Chapter	११	पर्याय कोश-Synonyms	
परिणामिक-Consequential	३२२	Dictionary	७१
परितुलन-Collation	२४७	पर्यायज्ञ-Synonymist	१७०
परितोष-Satisfaction	३२६	पलीता लगाना-Ignite	९९
परिदान-Subsidy	१२८	फवन-Wind	२८१
परिघ-Barrier	१९८	पाखण्ड-Hypocrisy	१७३
परिमल-Perfume	२२८	पाणि-ग्रहण-Marriage	२९४
परिमा-Bound	३४५	पातक	१४४
परियुक्ति-Engagement	३४५	पात्रता-Capacity	२६७
परिरूप-Design	१८३	पाप-Sin	१४४
परिवाद-Complaint	२१	पारंगत	६८
परिवेतन-Emolument	२९८	फरग	६८
परिव्यय-१. Charge, २ Cost	१३२	पारितोषिक-Prize	१२८
परिषद्-Council	३३६	पारिश्रमिक-Remuneration	२९२
परिष्करण-Embellishing	३१८	पालतू-Domesticated	८४
परिष्कृति-Refinement	३४३	पशक-Pact	३४५
परिज्ञायन-Hibernation	१६६	पिशुनता-Back-biting	२१
परिश्रम	३२७	पीडा-Pain	१३७
परिशोधन	३१८	पुच्छल-तारा-Comet	२०५
परिसहत-Terse	३५८	पुतला-Effigy	२५२
परिस्थिति-Circumstance	२६	पुरा कल्प-Paleozoic Era	६४
परीक्षण-Examination	१०३	पुराकालीन-Antique	१७७
परीक्षा-Examination	१०३	पुरा कोश	७१
पर्यटन-Travel	२६४	पुरातन-Ancient	१७७
पर्यन्त-Boundary		पुराना-Old	१७७

पुरस्कार-Reward	१२८	प्रखण्ड-Division	२२०
पुस्तक-Book	३६१	प्रख्यापन-Declaration	३६८
पुस्तिका-Booklet	३६१	प्रगतिवाद	३६३
पृच्छ-ताछ-Enquiry	१०३	प्रगीत-Lyric	५८
पृच्छना-Asking	१८९	प्रघटन-Case	१४९
पुत्ति-Compensation	२२८	प्रच्छन्न-Hidden	३
पूर्व-दृष्टि-Foresight	२९६	प्रच्छादित-Concealed	३
पूर्व-पद-Antecedent	१४९	प्रज्ञ	२०१
पूर्व-प्लावनिक-Ante-diluvian	१७७	प्रज्ञा-Wisdom	२३०
पूर्व-वर्ती	१४९	प्रणय	१९१
पूर्विका-Precedent	१४९	प्रति-Copy	१८३
पूर्व-विचार-Fore thought	२९६	प्रतिकारिक-Counteractive	२८९
पूर्व-विवेचन-Providence	२९६	प्रतिकूल-Adverse	२८९
पूर्व-साचित्य-Precaution	९५	प्रतिकृति-१ Likeness } २. Copy }	१८३
पूर्व-सूचन-Fore-warning	९५	प्रतिक्रियक-Counteractive	२८९
पृच्छा-Asking	१८९	प्रतिपक्षीय-Hostile	२८९
पृथ्वी-Earth	१८१	प्रतिफल-Return	२२९
पेशगी	२२९	प्रतिबध-Restriction	१६२
पैङ्गुन्य-Back-biting	२१	प्रतिमा-Image	२५२
पौराणिक-Mythological	१७७	प्रतिमान-१. Model } २ Pattern }	२२४
पौरुष-Prowess	३०४	प्रतिलिपि-Copy	१८३
प्यार	१९१	प्रतिलोम-Reverse	२८९
प्रकरण-Chapter	११	प्रतिवादिक-Counteractive	२८९
प्रकाशन-Publicat	६१, ३६८	प्रतिषेध-Prohibition	१६
प्रकृत-Natural	१६०	प्रत्यागम-Return	३५
प्रकृतवाद-Naturalism	३६३		
प्रकृति-Nature	८८		

प्रत्युत्पन्न-मति-Readyminded	२०१	प्रसमा-Norm	२४०
प्रदान-Bestowing	१२८	प्रसाद-Grace	१२३
प्रधान-Principal	२५७	प्रसारण-Broadcasting	३६८
प्रधान (सभापति)	३५७	प्रहर्ष-Rapture	३३
प्रपठन-Recitation	२२४	प्राकृतिक-Natural	१६०
प्रबन्ध (काव्य)	५८	” ”	३१०
प्रबन्ध-Thesis	२७२	प्राचीन-१. Ancient } २ Old }	१७७
प्रपाशक-Compact	३५७	प्राथमिक-Primary	२५७
प्रभविष्णुता-Potency	३०४	प्राप्ति-Gain	१३५
प्रभाग-Section	२२०	प्रायिक-Frequent	३५४
प्रमीति-Decease	२२५	प्रारम्भिक-Preliminary	२५७
प्रमुख-Speaker	३५०	प्रासंगिक-Relevant	३२२
प्रमोद-Merriment	३३	प्रासमिक-Normative	२४०
प्रयत्न-Effort	३२०	प्रीति	१९१
प्रयोगवाद	३६३	प्रेम-Love	१९१
प्रयोजन-Purpose	४०	फबती-Railery	४२
प्ररूपी-Typical	१६०	फलिक-Resultant	३२२
प्रवचन-Discourse	२२४	फलित ज्यौतिष-Astrology	११०
प्रवस्तु-Article	२७४	फीस-Fee	२९८
प्रवात-Hurricane	२८१	फूकना-१. Char, २ Incinerate	२६
प्रवीण-Expert	६८	बगूला-Whirlwind	२८१
प्रशंसा-Praise	१८७	बघारना Spicing	१६८
प्रशस्ति-Glorification	१८७	बड़ा-Large	१९५
प्रश्न-Question	१८९	बड़ाई-Eulogy	१९७
प्रसन्नता-Pleasure	३३	बदनामी-Scandal	१९७
असम-Normal	१६०, २४०	बनावट-Affectation	१७३
असमतः-Normally	२४०		

बन्दर-घुड़की	१५२	ब्रह्माण्ड-Cosmos	२०५
बल-१ Force. } २ Strength }	३०४	भक्ति-Devotion	२०९
बवडर-Whirlwind	२८१	भड़ौआ-Skit	२१२
बहुर्यक-Sententious	३८५	भत्ता-Allowance	२९८
बहिरेखा-Outline	३६७	भद्दा-Awkward	२१४
बहुपतित्व-Polyandry	२९४	भभकी	१५२
बहुविवाह-Polygamy	२९४	भय-Fear	२१६
बाँगड़-Boorish	२१४	भर्त्सना-Reproval	१५९
बादल-Cloud	३१	भल-मनसत	३१४
बाव-Bar	१९८	भाग-Part	२२०
बाधा-Obstacle	१६८	भाडा-Freight	२२९
बानगी-Sample	१५५	भाँत-Design	१८३
बाला	१५७	भारी-Big	१९५
बिगाड़	१३	भाव-Concept	२८४
बिसात=समाई	२६७	भावना-Conception	२८४
बुद्धि-१. Intellect } २. Wisdom }	२३३	भाव-व्यजन	२७८
बुद्धिमान्-Wise	२०१	भाषण-Speech	२२४, २२७
बू = गध, महक, बास	२३८	भाषा-Language	२२७
बृहत्-Enormous	१९५	भिडन्त-Clash	११२
बेडौल-Clumsy	२१४	भिन्न-Fraction	२२०
बेहरी=चन्दा	८६	भीति-Menace	२१६
बैठक-Sitting	३३६	भीषिका-Panic	२१६
बोध-Comprehension	१०९	भुगतान-Payment	२२९
बोली-Rally	४२	भूत-Matter	११७
„ Tongue	२२७	भूनना-Roasting	१६९
		भूसी-Husk	१२०
		भृति-Wage, wages	२९८

भेद—Present	२४	मस्तिष्क—Brain	२३३
भौंडा—Clumsy	२१४	महक—Scent	२३८
भोग-काल—Duration	६२	महत्—Stupendous	१९५
भौगोलिकी—Gazetteer		महाकाव्य—Epic	५२
भौतिक—Material	३१०	महान्—Great	१९५
भ्रम—Mistake	३२८	महाबल—Might	३०४
भ्रमण—Tour	२६४	महाभूत—Matter	११७
भ्रष्टाचार—Corruption		महावात—Storm	२८१
भ्रांति—Confusion	३२८	महाव्योम—Firmament	३१
मजदूरी—Wage, wages	२२९	महासभा—Congress	३३६
मत-गणना—Telling	७४	महिला—Lady	१५७
मत-बन्ध—Dissertation	२७२	महीना	२९८
मत-भेद	५१	मातृ-भाषा—Mother tongue	२२७
मताधिकार—Franchise	८	माध्य—Average	२४०
मति-भ्रम—Hallucination	३२८	माधिका—Median	२४०
मत्सर	२८	मान (अभिमान)	१७
मद—Inebriety	१७	मान—Value	१३२
मध्यक—Mean	२४०	मानक—Standard	
मध्य कल्प—Mesozoic Era	६४	मान-दंड—Yardstick	२२४
मन—Mind	२३३	मानदेय—Honorarium	२९८
मनन—१. Contemplation	} २८४	मारक—Antidote	२८९
२. Meditation		मारद्व—Lentency	१२३
मन-सुटाव	५१	माल—Goods	२७४
मनाही	१६२	मित्र भाव—Friendliness	१९१
मनोमाखिन्य—Ill-will	५१	मित्रता—Friendship	१९१
मरण=मृत्यु	२५५	मिथ्याभिमान—Conceit	१७
मरीचिका—Mirage	३२८	मिलान	२४७

मिस्तरी	५६	रहस्यवाद—Mysticism	३६३
मुक्तक	५८	राग—Passion	१९१
मुक्ति—Emancipation	३७५	राज-दया—Clemency	१२३
मुख्य=प्रधान	२५७	रिआयत	१२३
मुठ-भेड़—Encounter	११२	रिक्थ-दान—Bequest	१२८
मुहावरा—Idiom	२२७	रिश्त—Bribe	२४
मूर्त्त—Concrete	२५०	रुकावट	१६२
मूर्त्ति—Idol	२५२	,, Impediment	१९८
मूर्त्तिकार—Sculptor	५६	रोक	१९८
मूल—Original	१८३	रोक-थाम	१६२
मूल-भूत—Fundamental	२५७	रोध—Check	१९८
मूल्य—१ Price, २ Value	१३२	रोब	२१६
मृग-तृष्णा—Mirage	३२८	लक्ष—Aim	४०
मृत्यु—Death	२५५	लक्ष्य—Target	४०
मेघ—Cloud	३१	लगन	१९१
मेल=मिलान	२०७	लगान—Rent	२२९
मोद—Joy	३३	लगत—Investment	१३२
मोह—Infatuation	१९१	लय—Rhythm	५८
मौलिक—Original	२५७	लाछन—Blot	४९
यन्त्र—Machine	२६१	लागत—Cost	१३२
यन्त्रांग—Mechanism	२६१	लाभ—१ Benefit } २ Profit }	३५
यथार्थवाद—Realism	३६३	लेख—Article	२७२
यांत्रिक—Mechanic	५६	लोक	१८१
यात्रा—Journey	२६४	लोकोत्तर—Supernatural	५
युग—Age	६२	लोकगत—Popular	३४५
योग्यता—Ability	२६७	लोकप्रिय—Popular	३४५
रचना—Composition	२७२	वक्तृता—Lecture	२२४
रहस्यमय—Mysterious	७९	वन्य—Wild	८४

चरण-Choice	९२	विग्रह-Strife	५१
चरीयता-Preference	९२	विघ्न=बाधा	१९८
वर्जन	१६२	विघान-Concussion	११२
वर्णक-Mask	२५२	विचक्षण-Sagacious	२०१
वसुली-Realisation	३५	विचार-१ Idea	} २८४
वस्तु-Thing	२७४	२ Thought	
वाक्-ताडव-Harangue	२२४	विचारणीय	९०
वाक्-पटुता-Rhetoric	२२४	विचित्र-Peculiar	१
वाक्य-Sentence	२७८	विज्ञापन-Advertising	३६८
वाणी	२२४	विडंबिका	२१२
वातावरण-Atmosphere	३१	वितक-Horror	२१६
वातावर्त-Cyclone	२८१	वितडा-Wrangling	२२४
वात्या-Gale	२८१	विद्रूषण-Mockery	४२
वाद-विवाद-Debate	२२४	विद्रूपिका-Parody	२१२
वास	१५७	विद्वेष	२८
वायु-Air	२८१	विधवा-विवाह-Widow- marriage	} २९४
वायु-मडल-Atmosphere	३१	विनम्रता-Humility	
वारण-Banning	१६२	विनय-१. Modesty	} ३१४
वार्ता-Talk	२२४	२ Discipline	
वार्तालाप-Conversation	२२४	विपरीत-Contrary	२८९
बास-Odour	२३८	विपर्याय-Antonym	१७०
वास्तुकार-Architect	५६	विभाग-१ Division	} २२०
विकल्प-Option	९२	२ Department	
विकर्म-Lapse	१४४	विभाजन-Partition	२२०
विकीर्ण-Sporadic	१३९	विभाषा	२२७
विक्रम=पराक्रम	३०४	विभीषिका-Dread	२१६
विखंड-Fragment	२२०	विभ्रम-Delusion	३२८
विग्रह-Statue	२५२	विबन्ध-Treatise	२७२

विरोध-१ Conflict } ३०१	वैमत्य-Disagreement } ५१
२. Opposition }	Dissent }
विलक्षण-Strange ५	वैमनस्य ३०१
विलोम-Reverse २८०	वैर-Hostility ३०१
विवक्षित-Implied ८१	व्यंग्य-Irony ४२
विवाद-Contention ५१	व्यंगिका-Satire २१२
विवाह-Marriage २६४	व्यजन-Expression २७८
विवेक-Conscience २३३	व्यक्तित्व-१ Individuality } ८८
विवेकशील-Discreet २०१	२ Personality }
विवेचना-Prudence २९६	व्यतिरेक-Contrast २४७
विरल-Scarce १३९	व्यथा-Anguish १३७
विरुद्ध-Opposit २८९	व्यय-Expenditure १३२
विशाल-Colossal १९५	व्याख्यान-Lecture २२४
विशेषज्ञ-Specialist ६८	व्यामोह-Infatuation १९१
विशेषाधिकार-Privilege ८	व्योम-Ether ३१
विशोधन-Purification ३१८	व्रजन-Trip २६४
विश्व-Universe २०५	व्रतचार-Fidelity २०९
विश्वक-Universal ३५४	शका-Question ३२८
विश्वकोश-Encyclopaedia ७१	शक-सन्देह ३२८
विश्वास-Belief २०९	शकल-Sector २२०
विषाद-Gloom १३७	शक्ति-Power ३०४
विसर्ग-Offer २४	शत्रुता-Enmity ३०१
विस्तार-Extent ३६७	शब्द कोश-Dictionary ७१
विस्मयजनक-Astonishing ५	शब्द-योजना २७८
विहार-Outing २६४	शब्द-विन्यास-Diction २२७, २७८
वृत्ति-Stipend २९८	शब्दार्थी-Glossary ७१
वृत्ति-दान-Endowment १२८	शब्दावली-Vocabulary ७१, २२७
वेतन-Pay, Salary २९८	शयन-Sleeping १६६
वेदना-Agony १३७	

शारीरी-Corporeal	३१०	सघर्ष-Struggle	५३
शाक-Epoch	६२	सघात-Impact	११२
शारीरिक-Physical	३१०	सताप-Tormant	१३७
शास्त्रीयता-Mannerliness	३१४	सतोष-Contentment	३२६
शिकायत-Complaint	२१	सत्रास-Consternation	२१६
शिल्प-Craft	५४	सदभिका-Bibliograh	३०४
शिल्पी-Artisan	५६	सदेश-Message	२२४
शिष्टता-Courtesy	३१४	सदेह-Suspicion	३२८
शील-१. Modesty	} ३१४	सधि-Treaty	३४५
२ Disposition		सभाषण-Oration	२२५
शुल्क-Fee	२९८	सभ्रम-Awe	२१६
शोखी	१७३	सयोजक-Convener	३४०
शैली-Style	२७८	सलाप-Conversation	२२४
शोक-Mourning	१३७	सवाद-Dialogue	२२४
शोचनीय-Deplorable	१२१	सविदा-Covenant	३४५
शोध	१०३	सविवेक-Discretion	२९६
शोधन-Correction	३१८	सवेदना-Condolence	१२३
श्रद्धा	२०९	सशय-Doubt	३२८
श्रम-Labour	३२०	सशोधन-Amendment	३१८
श्रम साध्य-१ Laborious	} ४७	ससार-World	१८१
२ Toilsome		सस्कृति-Culture	३४३
श्रातक-Exhausting	४७	सस्था-Institution	३३३
श्लाघा-Commendation	१८७	सस्मरण-Reminiscence	३७३
संक्षिप्त-Abbreviated	३१८	सहत-Compact	३५८
सङ्ग्रोभ-Shock	११२	सक्षमता-Capability	२६७
सङ्ख्यान-Numbering	७४	सख्य-Alliance	१९१
संगत-Consistant	३२२	सजग-Wakeful	९७
संगायन-Synod	३३६	सज्जनता-Zentlemanliness	३१४
संघ-Union	३३३	सतर्क-Cautious	९७

सत्यापन-Verification	१०३	समुदाय-१ Assemblage	} ३३६
सत्साहित्य-Belles-lettres	३६१	२ Gathering	
सद्भाव	१९१	समुद्र-यात्रा-Sea-Voyage	२६४
सद्भावना	१९१	सम्मेलन-Conferanec	३६३
सनातन-Eternal	१७७	सयाना-Shrewd	२०१
सबलता	३०४	सराहना-Acclamation	१८७
सभा	३०४	सहचार-Association	३३३
सभापति-Chairman	३४०	सहज-बुद्धि-Intuition	१०८
सभ्यता-Civilisation	३४३	सहाय-Contribution	८६
सम-Par	२४०	सहानुभूति-Sympathy	१२३
समझ-Intelligence	२३३	सहिक-Positive	३५१
„ Understanding	२८४	साकृत-Significant	३२२
समझदार-१ Intelligent	} २०१	साचित्य-Caution	९५
२. Sensible			साधारण-Ordinary
समझौता-१ Agreement	} ३४५	सान्त्वना-Condolence	३१२
२ Compromise			सामर्थ्य-Capability
समनुज्ञा-License	८	सामान्य-Common	३४५
समय-Time	६२	सारणी-Table	३७१
समर्पण-Dedication	२४	सारभूत	३५८
समवाय-Guild	३३३	सारवान्-Essential	३२२
समर्ह-Capacity	२६७	साराशिक-Summary	३५८
समागम-Convention	३३६	सारिक-१ Brief	} ३५८
समाघात-Percussion	११२	२ Concise	
समानक-Equivalent	१७०	सार्वजनिक-Public	३४५
समानार्थी „	१७०	सार्वजनीन „	२४५
समावर्तन-Convocation	३३६	सार्विक-General	३४१
समिति-Committee	३३६	सावधान-Carefull	९७
समीक्षा-Scrutiny	१०३	साहित्य-Literature	३६१
समीर-Breeze	२८१	साहित्यिक वाद	३६३

साहित्यिक कृति Literary } ३६१	स्तवन-Exolment	१८७
या रचना-Production }	स्तुति-Panegyric	१८७
सिद्धि-Attainment	स्त्री-Female	१५७
सीधा-Positive	स्थिति-१ Position }	२६
सीमा-Limit	२. Situation }	
सुंदरी	स्मरण-Rememberance	३७३
सुगंध-Aroma	स्मृति-Memory	३७३
सुप्त-Dormant	स्वच्छन्दता-Liberty	३७१
सुयोग्यता-Competency	स्वतन्त्रता-Freedom	३७५
सुलगाना-Kindle	स्वभाव-१ Temper }	८८
सुविज्ञ-Proficient	२ Temperament }	
सुविज्ञता-Proficiency	स्वर्ग वास	२५५
सुषुप्ति-Deep sleep	स्वाधीनता-Independence	३७५
सुसहृत-Succint	स्वाभिमान-Self-respect	१७
सूँडी-Water-spout	हमी-Egotism	१७
सूचना-Information	हमेव-Egotism	१७
” Notice	हरजाना-Compensation	२२९
सूची-List	हर्ष-Delight	३३
सूची-पत्र-Catalogue	हवा-Air	२८१
सूक्ष्म	हस्तक=भौजार	२६१
सूकना Baking	हस्त शिल्प-Handicraft	५४
सौर-Excursion	हाल	२६
सोना-Sleep	हालत	२६
सौजन्य	हिचकोला-Jolt	११२
सौदा-Bargain	हेतु-Motive	४०
सौर-जगत्-Solar system	हौआ-१ Bogey }	२१६
सौरभ-Fragrance	२ Bugbear }	
सौहार्द		

अनुक्रमणिका

(ख) अँगरेजी-हिन्दी

	पृष्ठ		पृष्ठ
Abbreviated—संक्षिप्त	३५८	Affectation—बनावट	१७३
Ability—योग्यता	२६७	Affection—अनुराग	१९१
Abnormal—अप्रसम	२४०	Age—युग	६२
Abnormally—अप्रसमतः	२४०	Agony—वेदना	१३७
Abstruse—१ दुरूह, २ दुर्बोध ७९		Agreement—समझौता	३४५
Abuse—दुर्वचन	१४२	Aim—लक्ष	४०
Abuttal—अनुसीमा	३६७	Air—वायु, हवा	२८१
Academy—अकादमी	३३३	Alert—चौकन्ना	९७
Acclamation—सराहना	१८७	Allegiance—अनुचार	२०९
Accomplished—१ निष्ण २ निष्णात	६८	Alliance—सख्य	१९१
Accusation—अभियोजन	२१	Allowance—भत्ता	२९८
Address—अभिभाषण	२२४	Altercation—कहा-सुनी	५१
Adept—निपुण	६८	Alternative—विकल्प	९२
Admonition—ताडना	१५८	Amendment—सशोधन	३१८
Adroit—दक्ष	६८	Amusement—आमोद	३३
Advance—१. अग्रिम } २. पेनागी }	२२९	Ancient—१ पुरातन } २ प्राचीन }	१७४
Adverse—प्रतिकूल	२८९	Anguish—व्यथा	१३७
Advertising—विज्ञापन	३७१	Announcement—अभिज्ञापन	३७१
		Antecedent—१ पूर्वपद } २ पूर्ववर्ती }	१४९

Ante-diluvian-पूर्व-प्ल्वावनिक १७७	Astonishing-विस्मयजनक	५	
Antidote-मारक	२८९	Astounding-विस्मयाकुलक	५
Antique-पुरा कालीन	१७७	Astrology-फलित ज्यौतिष	११०
Antonym-विपर्याय	१७०	Astronomy-गणित ज्यौतिष	११०
Apparatus-उपस्कर	२६१	Atmosphere-१. वातावरण	} ३१
Appliance-प्रयन्त्र	२६१	२. वायु-मडल	
Apprehension-१ आंशका	} २१६	Atom-परमाणु	११७
२. खुटका		Attachment-आसक्ति	१९१
Archeozoic Era-आदि कल्प	६४	Attainment-१ अधिगम	} २६७
Architect-वास्तुकार	५६	२ सिद्धि	
Arduous-दुरारोह	४७	Attempt-चेष्टा	३२०
Aristocracy-अभिजात तन्त्र	६७	Audit-अकेक्षण	१०३
Armistice-अवहार	३४५	Average-१ औसत	} २४०
Aroma-सुगन्ध	२३८	२ पडता	
Arrogance-दम्भ	१७	३ माध्य	
Art-कला	५४	Awake-जाग्रत	९७
Article-१ अभिपद	११	Awe-सम्भ्रम	२१६
२ लेख	२७२	Awkward-भद्दा	२१४
३ प्रवस्तु	२७४	Back-biting-पिचुनता,	} २१
Artificer-कारीगर	५६	चुगली	
Artisan-दस्तकार, शिल्पी	५६	Baking-सेकना	१६८
Artist-कलाकार	५६	Banning-वारण	१६२
Asking-पूछना	१८९	Banter-उट्टा	४२
Assemblage-समुदाय	३३६	Bar-बाध	१९८
Assembly-निकाय	३३३	Bargain-सौदा	३५४
Association-सहचार	३३३	Bark-छाल	१२०
Asterism-तारा-पुज	२०५	Barrier-परिघ	१९८
		Beatitude-परमानन्द	३३

Belief-विश्वास	२०९	Boon-हेन	१२८
Belle-कामिनी, सुन्दरी	१५७	Bound-परिमा	३६७
Belles lettres-सत्साहित्य	३६१	Boundary-१ चौहद्दी २ पर्यन्त	३६७
Benefit-लाभ	३५	Bounty-अभिदान	१२८
Bequest-रिक्थ-दान	१२८	Brag-डीग	१७४
Bestowing-प्रदान	१२८	Brain-मस्तिष्क	२३३
Bibliography-सन्दर्भिका	३७१	Brand-दागना	९९
Big-भारी	१९५	Bravado-डीग	१७३
Bigamy-द्वि-विवाह	२९४	Breeze-समीर	२८१
Biographical Dictionary- जीवनी कोश	७१	Bribe-घूस, उत्कोच, रिश्वत	२४
Birth-right-जन्मसिद्ध अधिकार	८	Brief-सारिक	३७१
Blame-अवक्षेप	४८	Broadcasting-प्रसारण	३६८
Blank verse-अतुकान्त, अनुप्रासहीन	} ५८	Brow-beating-धौस	१५२
Blast-झोंका	२८१	Bugbear-हौआ	२१६
Blemish-दूषण	४९	Burn-जलाना	९९
Bliss-परमानन्द	३३	Calculation-परिकलन	७४
Blot-लाछन	४९	Capability-१ सक्षमता २ सामर्थ्य	} २६७
Bluff-धुप्पल, धुप्पस	१५२	Capacity-१ धारिता २ पात्रता ३ बिसात ४ समार्ई	} २६७
Boast-गर्वोक्ति	१७३	Career-जीवक	२८
Bodily-कायिक, दैहिक	३१०	Careful-सावधान	९७
Bogey-हौआ	२१६	Case-प्रघटन	१४९
Boiling-उबालना	१६८	Catalogue-सूचीपत्र	३७१
Bonus-अधिलाभ	२९८	Caution-साहित्य	९५
Book-किताब, पुस्तक	३६१	Cautious-सतर्क	९७
Booklet-पुस्तिका	३६१		

Cenozoic Era-नव कल्प	६४	Commodity-पण्य वस्तु	२७४
Censure-निन्दा	१५८	Common-सामान्य	३१४
Chairman-सभापति	३५७	Compact-प्रसाशक	३४५
Chapter-अध्याय	११८	सङ्गत	३५८
Char-फूकना	९९	Comparison-तुलना	२४७
Character-चरित्र	८८	Compassion-करुणा	१२३
Charge-परिव्यय	१३२	Compensation १ क्षतिपूर्ति	} २२९
Check-पडताल	१०२	हरजाना	
” रोध	१९८	२ पूर्ति	
Chide-झिड़की	१५८	Competency-सुयोग्यता	२६७
Choice-चरण	९२	Complaint-१. परिवाद	} २१
Circumstance-परिस्थिति	२६	२ शिकायत	
Civilisation-सभ्यता	३४३	Composition-रचना	२७२
Civility- नागरता	३१४	Comprehension-बोध	१०८
Claim-अध्ययन	८	Compromise-समझौता	३४५
Clash-भिडन्त	११२	Computation-अभिकलन	७४
Clever-चतुर, चालाक	२०१	Concealed-प्रच्छादित	३
Cloud-मेघ	३१	Conceit-मिथ्याभिमान	१७
Clumsy-बेडौल, भोडा	२१४	Concept-भाव	२८४
Collation-परितुलन	२४७	Conception-१. धारणा	} २८४
Collision-टक्कर	११२	२. भावना	
Clog-अर्गल	१९८	Concrete-मूर्त	२१०
Colossal-विशाल	१९५	Concussion-विघात	११२
Comet-केतु, धूमकेतु,	} २०५	Condition-अवस्था	२६
पुच्छल तारा		Condolence-सवेदना	१२३
Commendation-श्लाघा	१८७	Conference-सम्मेलन	३३६
Committee-समिति	३३६	Conflict-विरोध	३०१
		Confusion-धोखा, भ्रान्ति	३२८

Congress-महासभा	३३६	Cooking-पकाना	१६८
Conscience-१. अत करण २. विवेक	२३३	Copy-१. नकल २. प्रति ३. प्रतिकृति ४. प्रतिलिपि	१८३
Consciousness-चेतना	२३३	Correction-शोधन	३१८
Concise-सारिक	३५८	Corporation-निगम	३३३
Consequent-परिणामिक	३२२	Corporeal-शारीरी	३१०
Consistant-सगत	३९२	Corruption-अष्टाचार	१४४
Consolation-सान्त्वना	१२३	Cosmos-ब्रह्माण्ड	२०५
Constellation-नक्षत्र	२०५	Cost-१. लागत, २. परिव्यय	१३२
Consternation-सत्रास	२१६	Council-परिषद्	३३६
Contemplation-मनन	२८४	Counteractive-	
Contempt-अवज्ञा	१४	१. प्रतिकारिक २. प्रतिक्रियक	२८९
Contentment-सतोष	३२६	Counting-गणन	७४
Contention-विवाद	५१	Courtesy-शिष्टता	३१४
Contract-ठीका	३४५	Covenant-सविदा	३४५
Contradictory-प्रतिवादिक्	२८९	Craft-१. कारीगरी, २. शिल्प	५४
Contrary-विपरीत	२८९	Cremate-जलाना	९९
Contrast-व्यतिरेक	२४७	Crime-अपराध	१४४
Contribution-१. अशदान २. सहाश	८६	Criterion-कसौटी	२४४
Controversy-विग्रह	५१	Crust-पपडी	१२०
Convener-संयोजक	३१७	Cultivation-परिकर्षण	३४३
Convention-१. अभिसमय २. समागम	३३६	Culture-संस्कृति	३४३
Conversation-वार्त्तालाप, सलाप	२२४	Curious-कुतूहल-जनक	५
Convocation-समावर्त्तन	३३६	Cyclone-वातावर्त्त	२८१

Death-मृत्यु	२५५	Discord-कलह	५१
Debate-वाद-विवाद	२२४	Discourse-प्रवचन	२२४
Decease-प्रमोति	२५५	Discreet-विवेकशील	२०१
Declaration-प्रख्यापन	३७१	Discretion-सविवेक	२९६
Dedication-समर्पण	२४	Disdain-तिरस्कार	१४
Deepsleep-सुषुप्ति	२६६	Disgrace-अपमान	१४
Delight-हर्ष	३३	Dishonour-तिरस्कार	१४
Delusion-विभ्रम	३२८	Disposition-शील	३१४
Demise-निधन	२२५	Disregard-अवहेला	१४
Department-विभाग	२२०	Disrespect-अवमान	१४
Deplorable-शोचनीय	१२१	Dissent-मत भेद, वैमत्य	५१
Depravity-दुर्वृत्ति	१४४	Dissertation-मत-बन्ध	२७८
Derision-खिली (आंशिक- रूप में)	४२	Distress-कष्ट	१३७
Design-परिरूप	१९३	Division-१ खंड, २ विभाग	२२०
Devotion-भक्ति	२०९	Domesticated-पालतू	८४
Dexterous-दक्ष	६८	Donation-मत	८६
Dialect-उप-भाषा, देश-भाषा	२२७	Dormant-सुप्त	८४
Dialogue-सवाद	२२४	Doubt-सशय	३२८
Diction-शब्द-विन्यास } शब्द-योजना }	२२७	Doze-उँघाई, ऊँव	१६६
Dictionary-कोश	७१	Dread-विभीषिका	२१६
Difficult-कठिन	४७	Duel-द्वन्द्व	५१
Difficulty-कठिनता	१९८	Duration-भोग काल	६२
Disagreement-मत-भेद, } वैमत्य }	५१	Earning-कमाई	३५
Discipline-विनय	३१४	Earth-पृथ्वी	१११
		Ecstasy-अत्यानन्द, } आनंदातिरेक }	३३
		Efficiency-कार्य-कुशलता	२६७

Effigy-पुतला	२५२	Envy-ईर्ष्या	३८
Effort-प्रयत्न	५२०	Epoch- अनुयुग, शाक	१२
Ego-अह	१७	Epic-महाकाव्य	५८
Egoism-अहकार	१७	Equivalent-समानक	१७०
Egotism-अहमन्यता,हमी,हमेव	१७	Era-कल्प	६२
Election-१. चुनाव २. निर्वाचन	९२	Esoteric-१. गुह्य, } २ दीक्षणीय }	७९
Element-तत्त्व	११७	Essay-निबन्ध	२२२
Elementary-आरम्भिक	२५७	Essential-सारवान्	३५८
Emancipation-मुक्ति	३७५	Estimation-आकलन	७४
Embellishing-परिष्करण	३१८	Eternal-सनातन	१७७
Emolument-परिवेतन	२९८	Ether-व्योम	३१
Encomium-गुणानुवाद	१८७	Examination-१ परीक्षण, } २ परीक्षा }	१०३
Encounter-मुठ-भेड़	११२	Example-उदाहरण	१४९
Encyclopaedia-विश्व कोश	७१	Excursion-सैर	२६४
End-ध्येय	४०	Excuse-क्षमा	१२३
Endeavour-उद्योग	३२०	Exemption-छूट	३७५
Endowment-वृत्ति-दान	१२८	Exertion-आयास	३२०
Engagement-ठहराव	३४५	Exhausting-श्रान्तक	४७
Engine-इंजन	२६१	Expedition-अभियान	२६४
Enmity-शत्रुता	३०१	Expenditure-व्यय	१३२
Energy-ऊर्जा	३०४	Experience-अनुभव	१०८
Enormous-बृहत्	१९५	Expert-प्रवीण	६३
Enquiry-पूछ-ताछ	१०३	Exploration-अन्वेषण	१०३
Enquiry Office- पूछ-ताछ घर	१०४	Expression-व्यजन	२७८
Enumeration-परिगणन	७४	Extent-विस्तार	३६७
Enumerator-परिगणक	७८		

Extolment-स्तवन	१८७	Friendliness-१. मित्र भाव, } १९१	
Facsimile-अनुलिपि	१८३	२ सौहार्द }	
Fault-दोष	१४४	Friendship-मित्रता	१९१
Favour-अनुग्रह	१२३	Fright-त्रास	२१६
Fear-भय, डर	२१६	Frying-तलना	१६८
Fee-शुल्क, फीस	२९८	Full payment-चुकता, } २२९	
Fidelity-व्रतचार	२०९	चुकती }	
Figure-आकृति	२५७	Fundamental-मूल-भूत	२५७
Female-स्त्री	१५७	Gain-प्राप्ति	३५
Film-झिल्ली	१२०	Galaxy-छाया पथ	२०५
Firmament-महाव्योम	३१	Gale-वात्या	२८१
Forbidding-निषेध	१६२	Gathering-समुदाय	३३६
Force-बल	३०४	Gazetteer-भौगोलिकी	७१
Foresight-पूर्व दृष्टि	२९६	General-सार्विक	३५८
Fore-thought-पूर्व-विचार	२९६	Gentlemanliness-सज्जनता	३१४
Fore-warning-पूर्व-सूचन	९५	Gift-उपहार	२४
Forgive-क्षमा	१२३	Giving-दान, देना	१२८
Forgiveness-क्षमा-शीलता	१२३	Gladness-आह्लाद	३३
Formalism-औपचारिकता	१७३	Gloom-विषाद	१३७
Fraction-भिन्न	२२०	Glorification-प्रशस्ति	१८७
Fragment-विखड	२२०	Glossary-शब्दार्थी	७१
Fragrance-सौरभ	२३८	Goal-इष्ट	४०
Franchise-मताधिकार	८	Goods-माल	२७४
Freedom-स्वतंत्रता	३७५	Good-will-सद्-भाव	१९१
Height-भाड़ा	२२९	Grace-प्रसाद	१२३
Requent-प्रायिक	३५४	Grant-अनुदान	१२८
		Gratification-तुष्टि, तोष	३२६

Gratuity-आनुतापिक	२९८	Hurricane-प्रवात	२८१
Great-महान्	१९५	Husk-भूसी	१२०
Grief-दुःख	१३७	Hypocrisy-पाखण्ड	१०३
Guild-समवाय	३३३	Idea-विचार	९८४
Guilt-दोष	१४४	Ideal-आदर्श	२४४
Gust-झोका	२८१	Idiom-मुहावरा	२२७
Hallucination-मति-भ्रम	३२८	Idol-मूर्ति	२५२
Handicraft-दस्तकारी, } हस्त-शिल्प }	५४	Ignite-पलीता लगाना	९९
Happiness-आनन्द	३३	Ignition-उत्तापन	९९
Harangue-वाक्-ताडव	२२४	Ignominy-अपयश	१९७
Hard-कठोर	४७	Ignorant-अनभिज्ञ	१
Hauteur-दर्प	१७	Ignoring-अवगणन	१४
Hesitation-असमजस, } दुबधा }	३२८	Ill-repute-कुलयाति	१९७
Hibernation-परिशयन	१६६	Illustration-निदर्शन	१४९
Hidden-प्रच्छन्न	३	Ill-will-मनोमालिन्य, } मन-मुटाव }	५१
Hide-चमडा	१००	Image-प्रतिमा	२५२
Hinderance-अडचन, } अडचल }	१९८	Imagination-कल्पना	२८४
Hire-किराया	२२९	Imitation-अनुकृति	१८३
Historical-ऐतिहासिक	१७७	Immorality-अनाचार	१४४
Honorarium-मानदेय	२९२	Impact-सघात	११२
Horror-वितक	२१६	Imperceptible-अगोचर	१
Hostile-प्रतिपक्षीय	२८९	Implement-उपकरण	२६१
Hostility-वैर	३०१	Impaired-विवक्षित	८१
Humility-विनम्रता	३१४	Impression-छाप	२८४
		Incidental-आनुषंगिक	३२८
		Incinerate-फूकना	९९

Included-अंतर्गत	८१	Intellect-बुद्धि	२३३	
Income-आय	३५	Intelligent-समझदार	२०१	
Incomparable-अनुपम	५	Intimidation-तर्जन	१५२	
Incomprehensive-अबोध	७९	Intent-अभिप्राय	४०	
Independence-स्वाधीनता	३७५	Intention-अभिप्राय	४०	
Index-अनुक्रमणिका	३७१	Intuition-सहज-बुद्धि	१०८	
Indistinct-अस्पष्ट	३	Inventory-तालिका	३७१	
Individuality-व्यक्तित्व	८८	Investigation-१. अनुसंधान	} १०६	
Inebriety-मद	१७	२ छान बीन		
Inexplicable-अव्याख्येय	७९	Investment-लगगत	१३२	
Infamy-अपकीर्ति	१९७	Invisible-अदृश्य	३	
Infatuation-मोह, व्यामोह	१९१	Irony-व्यंग्य	४२	
Inference-अध्याहरण	८४	Jealousy ईर्ष्या	३८	
Information-सूचना १०८, ३७१		Jerk-झटका	११२	
Inherent-अतनिष्ठ	८१	Jolt-हिचकोला	११३	
Initial-१ आदि, २ आदिक	२५७	Journey-यात्रा, सफर	२६४	
Inspection-निरीक्षण	१०३	Joy-मोद	३३	
Instalment-१. खडिका	} २२०	Kick-ठोकर	११२	
२. किस्त			Kindle-सुलगाना	९९
३. खेप			Kindness-कृपा	१२३
Instance-दृष्टान्त	१४९	Knowledge-१ ज्ञान,	} १०८	
Instinct-१. अन्तर्ज्ञान	} १०८	२. जानकारी		
२. अन्तर्बोध			Labour-श्रम	३२०
Institute-ज्ञानालय	३३३	Laborious-श्रम-साध्य	४७	
Institution-संस्था	३३३	Laconic-अल्पाक्षरिक	३५८	
Instrument-करण	२६१	Lady-महिला	१५७	
Insult-अपमान	१४	Lampoon-अवगीत	२१२	
Intelligence-समझ	२३३			

Language-भाषा	२२७	Marriage- विवाह, } पाणि-ग्रहण }	२९४
Lapse-विकर्म	१४४	Marvellous-चमत्कारिक	५
Large-बडा	१९५	Mask-चेहरा, वर्णक	२५२
Latent-निहित	८१	Material-१. भौतिक } २. तात्त्विक }	३१०
Lecture-१. वक्तृता } २. व्याख्यान }	२२४	Matter-१. परम तत्त्व } २. भूत }	११७
Legendary-अनुश्रुत	१७७	Mean-मध्यक	२४०
Leniency-१. मार्दव } २. रिआयत }	१२३	Mechanic-यांत्रिक	५६
Lexicology-कोश-कला	७१	Mechanism-१ कल-पुरजे } २. यंत्रांग { }	२६१
Lexicon-निघण्टु	७१	Meditation-मनन	२८४
Liberty-स्वच्छन्दता	३७५	Memory-स्मृति	३७३
License-समनुज्ञा	८	Menace-भीति	२१६
Likeness-प्रतिकृति	१८३	Mercy-दया	१२३
Limit-सीमा	३६७	Merriment-प्रमोद	३३
List-सूची	३७१	Message-सदेश	२२४
Literature-साहित्य	३६१	Mesozoic Era-मध्य कल्प	६४
Literary-Production	३६१	Meter-छन्द	५८
साहित्यिक कृति या रचना	३६१	Meteor-उल्का	२०५
Literary work-ग्रन्थ	२०८	Metrical Composition	छन्दोबद्ध या पद्यात्मक रचना ५८
Love-प्रेम	१९१	Might-महाबल	३०४
Loyalty-निष्ठा	२०९	Milky way-आकाश गंगा	२०५
Lytic-प्रगीत	५८	Mind-मन	२३३
Machine-१. कल } २. यंत्र }	२६१	Mirage-मरीचिका, } सृगृष्टणा }	३२८
Malice-द्वेष	३८		
Mannerliness-शास्त्रीनता	३१४		

Mirth-उल्लास	३३	Neozoic Era- नव कल्प	६४
Misconduct-दुराचरण	१४४	Nomenclature-नाम-कोश	७१
Misdeed-अपकर्म	१४४	Norm-प्रसमा	२४०
Mistake-भ्रम	३०८	Normal-प्रसम	१६०, २४०
Mockery-विद्रूपण	४२	Normative-प्रासमिक	२४०
Model-प्रतिमान	२४४	Normally-प्रसमतः	२४०
Modesty-१. शील	८८	Notice-सूचना	३७१
२ विनय	३१४	Notification-अधिसूचन	३७१
Modification- अनुसोधन	३१८	Notion-धारणा	२८४
Molecule-अणु	११७	Numbering- सख्यान	७४
Monogamy-एक-विवाह	२९४	Object-१. उद्देश्य	४०
Mother-tongue-मातृभाषा	२२७	२ पदार्थ	२७४
Motif-अभिप्राय	१८३	Objective-उद्देश्य	४०
Motive-हेतु	४०	Obloquy-अपवाद	१९७
Mourning-शोक	१३७	Obscure-तमाच्छन्न	३
Mysterious-रहस्यमय	७९	Obstacle- बाधा	१९८
Mystical-गुह्य	७९	Obstruction-अवरोध	१९८
Mythological-पौराणिक	१७७	Occasional-अवसरिक	१३९
Nap-झपकी	१६६	Odour-वास	२३८
Natural-१ प्रकृत, प्राकृतिक	१६०	Offence-अपराध	१४४
२. नैसर्गिक	३१०	Offer-विसर्ग	२४
Nature-प्रकृति	८८	Offering-अर्पण	२४
Nebula-नीहारिका	२०५	Old-१. पुराना २. प्राचीन	१७७
Negative-१ उलटा	} ३५१	Oligarchy-कुल तंत्र	६७
२. ऋण, ऋणात्मक		Onerous-दुर्वह	४७
३. टढा ४ नहिक		Opposit-विरुद्ध	२८९
Neglect-उपेक्षा	१४	Opposition-विरोध	३०१

Option-विकल्प	९२	Perceptible-गोचर	२५०
Oration-संभाषण	२२४	Percussion-समाघात	११२
Ordinary-साधारण	३५४	Perfume-परिमल	२३८
Original-१. मूल	१८३	Period-१. अवधि	} ६२
२. मौलिक	२५७	२. कालावधि	
Ostentation-आडम्बर	१७३	Personality-व्यक्तित्व	८८
Outing-विहार	२६४	Phrase-पद	२७८
Outline-बहिर्रेखा	३६७	Phraseology-पदावली	७१, २७८
Pact-पाशक	३४५	Physical-शारीरिक	३१०
Pain-पीड़ा	१३७	Pick-चयन	९२
Paleozoic Era-पुरा कल्प	६४	Picnic-गोठ	२६४
Panegyric-स्तुति	१८७	Piece-टुकड़ा	२२०
Panic-भीषिका	२१६	Pilgrimage-तीर्थ-यात्रा	२६४
Paper-अभिपत्र	२७२	Pithy-अर्थ-गमित	३५८
Par-सम	२४०	Pitiable-दयापात्र	१२१
Paragraph-अनुच्छेद	११	Pitiful-दयनीय	१२१
Pardon-क्षमा	१२३	Pity-अनुकंपा	१२३
Parody-विद्रूपिका	२१२	Planet-ग्रह	२०५
Part-भाग	२२०	Pleasure-प्रसन्नता	३३
Partition-विभाजन	२२०	Plutocracy-धनिक-तंत्र	६७
Passion-राग	१९१	Poem-काव्य	५८
Pattern-प्रतिमान	२४४	Poet-कविता	५८
Pay-वेतन	२९८	Polygamy-बहु-विवाह	२९४
Payment-सुगतान	२२९	Polyandry-बहु-पतित्व	२९४
Peel-छिलका	१२०	Polygyny-बहुपत्नीत्व	२९४
Pelt-खाल	१२०	Pomp-आटोप	} १७३
Pension-अनुवेतन	२९८	तड़क-भड़क	
		Pondering-चिन्तन	२८४

Popular-१. लोकगत, } २. लोकप्रिय }	३५४	Privilege-विशेषाधिकार	८
Portion-अंश	२२०	Prize-पारितोषिक	१२८
Position-स्थिति	२६	Proclamation-उद्घोषणा	३६८
Positive-१. सहिक २. गरम ३. सीधा ४. धन, धनात्मक }	३५१	Proceeds-अर्थागम	३५
Potency-प्रभविष्णुता } सबलता }	३०४	Proficiency-सुविज्ञता	२६७
Power-शक्ति	३०४	Proficient-पटु	६८
Praise-प्रशंसा	१८७	Profit-लाभ, नफा	३५
Precaution-पूर्व-साधित्य	९५	Prohibition-प्रतिषेध	१६२
Precedent-१. पूर्विका } २. नजीर }	१४९	Providence-पूर्व-विवेचन	२९६
Preference-वरीयता	९२	Prowess-पौरुष	३०४
Preliminary-प्रारम्भिक	२५७	Prudence-विवेचना	२९६
Premium-अधिदेय	१२८	Public-सार्वजनिक, } सार्वजनीन }	३५४
Prerogative-परमाधिकार	८	Publication-प्रकाशन	३१८
Present-भेंट	२४	Publishing-प्रकाशन	३७१
President-अध्यक्ष	३४०	Purification-विशोधन	३१८
Presumption-अवलोक	१७	Purpose-प्रयोजन	४०
Preterozoic Era-उत्तर-कल्प	६४	Push-धक्का	११२
Prevention-निवारण	१६२	Quaint-निराला	५
Price-१. दाम, २. मूल्य	१३२	Qualification-परिगुण	२६७
Pride-अभिमान	१७	Quarrel-झगड़ा	५१
Primary-प्राथमिक	२५७	Queer-विलक्षण	५
Principal-प्रधान, मुख्य	२५७	Query-अनुयोग	१८९
		Question-१. प्रश्न, २. शंका	१८९
		Radio Astronomy-	
		तेजस् ज्योतिष	११०
		Railery-फवती	४२

Rally-बोली	४२	Reproval-भर्त्सना	१५८
Ransom-ओल	२२९	Research-गवेषणा	१०३
Rapture-प्रहर्ष	३३	Restraint-निरोध	१६२
Rare-दुर्लभ	१३९	Restriction-प्रतिबंध	१६२
Ready-minded- प्रत्युत्पन्नमति उपस्थित-बुद्धि	२०१	Resulant-फलिक	३५८
Ready Reckoner-अनुगणक	७७	Return-प्रतिफल	२२९
Realisation-१ उगाही २ वसूली	३५	Returns-प्रत्यागम	३५
Reasoning-तर्कणा	२३३	Reverse-१. उलटा, २. प्रतिलोम	२८९
Rebuke-डॉट	१५८	Reward-पुरस्कार	१२८
Recitation-उद्धरणी	२२४	Rhetoric-वाक्-पटुता	२२४
Reckoning-अनुगणन	७४	Rhythm-लय	५८
Recollection-अनुस्मरण	३७३	Ridicule-उपहास	४२
Recondite-गहन, गूढ़	७९	Right-अधिकार	८
Redemption-निष्क्रय	२२९	Roasting-भूनना	१६८
Refinement-परिष्कृति	३४३	Roll-१. खर्रा, २. चीरक	२७१
Reflection-चिन्तन	२८४	Rural-ग्राम्य	८४
Regret-खेद	१३७	Rustic-गँवारू	२१४
Regular-नियमित	१६०	Sagacious-विचक्षण	२०१
Relevant-प्रासंगिक	३२२	Salary-वेतन	२९८
Remembrance-स्मरण	३७३	Sample-बानगी	१५५
Reminiscence-सस्मरण	३७३	Sanctimony-धर्म-ध्वजता	१७३
Remuneration-पारिश्रमिक	२९८	Sarcasm-कटाक्ष, छिंटा	४२
Rent-१. किराया २. लगान	२२९	Satellite-उपग्रह	२५०
		Satire-व्यंगिका	२१२
		Satisfaction-परितोष	३२६
		Scandal-बदनामी	१९७

Scarce-विरल	१३९	Share-अंश	२२०
Scent-महक	२३८	Shell-खोपड़ी	१२०
Schedule-अनुसूची	३७१	Shock-१. धक्का, २. सक्षोभ	११२
Scold-तर्जना	१४२	Show-दिखावट	१७३
Scolding-तर्जन	१४२	Shrewd-सयाना	२०१
Scotch-झुलसना	९९	Significant-साकूत	३२२
Sculptor-मूर्तिकार	५६	Sin-पाप	१४४
Scurrility-अप-भाषण	१४२	Singe-झुलसना	९९
Scrutiny-समीक्षा	१०३	Singular-अनूठा	५
Sear-दागना	९९	Sitting-बैठक	३३६
Sea-voyage-समुद्र-यात्रा	२६४	Situation-स्थिति	२६
Secret-गुप्त	८१	Skin-त्वचा	१२०
Section-१. धारा (विधिक), ११		Skill-कौशल	५४
२ प्रभाग	२२०	Skilled-कुशल	६८
Sector-शकल	२२०	Skillful-कुशल	६८
Segment-खंड	२२०	Skit-भडौआ	२१२
Selection-चुनाव	९२	Sky-आकाश	३१
Self-praise-आत्म-इलाघा	१७	Sleep-१. नीद, २ सोना	१६६
Self-respect-स्वाभिमान	१७	Sleeping-शयन	१६६
Sensible-गोचर	२५०	Slight-अवधीरण	१४
,, -समझदार	२०१	Slumber-झपकी	१६६
Sentence-वाक्य	२७८	Smart-तेज	२०१
Sententious-बहुर्यक	३५८	Smell-गन्ध	२३८
Sermon-उपदेश	२२४	Solar System-सौर जगत्	२०५
Session-अधिवेशन	३३६	Song-गीत	५८
Set fire to-भाग लगाना	९९	Sorrow-दुःख	१३७
Settlement-निपटारा	३४५	Soul-आत्मा	२३३

Speaker-प्रमुख	३४०	Subscription-चन्दा	८६
Specialst-विशेषज्ञ	६८	Sub-section-उप-धारा	११
Specimen-नमूना	१५३	Subsidy-परिदान	१२८
Speech-१. भाषण	२२२	Substance-द्रव्य	२७४
२. वाणी	२२४	Substantial-तात्त्विक	३२२
Spicing-छौकना बधारना	१६८	Succint-सुसह्य	३५८
Spirit-आत्मा	२३३	Summary-साराशिक	३५८
Sporadic-छुट-फुट, विकीर्ण	१३९	Supernatural-लोकोत्तर	५
Stain-धब्बा	४९	Surprising-आश्चर्यजनक	५
Standard-मानक	२४४	Suspicion-सदेह	३२६
Star-तारा	२०५	Sympathy-सहानुभूति	१२३
State-दशा	२६	Synod-१ धर्म-सभा } २ सगायन }	३३६
Statue-विग्रह	२५२	Synonym-पर्याय	१७०
Steaming-दम देना	१६८	Synonymist-पर्यायज्ञ	१७०
Stigma-कलक	४९	Synonyms Dictionary-	
Stupend-वृत्ति	२९८	पर्याय कोश	७१
Storm-महावात	२८१	Synonymy-पर्यायकी	१७०
Strange-विचित्र	५	Table-सारणी	३७१
Strength-बल	३०४	Talk-वार्ता	२२४
Striving-उद्यम	३०४	Tangible-धार्य	२५०
Struggle-सवर्ष	५१	Target-लक्ष्य	४०
Stupendous-महत्	१९५	Taunt-ताना	४२
Stupor-तन्त्रा	१६६	Teachings-उपदेश	२२४
Style-शैली	२७८	Teller-मत-गणक	७८
Sub-division-उप-विभाग	२२०	Telling-मत-गणन	७४
Sub-normal-अनुप्रसम	२४०	Temper-स्वभाव	८८
Sub-normally-अनुप्रसमतः	२४०		

Temperament-स्वभाव	८८	Twit-चुटकी	४२
Tempest-भतिवात	२८१	Typhoon-चंडवात, तूफान	२८१
Term-अवधि	६२	Typical-ठेठ, प्ररूपी	१६०
Terror-आतक	२१६	Un-acquainted-अपरिचित	१
Terse-परिसह्त	३५८	Un-certainty-अनिश्चय	३२८
Test-जाँच	१०३	Understanding-समझ	२८४
Thesis-प्रबन्ध	२७२	Union-सघ	३३३
Thing-वस्तु	२७४	Unique-अद्वितीय	५
Thought-विचार	२८४	Universal-विश्वक	३५४
Threat-धमकी	१५२	Universe-बिस्व	२०५
Time-काल	६२	Un-knowable-अज्ञेय	१
Toilsome-भ्रम-साध्य	४७	Unknown-अज्ञात	१
Tongue-बोली	२२७	Un-observed-अलक्षित	३
Tool-औजार, हस्तक	२६१	Usual-चलित	३५४
Torment-सन्ताप	१३७	Utterance-उक्ति	२२४
Tornado-घूर्ण वात, घूर्णा	२८१	Value-मान	१३२
Touchstone-कसौटी	२४४	Valour-पराक्रम, विक्रम	३०४
Tour-भ्रमण	२६४	Vanity-घमड	१७
Traditional-परम्परागत	१७७	Verification-सत्यापन	१०३
Transgresssion-अतिचार	१४४	Verse-पद्य	५८
Travel-पर्यटन	२६४	Vice-कुकर्म, दुष्कर्म	१४४
Treatise-विबन्ध	२७२	Vigilant-जागरूक	६७
Treaty-सन्धि	३४५	Vigour-ओज	३०४
Trip-१. ठोकर	११२	Vilification-गाली-गालीज	१४२
२. व्रजन	२६४	Vitality-जीवति	३०४
Truce-अवहार	३४५	Vituperation-गाली	१४२
Turmoil-खलबली	२१६	Vocabulary-शब्दावली ७१, २२७	

Voyage-जलयाना, नौयात्रा	२६४	Wind-पवन	२८१
Wage (s)- मजदूरी, भृति	२९८	Windstorm-अन्धड़, आँधी	२८१
Wakeful-चौकस, सजग	९७	Wisdom-प्रज्ञा, बुद्धि	२३३
Warning-चेतावनी	९५	Wise-बुद्धिमान	२०१
Water-spout-जल-स्तम्भ, } सूँडी }	२८१	Woman-नारी	१५७
Whirlwind-चक्रवात, } बवडर, बगूला }	११	Wonderful-अद्भुत	५
Widow marriage-विधवा विवाह	२९४	World-ससार	१८१
Wild-१. जगली, वन्य } २. ग्राम्य }	४८	Worth-अर्घ	१३२
		Wrangling-वितडा	२२४
		Yard-गज	२४४
		Yard-stick-मान-दंड, माप-दंड	२४४

आवश्यक संशोधन

हिन्दी-अंगरेजी अनुक्रमणिका में नीचे लिखे शब्दों के आगे पृष्ठ संख्या छपने से रह गई है। पाठक कृपया इस प्रकार सुधार लें।

भौगोलिकी—Gazetteer	७१
भ्रष्टाचार—Corruption	१४४
मानक—Standard	२४४

प्रामाणिक हिन्दी कोष

संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण

- ★ यह कोश हिन्दी के प्रतिभासम्पन्न कोशकार आचार्य श्री रामचन्द्र वर्म्म द्वारा सम्पादित है ।
- ★ यह हिन्दी का एक-मात्र अर्थ-प्रधान कोश है । अन्य कोशों की भाँति आपको इसमें शब्दों के पर्याय नहीं, पूरी और ठीक व्याख्या मिलेगी । पर्याय प्रायः भ्रामक होते हैं, व्याख्या शब्द की आत्मा तक पहुँचाती है ।
- ★ शब्दों की व्याख्या से आपको पूर्ण सतोष होगा ।
- ★ इसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी कवियों तथा गद्य लेखकों द्वारा प्रयुक्त १०-१२ हजार ऐसे नये-नये शब्द, प्रयोग, अर्थ तथा मुहावरे मिलेंगे जो हिन्दी के अन्यान्य कोशों में नहीं देख पड़ेंगे ।
- ★ हजारों शब्दों के साथ उदाहरण भी दिये गये हैं ।
- ★ नित्य कार्य में आनेवाले हजारों वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक अँगरेजी शब्दों के ठीक और उपयुक्त पर्याय भी दिये गए हैं ।
- ★ पाँच हजार शब्दों की अँगरेजी हिन्दी शब्दावली भी कोश के अन्त में पाठकों की सुविधा के लिए दी गई है ।
- ★ पत्र-पत्रिकाओं, लेखकों तथा समालोचकों द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशंसित ।
- ★ अजमेर, आंध्र, बिहार, मद्रास आदि राज्यों द्वारा पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत । ४६००० शब्द, १६०० पृष्ठ, मूल्य १२॥) डाकव्यय २॥)

अच्छी हिन्दा

लेखक—श्री रामचन्द्र वर्मा

क्या आप जानते हैं कि आप जो हिन्दी बोलते या लिखते हैं, उसमें कहाँ-कहाँ और कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? क्या आपको मालूम है कि समाचार-पत्रों और पुस्तकों में आप जो हिन्दी पढ़ते हैं, वह कितनी अशुद्ध और बे-मुहावरे होती है? क्या आप जानते हैं कि कोई शब्द जरा-सा आगे-पीछे हो जाने से या एकाध मात्रा हट-बढ़ जाने से ही वाक्यों के अर्थ और भाव में कितना अंतर पड़ जाता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी भाषा में से हिन्दीपन किस प्रकार निकलता जा रहा है, और उसमें अँगरेजियत कितनी बढ़ती जा रही है? यदि नहीं, तो इन बातों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए “अच्छी हिन्दी” पढ़िये।

लेखकों और कवियों के लिए, सम्पादकों और सवाददाताओं के लिए, अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए, व्याख्यानदाताओं और जन-सेवकों के लिए, व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए, न्यायालयों के अधिकारियों और वकीलों के लिए ‘अच्छी हिन्दी’ पढ़ना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है। ‘अच्छी हिन्दी’ का अध्ययन सभी तरह के लोगों के लिए इतना अधिक लाभदायक है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता।

सभी समाचार पत्रों और मासिक-पत्रों ने, हिन्दी के छोटे और बड़े सभी विद्वानों ने और शिक्षा-विभाग के अनेक बड़े-बड़े अधिकारियों ने मुक्त-कण्ठ से “अच्छी हिन्दी” की प्रशंसा की है; और एक स्वर से कहा है कि सभी हिन्दी पढ़ने-लिखनेवालों को “अच्छी हिन्दी” का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।

आठवाँ सशोधित और परिवर्द्धित संस्करण, पृष्ठ संख्या ३८६, दाम ३) बी० पो० से ३।।।)

अपने यहाँ के पुस्तक-विक्रेता से मागिए; या नीचे लिखे पते से मँगाइए।

साहित्य-रत्न-माला कार्यालय,

२० धर्म कूप, बनारस।

हिन्दी प्रयोग

लेखक—श्री रामचन्द्र वर्मा

‘अच्छी हिन्दी’ तो महाविद्यालयो या कालेजों के आरम्भिक वर्गों के विद्यार्थियों के लिए है; पर यह पुस्तक विशेष रूप से हाई स्कूल के नवें-दसवें और हिन्दी स्कूलों के आठवें वर्ग के अथवा इनमें मिलते-जुलते अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के उपयोग के लिए लिखी गई है। केवल हिन्दी की परीक्षाएँ लेनेवाली संस्थाओं की प्रथमा और मध्यमा तथा शिक्षा-विभागों के हिन्दी शिक्षकों आदि की नार्मल, ट्रेनिंग, सरटिफ़िकायड टीचर्स और कोविद सरीखी परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों की आवश्यकताओं का भी इसमें पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। जो शिक्षक यह पुस्तक एक बार भली भाँति पढ़ लेंगे, वे अपने विद्यार्थियों को अच्छी भाषा की शिक्षा देकर स्वयं यश के भागी बनेंगे। एडमिशन या मैट्रिक तक की योग्यता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए भी यह परम उपयोगी है। जो विद्यार्थी हिन्दी भाषा और व्याकरण की मुख्य-मुख्य बातें और हिन्दी के शुद्ध प्रयोग बहुत सहज में सीखना चाहते हों, उनके लिए यह पुस्तक एक अमूल्य रत्न है। इससे आरम्भिक विद्यार्थियों को अपनी भाषा विशुद्ध और निर्दोष बनाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और परीक्षा में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। हिन्दी की आरम्भिक कक्षाओं के शिक्षकों के जानने योग्य कठिन और जटिल बातें इसमें इतने सहज और मनोरंजक ढंग से बतलाई गई हैं कि एक बार पुस्तक पढ़ लेने पर लिखने में जल्दी कोई भूल न होगी। इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजपूताने तथा मध्य-भारत की हाई स्कूल परीक्षाओं, पूर्वी पंजाब की हिन्दी भूषण, प्रयाग महिला विद्यापीठ की विद्या-विनोदिनी तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के पाठ्य-क्रम में स्थान मिल चुका है। छठा संस्करण, पृष्ठ १७२; दाम १॥)

हिन्दी काव्य-दर्शन

लेखक—श्री होरालाल तिवारी

हिन्दी के सभी उत्कृष्ट कवियों और उनकी कृतियों के ठीक-ठीक स्वरूप और महत्त्व बतलानेवाली यह पुस्तक अपने ढंग की अनोखी और सर्व-श्रेष्ठ है। यह भक्ति-काल, रीति-काल और आधुनिक-काल इन तीन विभागों में विभक्त है। हर विभाग के आरम्भ में उस काल की प्रवृत्तियों आदि का विचारपूर्ण विवेचन है। भक्ति-काव्य में विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी और मीरा; रीति काल में केशव, विहारी, भूषण, देव और घनानन्द तथा आधुनिककाल में भारतेन्दु, रत्नाकर, हरि-श्रीधर, गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी और दिनकर के काव्यों के पर्यालोचन के अलग-अलग अध्याय हैं। इसमें प्रत्येक कवि के सम्बन्ध में यह बतलाया गया है कि रूप, प्रेम, सयोग-शृङ्गार, वियोग-शृङ्गार, भक्ति, लोक-जीवन लोक-कल्याण, प्रकृति-चित्रण, आदि के सम्बन्ध में उनके कैसे विचार थे, उनके दार्शनिक चिन्तन का क्या स्वरूप है, उनकी भाषा-शैली तथा विचारों की अभिव्यक्ति की कला किस प्रकार की है, और उसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं। सारी पुस्तक बहुत ही गम्भीर अध्ययन और गूढ़-विवेचन का एक नया दृष्टिकोण तथा नया आदर्श प्रस्तुत करती है। हिन्दी-काव्य-जगत का ठीक ठीक महत्त्व और स्वरूप समझने में कालेजों के अध्ययनशील विद्यार्थियों को जितनी अधिक सहायता इस पुस्तक से मिलेगी, उतनी किसी अन्य पुस्तक से नहीं मिलेगी। इसकी लेखन शैली और अभिव्यजन-प्रणाली इतनी उच्च कोटि की है कि एक दो पृष्ठ पढ़ते ही सारी पुस्तक पढ़ने की उत्सुकता आपके मन में आपसे आप उत्पन्न होगी; और हर जगह आपको सुयोग्य लेखक की प्रशंसा करने के लिए विवश होना पड़ेगा। पुस्तक क्या है, आलोचनात्मक साहित्य का एक अनुपम रत्न है। पृष्ठ संख्या ६०० से ऊपर; पक्की सुन्दर जिल्द और बढिया छपाई; मूल्य केवल ६।) डाक व्यय १) साहित्य-रत्न माला कार्यालय, २० धर्मकूप, बनारस।